चतुर्दश माला, खंड 24, अंक 16

बुधवार, 13 दिसम्बर, 2006
22 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Committee & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No.....61.....
Dated.....15 July 2008

(खंड 24 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ट
सम्पादक

सुनीता थापलियाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 24, नौवां सत्र, 2006/1928 (शक)]

अंक 16, बुधवार, 13 दिसम्बर, 2006/22 अग्रहायण, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
(एक) संसद भवन पर आतंकवादी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि के बारे में	1–2
(दो) एशियाई खेलों में जसपाल राणा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने जाने के बारे में	2–4
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 302 से 305 और 307	4–41
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 306 और 308 से 321	41–69
अतारांकित प्रश्न संख्या 2925 से 3070 और 3072 से 3154	69–602
सभा पटल पर रखे गए पत्र	602–626
सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	627
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
13वां और 14वां प्रतिवेदन	627
श्रम संबंधी स्थायी समिति	
19वां प्रतिवेदन	628
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
की गई कार्यवाही संबंधी विवरण	628–629
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
(एक) की गई कार्यवाही संबंधी विवरण	630
(दो) 35वां और 36वां प्रतिवेदन	630
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 122वां प्रतिवेदन	631
(दो) साक्ष्य	631

विषय	कॉलम
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	631–634
(एक) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	631–632
(दो) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) पर की गई कार्यवाही के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 120वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री मणि शंकर अय्यर	632–633
(तीन) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-05 और 2005-06) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः पहले और पांचवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री सुरेश पचौरी	633–634
सदस्यों द्वारा निवेदन	
अरुणाचल प्रदेश के संबंध में भारत-चीन सीमा मुद्दे पर चीन के राजदूत द्वारा की गई कथित टिप्पणियों के बारे में	635–660
नियम 377 के अधीन मामले	660–672
(एक) जूनागढ़ और राजकोट के बीच पड़ने वाले स्टेशनों पर रेल सुविधाओं में सुधार किये जाने तथा जूनागढ़, गुजरात से देश के अन्य भागों के लिए नई रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	660–661
(दो) सभी के लिए स्वीकार्य एक राष्ट्रीय भाषा को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु एक समिति गठित किये जाने की आवश्यकता	
डा. राजेश मिश्रा	661–662
(तीन) देश के बच्चों में प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने तथा उनमें एनीमिया के बढ़ रहे मामलों को रोके जाने की आवश्यकता	
सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड	662
(चार) मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक स्मारक 'हजार द्वारी' के सामने 'प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम' आयोजित किये जाने की आवश्यकता	
श्री अधीर चौधरी	662–663
(पांच) गुजरात में बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पालनपुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रासिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण किये जाने की आवश्यकता	
श्री हरिसिंह चावड़ा	663

विषय	कॉलम
(छह) वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व का अधिकार दिये जाने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता	
श्री गणेश सिंह	663–664
(सात) महाराष्ट्र में गोवारी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता	
श्री हंसराज जी. अहीर	664
(आठ) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 228 पर अहमदाबाद-दांडी खंड को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता	
श्री हरिन पाठक	665
(नौ) किसानों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की नीति की पुनरीक्षा किये जाने की आवश्यकता	
श्री राकेश सिंह	665–666
(दस) देश में ग्रामों के समग्र विकास के लिए वर्ष 2007-08 के बजट में वित्तीय प्रावधान किये जाने की आवश्यकता	
डा. सत्यनारायण जटिया	666
(ग्यारह) काकीनाडा, आंध्र प्रेदश में ओएनजीसी की रिफाइनरी स्थापित किये जाने की आवश्यकता	
डा. बाबूराव मिडियम	666–667
(बारह) दिल्ली-शामली-सहारनपुर राजमार्ग को चार लेन वाला बनाये जाने की आवश्यकता	
श्री रशीद मसूद	667
(तेरह) बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर और पूर्वी चम्पारण जिलों में तीर्थ पर्यटन केन्द्र विकसित किये जाने की आवश्यकता	
श्री रघुनाथ झा	667–668
(चौदह) उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत काम करने वाली कम्पनियों द्वारा किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता की निगरानी किये जाने की आवश्यकता	
श्री मित्रसेन यादव	668
(पन्द्रह) महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड को आयकर अधिनियम 1960 की धारा 10(29क) के अंतर्गत आयकर में छूट दिये जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	668–669
(सोलह) पश्चिम उड़ीसा में उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित किये जाने की आवश्यकता	
श्री प्रसन्न आचार्य	669–670
(सत्रह) क्विलोन-विरुधनगर रेल खंड के आमान परिवर्तन के कार्य को समय पर पूरा किये जाने की आवश्यकता	
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन	670

विषय	कॉलम
(अठारह) महाराष्ट्र के सतारा जिले की महाबलेश्वर तहसील में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत चातुरबेत-शिंदी रोड को विकसित किये जाने की आवश्यकता	
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	670–671
(उन्नीस) बिहार में सकरी-इसनपुर रेल लाइन को बरास्ता बरौनी जंक्शन से जोड़े जाने की आवश्यकता	
श्री सूरज सिंह	671
(बीस) 'भोटी' भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता	
श्री छेवांग धुपस्तन	671–672
डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक, 2006	673–699
विचार करने के लिए प्रस्ताव	673
श्री संतोष मोहन देव	673–674
श्री पी.एस. गढ़वी	674–677
श्री बसुदेव आचार्य	677–680
श्री अधीर चौधरी	680–681
प्रो. रासा सिंह रावत	681–684
श्री के. सुब्बारायण	684–685
श्री बृजकिशोर त्रिपाठी	685–687
श्री थावरचन्द गेहलोत	687–688
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	688–691
श्री गणेश प्रसाद सिंह	691–692
श्री मोहन सिंह	692–693
खंड 2 और 1	698
पारित करने के लिए प्रस्ताव	699
बालक अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) विधेयक	699–742
विचार करने के लिए प्रस्ताव	699
श्रीमती रेनुका चौधरी	699
प्रो. रासा सिंह रावत	700–702
श्रीमती प्रतिभा सिंह	702–705

विषय		कॉलम
	श्री शैलेन्द्र कुमार	705–706
	श्री रघुनाथ झा	706–708
	श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन	709–711
	डा. सिबैस्टियन पाल	711–712
	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	712–713
	श्रीमती अर्चना नायक	713–714
	श्री चैंगरा सुरेन्द्रन	714–715
	श्रीमती सुमित्रा महाजन	715–717
	श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश	717–720
	श्रीमती रूबाब सईदा	721–723
	श्री वरकला राधाकृष्णन	723–725
	श्रीमती किरण माहेश्वरी	725–727
	श्रीमती प्रिया दत्त	728–730
	श्री आलोक कुमार मेहता	730–731
	श्री जे.एम. आरून रशीद	732–734
	श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	734–737
खंड 2 और 1		742
पारित करने के लिए प्रस्ताव		742
नियम 193 के अधीन चर्चा		742–828
(एक) पंचायतों की स्थिति—मध्यावधि समीक्षा एवं आकलन-2006 संबंधी प्रतिवेदन		742–781
	श्री के.सी. पल्लानी शामी	742–747
	श्री मणि शंकर अय्यर	747–791
(दो) देश में असंगठित श्रमिकों की समस्याएं		791–828
	डा. सुजान चक्रवर्ती	792–795
	श्री टेकलाल महतो	795–796
	श्री आलोक कुमार मेहता	796–798
	श्री हरिकेवल प्रसाद	799–800

विषय		कॉलम
	श्री मंजुनाथ कुन्नुर	800–802
	श्री वीरेन्द्र कुमार	802–804
	श्री बालासाहिब विखे पाटील	804–806
	श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई	806–807
	श्री एम. शिवन्ना	807–808
	श्री पी. करुणाकरन	808–811
	श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश	811–813
	श्री गणेश सिंह	814–815
	श्रीमती पी. सतीदेवी	816–817
	श्री एस.के. खारवेनथन	817–819
	श्री ए.वी. बेल्लारमिन	819–820
	श्री आस्कर फर्नांडीस	820–827
कार्य मंत्रणा समिति		
	32वां प्रतिवेदन	828
अनुबंध-I		
	तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	839
	अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	840–846
अनुबंध-II		
	तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	847–848
	अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	847–848

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका
श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव
श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 13 दिसम्बर, 2006/22 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

(एक) संसद भवन पर आतंकवादी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों बड़े भारी मन से आज हम पांच वर्ष पूर्व 13 दिसम्बर को हुई उस घटना को याद करते हैं। हमारी संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था।

हम हमले को संसद भवन परिसर की सुरक्षा के लिए जवाबदेह चौकन्ने सुरक्षाकर्मियों ने विफल कर दिया लेकिन इस प्रक्रिया में दिल्ली पुलिस के पांच सुरक्षाकर्मियों, सीआरपीएफ की एक महिला सिपाही; और संसद के वाच एंड वार्ड के दो सुरक्षा सहायकों सर्वश्री नानकचंद, रामपाल सिंह, घनश्याम, ओमप्रकाश, विजयेन्द्र सिंह, श्रीमती कमलेश कुमारी, श्री जे.पी. यादव और श्री मातबर सिंह नेगी को अपनी जान गंवानी पड़ी। माली के रूप में कार्यरत श्री देसराज भी इस हमले में शहीद हुए। इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़े एक पत्रकार श्री विजयसिंह बिष्ट भी इस हमले में जख्मी हुए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। सुरक्षाकर्मियों के पराक्रम और अतुलनीय साहस से आतंकवाद की समस्या को समाप्त करने के लिए हम एक बार फिर संकल्प लेते हैं। अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए आइये एक बार फिर संकल्प लेते हैं।

सदस्यगण अब दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थौड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(दो) एशियाई खेलों में जसपाल राणा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने जाने के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो यह हमारे लिये गर्व की बात है कि दोहा में चल रहे एशियाई खेलों में हमारे निशानेबाज जसपाल राणा को 'सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी' चुना गया है। पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा में उन्होंने तीन स्वर्ण पदक जीत कर खेलों में देश की पदकों की संख्या बढ़ाने में योगदान दिया।

मुझे विश्वास है कि सभा अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश का नाम रोशन करने वाले श्री जसपाल राणा को बधाई देगी।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, 15 दिसम्बर को संकट को बचाने में जिन लोगों ने अपने प्राण अर्पित किये, उन शहीदों को अभी आपने श्रद्धांजलि अर्पित की। परन्तु अफजल को फांसी न देना ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने कल यह मामला उठाया था।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप जानते हैं कि एक ही मुद्दा रोज नहीं होता।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: विपक्ष के माननीय नेता ने कल ही यह मामला उठाया था और इस मुद्दे पर कुछ चर्चा भी हुई थी। असल में इस मुद्दे पर लगभग पूरी चर्चा हुई थी और माननीय गृह मंत्री ने जवाब भी दिया था।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय उनका जवाब में कोई दम नहीं था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हो सकता है आप उनके जवाब से सहमत न हों।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा को चलने दीजिए। मैं आप सबसे अपील करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इस मामले का महत्व कम नहीं कर रहा हूं। अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी लोगों को हमने श्रद्धांजलि दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अपने प्राण अर्पित करने वाले लोगों की स्मृति में सभा की कार्यवाही शुरू करते हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अनंत कुमार जी, प्लीज हाउस चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह मामला कल ही सभा में उठाया गया था।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रोटेस्ट रिकार्ड कर लिया जाए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, आपने जो बोला है, वह रिकार्ड हो गया।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय क्या शून्यकाल में इस मामले पर फिर चर्चा होगी?

अध्यक्ष महोदय: नहीं, इस मामले पर नहीं।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय: श्री जोवाकिम बखला, प्रश्न सं. 302।

[अनुवाद]

कोयला भंडार और इसका दोहन

***302. श्री जोवाकिम बखला:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अच्छी गुणवत्ता वाले कोयला भंडारों में अनुमानत: कितना कोयला है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें से कितना कोयला निकाला गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में कोयले की कितनी कमी रही;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कोयले की कितनी मात्रा का आयात किया गया; और

(घ) इस कमी को पूरा करने के लिए दोहन क्षमता में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) के अनुमानों के अनुसार 1.1.2006 की स्थिति के अनुसार, भारत में अब तक कुल 253.30 बिलियन टन के भू-गर्भीय कोयला संसाधनों का अनुमान लगाया गया है। इसमें 32.097 बिलियन टन कोकिंग कोयला संसाधन और 32.039 बिलियन टन अच्छी कोटि (अर्थात ए, बी और सी ग्रेड) के नान-कोकिंग कोयला संसाधन शामिल हैं।

.सी.आई.एल. और एस.सी.सी.एल. की खानों से पिछले तीन वर्षों के दौरान अच्छी कोटि के कोयले के कुल उत्पादन निम्नवत् हैं:

वर्ष	(मिलियन टन में)
2003-04	96.55
2004-05	97.86
2005-06	97.15

(ख) योजना आयोग के अनुसार वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 (संशोधित) के दौरान कच्चे कोयले की अखिल भारतीय मांग का अनुमान 380.91 मिलियन टन, 405.46 मिलियन टन और 448.72 मिलियन टन लगाया गया था। इस अनुमानित मांग की तुलना में अखिल भारतीय वास्तविक मांग क्रमश: 361.24 मिलियन टन, 382.62 मिलियन टन और 406.99 मिलियन टन थी जिसमें अंतर क्रमश: 19.67, 22.84 तथा 41.73 मिलियन टन का था।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित कोयले की मात्रा निम्नवत् है:

(मिलियन टन में)

वर्ष	आयातित कोयला
2003-04	21.683
2004-05	28.950
2005-06 (अनंतिम)	38.869

स्रोत: कोयला नियंत्रक के संगठन, कोलकाता की कोयला सांख्यिकियां।

(घ) निष्कर्षण की संभावना को बढ़ाने तथा कोयले की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

1. अधिक कोयला भंडारों को प्रमाणित करने के लिए अन्वेषण क्षमता का विस्तार किया जा रहा है।
2. केप्टिव खनन के लिए अधिक ब्लाकों का तेजी से आवंटन।
3. परियोजनाओं का तेजी से अनुमोदन।
4. भूमिगत खनन में सतत खनिकों तथा लांगवाल प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में वृद्धि।
5. मौजूदा खानों/परियोजनाओं से उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने के लिए आपातकालीन कोयला उत्पादन की आयोजना की गई है।

श्री जोवाकिम बखला: महोदय, उत्तर में यह बताया गया है कि दोहन क्षमता बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। तथापि, पिछले तीन वर्ष के रिकार्ड को देखते हुए, इसमें कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है। अत: मैं माननीय मंत्रीजी से उन उपायों के बारे में जानना चाहता हूं जिनके माध्यम से उनका स्थिति में सुधार लाने का विचार है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने अपने उत्तर में इनका उल्लेख किया है।

डा. दासरि नारायण राव: महोदय, यह एक अनवरत प्रक्रिया है। 1 जनवरी, 2006 को कुल अनुमानित कोयला भंडार 253 बिलियन टन है। यह भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण और केन्द्रीय खनन योजना और डिजाइन संस्थान द्वारा किये गए अन्वेषण पर आधारित है। वे प्रत्येक वर्ष यह कर रहे हैं। कुल भंडार से, मैं समझता हूं हमारे पास प्रचुर भंडार है। आज की तारीख के अनुसार प्राप्त भंडार केवल 31 प्रतिशत है और शेष का हमें अभी अन्वेषण करना है। अत:, यह एक अनवरत प्रक्रिया है।

श्री तथागत सत्पथी: कितने का 31 प्रतिशत?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है।

श्री जोवाकिम बखला: क्या सरकार ने कोयला भंडारों की मात्रा का पता लगाने के हाल ही में कोई सर्वेक्षण करवाया है। यदि हां, क्या पश्चिम बंगाल राज्य में भी कोई सर्वेक्षण करवाया गया और कितनी मात्रा में तथा किस गुणवत्ता के कोयला भंडार पाये गये? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में कोई सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है।

डा. दासरि नारायण राव: महोदय, जहां तक पश्चिम बंगाल के अनुमानित कोयला भंडारों का संबंध है। 27.00 बिलियन टन के साथ इसका देश में चौथा स्थान है। जहां तक प्राप्त भंडारों का संबंध है। 11.40 बिलियन टन के साथ पश्चिम बंगाल का देश में तीसरा स्थान है। मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल राज्य के कोयले की संभावना वाले अधिकांश क्षेत्रों का पहले ही पता लगाया जा चुका है। अब किया जा रहा अन्वेषण मुख्यत: विस्तृत अन्वेषण है ताकि जिन कोयला भंडारों के संकेत मिले हैं उनकी अन्वेषण पुष्टि की जा सके। राज्य में 11.80 बिलियन टन के संभावित भंडार हैं और केवल 4.5 बिलियन टन के प्राप्त भंडार हैं। पश्चिम बंगाल में आवश्यकतानुसार लगभग 15000 से 20000 मीटर प्रत्येक वर्ष खुदाई की जा रहा है जो कि अधिकांशत: विकासात्मक खुदाई है। यह अनवरत प्रक्रिया है। इसे हर वर्ष जोड़ा जा रहा है।

302

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, स्पेसीफिक उसके एक भाग का मैं क्लेरीफिकेशन चाहता हूं। मंत्री जी ने उत्तर के 'डी' भाग में कहा है कि

[अनुवाद]

खनन के लिए अधिक क्षेत्रों का तेजी से आवंटन हो।

[हिन्दी]

उस प्रश्न के दो पहलू हैं।

[अनुवाद]

कोयले की मांग न केवल विद्युत क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ी है।

[हिन्दी]

जब प्रदेश सरकार कैपटिव माइनिंग मांगेगी, तो क्या आप उसे प्रायरिटी बेसिस पर देंगे? दूसरा, अधिक प्रोडक्शन के लिए सबसे बाधक चीज होती है, जिस पर देश चर्चा करता है, वह एक अच्छी आर एंड आर पालिसी है।

[अनुवाद]

आज की स्थिति के अनुसार अनेक आश्वासन दिए जाने के बावजूद, कोल इंडिया और कोयला मंत्रालय को अभी भी अच्छी और प्रगतिशील आर एंड आर पालिसी बनानी है। ये दो पूर्व शर्तें हैं। क्या आप इसे राज्यों को देने जा रहे हैं जो इसकी मांग कर रहे हैं और क्या आप अच्छी आर एंड आर पालिसी बनाने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: कौन सी नीति?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: आर एंड आर पालिसी—पुनर्वास एवं पुन: स्थापना नीति।

डा. दासरि नारायण राव: माननीय सांसद देश में कोयला उत्पादन के बारे में अत्यधिक चिंतित हैं। संप्रग सरकार के सत्ता में आने के बाद हमने 76 कोयला ब्लाक आवंटित किये हैं। कुल 123, रक्षित कोयला ब्लाक आवंटित किये गये हैं। यदि राज्य सरकार आगे आए, हम इन्हें सरकारी वितरण के तहत आवंटित करने के लिए तैयार हैं। आर एंड आर पालिसी के संबंध में, यह अभी भी विचाराधीन है। माननीय प्रधान मंत्री का इस पर पूरा ध्यान है और योजना पर कार्य किया जा रहा है।

श्री लक्ष्मण सिंह: महोदय, राष्ट्रीय एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार, हमारे देश में 200 वर्षों के लिए पर्याप्त कोयला भंडार हैं। यदि यह सच है, तो सरकार कोयला निकालने के बजाय आयात क्यों कर रही है?

डा. दासरि नारायण राव: महोदय, यदि आज की कोयला जरूरतों की यही स्थिति बनी रहती है तो हमारे वर्तमान कोयला भंडार देश की जरूरत के लिए 100 वर्षों तक के लिए पर्याप्त हैं। यदि हम बढ़ती कोयला जरूरतों पर ध्यान दें, हमारे कोयला भंडार 30-40 वर्षों के लिए पर्याप्त होंगे। लेकिन यह अन्त नहीं है। कोयले की संभावना वाले केवल 31 प्रतिशत क्षेत्र का विस्तृत अन्वेषण किया गया है और अभी भी काफी क्षेत्र शेष हैं। अत: 100 वर्षों तक कोई समस्या नहीं है।

कोयला आयात के संदर्भ में, आप भली भांति जानते हैं कि हमारे कोयले में राख की मात्रा ज्यादा है। यह लगभग 40 प्रतिशत है। इस्पात उद्योग को कोकिंग कोल की आवश्यकता होती है। हमारे पास कुकिंग कोल के भंडार कम हैं। अत: हमारे लिए कोयले का आयात आवश्यक है।

डा. अरुण कुमार शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, कोयला निकालने की दो पद्धतियां हैं—पहला खुले क्षेत्र में खनन और दूसरा भूमिगत खनन। देश में भूमिगत खनन और खुले क्षेत्र में खनन के माध्यम से कोयले के दोहन का क्या प्रतिशत है। खुले क्षेत्र में खनन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। बड़े पैमाने पर वनों का विनाश और उपयोगी ऊपरी मृदा का क्षरण हो रहा है। यह अधिकांशत: असम के पूर्वोत्तर के कोयला क्षेत्रों में व्याप्त है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे?

अध्यक्ष महोदय: अंतिम भाग का उत्तर दें।

डा. दासरि नारायण राव: देश में भूमिगत खनन का प्रतिशत तुलनात्मक रूप से कम है। वास्तव में राष्ट्रीयकरण के बाद कोल इंडिया लिमिटेड में भूमिगत खानों में उत्पादन में कमी आई है। राष्ट्रीयकरण से पहले, खान मालिकों द्वारा आसानी से ऊपर उपलब्ध कोयले का दोहन किया जाता था। अब हम हमारे भूमिगत खनन में सुधार के लिए सारे उपाय कर रहे हैं। फिर भी खुले क्षेत्र में खनन का प्रतिशत ज्यादा है। लगभग 85 प्रतिशत कोयले का दोहन हम खुले क्षेत्र में खनन के माध्यम से कर रहे हैं।

डा. अरुण कुमार शर्मा: खुले क्षेत्र में खनन से पर्यावरण को हुए नुकसान के बारे में क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

अध्यक्ष महोदय: इसे पर्यावरण मंत्रालय को अग्रेषित करें।

डा. दासरि नारायण राव: महोदय, वास्तव में हम इस पर ध्यान दे रहे हैं।

डा. अरुण कुमार शर्मा: यह इस मंत्रालय से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपकी मदद की है। वह इसे पर्यावरण मंत्रालय को भेज देंगे।

डा. अरुण कुमार शर्मा: पूर्वोत्तर में, बड़े-बड़े क्षेत्र नष्ट किये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप सदा ही सहयोग करते हैं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री भंवर सिंह डांगावास: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। खनन करने से कोयले का उपयोग हो रहा है, वह महंगा है। मेरे यहां पर वह कोयला जो खनन करने से काम में नहीं आता है, उसे जमीन के अंदर ही जलाकर बिजली उत्पन्न की जा सकती है। अर्थात अन्डरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन स्कीम, जो आपने गुजरात में किया है। मेरे क्षेत्र में मेड़ता के पास पीरानगर नाम से कोयले की खाने हैं, जहां पर इसके लिए कुएं खुदे हुए हैं, वहां इसे सिर्फ इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि क्या आप इस काम को वहां प्रारंभ करेंगे?

[अनुवाद]

डा. दासरि नारायण राव: महोदय, कोल गैसीफिकेशन के संदर्भ में, हम पहले ही इस दिशा में अग्रसर हैं। हमारे पास एनएलसी में एक माडल परियोजना है जिसे शुरू किया जाएगा। हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे आशा है आप उनके मामले पर विचार करेंगे।

डा. दासरि नारायण राव: जी हां, महोदय।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों हेतु स्वास्थ्य परिचर्या

*303. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अनुमोदित केन्द्रों और अस्पतालों को 1 नवम्बर, 2006 से विभिन्न प्रकार की जांचों एवं चिकित्सा के लिए भुगतान की जाने वाली दरों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अनुमोदित केन्द्रों/अस्पतालों द्वारा विनिर्दिष्ट दरों पर जांच/उपचार करने से इंकार करने पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को क्या विकल्प उपलब्ध हैं; और

(घ) सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को स्वास्थ्य परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार का यह लगातार प्रयास रहा है कि सीजीएचएस औषधालयों/पालीक्लिनिकों और अंतरंग उपचार सुविधा केन्द्रों में ओपीडी सुविधाओं के रूप में हर संभव बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं मुहैया कराई जाए। इसमें सरकारी अस्पतालों में प्रदान किये जाने वाले विशिष्ट एवं अति विशिष्ट उपचार भी शामिल हैं। सीजीएचएस ने प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों का नाम पेनल में शामिल करके एक अतिरिक्त सुविधा प्रदान की है।

सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की सुविधा वाले सभी शहरों में सीजीएचएस के तहत पैनल तैयार करने और विभिन्न जांच प्रक्रियाओं के लिए नए सिरे से दरें निर्धारित करने हेतु प्राइवेट अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों से मार्च-अप्रैल, 2004 के दौरान आवेदन आमंत्रित किये थे। सीजीएचएस, दिल्ली के तहत विभिन्न चिकित्सा/जांच प्रक्रियाओं के लिए पैनल में शामिल अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों में भुगतान की जाने वाली दरों को अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों द्वारा स्वयं सुझाई गई दरों के आधार पर 1.11.2006 से संशोधित कर दिया गया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये अस्पताल/नैदानिक केन्द्र, सीजीएचएस लाभार्थियों से अधिक शुल्क न लें, अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को सीजीएचएस के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करना पड़ता है जिसमें यह उपबंध भी शामिल है कि वे सीजीएचएस द्वारा अनुमोदित दरों से ही शुल्क लेंगे। इस करार में अधिक शुल्क लेने/इलाज के लिए मना करने पर जुर्माने के लिए धाराएं भी शामिल हैं:

प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया अब सदैव चलती रहती है और कोई भी पात्र अस्पताल/नैदानिक केन्द्र पैनल में शामिल होने के लिए किसी भी समय आवेदन कर सकता है। इस प्रकार लाभार्थियों के लिए अस्पताल सेवाओं की उपलब्धता बढ़ जाती है।

सीजीएचएस लाभार्थियों को शीघ्र एवं गुणवत्ता युक्त सेवाएं प्रदान करने और साथ ही खरीद योजना के लिए बेहतर दवा सूची प्रबंधन और रोग की स्थिति का ब्यौरा तैयार करने में सहायता करने हेतु सभी सीजीएचएस औषधालयों/चिकित्सा सामग्री भंडार डिपों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया गया है।

सरकार ने औषधालय काउन्टर पर ही सीजीएचएस लाभार्थियों को गुणवत्ता युक्त ब्रांडेड औषधों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 504 मदों वाली प्रोप्राइटरी औषधों की नई फार्मूलरी अपनाई है।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि बीमा कवरेज के तहत सीजीएचएस सुविधा आम लोगों तक पहुंचायी जाएगी। साथ ही, 10वीं योजना की मध्यावधि समीक्षा में भी कुछ सुधारों का सुझाव दिया गया है। प्रधान मंत्री और योजना आयोग के निर्देश हैं। सरकार ने योजना में सुधार के पहलू को देखने के लिए फर्ग्यूसन समिति को नियुक्त किया है। इस संदर्भ में सुधार के लिए मंत्रालय द्वारा पूर्व कैबिनेट सचिव श्री कौल के अधीन भी एक समिति गठित की गई। इन संगठनों और समितियों का क्या दर्जा है? हम जनता को सीजीएचएस सुविधा किस प्रकार देंगे। वित्त मंत्री ने पहले ही योजना सहायता को रोकने का सुझाव दिया है। इन परिस्थितियों में हम योजनाओं का कार्यान्वयन किस प्रकार करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: वे रिपोर्टों की स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं।

श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी: यह सरकार का अनवरत प्रयास है कि सीजीएचएस और केन्द्रीय सरकारी संस्थानों के तहत बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जायें। निजी अस्पतालों/डायग्नोस्टिक केन्द्रों का पैनल सीजीएचएस द्वारा प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सुविधा है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, रिपोर्टों को देखें।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: मंत्रालय जनता को बीमा में शामिल करते हुए प्रणाली में सुधार किस प्रकार करेगा। मैं मंत्री जी से विशेष प्रश्न के उत्तर की आशा करता हूं।

केवल 28 शहर शामिल किये गये हैं। आजकल बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल और डायग्नोस्टिक केन्द्र खोले जा रहे हैं। सरकार ने केवल 2004 में आवेदन मंगवाए हैं। सरकार नए आवेदन लेने जा रही है। इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि इस विस्तार से अच्छा ही होगा क्योंकि अनेक लाभार्थी और सरकारी कर्मचारी, विशेषकर सेना और सीमा सुरक्षा बल के ग्रामीण क्षेत्रों में है और वे शहर नहीं आते। क्या इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई योजना है? ये सब कैसे हो सकता है? एचआईवी और एड्स जैसी बीमारियों का इलाज बहुत महंगा है। ये सभी केन्द्र इन बीमारियों का इलाज नहीं करते। क्या सरकार एचआईवी और एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को उपचार की सुविधा प्रदान करने के बारे में विचार करेगी ताकि उनके जीवन की रक्षा की जा सके?

अध्यक्ष महोदय: बहुत ज्यादा विषय हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): आपकी अनुमति से, मैं उत्तर देना चाहता हूं।

माननीय सदस्य ने कौल और फर्ग्यूसन समिति की रिपोर्टों का उल्लेख किया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमें ये रिपोर्टें मिल चुकी हैं। सीजीएचएस गैर नियोजित बजट है। हम साल भर सुविधाएं बढ़ाते रहते हैं। ऐसा माना जा रह है जल्दी ही हम सीजीएचएस डिस्पेंसरियों या पालीक्लीनिकों को बन्द करने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इन डिस्पेंसरियों में दी जाने वाली सुविधाएं जारी रहेंगी। हम अभी भी इसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सेवा के लगभग 9 लाख कार्डधारी और लगभग 33 लाख लाभार्थी हैं। आज 24 शहर हैं जो सीजीएचएस के अंतर्गत आते हैं। एक शहर में सीजीएचएस डिस्पेंसरी स्थापित करने का मानदंड यह है कि शहर में तीन किलोमीटर के दायरे में 2000 कार्डधारी और कम से कम 6000 लाभार्थी होने चाहिए। यह एक मूलभूत मानदंड है।

एक शहर में सीजीएचएस सुविधा प्रादन करने के लिए हमें अधिक लाभार्थियों और पेशनभोगियों की जरूरत है। निश्चित रूप से, मैं कहूंगा कि हम सतत् रूप से इस योजना में सुधार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि पिछले दो सालों में सीजीएचएस के बारे में अधिक शिकायतें नहीं मिली है क्योंकि हमने सीजीएचएस सुविधाओं में काफी सुधार किया है।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने के लिए अवसर दिया। मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि सरकार ने सीजीएचएस के साथ कई निजी चिकित्सालयों को भी सम्बद्ध किया है। मैं राजस्थान राज्य से आती हूं। वहां पर बहुत ही कम ऐसे केन्द्र और अस्पताल हैं, जो सीजीएचएस से जोड़े गए हैं, जहां जाकर हम अपना इलाज करा सकते हैं। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वह सीजीएचएस की सूची में संशोधन करके कुछ और ऐसे निजी अस्पतालों तथा केन्द्रों को भी उससे जड़ा जाए, जिससे ज्यादा संख्या में सरकारी कर्मचारी अपना इलाज करा सकें। देखा गया है कि सीजीएचएस और उससे जुड़े इन अस्पतालों तथा केन्द्रों में लोगों को प्रापर इलाज नहीं मिलता है। इस बारे में कुछ चैकिंग वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इस संदर्भ में उन्होंने क्या कार्रवाई की है, यह बताने की कृपा करें?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय पहले हमारे निजी अस्पतालों को एक बार निर्धारित अवधि के लिए पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया थी क्योंकि केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधा पर्याप्त नहीं थी। हम मुख्यत: औषधालयों और बहुचिकित्सालयों को छोड़ रहे थे। 1994 में हमने पहला पैनल बनाया था और फिर वर्ष 2000 में पुन: पैनल बनाया गया। एक बार पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया के दौरान हमने आवेदन मंगाए, उनकी संवीक्षा की और तत्पश्चात् उनकी जांच की तथा अपने मानदंड के अनुसार उनकी लघु सूची तैयार की। परंतु अब हमने नाभिकायन खोल दिया है। किसी भी अस्पताल को पैनल में शामिल किया जा सकता है वे वर्ष में किसी भी समय भारत सरकार को आवेदन दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसे किसी अस्पताल पर रोक लगा रहे हैं। यदि कोई अस्पताल इस वर्ष पैनल में शामिल नहीं हो पाता तो वह अगले महीने या अगले वर्ष फिर आवेदन कर सकता है। हमारा एक विशिष्ट मानदंड है जैसे अस्पताल में मरीजों के लिए 100 बिस्तर होने चाहिए वहां 500 एमए एक्ट की सुविधा होनी चाहिए। यदि वे इस मानदंड को पूरा करते हैं तो हमें इन निजी अस्पतालों को सीजीएचएस की सुविधा वाले शहरों में पैनल में शामिल करने में खुशी होगी।

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को विशेष उपचार हेतु दिल्ली के निजी अस्पतालों में भेजा जाता है। उनमें से अधिकांश अस्पतालों को सरकार द्वारा इस शर्त पर जमीन दी गई थी कि वे गरीब मरीजों का सस्ती दरों पर उपचार करेंगे। यह बताया गया है कि कुछ अस्पतालों ने सी.जी.एच.एस. मरीजों का कम दरों पर उपचार करने से इंकार कर दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे निजी अस्पतालों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो उनसे मुफ्त में दी गई जमीन के मूल्य की वसूली करेगी?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, इस सम्मानीय सभा का ध्यान बार-बार इस मुद्दे की ओर आकर्षित किया गया है। वास्तव में, शहरी विकास मंत्रालय ऐसे मुद्दों की जांच कर रही है जहां भवन निर्माण हेतु कुछ निजी अस्पतालों की भूमि आवंटित की गई थी और इसके बदले उन्हें गरीब मरीजों अंतरंग रोगी और बाह्य रोगी में से कुछ का मुक्त उपचार करना था। इनमें से कुछ अस्पतालों ने ऐसा नहीं किया। शहरी विकास मंत्रालय अब इसकी जांच कर रहा है। यह मामला प्रक्रियाधीन है। हम इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं कि क्या वे उपाय के रूप में आज के मूल्यों की दर पर मूल्य देंगे जिसे गरीब मरीजों के लिए बीमित किया जा सकता है। ऐसे कुछ मुद्दों पर चर्चा की जा रही है परंतु आज की तिथि के अनुसार अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

अगर हम पुन: सी.जी.एच.एस. की बात करें तो हमने निजी अस्पतालों के लिए दरों के मानदंड निर्धारित किये हैं। अस्पतालों का पैनल तैयार करते हैं। वे आवेदन करते हैं और हम आवेदनों की संवीक्षा करते हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद इन अस्पतालों का निरीक्षण करती है और अस्पतालों की एक लघु सूची देती हैं। मान लीजिए कि 100 अस्पतालों ने आवेदन किया है तो अंत में उनमें से 30 की लघु सूची तैयार की जाएगी। उनके लिए हम एच-1 दर देते हैं। हम निजी अस्पतालों के लिए इन दरों को लागू करते हैं। इनमें से कुछ अस्पतालों जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, ने इन दरों को स्वीकार नहीं किया। हमने पुन: उनके साथ बैठक की है और उन्हें यह दरें स्वीकार करने के लिए कहा है। महोदय, यह वहीं समाप्त नहीं होता। वे इस पर चर्चा चल रही है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि यदि उन्हें भूमि सस्ती दरों पर दी गई थी तो वे गरीब मरीजों का कम दरों पर उपचार क्यों नहीं करते?

डा. अंबुमणि रामदास: सभी अस्पतालों को भूमि नहीं दी गई है। केवल कुछ अस्पतालों को दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय: इसकी जांच की जानी चाहिए।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, हम निश्चित तौर पर इसकी जांच करेंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सीजीएचएस में केन्द्रीय कर्मचारी, चाहे वे फोर्थ-क्लास के हों, चाहे मध्यम-वर्गीय कर्मचारी हों या अधिकारी हों, उनके इलाज के लिए ये केन्द्र खोले जाते हैं। लेकिन जैसे माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि बहुत से अस्पताल जिनको सीजीएचएस के अंतर्गत केन्द्र बनाने की बात होती है, उनमें जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, जिनकी क्षमता 25-50 या 100 बिस्तरों की है, उन लोगों ने भी आवेदन यहां किया है। आपके मानक के अनुसार चूंकि शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति चिंताजनक है और वहां एक्सपर्ट डाक्टर्स नहीं हैं, सरकारी, गैर-सरकारी अस्पतालों को आप सीजीएचएस के अंतर्गत लाते हैं, लेकिन गंभीर इलाज जैसे हार्ट, कैंसर और किडनी के मरीजों के लिए आप क्या प्रावधान उनमें करेंगे, विस्तार से बताएं।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, जैसाकि मैं पहले ही बता चुका हूं सी.जी.एच.एस. लाभार्थी 24 शहरों में हैं। अत: ग्रामीण इलाके में कोई सी.जी.एच.एस. संस्थान नहीं है। मैं माननीय सदस्य को इन 24 शहरों की सूची दे सकता हूं। निजी अस्पतालों का पैनल तैयार करने के लिए हमारे पास निर्धारित मानदंड हैं। उदाहरणार्थ एक सामान्य बहुविशेषज्ञता वाले अस्पताल में 100 बिस्तर होने चाहिए और 500 बिस्तरों की अतिरिक्त क्षमता होनी चाहिए। ये कुछ मानदंड हैं। मेरे विचार में, एकल विशेषज्ञता वाले अस्पताल में भी कम से कम 100 बिस्तर होने चाहिए। वेलेज अथवा ईएनटी अस्पताल हो सकते हैं। सीजीएचएस के अलावा पैनल तैयार करने के लिए ये कुछ मानदंड हैं। सीएसएमए हैं जिन्हें उन क्षेत्रों में चलाया जाता है जहां सी.जी.एच.एस. सुविधा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव, क्योंकि आप सुबह से चुप हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, हम तो हमेशा ही चुप रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह तो सभी जानते हैं। आप प्रश्न पूछिए।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए सीधा प्रश्न करूंगा। जैसा कि सूची में बताया है कि पूरे देश में, मेरे संसदीय क्षेत्र पटना में भी सीजीएचएस के अस्पताल हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां कोई व्यवस्था नहीं है, यहां तक कि मामूली से मामूली दवाई भी वहां उपलब्ध नहीं होती है। आप सीजीएचएस के अस्पतालों पर सीधा नियंत्रण रख रहे हैं। सीजीएचएस के अस्पतालों में जाने वाले जो रोगी हैं, उनके लिए वहां कोई व्यवस्था नहीं है, उन्हें दवाई तक नहीं मिलती, न जांच की कोई व्यवस्था है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इन अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे, जिससे कि अगर रोगी इलाज के लिए जाए तो उसका सही ढंग से इलाज हो सके?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, सर्वप्रथम आमतौर पर निश्चित तौर से हमने काफी उन्नति की है। हमने एक नई औषधि सूची बनाई है जिसमें कई आधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाली औषधियों को स्वीकृति दी गई हैं। इस देश के इन सभी सी.जी.एच.एस. औषधालयों में ये उच्च गुणवत्ता वाली औषधियां हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं पटना के बारे में पूछ रहा हूं। मैं स्वयं सीजीएचएस अस्पताल में गया था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं? अभी आपको सर्टिफिकेट मिला था और अभी आपने खो दिया है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: पटना की बात करें तो हम निश्चित तौर पर माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये मुद्दों की जांच करेंगे और यदि सी.जी.एच.एस. अस्पतालों के प्रबंध में खामियां होंगी तो उन्हें दूर करेंगे।

[हिन्दी]

'फाइलेरिया' का उन्मूलन

***304. श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 'फाइलेरिया' के रोगियों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 'एलोपैथिक' चिकित्सा पद्धति में इस रोग का कोई उपचार नहीं है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा फाइलेरिया के उन्मूलन और इस रोग हेतु दवाइयां विकसित करने के लिए क्या कारगर कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) देश में फाइलेरिया के उन्मूलन पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई है और इसके लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति क्या है?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) लिम्फेटिक फाइलेरिया रोग एक पुराना रोग है और इसके लिम्फोडेमा (इलीफेंसियासिस) और हाइड्रोसील (जलवृषण) जैसे ही लक्षण होते हैं। भारत सरकार ने इसके रोगियों को गंभीर/लिम्फेंगिटिस (तेज ज्वर, सूजन और शरीर के प्रभावित भाग में दर्द) और लिम्फेडिनाइटिस (चिम्फ ग्रंथियों में सूजन, दर्द और ज्वर) के आक्रमणों की रोकथाम तथा हाइड्रोसील (जलवृषण) के लिए शल्यचिकित्सीय आपरेशन हेतु सेवाएं प्रदान करने के वास्ते वर्ष 2004 से डी.ई.सी. (डाइथिलेकार्बेमेजाइन सिट्रेट) गोलियों की एकल खुराक सहित वार्षिक मास ड्रग देने से पहले लिम्फाइडेमा और हाइड्रोसील (जलवृषण) के रोगियों की सूची बनाने हेतु घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना शुरू किया है।

वर्ष 2004 में स्थानिकमारी वाले 20 राज्यों के 202 जिलों का सर्वेक्षण किया गया था जिससे लिम्फाइडेमा के 361234 और हाइड्रोसील (जलवृषण) के 226807 रोगियों का पता चला जबकि वर्ष 2005 में स्थानिकमारी वाले 20 राज्यों के 243 जिलों का सर्वेक्षण किया गया जिससे लिम्फाइडेमा के 524416 और हाइड्रोसील (जलवृषण) के 308582 रोगियों का पता चला।

लिम्फाइडेमा और हाइड्रोसील (जलवृषण) के रोगियों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा अनुबंध-I में संलग्न है।

(ग) सूक्ष्म फाइलेरिया (फाइलेरिया कृमि का लार्वा) ग्रस्त व्यक्तियों को डी.ई.सी. (डाइथिले कार्बेमेजाइन सिट्रेट) और अल्बेन्डेजोल जैसी आषधों से ठीक किया जाता है। तथापि, लिम्फाइडेमा (प्रभावित भागों की सूजन) का कोई इलाज नहीं है लेकिन गम्भीर लिम्फेंजाइटिस (तेज ज्वर, सूजन और शरीर के प्रभावित भाग में दर्द) और गम्भीर चिम्फेडिनाइटिस (लिम्फ की सूजन, दर्द और ज्वर) के आक्रमणों को पैरों की सफाई और व्यायाम करके रोका जा सकता है। हाइड्रोसील (जलवृषण) सहित लिम्फेटिक फाइलेरिया रोग के रोगियों को शल्यचिकित्सीय आपरेशन से ठीक किया जा सकता है।

(घ) भारत सरकार ने वर्ष 2015 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया रोग के उन्मूलन के लिए निम्नलिखित दो दीर्घकालिक कार्यनीति शुरू की है:

1. इस रोग के संचरण को रोकने के लिए पात्र आबादी (गर्भवती महिलाओं, दो वर्ष से कम आयु के बच्चों और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर) को 5 वर्षों या इससे अधिक की अवधि के लिए डी.ई.सी. (डाइथिलेकार्बेमेजाइन सिट्रेट) की एकल खुराक का एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एम.डी.ए.)।
2. लिम्फाइडेमा के रोगियों का घर आधारित प्रबंधन तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में हाइड्रोसील (जलवृषण) के आपरेशनों की संख्या को बढ़ाना।

(ङ) वर्ष 2003-04 से लिम्फेटिक फाइलेरिया रोग के उन्मूलन से संबंधित कार्यकलापों को चलाने के लिए फाइलेरिया के स्थानिकमारी वाले राज्यों को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा अनुबंध-II में संलग्न है। वर्ष 2004 के दौरान 20 राज्यों के 202 जिलों में 315 मिलियन लोगों को डी.ई.सी. गोलियों की एकल खुराक दी गई जबकि वर्ष 2005 में 19 राज्यों के 229 जिलों में 346.9 मिलियन लोगों को डी.ई.सी. गोलियों की एकल खुराक दी गई। वर्ष 2004 और 2005 के दौरान राज्य-वार कवरेज का ब्यौरा अनुबंध-III में संलग्न है।

अनुबंध I

लिम्फोडेमा और हाइड्रोसील (जलवृषण) रोगियों का राज्य-वार ब्यौरा-2004 और 2005

क्र.सं.	राज्य	2004			2005			की गई हाइड्रोसील (जलवृषण) शल्य-चिकित्सा
		लिम्फोडेमा	हाइड्रोसील	कुल	लिम्फोडेमा	हाइड्रोसील	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	2250	191	2441	43766	908	44674	83
2.	असम	28	17	45	341	144	485	
3.	बिहार	136216	119088	255304	136216	119088	255304	1682
4.	छत्तीसगढ़	674	150	824	6532	2861	9393	70
5.	गोवा	51	1	52	212	1	213	
6.	गुजरात	895	204	1099	895	204	1099	
7.	झारखंड	7128	2562	9690	43951	12639	56590	
8.	कर्नाटक	7674	1114	8788	15306	2770	18076	138
9.	केरल	8399	507	8906	10840	1232	12072	2623
10.	मध्य प्रदेश	4855	3646	8501	5929	4258	10187	245
11.	महाराष्ट्र	35896	24421	60317	48177	37699	85876	1965
12.	उड़ीसा	86247	31324	117571	51840	32850	84690	
13.	तमिलनाडु	25864	8794	34658	25313	16181	41494	
14.	उत्तर प्रदेश	1949	1173	3122	86465	41463	127928	3958
15.	पश्चिम बंगाल	41479	33418	74897	46943	36052	82995	
16.	पांडिचेरी	1257	139	1396	1296	117	1413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	अंड. और निको. द्वीपसमूह	76	49	125	81	37	118	
18.	दमन और दीव	68	6	74	63	27	90	69
19.	दादरा व नगर हवेली	70	3	73	78	30	108	
20.	लक्षद्वीप	158	0	158	172	21	193	
	कुल	361234	226807	588041	524416	308582	832998	10833

हाइड्रोसील (जलवृषण) के आपरेशन चरणवार ढंग से किये जा रहे हैं।

अनुबंध II

लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन हेतु जारी किया गया धन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	वर्ष 2003-04 और 2004-05 व एमडीए 2004 के दौरान जारी धनराशि	वर्ष 2005-06 एम.डी.ए. 2005 के दौरान जारी की गई धनराशि	वर्ष 2006-07 एम.डी.ए. 2006 के दौरान जारी की गई धनराशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	180.00	272.06	272.06
2.	असम	40.00	70.60	70.60
3.	बिहार	420.00	498.46	473.87
4.	छत्तीसगढ़	66.50	64.11	64.11
5.	गोवा	19.50	14.97	15.96
6.	गुजरात	79.50	86.38	86.38
7.	झारखंड	170.00	166.48	166.48
8.	कर्नाटक	94.50	86.38	86.38
9.	केरल	128.00	162.94	162.94
10.	मध्य प्रदेश	107.00	112.86	112.86
11.	महाराष्ट्र	138.00	247.94	247.94

1	2	3	4	5
12.	उड़ीसा	214.00	205.20	205.20
13.	तमिलनाडु	178.00	200.69	200.69
14.	उत्तर प्रदेश	185.00	607.20	607.20
15.	पश्चिम बंगाल	125.00	188.58	188.58
16.	अंडमान और निको. द्वीप समूह	9.00	8.35	8.35
17.	दादरा और नगर हवेली	9.00	6.95	6.95
18.	दमन और दीव	9.00	6.95	6.95
19.	लक्षद्वीप	9.00	6.35	6.35
20.	पांडिचेरी	9.00	10.15	10.15
	कुल	2190.00	3023.60	3000.00

अनुबंध III

वर्ष 2004 और 2005 के दौरान एम.डी.ए. कवरेज

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	2004 (202 जिले)		2005 (229 जिले)	
		लक्षित जनसंख्या	%कवरेज	लक्षित जनसंख्या	%कवरेज
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	48663989	84.78	49480091	88.55
2.	असम	4919979	25.42	8929641	44.03
3.	बिहार	73076980	81.64	70806240	83.54
4.	छत्तीसगढ़	180503	84.17	13305647	79.04
5.	गोवा	1369009	97.92	1339959	98.64
6.	गुजरात	12808947	45.47	17627487	85.08
7.	झारखंड	17946848	43.17	20441795	74.30
8.	कर्नाटक	9484288	85.22	11223364	89.88
9.	केरल	28111599	86.90	27262858	94.03
10.	मध्य प्रदेश	10589390	73.74	14380100	83.78
11.	महाराष्ट्र	15939528	78.68	24408849	90.44

1	2	3	4	5	6
12.	उड़ीसा	23229225	90.11	23091960	90.71
13.	तमिलनाडु	28228184	95.18	एमडीए शुरू नहीं किया गया	
14.	उत्तर प्रदेश	58171536	85.85	109177137	73.76
15.	पश्चिम बंगाल	45790000	39.58	41301907	60.59
16.	अंडमान और निको. द्वीप समूह	338374	85.85	327241	91.32
17.	दादरा और नगर हवेली	190429	91.13	218542	98.26
18.	दमन और दीव	194123	94.96	153070	92.87
19.	लक्षद्वीप	60817	64.53	63424	84.60
20.	पांडिचेरी	926927	94.76	947001	96.63
	कुल	438053837	72.60	434486313	79.84

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू: अध्यक्ष महोदय, एक अतारांकित प्रश्न से मैं अपना प्रश्न शुरू करता हूं। अतारांकित प्रश्न 2147, दिनांक 16.3.2005 के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है—

[अनुवाद]

"असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दमन एवं दीव में माइक्रो फाइलेरियल रेट में वृद्धि हुई है जबकि अन्य राज्यों में इसमें कमी हुई है।"

[हिन्दी]

महोदय, मंत्री जी ने जो संलग्नक दिया है, उसमें पश्चिम बंगाल में वर्ष 2002 में माइक्रो फाइलेरिया रेट 3.29 परसेंट था और वर्ष 2003 में 4.85 परसेंट हो गया। यह सदन निर्णय करे कि क्या मंत्री जी के इस वक्तव्य से सदन गुमराह नहीं हो रहा है। मेरा पूरक प्रश्न है कि देश के प्रत्येक राज्य खास कर झारखंड के उन चयनित जिलों का क्या नाम हैं, जिन्हें जन औषधि प्रशासन लिम्फाइडेमा वाले रोगियों को घर पर उपचार करने और व्यापक औषधि प्रदान एम.डी.ए. के अंतर्गत किया गया है?

अध्यक्ष महोदय: आपके दोनों प्रश्न हो गए हैं।

श्री हेमलाल मुर्मू: नहीं महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, अभी आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, माननीय सदस्य ने हमें जो जानकारी दी है मुझे इसके बारे में पता नहीं है हम निश्चित तौर पर गलती सुधारेंगे और यदि कोई समस्या होगी तो मैं आपके माध्यम से इस सम्माननीय सभा की जानकारी में लाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय: आप माननीय सदस्य को इसका ब्यौरा भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू: अध्यक्ष महोदय, मैं फिर देख रहा हूं कि 2004 में झारखंड में मरीजों की संख्या 2004 में 43951 थी जो 2005 में बढ़ कर 56590 हो गई। वहां बड़ी रफ्तार में रोगियों की संख्या बढ़ रही है। मेरा प्रश्न है कि विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान देश के प्रत्येक राज्य खास कर झारखंड में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए आवंटित धनराशि में से प्रत्येक वर्ष जल वृषण तथा अन्य इलाकों में अलग-अलग कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप इस समय इसका ब्यौरा दे सकते हैं? आप इसकी डिटेल्स भेज दीजिए।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं आज सभा के स्थगित होने के पश्चात उन्हें निश्चित तौर पर इसका ब्यौरा दे दूंगा।

महोदय, वर्ष 2003-04, 2005-06, 2006-07 के दौरान झारखंड को क्रमश: 170 लाख रु, 166.48 लाख रु. और 166.48 लाख रु. की निधियां जारी की गई थीं। हम इसे अधिकांशत: व्यापक औषधि वितरण के लिए प्रयोग कर रहे हैं। इस देश में ऐसे 20 राज्य हैं जहां फाइलेरिया के बहुत मामले होते हैं। डब्ल्यूएचओ और भारत सरकार एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वर्ष 2004 से आगामी पांच वर्षों में हम डाइथीलकारब-मेजाइन सिट्रेट गोलियों में व्यापक औषधि वितरण की ओर ध्यान देंगे। सभी बीस राज्यों जहां यह रोग अधिक फैलता है, में इस दवा की एक खुराक दी जानी है। हमने इस वर्ष झारखंड सहित पूरे देश में 243 जिलों को शामिल किया है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। यह मच्छरों द्वारा माइक्रो फलेरिया के संचारण को रोकने के लिए है। यह निश्चित तौर पर एक गंभीर मुद्दा है। हम इसे रोकने के लिए सभी सकारात्मक उपाय कर रहे हैं और यह मच्छरों के रोगवाहक द्वारा फैलता है। अत: हम झारखंड सहित सभी जगहों पर मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर: अध्यक्ष महोदय, फाइलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी कुछ स्टेट्स में बहुत ज्यादा पैमाने में हो रही है और वे राज्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए जो धनराशि दी गई है, क्या सरकार उसे ज्यादा बढ़ाकर देने के बारे में विचार कर रही है? क्या देखने में आया है कि फाइलेरिया बीमारी फारेस्ट एरिया में ज्यादा मात्रा में होती है।

[अनुवाद]

श्री अंबुमणि रामदास: महोदय, माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि फाइलेरिया मुख्यत: ग्रामीण इलाकों में फैलता है तथा इससे अधिकतर गरीब लोग प्रभावित होते हैं। जब भी निधियों की आवश्यकता होगी हम निश्चित तौर पर राज्य की निधियों का उपयोग करने की क्षमता और कार्यकरण के अनुसार विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि करेंगे। जैसाकि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया था कि मामलों की संख्या इसलिए बढ़ी है कि हमने प्रत्येक घर की निगरानी की है। इसके बाद में अधिक से अधिक मामलों का पता चला। हमने वर्ष के किसी भाग में व्यापक पैमाने पर औषध वितरण करना निर्धारित किया है। इस वर्ष हमने इसे नवम्बर माह के लिए निर्धारित किया था। इससे दो सप्ताह पूर्व कर्मी फाइलेरिया प्रभावित क्षेत्र में प्रत्येक घर, प्रत्येक जिले में जाते हैं और यह सर्वेक्षण करते हैं कि वहां पर फाइलेरिया, लिम्फोडीमा, हाइड्रोसील और ऐसी ही बीमारियों से कितने लोग प्रभावित हैं। हम उन्हें ये औषधियां बाद में देते हैं। हम सभी उपाय कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में कहा गया है कि वर्ष 2015 तक हम फाइलेरिया को मिटा देंगे और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: उन्होने वन क्षेत्रों का उल्लेख किया।

डा. अंबुमणि रामदास: सभी प्रभावित क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

डा. बाबू राव मिडियम: महोदय, फाइलेरिया को मिटाने के लिए राष्ट्रीय फाइलेरिया अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र है और इसके कुछ क्षेत्रीय केन्द्र हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि फाइलेरिया को समाप्त करने में एजेंसी क्षेत्र तथा अन्य अनुसूचित क्षेत्रों में जहां यह रोग फैलता है, में इन केन्द्रों की क्या भूमिका है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या देश में डाइथीलकारबामेजीन सिट्रेट गोलियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है या नहीं।

डा. अंबुमणि रामदास: जैसाकि माननीय सदस्यों ने एजेन्सी क्षेत्रों के बारे में कहा है मैं यह कहना चाहूंगा कि लगभग सभी प्रभावित राज्यों में फाइलेरिया से निपटने के लिए हमारी इकाईयां हैं और ये इकाईयां कार्य कर रही हैं। यदि आप उन तक पहुंच सकें और उन्हें मामलों में हो रही वृद्धि के बारे में बताएं तो वे घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। ये सभी कार्यक्षमता निर्माण प्रक्रिया के तहत आते हैं। ये फाइलेरिया इकाईयां लगभग सभी प्रभावित राज्यों में हैं और देश में पर्याप्त मात्रा में डीईसी गोलियां उपलब्ध हैं। हमने लगभग सभी राज्यों में इन डीईसी गोलियों की आपूर्ति की है।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो डाटा पेश किया है, उसके हिसाब से बिहार को फाइलेरिया का गढ़ माना जाता है। करीब 25-26 लाख लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। माननीय मंत्री जी ने 2004-05 का जो डाटा दिया है, उसके अनुसार आपरेशन मात्र 1683 लोगों के हुए हैं। 2004-05 के तो आंकड़े दिए हैं लेकिन 2005-06 में कुल कितने

आपरेशन हुए हैं? सरकारी अस्पतालों में इसका प्रापर इलाज नहीं होता है। इसके इलाज के लिए गोलियां आराम से मिलती हैं। आपरेशन हाइड्रोसील वगैरह के होते हैं और वे सरकारी अस्पतालों में मुहैया नहीं हैं। जैसा मंत्री जी ने कहा कि यह बीमारी रूरल एरियाज में ज्यादा होती है जिसके कारण इससे गरीब लोग पीड़ित होते हैं। सरकारी अस्पतालों में उनका प्रापर इलाज नहीं होता है जिससे उन्हें प्राइवेट इलाज कराना पड़ता है और उसके लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। आप इसके लिए क्या कदम उठायेंगे? मेरा दूसरा प्रश्न है कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इतनी सारी डिटेल्स मंत्री जी कैसे देंगे? वह अभी आपको मिल नहीं सकती है।

श्रीमती रंजीत रंजन: 2005-06 में कितने लोगों का सरकारी अस्पतालों में आपरेशन हुआ है? मैं इन सब की डिटेल्स जानना चाहती हूं।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: 2004 के राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार सर्वेक्षण के पश्चात् हमें लिम्फोडोमा जिसे एलिफेनटाइसन कहते हैं के 3,61,234 मामलों और हाइड्रोसील के लगभग 2,26,807 मामलों का पता चला। वर्ष 2005 में 243 जिलों में फ्लेरिया के कारण लिम्फोडोमा के 5,24,416 मामलों और हाइड्रोसील के 3,08,582 मामलों का पता चला। इस कार्यक्रम के तहत, हाइड्रोसील के मामले में राज्य सरकार के अस्पतालों द्वारा आपरेशन किये जा रहे हैं। हमने मरीजों का पता लगाया है और उन्हें राज्य सरकार के अस्पतालों में भेजा गया है। इन अस्पतालों में हाइड्रोसील मरीजों के आपरेशन हेतु सुविधाएं हैं।

बिहार के संबंध में, मेरे पास आज कोई आंकड़े नहीं हैं। मैं आंकड़े एकत्र करके माननीय सदस्य को इसकी जानकारी दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: यह स्वाभाविक है। आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर तुरंत कैसे दें सकते हैं?

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, केरल का तटवर्ती क्षेत्र विशेषकर अलेप्पे जिले का चेरथाला पिछले कई दशकों अथवा पिछली शताब्दियों से फाइलेरिया से प्रभावित है। मंत्री महोदय को स्मरण होगा कि उन्होंने चिकनगुनिया रोग के फैलने के दौरान उस क्षेत्र का दौरा किया था। उस समय, सरकार ने पांडिचेरी में स्थित सीएचआर संस्थान को सुदृढ़ करने का वायदा किया था। उस समय कहा गया था कि अनुसंधान और अन्य सभी क्षेत्रों में इसे मजबूत बनाया जाएगा। चेरथला में संक्रामक रोगों हेतु राष्ट्रीय प्रयोगशाला है। यह वादा किया गया था कि उसे भी सुदृढ़ किया जाएगा। अब समस्या यह है कि मच्छरों का तेजी से प्रजनन हो रहा है जिसे उत्परिवर्तन कहा जाता है और वे पीतज्वर और ऐसी ही रोगों को भी फैलाने में सक्षम हो गए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अनुसंधान के दृष्टिगत विशेषकर चिकनगुनिया प्रभावित क्षेत्रों में आप स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: चिकनगुनिया इसके तहत नहीं आती।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, यह रोगवाहक कीटों द्वारा प्रसारित रोग है।

अध्यक्ष महोदय: क्या यह भी फ्लेरिया जैसी है?

डा. अंबुमणि रामदास: यह एक रोगवाहक कीटों द्वारा प्रसारित रोग है जो मच्छरों से फैलता है।

अध्यक्ष महोदय: परन्तु प्रश्न मच्छरों पर आधारित नहीं है।

डा. अंबुमणि रामदास: हमने उस क्षेत्र जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है में प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। वहां रोगवाहक संस्थान लगभग बंद किया जा रहा था। अब हमने उन्हें कहा है कि वे उसका आधुनिकीकरण और विस्तार करें। हम संस्थान के पुनर्गठन और विषाणुविज्ञान प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण पर फिर से विचार कर रहे हैं। इन दोनों कार्यों के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।

नकली दवाइयां

***305. श्री अधीर चौधरी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नकली जीवन रक्षक दवाइयों की समस्या से निपटने के प्रयास के अंतर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसके सहयोगियों द्वारा घातक नकली दवाइयों के उद्योग का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक अभियान आरम्भ किया गया है, जैसाकि दिनांक 16 नवम्बर, 2006 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में दिए गए मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या एशिया में इंटरनेट के माध्यम से नकली दवाइयों की बिक्री में वृद्धि हो रही है और भारत भी इसका शिकार है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नकली दवाइयों की समस्या से निपटने के लिए और आगे कार्रवाई करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

नकली चिकित्सीय उत्पादों में रोक लगाने में अधिकाधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता महसूस करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नकली दवाओं के विस्तार में रोक लगाने के लिए इम्पेक्ट (इन्टरनेशनल मेडिकल प्रोडक्ट एन्टी-काउन्टरफियरिंग टास्कफोर्स) नामक संगठन की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इस कार्यदल (इम्पेक्ट) की स्थापना का प्रस्ताव विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया था और फरवरी, 2006 में रोम में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 160 प्रतिभागियों ने इसका समर्थन किया जिनमें 57 राष्ट्रीय औषध विनियामक प्राधिकरण, 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, रोगियों, स्वास्थ्य व्यवसायियों, फार्मास्यूटिकल विनिर्माताओं और थोक विक्रेताओं के 12 अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रतिनिधि के रूप में शामिल थे। रोम सम्मेलन में 'राम घोषणा' में निहित कई सिद्धांतों एवं अनुशंसाओं को जारी किया गया जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन से इम्पेक्ट की स्थापना और इम्पेक्ट के कार्य की संकल्पनात्मक कार्यढांचा निर्धारित करने की अपेक्षा की गई।

इम्पेक्ट, विकासशील एवं विकसित देशों की सरकारों, संगठनों, संस्थानों, एजेंसियों तथा संघों का स्वैच्छिक संगठन है जिसका उद्देश्य सुविज्ञता का आदान-प्रदान करना, समस्याओं का पता लगाना, इनका निराकरण करना, कार्यकलापों का समन्वय करना और नकली दवाओं से निपटने के लिए साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के वास्ते काम करना है। इम्पेक्ट का उद्देश्य विशेषकर विकासशील देशों से समुचित क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। इम्पैक्ट की पहली आम बैठक 15 एवं 16 नवम्बर, 2006 के दौरान बान, जर्मनी में आयोजित की गई।

भारत में इंटरनेट के माध्यम से दवाओं की बिक्री की अनुमति नहीं है।

भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन नकली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए मिल-जुलकर काम करने के लिए कटिबद्ध हैं। भारत प्रारम्भ से ही इम्पेक्ट की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। इम्पेक्ट के संयोजक ने हाल ही में औषध नियंत्रक (भारत) के साथ विचार-विमर्श किया है। इस विचार-विमर्श में नकली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए आयातक और निर्यातक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के वास्ते एक योजना तैयार करने पर जोर दिया गया।

इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने पहले ही माशेलकर समिति की अनुशंसाओं के अनुकरण में सख्त दंड के उपबंध के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 को संशोधित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। माशेलकर समिति की स्थापना नकली दवाओं की समस्या और इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सुधारात्मक उपायों सहित देश में औषध विनियामक प्रणाली की व्यापक समीक्षा करने के लिए की गई थी। प्रस्तावित अधिकतर संशोधन औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत निर्धारित दंडों को बढ़ाने, औषध संबंधी अपराधों की शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था करने, अपराधों के लिए भारी अर्थदंड की व्यवस्था करने, औषध संबंधी अपराधों के लिए अभियोजन दर्ज करने का अधिकार पुलिस को भी देने और औषध संबंधी अपराधों को संज्ञेय एवं गैर-जमानती बनाने से संबंधित हैं। आशा है कि ये सभी संशोधन नकली दवाओं के विनिर्माताओं के लिए सशक्त निरोधक का काम करेंगे। भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिए 354.25 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से विश्व बैंक सहायता प्राप्त पंचवर्षीय क्षमता निर्माण परियोजना भी शुरू की है। इस परियोजना के तहत उपकरणों, जनशक्ति, प्रशिक्षण एवं सिविल कार्य के जरिए राज्यों की औषध जांच सुविधा बढ़ाने के लिए उनको व्यापक सहायता प्रदान की जा रही है।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, नकली औषधियों की गंभीर समस्या पहले ही सार्वभौमिक समस्या बन चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आदेश पर विश्व समुदाय ने ''रोम घोषणापत्र'' के अंतर्गत अनेक मानदंड और सिद्धांत स्थापित किये हैं।

भारत में भेषज उद्योग दस प्रतिशत की दर से उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। इसने अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की है। परन्तु यह वृद्धि विनाश के साथ-साथ है, क्योंकि नकली दवाइयों ने संपूर्ण भेषज उद्योग में प्रवेश कर लिया है और दवाई माफिया अक्षति के साथ उद्योग को चला रहा है। नकली औषधियों की समस्या के साथ अवसित औषधियों और किटों की समस्या भी काफी गंभीर है।

हाल ही में, पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये की अवसित मोनोजाइम इंस्टेंट रक्त जांच किटों का पता चला था। पश्चिम

बंगाल सरकार भ्रमित हो गई कि रक्त आदान किए गए व्यक्तियों की संख्या का तथा यह कैसे पता लगाया जाए कि इनमें से कितने व्यक्ति एचआईवी या हेपेटाइटिस बी विषाणु से संक्रमित हो गए हैं।

वृद्धि के बावजूद भेषज उद्योग में इस संकटमय स्थिति को देखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या हमारा विनियामक तंत्र तकनीकी जानकर दवाई माफिया से निपटने के लिए पर्याप्त साधनों से युक्त है?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना कि भारतीय भेषज उद्योग तेजी से विकास कर रहा है बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में हम प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि कर रहे हैं, जोकि वैश्विक आयाम की तुलना में काफी विस्तृत और विशाल है। 70 भारतीय भेषज यूएसएफडीए स्वीकृत हैं, जोकि भारतीय भेषज की उच्च गुणवत्ता को दर्शाता है। लगभग 400 से 500 इकाइयां यूरोपीय एजेंसियों, केनेडियन एजेंसियों इत्यादि द्वारा स्वीकृत हैं। इसलिए हम इस प्रक्रिया में हैं।

माननीय सदस्य का यह कहना भी बिल्कुल सही है कि इस उद्योग से संबंधित मामलों का सामना करने के लिए पर्याप्त विनियामक तंत्र नहीं है। यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद, हमने अनेक कदम उठाए हैं। हमें नकली अपमिश्रित और भ्रामक ब्रांड वाली औषधियों के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन तीनों का भिन्न अस्तित्व है। नकली अपमिश्रित और भ्रामक ब्रांड वाली औषधियों को एक श्रेणी के अंतर्गत श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता। आप इन सभी को नकली नहीं कह सकते। इन तीनों का भिन्न अस्तित्व है।

इस संबंध में हम पहले ही औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को सशक्त कर चुके हैं। वर्ष 2003 में हमने डा. मशेलकर से अनुरोध किया था कि वह हमारे औषध विनियामक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें कुछ सुझाव दें और उन्होंने कुछ सिफारिशें की थीं। इनमें से एक सिफरिश पर हम औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में संशोधन का सुझाव पहले ही दे चुके हैं, जो कड़े दंड और विधिक जुर्माने जैसे 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाना आजीवन कारावास इत्यादि से संबंधित है। इसे मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किया गया है और मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। यह उसका एक भाग है।

दूसरे, हम एक नया राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण भी बना रहे हैं, जो काफी लंबे समय से लंबित है। इस प्राधिकरण के पूर्णत: तैयार होते ही और कार्य प्रारंभ करने पर यह हमारे तंत्र को सुदृढ़ बनाने में काफी अहम होगा। हमारे पास समग्र तंत्र नहीं है। वर्तमान में यह व्यवस्था है कि कोई भी राज्य किसी उत्पाद के लाइसेंस हेतु अनुमति दे सकता है। इसलिए, हमारे पास कोई केन्द्रीय लाइसेंसिंग पैटर्न नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि उत्तर प्रदेश सरकार किसी लाइसेंस की अनुमति नहीं देती है तो लाइसेंस बिहार में लिया जा सकता है और सामान वापस उत्तर प्रदेश में बेचा जा सकता है। इसलिए, विनियामक तंत्र में अनेक प्रणालियां हैं। हम राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण द्वारा इन सभी प्रणालियों को समेकित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम काफी बड़े स्तर पर करने जा रहे हैं। इसके लिए भवन का निर्माण कर लिया गया है और इसका उद्घाटन शीघ्र किया जाएगा। हम अपने अधिकारियों और औषध निरीक्षकों सहित औषध जांच प्रयोगशालाओं में अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजना पर कार्य कर रहे हैं और अक्षरत: लगभग 350 या 360 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है, जहां केन्द्र और राज्य सरकारों की खाद्य और औषध प्रयोगशालाओं को आधुनिक व नवीकृत उनका उन्नयन किया जा रहा है ताकि सबसे पहले हमारे पास औषध जांच क्षमता उपलब्ध हो सके और इसके बाद हमारे अधिकारियों की क्षमता निर्माण की सुविधाओं में विस्तार किया जा सके। हम अनेक प्रशिक्षण प्रक्रियाएं कर रहे हैं। इसलिए हम निश्चित तौर पर इस मामले में ध्यान देंगे। जैसाकि आपने कहा, हमारा उद्योग उन्नति कर रहा है और हम इस उद्योग को सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: हमें जाली उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

श्री अधीर चौधरी: माननीय मंत्री से मेरे पास आए उत्तर में यह उल्लेख है कि भारत अभी भी इंटरनेट द्वारा दवाइयों की बिक्री को स्वीकार नहीं कर रहा है। हमारे सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री यहां उपस्थित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में, हम विकास हेतु इंटरनेट भेषज के आगमन को नहीं रोक सकते।

दूसरे, नकली दवाइयां चिकित्सकों के माध्यम से भी दी जाती हैं, क्योंकि उन्हें दवाइयों को बेचने के लिए किसी लाइसेंस को प्राप्त करने से छूट का विशेषाधिकार प्राप्त है।

तीसरे, इस संबंध में कोई प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मुझे यह ज्ञात नहीं है कि मंत्रालय के पास नकली और अवसित औषधियों इत्यादि के संबंध में कोई प्रामाणिक आंकड़े हैं या नहीं।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे भारत में नकली औषधियों हेतु कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराने पर विचार कर रहे हैं?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रथम प्रश्न का संबंध है, उनका यह कथन सही है कि वर्तमान में हमारे पास देश में औषधियों की इंटरनेट खरीद की नीति नहीं है। परन्तु चूंकि हमारा विकास हमारी सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति में इंटरनेट क्रांति के माध्यम से हुआ है, हम निश्चित तौर पर इस संबंध में विचार करेंगे और आवश्यकतानुसार उपयुक्त कार्यवाही करेंगे।

अब, मैं दूसरे मामले पर आता हूं। हां, हम निश्चित तौर पर माननीय सदस्य का सुझाव लेंगे। यदि आवश्यक होगा, तो हम राष्ट्रीय सर्वेक्षण करवायेंगे, परन्तु इन नकली औषधियों के संबंध में विभिन्न मुद्दे हैं और सरकार इस नकली औषधि संबंधी मुद्दे का सामना करने के लिए सभी प्रयास करेगी। मुख्य मुद्दा राज्य सरकारों से संबंधित है। राज्य सरकारों के अपने विनियामक निकाय, औषधि नियंत्रण प्राधिकरण और अपने स्वयं के औषधि निरीक्षक हैं। हमें एक साथ मिलकर कार्य करना होगा।

अत: यह भी एक समस्या है और हम इस समस्या पर ध्यान दे रहे हैं। हम माननीय सदस्य के सुझाव पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से कि इस मुद्दे पर आधे घंटे की चर्चा कराना ठीक रहेगा।

श्री तापिर गाव: महोदय, पिछली बार भी प्रश्न काल के दौरान माननीय मंत्री जी ने यह उल्लेख किया था कि गुवाहाटी में औषधि जांच प्रयोगशाला को अद्यतन बनाया जाएगा। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि पूर्वोत्तर राज्यों में नकली जीवन रक्षक औषधियों की बहुत बड़े पैमाने पर बिक्री हो रही है। गुवाहाटी के अतिरिक्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में मंत्री जी इस प्रकार की कितनी और प्रयोगशालाओं की स्थापना करने जा रहे हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं जानकारी एकत्र करके माननीय सदस्य को भेज दूंगा। परन्तु, जैसाकि मैंने पहले कहा है कि औषधि परीक्षण की सभी सरकारी प्रयोगशालाएं चाहे वे राज्य स्तर पर हो अथवा केन्द्र सरकार के स्तर पर हों, उनका उन्नयन तथा आधुनिकीकरण किया जा रहा है। नवीनतम उपकरणों की खरीद की गई है तथा क्षमता निर्माण प्रक्रिया आरंभ की गई है। विश्व बैंक की योजनाओं के अंतर्गत कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा राज्यों की औषध जांच सुविधा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा उत्तर प्रदेश को अब तक कितनी धनराशि जारी की जा चुकी है? 354.25 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिए विश्व बैंक की सहायता से प्राप्त की है।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न तो जाली दवाओं के संबंध में है।

[अनुवाद]

इस बात का इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

डा. अंबुमणि रामदास: मैं इस बात का उल्लेख पहले से कर चुका हूं कि क्षमता निर्माण के लिए लगभग 350-360 करोड़ रुपये की विश्व बैंक की निधियां हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न तो फेक मैडिसिन्स के संबंध में है।

प्र.सं. 306-श्री उदय सिंह-उपस्थित नहीं।

प्र.सं. 307-श्री ब्रजेश पाठक।

दूसरे देशों द्वारा भारतीयों को स्वदेश वापस भेजना

***307. श्री ब्रजेश पाठक:** क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सऊदी अरब और कुछ अन्य देशों ने वहां कार्य कर रहे भारतीयों को ठेके का उल्लंघन करके वापस भेजना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और देशवार कितने भारतीय इस प्रकार वापस लौट रहे हैं;

(ग) उक्त देशों द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और इसका क्या परिणाम निकला है?

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) प्रवासी उत्प्रवासियों का रोजगार नियोक्ताओं और कामगारों के बीच हस्ताक्षर की गई रोजगार संविदा द्वारा प्रशासित होता है। दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष द्वारा संविदा की अवमानना का निर्णय उस देश के श्रम कानूनों के अंतर्गत किया जाता है और ऐसे मामलों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। जब कभी नियोक्ता द्वारा संविदा को तोड़ने की घटनाओं को सरकार के ध्यान में लाया जाता है, ऐसे मामलों में श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित भारतीय मिशन मामले को मेजबान सरकार के साथ उठाते हैं। अपने श्रमिकों के संरक्षण और कल्याण के लिए मंत्रालय भी बड़ी संख्या में श्रमिक प्राप्त करने वाले देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की पेशकश कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जवाब में बताया कि हमारे देश से अरब देशों सहित विदेशों में जो मजदूर जाते हैं, उनकी स्थानीय स्तर पर संविदा टूटने के बाद उन्हें अपने देश वापस भेज दिया जाता है। अगर सरकार के संज्ञान में ऐसी बातें लाई जाती हैं तो सरकार उस पर कार्रवाई भी करती है। माननीय मंत्री जी ने ऐसे मामलों के आंकड़े बातने से जवाब में इंकार किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे किसी भी मामले में आपने क्या कार्रवाई की है जिसमें कोई मामला आपके संज्ञान में लाया गया?

अध्यक्ष महोदय: उन्होने तो कहा है कि वहां के कानून के मुताबिक चलेंगे।

[अनुवाद]

श्री वायालार रवि: आमतौर पर, यदि श्रमिक कानूनों का उल्लंघन नहीं करते हैं तो वीजा अवधि गुजर जाने पर भी सरकार किसी को वापस नहीं भेजती। इस संबंध में, इस वर्ष केवल ओमान में वीजा अवधि गुजर जाने के बाद भी वहां रहने के कारण 1930 लोगों को वापस भेजा गया है। अत:, प्राधिकारियों ने उन्हें निरुद्ध कर लिया। इसके पश्चात हमने हस्तक्षेप किया। दूतावास ने हस्तक्षेप किया। मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया। उसके पश्चात्, उन्हें भारत वापस भेजा गया है क्योंकि उनके पास वहां ठहरने का वीजा नहीं था। अन्यथा, आमतौर पर ऐसा नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: माननीय अध्यक्ष जी, हमारे उन्नाव जनपद से हजारों की संख्या में मजदूर खाड़ी देशों में काम करने के लिए जाते हैं और कुवैत में हजारों की संख्या में धोबी समाज के लोग काम करते हैं। उनको वहां अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं, मारा-पीटा जाता है और पुन: भारत भेजने का काम किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उनको शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं, मारा-पीटा जाता है, ऐसे मामलों में आपने क्या कार्रवाई की है?

[अनुवाद]

श्री वायालार रवि: वहां जाने वाले श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें मिली हैं। इसमें कुछ वास्तविक मुद्दे सम्मिलित हैं। मैं इस बात को अस्वीकार नहीं कर रहा हूं कि भारतीय श्रमिकों को आजकल वहां पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गत वर्ष दस लाख से अधिक व्यक्ति वहां गए थे। इसमें से, 5,46,000 आप्रवासियों के रूप में गए हैं। शेष भ्रमण वीजा पर गए हैं। अत:, भ्रमण वीजा के लिए लोगों के पास रोजगार अनुबंध भी नहीं होता है। उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पृष्ठभूमि में, हम वहां विभिन्न राज्य सरकारों से बात करते हैं। आज, 12.30 बजे मुझे यूएई सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने हैं। श्रम मंत्री यहां उपस्थित हैं। यह सब श्रमिकों के संरक्षण उनके वेतन, उनके रहन-सहन की दशाएं तथा दोनों देशों में भर्ती के फर्जी तरीके से बचने के बारे में है। यह बातचीत खाड़ी में अन्य चार देशों के साथ पहले से ही जारी है। मुझे आशा है कि हम सभी खाड़ी देशों के साथ यह समझौता कर सकेंगे। हम अपने श्रमिकों की रक्षा कर सकते हैं। मौजूदा स्थिति में कुछ समस्याएं हैं। मैं उनसे सहमत हूं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: भारत के निर्धन श्रमिक जो खाड़ी तथा अन्य देशों में कार्य करते हैं, देश में 20 अरब डालर से अधिक को धनराशि भेजते हैं। जबकि भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 4 से 5 अरब डालर भी नहीं है। हम सदैव प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वालों को ही प्रोत्साहन और प्रलोभन देते हैं। परन्तु उन निर्धन श्रमिकों का क्या जो अधिक धनराशि भेजते हैं? भारत इस संबंध में एक अग्रणी देश हैं। अत:, मैं एक बात जानना चाहता हूं। श्रमिकों का संरक्षण समस्या का एक भाग है। इन लोगों को धनराशि देश में वापस भेजने पर प्रोत्साहन दिया जाना एक अन्य बात है। यह सब विदेशों में कार्य करके वहां से वापस आने पर यहां अपना जीवन यापन आरंभ करने में सहायता प्रदान करने के लिए है। क्या सरकार उनके लिए किसी स्कीम की योजना बना रही है?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न स्वदेश वापस भेजने से संबंधित है।

श्री वायालार रवि: गत वर्ष प्रेषित धनराशि 24 अरब डालर के बराबर थी। उसमें से लगभग 45 प्रतिशत खाड़ी देशों से आई। सबसे अधिक धनराशि खाड़ी देशों के श्रमिकों से आती है। यह एक सच्चाई है। इस प्रकार के प्रोत्साहनों में उनके लिए एक बीमा योजना भी है। वह योजना आरंभ की जा चुकी है। अन्यथा, श्रमिकों की ओर से एक कल्याण निधि योजना तथा विदेशों से कार्य करके वापस आने पर एक प्रकार के मासिक भुगतान की भी मांग आई है।

विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाने के कुछ प्रस्ताव हैं। परन्तु, अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। परन्तु मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि यद्यपि उनकी ओर से काफी धनराशि प्राप्त होती है तथापि, उन्हें निर्यातकों को दिये जा रहे प्रोत्साहनों के बराबर प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। विदेशी मुद्रा अर्जन के नाम पर निर्यात को बहुत से प्रोत्साहन दिये जाने हैं। मैंने, इन लोगों के कल्याण के लिए एक कोष बनाने हेतु कुछ बजटीय प्रावधान करने के लिए इस मामले को वित्त मंत्री के सामने उठाया है।

अध्यक्ष महोदय: मानव निर्यात हेतु प्रोत्साहन।

श्री वायालार रवि: जी नहीं, महोदय।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पिछड़े हुए निर्वाचन क्षेत्र रामनाथपुरम से बहुत से युवा अपनी आजीविका कमाने के लिए प्रतिदिन सऊदी अरब और अन्य देशों को जा रहे हैं। परन्तु यदि ये देश इन लोगों को वापस भारत भेज दें तो उनके लिए आर्थिक समस्याएं पैदा हो जाएंगी। मैंने सुना है कि केन्द्र सरकार ने उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की है। अत:, क्या केन्द्र सरकार इस मामले में उस आयोग को शामिल करेगी ताकि इससे विदेश जाने वाले भारतीयों की मदद हो सके?

श्री वायालार रवि: महोदय, इन मामलों को देखने के लिए कोई आयोग नहीं है परन्तु इस संबंध में एक अध्ययन किया जा रहा है। समस्या यह है कि अनेक लोग उचित वीजा के बिना ही वहां चले जाते हैं। यदि वे भ्रमण वीजा पर जाते हैं तो उन्हें वापस आना होगा। हमें इस प्रकार की बहुत सी शिकायतें मिली है कि कुछ फर्जी भर्ती एजेंट इस प्रकार के अवैध कार्यों में लिप्त हैं और वे लोगों को अच्छे वेतन तथा अन्य सुविधाओं से युक्त रोजगार दिलाने का झांसा देकर उन्हें ठग रहे हैं। अत:, जब ये लोग ऐसे रोजगार के लिए वहां जाते हैं तो उन्हें वहां से वापस भेजने की समस्या आती है। इसीलिए, हम इसे अधिकतम संभावित सीमा तक नियंत्रित कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके।

श्रीमती प्रिया दत्त: माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि बिना उचित वीजा के बहुत से लोग सऊदी अरब जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि अवैध भर्ती एजेंसियां जो कि अवैध तरीके से लोगों को खाड़ी देशों में भेज रही हैं उन पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से यह बहुत अच्छा प्रश्न है।

श्री वायालार रवि: महोदय, बाहर जाने का केवल एक ही मार्ग है और वह है उचित दस्तावेजों के साथ बाहर जाना। मांग पत्र, पावर आफ अटार्नी तथा नमूना अनुबंध करार केवल ऐसे तीन दस्तावेज हैं जिन्हें आव्रजन कार्यालय में प्रस्तुत करना होता है। पांच लाख से अधिक लोग वैध दस्तावेजों के साथ बाहर गए हैं। इसके अतिरिक्त, आव्रजन स्वीकृति लंबित होने पर चार लाख से अधिक लोग भ्रमण वीजा प्राप्त करके वहां गए। इन भर्ती एजेंसियों द्वारा लोगों को रोजगार प्रदान किये गये हैं, जोकि बिना पंजीकरण के कार्य कर रही हैं और गरीब ग्रामीण लोगों को धोखा दे रही हैं।

अध्यक्ष महोदय: वह पूछ रही हैं कि आप ऐसे एजेन्टों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री वायालार रवि: मैं उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कर चुका हूं। जब भी शिकायतें आती हैं, मैं दो उपाय करता हूं। एक, प्रवसन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाना चाहिए और यह राज्य सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। इसलिए, मैं इस संबंध में मुख्यमंत्रियों से संपर्क करता हूं और उन्हें कई विशिष्ट मामले पहले ही संदर्भित कर चुका हूं। अन्य कार्यवाही, कारण बताओ नोटिस जारी करना, निलंबन और इनके लाइसेंस निरस्त करना है। हमने पहले ही इनमें से 29 को निलंबित किया है, ऐसी 18 एजेंसियों के लाइसेंस निरस्त कर चुके हैं और 79 शिकायतें लंबित हैं तथा जांच चल रही है। हम उन शिकायतों पर कार्यवाही करेंगे। यह प्रक्रिया चल रही है। हम निश्चित तौर पर इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्री एन.एन. कृष्णदास: अध्यक्ष महोदय, वस्तुत: मैं माननीय मंत्री महोदय से यही प्रश्न पूछना चाहता था। यह काफी गंभीर मामला है और इस पर और विस्तार से कहनें की कोई आवश्यकता

नहीं है। केरल के ही कई लोगों को इन नकली एजेंसियों द्वारा धोखा दिया गया है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन नकली एजेंसियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी। तो फिर सरकार द्वारा इनके विरुद्ध क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: वह यह पहले ही कह चुके हैं।

श्री वायालार रवि: दो कदम उठाये जाने हैं। ऐसी भर्ती एजेंसियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जानी है। इनके लाइसेंस निरस्त किये जाएंगे और इसके बाद कानून के अनुसार दंडनीय कार्यवाही की जायेगी। हम निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती जयाप्रदा: अध्यक्ष महोदय, मैं वही प्रश्न पूछना चाहती थी जो अभी माननीय सदस्य ने पूछा है।

अध्यक्ष महोदय: तो क्या आप उत्तर से संतुष्ट हैं।

श्रीमती जयाप्रदा: केवल यही नहीं। यह अनुबंध हस्ताक्षरित करने के लिए मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद करती हूं। हालांकि यह काफी विलंब से हुआ है बेल्जियम और अन्य यूरोपीय देश पहले ही ऐसे अनुबंध कर चुके हैं। खाड़ी देशों में यह काफी विलंब से है। यदि यह होता है, तो हमें काफी प्रसन्नता होगी। मैं इसकी सराहना करती हूं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सराहना की जा चुकी है। प्रश्नकाल समाप्त होता है। अब सभापटल पर पत्र रखे जायेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करना

***306. श्री उदय सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'यूनिसेफ' द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार केवल 36 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं को एचआईवी/एड्स की जानकारी है, जैसाकि दिनांक 12 सितम्बर, 2006 के 'द स्टेट्समैन' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एचआईवी/एड्स कार्यक्रम के संबंध में जागरूकता पैदा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ग्रामीण लोग भी एचआईवी/एड्स का शिकार होना शुरू हो गए हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एचआईवी/एड्स को फैलने से रोकने के लिए क्या रणनीतियां बनाई गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (छ) बच्चों विशेषतौर से लड़कियों को स्कूली शिक्षा, शिक्षा प्राप्ति, सफाई, स्वच्छता, जल आपूर्ति, बाल रक्षा और एचआईवी/एड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यूनिसेफ ने देश के 14 राज्यों में फैले 43 जिलों में परिवार सर्वेक्षण करने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन को वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह सर्वेक्षण मार्च-मई, 2005 के दौरान किया गया लेकिन इसकी रिपोर्टों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। तथापि, प्रारंभिक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि 15-49 आयु वर्ग की केवल 36.7 प्रतिशत महिलाओं ने एचआईवी/एड्स के बारे में सुना है।

वर्ष 2006 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने एक आचरणात्मक निगरानी सर्वेक्षण शुरू किया था जिसमें देश भर में लगभग एक लाख प्रत्यार्थियों को कवर किया गया। इस सर्वेक्षण के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमानत: 74.7 प्रतिशत महिलाएं एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूक हैं। आचरणात्मक निगरानी सर्वेक्षण की विश्वसनीयता काफी अधिक है क्योंकि यह सर्वेक्षण बड़ी संख्या में विकास मुद्दों और एचआईवी से संबंधित केवल कुछ प्रश्नों को ही कवर करने वाली यूनिसेफ वित्त-पोषित सर्वेक्षण की तुलना में एचआईवी और संबंधित मुद्दों पर अधिक केन्द्रित है।

प्रहरी निगरानी अध्ययनों से पता लगाए गए रूझानों से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण जनसंख्या में एचआईवी संक्रमण में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। वर्ष 2002 में 29.2 प्रतिशत आबादी की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में एचआईवी/एड्स से संक्रमित 52 लाख लोगों में से इस समय अनुमानत: 58.7 प्रतिशत लोग संक्रमित है। चूंकि इस रोग का 86 प्रतिशत संचरण यौन-सम्पर्क स्थापित

करने से होता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में इस संक्रमण के फैलने का मुख्य कारण प्रवासी कामगारों और ट्रक चालकों के असुरक्षित यौन आचरण हैं जो इस संक्रमण को उच्च व्यापकता वाले क्षेत्रों और उच्च जोखिम वाली जनसंख्या से कम व्यापकता वाले क्षेत्रों और कम जोखिम वाले समूहों में संचरित कर रहे हैं।

एचआईवी/एड्स को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार एक शत-प्रतिशत प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। यह कार्यनीति प्राथमिक तौर पर देहव्यापार करने वाले यौन कार्यकर्ताओं, इन्जेक्शन से नशे की दवा लेने वाले व्यक्तियों, पुरुषों के साथ सम्भोग करने वाले पुरुषों, ट्रक चालकों, प्रवासी श्रमिकों इत्यादि जैसे उच्च जोखिम वाले समूहों पर ध्यान केन्द्रित करने वाले कार्यकलापों द्वारा नए संक्रमणों की रोकथाम करने पर आधारित है और इसके तहत एचआईवी से संक्रमित व्यक्तियों को परिचर्या संबंधी सहायता और उपचार भी प्रदान किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में एचआईवी संक्रमण की वृद्धि को देखते हुए जन प्रचार के चैनलों अर्थात दूरदर्शन और रेडियो तथा स्व-सहायता दलों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और गीत एवं नाटक प्रभाग, युवा कार्य मंत्रालय के नेहरू युवक केन्द्र इत्यादि को शामिल करते हुए अंतर-वैयक्तिक सम्प्रेषण के माध्यम से ग्रामीणों में एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर और अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

*308. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति किये जा रहे कोयले का मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोकिंग कोल और इस्पात कंपनियों को आपूर्ति किये जा रहे कोयले के मूल्य में कोई अंतर है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विद्युत संयंत्रों को निर्धारित अधिसूचित मूल्य पर कोयले की आपूर्ति की जाती है।

(ग) और (घ) इस्पात कंपनियां कच्चे और धुले दोनों रूप में कोकिंग कोयले की आपूर्ति लेती है। कच्चे कोकिंग कोयले और धुले कोकिंग कोयले के मूल्य अलग-अलग हैं।

इस्पात कंपनियों को कच्चे कोकिंग कोयले की आपूर्ति निर्धारित अधिसूचित मूल्य पर की जाती है। इस्पात कंपनियों को धुले कोकिंग कोयले की आपूर्ति इस्पात कंपनियों और कोयला कंपनियों के बीच बातचीत के द्वारा तय मूल्य पर की जाती है।

केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्राप्त आवेदन

*309. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सूचना आयोग को अपने गठन के बाद से अब तक सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) अब तक कितने आवेदनों का निपटारा किया गया है;

(ग) इनमें से कितने मामलों में दंडित किया गया है;

(घ) इसके अंतर्गत कितने अधिकारियों को दंडित किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार सूचना अधिकार के अधिनियम के उपबंधों की समीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय सूचना आयोग को दिनांक 4.12.2006 तक 4404 अपीलें और शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें से 2646 का निपटान कर दिया गया है।

(ग) और (घ) आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधनों के अनुसार कार्रवाई न करने पर 8 मामलों में 10 अधिकारियों पर शास्ति लगाई है।

(ङ) सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की तत्काल समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) का चौथा चरण

*310. **श्री दरोगा प्रसाद सरोज:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु चौथे चरण के अंतर्गत राज्यवार सड़कों की कितनी लंबाई का निर्माण शुरू किया गया है;

(ख) चौथे चरण के अंतर्गत राज्यवार कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा किये जाने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-4 योजना के प्रारंभिक स्तर पर है जिसमें 27,800 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से लगभग 20,000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-4 को दिसंबर, 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-4 के राज्यवार ब्यौरे दे पाना अभी संभव नहीं है।

समन्वित परिवहन नीति

*311. **श्री ई. पोन्नुस्वामी:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सामान और सेवाओं के मल्टी-माडल ट्रांसपोर्ट हेतु एक समन्वित परिवहन नीति का अध्ययन करने और इसे विकसित करने के लिए एक समिति गठित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) इस समय ऐसी कोई समिति गठित किये जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

माल बहु विध परिवहन-अधिनियम, 1993, बहु विध परिवहन संचालकों के कार्यकलाप नियंत्रित करता है।

एमटीएनएल ब्राडबैण्ड सेवा

*312. **श्री रेवती रमन सिंह:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा दी जा रही "ब्राडबैण्ड" योजना के प्रति अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जा रही इसी प्रकार की योजनाओं की तुलना में लोगों द्वारा कम उत्साह दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एमटीएनएल द्वारा दी जा रही ब्राडबैण्ड सेवा के उपभोक्ताओं को हो रही समस्याओं का विश्लेषण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सेवा में सुधार लाने के लिए एमटीएनएल द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) जी, नहीं। एमटीएनएल द्वारा प्रस्तावित ब्राडबैंड स्कीम काफी लोकप्रिय है और इसे अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तावित इसी तरह की स्कीमों की तुलना में बेहतर प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है जैसाकि उनके ब्राडबैंड ग्राहकों की संख्या से पता चलता है (ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है)। इस स्कीम की घोषणा जनवरी, 2005 में की गई थी तथा 30.11.2006 की स्थिति के अनुसार, 3.75 लाख ब्राडबैंड कनैक्शन पहले से ही कार्यरत हैं। एमटीएनएल अपने ब्राडबैंड नेटवर्क में प्रतिदिन लगभग 1000 नए ग्राहक शामिल कर रहा है। इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए एमटीएनएल चालू वर्ष 2006-07 में 8 लाख लाइनों के अतिरिक्त ब्राडबैंड उपस्कर खरीद रहा है। पूरे भारत में सब मिलकर सभी निजी प्रचालकों के ग्राहकों की संख्या लगभग 7.10 लाख है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। ग्राहकों द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है वे सामान्यत: ग्राहक पर्सनल कम्प्यूटर, लैंडलाइन समस्याओं, ग्राहक परिसर उपस्कर (सीपीई) संस्थिति समस्याओं, पासवर्ड समस्याओं आदि के कारण हैं।

(ङ) एमटीएनएल सेवाओं में सुधार करने के लिए लगातार निम्न उपाय कर रहा है:

(1) संस्थिति संबंधी समस्याओं का समाधान करने हेतु आनलाइन सहायता प्रदान करने तथा दूसरे प्रकार की खराबियों को ठीक करने के लिए चौबीस घंटे ''हैल्पडैस्क'' सेवा चलायी जा रही है।

(2) परियात (ट्रैफिक) के आधार पर सर्वर तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ का समय-समय पर उन्नयन किया जा रहा है।

(3) गति से संबंधित समस्याओं के लिए ग्राहकों को गति की जांच करने हेतु एक वेबसाइट उपलब्ध कराई गई है।

(4) ग्राहकों को इंटरनेट पर ''यूजर गाइड'' उपलब्ध कराया जाता है जिसमें समस्या समाधान संबंधी विभिन्न सुझाव शामिल हैं।

विवरण

ब्राडबैंड इंटरनेट ग्राहक सेवा

क्र.सं.	आईएसपी	30.10.2005	31.12.2005	31.3.2006	31.10.2006
1.	एमटीएनएल	103575	144983	211935	344245
2.	भारती टेलीवेन्चर्स लि.	171235	126217	195233	260719
3.	बीजी ब्राडबैंड इंडिया प्रा.लि. (यू टेलीकाम इंडिया प्रा. लि.)	93182	96878	101408	108914
4.	वीएसएनएल	51341	55384	95831	136136
5.	हैथवे केबल एंड डाटाकाम प्रा.लि.	30499	34872	40790	71507
6.	सिफी लि.	25781	34856	40443	46068
7.	एचएफसीएल इन्फोटेल लि.	9031	11724	15715	24140
8.	रिलाएंस कम्युनिकेशंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	2049	6171	10463	21130
9.	एशियानेट सैटलाइट कम्युनिकेशंस	5266	5391	6688	18404
10.	आईसनेट नेट लि.	4216	4285	4963	5539
11.	ह्यूजेस एस्काट्र्स कम्युनिकेशंस लि.	4063	4304	4676	5636
12.	टाटा टेली सर्विसेज (महाराष्ट्र) लि.	1574	1837	2801	4944
13.	इन 2 केबल (इंडिया) लि.	995	1607	1967	2251
14.	ब्राडबैंड पेसनेट (इंडिया) प्रा. लि.	—	—	1279	1901
15.	डाटा इन्फोसिस लि.	—	—	—	877
16.	हैथवे भवानी केबल एंड डाटाकाम प्रा.लि.	—	—	820	977
17.	श्याम इटरनेट सर्विसेज लि.	—	—	487	718
18.	एचसीएल इनफिनेट लि.	—	—	335	393
19.	सब इन्फोटेक लि.	—	—	—	44

अस्पतालों के लिए मान्यताप्राप्त तंत्र

*313. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'मेडिकल आऊटसोर्सिंग' और 'हेल्थ टूरिज्म' से देश में स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास करने का अवसर मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की अस्पतालों और प्रयोगशालाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले मानकों को विकसित करने के लिए एक मान्यताप्राप्त तंत्र बनाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) चिकित्सीय आउटसोर्सिंग और स्वास्थ्य पर्यटन, स्वास्थ्य क्षेत्र विशेष रूप से निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों के विकास के लिए निश्चित रूप से एक अवसर प्रदान करते हैं क्योंकि ऐसे अस्पतालों अथवा अन्य क्लिनिकल प्रतिष्ठानों को धन के अन्तर्प्रवाह से उन्हें बेहतर अवसंरचना का सृजन करने में मदद मिलेगी। अवसंरचना का विस्तार स्वास्थ्य क्षेत्र में नौकरी के अतिरिक्त अवसर भी पैदा करता है तथा और अधिक व्यापार को आकृष्ट करने के लिए क्षमता और अवसंरचना में सुधार करने हेतु एक प्रोत्साहन के रूप में भी कार्य करता है।

(ग) और (घ) इस समय सरकार की भूमिका समग्र नीतिगत निर्णयों और स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए न्यूनतम मानकों का विकास करने तक सीमित है। जहां तक स्वत: प्रत्यायन का संबंध है यह सरकार की नीति है कि यह स्वैच्छिक होना चाहिए। इस क्षेत्र में विभिन्न अभिकरण कार्य कर रहे हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय स्वास्थ्य परिचर्या परिसंघ और अस्पताल प्रशासन अकादमी के संयुक्त प्रयासों के ज़रिये बनाए गए अस्पताल प्रत्यायन संबंधी कार्यबल द्वारा अस्पतालों के लिए प्रत्यायन मानक मैनुअल तैयार किया गया है। राष्ट्रीय अस्पताल और स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायक प्रत्यायन बोर्ड, जो भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक घटक बोर्ड है, देशभर में अस्पतालों के लिए एक समान मानक हेतु आगे आया है। प्राप्त सूचना के अनुसार इसने विश्वव्यापी प्रत्यायन पद्धति के अनुरूप अपने मानकों और प्रत्यायन प्रक्रिया को अपनाया है। भारतीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रत्यायन परिसंघ और आईसीआरए जैसे अन्य संगठन भी स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रत्यायन में लगे हुए हैं।

कोयला खान क्षेत्रों में और उनके आस-पास स्वास्थ्य संबंधी खतरे

*314. **श्री कीरेन रिजीजू:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोयला खान क्षेत्रों में और उनके आस-पास रहने वाले परिवार स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कोयला खानों में, विशेषकर झरिया में, और इसके आस-पास के क्षेत्रों में कौन-कौन से रोग फैले हुए हैं;

(घ) इन कोयला खानों के प्रभावित परिवारों तथा कामगारों के उपचार हेतु किन-किन एजेंसियों को लगाया गया है;

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी बजट धनराशि आवंटित की गई है; और

(च) खनन क्षेत्रों में बच्चों में कुपोषण को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) कोयला खानों में और उनके आस-पास कार्यरत व्यक्ति वायुजनित धूल, गैस, शोर आदि जैसे व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में अत्यधिक ऊष्मा का प्रभाव भी एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य खतरा है। झरिया कोयला खानों सहित कोयला खानों में रोगों की व्यापतता कार्य का अनुकूल माहौल न होने (धूल, ऊष्मा, शोर और आर्द्रता के उच्च स्तर) और लदान कार्य के दौरान बेढंगी शारीरिक मुद्रा आदि के कारण होती है। खनन कार्यकलाप पर्यावरण की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं जो कोयला खान क्षेत्रों के आस-पास रह रहे लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं।

(ग) कोयला खनन कार्यकलापों से जुड़े व्यक्ति मुख्य रूप से कोयला धूल के खतरों से प्रभावित होते हैं। कोयला खानों में रह रहे परिवारों में निम्नलिखित रोग व्याप्त है:

* कोयला कामगार न्यूमोकोनियोसिस;

* शोर से होने वाली श्रवण क्षति;
* विभिन्न प्रकार की श्वसनी बीमारियां;
* मसकुलोस्केलटल विकार;
* पीठ दर्द; और
* रक्ताल्पता

कोयला खानों के आस-पास रह रहे परिवारों में निम्नलिखित रोग व्याप्त हैं:

* श्वसनी;
* त्वचा; और
* नेत्र रोग

(घ) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियां अपने द्वारा चलाए गए अस्पताल/औषधालयों में अपने कर्मचारियों को चिकित्सा परिचर्या प्रदान करती हैं। राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अस्पताल और औद्योगिक अस्पताल खोयला खानों में और उनके आस-पास रह रही स्थानीय जनसंख्या के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। इसके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधीन कोयला खानों में और उनके आस-पास रह रहे जनसंख्या के वंचित वर्ग के लिए मुफ्त स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये जाते हैं। कोल इंडिया की एक चल रही परियोजना पर्यावरणिक और सामाजिक प्रशमन परियोजना है जिसके अंतर्गत पुनर्वास स्थलों पर बुनियादी सुविधाएं जैसे: सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य क्लिनिक, जलापूर्ति और बिजली (स्ट्रीट लाईट), ड्रेन पौंड आदि प्रदान किये जा रहे हैं।

(ङ) कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों को चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त बजट प्रदान किया है। कोल इंडिया लिमिटेड में पिछले छ: वर्षों में राजस्व खर्च इस प्रकार है:

वर्ष	राजस्व खर्च (लाख रुपए में)
2000-01	6994.8
2001-02	8372.86
2002-03	9266.62
2003-04	10138.55
2004-05	14938.00
2005-06	14182.00

(च) कुपोषण एक बहुआयामी समस्या है जिसके निर्धारक खाद्य असुरक्षा, महिला निरक्षरता, स्वास्थ्य परिचर्या की निम्न पहुंच, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और निम्न क्रय क्षमता आदि भिन्न-भिन्न हैं। कुपोषण की जांच करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वास्थ्य पोषण स्थिति को बहाल करने के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किये हैं:

* धनबाद जिले के झरिया खान क्षेत्र में महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 144 आंगनवाड़ी केन्द्र मंजूर किये गये हैं।
* एकीकृत बाल विकास योजना में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, 100 दिन के लिए रोजगार गारंटी, सस्ते खाद्यान्नों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सूक्ष्मपोषक पूरक कार्यक्रम की व्यवस्था है।

सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाना

*315. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री रघुनाथ झा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कुल कितने बिस्तर उपलब्ध हैं;

(ख) क्या बिस्तरों की कमी के कारण बड़ी संख्या में रोगियों का उपचार नहीं हो पाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) भारत की स्वास्थ्य सूचना, 2005 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुल 105 सरकारी अस्पताल हैं जिनमें 20,368 बिस्तर हैं।

जहां तक केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली में चलाए जा रहे अस्पतालों का संबंध है, उपलब्ध बिस्तरों की संख्या नीचे दी गई है:

(1)	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	1656
(2)	सफदरजंग अस्पताल	1531
(3)	डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	1000
(4)	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल, दिल्ली	1247

इस समय दिल्ली में स्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता में बहुत अधिक वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, नीतिगत आधार पर इन अस्पतालों में किसी रोगी को दाखिला देने से इन्कार नहीं किया जाता है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण यह मुख्यतया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है कि वह अपने उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए नए अस्पतालों की स्थापना करे।

[हिन्दी]

बीएसएनएल/एमटीएनएल की मोबाइल सेवाएं

***316. श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) तथा भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की मोबाइल सेवाएं निजी सेवा प्रदाताओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं;

(ग) देश में, विशेषकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, बीएसएनएल की प्री-पेड/पोस्टपेड मोबाइल सेवाओं की प्रतीक्षा सूची को निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं; और

(घ) देश में आगामी वर्ष में राज्य-वार तथा स्थान-वार बीएसएनएल के कितने टावर स्थापित किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) और (ख) जी, हां। एमटीएनएल और बीएसएनएल की मोबाइल सेवाओं को निजी प्रदाताओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। यद्यपि, एमटीएनएल और बीएसएनएल ने अपनी मोबाइल सेवाओं की शुरुआत क्रमश: 2001 और 2002 में की थी जोकि निजी प्रचालकों से काफी बाद में हुई है जिन्होंने अपनी सेवाएं 1995 में शुरू की थीं। तथापि उन्होंने समग्र संवृद्धि दर्शायी है तथा इस प्रक्रिया में निजी प्रचालकों को कड़ी टक्कर दी है।

30.9.2006 की स्थिति के अनुसार मोबाइल सेवा में बीएसएनएल और एमटीएनएल का बाजार शेयर निम्नानुसार है।

बीएसएनएल

मोबाइल फोनों की सं.		बीएसएनएल का प्रतिशत शेयर
बीएसएनएल	निजी प्रचालक	
23695841	86184669	21.57%

एमटीएनएल

मोबाइल फोनों की सं.		एमटीएनएल का प्रतिशत शेयर
एमटीएनएल	निजी प्रचालक	
2370610	17203882	12.11%

एमटीएनएल और बीएसएनएल ने अपने संबंधित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं जो निम्नानुसार हैं:

(क) एमटीएनएल:

(1) जीएसएम मोबाइल नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है। एमटीएनएल ने 2005-06 में दिल्ली/मुंबई में लगभग 10 लाख मोबाइल कनेक्शनों की वृद्धि की है तथा अक्तूबर, 2006 तक दिल्ली/मुंबई में 3.85 लाख मोबाइल कनेक्शनों की वृद्धि की है।

(2) मोबाइल क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी अर्थात 3जी को सम्मिलित किया है।

(3) अभिसारी (कन्वरजेन्ट) बिलिंग साल्यूशन की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य विभिन्न सेवाओं के बिलों, बिल संबंधी विवादों के निपटान और उपभोक्ता सेवा के संबंध में उपभोक्ताओं की संतुष्टि में वृद्धि करना है।

(4) उभरते हुए रुझानों के अनुकूल मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस (एमएमएस), जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जीपीआरएस) सहित मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करना।

(5) संचार हाट, उपभोक्ता सेवा केन्द्र खोल कर और बिलों के भुगतान के लिए विभिन्न प्रणालियां आदि लागू करके अपने उपभोक्ताओं का ध्यान रखना।

(6) विभिन्न उत्पादों और विभिन्न सेवाओं के लिए प्रशुल्कों की समीक्षा करना ताकि उन्हें उपभोक्ता अनुकूल, प्रतिस्पर्धी और समाज के सभी वर्गों के लिए वहनीय बनाया जा सके।

(7) संकुलन को कम करने और कवरेज तथा क्षमता में सुधार लाने के लिए अपने मोबाइल नेटवर्क की क्षमता का अधिकतम उपयोग करना।

(8) मोबाइल नेटवर्क के कवरेज/क्षमता में सुधार लाने के लिए भवन के अंदर ही (इन बिल्डिंग) बूस्टरों, अतिरिक्त बीटीएस जैसे समाधान उपलब्ध कराना।

ख. बीएसएनएल:

(1) इन्होंने अपने मोबाइल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। बीएसएनएल ने आगामी तीन वित्तीय वर्षों में अपने देशव्यापी नेटवर्क की क्षमता में 63.5 मिलियन लाइनों की उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए पहले ही अधिप्रापण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

(2) फ्रेंचाइज, परचूनियों, एसटीडी पीसीओ आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से अपनी सेवाओं और उत्पादों का जोरदार तरीके से विपणन शुरू किया है। एक सक्रिय विक्रय नेटवर्क का सृजन करने के लिए एक व्यापक सक्रिय और वितरण नीति बनाई गई है।

(3) बाजार में अपने ब्रांडों की बिक्री बढ़ाने के लिए ऊंचे दर्जे की विज्ञापन एजेंसियों को काम सौंपा गया है।

(ग) देश के लगभग सभी हिस्सों में पोस्ट-पेड और प्री-पेड मोबाइल सेवाओं के लिए बीएसएनएल के सिम कार्ड उपलब्ध हैं। मोबाइल नेटवर्क की क्षमता में वृद्धि करके शेष भागों की प्रतीक्षा सूची, जहां भी है, को निपटाने (क्लीयर करने) के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। (संलग्न विवरण I) महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में प्री-पेड और पोस्ट-पेड मोबाइल सेवाओं की कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है।

(घ) आगामी वर्ष (2007-08) में स्थापित किये जाने वाले बीएसएनएल के टावरों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। इन टावरों के स्थान का अंतिम निर्धारण का निर्णय, आरएफ सर्वेक्षण और योजना संबंधी अन्य पैरामीटरों के अनुसार वास्तविक निर्माण के समय किया जाएगा।

विवरण I

31 अक्तूबर, 2006 की स्थिति के अनुसार सर्किलवार प्रतीक्षा सूची की स्थिति

क्र.सं.	सर्किल	प्री-पेड	पोस्ट-पेड	कुल
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार	0	0	0
2.	असम	0	0	0
3.	बिहार	0	0	0
4.	झारखंड	0	0	0
5.	पूर्वोत्तर-1	5521	2553	8074
6.	पूर्वोत्तर-2	14341	4672	19013
7.	उड़ीसा	0	0	0
8.	पश्चिम बंगाल	0	0	0

1	2	3	4	5
9.	कलकत्ता टेलीफोन्स	0	0	0
10.	आंध्र प्रदेश	0	0	0
11.	कर्नाटक	0	0	0
12.	केरल	0	0	0
13.	तमिलनाडु	0	0	0
14.	चेन्नई टेलीफोन्स	0	0	0
15.	हरियाणा	0	0	0
16.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
17.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0
18.	पंजाब	0	0	0
19.	राजस्थान	0	0	0
20.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0	0	0
21.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0	0	0
22.	उत्तरांचल	0	0	0
23.	महाराष्ट्र	54370	0	54370
24.	गुजरात	0	0	0
25.	मध्य प्रदेश	0	0	0
26.	छत्तीसगढ़	37089	0	37089
	कुल	1,11,321	7225	1,18,546

विवरण II

वित्तीय वर्ष (2007-08) के दौरान स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित बीएसएनएल के टावरों की संख्या

क्र.सं.	सर्किल का नाम	2007-08 के दौरान स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित टावरों की सं.
1	2	3
पूर्व जोन		
1.	अंडमान व निकोबार	50
2.	असम	700
3.	बिहार	1,100
4.	झारखंड	700
5.	पूर्वोत्तर-1	200
6.	पूर्वोत्तर-2	200
7.	उड़ीसा	850
8.	कोलकाता	800
9.	पश्चिम बंगाल	900
	जोड़	5,500

1	2	3
दक्षिणी जोन		
1.	आंध्र प्रदेश	1,500
2.	कर्नाटक	1,500
3.	केरल	1,600
4.	तमिलनाडु	1,700
5.	चेन्नई	700
	जोड़	7,000
उत्तरी जोन		
1.	हरियाणा	400
2.	हिमाचल प्रदेश	230
3.	जम्मू व कश्मीर	300
4.	पंजाब	520
5.	राजस्थान	1,250
6.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1,300
7.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	700
8.	उत्तरांचल	300
	जोड़	5,000
पश्चिमी जोन		
1.	महाराष्ट्र	2,500
2.	गुजरात	1,500
3.	मध्य प्रदेश	1,300
4.	छत्तीसगढ़	700
	जोड़	6,000
	कुल जोड़	23,500

धनादेशों (मनीआर्डरों) की सुपुर्दगी में विलम्ब

*317. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने धनादेशों (मनीआर्डरों) की सुपुर्दगी में विलम्ब संबंधी शिकायतों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए कितने व्यक्ति दोषी पाए गए; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सर्किल-वार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) जी हां। मनीआर्डरों के वितरण में विलंब संबंधी सभी शिकायतों की विभाग द्वारा सभी स्तरों पर जांच की जाती है। विशिष्ट शिकायतों को जहां एक-एक करके निपटाया जाता है वहीं ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सामने आई सिस्टम संबंधी त्रुटियों को सुधार दिया जाता है। मनीआर्डर के भुगतान में विलंब संबंधी शिकायत के प्राप्त होने पर जांच प्रारम्भ कर दी जाती है तथा इसके भुगतान के संबंध में सत्यापन रिपोर्ट न मिलने की स्थिति में एक डुप्लीकेट मनीआर्डर जारी किया जाता है तथा तत्काल भुगतान करवा दिया जाता है। जांच-पड़ताल से पता चला है कि वितरण में विलम्ब के कारणों में ट्रेनों/एयरलाइनों/बसों का रद्द होना/देर से चलना, मनीआर्डरों पर पाने वाले का अधूरा एवं गलत पता लिखा होना, पोस्टल इन्डेक्स नम्बर (पिन) कोड का न लिखा होना, कुछ क्षेत्रों में अनियोजित कालोनियों का विस्तार, वेतन अवधि एवं त्यौहारों के दौरान कार्यभार का भारी मात्रा में बढ़ जाना, प्रेषितियों की अनुपलब्धता, संबंधित पोस्टमास्टर को सूचित किये बिना पता बदल देना आदि शामिल हैं। यदि किसी कर्मचारी के अनुचित आचरण के कारण भुगतान में विलंब पाया जाता है तो दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। शिकायतों की जांच और उनका निपटान एक सतत प्रक्रिया है। समय पर भुगतान हेतु मनीआर्डर सेवा की दक्षता बढ़ाने के लिए इसकी निरंतर समीक्षा एवं मानीटरिंग की जाती है।

(ख) मनीआर्डरों के वितरण में विलंब के मामलों का राज्यवार ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

राज्य का नाम	वर्ष 2003-04 में मनीआर्डरों के विलंब के मामले	वर्ष 2004-05 में मनीआर्डरों के विलंब के मामले	वर्ष 2005-06 में मनीआर्डरों के विलंब के मामले
1	2	3	4
असम	2437	2731	2899
आंध्र प्रदेश	1590	3948	2911
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
बिहार	2365	2628	2042
छत्तीसगढ़	6409	4319	2464
दिल्ली	36934	58479	38449
गोवा	1576	1298	990
गुजरात	2027	4527	5816
हरियाणा	1619	4220	8017
हिमाचल प्रदेश	1686	2435	3261
जम्मू व कश्मीर	1382	1619	1393
झारखंड	2112	3772	4080
कर्नाटक	1966	3936	4801
केरल	3301	6162	4631
मध्य प्रदेश	752	1856	3379
महाराष्ट्र	53377	49114	28410
मणिपुर	0	0	0
मेघालय	57	205	586
मिजोरम	0	0	0
नागालैंड	0	0	5
उड़ीसा	1746	4715	2728
पांडिचेरी	0	0	0
पंजाब	3319	5469	4916
राजस्थान	2014	3492	3683

1	2	3	4
सिक्किम	165	152	23
तमिलनाडु	2814	8412	14398
त्रिपुरा	740	850	1432
उत्तर प्रदेश	8212	22927	23167
उत्तरांचल	2980	5441	4854
पश्चिम बंगाल	16236	13777	4012
कुल	157816	217434	173347

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या 203 है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का सर्किलवार ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

सर्किल का नाम	दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या	पिछले तीन वर्षों के दौरान दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई
1	2	3
असम	1	कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की गई है तथा उसे दंड दिया गया है।
आंध्र प्रदेश	7	सभी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की गई है तथा उन्हें दंडित किया गया है।
बिहार	29	सभी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की गई है तथा उन्हें दंडित किया गया है।
छत्तीसगढ़	0	प्रश्न नहीं उठता।
दिल्ली	4	सभी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की गई है तथा उन्हें दंडित किया गया है।
गुजरात	1	कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की गई है तथा उसे दंड दिया गया है।
हरियाणा	0	प्रश्न नहीं उठता।
हिमाचल प्रदेश	1	कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की गई है तथा उसे दंड दिया गया है।
जम्मू एवं कश्मीर	0	प्रश्न नहीं उठता।
झारखंड	4	सभी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की गई है तथा उन्हें दंडित किया गया है।
कर्नाटक	72	सभी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की गई है तथा उन्हें दंडित किया गया है।
केरल	31	सभी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की गई है तथा उन्हें दंडित किया गया है।
मध्य प्रदेश	6	सभी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की गई है तथा उन्हें दंडित किया गया है।

1	2	3
महाराष्ट्र	0	प्रश्न नहीं उठता।
उत्तर पूर्व	0	प्रश्न नहीं उठता।
उड़ीसा	2	सभी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की गई है तथा उन्हें दंडित किया गया है।
पंजाब	0	प्रश्न नहीं उठता।
राजस्थान	6	सभी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की गई है तथा उन्हें दंडित किया गया है।
तमिलनाडु	12	सभी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की गई है तथा उन्हें दंडित किया गया है।
उत्तर प्रदेश	21	सभी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की गई है तथा उन्हें दंडित किया गया है।
उत्तरांचल	6	सभी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की गई है तथा उन्हें दंडित किया गया है।
पश्चिम बंगाल	0	प्रश्न नहीं उठता।
कुल	203	

[अनुवाद]

'साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क्स'

***318. श्री सुबोध मोहिते:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क्स आफ इंडिया (एसीटीपीआई)' की योजना दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में और अधिक केन्द्र स्थापित करने तथा और अधिक परिपक्वता केन्द्र बनाने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) और अधिक केन्द्रों की स्थापना करने हेतु, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, किन स्थानों का चयन किये जाने की संभावना है;

(घ) शहरों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन केन्द्रों को स्थापित करने में कितना निवेश किया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) और (ख) भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) ने 47 केन्द्र पहले ही स्थापित कर लिए हैं, जिनमें से 40 केन्द्र स्तर 2 तथा स्तर 3 शहरों में हैं। एसटीपीआई शिलांग (मेघालय), हल्दिया (पश्चिम बंगाल), बरहामपुर (उड़ीसा), काकीनाड़ा (आंध्र प्रदेश), पटना (बिहार), गुड़गांव (हरियाणा), भोपाल एवं ग्वालियर (मध्य प्रदेश), सेलम एवं तिरुनेलवेली (तमिलनाडु) और गोवा जैसे स्तर 2 तथा स्तर 3 शहरों में निर्माण सुविधा सहित नए एसटीपीआई केन्द्र स्थापित कर रहा है।

(ग) भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) ने महाराष्ट्र में 6 एसटीपीआई केन्द्र पहले ही स्थापित कर लिये हैं, जो नवी मुम्बई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक तथा कोल्हापुर में स्थित हैं। महाराष्ट्र में कोई नया केन्द्र स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) नए एसटीपीआई केन्द्र स्थापित करने की वर्तमान नीति के अनुसार राज्य सरकार 3 एकड़ जमीन, 10,000 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र तथा 1 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान एसटीपीआई को देगी, जिससे परियोजना की पूरी लागत के कुछ अंश का व्यय किया जा सके। प्रस्ताव की निर्यात संभावना तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए संभाव्यता अध्ययन एसटीपीआई द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर संयुक्त रूप से किया जाएगा।

[हिन्दी]

कोयले की कालाबाजारी

***319. श्री एम. अंजनकुमार यादव:**
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ कोयला कंपनियां कोयला ब्लाकों का उनके द्वारा उपयोग करने संबंधी समझौते का उल्लंघन करके उन्हें आवंटित किये गये कोयला ब्लाकों से कोयला खानें दूसरी पार्टियों को बेच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कंपनियों को आवंटित कोयला ब्लाकों से रक्षित उपयोग हेतु आवश्यक कोयले के अतिरिक्त निकाले गए कोयले के उपयोग के संबंध में क्या प्रावधान है;

(घ) क्या कुछ कंपनियों ने कथित रूप से अनुचित तरीकों के द्वारा कोयला ब्लाक प्राप्त किए हैं और रक्षित उपयोग हेतु कोयले का प्रयोग करने की बजाय उसे काले बाजार में बेच रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जहां तक कैप्टिव उपयोग के लिए निजी कंपनियों को आवंटित ब्लाकों का संबंध है, अपने अन्त्य उपयोग संयंत्र में कोयले के केप्टिव उपयोग की शर्त का उल्लंघन करते हुए कोयले के अवैध खनन की केवल एक घटना जो केन्द्र सरकार की जानकारी में आयी है, मेसर्स सेंट्रल कोलियरी कंपनी लि. से संबंधित है, जिसमें उन्होंने अपने प्रस्तावित विद्युत संयंत्र में उपयोग के लिए कोयले के केप्टिव खनन के लिए आवंटित तकली-जेना-बेल्लोरा (दक्षिणी) कोयला ब्लाक से निकाले गये कोयले को बेच दिया। उक्त ब्लाक के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन्हें दिये गये पट्टे को खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 के तहत संशोधन करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा गठित संशोधन प्राधिकरण द्वारा रद्द कर दिया गया है।

(ग) किसी कोयला खान की वार्षिक उत्पादन क्षमता मुख्यत: भंडार के भू-विज्ञान तथा सतह की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है। कोयला ब्लाकों को आवंटित करते समय आवंटी की आवश्यकता को ब्लाक में उपलब्ध कोयला भंडार की मात्रा के साथ मिलाया जाता है। चूंकि सही मेल हमेशा संभव नहीं होता है, अत: किसी खान की मूल्यांकित उत्पादन क्षमता आवंटी की आवश्यकता से मामूली तौर पर अधिक अथवा कम हो सकती है। तथापि, आवंटिती अपने अनुमोदित खनन नक्शे में अपनी वार्षिक आवश्यकता की यथासंभव सीमा तक कोयले के उत्खनन की योजना बनाता है।

यदि उत्पादन अधिक होता है तो आवंटिती को उसे कोयला मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मूल्य पर कोल इंडिया लि. की स्थानीय सहायक कंपनी को बेचना अपेक्षित होता है। अतिरिक्त कोयले को विशेष परिस्थितियों में सरकार के पूर्व अनुमोदन से अनुमोदित अन्त्य उपयोगकर्त्ता को भी बेचने की अनुमति दी जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एचआईवी/एड्स के उपचार हेतु 'सेकंड-लाइन' औषधियां उपलब्ध कराना

***320. एडवोकेट सुरेश कुरूप:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में एचआईवी/एड्स के उपचार हेतु 'एबेकैवीर' और 'डाइडैनोसीन' जैसी अत्यंत महंगी आवश्यक 'सेकंड-लाइन रेजिमेन' औषधियां उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या रणनीति बनाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) इस समय सरकार एचआईवी/एड्स के उपचार के लिए सेकंड-लाइन औषधों की नि:शुल्क व्यवस्था पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन

***321. श्री हरिभाऊ राठौड़:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में परमाणु ऊर्जा से उत्पादित बिजली की प्रतिशतता अमरीका, जापान, जर्मनी आदि जैसे विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) परमाणु संयंत्रों से बिजली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) भारत में मौजूदा परमाणु विद्युत क्षमता 3900 मेगावाट-ई है और यह भारत में स्थापित कुल क्षमता का लगभग तीन प्रतिशत है। संयुक्त राज्य अमरीका, जापान और जर्मनी में नाभिकीय शक्ति द्वारा उत्पादित बिजली की प्रतिशतता क्रमश: 19%, 29% और 31% है जबकि इनकी तुलना में भारत में यह लगभग तीन प्रतिशत है। भारत में इस हिस्से का कम होने का कारण कम क्षमता आधार है।

अन्य विकसित देशों से भिन्न, जिन्हें प्रौद्योगिकी विकास को मिल-जुलकर काम में लाने का लाभ प्राप्त है। हमारे कार्यक्रम को आत्मनिर्भर होना था और इसलिए, प्रतिबंधक व्यापार अवरोधों के रहते इस आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापक क्षमता विकसित करने में समय लगा।

(ग) निर्माणाधीन परियोजनाओं के क्रमिक रूप से पूरा होने पर ग्यारहवीं योजनावधि के अंत तक मौजूदा परमाणु विद्युत क्षमता बढ़कर 7280 मेगावाट-ई हो जाएगी। परमाणु विद्युत क्षमता को बढ़ाने के लिए ग्यारहवीं योजना और उसके बाद भी और अधिक रिएक्टर लगाए जाने की योजना है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित विकास योजनाओं में संसद सदस्यों की भूमिका

2925. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र द्वारा प्रायोजित विकास योजनाओं में संसद सदस्यों की क्या भूमिका है;

(ख) राज्यों के विकास हेतु कितनी योजनाएं चल रही हैं;

(ग) क्या पंजाब राज्य सरकार ने इस संबध में कतिपय संसद सदस्यों की सिफारिशें तथा सुझाव मांगे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कई विकास योजनाएं चल रही हैं जो केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, निधि या तो सीधे राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकार को अथवा जिला प्राधिकारियों को प्रदान की जाती है। इन योजनाओं में सांसदों की भूमिका भी अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए (1) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (सां.स्था.क्षे.वि.यो.) के मामले में, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है, सांसदों से अपेक्षित है कि वे जिला प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किये जाने के लिए विकासात्मक प्रकृति के पात्र कार्यों की अनुशंसा करें। वे इस योजना के अधीन कार्यों के प्रबोधन और निरीक्षण में भी शामिल होते हैं। (2) जहां तक ग्रामीम विकास मंत्रालय की योजनाओं का संबंध है, सांसद, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डीआरडीए)/जिला परिषदों (जेडपी) की कार्य योजना का अनुमोदन करने में शामिल होते हैं। इसके अलावा, सांसदों (लोक सभा) को जिला स्तर की सतर्कता और प्रबोधन समितियों के अध्यक्ष/सह-अध्यक्ष के रूप में भी मनोनीत किया जाता है।

(ख) योजना आयोग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2006-07 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित चालू योजनाओं की कुल संख्या 155 है।

(ग) और (घ) पंजाब की राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, उस राज्य में चल रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए विशेष तौर पर सांसदों से अनुशंसाएं एवं सुझाव नहीं मांगे गए। फिर भी, उनकी तीन प्रकार की भूमिकाएं हैं, जैसा नीचे उल्लेख किया गया है:

(1) सां.स्था.क्षे.वि. योजना शत प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है तथा समूची धनराशि स्वयं सांसदों की अनुशंसाओं पर जारी की जाती है।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंजाब के सभी जिलों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए अध्यक्ष के रूप में लोक सभा सांसद के साथ जिला स्तर की सतर्कता और प्रबोधन समितियों का पुनर्गठन किया है।

(3) केन्द्र द्वारा प्रायोजित कुछ अन्य योजनाएं भी हैं जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना, समन्वित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन और पोषक आहार जिनके संबंध में राज्य सरकार द्वारा जिला योजना एवं

विकास बोर्ड (डीपी एंड डीबी) के माध्यम से निधि जारी की जाती है। सभी सांसद इन बोर्डों के पदेन सदस्य हैं। जिला बोर्ड विभिन्न योजनाओं के लिए केवल निधि ही मंजूर नहीं करते बल्कि वे उसके उपयोग और योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रबोधन भी करते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूरभाष क्षमता में बढ़ोत्तरी

2926. श्री वी.के. तुम्मर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष के दौरान गुजरात के अमरेली जिले में आधुनिक संचार सुविधाओं के साथ दूरभाष क्षमता बढ़ाने का कोई कार्य शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामत: उपलब्धियां क्या रही हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा गत वर्ष के दौरान गुजरात के अमरेली जिले में आधुनिक संचार सुविधाओं के साथ टेलीफोन क्षमता में वृद्धि करने के लिए अनेक कार्य शुरू किये गये हैं।

(ख) अमरेली स्थित ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज (टीएएक्स) में 2005-06 के दौरान 1000 लाइनों की वृद्धि की गई है जिससे उसकी क्षमता 8000 से बढ़कर 9000 लाइनों की हो गई है। अमरेली शहर में 80 ब्राडबैंड पोर्टों की क्षमता वाला ब्राडबैंड उपस्कर संस्थापित किया गया तथा 31.3.2006 तक 54 ब्राडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। ब्राडबैंड क्षमता में 2006-07 के दौरान 192 पोर्टों की वृद्धि की गई है और इस समय 16 ब्राडबैंड कनेक्शन काम कर रहे हैं।

बेरोजगारी दर

2927. श्री एल. राजगोपाल: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनएसएसओ के 61वें दौर के अनुसार जुलाई, 2004 से जून, 2006 के दौरान देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर क्रमश: 17% और 45% रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान बेरोजगारी की दर में बढ़ोत्तरी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबध में कोई विश्लेषण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) क्या सर्वेक्षण से यह पता चला है कि महिलाओं में बेरोजगारी दर पुरुषों की अपेक्षा अधिक है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (घ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के 55वें और 61वें दौर के अनुसार वर्ष 1999-2000 और 2004-05 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर देश में बेरोजगारी की दरें नीचे दी गई हैं:

वर्ष	ग्रामीण (%)			शहरी (%)		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
1999-2000	1.7	1.0	1.5	4.5	5.7	4.7
2004-05	1.6	1.8	1.7	3.8	6.9	4.5

इन सर्वेक्षणों के परिणाम दर्शाते हैं कि जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बेरजोगारी दर में थोड़ी सी वृद्धि हुई है वहीं शहरी क्षेत्रों में इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त 61वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुरुषों में बेरोजगारी की 1.6 और 3.8 प्रतिशत की दर की तुलना में महिलाओं में बेरोजगारी की दर क्रमश: 1.8 और 6.9 प्रतिशत है। इस सर्वेक्षण में जिन व्यक्तियों ने किसी भी समय काम किया है उनके संबंध में रोजगार में विच्छेद (ब्रेक-इन) (सूचनादाता के अनुसार) के कारणों पर भी निम्नानुसार आंकड़े एकत्र किये गये हैं:

रोजगार में विच्छेद (ब्रेक-इन) के कारण के अनुसार उन बेरोजगारों (15 से 59 वर्ष) का प्रति 1000 पर वितरण जिन्होंने किसी भी समय काम किया हो:

अखिल-भारत

रोजगार में विच्छेद (ब्रेक-इन) के कारण	ग्रामीण		शहरी	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
पूर्व की नौकरी छूटना	35	13	121	34
पूर्व की नौकरी को छोड़ना	43	54	160	232
बिना वेतन कामबंदी	9	2	17	29
यूनिट बंद होना	27	8	90	52
उद्यम में काम का अभाव	189	116	149	114
क्षेत्र में काम का अभाव	519	676	239	241
अन्य	173	132	223	298
सभी (एन.आर. सहित)	1000	1000	1000	1000

[अनुवाद]

फार्मेसी के स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों में बेरोजगारी

2928. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को फार्मेसी के स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों में बेरोजगारी की समस्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन योग्य व्यक्तियों के लिए लाभकारी रोजगार सुनिश्चित करने हेतु एक नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या विभिन्न चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों के लिए उन्हें उनके क्षेत्रों में अद्यतन रूझानों तथा विकास से परिचय कराने के लिए प्रशिक्षण अथवा प्रबोधन पाठ्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं। फार्मेसी के क्षेत्र में फार्मेसी के स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों में बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग-4 पर सौंदर्यीकरण कार्य

2929. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 के सतारा और कागल हिस्से के बीच सौंदर्यीकरण कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सौंदर्यीकरण कार्य पर अब तक कितना व्यय किया गया है;

(ग) सौंदर्यीकरण कार्य के अंतर्गत किस प्रकार के कार्य किये गये हैं; और

(घ) इस हिस्से में सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए ठेकेदारों की सूची क्या है तथा प्रत्येक सौंदर्यीकरण कार्य के लिए कितना भुगतान किया गया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत (राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4) सतारा से

कागल परियोजना एक निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण परियोजना है जिसका रियायतग्राही मै. महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम है। मै महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने माध्यिका पर वृक्षारोपण, स्ट्रक्चर की पेंटिंग, जंक्शन का सुधार, रेलिंग और माध्यिका में पेवर ब्लाक जैसे कुछ कार्य किये हैं जिन पर उन्होंने 315.45 लाख रु. खर्च किये हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण सड़कों को नुकसान

2930. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें कोयले की ढुलाई के कारण क्षतिग्रस्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्षतिग्रस्त सड़कों का कोलफील्ड-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत के लिए खनन से संगृहीत राजस्व का उपयोग कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) चाहे सड़कें, ग्रामीण हों अथवा शहरी हों, वे यातायात, जिसमें कोयले की ढुलाई वाला यातायात भी शामिल है, के कारण हुई आम टूट-फूट से क्षतिग्रस्त होती ही हैं।

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का अनुरक्षण और मरम्मत राज्य का विषय है, इसलिए कोयला मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई डाटा नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग 17 और 4 को चौड़ा किया जाना

2931. श्री श्रीपाद येसो नाईक: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गोवा से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 17 और 4 को कब तक चौड़ा किये जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 गोवा से नहीं गुजरता है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4ए गोवा से गुजरता है। गोवा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 17 और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4ए दोनों को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर चार लेन का बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3ख के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 के अंतर्गत खंड	लंबाई (कि.मी.)	स्थिति
1	17	महाराष्ट्र/गोवा सीमा-पणजी-गोवा/कर्नाटक सीमा	139	डिजाइन, निर्माण, वित्त और प्रचालन (डीबीएफओ) पद्धति पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए परामर्शी सेवाओं हेतु निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है
2	4ए	पणजी-गोवा/कर्नाटक सीमा	69	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रगति पर है

अवसंरचना संबंधी समिति के अनुमोदन के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3ख को दिसम्बर, 2012 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

सड़क निर्माण हेतु तकनीकी पैरामीटर

2932. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की भौगोलिक संरचना तथा मृदा की किस्म में भारी भिन्नता के बावजूद सड़क निर्माण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का तकनीकी पैरामीटर पूरे देश में समान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जल निकाय वाले क्षेत्रों में तटबंध बनाने से पहले मृदा परीक्षण प्रक्रियाएं अनिवार्य हैं;

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग-6 के धनकुनी कोलाघाट खंड के बड़े हिस्से के हाल ही में धंस जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए एक समान प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है जो इस मंत्रालय और भारतीय सड़क कांग्रेस के विनिर्देशों/मानकों और दिशा-निर्देशों पर आधारित होती है। इन मानकों और दिशा-निर्देशों में अलग-अलग जमीनी स्थितियों की अपेक्षाओं के लिए प्रावधान है।

(ग) भारतीय सड़क कांग्रेस और इस मंत्रालय के मानकों/विनिर्देशों में मृदा जांच के लिए यथा विनिर्दिष्ट जांच अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग-6 के 18.1 कि.मी. में सड़क उपरि पुल के पहुंच मार्ग में 110 मीटर की रिइन्फोर्सड अर्थ रिटेनिंग वाल धंस गई थी। इस मामले की जांच एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई थी जिसने यह टिप्पणी की है कि इस धंसाव का मुख्य कारण प्रभावित क्षेत्र के नीचे एक पीट (साफ्ट) लेयर का होना था।

(ङ) इस मंत्रालय और भारतीय सड़क कांग्रेस के विनिर्देशों/मानकों और दिशा-निर्देशों के आधार पर गुणता आश्वासन के लिए पर्याप्त उपाय किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

वेतनमानों का संशोधन

2933. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) के सहायक ग्रेड तथा वैयक्तिक सहायक के वेतनमानों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय विदेश सेवा, भारतीय रेल सेवा, सशस्त्र बल मुख्यालय आदि के केन्द्रीय सेवा के ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ न देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इन सेवाओं की एम्पलाइज एसोसिएशन/यूनियनों से कोई ज्ञापन मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई तथा इसका क्या परिणाम निकला?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) के सहायकों तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सी.एस.एस.एस.) के वैयक्तिक सहायकों के वेतनमान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.)/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) के निरीक्षकों के वेतनमान के समान करने के लिए 5500-9000 रुपए से बढ़ाकर 6500-10,500 रुपये कर दिये गये हैं।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वैयक्तिक सहायकों के वेतनमान अपवाद के तौर पर विशिष्ट रूप से इन्हीं दो श्रेणियों के लिए बढ़ाए गए थे।

(घ) और (ङ) सशस्त्र बल मुख्यालय के कर्मचारी संघ से प्राप्त अभ्यावेदन उपयुक्त कार्रवाई के लिए रक्षा मंत्रालय को भेजा दिया गया है।

गहरे यूरेनियम भंडारों की खोज

2934. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के परमाणु कार्यक्रम के विस्तार हेतु गहरे यूरेनियम भंडारों का विद्युत-चुम्बकीय हवाई सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक उपकरणों को देश में ही विकसित करने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(घ) क्या देश के विभिन्न भागों में यूरेयिनम भंडारों की खोज के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग, नाभिकीय खनिज प्रभाग और यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) ने कोई प्रयास किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गुरुजल तथा परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में विदेशी निर्भरता तथा स्वदेशी अनुसंधान में अंतर्ग्रस्त लागत के मद्देनजर जिन कारकों पर विचार किया गया है उनका ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, (एएमडी), हैदराबाद, यूरेनियम स्रोतों के सर्वेक्षण और अन्वेषण में लगा हुआ है। गहराई पर स्थित यूरेनियम निक्षेपों के अन्वेषण के लिए, परमाणु खनिज निदेशालय की योजना, 14 अभिज्ञात प्राग्जीव बेसिनों में चरणबद्ध रूप से 'वायुवाहित वैद्युतचुम्बकीय काल प्रक्षेत्र सर्वेक्षण' करने की है। 'उत्तरी दिल्ली फोल्ड बेल्ट' में, उथले निक्षेपों का पता लगाने के लिए राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में वायुवाहित वैद्युत-चुम्बकीय (आवृत्ति प्रक्षेत्र) सर्वेक्षण करने की योजना है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) परमाणु खनिज निदेशालय, देश के विभिन्न भागों में, उच्च ग्रेड के बड़े टनभार वाले विषमविन्यास संबधी, बलुआ पत्थर किस्म के, ऐल्बिटाइट किस्म के और शिरा किस्म के यूरेनियम निक्षेपों का पता लगाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है।

(च) गहराई पर स्थित निक्षेपों का पता लगाने के लिए, स्वदेशी क्षमता के विकास द्वारा अतिरिक्त यूरेनियम स्रोतों की पहचान करने के लिए प्रभावी अन्वेषण कार्य हेतु अन्वेषण की और उसके साथ-साथ संसाधन प्रयोगशालाओं की विश्लेषक क्षमताओं को बढ़ाने हेतु तथा सभी प्रमाणित निक्षेपों का दोहन करने के लिए संसाधन प्रौद्योगिकी के विकास हेतु कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं में तेजी से हुई वृद्धि को और नाभिकीय क्षेत्र में लगे प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, स्वदेश में किये जाने वाले अनुसंधान कार्य में लगने वाली लागत मामूली है। हमारा देश भारी पानी के मामले में स्वावलम्बी है। देश ने, परमाणु ऊर्जा के सभी पहलुओं के मामले में भी सुदृढ़ आत्म-निर्भर क्षमता विकसित कर ली है।

[अनुवाद]

सी.जी.एच.एस. औषधालय में जांच सुविधाएं

2935. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर.के. पुरम, नई दिल्ली स्थित सीजीएचएस औषधालय में लिपिड प्रोफाइल, केएफटी, एलएफटी, एचबी, ब्लड शुगर इत्यादि जैसी रक्त जांच हेतु कोई व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो उक्त औषधालय में ये सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सीजीएचएस औषधालय भवन, सेक्टर-4, आर.के. पुरम, नई दिल्ली का निर्माण वर्षों से आवंटित भूखंड पर नहीं हो सका है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और औषधालय भवन का निर्माण कब तक होने की संभावना है जिसमें पालीक्लिनिक स्थापित करने हेतु कमरे हों;

(ङ) क्या सीजीएचएस औषधालय, सेक्टर-8, आर.के. पुरम की आपातकालीन सेवाओं का अंतरण सीजीएचएस औषधालय, सेक्टर-4, आर.के. पुरम में कर दिया गया है जिससे सेक्टर-6, आर.के. पुरम में रहने वाले लाभग्राहियों को भारी असुविधा हो रही है; और

(च) यदि हां, तो सीजीएचएस औषधालय, सेक्टर-8, आर.के. पुरम में आपातकालीन सेवाएं बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) आर.के. पुरम में सीजीएचएस लाभार्थी अपनी रक्त जांच जैसे लिपिड प्रोफाइल, केएफटी, एलएफटी, एचबी, ब्लड शुगर आदि मैटरनिटी अस्पताल आर.के. पुरम, नई दिल्ली से करा सकते हैं।

(ग) और (घ) सीजीएचएस औषधालय के निर्माण के लिए सेक्टर-4 आर.के. पुरम में कोई प्लाट आवंटित नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) सेक्टर-6 औषधालय के आपातकालीन उपचार वाले लाभार्थियों को सेक्टर-4 औषधालय के साथ जोड़ा गया है और उन्हें कभी भी सेक्टर-8 औषधालय के साथ नहीं जोड़ा गया था। सेक्टर-6 और सेक्टर-4 के बीच लगभग 1 कि.मी. की दूरी है और इस कारण लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है।

[हिन्दी]

गलत टेलीफोन बिल

2936. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में गलत टेलीफोन बिलों की बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने अधिकारी दोषी पाए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ताओं के समक्ष आ रही समस्याओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी हां, उड़ीसा सर्किल के एक गौण स्विचन क्षेत्र (एस.एस.ए.) में कुछ मामले प्रकाश में आए हैं। बोलनगीर गौण स्विचन क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल (वायरलेस इन लोकल लूप) के उपभोक्ताओं से संबंधित ये 125 मामले थे, इन मामलों में, बीटएस (बेस टर्मिनल स्टेशन) की अवस्थिति के अनुसार, गलती से शहरी दर पर किराया प्रभारित किया गया था। तथापि, मामला ध्यान में आते ही इन बिलों को संशोधित किया गया और अतिरिक्त भुगतान का आवश्यक समायोजन कर लिया गया है।

(ग) चूंकि यह गलती अनजाने में हुई थी इसलिए किसी प्रकार की कार्रवाई करना न्याय संगत नहीं पाया गया।

(घ) भविष्य में इस प्रकार की चूकों से बचने के लिए यथा साध्य सावधानी बरती जा रही है। भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए इस विषय पर विद्यमान अनुदेशों को क्षेत्रीय इकाइयों को पुन: प्रेषित किया गया है।

[अनुवाद]

सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति

2937. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय में सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) की परियोजनाएं लेने से छूट मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पीपीपीएसी को भेजे गए प्रस्तावों में काफी समय लगता है, जिससे परियोजनाओं में निजी भागीदारी में विलंब हो जाता है; और

(घ) यदि हां, तो निजी भागीदारी हेतु परियोजनाओं की शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति हेतु बेहतर समन्वय के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) मंत्रालय ने निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-2 और 3क के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाने के लिए 12 उप-परियोजनाओं हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) प्रक्रिया से छूट मांगी थी। सरकार ने इन उप-परियोजनाओं के लिए छूट प्रदान कर दी है।

(ग) और (घ) परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए पीपीपीएसी प्रक्रिया में निम्नलिखित समय-सीमा निर्धारित की गई है:

क्र.सं.	कार्रवाई	लगा समय
1.	पीपीपीएसी द्वारा 'सैद्धांतिक' अनुमोदन	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय से तीन सप्ताह
2.	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अग्रेषित अंतिम दस्तावेजों पर योजना आयोग, आर्थिक कार्य विभाग अथवा किसी अन्य मंत्रालय/विभाग की टिप्पणियां	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अंतिम दस्तावेज प्रस्तुत करने के समय से चार सप्ताह
3.	पीपीपीएसी द्वारा अंतिम अनुमोदन	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अंतिम दस्तावेज के साथ पीपीपीएसी ज्ञापन प्रस्तुत करने के समय से तीन सप्ताह

पीपीपीएसी ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3क के अंतर्गत 10 उप-परियोजनाओं को पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-76 की प्रगति रिपोर्ट

2938. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76 (पूर्वी पश्चिम कोरिडोर) को चार तथा छ: लेनों का बनाने से संबंधित कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उपर्युक्त राजमार्ग पर कार्य के एक ही स्थल के लिए एक से अधिक बार संशोधित अधिसूचनाएं जारी किये जाने के कुल कितने मामले हैं;

(ग) संशोधित अधिसूचनाओं से संबंधित ब्यौरा क्या है तथा इसे एक से अधिक बार जारी करने के क्या कराण हैं और कार्य स्थल का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या न्यायालय ने उक्त राजमार्ग के किसी भाग/बाइपास के किसी प्रकार के निर्माण पर कोई स्थगन आदेश जारी किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग 76 का लगभग 608 कि.मी. खंड पूर्व-पश्चिम महामार्ग के अंतर्गत चार लेन बनाने का हिस्सा है जिसमें से उदयपुर-चित्तौड़गढ़ खंड की 106 कि.मी. लंबाई (जो स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ साझा है) पूरी हो चुकी है और शेष लंबाई में कार्य चल रहा है।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) झल्लीपुरा गांव के तीन भूस्वामियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में दिनांक 22.9.2006 की एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या-7132/2006 दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने अगले आदेशों तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था।

विवरण

संशोधित अधिसूचनाओं के ब्यौरे

जिला		3(ए) अधिसूचना		3(डी) अधिसूचना		कारण
		राजपत्र अधिसूचना सं.	तारीख	राजपत्र अधिसूचना सं.	तारीख	
1		2	3	4	5	6
चित्तौडगढ़	मूल	1238	5.11.04	872	22.6.05	भूमि अधिग्रहण करने के लिए
	संशोधित अधिसूचना	1061	27.7.05	1583	10.11.05	मिसिंग प्लाटों और अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता के कारण

1		2	3	4	5	6
	संशोधित अधिसूचना			642	4.5.2006	बिरला भूमि के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व 3डी को रद्द करने के कारण
भीलवाड़ा	मूल	1241	5.11.04	873	22.6.2005	भूमि अधिग्रहण करने के लिए मिसिंग प्लाटों और अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता के कारण
	संशोधित अधिसूचना	1062	27.7.05	1523	21.10.05	
बूंदी	मूल	1239	5.11.04	875	22.6.05	भूमि अधिग्रहम करने के लिए
	संशोधित अधिसूचना	1063	27.7.05	1582	10.11.05	मिसिंग प्लाटों और अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता के कारण
	संशोधित अधिसूचना	227	16.2.05	874	22.6.05	
	संशोधित अधिसूचना	2043	29.11.06		प्रगति पर	349-357 कि.मी. खंड में पुनर्संरेखण
कोटा	मूल	1240	3.11.04	340	17.3.20505	3क अधिसूचना में प्रकाशित राजस्व रिकार्ड/भूमि विवरण से संरेखण को स्थानांतरित करने के दौरान यह पाया गया कि डीपीआर परामर्शदाता द्वारा सुझाए गए संरेखण के कोर्डिनेट 3 का अधिसूचना तथा जमीनी स्थिति से मेलन हीं खा रहे थे। इसलिए डीपीआर संरेखण की धारणा को जमीन के अुरूप बनाने और सड़क की ज्यामिती में सुधार के लिए बाद में अतिरिक्त 3(क) अधिसूचनाएं जारी की गई।
(तहसील कोटा)	संशोधित अधिसूचना	228	16.2.05	1664	22.11.05	
	संशोधित अधिसूचना	335	18.3.2005	1665	22.11.05	
	संशोधित अधिसूचना	1732	9.12.04	569	19.4.06	
कोटा	मूल	989	6.9.04	339	17.3.2005	
(तहसील देगोड)	संशोधित अधिसूचना	336	18.3.2005	1656	18.11.05	
	संशोधित अधिसूचना	1655	17.11.2005	19	30.12.05	
बारन (तहसील	मूल	1054	28.9.04	338	17.3.2005	
बारन)	संशोधित अधिसूचना	229	16.2.05	1396	27.9.05	
	संशोधित अधिसूचना	337	18.3.05	1450	15.10.05	
	संशोधित अधिसूचना	673	31.3.05	1452	5.10.05	
	संशोधित अधिसूचना	1451	5.10.05	1733	9.12.05	

तपेदिक के रोगियों के लिए अस्पतालों की स्थापना

2939. श्री रशीद मसूद: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहारनपुर में काष्ठ शिल्प तथा लघु उद्योगों से जुड़े कामगार तपेदिक का शिकार हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार पीड़ित कामगारों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष अस्पतालों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसे अस्पतालों की कब तक स्थापना किये जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) उद्योग में कार्य करने वाले कामगारों सहित कोई भी व्यक्ति क्षयरोग का शिकार हो सकता है क्योंकि क्षयरोग वायु जनित संक्रमण है। यह टी.बी. के रोगी द्वारा हवा में छोड़े गए दूषित कीटाणु से संचारित होता है। सहारनपुर जिले में पिछले वर्ष 2005 के दौरान 4832 क्षयरोगियों का पता लगाया गया था और संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उनका उपचार किया गया।

(ग) अनुसंधान साक्ष्य के आधार पर क्षयरोगियों का घरेलू उपचार प्रभावी है। कुछ गम्भीर मामलों को छोड़कर क्षयरोगियों को अस्पताल में भर्ती कर उपचार करना आवश्यक नहीं है। गम्भीर रोगियों की सामान्य अस्पताल में देखभाल की जा सकती है और उनके लिए अलग अस्पताल की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, क्षयरोग-अस्पताल/रोगी निवास (सेनटोरिया) की स्थापना का विचार नहीं है और मौजूदा क्षयरोग अस्पतालों/रोगी निवास को पहले से ही सामान्य अस्पतालों में परिवर्तित किया जा रहा है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए जिले में क्षयरोग अस्पताल के स्थापना की आवश्यकता नहीं है।

तथापि, इस कार्यक्रम के तहत, उपचार की पूरी अवधि के लिए क्षयरोग रोधी दवाइयों की आपूर्ति सहित निदान एवं उपचार सुविधाओं के लिए कफ सूक्ष्मदर्शिकी (स्पूटम माइक्रोस्कोपी) सभी क्षयरोगियों को नि:शुल्क प्रदान किये जा रहे हैं। उत्तर निदान के लिए प्रत्येक एक लाख जनसंख्या के लिए निर्दिष्ट सूक्ष्मदर्शिकी केन्द्र (माइक्रोस्कोपी सेन्टर) स्थापित किये गये हैं। सहारनपुर जिले में 27 निर्दिष्ट माइक्रोस्कोपी केन्द्र (डीएमसीज) कार्य कर रहे हैं। उपरोक्त जिले में काष्ठ शिल्प एवं लघु उद्योगों में कार्यरत कामगारों को क्षयरोग की उत्तर परिचय सेवाएं प्रदान करने के लिए इन कामगारों के आवासीय क्षेत्र में 2 डीएमसीज स्थापित किये गये हैं।

1. इस्तालमिया शिफाखाना, नखासा बाजार।

2. एनसी जैन चैरिटेबल अस्पताल, गोल कोठी।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

युवाओं के विकास हेतु नीतियां

2940. श्री बालेश्वर यादव: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने देश के युवाओं के विकास के लक्ष्य वाली नीतियां बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि विश्व बैंक की हाल ही में जारी विश्व विकास रिपोर्ट-2007, जिसका शीर्षक "विकास और अगली पीढ़ी" था, में युवाओं पर फोकस को ध्यान में रखते हुए विश्व बैंक सहायता हेतु एक युवा विकास संबंधी परियोजना की संभावनाओं को देखने के लिए विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श किया गया है। इस संबंध में कोई निश्चित प्रस्ताव अभी तक तैयार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

ज्ञान केन्द्रों/ग्राम ज्ञान केन्द्रों की स्थापना

2941. श्री ए.के. मूर्ति:
डा. अरुण कुमार शर्मा:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2007 का 6,00,000 गांवों के ब्रांडबैंड कनेक्टिविटी पर आधारित ज्ञान केन्द्रों/ग्राम ज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, राज्य-वार विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मिशन 2007 के अंतर्गत इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये तथा क्या उपलब्धियां हासिल की गई; और

(घ) इसके फलस्वरूप रोजगार के कितने अवसरों का सृजन किया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,00,000 ब्राडबैंड, इंटरनेट समर्थित सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) स्थापित करने के लिए एक योजना अनुमोदित की है। यह योजना सितम्बर, 2006 में अनुमोदित की गई है। ये केन्द्र नागरिकों को उनके द्वार पर सरकारी तथा निजी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। सामान्य सेवा केन्द्र सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए स्थापित किये जाएंगे।

(ख) सीएससी योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सामान्य सेवा केन्द्र किसी राज्य में प्रति 6 गांव के निवासियों के लिए 1 सामान्य सेवा केन्द्र के अनुपात में स्थापित किये जाएंगे। इस योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश (www.mit.gov.in) पर उपलब्ध हैं। 6 आवासीय गांवों के लिए 1 सामान्य सेवा केन्द्र की स्थापना के मानदंड के अनुसार सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में कुल 7031 सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित किये जाएंगे।

(ग) मिशन 2007 मुख्यत: एक गैर-सरकारी पहल है किन्तु, चूंकि मिशन 2007 के उद्देश्यों और सीएससी योजना के उद्देश्यों में समानता है, अत: सरकार मिशन 2007 से संबद्ध है। मिशन 2007 के अंतर्गत सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। सीएससी योजना के अंतर्गत सरकार सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित करने में सहायता करेगी और उनकी स्थापना के बाद 4 वर्ष की अवधि के लिए उन्हें सहयोग देगी। इस योजना को सरकार द्वारा सितम्बर, 2006 में अनुमोदित कर दिया गया है।

(घ) अनुमान है कि प्रत्येक सामान्य सेवा केन्द्र से तीन व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके आधार पर अनुमान है कि सामान्य सेवा केन्द्रों से देशभर में 300,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

सरकारी कर्मचारियों को डी.सी.आर. उपदान

2942. श्री आनंदराव विठोबा अडसुल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में अधिवर्षिता पर सरकारी कर्मचारियों को डी.सी.आर. उपदान के भुगतान हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा कितनी है और इसे अंतिम बार किस तिथि को संशोधित किया गया था;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार पिछले वर्षों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों तथा मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि के मद्देनजर इस सीमा को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में अधिवर्षिता पर डी.सी.आर. उपदान के भुगातन हेतु देय अधिकतम सीमा 3.5 लाख रुपए है। डी.सी.आर. उपदान की यह सीमा 1.1.1996 से प्रभावी है।

(ख) से (घ) वर्तमान में डी.सी.आर. उपदान की सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

पर्वतीय क्षेत्रों में मोबाइल सेवा

2943. श्री विजय कृष्ण: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्वतीय क्षेत्रों खासकर उत्तरांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष सेवाएं विशेषत: मोबाइल फोन सेवा नगण्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में मोबाइल सेवा खराब मौसम के कारण काम नहीं करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या रोमिंग सुविधा होने के बावजूद यहां मोबाइल फोन काम नहीं करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दूरभाष सेवा विशेषत: मोबाइल फोन सेवा के उचित कार्यकरण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) मोबाइल सेवाओं के प्रयोजन के लिए उत्तरांचल भी उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र में शामिल है। इस सेवा क्षेत्र में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के अलावा पांच और निजी प्रचालक मोबाइल सेवा प्रदान कर रहे हैं। 31 अक्तूबर, 2006 को स्थिति के अनुसार उत्तरांचल में बीएसएनएल द्वारा संस्थापित 388 मोबाइल टावर कार्य कर रहे हैं।

लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार, मोबाइल सेवा प्रदाताओं से यह अपेक्षित है कि वे लाइसेंस प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष के अंदर 10% जिला मुख्यालयों (डीएचक्यू) तथा तीन वर्षों के अंदर 50% जिला मुख्यालयों को सुविधायुक्त करें। सेवा प्रदाताओं को जिला मुख्यालय के बदले जिले में कोई अन्य शहर/नगर कवर करने की अनुमति होती है।

सुविधायुक्त (कवर) किये जाने वाले जिला मुख्यालय/नगरों, और जिला मुख्यालयों का चयन तथा 50% से अधिक जिला मुख्यालयों तक विस्तार करने का विकल्प सेवा प्रदाता के पास है और यह उनके वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करता है। इसीलिए ग्रामीण नेटवर्क कवरेज संबंधी आंकड़े विशेषकर उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित, अलग से नहीं रखे जाते।

सेवा प्रदाताओं के अनुसार, उन्होंने मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक दूरसंचार उपस्कर संस्थापित किए हैं, जिन पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे राज्य में आंधी-पानी के कारण प्रभावित नहीं होते। इसके साथ-साथ राज्य में रोमिंग सुविधाएं भी संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर

2944. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की राज्य-वार तथा वर्ष-वार विकास-दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान गत तीन वर्षों की समान अवधि की तुलना में उद्योग, सेवा और कृषि क्षेत्र में कितनी विकास दर दर्ज की गयी है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान विकास हेतु निर्धारित लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) लक्ष्य प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा क्षेत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इसके परिणामत: उपलब्धियों का आज तक क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) भारतीय अर्थव्यवस्था की दर (वर्ष 1999-2000 की कीमतों पर बाजार मूल्यों के सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार मापित), वर्ष 2003-04 के लिए 8.3%, 2004-05 के लिए 8.5% और 2005-06 के लिए 8.7% रही है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-03 से 2004-05 तक उपलब्ध राज्य-वार विकास दरें (1993-94 की कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार यथामापित) संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 2004-05 और 2005-06 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष (2006-07) की प्रथम छमाही के दौरान कृषि, उद्योग और सेवाओं के क्षेत्रों में दर्ज की गई विकास दर नीचे तालिका में दी गई है।

वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान पहली छमाही के लिए क्षेत्र-वार विकास दरें

(वर्ष 1999-2000 की कीमतों पर प्रतिशत)

क्र.सं.	क्षेत्रक	2004-05	2005-06	2006-07
1.	कृषि	1.8	3.7	2.6
2.	उद्योग	7.4	9.0	10.0
3.	सेवाएं	9.3	9.9	10.7

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन।

यह सूचना वर्ष 1999-2000 की कीमतों पर संशोधित श्रृंखला पर आधारित है जिसके लिए अर्द्ध-वार्षिक विकास दर केवल वर्ष 2004-05 से ही प्राक्कलित की जा सकती है क्योंकि जीडीपी और क्षेत्रकीय मूल्य वृद्धित (वर्ष 1999-2000 की कीमतों पर) के तिमाही आंकड़ों संबंधी सूचना वर्तमान में वर्ष 2003-04 से आगे तक उपलब्ध है।

(ग) योजना आयोग वर्ष-वार विकास दरें निर्धारित नहीं करता है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात वर्ष 2002-03 से 2005-06 के पहले चार वर्षों के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियों के क्षेत्रक-वार ब्यौरे तालिका में दिये गये हैं:

दसवीं योजना अवधि के दौरान क्षेत्रक-वार विकास दरें

(वर्ष 1999-2000 की कीमतों पर प्रतिशत)

क्र.सं.	क्षेत्रक	2002-03	2003-04	2004-05 (तुरंत अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	प्रथम चार वर्षों का औसत
1.	कृषि	-6.9	10.0	0.7	3.9	1.8
2.	उद्योग	7.0	7.6	8.6	8.7	8.0
3.	सेवाएं	7.3	8.2	9.9	10.0	8.9
4.	जीडीपी (बाजार मूल्यों पर)	3.6	8.3	8.5	8.7	7.3

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, सीएसओ पर आधारित।

विवरण

1993-94 कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक विकास दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-2003	2003-2004	2004-2005
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.4	उ.न.	उ.न.
2.	आंध्र प्रदेश	3.8	9.0	6.4
3.	अरुणाचल प्रदेश	5.2	7.0	1.7
4.	असम	4.7	5.5	5.9
5.	बिहार	15.7	-9.0	12.1
6.	चंडीगढ़	10.7	10.3	11.2
7.	छत्तीसगढ़	1.6	16.8	उ.न.
8.	दिल्ली	4.7	9.8	11.7

1	2	3	4	5
9.	गोवा	10.6	6.2	उ.न.
10.	गुजरात	7.5	15.1	5.1
11.	हरियाणा	5.0	8.6	8.4
12.	हिमाचल प्रदेश	4.8	8.1	7.6
13.	जम्मू व कश्मीर	5.0	5.3	5.5
14.	झारखंड	7.4	4.3	5.3
15.	कर्नाटक	4.3	4.8	10.2
16.	केरल	8.3	10.7	8.8
17.	मध्य प्रदेश	-6.3	16.2	3.4
18.	महाराष्ट्र	8.3	7.9	8.4
19.	मणिपुर	1.7	2.8	7.9
20.	मेघालय	4.6	7.0	6.0
21.	मिजोरम	उ.न.	उ.न.	उ.न.
22.	नागालैंड	10.3	उ.न.	उ.न.
23.	उड़ीसा	0.6	15.3	8.9
24.	पांडिचेरी	14.9	11.7	9.4
25.	पंजाब	2.4	6.3	5.4
26.	राजस्थान	-6.9	26.0	0.6
27.	सिक्किम	9.8	7.4	6.3
28.	तमिलनाडु	3.0	3.6	8.7
29.	त्रिपुरा	8.1	9.1	उ.न.
30.	उत्तर प्रदेश	5.7	4.6	4.8
31.	उत्तरांचल	10.2	11.8	11.7
32.	पश्चिम बंगाल	7.5	7.1	7.0

स्रोत: संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय।

[अनुवाद]

पत्तन तथा गोदी कामगारों के लिए उत्पादकता-आधारित पुरस्कार

2945. श्री मिलिन्द देवरा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पत्तन तथा गोदी पर तदर्थ आधार पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को उनकी वार्षिक मजदूरी/वेतन के 17.5 प्रतिशत की दर पर उत्पादकता आधारित पुरस्कार (पीएलआर) जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे पत्तन तथा गोदी के कितने कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है;

(घ) इससे राष्ट्रीय राजकोष पर कितना अतिरिक्त व्यय आने की संभावना है; और

(ङ) ये परियोजनाएं कब तक तैयार होंगी तथा इन पर कितना खर्च आएगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। 27.9.2006 को पत्तनों और गोदी कामगारों के 5 प्रमुख परिसंघो के प्रतिनिधियों से हुए विचार-विमर्श के अनुसार, सरकार, पत्तन और गोदी कर्मचारियों को वार्षिक मजदूरी/वेतन के 17.5 प्रतिशत की दर पर तदर्थ उत्पादकता से जुड़े वर्ष, 2005-06 के पारितोषिक का भुगतान किये जाने के प्रति सहमत हो गई है। इस प्रयोजन से प्रत्येक कर्मचारी/कामगार की मजदूरी/उसका वेतन, मूल वेतन, मंहगाई भत्ते और प्रोत्साहन भुगतान से युक्त अधिकतम 2500 रुपये प्रति माह तक होगा। उन कर्मचारियों/कामगारों/अधिकारियों के संबंध में उपर्युक्त विषयक भुगतान का परिकलन यह मानकर किया जाएगा कि उनका वेतन/मजदूरी 2500 रु. प्रति माह ही है, जिनकी मजदूरी/जिनका वेतन, 2500 रु. प्रति माह से अधिक हो।

(ग) उपर्युक्त पारितोषिक का भुगतान किये जाने से लगभग 66,000 पत्तन और गोदी-कर्मचारी/कामगार लाभान्वित हुए हैं।

(घ) उत्पादकता से जुड़े उपर्युक्त पारितोषिक के संवितरण पर होने वाला व्यय, महापत्तन-न्यासों और डाक लेबर बोर्डों द्वारा सरकार से कोई बजट सहायता प्राप्त किये बिना अपने ही संसाधनों से वहन किया जाएगा।

(ङ) उत्पादकता से जुड़ा पारितोषिक कोई परियोजना नहीं है, अपितु यह एक योजना है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को पत्तन की समग्र उत्पादकता में वृद्धि होने पर पारितोषिक का भुगतान किया जाता है।

अस्पतालों में प्लेटलेट पृथक्करण मशीनें

2946. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में कौन-कौन से अस्पतालों में प्लेटलेट पृथक्करण मशीनें (पीएसएम) उपलब्ध हैं;

(ख) क्या दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में वर्तमान प्लेटलेट पृथक्करण मशीनें विशेष रूप से संकट के समय जरूरतमंद मरीजों को ब्लड प्लेटलेट का समय पर रक्तादान सुनिश्चित करने हेतु अपर्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो पर्याप्त संख्या में पीएसएम न लगाने के क्या कारण हैं;

(घ) पीएसएम से सुसज्जित सफदरजंग और एलएनजेपी जैसे अस्पतालों द्वारा डेंगू के मरीजों को 'एम्स' भेजने के क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) दिल्ली के अस्पतालों में अतिरिक्त पीएसएम कब तक लगाये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) इस समय दिल्ली में 36 अस्पताल प्लेटलेट पृथक्करण मशीनों से सज्जित हैं। ऐसी सुविधा वाले अस्पतालों के नामों वाली सूची विवरण-1 के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं। दिल्ली में प्लेटलेट पृथक्करण मशीनों की कोई कमी नहीं है। वर्ष 2005 के दौरान प्लेटलेट कंसन्ट्रेट के लिए 77,842 ब्लड यूनिटें संसाधित की गई हैं और कोई कमी सूचित नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) दिल्ली एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अनुसार प्लेटलेट कंसन्ट्रेट की कमी के आधार पर सफदरजंग और एलएनजेपी अस्पताल द्वारा डेंगू मरीजों को रेफर किये जाने की कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

(च) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, चरण-3 के दौरान ब्लड कम्पोनेन्ट पृथक्करण के लिए लाइसेंस प्राप्त नौ अतिरिक्त रक्त बैंकों को इस योजना के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे रक्त बैंकों की सूची दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-2 के रूप में संलग्न है।

विवरण I

दिल्ली में स्थित प्लेटलेट पृथक्करण सुविधाओं वाले रक्त बैंकों की सूची

क्र.सं.	रक्त बैंक का नाम
1	2
1.	रक्त बैंक, एम्स, दिल्ली
2.	रक्त बैंक आर्मड फोर्सेस ट्रांस्फ्यूजन केन्द्र, नई दिल्ली
3.	रक्त बैंक, सी एन केन्द्र, एम्स, नई दिल्ली
4.	रक्त बैंक, डा. राम मनोहर अस्पताल, नई दिल्ली
5.	रक्त बैंक, ईएसआई अस्पताल, नई दिल्ली
6.	रक्त बैंक, उत्तर रेलवे केन्द्र, नई दिल्ली
7.	रक्त बैंक, सफदरंजग अस्पताल, नई दिल्ली
8.	रक्तबैंक, सुचित्रा कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली
9.	रक्त बैंक, डीडीयू अस्पताल, नई दिल्ली
10.	रक्त बैंक, जीबी पंत अस्पताल, नई दिल्ली
11.	रक्त बैंक, जीटीबी अस्पताल, नई दिल्ली
12.	रक्त बैंक, एलएनजेपी अस्पताल, नई दिल्ली
13.	रक्त बैंक, डा. हेडगेवार आरोग्य अस्पताल, नई दिल्ली
14.	रक्त बैंक, हिन्दुराव अस्पताल, नई दिल्ली
15.	रक्त बैंक, इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, नई दिल्ली
16.	रक्त बैंक, रोटरी ब्लड बैंक, तुगलकाबाद, नई दिल्ली
17.	रक्त बैंक, जयपुर गोल्डन अस्पताल, नई दिल्ली
18.	रक्त बैंक, बत्रा अस्पताल, नई दिल्ली
19.	रक्त बैंक, धर्मशिला कैंसर अस्पताल, नई दिल्ली
20.	रक्त बैंक, राजीव गांधी कैंसर अस्पताल, नई दिल्ली
21.	रक्त बैंक, गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली
22.	रक्त बैंक, होली फैमिली अस्पताल, नई दिल्ली
23.	रक्त बैंक, माता चानन देवी अस्पताल, नई दिल्ली
24.	रक्त बैंक, अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली
25.	रक्त बैंक, सेंट स्टीफन अस्पताल, नई दिल्ली
26.	रक्त बैंक, सुन्दर लाल जैन अस्पताल, नई दिल्ली
27.	रक्त बैंक, पुष्पावती सिंघानिया अनुसंधान संस्थान, प्रैस एन्कलेव, नई दिल्ली
28.	रक्त बैंक, दिल्ली हर्ट एवं लंग इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली
29.	रक्त बैंक, एमरजैंसी ब्लड बैंक, दरिया गंज, नई दिल्ली
30.	रक्त बैंक, श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट, पश्चिम विहार, नई दिल्ली
31.	रक्त बैंक, देवकी रानी हर्ट एंड वैस्कुलर संस्थान, नई दिल्ली
32.	रक्त बैंक, संत परमानंद अस्पताल, सिविल लाइन्स, दिल्ली
33.	रक्त बैंक, सरोज अस्पताल एवं हर्ट संस्थान, दिल्ली
34.	रक्त बैंक, फोर्टिस अस्पताल, वसंतकुंज, नई दिल्ली
35.	रक्त बैंक आर्गेनाइजेशन, पूसा रोड, नई दिल्ली
36.	रक्त बैंक, व्हाइट क्रास ब्लड बैंक, नई दिल्ली

विवरण II

दिल्ली में स्थित सार्वजनिक/स्वैच्छिक क्षेत्र के ब्लड बैंकों की सूची जिन्हें प्लेटलेट पृथक्करण सुविधाएं रखने वाले ब्लड कम्पोनेन्ट पृथक्करण यूनिटों में उन्नयन किया जाना है

क्र.सं.	नाम
1	2
1.	ब्लड बैंक, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, मंगोल पुरी
2.	ब्लड बैंक, डा. हेडगोवर आरोग्य संस्थान, डीएचएस, कडकडडूमा

1	2
3.	ब्लड बैंक, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, हरीनगर
4.	ब्लड बैंक, बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल, रोहिणी
5.	ब्लड बैंक, हिन्दू राव अस्पताल, दिल्ली
6.	ब्लड बैंक, सीएन केन्द्र, एम्स, नई दिल्ली
7.	ब्लड बैंक, एनएनजेपी अस्पताल, नई दिल्ली
8.	ब्लड बैंक, जीबी पंत अस्पताल, नई दिल्ली
9.	ब्लड बैंक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली

आटो ईंधन नीति पर विशेषज्ञ समिति

2947. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाहनों से होने वाले और अन्य प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए आटो ईंधन नीति संबंधी विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित किये गये खाके का ब्यौरा क्या है;

(ख) वाहन और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मंत्रालय के अंतर्गत कार्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में हैदराबाद सहित देश के प्रमुख शहरों में वाहन-प्रदूषण का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा राज्यों और स्थानीय नगर पालिकाओं के समन्वय से परिकल्पित किये गये अध्ययन और कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) नए वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों के लिए आटो ईंधन नीति समिति द्वारा अनुशंसित और सरकार द्वारा अनुमोदित रूपरेखा के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(1) भारत स्टेज-2 मानकों को 1.4.2005 से पूरे देश में सभी श्रेणी के वाहनों पर लागू करना।

(2) भारत स्टेज-II मानकों को 1.4.2005 से 11 महानगरों में चार पहिये वाले वाहनों पर लागू करना।

(3) भारत स्टेज-3 मानकों को 1.4.2008 से किंतु 1.4.2010 के बाद नहीं, पूरे देश में दुपहिया और तिपहिया वाहनों पर लागू करना।

(4) भारत स्टेज-3 मानकों को 1.4.2010 से पूरे देश में सभी श्रेणी के वाहनों पर लागू करना।

(5) भारत स्टेज-4 मानकों को 1.4.2010 से 11 महानगरों में चार पहिये वाले वाहनों पर लागू करना।

(ख) यह मंत्रालय आटो ईंधन नीति समिति द्वारा अनुशंसित रूपरेखा के अनुसार विभिन्न श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक निर्धारित करता है।

(ग) और (घ) हैदराबाद सहित 53 प्रमुख शहरों के अध्ययन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत वायु प्रदूषण उत्सर्जन इन्वेंटरी और स्रोत संवितरण अध्ययन संबंधी राष्ट्रीय पहल की गई है। राज्य के प्राधिकारी भी इस पहल में शामिल हैं तथा यह ऐसे अध्ययन करने के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। कार्य योजना में औद्योगिक और वाहन प्रदूषण नियंत्रण, प्रयोगरत वाहनों से उत्सर्जन नियंत्रण, ईंधन गुणता में सुधार, नए वाहन उत्सर्जन के लिए रूपरेखा और यातायात प्रबंधन उपाय आदि शामिल हैं।

जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं

2948. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-नेपाल सीमा से सटे हुए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी के जनजातीय क्षेत्रों के लोग क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाओं के न होने के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा लखीमपुर-खीरी के जनजातीय क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को दुधवा नेशनल पार्क में और उसके आसपास केबल बिछाने में कोई कठिनाई आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) उक्त क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारत-नेपाल सीमा से जुड़े

लखीमपुर खीरी के जनजातीय क्षेत्रों में निम्नलिखित एक्सचेंजों के माध्यम से लोगों को दूरसंचार सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	एक्सचेंज का प्रकार	क्षमता	कार्यरत कनैक्शन
1.	चन्दन चौकी	सी-डाट	256	157
2.	सम्पूर्ण नगर	आरएसयू	2000	858
3.	विशनपुरी	आरएसयू	500	248
4.	सिंगाही	आरएसयू	500	369

उपर्युक्त के अलावा, विशनपुरी और सिंगाही में वर्ष 2006-07 के दौरान बेसिक ट्रांससीवर सिग्नल (बीटीएस) को चालू करके मोबाइल टेलीफोन सेवा शुरू कर दी गई है।

(ग) और (घ) चन्दन चौकी एक्सचेंज हेतु, जो कि माइक्रोवेव प्रणाली पर कार्यरत है, आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने की योजना बनाई गई है। दूधवा राष्ट्रीय पार्क वन क्षेत्र में पड़ता है। पालिया से चन्दन चौकी तक दूधवा राष्ट्रीय पार्क के वन क्षेत्र के बीच से ओएफसी बिछाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए वन्य प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे केबल बिछाने हेतु आवश्यक अनुमति दें तथा उनकी अनुमति का इंतजार किया जा रहा है।

(ङ) और (च) इस क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाएं पहले ही मौजूद हैं। चन्दन चौकी में विस्तार कार्य के ओएफसी बिछाने हेतु वन प्राधिकरणों से अनुमति मिलने के छह महीने के अंदर पूरा हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

योजनाओं की मध्यावधि समीक्षा

2949. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाओं की मध्यावधि समीक्षा पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो योजना के अंत तक किन-किन क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने की संभावना है;

(ग) किन-किन क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन पर राष्ट्रीय विकास परिषद की 27-28 जून, 2005 को आयोजित इसकी बैठक में सहमति हो गई थी। जिन क्षेत्रों में योजना के अंत तक नियत लक्ष्यों को प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है उनके ब्यौरे जिन क्षेत्रों में नियत लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने की संभावना नहीं है वहां उनके कारणों और प्रस्तावित उपायों सहित उनके ब्यौरे दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में उपलब्ध हैं, जिसकी प्रतियां संसद के ग्रंथागार में रखी हैं।

[अनुवाद]

पैकेजिंग उत्पाद उपलब्ध न होना

2950. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को डाक भेजने हेतु डाकघरों में पर्याप्त पैकेजिंग उत्पाद उपलब्ध न होने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के सभी डाकघरों में ग्राहकों की सुविधा हेतु विभिन्न प्रकार के पैकेजिंग उत्पाद किफायती दरों पर उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा डाक सेवाओं की मेल सेवाओं को बढ़ाने और अपने राजस्व में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) जब भी पैकेजिंग उत्पादों की मांग होती है डाक विभाग ऐसे डाकघरों में पैकेजिंग उत्पाद मुहैया कराता है।

(च) डाक सेवाओं की मेलिंग सेवाओं में बढ़ोत्तरी तथा राजस्व में वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है। डाक विभाग ने लोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए समय-समय पर नई सेवाओं व उत्पादों की शुरुआत कर अनेक पहलें की हैं। बिजनेस पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ई-पोस्ट, स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट आदि डाक विभाग द्वारा की गई कुछ पहलें हैं।

बीओटी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाना

2951. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज तक बीओटी आधार पर निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्माण किये गये स्वर्णिम चतुर्भुज चार लेन वाली सड़कों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी वर्ष में कर्नाटक में निर्माण किये जाने वाले प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों बाइपास सड़कों और चार लेन/छः लेन सड़कों का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(ग) कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना तथा अन्य चालू परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। कर्नाटक में अभिनिर्धारित खंडों और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-5 के अंतर्गत निर्माण के लिए प्रस्तावित (चूनिंदा खंडों को छह लेन का बनाना) खंडों के ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिये गये हैं।

विवरण I

वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 (नवंबर, 2006 तक) के दौरान बीओटी आधार पर निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई

लंबाई (कि.मी.)

राज्य	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (नवंबर, 2006 तक)
कर्नाटक	81.32	28.18	0	0
आंध्र प्रदेश	145.22	176.42	0	0
पश्चिम बंगाल		129.157	0.30	0
महाराष्ट्र		121.53	41.47	0
तमिलनाडु		93		
राजस्थान		90.38		
जोड़	226.54	638.667	41.77	0

विवरण II

राज्य-वार ब्यौरे

राज्य	वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 (नवंबर, 2006 तक) के दौरान निर्माण किए गए स्वर्णिम चतुर्भुज चार लेन वाली सड़कें लंबाई (कि.मी.)				
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (नवंबर, 2006 तक)	जोड़
आंध्र प्रदेश	305.41	438.74	58.99	11.70	814.84
बिहार	12.00	92.00	69.16	12.86	186.02
दिल्ली	—	—	—	—	0.00
गुजरात	139.80	105.79	29.21	0.00	274.80
हरियाणा	—	—	—	—	0.00
झारखंड	—	66.30	67.22	7.94	141.46
कर्नाटक	96.92	227.52	109.09	36.67	470.20
महाराष्ट्र	155.65	137.53	24.42	6.25	323.85
उड़ीसा	92.16	87.09	54.45	30.54	264.24
राजस्थान	314.10	235.46	—	—	549.56
तमिलनाडु	120.40	185.26	14.20	4.65	324.51
उत्तर प्रदेश	15.35	255.00	132.69	85.20	488.24
पश्चिम बंगाल	35.00	254.71	20.20	0.66	310.57
जोड़	1286.79	2085.40	579.63	196	4148

विवरण III

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत चालू स्कीमों के ब्यौरे

30 नवंबर, 2006 के अनुसार स्थिति (लंबाई कि.मी. में)

ठेका खंड		रारा	राज्य में लंबाई
1		2	3
स्वर्णिम चतुर्भुज पर			
1.	महाराष्ट्र सीमा-बेलगांव 592-515 कि.मी. (2 लेन)	4	77.00

1		2	3
2.	बेलगांव बाइपास कि.मी. 515-कि.मी. 495	4	18.00
3.	बेलगांव-धारवाड़ कि.मी. 495-कि.मी. 433 (2 लेन)	4	62.00
4.	धारवाड़-हुबली कि.मी. 433-कि.मी. 404 2 लेन बाइपास	4	29.00
5.	हुबली-हावेरी कि.मी. 404-कि.मी. 340	4	64.50
6.	हावेरी-हरिहर कि.मी. 340-कि.मी. 284	4	56.00
7.	हरिहर-चित्रदुर्ग	4	77.00
8.	चित्रदुर्ग बाइपास कि.मी. 207-कि.मी. 189	4	18.00
9.	चित्रदुर्ग-सीरा कि.मी. 189-कि.मी. 122.3	4	66.70
10.	सीरा बाइपास कि.मी. 122-कि.मी. 116	4	5.80
11.	सीरा-तुमकुर कि.मी. 116.4-कि.मी. 75	4	41.40
12.	तुमकुर बाइपास कि.मी. 75-कि.मी. 62	4	13.00
13.	तुमकुर-नीलमंगला कि.मी. 62-कि.मी. 29.5	4	32.50
14.	नीलमंगला-बंगलौर कि.मी. 30-कि.मी. 0	4	30.00
15.	बंगलौर-हाथीपल्ली कि.मी. 0-कि.मी. 33	7	33.00

1		2	3
स्वर्णिम चतुर्भुज पर ठेकों की कुल लंबाई (15 ठेके)		624	
उत्तर-दक्षिण महामार्ग पर			
1.	आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा-नंदीहिल क्रासिंग और देवनहल्ली से मीनुकुंटे गांव कि.मी. 463.6 से कि.मी. 527 और कि.मी. 535-कि.मी. 539	7	61.38
2.	अवती गांव से नंदीहिल क्रास और देवनहल्ली-मीनुकुंटे (एनएस-10) को 6 लेन का बनाना कि.मी. 524-कि.मी. 527 और कि.मी. 535-कि.मी. 539	7	7.00
3.	नंदीहिल क्रास से देवनहल्ली और मीनुकुंटे से हब्बल (एनएस-24/केएन) को 6 लेन का बनाना कि.मी. 539-556 और कि.मी. 527-कि.मी. 535	7	25.00
			एनएस पर ठेकों की कुल लंबाई (3 ठेके) 93
पत्तन सड़क संपर्क पर			
1.	नवमंगलूर पत्तन एनएच-17 (सूरतकल-नंतूर खंड), एनएच-48 (महापत्तन चरण-2 के लिए पादिल सड़क संपर्क और नामतूर जंक्शन (एनएच-17 पर) से पादिल जंक्शन (एनएच-48 पर)	03, 17 और 437.00	196.50 एसपीवी
पत्तन सड़क संपर्क पर ठेकों की लंबाई (1 ठेका)		37	
एनएचडीपी चरण 3क पर			
1.	बंगलौर-होसकोटे-कोलार मुदवागल	4	75.00
2.	बीजापुर-होसपेट	13	194.00
3.	नीलमंगला-हासन	48	154.00
4.	मंगलौर-कर्नाटक/केरल सीमा	17	18.00
5.	कुंदापुर-सूरतकल	17	71.00
6.	नीलमंगला-बंगलौर	4	30.00
7.	बेलगांव-कर्नाटक/गोवा सीमा	4ए	84.00
8.	मुदबागल-कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा	4	11.00

	1	2	3
9.	सिल्क बोर्ड जंक्शन से इलैक्ट्रानिक सिटी जंक्शन तक उत्थापित राजमार्ग	7	9.98
10.	बंगलौर-होसूर	7	15.00
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3क पर ठेकों की कुल लंबाई (10 ठेके) 662		

विवरण IV

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-5 के अंतर्गत अभिनिर्धारित खंड (चुनिंदा खंडों को छह लेन का बनाना)

1.	(बेलगांव-हुबली)	4	110
2.	(बंगलौर-कृष्णागिरि)	7	95
3.	(कृष्णागिरि-पूनामाली)	'7 व 4	240
4.	(हुबली-चित्रदुर्ग	4	200
5.	चित्रदुर्ग बाइपास-तुमकुर बाइपास)	4	145
6.	(बंगलौर-तुमकुर)	4	65
	कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और अन्य ठेकों की कुल लंबाई (35 ठेके) 2271 कि.मी.		

चौकीघाट पुल का निर्माण

2952. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** दिनांक 1 मार्च, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1145 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रह्मपुत्र बोर्ड से राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर चौकीघाट पर जयभराली के आरपार प्रस्तावित पुल की व्यवहार्यता और माडल अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो चौकीघाट पुल का निर्माण कब तक शुरू होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) चौकीघाट पुल का निर्माण शुरू होने के समय के बारे में अभी बता पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

युवक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत आवंटित धनराशि

2953. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार विशेष रूप से राजस्थान में कार्यान्वित की जा रही युवक कल्याण योजनाओं और खेल तथा शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत आवंटित/उपलब्ध कराई गई धनराशि का वर्षवार और कार्यक्रम वार ब्यौरा क्या है;

(ख) दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन और अनुपालन तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के युवक और खेल कार्यक्रमों पर की गई समीक्षा की राज्यवार स्थिति क्या है; और

(ग) पहचानी गई पांच एजेंसियों की आकलन रिपोर्टें क्या हैं और उन पर राज्यवार विशेष रूप से राजस्थान में क्या कार्रवाई की गई है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) मंत्रालय की युवाओं से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत कोई विशिष्ट राज्य-वार आवंटन नहीं किये गये हैं। नेहरू युवा केन्द्र संगठन को इसके नियमित कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवकों व राष्ट्रीय सद्भावना योजना और ग्रामीण युवा और खेल क्लबों को वित्तीय सहायता से संबंधित मंत्रालय की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तथा राज्य सरकारों को, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत उनकी जरूरतों और आवश्यक प्रलेखन के आधार पर ब्लाक अनुदानों के द्वारा धनराशि प्रदान की जा रही है। विशिष्ट परियोजनाओं तथा प्रस्तावों के आधार पर नेहरू युवा केन्द्र संगठन सहित विभिन्न संस्थानों तथा गैर-सरकारी संगठनों आदि को अन्य योजनाओं के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। अत: इस योजना के अंतर्गत धनराशि के राज्य-वार आवंटन/प्रावधान के बारे में आंकड़े समेकित/अनुरक्षित नहीं हैं।

2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान नेहरु युवा केन्द्र संगठन द्वारा राज्य-वार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जारी किये गये अनुदानों का ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

युवाओं से संबंधित योजनाओं के मामले में, मंत्रालय की खेल योजनाओं के अंतर्गत कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया गया है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को खेल अवस्थापना के सृजन हेतु विगत योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-III, IV, V और VI) में दिया गया है। यह योजना 1.4.2005 से राज्यों को हस्तांतरित कर दी गयी है तथा प्रतिबद्ध परियोजनाओं/दायित्वों के लिए दसवीं योजना की शेष अवधि में धनराशि प्रदान की जा रही है।

(ग) राज्य-वार अनुदान रिपोर्टें तैयार करने के लिए मंत्रालय द्वारा अभी तक किसी भी एजेंसी का पता नहीं लगाया गया है।

विवरण I

(धनराशि रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जारी की गई धनराशि		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	4435123	5603632	10568228
2.	आंध्र प्रदेश	18127440	20507408	45151310
3.	अरुणाचल प्रदेश	1858802	2086819	4903206
4.	असम	18775187	23523121	42065116
5.	बिहार	27821019	30670254	44298367
6.	चंडीगढ़	857058	2540975	1910842
7.	छत्तीसगढ़	5885992	5706819	5163436
8.	दादर, नगर व हवेली	441445	402539	479173
9.	दमन व दीव	953853	822984	794991
10.	दिल्ली	1833005	3741802	3584545
11.	गोवा	1632040	1563013	1764348

1	2	3	4	5
12.	गुजरात	13111507	12902700	19293796
13.	हरियाणा	6417507	14226964	17282880
14.	हिमाचल प्रदेश	5114736	13845181	13542267
15.	जम्मू व कश्मीर	5353922	13706877	17834663
16.	झारखंड	10914440	14724244	20329597
17.	कर्नाटक	15221722	16500038	12608883
18.	केरल	17654416	12786039	14496660
19.	लक्षद्वीप	269121	346320	73800
20.	मध्य प्रदेश	44807226	31114471	27519380
21.	महाराष्ट्र	25085463	22873182	22275059
22.	मणिपुर	8119856	8674937	15937636
23.	मेघालय	3178473	3547855	8628915
24.	मिजोरम	1538353	2162022	3350532
25.	नागालैंड	4227708	4740842	7220342
26.	उड़ीसा	15195844	18289593	44255144
27.	पांडिचेरी	1740259	2041628	5841904
28.	पंजाब	5189160	11285224	11726665
29.	राजस्थान	11720136	27213031	19955041
30.	सिक्किम	2159034	3243082	5921526
31.	तमिलनाडु	24161784	25391547	36912318
32.	त्रिपुरा	2834906	3507716	5998762
33.	उत्तर प्रदेश	49895802	66151027	99108962
34.	उत्तरांचल	9619191	15224975	14484665
35.	पश्चिम बंगाल	20469418	24922190	44435462
	कुल	386620948	466591051	649718421

विवरण II

वर्ष 2003-04 से 2006-07 (आज की तारीख तक) के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जारी अनुदानों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2003-04 के दौरान जारी किया गया अनुदान	2004-05 के दौरान जारी किया गया अनुदान	2005-06 के दौरान जारी किया गया अनुदान	2006-07 (नवम्बर, 06 तक) के दौरान जारी किया गया अनुदान
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	23410011	39060000	31923688	27489000
2.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	अरुणाचल प्रदेश	183750	810000	1260000	शून्य
4.	बिहार	1954385	शून्य	3466666	शून्य
5.	झारखंड	5425000	4475685	3466666	शून्य
6.	गुजरात	शून्य	19891666	25936833	शून्य
7.	गोवा	1701871	2496666	3978333	शून्य
8.	हरियाणा	शून्य	9765000	17942500	7907900
9.	हिमाचल प्रदेश	3010913	9640000	10950250	1697500
10.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	कर्नाटक	10944385	1707881	44340266	19819800
12.	केरल	18083333	16956334	32270541	21333813
13.	मध्य प्रदेश	6237422	16275000	19073225	7526032
14.	छत्तीसगढ़	4041795	5967500	9041666	6825000
15.	मणिपुर	शून्य	2407500	3875250	
16.	महाराष्ट्र	14361104	28752500	609474434	15780342
17.	मेघालय	शून्य	2749481	3150000	शून्य
18.	नागालैंड	शून्य	1080000	1590000	शून्य
19.	मिजोरम	1923662	4725000	6300000	शून्य
20.	उड़ीसा	5565244	16275000	17902500	9190000
21.	पंजाब	शून्य	19891666	16410625	352498

1	2	3	4	5	6
22.	राजस्थान	7705881	21700000	23870000	13197200
23.	सिक्किम	384249	1923750	2820000	
24.	तमिलनाडु	29593516	31582835	16547688	29941330
25.	त्रिपुरा	5100000	3960000	6000000	
26.	उत्तर प्रदेश	7544375	23484861	395888722	20020000
27.	उत्तरांचल	6546945	7854000	12600000	6930000
28.	पश्चिम बंगाल		12007334	7198500	7382612
29.	अंडमान व निकोबार	शून्य	133500	511500	शून्य
30.	चंडीगढ़	759500	2092500	23223840	शून्य
31.	केन्द्र शासित प्रदेश, दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	पांडिचेरी	807500	1413429	2155704	शून्य
33.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
34.	दादर, नगर व हवेली	59675	162750	418500	शून्य
35.	दमन व दीव	86800	232500	469384	शून्य

विवरण III

वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2003-2004		2004-2005		2005-06	
		जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	484.527	14	123.75	7	45.00	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	191.00	5	27.00	1	71.00	1
3.	असम	17	2	188.09	8	7.00	1
4.	बिहार	0	0	0	0	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	दिल्ली	0	0	0	0	0.00	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0.00	0
7.	गुजरात	0	0	65.00	2	0.00	0
8.	हरियाणा	40.17	2	118.13	16	32.80	4
9.	हिमाचल प्रदेश	100.21	8	118.63	10	0.00	0
10.	जम्मू व कश्मीर	26.82	18	22.50	1	0.00	0
11.	कर्नाटक	58.7	8	101.3	9	0.00	0
12.	केरल	13.01	4	1.50	1	0.00	0
13.	मध्य प्रदेश	152.27	13	115.40	6	18.00	1
14.	महाराष्ट्र	238.43	13	169.04	9	45.08	2
15.	मणिपुर	0	0	22.50	3	0.00	0
16.	मेघालय	100.11	5	234.55	5	0.00	0
17.	मिजोरम	136.32	21	30.00	1	59.59	1
18.	नागालैंड	962.46	21	115.98	12	45.00	1
19.	उड़ीसा	0.05	1	0.75	1	0.00	0
20.	पंजाब	45.00	1	0	0	0.00	0
21.	राजस्थान	25.00	2	8.72	1	23.00	1
22.	सिक्किम	0	0	0	0	0.00	0
23.	तमिलनाडु	170.36	22	81.15	13	50.52	2
24.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0.00	0
25.	उत्तर प्रदेश	46.94	3	69.23	6	83.00	4
26.	पश्चिम बंगाल	20.07	15	49.70	4	0.00	0
27.	छत्तीसगढ़	78.50	4	0	0	0.00	0
28.	झारखंड	0	0	30.00	1	0.00	0
29.	उत्तरांचल	0	0	94.80	5	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0.00	0
31.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0.00	0
32.	दादर व नगर हवेली	0	0	0	0	0.00	0
33.	दमन व दीव	0	0	0	0	0.00	0
34.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0.00	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0.00	0
	कुल	2906.98	182	1787.99	122	480.00	19

विवरण IV

वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक खेल उपस्कर की खरीद के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदान तथा खेल मैदान के विकास की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2003-2004		2004-2005		2005-06	
		जारी की गई राशि	स्कूलों की संख्या	जारी की गई राशि	स्कूलों की संख्या	जारी की गई राशि	स्कूलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.37	1	2.76	3	0.00	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.35	4	7.74	7	0.00	0
3.	असम	30.88	41	22.18	38	0.00	0
4.	बिहार	3.29	3	7.53	8	0.00	0
5.	छत्तीसगढ़	1.13	2	3.32	4	0.00	0
6.	दिल्ली	0.00	0	0.00	0	0.00	0
7.	गोवा	0.00	0	1.08	1	0.00	0
8.	गुजरात	2.98	4	1.42	2	0.00	0
9.	हरियाणा	43.36	59	24.17	41	0.00	0
10.	हिमाचल प्रदेश	5.72	15	10.21	14	0.00	0
11.	जम्मू व कश्मीर	3.17	3	9.64	14	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	झारखंड	0.00	0	0.00	0	0.00	0
13.	कर्नाटक	16.75	26	12.10	18	0.00	0
14.	केरल	0.00	0	15.48	17	0.00	0
15.	मध्य प्रदेश	22.95	29	13.67	20	0.00	0
16.	महाराष्ट्र	51.63	58	54.19	71	8.63	27
17.	मणिपुर	3.26	5	1.48	2	0.00	0
18.	मेघालय	1.08	1	9.37	10	0.00	0
19.	मिजोरम	0.00	0	0.00	0	0.00	0
20.	नागालैंड	0.00	0	3.80	5	0.00	0
21.	उड़ीसा	44.21	55	61.99	80	8.60	28
22.	पंजाब	2.56	3	0.63	2	0.00	0
23.	राजस्थान	25.19	29	18.76	30	0.00	0
24.	सिक्किम	0.00	0	0.00	0	0.00	0
25.	तमिलनाडु	7.65	21	3.70	6	0.00	0
26.	त्रिपुरा	0.37	1	0.40	1	0.00	0
27.	उत्तर प्रदेश	39.60	47	51.11	75	0.89	3
28.	उत्तरांचल	11.04	12	18.44	26	1.87	6
29.	पश्चिम बंगाल	77.98	106	127.15	167	0.00	0
30.	केन्द्र शासित क्षेत्र– अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0	0.00	0	0.00	0
31.	चंडीगढ़	0.00	0	0.00	0	0.00	0
32.	दादर व नगर हवेली	0.00	0	0.00	0	0.00	0
33.	लक्षद्वीप	0.00	0	0.00	0	0.00	0
34.	दमन व दीव	0.00	0	0.00	0	0.00	0
35.	पांडिचेरी	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	कुल	399.63	525	482.45	662	19.99	64

विवरण V

वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों के संवर्धन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2003-2004		2004-2005		2005-06	
		जारी की गई राशि	संस्थानों की संख्या	जारी की गई राशि	संस्थानों की संख्या	जारी की गई राशि	संस्थानों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	87.82	27	97.22	36	5.00	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
3.	असम	26.81	10	126.31	48	0.00	0
4.	बिहार	20.60	4	0.00	0	0.00	0
5.	छत्तीसगढ़	0,00	0	20.70	9	0.00	0
6.	गोवा	0.00	0	2.70	1	0.00	0
7.	गुजरात	18.27	10	28.20	1	0.00	0
8.	हरियाणा	10.31	9	26.86	4	0.00	0
9.	हिमाचल प्रदेश	5.85	3	7.37	4	0.00	0
10.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.	0.00	0	0.00	0
11.	झारखंड	0.00	0	2.70	1	0.00	0
12.	कर्नाटक	39.35	35	149.87	63	12.00	1
13.	केरल	39.80	18	45.07	24	0.00	0
14.	मध्य प्रदेश	10.80	4	26.10	7	0.00	0
15.	महाराष्ट्र	197.53	98	244.15	115	20.85	2
16.	मणिपुर	25.03	3	17.80	5	0.00	0
17.	मिजोरम	10.72	4	0.00	0	0.00	0
18.	मेघालय	0.00	0	10.80	4	0.00	0
19.	नागालैंड	22.50	11	19.20	10	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	उड़ीसा	83.60	40	57.98	32	0.00	0
21.	पंजाब	52.68	13	29.45	11	10.00	1
22.	राजस्थान	4.20	2	7.20	3	0.00	0
23.	तमिलनाडु	164.81	27	169.80	29	17.12	1
24.	त्रिपुरा	0.00	0	0.00	0	0.00	0
25.	उत्तर प्रदेश	101.56	41	158.65	62	45.00	3
26.	उत्तरांचल	24.60	10	16.80	8	0.00	0
27.	पश्चिम बंगाल	79.86	42	141.28	63	0.00	0
28.	दिल्ली	53.50	2	62.64	1	40.03	1
29.	केन्द्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़	0.00	0	1.00	1	0.00	0
	कुल	1080.25	413	1472.00	555	150.00	10

विवरण VI

वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक सिंथेटिक सतह बिछाने के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2003-04		2004-05		2005-06	
		जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0	20.00	1	0.00	0
2.	हरियाणा	30.00	1	0.00	0	0.00	0
3.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
4.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0	0.00	0	0.00	0
5.	कर्नाटक	0.00	0	0.00	0	0.00	0
6.	मध्य प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	महाराष्ट्र	50.00	1	15.00	1	0.00	0
8.	मणिपुर	0.00	0	0,00	0	0.00	0
9.	उड़ीसा	0.00	0	50.00	1	0.00	0
10.	पंजाब	0.00	0	0.00	0	0.00	0
11.	तमिलनाडु	0.00	0	65.00	1	0.00	0
12.	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0.00	0	150.00	3
13.	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0.00	0	0.00	0
14.	दिल्ली	20.00	1	0.00	0	0.00	0
15.	चंडीगढ़	0.00	0	0.00	0	0.00	0
16.	झारखंड	100.00	1	0.00	0	0.00	0
	कुल	200.00	4	150	4	150.00	3

[अनुवाद]

नए चिकित्सा महाविद्यालय

2954. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य में नए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) दल ने प्रस्तावित नए सरकारी महाविद्यालयों का दौरा किया है;

(ग) इन्हें स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं;

(घ) तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्य सरकारों से वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान आज तक नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्वीकृति के लिए राज्यवार और वर्षवार कितने आवेदन प्राप्त हुए; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान उनमें से कितने चिकित्सा महाविद्यालयों को स्वीकृति दी गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) अगस्त, 2006 में तमिलनाडु सरकार की ओर से एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें तमिलनाडु के विल्लुपुरम में नए चिकित्सा महाविद्यालय को खोलने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति मांगी गई है। तकनीकी मूल्यांकन के लिए इस आवेदन पत्र को भारतीय चिकित्सा परिषद को भेज दिया गया है। भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जाना अभी बाकी है।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करना, भारतीय चिकित्सा परिषद के विनियमों में निर्धारित मानदण्डों का आवेदक द्वारा पूरा किया जाने, आधारभूत ढांचे एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता और केन्द्र सरकार को भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिशों पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों से वर्ष 2005 और 2006 के दौरान अगस्त माह में नए चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के लिए निम्नलिखित आवेदन प्राप्त हुए:

		2005*	2006*
		1	2
1.	आंध्र प्रदेश	1	–
2.	छत्तीसगढ़	1	–

		1	2
3.	कर्नाटक	1	–
4.	मध्य प्रदेश	–	1
5.	तमिलनाडु	1	1
6.	उत्तर प्रदेश	1	–
7.	उत्तरांचल	1	–

उपर्युक्त में से 2006-07 के शैक्षिक वर्ष के लिए स्वीकृत चिकित्सा महाविद्यालयों की राज्य-वार संख्या निम्नलिखित है:

1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	छत्तीसगढ़	1
3.	कर्नाटक	–
4.	मध्य प्रदेश	–
5.	तमिलनाडु	1
6.	उत्तर प्रदेश	1
7.	उत्तरांचल	–

*ये प्रस्ताव एक वर्ष पहले प्राप्त किये गये हैं और इन प्रस्तावों के लिए स्वीकृति आगामी वर्ष की 15 जुलाई तक प्रदान की जानी है।

लाइट हाउसों का विकास

2955. श्री सुव्रत बोस: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार क्रूज पोतों के जरिए पर्यटकों की रूचि के दर्शनीय स्थलों के रूप में लाइट हाउसों का विकास करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय तटों के इर्द-गिर्द कितने लाइट हाउस हैं और नये लाइट हाउसों को किन-किन स्थानों पर विकसित किया जाएगा; और

(घ) इन लाइट हाउसों का विकास कब तक किये जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय तट पर कुल 169 दीप-स्तंभ हैं। निम्नलिखित स्थानों पर वर्ष 2008-2009 तक 12 नए दीप-स्तंभ स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं:

कर्नाटक तट: (1) कुन्डापुर (2) टाडरी (3) होनावर; आंध्र प्रदेश-तट (4) इस्कापल्लीपलम (5) रेवापत्तन; उड़ीसा-तट: (6) चिल्का; लक्षद्वीप-तट: (7) मिनीकाय का उत्तर-पूर्व छोर; अंडमान और निकोबार-तट: (8) एब्ज आईलैंड (मायाबन्दर के पास) (9) चिड़िया टापू (10) सिस्टर आईलैंड (11) केप एडिनबर्ग आईलैंड; और (12) ट्राइज आईलैंड।

[हिन्दी]

उच्च विकास दर के लाभ

2956. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दर्ज की गई उच्च विकास दर से आम आदमी के हितों की पूर्ति हो रही है;

(ख) क्या गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों द्वारा बढ़ी हुई विकास दर का लाभ उठाने का पता लगाने हेतु कोई विश्लेषण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) भारत में गरीबी का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा लगभग पांच वर्षों में एक बार किये जाने वाले उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। उपभोक्ता व्यय के एनएसएस द्वारा 55वें और 61वें दौर के पिछले दो सर्वेक्षण क्रमश: 1999-2000 और 2004-05 में किये गये थे। जैसाकि ग्यारहवीं योजना के प्रारूप दृष्टिकोण पत्र में बताया गया है, एनएसएस के 61वें दौर के अनंतिम उपभोक्ता व्यय आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुपात वर्ष 2004-05 में लगभग 22 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है जिसमें मिश्रित रिकाल अवधि (एमआरपी) जिसमें पांच गैर खाद्य मदों अर्थात् वस्त्र, जूते, टिकाऊ वस्तुओं, शिक्षा और संस्थागत चिकित्सा व्यय के लिए उपभोक्ता आंकड़े 365 दिन की रिकाल अवधि से एकत्र किये जाते हैं और शेष मदों के लिए उपभोग के आंकड़े 30 दिन की रिकाल अवधि से एकत्र किये जाते हैं, का प्रयोग किया जाता है। इसकी स्थूल रूप से (किन्तु पक्की तरह

नहीं) वर्ष 1999-2000 के गरीबी आकलनों से तुलना की जा सकती है जो कि 26.1 प्रतिशत है। इस प्रकार दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (वर्ष 2002-03 से 2006-07) के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों पर उच्च आर्थिक विकास दर के प्रभाव उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

विसंदूषण किट

29.7. श्री नवीन जिन्दल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) ने एक पोर्टेबल व्यक्तिगत विसंदूषण किट डिजाइन और विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या यह किट आम जनता के लिए डिजाइन की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक बाजार में लाये जाने की संभावना है और इसका अनुमानित मूल्य कितना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) ने एक सुवाह्य कार्मिक विसंदूषण किट (पीपीडीके) अभिकल्पित और विकसित की है।

(ख) पीपीडीके का डिजायन विकिरण से संबधित किसी आपात स्थिति में प्रभावित लोगों पर से बाह्य संदूषण को दूर करने के लिए तैयार किया गया है। इसकी नलिकाकार संरचना में हवा भरी/निकाली जा सकती है और इस पूरी प्रणाली को चार व्यक्तियों द्वारा 20 मिनट में स्थापित/पैक किया जा सकता है। यह प्रणाली बैटरियों, इन्वर्टरों और पम्पों से सुसज्जित है ताकि यह बिजली की आपूर्ति के बिना भी काम कर सके। इसके लिए पानी की आपूर्ति की आवश्यकता होती है जिसे प्रथम उपयोगकर्त्ताओं को मुहैया कराना होता है। यह लगभग 3 से 4 मिनट के अंदर किसी एक व्यक्ति को विसंदूषित कर सकती है और इसका डिजायन इस प्रकार से तैयार किया गया है कि इसकी सहायता से एक समय में एक व्यक्ति को विसंदूषित किया जा सकता है। सम्पूर्ण पीपीडीके को आठ रकसैकों में पैड करके उसका परिवहन किया जा सकता है। इन पैकेजों का कुल भार 150 किलोग्राम हैं।

(ग) जी, हां। पीपीडीके का डिजायन सार्वजनिक प्रक्षेत्र में बुनियादी विसंदूषण सेवाएं प्रदान करने के लिए इसे सुवाह्य बनाने की दृष्टि से तैयार किया गया है। तथापि, इस समय विभिन्न परमाणु प्रतिष्ठानों में विसंदूषण सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(घ) पीपीडीके पहले से काम में लाई जा रही है और इसका उपयोग सार्वजनिक प्रक्षेत्र में जब और जैसे आवश्यक हो किया जा सकता है। ऐसी कई सुविधाएं तैयार की जा रही हैं और इन्हें किसी आपात-स्थिति से निबटने के लिए देश के विभिन्न स्थलों पर स्थापित किया जाएगा। यह भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा देश में बनाए गए 18 आपातकालीन अनुक्रिया केन्द्रों में शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाएगी। एक पूरी पीपीडीके की कीमत 4.00 लाख रुपए है।

[हिन्दी]

गुजरात में ग्राम दूरभाष केन्द्र

2958. श्री जीवाभाई ए. पटेल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक गुजरात के मेहसाणा जिले में काम कर रहे ग्राम दूरभाष केन्द्रों की ब्लाक-वार संख्या कितनी है;

(ख) कितने ग्राम दूरभाष केन्द्र एक महीने से खराब पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) गुजरात में ब्लाक प्रणाली के स्थान पर तालुका प्रणाली व्यवहार में है। मेहसाणा जिले में कार्यरत ग्रामीण एक्सचेंजों की तालुका-वार संख्या निम्नलिखित है:

राजस्व तालुका का नाम	ग्रामीण एक्सचेंजों की संख्या
मेहसाणा	15
विसनगर	8
बीजापुर	8
काडी	16
बेचराजी	6
ऊंझा	9
सतियासाना	7
खेरालू	6
वाडनगर	7

(ख) गुजरात में कोई भी टेलीफोन एक्सचेंज एक महीने से खराब नहीं हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल टावर

2959. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री वी.के. दुम्मर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यू.एल.एल. टावरों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ क्या लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किये गये;

(ग) बीएसएनएल किन कारणों से इन लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रहा;

(घ) क्या सरकार ने इन कार्यों की कोई समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गत दो वर्षों अर्थात् 2004-05 और 2005-06 के दौरान 185 वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) टावर संस्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तथापि, इस लक्ष्य को 2006-07 में प्राप्त किया जा सका है। लक्ष्य प्राप्त करने में विलंब उपस्करों की प्राप्ति समय से न हो पाने के कारण हुआ।

(घ) और (ङ) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जा रही है ताकि आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों से खेल प्रतिभाएं तलाशने हेतु तंत्र

2960. श्री के.एस. राव: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण भारत के प्रत्येक क्षेत्र में कितने प्रतिशत युवा जनसंख्या है;

(ख) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में खेल प्रतिभाओं को तलाशने और उन्हें संवारने हेतु क्या तंत्र विद्यमान है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण युवकों के बीच विभिन्न खेलों को लोकप्रिय बनाने हेतु समन्वित नीतिगत तरीके बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) वर्ष 2001 तक राज्यवार ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत से संबंधित विवरण संलग्न है।

(ख) ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में खेल प्रतिभाओं को खोज निकालने व उन्हें पुष्ट करने के लिए वर्तमान तंत्र इस प्रकार है:

(1) 'स्कूलों में खेल-कूदों के संवर्धन की योजना' के तहत जिसका लक्ष्य विद्यालयों में खेलों के मानदंडों में सुधार करना तथा अंतर विद्यालय स्पर्धाओं में भाग लेने को प्रोत्साहन देना है।

(2) खेल-कूदों को व्यापक आधार देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी हुई प्रतिभा को दृढ़ निकालने के लिए ग्रामीण खेल कार्यक्रम। इस योजना के दो उपघटक है अर्थात पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण खेल टूर्नामेंटों का आयोजन तथा खेल-महोत्सवों का आयोजन।

(3) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.) जैसी भारतीय खेल प्राधिकरण की योजना के माध्यम से जहां स्कूलों को आवासीय प्रशिक्षण तथा गैर-आवासीय प्रशिक्षण दोनों ही आधार पर अपनाया जाता है।

(ग) और (घ) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवस्थापनाओं की कमी को देखते हुए, युवाओं के विकास के लिए आंतरिक गतिविधियों तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी खेलों में प्रतिभा की खोज करने व उसे पुष्ट करने दोनों ही रूप में किशोरों की बड़ी संख्या तक पहुंचने के उद्देश्य से मंत्रालय पंचायत युवा खेल अभियान की योजना प्रारंभ करने पर विचार कर रहा है। इस योजना के संबध में राज्य सरकारें तथा संबंधित पणधारियों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

विवरण

राज्यवार ग्रामीण युवा जनसंख्या के प्रतिशत के संबंध में विवरण: भारतीय की जनगणना 2001

राज्य	ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत (आयु 15-35 वर्ष
1	2
जम्मू व कश्मीर	36.5
हिमाचल प्रदेश	37.3
पंजाब	37.4
चंडीगढ़	50.4
उत्तरांचल	34.7
हरियाणा	36.9
दिल्ली	41.7
राजस्थान	33.6
उत्तर प्रदेश	33.1
बिहार	32.9
सिक्किम	39.3
अरुणाचल प्रदेश	34.7
नागालैंड	39.7
मणिपुर	39.8
मिजोरम	36.4
त्रिपुरा	38.3
मेघालय	34.7
असम	37.5
पश्चिम बंगाल	37.5
झारखंड	33.8
उड़ीसा	36.9
छत्तीसगढ़	34.0
मध्य प्रदेश	34.5
गुजरात	37.1
दमन व दीव	54.8
दादरा व नगर हवेली	41.1
महाराष्ट्र	35.7
आंध्र प्रदेश	37.6
कर्नाटक	37.4
गोवा	42.1
लक्षद्वीप	37.0
केरल	37.6
तमिलनाडु	38.2
पांडिचेरी	40.4
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	41.5

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों का बनाना

2961. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों का बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभी तक क्विलोन बाइपास के तीसरे और चौथे चरण का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। केरल राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 47 और राष्ट्रीय राजमार्ग 17 की संपूर्ण लंबाई को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

चरण-2 (उत्तर-दक्षिण महामार्ग) और चरण-3 के अंतर्गत चार लेन का बनाने का प्रस्ताव है।

(ग) से (च) चार लेन का बनाने के लिए क्विलोन (कोल्लाम) बाइपास के तीसरे और चौथे चरण का निर्माण कार्य निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3क में शामिल किया गया है और इसे 2009 में पूरा करने का लक्ष्य है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।

मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा

2962. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसायटी प्रोग्राम के अंतर्गत मोतियाबिंद के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और शल्य चिकित्सा शामिल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेष रूप से मुम्बई और महाराष्ट्र में उक्त कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस प्रकार होगा;

(घ) मुंबई में मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा में कौन-कौन से प्रमुख गैर-सरकारी संगठन क्रियाशील हैं; और

(ङ) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान मुंबई और महाराष्ट्र में ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसायटी प्रोग्राम की सहायता से गैर-सरकारी संगठनों द्वारा लगाये गये मोतियाबिंद के कैंपों और किये गये आप्रेशन का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मोतियाबिंद के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना एवं शल्य चिकित्सा करना एक अनुमोदित क्रियाकलाप है। 10वीं योजना में 211.00 लाख मोतियाबिंद आपरेशन के लक्ष्य की तुलना में अब तक देश में लगभग 206.62 लाख आपरेशन किये गये हैं।

(ग) 10वीं योजना में सहायता की अनुमोदित पैटर्न के अनुसार महाराष्ट्र राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम समान रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) मुम्बई में एनपीसीबी के तहत मुख्य गैर-सरकारी संगठन (एनजीओएस) मोतियाबिंद आपरेशन कार्य में लगे हुए है:

1. युवक प्रतिष्ठान, मुंबई।
2. के.बी. हाजी बचूली आई हास्पिटल, पारेल।
3. लायन करतार सिंह हास्पिटल, अंधेरी (प.)।
4. के.जे. सोमैय्या एवं अनुसंधान केन्द्र, साइन।
5. बी.एस.ई.एस., एम.जी. हास्पिटल, अंधेरी (प.)।
6. हीरा मोंगी नवनीत हास्पिटल/श्री प्रगति फाउन्डेशन, मुलुण्ड (प.)।

(ङ) दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटी की सहायता से गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किये गये मोतियाबिंद आपरेशन के वर्षवार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

वर्ष	मोतियाबिन्द आपरेशन	
	मुम्बई	महाराष्ट्र
2003-04	5811	78350
2004-05	7114	100761
2005-06	5615	124816

सौरमंडल से प्लूटो को बाहर करना

2963. श्री एम. अप्पादुरई: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व के खगोलशास्त्रियों ने 'प्लूटो' ग्रह को सौर मंडल से बाहर कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय खगोलशास्त्री उक्त राय से सहमत हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (घ) प्लूटो को अब तक एक लघु ग्रह के रूप में पुन: वर्गीकृत किया गया है। चूंकि अन्य तारकों के आस-पास जाने से नए पिंडों का पता चल रहा है, इसलिए खगोलशास्त्रियों ने महसूस किया कि इन पिंडों को ग्रह पुकारने अथवा इन्हें किसी अन्य श्रेणी में रखने के संबंध में निर्णय करने हेतु एकसमान मानदण्ड होना

चाहिए। इस मानदंड के उदाहरणों के अनुसार किसी ग्रह को गोले का आकार धारण करने के लिए उसमें पर्याप्त गुरुत्व बल होना चाहिए तथा ग्रह और उसके उपग्रह, यदि कोई हो तो, इनका भारकेन्द्र ग्रह के अन्दर होना चाहिए। चूंकि प्लूटो इन मानदंडों को पूरा नहीं करता है, अत: इसे अब ग्रह नहीं पुकारा जाता है और इसे एक लघु ग्रह का नाम दिया गया है।

इंटरनेशनल एस्ट्रोनोमिकल यूनियन (आई.ए.यू.) ने अगस्त 24, 2006 को प्राग में आयोजित अपनी आम सभा की बैठक में उपर्युक्त पुन:वर्गीकरण किया। इस आम सभा की बैठक में भारतीय दल भी उपस्थित था।

आय में अन्तर

2964. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र की आय में अन्तर बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में किये गये/किये जाने वाले सुधारात्मक उपाय क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) समूची अर्थव्यवस्था और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रकों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि में अन्तराल अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रकों के तीव्र विकास और कृषि क्षेत्रक में वृद्धि दर की धीमी गति के कारण बढ़ा है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुमानों के अनुसार दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों (2002-03 से 2005-06) में जीडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि दर (1999-2000 के मूल्यों पर) समूची अर्थव्यवस्था के संबध में 7.1% की तुलना में कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों के मामले में 1.9% थी।

(ग) कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए उठाये गये प्रमुख उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- कृषि का उच्च मूल्य की फसलों में विविधीकरण,
- पशुधन, मत्स्य पालन आदि पर बल,
- गहन अनुसंधान प्रयासों के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाना,
- फसल गहनता बढ़ाने के लिए जल संसाधन विकास,
- वर्षा सिंचित क्षेत्रों में जलसंभर विकास पर ध्यान केन्द्रित करना,
- कृषि इनपुटों की डिलीवरी में सुधार,
- न्यूनतम समर्थन मूल्य-तंत्र का प्रावधान,
- विपणन सुधार और विपणन एवं अन्य फसलोत्तर अवसंरचना का सुधार,
- कृषि ऋण की व्यापक पहुंच (आउटरीच) का विस्तार; और
- प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों का संवर्धन।

तहलका पर फूकन आयोग की रिपोर्ट

2965. श्री जार्ज फर्नान्डीज: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को तहलका पर फूकन आयोग की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह रिपोर्ट किस तारीख को प्राप्त हुई थी;

(ग) रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) रिपोर्ट सभा के समक्ष कब तक प्रस्तुत की जाएगी जैसाकि कानून के अंतर्गत अपेक्षित है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (घ) सरकार ने दिनांक 4 फरवरी, 2004 को प्राप्त फूकन आयोग की आंशिक रिपोर्ट दिनांक 13.5.2005 को सदन के दोनों पटलों पर रख दी गई है।

एसएसीएफए द्वारा मंजूरी

2966. श्री काशीराम राणा:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आज की तिथि के अनुसार मंजूरी के लिए स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी फार फ्रिक्वेंसी एलोकेशन (इंडिया) के समक्ष कोई आवेदन लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लम्बित आवेदनों को मंजूरी देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन के लिए स्थायी सलाहकार समिति एसएएफए (भारत) के सदस्यों नामत: विमानपत्तन प्राधिकरण, रक्षा, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पुलिस, अंतरिक्ष, रेलवे, इत्यादि द्वारा "अनापत्ति"/"अभिमत" प्राप्त होने के बाद बेतार संस्थापनों के लिए स्थलों पर विचार करके उन्हें मंजूरी दी जाती है। हाल के वर्षों के दौरान मोबाइल टेलीफोन और अन्य बेतार दूरसंचार नेटवर्कों के अपूर्व विकास के परिणामस्वरूप, एसएसीएफए मंजूरी के लिए लगातार बड़ी संख्या में आवेदन दिये जा रहे हैं और इनका नियमित रूप से निबटारा किया जा रहा है।

(ग) समय-समय पर "आनलाइन" तथा "स्पैशल क्लीयरेंस ड्राइव्स" के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने/उन पर कार्रवाई करने सहित ऐसे आवेदनों को शीघ्र मंजूर करने हेतु अनेक उपाय किये गये हैं। इस समय, 1 जुलाई, 2006 के बाद प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई चल रही है।

उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास कार्यक्रम

2967. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर-पूर्व क्षेत्र के युवकों के लिए उत्तर-पूर्व परिषद द्वारा समर्थित और प्रायोजित किये जा रहे प्रशिक्षण दक्षता उन्नयन और श्रम शक्ति विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या असम में एक पायलट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके स्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसकी स्थापना कब तक हो जाएगी?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) पूर्वोत्तर परिषद ने इंस्टीच्यूट आफ टूरिज्म एंड फ्यूचर मैनेजमेंट ट्रेंड (आई.टी.एफ.टी.), चंडीगढ़ में प्रशिक्षण के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र से 2653 व्यक्तियों को प्रायोजित किया है। इस पाठ्यक्रम में एयरलाइन और पर्यटन प्रबंधन में बी.एस.सी., सेवा उद्योग प्रबंधन और एयरलाइन्स, पर्यटन और आतिथ्य प्रबंधन में एम.एस.सी. और सेवा उद्योग प्रबंधन में 3 माह का प्रशिक्षण शामिल है। एनईसी ने उच्च व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए एनईआर के छात्रों को वित्तीय सहायता और पुस्तक अनुदान भी प्रदान किया है। वर्ष, 2005-06 तक इस कार्यक्रम के तहत 4575 से अधिक छात्रों को वित्तीय सहायता दी गई है।

(ख) से (घ) इस मंत्रालय के बजट में पायलट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का कोई प्रावधान नहीं है। एनईसी की 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप दिया जाना शेष है।

विदेशों से वापस आ रहे छात्र

2968. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे कुछ प्रतिभावान छात्रों में विदेशों से वापस आने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अनुसंधान और विकास कार्य हेतु उनकी प्रतिभा का उपयोग करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खेलों के स्टैण्डर्ड में सुधार

2969. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार खेलों के स्टैण्डर्ड में सुधार के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या उपरोक्त धनराशियों का उपयोग खेल संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) 31 मार्च, 2005 तक, मंत्रालय संबंधित योजनाओं के मार्गनिर्देशों के अनुसार समय-समय पर प्राप्त होने वाले विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, शैक्षिक संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों को विभिन्न प्रकार के खेल अवस्थापना की स्थापना के लिए और उपस्करों आदि की उपलब्धि के लिए सहायता प्रदान कर रहा था। तथापि, 1.4.2005 से ये योजनाएं राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई थी। अत: किसी नई परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा धन नहीं दिया जा रहा है किंतु 10वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान, केवल चल रही अनुमोदित परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध देयताओं की सीमा तक धनराशि दी जाएगी। आगे योजना के अंतर्गत राज्य-वार निधि के आवंटन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, खेल अवस्थापना की योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किये गये राज्य-वार और वर्ष-वार धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाण पत्र, प्रगति रिपोर्ट/समापन प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षित लेखे आदि के प्राप्त होने पर ही खेल अवस्थापना योजनाओं के अंतर्गत धनराशि प्रदान की जाती है ताकि जिस प्रयोजन के लिए अनुदान प्रदान किया गया था उसका उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

विवरण

वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2003-2004		2004-2005		2005-06 (31.3.2006 तक की स्थिति के अनुसार)	
		जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	484.527	14	123.75	7	45.00	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	191.00	5	27.00	1	71.00	1
3.	असम	17	2	188.09	8	7.00	1
4.	बिहार	0	0	0	0	0.00	0
5.	दिल्ली	0	0	0	0	0.00	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0.00	0
7.	गुजरात	0	0	65.00	2	0.00	0
8.	हरियाणा	40.17	2	118.13	16	32.80	4
9.	हिमाचल प्रदेश	100.21	8	118.63	10	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	जम्मू-कश्मीर	26.82	18	22.50	1	0.00	0
11.	कर्नाटक	58.7	8	101.30	9	0.00	0
12.	केरल	13.01	4	1.50	1	0.00	0
13.	मध्य प्रदेश	152.27	13	115.40	6	18.00	1
14.	महाराष्ट्र	238.43	13	169.04	9	45.08	2
15.	मणिपुर	0	0	22.50	3	0.00	0
16.	मेघालय	100.11	5	234.55	5	0.00	0
17.	मिजोरम	136.32	21	30.00	1	59.59	1
18.	नागालैंड	962.46	21	115.98	12	45.00	1
19.	उड़ीसा	0.05	1	0.75	1	0.00	0
20.	पंजाब	45.00	1	0	0	0.00	0
21.	राजस्थान	25.00	2	8.72	1	23.00	1
22.	सिक्किम	0	0	0	0	0.00	0
23.	तमिलनाडु	170.36	22	81.15	13	50.52	2
24.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0.00	0
25.	उत्तर प्रदेश	46.94	3	69.23	6	83.00	4
26.	पश्चिम बंगाल	20.07	15	49.70	4	0.00	0
27.	छत्तीसगढ़	78.50	4	0	0	0.00	0
28.	झारखंड	0	0	30.00	1	0.00	0
29.	उत्तरांचल	0	0	94.80	5	0.00	0
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0.00	0
31.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0.00	0
32.	दादर व नगर हवेली	0	0	0	0	0.00	0
33.	दमन व दीव	0	0	0	0	0.00	0
34.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0.00	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0.00	0
	कुल	2906.98	182	1787.99	122	480.00	19

वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक खेल उपकरणों की खरीद और खेल मैदानों के विकास के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदान की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2003-2004		2004-2005		2005-06	
		जारी की गई राशि	स्कूलों की संख्या	जारी की गई राशि	स्कूलों की संख्या	जारी की गई राशि	स्कूलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.37	1	2.76	3	0.00	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.35	4	7.74	7	0.00	0
3.	असम	30.88	41	22.18	38	0.00	0
4.	बिहार	3.29	3	7.53	8	0.00	0
5.	छत्तीसगढ़	1.13	2	3.32	4	0.00	0
6.	दिल्ली	0.00	0	0.00	0	0.00	0
7.	गोवा	0.00	0	1.08	1	0.00	0
8.	गुजरात	2.98	4	1.42	2	0.00	0
9.	हरियाणा	43.36	59	24.17	41	0.00	0
10.	हिमाचल प्रदेश	5.72	15	10.21	14	0.00	0
11.	जम्मू-कश्मीर	3.17	3	9.64	14	0.00	0
12.	झारखंड	0.00	0	0.00	0	0.00	0
13.	कर्नाटक	16.75	26	12.10	18	0.00	0
14.	केरल	0.00	0	15.48	17	0.00	0
15.	मध्य प्रदेश	22.95	29	13.67	20	0.00	0
16.	महाराष्ट्र	51.63	58	54.19	71	8.63	27
17.	मणिपुर	3.26	5	1.48	2	0.00	0
18.	मेघालय	1.08	1	9.37	10	0.00	0
19.	मिजोरम	0.00	0	0.00	0	0.00	0
20.	नागालैंड	0.00	0	3.80	5	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	उड़ीसा	44.21	55	61.99	80	8.60	28
22.	पंजाब	2.56	3	0.63	2	0.00	0
23.	राजस्थान	25.19	29	18.76	30	0.00	0
24.	सिक्किम	0.00	0	0.00	0	0.00	0
25.	तमिलनाडु	7.65	21	3.70	6	0.00	0
26.	त्रिपुरा	0.37	1	0.40	1	0.00	0
27.	उत्तर प्रदेश	39.60	47	51.11	75	0.89	3
28.	उत्तरांचल	11.04	12	18.44	26	1.87	6
29.	पश्चिम बंगाल	77.98	106	127.15	167	0.00	0
30.	केन्द्र शासित क्षेत्र						
	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0	0.00	0	0.00	0
31.	चंडीगढ़	0.00	0	0.00	0	0.00	0
32.	दादर व नगर हवेली	0.00	0	0.00	0	0.00	0
33.	लक्षद्वीप	0.00	0	0.00	0	0.00	0
34.	दमन व द्वीप	0.00	0	0.00	0	0.00	0
35.	पांडिचेरी	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	कुल	399.63	525	482.45	662	19.99	64

वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों के संवर्धन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2003-2004		2004-2005		2005-06	
		जारी की गई धनराशि	संस्थानों की संख्या	जारी की गई धनराशि	संस्थानों की संख्या	जारी की गई धनराशि	संस्थानों की संख्या
1	2	3	4.	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	87.82	27	97.22	36	5.00	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	26.81	10	126.31	48	0.00	0
4.	बिहार	20.60	4	0.00	0	0.00	0
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0	20.70	9	0.00	0
6.	गोवा	0.00	0	2.70	1	0.00	0
7.	गुजरात	18.27	10	28.20	1	0.00	0
8.	हरियाणा	10.31	9	26.86	4	0.00	0
9.	हिमाचल प्रदेश	5.85	3	7.37	4	0.00	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0	0.00	0	0.00	0
11.	झारखंड	0.00	0	2.70	1	0.00	0
12.	कर्नाटक	39.35	35	149.87	63	12.00	1
13.	केरल	39.80	18	45.07	24	0.00	0
14.	मध्य प्रदेश	10.80	4	26.10	7	0.00	0
15.	महाराष्ट्र	197.53	98	244.15	115	20.85	2
16.	मणिपुर	25.03	3	17.80	5	0.00	0
17.	मिजोरम	10.72	4	0.00	0	0.00	0
18.	मेघालय	0.00	0	10.80	4	0.00	0
19.	नागालैंड	22.50	11	19.20	10	0.00	0
20.	उड़ीसा	83.60	40	57.98	32	0.00	0
21.	पंजाब	52.68	13	29.45	11	10.00	1
22.	राजस्थान	4.20	2	7.20	3	0.00	0
23.	तमिलनाडु	164.81	27	169.80	29	17.12	1
24.	त्रिपुरा	0.00	0	0.00	0	0.00	0
25.	उत्तर प्रदेश	101.56	41	158.65	62	45.00	3
26.	उत्तरांचल	24.60	10	16.80	8	0.00	0
27.	पश्चिमबंगाल	79.86	42	141.28	63	0.00	0
28.	दिल्ली	53.50	2	62.64	1	40.03	1
29.	केन्द्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़	0.00	0	1.00	1	0.00	0
	कुल	1080.25	413	1472.00	555	150.00	10

वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक सिंथेटिक सतह बिछाने के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2003-2004		2004-2005		2005-06	
		जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	00.00	0	20.00	1	0,00	0
2.	हरियाणा	30.00	1	0.00	0	0.00	0
3.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
4.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0	0.00	0	0.00	0
5.	कर्नाटक	0.00	0	0.00	0	0.00	0
6.	मध्य प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
7.	महाराष्ट्र	50.00	1	15.00	1	0.00	0
8.	मणिपुर	0.00	0	0.00	0	0.00	0
9.	उड़ीसा	0.00	0	50.00	1	0.00	0
10.	पंजाब	0.00	0	0.00	0	0.00	0
11.	तमिलनाडु	0.00	0	65.00	1	0.00	0
12.	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0.00	0	150.00	3
13.	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0.00	0	0.00	0
14.	दिल्ली	20.00	1	0.00	0	0.00	0
15.	चंडीगढ़	0.00	0	0.00	0	0.00	0
16.	झारखंड	100.00	1	0.00	0	0.00	0
	कुल	200.00	4	150	4	150.00	3

[अनुवाद]

दीमापुर से कोहिमा तक चार लेनों की सड़क

2970. श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दीमापुर से कोहिमा तक चार लेनों की सड़क के निर्माण को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना के संबंध में तकनीकी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं;

(ग) क्या इस कार्य के क्रियान्वयन के लिए निविदा आमंत्रित की गई हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस परियोजना के निर्माण कार्य में कब तक आरंभ और पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण-क के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 39 के दीमापुर-कोहिमा खंड को चार लेन का बनाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(ख) से (घ) जी नहीं। परामर्शदाता द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

(ङ) यह बता पाना अभी संभव नहीं है कि परियोजना का निर्माण कब शुरू हो जाएगा और कब तक पूरा हो जाएगा क्योंकि यह बीओटी (वार्षिकी) स्कीम के अंतर्गत निविदादाताओं की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 39 के दीमापुर-कोहिमा खंड को 4 लेन का कार्य लिया जा रहा है।

[हिन्दी]

दूरसंचार सेवा हेतु राज्य स्तरीय टेलीफोन सलाहकार समितियां

2971. श्री कैलाश बैठा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दूरसंचार सेवाओं में सुधार हेतु राज्य स्तरीय टेलीफोन सलाहकार समितियां (एसएलटीएसी) गठित की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति हेतु नामित व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या संसद सदस्य को उक्त समिति हेतु किसी मशहूर हस्ती को नामित करने का अधिकार है; और

(घ) यदि हां, तो जिला टेलीफोन सलाहकार समितियां (2006-08) कब तक पुनर्गठित की जाएंगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रत्येक दूरसंचार जिले हेतु दूरसंचार परामर्श समिति (टीएसी) के पुनर्गठन की पहले ही कार्रवाई जारी है तथा इन सभी दूरसंचार जिला स्तर की दूरसंचार परामर्श समितियों का पुनर्गठन दिनांक 31.3.2007 तक किये जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में फोन को बढ़ावा

2972. श्री गुंडलूर निजामुद्दीन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अगस्त, 2006 से लेकर आज तक की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में लैंडलाइन फोन और सेल वन सेल्युलर फोन को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) ने आंध्र प्रदेश (एपी) दूरसंचार सर्किल में लैंडलाइन और सेल्यूलर टेलीफोन कनेक्शनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं:

(1) भारत संचार निगम लि. के उपभोक्ताओं से घर-घर जाकर मिलने के लिए तथा उन्हें बीएसएनएल की सेवाओं और प्रशुल्क से अवगत कराने तथा सेवाओं के संबंध में उनके विचार प्राप्त करने के लिए मुहिम चलाना।

(2) टेलीफोन डिस्कनेक्शनों का एक्सचेंज-वार विश्लेषण करना तथा ऐसे उपभोक्ताओं से संपर्क करना जो शुभचिंतक हैं तथा सेवा की गुणवत्ता के बारे में जागरूक हैं।

(3) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फील्ड स्टाफ को अभिप्रेरित करना ताकि वे उपभोक्ताओं से अत्यधिक उपभोक्ता हितैषी ढंग से पेश आएं और सेवा की गुणवत्ता के बारे में चिंतन करें।

(4) हाल ही में शुरू की गयी स्कीमों, जैसे सेलवन से वन लैंडलाइन पर 10 पैसे प्रतिकाल और वन सेलवन नम्बर का विपणन।

(5) इसके अतिरिक्त, कई और स्कीमें शुरू की गयी जैसे संस्थापना प्रभार का अधित्याग, आईटीसी कार्डों का निर्गमन और ग्रामीण उपभोक्ताओं को, यदि वे निर्धारित समयावधि के लिए अग्रिम का भुगतान करने के लिए राजी हों तो उन्हें छूट देने की योजनाएं।

(6) बीएसएनएल के नियमित कार्यालय द्वारा शुरू की गयी प्रशुल्क योजनाओं के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश सर्किल में 1.8.2006 से उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई हैं:

1. 1000 लाइनों से कम क्षमता वाले एक्सचेंज सिस्टम के ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए प्लान-1200।

2. अपार्टमेन्टों के लिए सेनट्रेक्स, 3 प्लान 399, 4. प्लान-499 और 5. प्लान 899

(7) सेलवन के नये उपभोक्ताओं के लिए वेलकम किट्स दी गयी हैं और टेलीविजन और समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में नई स्कीमों के विज्ञापन भी दिये गये।

(ख) उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है और उपर्युक्त उपायों की वजह से टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या में निवल वृद्धि हुई है। लैंडलाइन टेलीफोन कनैक्शनों के डिस्कनेक्शन (फोन वापसी) में भी कमी आयी है।

दमन और दीव को निधियों का आवंटन

2973. श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव से विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वर्षवार अलग-अलग कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वर्षवार अलग-अलग कितनी निधियां आवंटित की गयीं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित निधियां उसके द्वारा अर्जित राजस्व की तुलना में काफी कम हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव हेतु निधियों का आवंटन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न शीर्षों के तहत दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र से केन्द्र सरकार द्वारा वार्षिक रूप से अर्जित कुल राजस्व संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र को केन्द्र सरकार द्वारा किये गये निधियों के आवंटन संलग्न विवरण-II और विवरण-III में दर्शाए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यकता की वित्त मंत्रालय में बजट पूर्व बैठकों में सरकार द्वारा जांच और चर्चा की जाती है तथा निधियां वास्तविक आवश्यकतानुसार आवंटित की जाती हैं।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न शीर्षों के तहत दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र से सरकार द्वारा अर्जित राजस्व के विवरण, वर्षवार

(रु. करोड़ में)

	2004-05 के लिए वास्तविक	2005-06 के लिए वास्तविक	बजट अनुमान 2006-07
	1	2	3
कर राजस्व			
भू-राजस्व	0.92	0.66	0.70
स्टाम्प एवं पंजीकरण	4.15	4.90	4.00
राज्य आबकारी	17.92	24.24	18.81

	1	2	3
बिक्री कर	93.98	151.49	86.00
वाहनों पर कर	5.50	6.22	5.60
वस्तुओं एवं व्यक्तियों पर कर	1.22	1.20	1.60
खाद्यान्नों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं प्रभार	0.00	0.00	0.01
कुल कर राजस्व	123.70	188.71	116.72
गैर कर राजस्व			
ब्याज प्राप्तियां	0.20	0.15	0.15
पुलिस	0.11	0.16	0.15
स्टेशनरी एवं मुद्रण	0.00	0.00	0.02
सार्वजनिक कार्य	0.14	0.14	0.25
अन्य प्रशानिक सेवाएं	0.14	0.14	0.15
पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों हेतु सहायता एवं वसूली	0.03	0.03	0.07
विविध सामान्य सेवाएं	0.00	0.00	0.01
शिक्षा, खेल, कला एवं साहित्य	0.09	0.12	0.15
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	0.16	0.14	0.17
जलापूर्ति एवं स्वच्छता	0.64	0.70	0.65
आवास	0.13	0.12	0.12
श्रम एवं रोजगार	0.11	0.24	0.10
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0.00	0.00	0.01
फसल	0.10	0.07	0.08
पशु पालन	0.02	0.03	0.04
मत्स्य पालन	0.04	0.04	0.06
सहकारिता	0.01	0.00	0.01
बिजली	87.25	94.36	100.00
उद्योग	0.16	0.17	0.43

	1	2	3
गैर अयस्क खनन एवं खनिज उद्योग	0.04	0.02	0.00
पत्तन एवं लाइट हाउस	0.06	0.06	0.08
सड़क एवं पुल	0.00	0.00	0.01
पर्यटन	0.83	0.85	0.70
अन्य सामान्य एवं आर्थिक सेवाएं	0.05	0.04	0.06
कुल गैर-कर राजस्व	90.29	97.60	103.47
कुल (कर+गैर कर) राजस्व	213.99	286.30	220.19

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक रूप से विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र को केन्द्र सरकार द्वारा की गई गैर योजना निधियों के आबंटन, वर्ष-वार

(रु. करोड़ में)

वस्तु शीर्ष	2004-05 हेतु वास्तविक	2005-06 हेतु वास्तविक	बजट अनुमान 2006-07
1	2	3	4
वेतन	24.90	26.19	26.88
मजदूरी	1.04	1.06	1.23
समयोपरिभत्ते	0.01	0.01	0.02
पुरस्कार	0.00	0.01	0.02
चिकित्सकीय उपचार	0.13	0.23	0.31
घरेलू यात्रा व्यय	0.35	0.43	0.52
विदेशी यात्रा व्यय	0.00	0.01	0.03
कार्यालय व्यय	5.48	4.64	4.30
किराया, दरें एवं कर	0.00	0.00	0.00
बैंकिंग, नकद लेन-देन/कर	0.00	0.00	0.02

1	2	3	4
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.01	0.01	0.02
आपूर्ति एवं सामग्रियां	1.99	1.73	1.82
अस्त्र एवं गोलाबारूद	0.09	0.13	0.10
राशन की लागत	0.00	0.00	0.01
पीओएल	0.14	0.20	0.14
वस्त्र एवं तंबू वगैरह	0.04	0.12	0.13
प्रचार एवं प्रकाशन	0.00	0.00	0.00
लघु कार्य	10.63	10.69	11.27
व्यावसायिक सेवाएं	0.01	0.01	0.01
सहायता अनुदान	5.72	6.77	7.42
सब्सिडीज	0.00	0.00	0.00
छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि	0.07	0.08	0.11
गुप्त सेवाएं व्यय	0.04	0.08	0.10
एकमुश्त प्रावधान	1.39	1.38	1.31
संदिग्ध (सस्पेंस)	0.60	0.47	0.60
अन्य शुल्क	178.24	182.87	192.59
मशीनरी एवं उपकरण	0.58	0.48	0.64
मुख्य कार्य	0.00	0.00	0.00
निवेश	0.00	0.00	0.00
ऋण एवं अग्रिम	0.00	0.00	0.00
अन्य पूंजी परिव्यय	0.00	0.00	0.00
कुल सकल बजट	231.46	237.60	249.60

विवरण III

पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक रूप से, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र को केन्द्र सरकार द्वारा की गई योजना निधियों का आवंटन; वर्ष-वार

(रु. करोड़ में)

वस्तु शीर्ष	2004-05 हेतु वास्तविक	2005-06 हेतु वास्तविक	बजट अनुमान 2006-07
1	2	3	4
वेतन	4.50	5.21	6.02
मजदूरी	0.35	0.42	0.62
समयोपरि भत्ते	0.00	0.00	0.00
पुरस्कार	0.00	0.00	0.00
चिकित्सीय उपचार	0.02	0.03	0.09
घरेलू यात्रा व्यय	0.05	0.07	0.13
विदेश यात्रा व्यय	0.00	0.00	0.00
कार्यालय व्यय	1.36	1.92	2.85
किराया, दर एवं कर	0.00	0.00	0.00
बैंकिंग, नकद लेनदेन/कर	0.00	0.00	0.01
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00
आपूर्ति एवं सामग्री	0.86	2.39	1.26
अस्त्र एवं गोला बारूद	0.00	0.00	0.00
राशन की लागत	0.00	0.00	0.00
पीओएल	0.00	0.00	0.00
वस्त्र एवं तम्बू वगैरह	0.09	0.09	0.19
प्रचार एवं प्रकाशन	0.09	0.13	0.13
लघु कार्य	0.47	0.69	0.96
व्यावसायिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00
सहायता अनुदान	4.20	4.15	5.75

1	2	3	4
सब्सिडीज	0.12	0.28	0.22
छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि	0.03	0.01	0.05
गुप्त सेवा व्यय	0.00	0.00	0.00
एकमुश्त प्रावधान	1.33	1.40	1.67
संदिग्ध (सस्पेंस)	0.00	0.00	0.00
अन्य शुल्क	2.17	2.80	3.00
मशीनरी एवं उपकरण	0.17	0.46	0.91
मुख्य कार्य	25.32	24.62	25.97
निवेश	0.13	0.19	0.26
ऋण एवं अग्रिम	0.13	0.16	0.16
अन्य पूंजी परिव्यय	11.84	13.93	13.87
कुल योजना परिव्यय	53.23	58.95	64.12

खेल उपकरणों की अनुपलब्धता

2974. श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खिलाड़ियों के पास खेल उपकरणों की अनुपलब्धता की वजह से देश में तीरंदाजी, शूटिंग और एथलेटिक्स पिछड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार/भारतीय खेल प्राधिकरण को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान उपरोक्त खेलों हेतु विदेशों से खरीदे गये खेल उपकरणों तथा उन पर खर्च धनराशि का वर्षवार और खेलवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन देशों और एजेंसियों के नाम क्या हैं जिनसे ऐसे उपकरण आयात किये गये थे तथा ऐसे आयातों पर भुगतान किये गये शुल्कों का ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) गोला बारूद की कमी के संबंध में समय-समय पर प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और आयुधों पर आयात शुल्क कम करने पर विचार किया गया है और इसे व्यवहार्य बनाया गया है।

(घ) और (ङ) भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान एथलीट, तीरंदाजी और निशानेबाजी के खेल विधाओं में कोई उपकरण आयात/खरीदे नहीं गये हैं। तथापि, भाखेप्रा द्वारा वर्ष 2005-06 और 2006-07 तारीख तक के दौरान एथलेटिक्स, तीरंदाजी और निशानेबाजी के लिए विदेशों से उपकरण के आयात/खरीद के ब्यौरे निम्नानुसार है:

निशानेबाजी 2005-2006

क्र.सं.	आयातित वस्तुएं	मात्रा	सप्लायर का नाम	मूल्य
1	2	3	4	5
1.	.22एलआरइले टेनेक्स अल्टीमेट .22एल आर इले क्लब एक्स्ट्रा (गोला बारूद)	2,00,000 6,00,000	मैसर्स इले. लिमिटेड यूके	47,49,975 रु.
2.	क्ले बडर्स	5,76,000	मैसर्स लापोर बाल ट्रैप, फ्रांस	16,11,451 रु.
3.	.32 एस एंड डब्ल्यू लांग सेंटर फायर (गोला बारूद)	2,00,000	मैसर्स नीरानियो लैंपस ओय, फिनलैण्ड	39,49,245 रु.
4.	.22एल आर इले टेनेक्स अल्टीमेट .22 एल आर इले क्लब एक्स्ट्रा (गोला बारूद)	2,00,000 6,00,000	मैसर्स इले. लिमिटेड यूके	47,49,975 रु.
5.	क्ले बडर्स	5,76,000	मैसर्स लापोर बाल ट्रैप, फ्रांस	16,11,451 रु.
6.	.32 एस एंड डब्ल्यू लांग सेंटर फायर (गोला बारूद)	2,00,000	मैसर्स नारानियो लैंपस ओय, फिनलैण्ड	39,49,245 रु.
7.	एअर राइफल एवं एअर पिस्टल के लिए एअर पेलेट्स	22,00,000	मैसर्स एच. एण्ड एन. जर्मनी	9,44,854 रु.
8.	स्पेयर पार्टस अर्थात टारगेट पेपर/रोल्स	-	मैसर्स एस.आई.यूएस एजेंसी, स्विटजरलैंड	14,35,507 रु.
9.	12 बोर गोला बारूद	17,70,000	मैसर्स बाचेरी एंड पेल्लाग्री सप्लायर एजेंसी, इटली	1,45,88,919 रु.
10.	एअर राइफल एवं एअर पिस्टल के लिए एअर पेलेट्स	22,00,000	मैसर्स एच. एण्ड एन. जर्मनी	9,44,854 रु.
11.	स्पेयर पार्ट्स (निशानेबाजी)	-	मैसर्स एस.आई.यू.एस. एजेंसी, स्विटजरलैंड	14,35,507 रु.
12.	12 बोर गोला बारूद	-	मैसर्स बाचेरी एंड पेल्लाग्री सप्लायर एजेंसी, इटली	1,45,88,919 रु.

निशानेबाजी 2006-2007

1.	.22 एल आर इले अल्टीमेट .22 एल आर इले पिस्टल एक्स्ट्रा .22 एल आर इले. पिस्टल (मैच) .22 एल आर इले. राइफल (मैच) (गोला बारूद)	1,75,000 1,05,000 20,00,000 1,65,000	मैसर्स इले. लिमिटेड यूके	00.37 करोड़ रु.

1	2	3	4	5
2.	.22 लापुआ मिदास .22 लापुआ पिस्टल किंग (गोला बारूद)	2,00,000 1,00,000	मैसर्स नारानियो लैंपस ओय, फिनलैण्ड	00.29 करोड़ रु.
3.	12 बोर गोला बारूद	3,60,000	मैसर्स बाचेरी एंड पेल्लाग्री सप्लायर एजेंसी, इटली	00.47 करोड़ रु.
एथलेटिक्स 2005-2006				
1.	जेवलिन 800 ग्राम (80 मी. एवं 70 मी.) जेवलिन 600 ग्राम 60 मी.	07 पीस प्रत्येक	मैसर्स सेल्ड इंटरनेशनल, बेल्जियम	53,880 रु.
2.	जेवलिन 600 ग्राम 60 मी. जैवलिन 600 ग्राम 60 मी.	17 नम्बर 12 नम्बर	पोलानिक, पोलैण्ड	1,05,081 रु.
एथलैटिक्स 2006-07				
1.	पोल वाल्ट्स	127 नम्बर+ सहायक उपकरण	मैसर्स यू.सी.एस., यूएसए	48,83,750 रु.
तीरंदाजी 2005-2006				
1.	तीरंदाजी उपकरण	सीट्स और सहायक उपकरण	मैसर्स यूएफएल, मलेशिया	25,84,954 रु.
2.	तीरंदाजी उपकरण	सीट्स और सहायक उपकरण	मैसर्स बिल वी एजेंसी, सिंगापुर	20,33,640 रु.

विदेश से उपरोक्त उपकरणों की खरीद के लिए कोई शुल्क भुगतान नहीं किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, उपकरणों की खरीद के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान उपकरणों की खरीद के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ को 45,11,861 रु. का अनुदान दिया गया था।

अवांछित कॉलों पर अंकुश

2975. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ताओं में अवांछित वाणिज्यिक कॉलों की बढ़ती संख्या की वजह से असंतोष बढ़ता जा रहा है जैसाकि दिनांक 21 नवम्बर, 2006 के द टाइम्स आफ इंडिया में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या टीआरएआई (ट्राई) का विचार उपभोक्ताओं को की जाने वाली इन अवांछित कॉलों पर अंकुश लगाने का है;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) अवांछित वाणिज्यिक कॉलों का मामला विभिन्न मंचों पर उठाया गया है, भारतीय दूरसंचार विनियामक, प्राधिकरण ने ''अवांछित वाणिज्यिक कॉलों'' के संबंध में 20.11.2006 को एक परामर्श पत्र जारी किया है।

सरकार ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अपने ग्राहकों संबंधी सूचना की, उनके कर्मचारियों द्वारा संभावित अनधिकृत बिक्री रोकने के लिए कड़े उपाय करने के निर्देश दिये हैं।

कुछ मोबाइल/टेलीफोन कम्पनियां अपने ग्राहकों को डू नाट डिस्टर्ब (डीएनडी) सुविधा प्रदान कर रही हैं जो एसएमएस के माध्यम से या कम्पनी की वेबसाइट से मुफ्त प्राप्त की जा सकती है।

एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

2976. श्री मनोरंजन भक्त: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार धोखाधड़ी और अपने पद के दुरुपयोग की काफी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच करवायी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यकरण को सरल व सुगम बनाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) प्राधिकरण के सतर्कता प्रभाग पूछताछ/जांच के लिए में दर्ज शिकायतों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	प्राप्त शिकायतें
2003	26
2004	41
2005	37
2006 (15.11.2006 की स्थिति के अनुसार)	24

(ग) से (ङ) जी हां। शिकायतों की जांच-पड़ताल की जाती है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

शीतल पेयों पर प्रतिबंध

2977. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका ने उन कोक और पेप्सी के लिए बराबरी के दर्जे की मांग की है जिनकी बिक्री देश के कई भागों में पूर्णत: प्रतिबंधित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या डब्ल्यू एच ओ ने भी कोका कोला के विरुद्ध अभियान का ऐतराज किया है;

(ग) क्या पेप्सी ने उर्वरक परीक्षण नहीं करवाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कोका कोला इंडिया ने सीएसई द्वारा लगाये गये आरोपों का सामना करने के लिए विज्ञापन जारी किये हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने सम्पूर्ण मामले की तह में जाने के लिए किसी जांच समिति का गठन किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस मुद्दे पर विवरण को समाप्त करने के लिए कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ज) यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सरकारी और निजी ब्लड बैंकों के बीच सांठ-गांठ

2978. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों की निजी ब्लड बैंकों के साथ सांठ-गांठ के बारे में कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एल.एन.जे.पी. अस्पताल के ब्लड बैंक के कर्मचारियों के कार्यकरण की समीक्षा की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया है;

(च) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (छ) जी, नहीं। सरकार ने सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों की निजी ब्लड बैंकों के साथ सांठगांठ होने के बारे में कोई जांच नहीं की है।

तथापि, ब्लड बैंकों की समुचित कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं और उनके अनुपालन पर जोर दिया गया है:

* राज्य औषध प्राधिकारी का औषध निरीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए ब्लड बैंक का दौरा करता है कि औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत किये गये प्रावधानों के अनुसार रक्त दान किये जाते हैं।

* राज्य रक्ताधान परिषद, ब्लड बैंक में रक्ताधान सेवाओं की समीक्षा करता है और इस प्रकार की कोई शिकायत मिलने पर राज्य औषध प्राधिकारी को तदनुसार कार्रवाई करने का सुझाव देता है।

* राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के रक्त सुरक्षा घटक के तहत स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना एक प्रमुख कार्य है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक से अधिक स्वैच्छिक रक्तदानकर्ता स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करने के लिए आगे आएं ताकि रक्त आपूर्ति की मांग को किसी भी कमी के लिए ब्लड बैंक द्वारा पूरा किया जा सके।

* औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम/नियमों में हाल ही में किये गये संशोधन के अनुसार निजी क्षेत्र में किसी एक ब्लड बैंक को संचालन के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और राज्य औषध प्राधिकारी केवल राज्य रक्ताधान परिषद की अनुशंसा पर ब्लड बैंकों को लाइसेंस जारी करेगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निवेश

2979. श्री जुएल ओराम: क्या पोत, परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगले सात वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के अंतर्गत कितनी धनराशि का निवेश किये जाने की संभावना है;

(ख) इसमें से कितनी धनराशि विभिन्न क्षेत्रों में खर्च की जाएगी; और

(ग) इसमें से कितनी धनराशि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पिछड़े जिलों हेतु निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) वर्ष 2005-06 से 2015 तक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के सात चरणों मे कार्यक्षेत्र में वृद्धि के अंतर्गत परियोजनाओं पर किया जाने वाला अनुमानित व्यय इस प्रकार है:

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का चरण	लागत (करोड़ रु.)
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना-1 (शेष कार्य)	8,811
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना-2 (शेष कार्य)	43,623
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना-3	65,197
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना-4	27,800
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना-5	41,210
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना-6	16,680
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना-7	16,680
जोड़	2,20,001

(ख) और (ग) क्षेत्रवार वितरण की अभी पुष्टि की जानी है क्योंकि यह निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की व्यावहारिकता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में स्लाई फीवर का फैलना

2980. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्लाई फीवर के कारण महामारी फैल गई है;

(ख) यदि हां, तो इस रोग के कारण कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है; और

(ग) इस रोग को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) स्वास्थ्य विशेषज्ञों को स्लाई फीवर के नाम से विख्यात किसी रोग के बारे में पता नहीं है। तथापि, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जालौन, जिले द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अगस्त, 2006 से जालौन जिले से ज्वर के 2207 रोगी थे। रक्त के 2059 नमूनों की जांच की गई। डेंगू/चिकनगुनिया के संदिग्ध रोगियों के 64 रक्त नमूने एकत्र किये गये और उनका परीक्षण के लिए भेजा गया जिनके परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। मलेरिया के 35 रोगियों का पता लगाया गया। इस अवधि के दौरान प्रभावित क्षेत्रों से 9 मौतों की सूचना दी गई।

निगरानी कार्यकलापों को सुदृढ़ करने और संचारी रोगों के निवारण और नियंत्रण के लिए प्रकोप का शुरू में ही पता लगाने को बढ़ावा देने तथा समुचित कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार ने एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम शुरू किया है। राज्य सरकार, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, जो क्षमता निर्माण और पर्यवेक्षण के लिए नोडल अभिकरण है, के साथ इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। डेंगू/चिकनगुनिया और मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय, जालौन में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। मच्छर नियंत्रण संबंधी उपाय किये गये थे और प्रभावित क्षेत्र में रोगी उपचार के लिए सचल चिकित्सा दल भी भेजे गए थे।

कोयला/लिग्नाइट ब्लाकों के आवंटन हेतु प्रक्रिया

2981. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला और लिग्नाइट ब्लाकों के आवंटन हेतु वर्तमान में क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार कोयला और लिग्नाइट ब्लाकों के आवंटन हेतु पारदर्शी खुली बोली की प्रक्रिया अपनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस बोली प्रक्रिया के अंतर्गत राज्यों को 75% उत्पादन मूल्य का भुगतान करने का भी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकारें संबंधित राज्य में उपलब्ध खनिज संसाधनों का उपयोग अपनी प्राथमिकता के आधार पर कर सकती हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कोयले के कैप्टिव खनन के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, केप्टिव खनन में रुचि दिखाने वाली विभिन्न कम्पनियों द्वारा किये गये आवेदनों पर विचार करने तथा कोयला खनन शासित करने वाली अन्य संविधियों के प्रावधानों की शर्त पर विकास के लिए कोयला ब्लाकों को आवंटित करने हेतु कोयला मंत्रालय में जांच समिति का गठन किया गया है। जांच समिति में अध्यक्ष के रूप में सचिव (कोयला), सदस्य सचिव के रूप में संयुक्त सचिव (कोयला), सलाहकार (कोयला), इस्पात मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, कमांड क्षेत्र जहां कोयला ब्लाक स्थित हैं, की कोयला कम्पनी के अध्यक्ष-सह-प्रंबध निदेशक और संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं। जांच समिति एक अन्तर-मंत्रालयी/अन्तर-सरकारी समिति है। यह अपने कार्यकरण में परामर्श और विचार-विमर्श की प्रक्रिया का पालन करती है। इसके अलावा, संभावित आवेदकों के मार्गदर्शन के लिए दिशा-निर्देश तैयार किये गये हैं। केप्टिव खनन के तहत ब्लाकों के आवंटन अन्तर-मंत्रालयी/अन्तर-सरकारी परामर्शों के माध्यम से व्यक्तिगत मामलों की मूल्यांकन मेरिटों पर आधारित हैं।

सरकारी कम्पनियों/केन्द्र और राज्य सरकारों के निगमों को ब्लाकों का आवंटन सरकारी कम्पनी प्रंबध मार्ग के द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार खान एवं खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 में संशोधन करके चयन प्रक्रिया के रूप में कैप्टिव उपयोग हेतु कोयला खनन ब्लाकों के आवंटन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली पद्धति लागू करने पर विचार कर रही है।

(घ) और (ङ) इस मामले पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(च) और (छ) खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में शामिल कोयला, लिग्नाइट तथा अन्य खनिजों के लिए खनन पट्टा राज्य सरकार द्वारा दिये जाने से पहले केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

आई.ए.एस. अधिकारियों की नियुक्ति/स्थानांतरण

2982. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आई.ए.एस. अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर राज्य के नियंत्रण को हटाने के आदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह राज्यों के अधिकारों की कटौती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके पीछे क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अथवा किसी संवर्ग पद की कार्यविधि को इस शर्त के अधीन निर्धारित करने हेतु एक अधिसूचना जारी की है कि केवल पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा दो माह से अधिक के प्रशिक्षण को छोड़कर समय-पूर्व स्थानांतरण न्यूनतम कार्यावधि संबंधी समिति अथवा राज्य सरकारों के सिवल सेवा बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर ही किया जाए।

[अनुवाद]

कोयला खान अधिनियम

2983. श्री सुरेश कलमाडी:
श्री बालेश्वर यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम को इस्पात, विद्युत और सीमेंट जैसे कतिपय रक्षित उद्योगों को सम्मेलित करने के लिए संशोधित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आपूर्ति ठेके वाले स्वतंत्र खनिकों और रक्षित खपत हेतु खान कोयले की अनुमति प्राप्त प्रयोगकर्त्ताओं को सम्मिलित करके इस संसोधन की व्याप्ति में विस्तार करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार रक्षित खनन का उदारीकरण प्रदान करके कोयला खनन में सुधार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) देश की कोयला खानें 1971-73 के दौरान दो चरणों में राष्ट्रीयकृत की गई। इस राष्ट्रीयकरण के बाद मौजूद निजी कोयला खनन पट्टे 1976 में समाप्त कर दिये गये और निजी क्षेत्र के केवल लोहा और इस्पात उत्पादकों को लोहा और इस्पात के उत्पादन हेतु केवल केप्टिव उपयोग के लिए कोयले का खनन करने की अनुमति दी गई।

विद्युत उत्पादन के प्रयोजन के लिए केप्टिव उपयोग तथा समय-समय पर अधिसूचित किये जाने वाले अन्य केप्टिव अन्त्य उपयोगों के लिए कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के उद्देश्य से कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 वर्ष 1993 में संशोधित किया गया। तत्पश्चात सीमेंट के उत्पादन के लिए केप्टिव कोयला खनन की अनुमति 1996 में जारी की गई एक अधिसूचना द्वारा दी गई थी।

(ग) से (च) विधि मंत्रालय के माध्यम से भारत के विद्वान महान्यायवादी से प्राप्त कानूनी राय पर विचार करने के बाद सरकार ने कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3(3)(क)(iii)(4) के तहत अधिसूचना जारी करने की इस शर्त पर स्वतंत्र कम्पनी द्वारा कोयला खनन की अनुमति देने का निर्णय लिया है कि सम्पूर्ण खनित कोयला विशिष्ट अन्त्य उपयोगों के लिए अन्त्य उपयोग करने वाली कम्पनी/कम्पनियों को अंतरित किया जाए। तदनुसार, कोयला ब्लाकों के आवंटन संबंधी दिशा-निर्देश संशोधित किये गये हैं और मंत्रालय की वेबसाइट पर डाले गए हैं।

जिन कुछ कम्पनियों को केप्टिव कोयला ब्लाकों की पेशकश की गई थी, उन्होंने कोयला खनन में अनुभव की कमी के आधार

पर देश में कोयला खनन करने में अनपी कठिनाइयां व्यक्त की। इन कम्पनियों द्वारा अनुभव की गई कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, स्वतंत्र खनन कम्पनियों को कोयला ब्लाकों की पेशकश करने का भी निर्णय लिया गया।

एम्स के डाक्टरों को नोटिस

2984. श्री राम कृपाल यादव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम्स, नई दिल्ली श्रम कानून के अंतर्गत नहीं आता है; और

(ख) यदि नहीं, तो पिछले हाल के दिनों में हड़ताल पर जाने वाले डाक्टरों को नोटिस जारी करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) हड़ताल पर गए डाक्टरों को नोटिस जारी किया गया क्योंकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियमन, 1999 के विनियमन 33 के अनुसार केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 के उपबंध, संस्थान के कर्मचारियों पर लागू हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से निदेश दिया है कि स्टाफ का कोई भी कर्मचारी या संकाय सदस्य किसी भी कारण से काम करना बंद नहीं करेगा या काम में विघ्न नहीं डालेगा या काम में विघ्न डालने या काम को रोकने में मदद नहीं करेगा, किसी भी प्रकार की विरोध बैठकें संस्थान की चाहरदिवारी के 500 मीटर की परिधि में आयोजित नहीं की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने भी कई अवसरों पर अस्पतालों के कर्मचारियों के हड़ताल पर नहीं जाने के संबंध में भी निदेश दिये हैं।

[हिन्दी]

एमपीलैड के अंतर्गत आवंटित और व्यय की गयी निधियां

2985. श्री टेक लाल महतो: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान झारखंड में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) के अंतर्गत आवंटित और व्यय की गयी निधियों का जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) कितनी योजनाओं को अभी भी क्रियान्वित किया जाना शेष है और प्रस्तावों के अनुसार शेष परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित निधियों का ब्यौरा क्या है तथा इन कार्यों को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार झारखंड में इस योजना के अंतर्गत लम्बित परियोजनाओं को पूरा करने हेतु एकमुक्त धनराशि जारी करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) झारखंड में पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्वाचन क्षेत्रवार जारी की गई और व्यय की गई निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सां.स्था.क्षे.वि.यो. के अंतर्गत, सांसदों द्वारा कार्यों की अनुशंसा जिला प्राधिकारियों को की जाती है, जो स्वीकृति एवं क्रियान्वयन के लिए कार्यों की जांच करते हैं। अनुशंसित और स्वीकृत कार्यों का ब्यौरा केन्द्र स्तर पर नहीं रखा जाता और यह केवल जिला प्राधिकारियों के पास उपलब्ध होता है। इस मंत्रालय को केवल अनुशंसित, स्वीकृत, पूर्ण, कार्यों की संख्या और लागत, वास्तविक व्यय इत्यादि जैसी मेक्रो लेवल की कुल सूचना प्राप्त होती है। जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार योजना के आरंभ से 30.11.2006 तक सांसदों द्वारा 19457 कार्यों की अनुशंसा की गई है, जिला प्राधिकारियों द्वारा 16429 कार्य स्वीकृत किये गये हैं और 15216 कार्य पूर्ण किये गये हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। निधि सां.स्था.क्षे.वि.यो. संबंधी दिशा-निर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार जारी की जाती है जो राज्य में लंबित परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए एकमुश्त राशि जारी करने की अनुमति नहीं देते।

विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	स्वीकृत/जारी निधि और व्यय					
		2003-04		2004-05		2005-06	
		जारी	वास्तविक व्यय	जारी	वास्तविक व्यय	जारी	वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
लोक सभा							
1.	छतरा	300	257.4	100	122.9	200	297.6
2.	धनबाद	200	193.9	100	295.9	300	109.0

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	दुमका	400	74.5	200	494.0	100	99.0
4.	गिरिडीह	200	172.8	100	182.5	200	208.1
5.	गोडा	800	939.3	200	95.4	200	211.5
6.	हजारीबाग	300	197.3	100	395.1	200	194.1
7.	जमशेदपुर	200	130.6	200	276.5	200	155.5
8.	खूंटी	300	186.6	100	0	300	803.9
9.	कोडरमा	400	285.9	100	419.6	200	39.3
10.	लोहरदगा	300	24.7	100	564.8	300	41.6
11.	पलामू	200	221.3	100	199.8	200	182.7
12.	राजमहल	200	278.7	100	314.2	300	226.9
13.	रांची	200	169.8	100	0	200	0
14.	सिंहभूम	200	298.7	100	122.6	300	118.5
	कुल	4200	3431.5	1700	3483.3	3200	2687.7
राज्य सभा							
1.	अज मारू	0	0	200	247.7	100	20.0
2.	देवदास आप्टे	300	67.9	100	294.6	200	74.2
3.	आर.के. आनन्द	100	79.1	100	289.7	200	243.2
4.	एस.एस. अहलूवालिया	0	0	100	0	200	123.9
5.	यशवंत सिन्हा	0	0	100	0	100	50.5
6.	अभय कांत प्रसाद	100	0	100	149.4	100	104.1
7.	पी.के. अग्रवाल	250	111.0	250	502.4	0	94.2
	कुल	750	158.0	950	1483.8	900	710.1

पिछड़े वर्गों हेतु पर्यवेक्षण समिति

2986. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्री संतोष गंगवार:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए स्थानांतरण पर्यवेक्षण समिति की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस रिपोर्ट को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। पर्यवेक्षण समिति ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए खाका तैयार करने से संबंधित अपनी अंतिम रिपोर्ट दिनांक 30.9.2006 को प्रस्तुत कर दी है।

(ग) और (घ) पर्यवेक्षण समिति की सिफारिश मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है। इसमें शामिल वित्तीय परिव्यय के प्रावधान को उक्त मंत्रालय के 11वीं योजना प्रस्तावों में शामिल किया जा रहा है। उस मंत्रालय ने संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को शीघ्र अनुमोदन प्रदान करने के लिए दो अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया है। हालांकि, कुछ सिफारिशों का पहले ही कार्यान्वयन किया जा रहा है जबकि कुछ अन्य पर अभी तक कार्यान्वयन शुरू नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

बल्क कैरियर की दुर्घटना

2987. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में जापान में काशिमा-पत्तन के निकट एक बल्क कैरियर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटना में कितने भारतीयों की मौत हुई और कितने लापता हुए;

(ग) प्रभावित परिवारों को अब तक दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा शेष प्रभावित परिवारों को मुआवजे देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) कर्मी-दल के आठ भारतीय सदस्यों की मृत्यु हो गई है और कर्मी-दल के दो भारतीय सदस्य अभी भी लापता हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त दुर्घटना से प्रभावित कर्मियों के परिवारों को उपर्युक्त पोत के स्वामी के स्थानीय/जापान पी एंड आई क्लब द्वारा मुआवजे का भुगतान करने की प्रक्रिया 6 महीने के भीतर पूरी कर दिये जाने की आशा है। नौवहन-महानिदेशालय के कार्यालय के एक वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी ने उपर्युक्त दुर्घटना के घटित होने के तुरंत बाद उसकी जापान में संयुक्त रूप से छानबीन में एक पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया।

राजस्व का घाटा

2988. श्रीमती सुष्मिता बाउरी:
श्री सुनील खां:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) द्वारा सस्ते "सी" ग्रेड कोयले की धुलाई की व्यवस्था करने में असफल रहने और बायलर खपत हेतु स्टील ग्रेड कोयले के निरंतर अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण राजस्व का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) जी, हां। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित बेगुनिया कोलियरी में इस्पात ग्रेड कोयले का उत्पादन हो रहा है और ग्रेड "सी" कोयला झारखंड राज्य में स्थित बसंतीमाता एवं दहीनारी कोलियरी में उत्पादित किया जाता है। इस प्रकार बेगुनिया कोलियरी में बायलर के खपत के प्रयोजनार्थ "सी" ग्रेड कोयला अन्तर्राज्यीय सीमा में लाकर नदी को पार कर बहीबारी/बसंतीमाता कोलियरी से लाया जाता है जिसमें एक तरफ की 30 कि.मी. की दूरी तय करनी होती है। टिप्परों और ट्राइवरों जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण झारखंड के बीसीसीएल क्षेत्र में स्थित खानों से "सी" ग्रेड कोयले की धुलाई व्यवहार्य नहीं थी।

इसके अलावा, माल की अन्तर्राज्यीय आवाजाही से जुड़ी समस्याओं के कारण प्रचलित दूरी स्लेब दर पर ठेकेदार ऐसी थोड़ी मात्रा (17.5 मीट्रिक टन प्रतिदिन) की धुलाई करने में इच्छुक नहीं थे। इसे ध्यान में रखते हुए "सी" ग्रेड कोयले की धुलाई हेतु उचित दर तय करने के प्रयोजनार्थ प्रबंधन ने निविदा प्रक्रिया अपनायी। तथापि, ठेकेदार द्वारा दी गई दर अत्यधिक थी जिसे प्रबंधन स्वीकार न कर सका और अन्ततः निविदा रद्द कर दी गई। इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए इस्पात ग्रेड के कोयले का उपयोग किया गया परन्तु यह कोर क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसलिए प्रबंधन अपने बायलरों में खपत को कम करने का प्रयास कर रहा है, तथा अन्त में विक्टोरिया वेस्ट कोलियरी

में कार्य को आस्थगित करने के बाद टिप्परों की उपलब्धता में सुधार के साथ ही ब्यालर खपत के प्रयोजनार्थ "सी" ग्रेड कोयले की विभागीय ढुलाई अप्रैल, 2004 से शुरू की गई।

इस प्रकार, लागत के लाभ के बावजूद बायलर में इस्पात ग्रेड के कोयले के उपयोग को अन्त में अप्रैल, 2004 से रद्द कर दिया गया है और अब बायलर में केवल "सी" ग्रेड का कोयला उपयोग में लाया जा रहा है।

[हिन्दी]

जल पंचायतों का गठन

2989. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भूमिगत जल कोयला के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु देश की सभी पंचायतों में जल पंचायतें गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार उन पंचायतों के क्या नाम हैं जिन्हें इस प्रयोजनार्थ चुने जाने की संभावना है;

(घ) इस योजना के शुरू किये जाने के पश्चात् भूमिगत जल की कितनी अतिरिक्त मात्रा की बचत किये जाने की संभावना है;

(ङ) इस योजना पर अनुमानित कितना व्यय होने की संभावना है; और

(च) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) भू-जल स्कीम के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु जल पंचायतें गठित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जल पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यकता तथा रूपात्मकता पर विचार राज्य सरकारें करेंगी।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों के नवीकरण और रख-रखाव हेतु धनराशि

2990. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के आवधिक नवीकरण और रख-रखाव हेतु आवश्यक पर्याप्त धनराशि प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय राजमार्गों के आवधिक नवीकरण और रख-रखाव हेतु राजस्थान राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि मांगी गई और केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ङ) उक्त प्रयोजन हेतु धनराशि के आवंटन हेतु इस समय अपनाये जा रहे आधार/मानदंड क्या हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा शेष धनराशि कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए धनराशि का आवंटन मानकों के अनुसार अपेक्षित धनराशि का लगभग 40 प्रतिशत है। धनराशि में यह कमी राजस्थान सहित सभी राज्यों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आवंटन में दिखायी देती है।

(घ) जून, 2004 में राजस्थान सरकार ने राज्य सरकार को दिये गये 4422 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों के चार वर्षों के लिए सुधार और अनुरक्षण हेतु 1395 करोड़ रु. वित्तीय आवश्यकता का एक अनुरोध भेजा था जिसमें से 435.00 करोड़ रु. आवधिक नवीकरण और मरम्मत कार्य के लिए थे। तथापि, धनराशि के सीमित होने के कारण राज्य सरकार के राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत कार्यों (इनमें आवधिक नवीकरण कार्य भी शामिल हैं) के लिए 2004-05 से अब तक आबंटन 168.68 करोड़ रु. है जिसके ब्यौरे इस प्रकार हैं:

वर्ष	आवंटन करोड़ रु.
2004-05	53.11
2005-06	54.99
2006-07	60.58
योग	168.68

(ङ) राजस्थान में अनुरक्षण और मरम्मत कार्यों के लिए धनराशि का आवंटन, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, क्षति की मात्रा, धनराशि की समग्र उपलब्धता आदि के आधार पर की जाती है।

(च) धनराशि के सीमित होने के कारण कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

[अनुवाद]

निजी पार्टियों को दवाइयों की बिक्री

2991. श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर:
श्री शिशुपाल एन. पटले:
प्रो. महादेव राव शिवनकर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी अस्पतालों को आपूर्ति की गयी दवाओं को कथित रूप से निजी पार्टियों को बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में किसी ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस संबध में कोई जांच समिति गठित की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या उपाय कये गये हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (च) दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सूचित किया है कि निम्नलिखित मामले उनके द्वारा पंजीकृत किए गए हैं:

वर्ष	मामलों की संख्या
2003	2
2004	1
2005	3
2006	3

जहां तक केन्द्र सरकार के अस्पतालों अर्थात सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पतालों का संबंध है, ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं है।

[हिन्दी]

योजनाओं का विलयन/समापन

2992. श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शून्य आधारित बजटीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है अथवा उनका अन्य योजनाओं के साथ विलय कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 हेतु घोषित योजनाओं के साथ विलय की गई ऐसी परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या चालू वर्ष हेतु घोषित योजनाओं का विलय करने का भी प्रस्ताव किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले वर्ष हेतु घोषित परियोजनाओं/योजनाओं का विलय और उन्हें समाप्त करने के क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) शून्य आधारित बजट प्रक्रिया (जेडबीबी) को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। आंतरिक योजना आयोग (आईपीसी) की दिनांक 18.11.2005 को आयोजित बैठक में इस मामले पर निम्नलिखित निर्णय लिया गया था:

"आंतरिक योजना आयोग ने केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों (सीएसएस के अतिरिक्त) को कवर करने के लिए और संसाधनों के पुन: प्राथमिकीकरण को सुकर बनाने के लिए तथा विकास प्रयास के समेकन हेतु शून्य आधारित बजट (जेडबीबी) प्रक्रिया के कार्य क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए वित्त मंत्री के सुझाव पर विचार किया था। विचार-विमर्श के पश्चात् आंतरिक योजना आयोग ने यह अनुभव किया कि वार्षिक योजना 2006-07 के लिए जेडबीबी प्रक्रिया करना संभव नहीं है क्योंकि यह दसवीं योजना का अंतिम वर्ष है। तथापि, योजना आयोग को केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जेडबीबी के अंतर्गत कवर करना चाहिए। सभी योजना स्कीमों को कवर करने हेतु प्रभावी रूप से जेडबीबी प्रक्रिया करने के लिए दिशा-निर्देशों का सुझाव देने का भी निर्णय लिया गया था।"

[अनुवाद]

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन

2993. श्री रनेन बर्मन: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया है ताकि विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं अथवा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन सीधे पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप क्या फल प्राप्त हुए हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि विभिन्न केन्द्रीय स्कीमें अथवा केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें, विशेषकर संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मदों से संबंधित स्कीमें जिनकी आयोजना तथा कार्यान्वयन संविधान के भाग-IX तथा IX-ए के अनुच्छेद 243 जेड-डी के साथ पठित अनुच्छेद 243-जी के प्रावधानों के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्षत: किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को इन स्कीमों को आयोजना तथा कार्यान्वयन के लिए ''मुख्य प्राधिकरण'' के रूप में घोषित किया जाए। अब तक प्राप्त परिणामों को पंचायतों की स्थिति—एक मध्यकालीन समीक्षा तथा मूल्यांकन रिपोर्ट जिसे दिनांक 23.11.2006 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया है, में सूचीबद्ध किया गया है।

रोगियों के रक्त के नमूनों को डायग्नोसिस हेतु भेजना

2994. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में डेंगू/चिकनगुनिया के हाल में प्रसार के दौरान रोगियों के रक्त के नमूनों को डायग्नोसिस हेतु पुणे/दिल्ली भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रक्रिया से रोग की पहचान करने और रोगियों के समुचित और तत्काल चिकित्सा में अत्यधिक विलंब होता है;

(घ) क्या सरकार का विचार अलपुझा विरोलॉजी इंस्टीट्यूट में उक्त प्रयोजन हेतु सुविधाओं का उन्नयन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। केरल राज्य ने चिकनगुनिया बुखार की आशंका वाले रोगियों के रक्त के 250 नमूने राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली और राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान, पुणे को भेजे थे। इनमें से 38 नमूने सीरमविज्ञानीय रूप से चिकनगुनिया वायरस के लिए पॉजीटिव पाए गए। चिकनगुनिया की जांच के लिए रक्त नमूने राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली और राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान, पुणे भेजे गए क्योंकि इस राज्य में नैदानिक जांच किटों की व्यावसायिक उपलब्धता नहीं थी। डेंगू बुखार की जांच के लिए केरल राज्य में जिला स्तर के सभी अस्पतालों में नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) जी, नहीं। चिकनगुनिया बुखार का इलाज लक्षण के आधार पर किया जाता है, और इसलिए, आशंका वाले रोगियों को एंटी-पायरेटिक और एनालजेसिक प्रदान किए गए।

(घ) से (च) जी, हां। सरकार ने डेंगू एवं चिकनगुनिया बुखार की उन्नत जांच (एडवांस डायग्नोसिस) के लिए 12 शीर्ष रेफरल संस्थानों में से एक के रूप में राज्य विषाणुविज्ञान संस्थान अलप्पूजा, केरल को निर्धारित किया है। उपरोक्त रोगों के लिए उन्नत जांच सुविधाओं हेतु संस्थान की आवश्यकताओं का मूल्यांकन राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान, पुणे द्वारा किया जा रहा है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों की उपलब्धियां

2995. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इस सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं: (1) अस्पताल सेवा परामर्शी निगम (एच.एस.सी.सी.) (इंडिया) लिमिटेड (2) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड (एच.एल.एल.) और (3) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटीकल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.एम.पी.सी.एल.)। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ब्यौरे-वार कार्यकरण और उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है:

1. **एच.एस.सी.सी. (आई.) लिमिटेड:** एच.एस.सी.सी. (आई.) लिमिटेड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जिसको वर्ष 1983 में 0.40 करोड़ रुपये (इस समय 1.60 करोड़ रुपये) की प्रदत्त पूंजी से स्थापित किया गया था। निम्नलिखित परियोजनाएं एच.एस.सी.सी. की चल रही प्रमुख परियोजनाएं हैं जो परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रही हैं:

(1) 193 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शिलांग, मेघालय में स्थित पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान हेतु स्नातकोत्तर संस्थान सहित 500 बिस्तरों वाला अतिविशेषज्ञता वाला अस्पताल और आवासीय परिसर;

(2) 114 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय जैविक पदार्थ संस्थान, नोएडा के लिए प्रयोगशाला और पशु गृह का निर्माण;

(3) 54 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बीर अस्पताल काठमांडू के लिए 200 बिस्तरों वाला आपाती और अभिघात केन्द्र;

(4) 24 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के लिए दन्त-चिकित्सा महाविद्यालय;

(5) 37 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान;

(6) 12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से हुडा, गुड़गांव;

(7) 5.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद, नोयडा इस कम्पनी के स्वास्थ्य परिचर्या के क्षेत्र के कार्यनिष्पादन और योगदान को स्वीकार किया गया है और कम्पनी को विभिन्न पुरस्कार प्रदान किये गये हैं। एच.एस.सी.सी (आई.) लिमिटेड ने वर्ष 2005-06 में कम्पनी के इतिहास में 26.30 करोड़ रुपये की धनराशि से अब तक का सबसे अधिक कारोबार किया है। क्राइसिल-इंडिया टुडे सर्वे द्वारा अपने मार्च, 2005 के प्रकाशन ने इस कम्पनी को सबसे अच्छी 5 लघु रतन कम्पनियों की श्रेणी में रखा है। स्कोप द्वारा जनवरी, 2006 में वर्ष 2003-04 में इस कम्पनी को सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन लघु सार्वजनिक उद्यम श्रेणी में एक सर्वोत्कृष्ट और उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 'सिल्वर ट्राफी' भी प्रदान की गई है। भारतीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्था ने भी मई, 2006 में एच.एस.सी.सी. (आई) लिमिटेड द्वारा किये गये उत्कृष्ट प्रयासों के लिए "उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन पुरस्कार" प्रदान किया है।

अपने कार्यों में विविधता लाने की दृष्टि से कम्पनी ने विभिन्न संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं। स्वास्थ्य परिचर्या के क्षेत्रों में परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के क्षेत्रों में अंतिम उपयोगकर्त्ता (एन्ड यूजर) को सबसे अच्छे संभव हल प्रदान करने के लिए जून, 2005 में सर एडवर्ड डनलप अस्पताल (इंडिया) लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं। झारखंड में स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए सुविधाएं स्थापित करने के लिए टर्न-की परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए जून, 2005 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, झारखंड सरकार के साथ एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को इसकी विभिन्न भावी परियोजनाओं के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए सितम्बर, 2005 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ एक तीसरे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

कम्पनी ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निम्नलिखित परियोजनाएं भी शुरू की हैं:

(1) 7.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एन.ई.आई.जी.आर.आई.एच.एम.एच., शिलांग में हार्डवेयर, साफ्टवेयर, नेटवर्किंग और प्रशिक्षण सहित टर्न-की साल्यूशन की व्यवस्था;

(2) 5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से राज्य औषध नियंत्रण कार्यालयों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन का कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग;

(3) 40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के लिए साफ्टवेयर साल्यूशन और सेवाओं के विकास और कार्यान्वयन हेतु परामर्शी सेवाएं।

2. हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड (एचएलएल)

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकार के स्वामित्व वाला एक पूर्ण केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसे वर्ष 1966 में मैसर्स ओको मोटो इन्डस्ट्रीज, जापान, मैसर्स फिलिसिंग एन्टरप्राईजिज इन्क और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से प्रौद्योगिकी सहित गर्भनिरोधकों और स्वास्थ्य परिचर्या उत्पादों के निर्माण और बिक्री करने के लिए स्थापित किया गया था। कम्पनी की अधिकृत पूंजी 20 करोड़ रुपये और प्रदत्त अंश पूंजी 15.53 करोड़ रुपये है।

230 मिलियन नगों (24.70 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय) की वार्षिक क्षमता से त्रिवेन्द्रम में कन्डोम संयंत्रों की क्षमता का विस्तार कार्य शुरू किया जा चुका है और कम्पनी ने कनागला संयंत्र में बल्क ड्रगों (सेंटकोमन) और फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्माण करने की सुविधा चालू कर दी है। कम्पनी एक बहुयूनिट संगठन बन गया है जो मानवता के सामने आने वाली विभिन्न जन स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों पर ध्यान दे रही है। कई प्रकार के नए उत्पादों और सामाजिक कार्यक्रमों से हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड का दर्शन ''स्वस्थ पीढ़ियों के लिए नव परिवर्तन'' है। कम्पनी ने सीधे विपणन के लिए एक सुदृढ़ वितरण बुनियादी ढांचा स्थापित किया है। कम्पनी के उत्पादकों को आधे मिलियन रिटेल आउटलेटों के जरिये 1 लाख से अधिक गांवों में वितरित किया जाता है और उत्पादों को 70 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है। कम्पनी ने योजनाबद्ध सामाजिक बदलावों को सृजित करने के उद्देश्य के साथ सामाजिक क्षेत्र कार्यकलाप परियोजनाएं विशेष रूप से आरसीएच के क्षेत्रों में कार्यान्वित करने, महिला सशक्तिकरण, और एचआईवी रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यकलापों के उद्देश्य से एक दशक पूर्व प्रोफिट आर्गेनाइजेशन हिन्दुस्तान लेटेक्स फेमिली प्लानिंग प्रोमोशन ट्रस्ट के लिए एक समूह का गठन किया। इस समय यह अन्तर्राष्ट्रीय दाता एजेंसियों और भारत सरकार से प्राप्त 120 करोड़ रुपये से अधिक के अनुदान के साथ 20 से अधिक परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

हाल ही में कम्पनी को 'उत्कृष्ट'' आंका गया है। कम्पनी की सभी फैक्ट्रियों में ब्लड बैग/कण्डोम के लिए आईएसओ-9002 सोई प्रमाण-पत्र दिया गया है और इसके अकूलम संयंत्र, पेरूरकाडा संयंत्र और वेलगांव संयंत्र के लिए इसे आईएसओ-14001 प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं। सतत रूप से लाभांश प्रकट करते हुए एचएलएल एक लाभ अर्जित करने वाली कम्पनी है। 2004-05 के दौरान इनका टर्न ओवर 19620.00 लाख था और निवल लाभ (टेक्स के बाद) 1807.79 लाख था। इसी प्रकार 2005-06 के दौरान इसका टर्न ओवर 21288.58 लाख था और निवल लाभ (टेक्स के बाद) 2063.88 लाख था।

एचएचएल ने पिछले 2 वर्षों के दौरान बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं अर्थात् 2004 में मध्य पूर्व में अपना प्रिमियम ब्रैंड कण्डोम ''मूड्स'' और ''महिला कण्डोम'' आरम्भ किया, ''कोन्सेप'' एक गर्भनिरोधक क्रीम आरम्भ की जिसने सर्वोच्च टर्नओवर रिकार्ड किया। वर्ष 2004-05 के दौरान लाभ 18.81 करोड़ रुपये एवं टर्नओवर 162.54 करोड़ रुपये। समझौता ज्ञापनों का लक्ष्य प्राप्त करने के आधार पर टोप टेन सीपीएसयू में आने पर भारत के प्रधान मंत्री से समझौता ज्ञापन पुरस्कार प्राप्त किया, जुलाई, 2005 में निदेशकों के संस्थान की तरफ से राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार प्राप्त किया, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से नेशनल सेफ्टी इनोवेशन पुरस्कार प्राप्त किया, कम्पनी के पेरूरकाडा संयंत्र ने अपनी प्रभावशाली व्यवसायी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए ओएचएसएएस-18001 प्रमाण-पत्र प्राप्त किया, अच्छे निर्यात कार्यनिष्पादन के लिए केपेक्सिल निर्यात पुरस्कार प्राप्त किया, हैदराबाद में लाइफ स्प्रिंग अस्पताल शुरू किया, आईसीडब्ल्यूएआई की तरफ से लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया और भारत सरकार की तरफ से दूसरी बार हिंदी कार्यान्वयन के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार (द्वितीय) भी प्राप्त किया।

3. इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड

आईएमपीसीएल का गठन 7 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये की क्रमशः प्राधिकृत शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल के साथ हुआ है और यह 1982-83 से कार्य कर रहा है एवं 1986-87 से इसने प्रोफिट अरनिंग ट्रेन्ड स्थापित किया है। यह कम्पनी सीजीएचएस, सरकारी विभागों, राज्य सरकारों, खुले बाजारों आदि को गुणवत्ता वाली आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाइयों की आपूर्ति करती है। उत्पादन कार्यकलाप मैनुअल एवं मशीनी दोनों तरह से किये जाते हैं।

सीजीएचएस आदि द्वारा गुणवत्ता वाली दवाईयों की खरीद में आने वाली मुश्किलों को देखते हुए भारत सरकार को अपने नियंत्रणाधीन निर्माता यूनिट रखने की आवश्यकता महसूस हुई और तदनुसार इस कम्पनी के उत्पादों की आपूर्ति मुख्य रूप से केन्द्र सरकार के अस्पतालों और देश भर में केन्द्र सरकार की अनुसंधान यूनिटों (सीजीएचएस, सीसीआरएएस, सीसीआरयूएम, ईएसआई,

आदि) और साथ ही कुछ राज्यों/संघ क्षेत्र सरकारों के संबंधित विभागों को की जाती है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा जांच की गई मूल्य सूची के आधार पर सीजीएचएस के साथ खरीद अनुबंध 5 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात वित्त वर्ष 2007-08 तक पुन: नवीकृत किया गया है। कुल आयुर्वेदिक उत्पाद-185 और यूनानी 95 और 2003-04 से 2005-06 के दौरान बिक्री क्रमश: लगभग 456 लाख रुपए, 622 लाख रुपए और 840 लाख रुपये थी। इस कम्पनी ने आयुष विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। यह एक 'मिनी रत्न' कम्पनी है। इस कम्पनी ने आधुनिकीकरण कार्यक्रम आरम्भ किया है और अपनी उत्पादन क्षमता को विशिष्ट रूप से उन्नत किया है।

[हिन्दी]

कोयला आयात करने वाली कम्पनियां

2996. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कोयले का आयात करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या कोयले के आयात पर कुछ कम्पनियों का कथित रूप से एकाधिकार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) सरकार कोयले का आयात नहीं करती है। चूंकि कोयला खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत है, उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के आधार पर कोयले का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। अत: कोयले के आयातों पर कोई एकाधिकार नहीं है।

[अनुवाद]

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण

2997. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के कार्य को ठेकेदारी द्वारा कराया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत असमतल सड़कों का निर्माण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत यातायात के निर्बाध प्रवाह के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सड़क मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नेहरू युवक केन्द्र संगठन परियोजना

2998. श्री देविदास पिंगले: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान नेहरू युवक केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) ने महाराष्ट्र के नासिक जिले में कोई नई परियोजना स्वीकृत की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए क्या मानदंड अपनाये गये;

(घ) क्या नेहरू युवक केन्द्र संगठन ने महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में स्थानीय संसद सदस्य की सिफारिश पर भी विचार किया जाता है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान नियमित कार्यक्रमों के तहत नेहरू युवा केन्द्र, नासिक को कई परियोजनाओं के लिए संस्वीकृति दी थी जिसका विवरण संलग्न है।

(ग) नियमित कार्यक्रम के तहत गतिविधियां नेहरू युवा केन्द्रों की दो श्रेणियों अर्थात सामान्य क्षेत्र तथा बहुमूल्य क्षेत्र के अंतर्गत बांटी गई हैं।

(घ) नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने नियमित कार्यक्रमों के तहत वर्ष 2004-05 व 2005-06 के दौरान, नेहरू युवा केन्द्र नासिक को 4 व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संस्वीकृति दी थी। इसके अलावा, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने युवा गतिविधियों व प्रशिक्षण के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की योजना के तहत वर्ष 2005-06 के दौरान 23,24,475 रु. के संशोधित बजट के साथ नेहरू युवा केन्द्र, नासिक के एक व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना की संस्वीकृति दी थी।

(ङ) और (च) जिला युवा कार्यक्रम समिति में स्थानीय सांसदों को विशेष आमंत्रित व्यक्तियों के रूप में सम्मिलित किया गया है जो जिले में युवा विकास कार्यक्रमों की आयोजना तथा कार्यान्वयन में नेहरू युवा केन्द्र की सलाह व सहायता देने का कार्य करती है।

विवरण

नेहरू युवा केन्द्र संगठन के नियमित कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	2004-05		2005-06	
		कार्यक्रमों की संख्या	कुल बजट	कार्यक्रमों की संख्या	कुल बजट
1	2	3	4	5	6
1.	जागरूकता अभियान	3	12,000	3	14,550
2.	युवा क्लब विकास कार्यक्रम	3	23,450	3	28,125
3.	व्यावसायिक प्रशिक्षण				
	(1) दीर्घकालिक	2	20,000	2	20,000
	(2) अल्पकालिक	2	10,000	2	10,000
4.	स्वरोजगार परियोजनाओं में प्रशिक्षण	–	–	1	25,937
5.	कार्यशिविर	3	24,430	3	28,125
6.	खेल संवर्धन कार्यक्रम				
	(1) खेल सामग्री की खरीद	–	–	–	10,000
	(2) ब्लॉक टूर्नामेंट	–	–	3	9,000
	(3) जिला टूर्नामेंट	3	15,000	1	7,000
7.	कार्यशाला और सेमिनार	1	4,000	2	5,000
8.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	3	12,000	–	–
	(ब्लाक सांस्कृतिक उत्सव)			3	12,000
	(जिला सांस्कृतिक उत्सव)			1	8,000

1	2	3	4	5	6
9.	राष्ट्रीय युवा दिवस, सप्ताह तथा पुरस्कारों सहित राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के आयोजन	12	13,000	15	13,000
10.	जिला स्तरीय युवा सम्मेलन	–	–	1	6,000
11.	साहस संवर्धन कार्यक्रम	2	12,000	2	12,000
12.	स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित कार्यक्रम	1	20,000	1	20,000
	कुल जोड़	35	1,64,860	43	2,28,737

कोयले की तौल

2999. **श्री चन्द्रशेखर दूबे:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के गेवरा/दीपिका क्षेत्र में लदाई के तत्काल बाद कोयला खान आमुख पर कोयले की तौल करने हेतु क्या प्रबंध किये गये हैं;

(ख) उक्त कार्य को पूरा करने हेतु निर्धारित समय-सीमा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान और आज तक साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के गेवरा/दीपिका क्षेत्र के कोयला खान आमुख क्षेत्र से लादे जा रहे कोयले की मात्रा का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) इस समय साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल) के गेवरा/दीपिका क्षेत्र में लदान के तत्काल बाद मुहाने पर कोयले को तौलने की कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, प्रेषण से पहले कोयले को तौलने की पद्धति है।

(ख) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा यह जानकारी दी गई है कि दीपिका और गेवरा ओसीपी के खदान स्थलों पर तोलसेतु एक वर्ष के भीतर स्थापित किये जाने की संभावना है।

(ग) चूंकि गेवरा/दीपिका में मुहाने पर लादे गये कोयले की तौल की कोई व्यवस्था/पद्धति नहीं है, क्रासिंग संयंत्रों के निकट रेल तोलसेतुओं या सड़क तोलसेतुओं के द्वारा कोयले को क्रासिंग करने के बाद वास्तविक माप की जाती है। प्रेषित नहीं किये गये किन्तु जमीन पर पड़े कोयले की मात्रा पर डम्पर के ट्रिप कारक के आधार पर भी विचार किया जाता है। मुहाने पर कोयले के उत्पादन और लदान के प्रयोजन के लिए प्रेषित और पड़े कोयले की मात्रा पर विचार किया जाता है। इसलिए, उपर्युक्त तरीके से प्रति टन लादे गये कोयले की मात्रा निम्नवत है:

(मात्रा टन प्रतिदिन में)

2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (5 दिसम्बर, 2006 तक)
गेवरा ओसीपी			
60794.44	72658.33	73510.61	73700.82
दीपिका ओसीपी			
37955.56	42761.11	49830.56	48654.62

मोनोजाइम किट्स

3000. श्री सुनील खां: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोनोजाइम किटों से रक्त चढ़ाने से बच्चों सहित कुछ व्यक्तियों की मौतें हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं। मोनोजाइम किटों के कारण संदूषित रक्ताधान से बच्चों सहित किसी भी व्यक्ति के मरने की कोई सूचना नहीं है।

तथापि, घटिया किटों की आपूर्ति के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर पश्चिम बंगाल राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा जांच की गई और कोलकाता पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं। इस समय यह मुद्दा न्यायाधीन है।

पश्चिम बंगाल राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी से प्राप्त शिकायत को ध्यान में रखते हुए सभी राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को निदेश दिया गया है कि वे मोनोजाइम इंडिया लिमिटेड से खरीद करने संबंधी प्रस्तावों, यदि कोई हो, को निरस्त कर दें और निर्धारित दिशानिर्देशों एवं प्रक्रियाओं का समुचित अनुपालन करें। इसके अतिरिक्त, औषध महानियंत्रक (भारत) को इस विषय की जांच करने और नियमों के तहत समुचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। सभी राज्यों को देश के राज्यों/संघ क्षेत्रों में रक्त बैंकों में की जाने वाली नैदानिक जांचों के लिए खरीद प्रक्रिया, किटों एवं संबंधी उपभोज्यों के प्रयोग और रखे गए रिकार्डों संबंधी आवश्यक जांच करने के बारे में कहा गया है।

[हिन्दी]

जड़ी-बूटियों का निर्यात

3001. श्री हरिकेवल प्रसाद:
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश से कितने मूल्य की जड़ी-बूटियों का निर्यात किया गया है;

(ख) उन देशों के क्या नाम हैं जिन्हें उक्त जड़ी-बूटियों का निर्यात किया गया था;

(ग) सरकार द्वारा प्रसंस्कृत जड़ी-बूटियों के निर्यात के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार को इस दिशा में कितनी सफलता मिली है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) फार्मेक्सिल से प्राप्त सूचना के अनुसार देश से निर्यात की गई जड़ी-बूटियों का मूल्य निम्नानुसार है:

वर्ष	मूल्य (लाख रु. में)
1.4.2003 से 31.3.2004 तक	51,655
1.4.2004 से 31.3.2005	72,681

(ख) भारत से संयुक्तराज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, आयरलैंड, अन्य यूरोपीय देशों, रूस, यू.ए.ई., चीन और पाकिस्तान आदि देशों को जड़ी-बूटियों का निर्यात किया जाता है।

(ग) और (घ) आयात करने वाले देशों में आयुष उत्पादों के अधिकाधिक निबंधों के द्वारा निर्यात में वृद्धि करने के प्रयास किये जा रहे हैं। वाणिज्य विभाग विदेशों में उत्पादों का निबंधन करने हेतु बाजार प्रवेश प्रारंभन स्कीम के अंतर्गत निर्यात संवर्धन परिषदों को वित्तीय सहायता देता है। वाणिज्य विभाग व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता/विक्रेता बैठकों, व्यापार शिष्टमंडलों आदि जैसे क्रियाकलापों के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) के माध्यम से उद्योग और व्यापार को बाजार विकास सहायता के तहत भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

किये गये प्रयासों से वर्ष 2004-05 के दौरान उससे गत वर्ष की अपेक्षा जड़ी-बूटियों के निर्यात में 40.7 प्रतिशत वृद्धि करने में सहायता मिली है। वर्ष 2003-04 में निर्यातांक 51,655 लाख रु. से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 72,861 लाख रु. हो गए हैं।

[अनुवाद]

नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान द्वारा कराए जाने वाले कोर्स

3002. श्री हितेन बर्मन: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटियाला स्थित नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान द्वारा अवर-स्नातक, स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्सों को कराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कोर्सों के क्या नाम हैं और इनके अर्हता मानदंड क्या हैं तथा इनकी अवधि कितनी होती है एवं इनके लिए कितना शुल्क इत्यादि लिया जाता है;

(ग) क्या प्रत्येक कोर्स में प्रवेश हेतु आरक्षण दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कोर्सवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या संस्थान द्वारा कराये जाने वाले कोर्स रोजगारोन्मुखी होते हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या ऐसे अन्य संस्थान भी हैं जोकि भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संस्थानवार इनमें कौन-कौन से कोर्स कराये जाते हैं उनके लिए अर्हता के क्या मानदंड हैं; इन कोर्सों की अवधि कितनी है तथा इनके लिए कितना शुल्क लिया जाता है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनएसएनआईएस), पटियाला द्वारा आयोजित पूर्वस्नातक, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	पाठ्यक्रम	फीस
1	2	3	4	5
1.	प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	6 सप्ताह	10+2 योग्यता खेलों में प्रवीणता 20-40 वर्ष आयु	पूरी अवधि के लिए 5000 रु.
2.	स्पोर्ट्स कोचिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम	11 सप्ताह	स्नातक और सीनियर राष्ट्रीय/अखिल भारतीय विश्वविद्यालय/अखिल भारतीय विभागीय चैम्पियनशिपों में दो बार सहभागिता आयु 20-35 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता 10+2 है जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए छूट है। सीनियर राष्ट्रीय/अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय/ पूर्वोत्तर राज्य खेल महोत्सव में सहभागिता। आयु: उच्चतम आयु (38 वर्ष) में तीन वर्ष की छूट	बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए कुल फीस 24630 रु. रोजगाररत उम्मीदवारों के लिए कुल फीस 30680 रु. विदेशी उम्मीदवारों के लिए कुल फीस 38930 रु.

1	2	3	4	5
3.	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, स्पोर्ट्स कोचिंग (पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला से संबद्ध) एम.एस.सी.	2 वर्ष	स्नातक+राष्ट्रीय खेल संस्थान स्पोर्ट्स कोचिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, अधिकतम आयु 45 वर्ष	दो वर्ष की पूरी अवधि के लिए 43350 रु.
4.	खेल औषधि में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (बाबा फरीद विश्वविद्यालय-स्वास्थ्य विज्ञान, फरीदकोट)	2 वर्ष	एम.बी.बी.एस.	पूरे पाठ्यक्रम के लिए 2630 रु.

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, हां। उम्मीदवारों के पास देश में भारतीय खेल प्राधिकरण, राज्य सरकारों के खेल विभागों, विभिन्न खेल नियंत्रण बोर्डों, विश्वविद्यालयों, कालेजों और खेल क्लबों में रोजगार के अवसर हैं।

(छ) और (ज) एन.एस.एन.आई.एस. की अकादमिक शाखाएं बंगलौर और कोलकाता में हैं। बंगलौर अकादमिक शाखा एथलेटिक्स, हॉकी, बालीवॉल, खो-खो/कबड्डी, टेनिस, सॉफ्टबॉल, तैराकी और ताईक्वांडों में सर्टीफिकेट कोर्स व डिप्लोमा कोर्स आयोजित कर रही है तथा कोलकाता अकादमिक शाखा एथलेटिक्स, तीरंदाजी, मुक्केबाजी और फुटबाल में सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स आयोजित कर रही है। इनकी अवधि, पात्रता प्रक्रिया और फीस नेताजी शुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला में आयोजित कोर्सों के समान ही है।

इसके अतिरिक्त, भाखेप्रा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एल.एन.सी.पी.ई.), तिरुवनंतपुरम (केरल) में निम्नलिखित पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	पाठ्यक्रम	फीस
1.	शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.ई.)	3 वर्ष	10+2 योग्यता	18000 रु. प्रति वर्ष
2.	शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.पी.ई.)	2 वर्ष	बी.पी.ई.	18000 रु. प्रति वर्ष
3.	स्वास्थ्य और फिटनेस प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष	बी.पी.ई.	25000 रु. प्रति वर्ष
4.	पी.एच.डी. कार्यक्रम	3 वर्ष	एम.पी.ई.	विश्वविद्यालय मानकों के अनुसार

[हिन्दी]

बच्चों के नेत्रों की देखभाल हेतु योजना

3003. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बच्चों के नेत्रों की देखभाल हेतु एक प्रायोगिक योजना शुरू की है/शुरू किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बच्चों के नेत्रों की देखभाल करने हेतु शहरों/ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता

नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दृष्टिदोष का पता लगाने के लिए स्कूल के विद्यार्थियों की जांच करना दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। स्कूल के विद्यार्थियों को 3.10 लाख चश्में प्रदान करने का लक्ष्य है।

(ग) और (घ) हालांकि, भारत में बाल्यावस्था दृष्टिहीनता का पता लगाने के लिए जनसंख्या आधारित कोई भी राष्ट्रीयकृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है, फिर भी कुछ स्थानों से राज्यवार व्याप्तता दर प्रदर्शित करने वाले आंकड़े उपलब्ध हैं जैसे आंध्र प्रदेश (0.61/1000), पश्चिम बंगाल (0.51/1000) और दिल्ली (1/1000)।

बेरोजगारी में बढ़ोत्तरी

3004. श्री सुशिल कुमार महतो:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उत्पादकता में गिरावट के कारण बेरोजगारी में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 और 2004-05 के दौरान श्रम उत्पादकता में वार्षिक वृद्धि 3.10% अनुमानित की गई है। तथापि, बेरोजगारी जो वर्ष 1999-2000 में 2.78% थी, वह भी सामान्य सिद्धांत स्थिति आधार पर वर्ष 2004-05 में बढ़कर 3.06% हो गई है। बेरोजगारी में यह वृद्धि श्रम उत्पादकता में कमी के कारण नहीं हुई है।

(ग) देश में बेरोजगारी कम करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदा दृष्टिकोण-पत्र में और अधिक कार्य अवसरों के सृजन का लक्ष्य है। अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन, श्रम गहन क्षेत्रकों जैसे खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा उत्पाद, फुटवियर, कपड़ा और सेवा क्षेत्रक जैसे पर्यटन, निर्माण इत्यादि में किया जाएगा।

[अनुवाद]

भारतीय नौवहन उद्योग की बाधाओं को दूर करना

3005. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्याज दर संबंधी राजसहायता एवं कार्गो संबंधी सहायता के रूप में सरकार के समर्थन की कमी और बैंकों से वित्तपोषण प्राप्त करने में कम पहुंच के कारण भारतीय नौवहन-उद्योग में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय नौवहन उद्योग की बाधाओं को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार, अन्य उपायों के साथ-साथ निम्नलिखित उपायों के माध्यम से भारतीय पोत परिवहन उद्योग को सम्पुष्ट करती आ रही है:

(1) सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नियंत्रित जहाजी माल के आयात के संबंध में भारतीय ध्वज से युक्त जलयानों हेतु जहाजी माल से संबंधित सहायता जुटाने के माध्यम से;

(2) सभी प्रकार के आयात को "पोत तक नि:शुल्क" के आधार पर अंतिम रूप दिये जाने की सरकार की नीति का पालन किया जा रहा है;

(3) चार्टरिंग की नीति के अनुसार, इनकार कर देने का पहला अधिकार कीमत से संबंधित कोई वरीयता (तरजीह) दिये बिना किसी उपयुक्त भारतीय जलयान के स्वामी को दिया जाता है;

(4) भारतीय तट पर एक पत्तन से दूसरे पत्तन के बीच जहाजी माल और यात्रियों का परिवहन (संचलन), भारतीय ध्वज से युक्त जलयानों द्वारा किया जाना आरक्षित है;

(5) सरकार ने पोत-परिवहन उद्योग के संबंध में वर्ष 2004-2005 से, निगमित कर के स्थान पर, टन भार कर का चलन आरंभ कर दिया है, जिसने उपर्युक्त उद्योग को लाभान्वित किया है।

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की विदेश में तैनाती

3006. श्री बृज भूषण शरण सिंह: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी बड़ी संख्या में हमेशा देश से बाहर ही तैनात रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे अधिकारियों और उनके बच्चों को देश के सामाजिक-आर्थिक भौगोलिक राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी नहीं होती;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय विदेश सेवा में सभी अधिकारियों की विदेशों में क्षेत्रवार तैनाती के अवसर और भारत में उनकी तैनाती सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो अपनी सेवा की अधिकतर अवधि के दौरान भारत से बाहर तैनात रहे तथा उनके नाम क्या हैं, वे किन-किन देशों में तैनात रहे तथा प्रत्येक देश में उनकी तैनाती की अवधि क्या रही?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंद शर्मा): (क) से (ङ) इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के संवर्ग के अनेक पद विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों में अवस्थित है, किसी भी समय भारतीय विदेश सेवा के अनेक अधिकारी विदेशों में तैनात किये जाते हैं। हालांकि, किसी अधिकारी विशेष को हमेशा विदेश में तैनात नहीं किया जाता है बल्कि बारी-बारी से तैनात करने की नीति अपनाई जाती है, जिसमें अधिकारी के ओहदे, विदेश में अधिकारियों की आवश्यकता और मुख्यालय में उपयुक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर कुछ समय विदेश में व्यतीत करने के पश्चात किसी अधिकारी की तैनाती वापस मुख्यालय में की जाती है। जब भा.वि.से. के अधिकारियों को विदेश में तैनात किया जाता है तो वे भारत में मीडिया, भारतीय पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों और अन्य पद्धतियों के माध्यम से भारत में हो रहे घटनाक्रमों से निकट संपर्क बनाए रखते हैं जिसमें समय-समय पर भारत की यात्रा करना भी शामिल है।

अधिकारियों की तैनाती प्रकार्यात्मक दक्षताओं, भाषा विशेषज्ञता, वरिष्ठता, पिछली तैनातियों के स्वरूप और अन्य संबंधित कारकों सहित अनेक आधारों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक आवश्यकताओं पर की जाती है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाते हैं कि प्रत्येक अधिकारी को उसकी व्यक्तिगत अभिरुचियों और विशेषज्ञताओं को ध्यान में रखते हुए उसे अलग-अलग स्थानों पर भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए दक्षता प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हो।

[हिन्दी]

सी.जी.एच.एस. अस्पतालों का निर्माण

3007. श्रीमती ऊषा वर्मा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में आठ से अधिक सी.जी.एच.एस. अस्पतालों का प्रस्ताव किया है/मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त अस्पतालों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन सी.जी.एच.एस. अस्पतालों में से प्रत्येक अस्पताल का निर्माण कार्य कब तक आरंभ होने और पूरा होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

फैब सिटी

3008. श्री एम. शिवन्ना: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "फैब सिटी" बंगलोर में अपनी कंपनी की स्थापना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या बंगलौर में इस कंपनी को भूमि का आवंटन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना में लोगों को नियुक्त करते समय स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में कोयला भंडार

3009. **श्री गणेश सिंह:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में स्थानवार किन क्षेत्रों में कोयला भंडार की पहचान की गई है;

(ख) वर्तमान में स्थानवार इसमें कार्यरत कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज तक वार्षिक रूप से कुल कितनी मात्रा में कोयला निकाला जा रहा है; और

(घ) अवधि के दौरान निकाले गये कोयले हेतु राज्यवार किस दर से और कुल कितनी राशि की रायल्टी दी गयी है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के अनुमानों के अनुसार, 1.1.2006 को मध्य प्रदेश राज्य में अब तक कुल 19.758 बिलियन टन कोयला भंडारों का अनुमान लगाया गया है। ये कोयला भंडार जोहिला, उमरिया, पेंच-कन्हान, पाथाखेड़ा, गुरगुंडा, महापाणी और सोहागपुर और सिंगरौली कोलफील्ड्स में उपलब्ध हैं।

(ख) कोल इंडिया लि. की तीन सहायक कम्पनियां अर्थात साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल) और नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल) नीचे दिये अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में प्रचालन कर रही है:

कम्पनी	जिले का नाम
एसईसीएल	अनुपपुर, शहडोल, उमरिया
डब्ल्यूसीएल	छिंदवाड़ा, बेतुल
एनसीएल	सीधी

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात 2003-04, 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 (नवम्बर, 2006 तक) के दौरान उपर्युक्त तीनों कम्पनियों में उत्खनित कोयले का ब्यौरा नीचे दिये अनुसार है:

कम्पनी	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (नवम्बर 06 तक)
एसईसीएल	31.24	33.15	35.80	25.41
डब्ल्यूसीएल	6.61	6.88	7.09	4.33
एनसीएल	11.97	12.39	12.42	7.69

(घ) मध्य प्रदेश राज्य में रायल्टी की वर्तमान दर 16.8.2002 से निम्नानुसार है:

राज्य	कोयले का ग्रेड	रायल्टी की दर (रु. प्रति टन)
कोकिंग कोयला	स्टील ग्रेड 1 एवं 2 वाशरी ग्रेड-1	250.00
	वाशरी ग्रेड 2 एवं 3 सेमी कोकिंग कोयला ग्रेड 1 एवं 2	165.00
	वाशरी ग्रेड 4	115.00
नान-कोकिंग कोयला	ग्रेड ए एवं बी	165.00
	ग्रेड सी	115.00
	ग्रेड डी एवं ई	85.00
	ग्रेड एफ एवं जी	65.00
	असम कोयला	185.00

कोयले के उत्खनन के लिए 2003-04, 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 (अप्रैल से सितम्बर, 06) के दौरान मध्य प्रदेश राज्य को दी गई रायल्टी का ब्यौरा नीचे दिये अनुसार है:

(करोड़ रुपये में)

2003-04	2004-05	2005-06 (अनं.)	2006-07 (अनं.)
501.07	529.61	564.47	273.40

[अनुवाद]

सुपारी का वर्गीकरण

3010. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुटका के सम्पाक के रूप में सुपारी को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रूप में वर्गीकृत करने का है;

(ख) क्या सुपारी पीढ़ियों से अपने उपचारात्मक एवं चिकित्सीय गुणों के लिए जानी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के तहत सुपारी के लिए कोई मानक नहीं हैं। तथापि, पान मसाला के एक अवयव के रूप में सुपारी के प्रयोग किये जाने की अनुमति है, जिसके लिए मानक निर्धारित किये गये हैं। एलकेलाइड की मौजूदगी के कारण सुपारी एक ज्ञात कार्सिनोजेन है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि सुपारी/पान मसाला चबाने से मुख में सबम्यूकस फाइब्रोसिस होने लगता है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के तहत नियम 42 (जेडजेडजेड) (6) में यह व्यवस्था है कि सुपारी के प्रत्येक पैकेट और इससे संबंधित विज्ञापन में निम्नलिखित चेतावनी स्पष्ट और मोटे अक्षरों में दी जाएगी:

सुपारी चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है

एक सम्पूर्ण शुद्धिकरण प्रक्रिया विधि के पश्चात सुपारी का आयुर्वेदिक औषधि में प्रयोग किया जाता है और इसे कई अवयवों में मिश्रित कर सुपारी पाक (पीयूजी-खांड) जैसे बहुअवयवी आयुर्वेदिक औषधें बनाई जाती हैं।

कोयला क्षेत्र में निजी निवेश

3011. श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विचार देश में बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने हेतु कोयला क्षेत्र में निजी निवेश को आमंत्रित करने का है जैसाकि दिनांक 13 नवम्बर, 2006 के "दि स्टेट्समैन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोयला क्षेत्र में निवेश में रुचि दिखाने वाली निजी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भूमिगत कोयला गैसीकरण के व्यावसायिक उपयोग हेतु रूसी कम्पनी से प्रौद्योगिकीय सहायता मांगी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। निजी क्षेत्र से योगदान के साथ-साथ कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है। तथापि, इस समय कोयला खनन में निजी भागीदारी लोहा तथा इस्पात, सीमेंट और विद्युत के उत्पादन हेतु केप्टिव खपत तक सीमित है। इसके अलावा, कोयला क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की भी अनुमति है।

(ग) विद्युत, इस्पात और सीमेंट क्षेत्र की 66 निजी क्षेत्र की कम्पनियों को केप्टिव कोयला ब्लाक आवंटित किये गये हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। भूमिगत कोयला गैसीकरण की पाइलेट परियोजना के लिए 50 : 50 की समान भागीदारी के आधार पर एक संयुक्त उद्यम बनाने की दिशा में कोल इंडिया लि. तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम (ओएनसीजी) ने एक समझौता-ज्ञापन किया है। यूसीजी परियोजना के लिए तकनीकी परामर्शदाता के रूप में ओएनजीसी ने एनएमआरसी-स्कोचिन्स्की इंस्टीच्यूट आफ माइनिंग, रूस को काम सौंपा है। नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (एनएलसी) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) ने भी भूमिगत कोयला गैसीकरण के विकास के लिए ओएनजीसी के साथ समझौता ज्ञापन किया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय चिकित्सा बीमा

3012. **श्री पंकज चौधरी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रोगियों के बेहतर उपचार को सुनिश्चित करने हेतु निजी एवं सरकारी अस्पतालों में राष्ट्रीय चिकित्सा बीमा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

धरोहर मार्ग का विकास

3013. **डा. वल्लभभाई कथीरिया:**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री मधुसूदन मिस्त्री:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अहमदाबाद से डांडी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-228 की घोषणा 'धरोहर मार्ग' के रूप में की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का विकास करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) परियोजना हेतु कितना बजटीय आवंटन किये जाने की संभावना है और इसमें गुजरात का कितना अंशदान होने की संभावना है; और

(ङ) उक्त परियोजना को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) अहमदाबाद से डांडी तक विरासत मार्ग को जून, 2006 में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-228 घोषित किया गया है तथा इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपने के लिए अधिसूचना 31.10.2006 को जारी की गई थी। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकास और अनुरक्षण के लिए अभी राज्य सरकार से लिया जाना है। वर्तमान में, इस राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अलग से कोई बजट आवंटन नहीं किया गया है। इसके विकास कार्यों की योजना देना और उनके पूरे होने की समय-सीमा अभी बता पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

बैकलॉग रिक्तियां भरना

3014. **श्री तूफानी सरोज:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने उन संस्थाओं और व्यक्तियों के विरुद्ध दंड का प्रावधान करने की मांग की है जोकि सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति लागू करने में विफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने रिक्त पदों के बैकलॉग के परिकलन और इन रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान शुरू करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) किसी कर्मचारी द्वारा सरकार की आरक्षण नीति का जान-बूझकर किये गये उल्लंघन को आचरण नियमावली के अर्थ में कदाचार समझा जाएगा तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की पिछली बकाया रिक्तियों की पहचान करने तथा उन्हें भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान पहले ही चलाया जा रहा है। दिनांक 12.12.2006 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के

अनुसार, पिछली बकाया 49,100 आरक्षित रिक्तियां पहले ही भर ली गई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु सहायता

3015. श्री पी.सी. थामस: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल ने सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने हेतु केन्द्रीय सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) जी, हां श्रीमान। संसद ने, राज्यों में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने की बाध्यता कानून द्वारा राज्य सरकारों पर डाली है। राज्य सरकारों से अपनी निधियों द्वारा ही इस सांविधिक बाध्यता का निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है।

सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर

3016. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की विकास दर 10 प्रतिशत होने जा रही है, जिसका अर्थ है बिजली, पानी तथा भोजन प्रदान करने हेतु पर्याप्त अवसंरचना का निर्माण;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) दिनांक 9 दिसम्बर, 2006 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दृष्टिकोण पत्र के अनुसार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-08 से 2011-12) के लिए विकास लक्ष्य 9% प्रतिवर्ष है। दृष्टिकोण-पत्र में बताया गया है कि ग्यारहवीं योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को ऐसे संधारणीय विकास पथ पर ले जाना होगा जिसकी विकास दर इस अवधि के अंत तक लगभग 10% होगी। ग्यारहवीं योजना के लिए निर्धारित 9% वार्षिक विकास लक्ष्य के अनुरूप, कृषि क्षेत्रक की 4.1%, उद्योग क्षेत्रक की 10.5% और सेवा क्षेत्रक की 9.9% की विकास दर का लक्ष्य है।

(ग) इस दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा किये गये उपायों को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में शामिल किया जाएगा जो तैयार नहीं की गई है।

भारतीय मिशनों द्वारा किया गया व्यय

3017. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय मिशनों का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक देश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगभग कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय मिशनों द्वारा वर्ष-वार और देश-वार कितना व्यय किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने व्यय में कमी करने हेतु कोई उपाय किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) वर्तमान में विदेशों में कार्यरत भारतीय मिशनों/केन्द्रों की देश-वार सूची संलग्न विवरण-I में है।

(ख) विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों सहित प्रवासी भारतीय समुदाय की अनुमानित संख्या से संबंधित देश-वार सूचना संलग्न विवरण-II में है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय मिशनों द्वारा किये गये व्यय से संबंधित वर्ष-वार और देश-वार सूचना संलग्न विवरण-III में है।

(घ) और (ङ) जी हां। सरकार विदेश स्थित मिशनों द्वारा किये गये व्यय पर कड़ी नजर रखती है। मितव्ययिता और बजटीय विवेक पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों का पालन और क्रियान्वयन किया जा रहा है।

विवरण I

देश का नाम	देश में मिशन/केन्द्र
1	2
अफगानिस्तान	भारत का राजदूतावास, काबुल
	भारत का प्रधान कोंसलावास, हेरात
	भारत का प्रधान कोंसलावास, जलालाबाद
	भारत का प्रधान कोंसलावास, कंधार
	भारत का प्रधान कोंसलावास, मजार-ए-शरीफ
अल्जीरिया	भारत का राजदूतावास, अलजीयर्स
अंगोला	भारत का राजदूतावास, लुआंडा
अर्जेंटीना	भारत का राजदूतावास, ब्यूनस आयरस
अर्मेनिया	भारत का राजदूतावास, येरेवान
आस्ट्रेलिया	भारत का उच्चायोग, केनबरा
	भारत का प्रधान कोंसलावास, मेलबर्न
	भारत का प्रधान कोंसलावास, सिडनी
आस्ट्रिया	भारत का राजदूतावास, वियना
अजरबेजान	भारत का राजदूतावास, बाकू
बहरीन	भारत का राजदूतावास, बहरीन
बंगलादेश	भारत का उच्चायोग, ढाका
	भारत का सहायक उच्चायोग, चटगांव
	भारत का सहायक उच्चायोग, राजशाही
बेलारूस	भारत का राजदूतावास, मिंस्क
बेल्जियम	भारत का राजदूतावास, ब्रसेल्स
भूटान	भारत का राजदूतावास, थिम्पू
	भारत का राजदूतावास का संपर्क कार्यालय, फुंटशोलिंग
बोत्स्वाना	भारत का उच्चायोग, गेबोरोन
ब्राजील	भारत का राजदूतावास, ब्रासीलिया
	भारत का प्रधान कोंसलावास, साओ पाउलो
ब्रुनई दार-ए-सलाम	भारत का उच्चायोग, बांदेर सेरी बेगावान
बुल्गारिया	भारत का राजदूतावास, सोफिया
कम्बोडिया	भारत का राजदूतावास, नोमपेन्ह
कनाडा	भारत का उच्चायोग, ओटावा
	भारत का प्रधान कोंसलावास, टोरंटो
	भारत का प्रधान कोंसलावास, वैंकूवर
चिली	भारत का राजदूतावास, सांतियागो
चीन	भारत का राजदूतावास, बीजिंग
	भारत का प्रधान कोंसलावास, हांगकांग
	भारत का प्रधान कोंसलावास, शंघाई
कोलम्बिया	भारत का राजदूतावास, बोगोटा
कोट-द-आइवर	भारत का राजदूतावास, आबिदजान
क्रोएशिया	भारत का राजदूतावास, जगरेब
क्यूबा	भारत का राजदूतावास, हवाना
साइप्रस	भारत का उच्चायोग, निकोशिया
चेक गणराज्य	भारत का राजदूतावास, प्राग
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	भारत का राजदूतावास, किंशासा
डेनमार्क	भारत का राजदूतावास, कोपेनहेगेन
मिस्र	भारत का राजदूतावास, काहिरा
इथोपिया	भारत का राजदूतावास, आदिस अबाबा
फिजी	भारत का उच्चायोग, सुवा
फिनलैंड	भारत का राजदूतावास, हेलसिंकी
फ्रांस	भारत का राजदूतावास, पेरिस
	यूनेस्को के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधिमंडल

1	2
	भारत का प्रधान कोंसलावास, सेंट डेनिस (रीयूनियन द्वीपसमूह)
जर्मनी	भारत का राजदूतावास, बर्लिन
	भारत का प्रधान कोंसलावास, फ्रेंकफर्ट
	भारत का प्रधान कोंसलावास, हैमबर्ग
	भारत का प्रधान कोंसलावास, म्यूनिख
घाना	भारत का उच्चायोग, अकरा
ग्रीस	भारत का राजदूतावास, एथेंस
गयाना	भारत का उच्चायोग, जार्जटाउन
हंगरी	भारत का राजदूतावास, बुडापेस्ट
इंडोनेशिया	भारत का राजदूतावास, जकार्ता
	भारत का प्रधान कोंसलावास, मैदान
ईरान	भारत का राजदूतावास, तेहरान
	भारत का कोंसलावास, बांदेर अब्बास
	भारत का कोंसलावास, जाहिदान
इराक	भारत का राजदूतावास, बगदाद
आयरलैंड	भारत का राजदूतावास, डब्लिन
इस्राइल	भारत का राजदूतावास, तेल अवीव
इटली	भारत का राजदूतावास, रोम
	भारत का प्रधान कोंसलावास, मिलान
जमैका	भारत का उच्चायोग, किंगस्टन
जापान	भारत का राजदूतावास, टोक्यो
	भारत का प्रधान कोंसलावास, ओसाका-कोबे
जोर्डन	भारत का राजदूतावास, अम्मान
कजाकिस्तान	भारत का राजदूतावास, अलमाटी
	भारत का राजदूतावास, अलमाटी का कार्यालय, अस्ताना
केन्या	भारत का उच्चायोग, नैरोबी
	भारत का सहायक उच्चायोग, मोम्बासा
कोरिया (उत्तरी)	भारत का राजदूतावास, प्योंग यांग
कोरिया (दक्षिण)	भारत का राजदूतावास, सिओल
कुवैत	भारत का राजदूतावास, कुवैत
किर्गिजस्तान	भारत का राजदूतावास, बिश्केक
लाओस	भारत का राजदूतावास, वियनशियाने
लेबान	भारत का राजदूतावास, बैरूत
लीबिया	भारत का राजदूतावास, त्रिपोली
मेडागास्कर	भारत का राजदूतावास, अंटानानारिवो
मलेशिया	भारत का उच्चायोग, क्वालालम्पुर
मालदीव	भारत का उच्चायोग, माले
मारिशस	भारत का उच्चायोग, पोर्टलुई
मेक्सिको	भारत का राजदूतावास, मैक्सिको सिटी
मंगोलिया	भारत का राजदूतावास, उलान बातर
मोरक्को	भारत का राजदूतावास, रबात
मोजाम्बिक	भारत का उच्चायोग, मपूतो
म्यांमा	भारत का प्रधान कोंसलावास, मांडले
	भारत का राजदूतावास, यांगोन
नामीबिया	भारत का उच्चायोग, विंडहॉक
नेपाल	भारत का राजदूतावास, काठमांडू
	भारत का प्रधान कोंसलावास, बीरगंज
नीदरलैंड	भारत का राजदूतावास, द हेग
न्यूजीलैन्ड	भारत का उच्चायोग, वेलिंगटन
नाइजीरिया	भारत का उच्चायोग, लागोस
	भारत का प्रधान कोंसलावास, लागोस

1	2
नार्वे	भारत का राजदूतावास, ओस्लो
ओमान	भारत का राजदूतावास, मस्कट
पाकिस्तान	भारत का उच्चायोग, इस्लामाबाद
फिलीस्तीन	भारत के प्रतिनिधि का कार्यालय, रामल्लाह
पनामा	भारत का राजदूतावास, पनामा
पपुआ-न्यू गिनी	भारत का उच्चायोग, पोर्ट मोर्सबी
पेरू	भारत का राजदूतावास, लीमा
फिलीपीन्स	भारत का राजदूतावास, मनीला
पोलैन्ड	भारत का राजदूतावास, वारसा
पुर्तगाल	भारत का राजदूतावास, लिस्बन
कतर	भारत का राजदूतावास, दोहा
रोमानिया	भारत का राजदूतावास, बुखारेस्ट
रूसी परिसंघ	भारत का राजदूतावास, मास्को
	भारत का प्रधान कोंसलावास, सेंट पीटर्सबर्ग
	भारत का प्रधान कोंसलावास, ब्लादीवोस्तक
सऊदी अरब	भारत का राजदूतावास, रियाद
	भारत का प्रधान कोंसलावास, जद्दा
सेनेगल	भारत का राजदूतावास, डकर
सर्बिया और मोनटेनेग्रो	भारत का राजदूतावास, बेलग्रेड
सेशल्स	भारत का उच्चायोग, माहे
सिंगापुर	भारत का उच्चायोग, सिंगापुर
स्लोवाक गणराज्य	भारत का राजदूतावास, ब्रातिसलावा
दक्षिण अफ्रीका	भारत का उच्चायोग, प्रीटोरिया
	भारत का प्रधान कोंसलावास, डर्बन
	भारत का प्रधान कोंसलावास, जोहांसबर्ग
	भारत का उच्चायोग, प्रीटोरिया का कार्यालय, केपटाउन

1	2
स्पेन	भारत का राजदूतावास, मैड्रिड
श्रीलंका	भारत का उच्चायोग, कोलंबो
	भारत का सहायक उच्चायोग, कैंडी
सूडान	भारत का राजदूतावास, खार्तूम
सूरीनाम	भारत का राजदूतावास, पारामारिबो
स्वीडन	भारत का राजदूतावास, स्टाकहोम
स्विटजरलैण्ड	भारत का राजदूतावास, बर्न
	भारत का प्रधान कोंसलावास, जेनेवा
	संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन, जेनेवा
सीरिया	भारत का राजदूतावास, दमिश्क
ताजिकिस्तान	भारत का राजदूतावास, दुशानबे
तन्जानिया	भारत का उच्चायोग, दारे-ए-सलाम
	भारत का प्रधान कोंसलावास, जंजीबार
थाईलैंड	भारत का राजदूतावास, बैंकाक
	भारत का कोंसलावास, चियांगमई
त्रिनीडाड और टोबैगो	भारत का उच्चायोग, पोर्ट आफ स्पेन
ट्यूनीशिया	भारत का राजदूतावास, ट्यूनिस
तुर्की	भारत का राजदूतावास, अंकास
	भारत का प्रधान कोंसलावास, इस्ताम्बूल
तुर्कमेनिस्तान	भारत का राजदूतावास, असगाबात
संयुक्त अरब अमीरात	भारत का राजदूतावास, आबू धाबी
	भारत का प्रधान कोंसलावास, दुबई
यू.के.	भारत का उच्चायोग, लंदन
	भारत का प्रधान कोंसलावास, बर्मिंघम
	भारत का प्रधान कोंसलावास, एडिनबरा

1	2
अमरीका	भारत का राजदूतावास, वाशिंगटन
	भारत का प्रधान कौंसलावास, शिकागो
	भारत का प्रधान कौंसलावास, ह्यूस्टन
	संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क
	भारत का प्रधान कौंसलावास, न्यूयार्क
	भारत का प्रधान कौंसलावास, सेनफ्रांसिस्को
यूगान्डा	भारत का उच्चायोग, कंपाला
यूक्रेन	भारत का राजदूतावास, कीव
उज्बेकिस्तान	भारत का राजदूतावास, ताशकंद
वेनेजुएला	भारत का राजदूतावास, कराकस
वियतनाम	भारत का राजदूतावास, हनोई
	भारत का प्रधान कौंसलावास, हो चि मिन्ह सिटी
यमन	भारत का राजदूतावास, साना
जाम्बिया	भारत का उच्चायोग, लुसाका
जिम्बाबवे	भारत का राजदूतावास, हरारे

विवरण II

प्रवासी भारतीय समुदाय की अनुमानित संख्या : "देश वार"

देश का नाम	भारतीय मूल के व्यक्ति	भारतीय नागरिक	कुल
1	2	3	4
अफगानिस्तान		3500	3500
अल्बानिया			8
अल्जीरिया	7	500	507
अंडोरा	145	20	165
अंगोला	45	250	295
एंटीगुआ और बरबुडा			60
अर्जेंटीना	13	300	313
अर्मेनिया		200	200
आस्ट्रेलिया			200000
आस्ट्रिया	17000	3500	20500
अजरबैजान	7	500	507
बहामास	0	400	400
बहरीन	181	242929	243110

1	2	3	4
बंगलादेश		1314	1314
बारबाडोस	6000	300	6300
बेलारूस	0	700	700
बेल्जियम	10000	6133	16133
बेलिज	500		500
बेनिन			1000
भूटान		30000	30000
बोलिविया			50
बोस्निया और हर्जेगोविना			30
बोत्स्वाना	2000	9000	11000
ब्राजील	250	1000	1250
ब्रूनई			7500
बुल्गारिया	8	188	196
बुरकिना फासो			100
बुरंडी	50	200	250
कंबोडिया	150	150	300
कैमरून			500
कनाडा	700000	150000	850000
केप वर्डे	0	10	10
कायमैन द्वीप समूह	0	600	600
चाड			120
चिली	67	1033	1100
चीन	250	12000	12250
कोलंबिया	1	19	20
कोमोरोस		92	92

1	2	3	4
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य			5000
कोस्टारिका	2	30	32
कोट दी आइवर	30	270	300
क्रोएशिया	9	20	29
क्यूबा	2	28	30
साइप्रस	25	3000	3025
चेक गणराज्य	100	400	500
डेनमार्क	2500	700	3200
जिबूती	280		280
डोमिनिंकन गणराज्य	17	24	41
इक्वाडोर		5	5
मिस्र	40	1350	1390
अल-सल्वाडोर	1	24	25
इक्वाटोरियल गिनी			100
इरिट्रिया		800	800
एस्टोनिया	8	47	55
इथोपिया	8	2800	2808
फिजी	316093	750	316843
फिनलैण्ड	500	1119	1619
फ्रांस	55000	10000	65000
गाम्बिया	8	300	308
जर्मनी	28000	40000	68000
घाना			6000
ग्रीस	25	12000	12025
ग्वडेलोप	40000		40000
ग्वाटेमाला	3	21	24

1	2	3	4
गिनी	0	350	350
गिनी बिसाऊ	0	25	25
गयाना	327000	300	327300
हैती	0	51	51
हांगकांग	12000	23000	35000
होंडूरास	46	6	52
हंगरी	4	150	154
आइसलैण्ड	171	51	222
इंडोनेशिया	70000	12000	82000
ईरान	761	1000	1061
इराक			उ.न.
आयरलैंड	600	4400	5000
इजराइल	60000	1000	61000
इटली	650	100000	100650
आयवरी कोस्ट	5	300	305
जमैका	50000	3000	53000
जापान	111	15000	15111
जोर्डन			4100
कजाकिस्तान	6	2400	2406
केन्या	65000	10000	75000
किरीवाती	0	0	0
कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य			24
कोरिया गणराज्य			3000
कुवैत	1000	531000	532000
किर्गीस्तान	100		100
लाओ-पीडीआर	20000	110	20110

1	2	3	4
लात्विया	90	40	130
लेबनान	2	10000	10002
लाईबेरिया	25	1050	1075
लिबिया			10000
लिथुआनिया	1	70	71
लक्जमबर्ग	300	200	500
मेसेडोनिया	1	6	7
मेडागास्कर	30000	2500	32500
म्रलेशिया	1800000	137636	1937636
मालदीव	1	13000	13001
मालदोवा			15
मालावी	5000	2000	7000
माल्टा			500
माली	0	60	60
मारितानिया	2	15	17
मारिशस	870000	8350	878350
मैक्सिको	400		400
मंगोलिया		35	35
मोरक्को	9	300	309
मोजाम्बिक	20000	1000	21000
म्यांमा	2500000	750	2500750
नामीबिहया	250		100
नौरू			20
नेपाल	5500000	49500	5549500
नीदरलैण्ड	15000	6000	21000
नीदरलैण्ड एंटिलिस	3000	1000	4000

1	2	3	4
न्यूजीलैंड			80000
निकारागुआ	1	15	16
नाइजर			40
नाईजीरिया			30000
नार्वे	5173	1981	7154
ओमान	1500	383833	385333
पपुआ न्यू गिनी		1000	1000
फिलीस्तीन	2	55	57
पनामा	4100	2900	7000
पाराग्वे	6	300	306
पेरू			250
फिलीपींस	3000	47000	50000
पोलैण्ड	142	1500	1642
पुर्तगाल	70000	5000	75000
कतर	7		200000
रियूनियन द्वीप	250000	160	250160
रोमानिया			700
रूस	290	15000	15290
रवांडा	40	500	540
समोआ			20
साओ टोम	0	0	0
सऊदी अरब			1427548
सेशल्स	3000	2000	5000
सेनेगल	10	220	230
सियेरा लिओन	20	785	805
सिंगापुर	310000	90000	400000

1	2	3	4
स्लोवाक गणराज्य			60
स्लोवेनिया	20	10	30
सोलोमन द्वीप		20	20
दक्षिण अफ्रीका	1191800	8200	1200000
स्पेन	13000	15000	28000
श्रीलंका	150000	5000	1505000
सेंट लुसिया	5000	250	5250
सेंट विसेंट और दी ग्रेनेडाइन	7000	100	7100
सेंट किट्स और नेवीस			70
सूडान	1000	9000	10000
सूरीनाम	144000	100	144100
स्वाजीलैंड	1250	100	350
स्वीडन	14000	4000	18000
स्विट्जरलैंड	14890	6898	11788
सीरिया	10	350	360
ताइवान	1800		1800
ताजिकिस्तान	2	350	352
तंजानिया			40000
थाइलैंड	80000	20000	100000
टोगो			200
त्रिनिडाड और टोबेगो	504960	1000	505960
ट्यूनीशिया	8	79	87
तुर्की	29	226	255
तुर्केमेनिस्तान	0	600	600
तुर्क और काइकोस	0	200	200
संयुक्त अरब अमीरात			1300000

1	2	3	4
उगांडा	6000	8000	14000
यूके			1500000
उक्रेन	50	3000	3050
उरूग्वे	0	20	20
अमरीका			2319222
उजबेकिस्तान	40	650	690
वनातू		50	50
वेनेजुएला	50	100	150
वियतनाम			600
यमन	10000	3000	13000
जाम्बिया	10000	3000	13000
जिम्बाब्वे	14000	300	13700
कुल			25939473

विवरण III

क्र.सं.	मिशन	वास्तविक (हजार रु. में)		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	भारत का राजदूतावास, आबिदजान	31527	25072	16350
2.	संपर्क कार्यालय, आबुजा/लागोस	39045	43349	73304
3.	भारत का राजदूतावास, आबू धाबी	84675	72097	74714
4.	भारत का राजदूतावास, अकरा	33050	38026	38433
5.	भारत का राजदूतावास, आदिस आबाबा	32180	27845	31841
6.	भारत का राजदूतावास, अल्माटी	38387	45816	47428
7.	भारत का राजदूतावास, अल्जीयर्स	29087	31415	35368
8.	भारत का राजदूतावास, अम्मान	13868	11972	14779

1	2	3	4	5
9.	भारत का राजदूतावास, अंकारा	52641	57797	48989
10.	भारत का राजदूतावास, अंतानानारिवो	22404	18981	25352
11.	भारत का राजदूतावास, अशगाबाद	32208	30219	34130
12.	भारत का राजदूतावास, एथेंस	34785	32772	31977
13.	भारत का राजदूतावास, बगदाद	17037	19316	14444
14.	भारत का राजदूतावास, बहरीन	43051	42390	39881
15.	भारत का राजदूतावास, बाकू	22259	19638	19644
16.	भारत का आयोग, बंदरा अब्बास	—	6310	8445
17.	भारत का राजदूतावास, बैंकाक	69414	66909	66965
18.	भारत का राजदूतावास, बीजिंग	134734	136741	145155
19.	भारत का राजदूतावास, बेरूत	40679	43040	43915
20.	भारत का राजदूतावास, बलग्रेड	23739	23063	22608
21.	भारत का राजदूतावास, बर्लिन	128801	124482	135737
22.	भारत का राजदूतावास, बर्न	67679	77955	76501
23.	भारत का प्रधान कोंसलावास, बीरगंज	1767	11761	17523
24.	भारत का सहायक राजदूतावास, बर्मिंघम	45262	53524	56872
25.	भारत का राजदूतावास, बिस्केक	32845	30798	28878
26.	भारत का राजदूतावास, बगोटा	34371	34224	38432
27.	भारत का राजदूतावास, ब्रासिलीया	44110	46064	48977
28.	भारत का राजदूतावास, ब्रात्सीलावा	43411	37549	34661
29.	भारत का राजदूतावास, ब्रुशेल्स	93423	105630	97875
30.	भारत का उच्चायोग, ब्रुनेई	28640	28826	31188
31.	भारत का राजदूतावास, बुखारेस्ट	35704	34902	36635
32.	भारत का राजदूतावास, बुडापेस्ट	35072	33076	36413
33.	भारत का राजदूतावास, ब्यूनस आयर्स	48544	37033	38311
34.	भारत का राजदूतावास, काहिरा	66400	62841	60390

1	2	3	4	5
35.	भारत का उच्चायोग, कैनबरा	46362	49734	62604
36.	भारत का राजदूतावास, केपटाउन	12512	16163	16577
37.	भारत का उच्चायोग, कराकस	46015	50908	44944
38.	भारत का आयोग, चियागमई	7213	6698	7140
39.	भारत का प्रधान कौंसलावास, शिकागो	83524	79060	81274
40.	भारत का सहायक उच्चायोग, चटगांव	12342	13465	14023
41.	भारत का उच्चायोग, कोलम्बो	102460	104228	115102
42.	भारत का राजदूतावास, कोपेनहेगन	39098	45708	46250
43.	भारत का राजदूतावास, डकर	25955	24808	30426
44.	भारत का राजदूतावास, दमिश्क	49758	45763	41757
45.	भारत का उच्चायोग, दार-ए-सलम	39632	35806	38490
46.	भारत का उच्चायोग, ढाका	137272	142193	135419
47.	भारत का राजदूतावास, दोहा	51154	52435	57800
48.	भारत का प्रधान कौंसलावास, दुबई	100539	103390	128259
49.	भारत का राजदूतावास, डब्लिन	33713	39119	37780
50.	भारत का प्रधान कौंसलावास, डरबन	39605	43929	44205
51.	भारत का राजदूतावास, दुशान्वे	29465	33207	30334
52.	भारत का प्रधान कौंसलावास, एडिनबर्ग	31548	34672	39117
53.	भारत का प्रधान कौंसलावास, फ्रैंकफर्ट	44316	48910	53133
54.	भारत का उच्चायोग, गेबरोन	26786	23146	21685
55.	प्रतिनिधि कार्यालय, गाजा	15036	*	*
56.	भारत का स्थायी मिशन, जेनेवा	131880	143645	161347
57.	सी.डी. विंग, जेनेवा	44708	46549	48712
58.	भारत का उच्चायोग, जार्जटाउन	29311	30688	33013
59.	भारत का राजदूतावास, दी हेग	71697	78850	86001
60.	भारत का प्रधान कौंसलावास, हेमबर्ग	6430	6180	5907

1	2	3	4	5
61.	भारत का राजदूतावास, हनोई	49070	48386	47831
62.	भारत का उच्चायोग, हरारे	26939	30574	27241
63.	भारत का राजदूतावास, हवाना	36205	34686	37344
64.	भारत का राजदूतावास, हेलशिंकी	35746	34914	45797
65.	भारत का प्रधान कोंसलावास, हेरात	13725	15130	18712
66.	भारत का प्रधान कोंसलवास, हो-चिन-मिन्ह सिटी	18659	16797	17872
67.	भारत का आयोग, हांगकांग	65671	63669	62105
68.	भारत का प्रधान कोंसलावास, ह्यूस्टन	63849	67653	64079
69.	भारत का राजदूतावास, इस्लामाबाद	78892	123335	134341
70.	भारत का प्रधान कोंसालवास, इस्ताम्बुल	31235	27368	29836
71.	भारत का राजदूतावास, जकार्ता	52494	53472	51603
72.	भारत का प्रधान कोंसलावास, जलालाबाद	16699	19105	19487
73.	भारत का प्रधान कोंसलावास, जद्दा	249638	259541	307704
74.	भारत का प्रधान कोंसलावास, जोहान्सबर्ग	41656	42874	37656
75.	भारत का राजदूतावास, काबुल	58088	53770	86522
76.	भारत का राजदूतावास, कंपाला	19970	21463	23628
77.	भारत का सहायक उच्चायोग, कैंडी	14456	15719	16081
78.	भारत का प्रधान कोंसलावास, कांधार	19102	17313	21939
79.	भारत का राजदूतावास, काठमांडू	108081	115048	122929
80.	भारत का राजदूतावास, खारतूम	4869	19712	23036
81.	भारत का राजदूतावास, कीव	42418	48753	48178
82.	भारत का राजदूतावास, किंगस्टन	31613	27706	33173
83.	भारत का प्रधान कोंसलावास, कोंबे	42122	40603	42616
84.	भारत का राजदूतावास, कुवालालम्पुर	56541	54624	56781
85.	भारत का राजदूतावास, कुवैत	84162	92089	90903
86.	भारत का राजदूतावास, लीमा	24467	24629	26158

1	2	3	4	5
87.	भारत का राजदूतावास, लिस्बन	33299	40484	40392
88.	भारत का राजदूतावास, लंदन	366373	396893	406682
89.	भारत का राजदूतावास, लुआंडा	30263	31447	34048
90.	भारत का राजदूतावास, लुसाका	24057	28338	26856
91.	भारत का राजदूतावास, मैड्रिड	57324	63293	69957
92.	भारत का राजदूतावास, माहे	21683	26723	24044
93.	भारत का राजदूतावास, माले	37822	37508	39971
94.	भारत का प्रधान कॉंसलावास, मंडाले	14718	14988	15858
95.	भारत का राजदूतावास, मनीला	26199	27100	32618
96.	भारत का राजदूतावास, मापुतो	24708	28972	23290
97.	भारत का प्रधान कॉंसलावास, मजारे-ए-शरीफ	17321	20693	19186
98.	भारत का प्रधान कॉंसलावास, मैडान	7384	7759	7646
99.	भारत का राजदूतावास, मैक्सिको सिटी	38515	42733	39319
100.	भारत का प्रधान कॉंसलावास, मिलान	34145	39561	37081
101.	भारत का राजदूतावास, मिन्स्क	21250	23112	26062
102.	भारत का आयोग, मोम्बासा	6373	8192	7431
103.	भारत का राजदूतावास, मॉस्को	145591	144073	147075
104.	भारत का प्रधान कॉंसलावास, म्यूनिख	51416	55161	61313
105.	भारत का राजदूतावास, मस्कट	69656	66463	63840
106.	भारत का राजदूतावास, नैरोबी	40406	43525	49774
107.	भारत का प्रधान कॉंसलावास, न्यूयार्क	106102	107005	140146
108.	पी.एम.आई., न्यूयार्क	174400	180396	220282
109.	ए.एल., न्यूयार्क	59906	*	*
110.	भारत का उच्चायोग, निकोसिया	24766	26872	27684
111.	भारत का राजदूतावास, ओसलो	45418	43495	45068
112.	भारत का उच्चायोग, ओटावा	65565	72456	66918

1	2	3	4	5
113.	भारत का राजदूतावास, पनामा	34779	34553	41127
114.	भारत का राजदूतावास, पारामारीबो	25971	25956	27969
115.	भारत का राजदूतावास, पेरिस	209345	217536	207564
116.	भारत का राजदूतावास, नोमपेन्ह	36366	37112	33768
117.	संपर्क कार्यालय, पुंटसोलिंग	4876	4210	4353
118.	भारत का उच्चायोग, पोर्टलुई	43096	41460	43744
119.	भारत का उच्चायोग, पोर्ट मोर्सबी	23338	22510	18314
120.	भारत का उच्चायोग, पोर्ट ऑफ स्पेन	42928	43101	43191
121.	भारत का राजदूतावास, प्राग	43747	57839	59348
122.	भारत का राजदूतावास, प्रिटोरिया	55225	65288	63530
123.	भारत का राजदूतावास, प्यांगयांग	16994	16784	17611
124.	भारत का राजदूतावास, रबात	32493	30453	25262
125.	भारत का सहायक उच्चायोग, राजशाही	7884	6324	5772
126.	प्रतिनिधि कार्यालय, रमल्लाह	—	15646	15264
127.	भारत का राजदूतावास, रियाद	116117	112401	108169
128.	भारत का राजदूतावास, रोम	101592	116612	97434
129.	भारत का प्रधान कोंसलावास, सेंट डेनिस	14836	15231	15836
130.	भारत का प्रधान कोंसलावास, सेंट पीटर्सबर्ग	21179	20346	25061
131.	भारत का प्रधान कोंसलावास, सैन फ्रांसिस्को	99241	95980	99306
132.	भारत का राजदूतावास, साना	17279	20051	19140
133.	भारत का राजदूतावास, सांतियागो	24712	32116	31133
134.	भारत का प्रधान कोंसलावास, साओ पाउलो	33099	25773	31169
135.	भारत का राजदूतावास, सियोल	63577	63057	65439
136.	भारत का प्रधान कोंसलावास, शंघाई	45566	42532	40768
137.	भारत का आयोग, शिराज	5640	*	*
138.	भारत का उच्चायोग, सिंगापुर	82591	84363	82299

1	2	3	4	5
139.	भारत का राजदूतावास, सोफिया	22322	23156	25743
140.	भारत का राजदूतावास, स्टॉकहोम	52148	62004	62888
141.	भारत का उच्चायोग, सुवा	31567	33943	36215
142.	भारत का प्रधान कोंसलावास, सिडनी	38429	39895	47717
143.	भारत का राजदूतावास, ताशकंद	44497	40165	43315
144.	भारत का राजदूतावास, तेहरान	66736	69953	72335
145.	भारत का राजदूतावास, तेल अबीव	90145	86259	86740
146.	भारत का राजदूतावास, थिम्पू	41014	45707	45316
147.	भारत का राजदूतावास, टोक्यो	119375	128756	120751
148.	भारत का प्रधान कोंसलावास, टोरंटो	48638	63213	64414
149.	भारत का राजदूतावास, त्रिपोली	34251	29865	29160
150.	भारत का राजदूतावास, ट्यूनिश	14673	15420	20920
151.	भारत का राजदूतावास, उलानबातर	19347	20194	21071
152.	भारत का प्रधान कोंसलावास, वैंकुबर	45366	47941	55424
153.	भारत का राजदूतावास, वियना	88059	107851	100020
154.	भारत का राजदूतावास, विएनशियन	18934	21676	21072
155.	भारत का प्रधान कोंसलावास, वाल्दिवोत्वाना	16679	17084	22288
156.	भारत का राजदूतावास, वारसा	40301	43989	46502
157.	भारत का राजदूतावास, वाशिंगटन	304144	287225	317336
158.	भारत का उच्चायोग, विलिंगटन	32660	31599	32191
159.	भारत का उच्चायोग, विंडहोक	20171	25486	28185
160.	भारत का राजदूतावास, यांगोन	44752	44323	41118
161.	भारत का राजदूतावास, येरेवान	24045	23867	25700
162.	भारत का राजदूतावास, जगरेब	33225	37056	36427
163.	भारत का आयोग, जाहिदान	7190	7456	7727
164.	भारत का प्रधान कोंसलावास, जंजीबार	8042	6843	8603

सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन

3018. डा. टोकचोम मैन्या:
श्री हंसराज जी. अहीर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने वाले अनेक आवेदकों का उद्देश्य अथवा कारण उचित नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सूचना का अधिकार अधिनियम सरकारी अधिकरणों और संगठनों के लिए बोझ बन गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि केवल प्रभावित व्यक्ति को ही सूचना मांगने की अनुमति दी जाए; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न लोक प्राधिकरणों द्वारा प्राप्त आवेदनों के ब्यौरे का रख-रखाव केन्द्रीय रूप से नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी होम्यो भेषज का विकास

3019. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी होम्यो भेषज के विकास के लिए गुजरात ने कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इसे कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के जीर्ण-शीर्ण मार्ग खंड

3020. श्री गणेश प्रसाद सिंह: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में पटना से गया तक एनएच-83, पटना से औरंगाबाद तक एनएच-98 और जहानाबाद से बिहार शरीफ तक एनएच-110 पर मार्ग खंड जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के इन मार्ग खंडों को पुन: बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कार्य कब तक आरंभ होने और पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) पटना और गया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-83, पटना और औरंगाबाद के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-98 और जहानाबाद और बिहार शरीफ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-110 को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग-83 पर 31 से 35 कि.मी. और 44 से 48 कि.मी. में तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-98 के 53 से 64 कि.मी. और 90 से 127 कि.मी. में क्रमश: 3.84 करोड़ रु. और 9.34 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के सुधार कार्य स्वीकृत किये गये हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-83 के 19 कि.मी. में उच्च स्तरीय मोरहर पुल का निर्माण चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 110 को 1 से 16 कि.मी. तक दो लेन बनाने का कार्य 7.57 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर स्वीकृत किया गया है तथा 17 से 35 कि.मी. तक दो लेन बनाने का प्रावधान चालू वर्ष की वार्षिक योजना में शामिल किया गया है।

(ग) से (ङ) इस समय, उपर्युक्त खंडों की सतह के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी जाती है।

पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना

3021. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में विभिन्न विकास क्रियाकलापों के लिए विशेष सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पहाड़ी क्षेत्रों के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) चालू योजनावधि में योजना की अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों के चयन के क्या मानदंड हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, हां। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी)/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूजीडीपी) के अंतर्गत नामोद्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों के लिए राज्य सरकारों को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

(ख) चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान एचएडीपी/डब्ल्यूजीडीपी द्वारा कवर किये गये पर्वतीय क्षेत्रों के लिए राज्य सरकारों को जारी की गई निधियां तथा उसी अवधि में राज्य सरकार द्वारा सूचित व्यय संबंधी विवरण संलग्न है।

(ग) एचएडीपी/डब्ल्यूजीडीपी द्वारा कवर किये गये पर्वतीय क्षेत्रों के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर में संलग्न विवरण में व्यय सूचना संबंधी विवरण दर्शाया गया है जो कि चालू योजना अवधि के दौरान राज्य सरकारों को जारी की गई निधियों की वित्तीय उपलब्धि है।

(च) एचएडीपी द्वारा कवर किये गये नामोद्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों की पहचान वर्ष 1965 में राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति द्वारा की गई थी। डब्ल्यूजीडीपी द्वारा कवर किये गये पश्चिमी घाट तालुकों की पहचान वर्ष 1972 में इस प्रयोजनार्थ गठित एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई थी।

विवरण

	राज्य	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07
		जारी की गई निधियां	सूचित व्यय	जारी की गई निधियां	सूचित व्यय	जारी की गई निधियां	सूचित व्यय	जारी की गई निधियां (केवल अनुदान भाग)	सूचित व्यय	अब तक जारी की गई निधियां (केवल अनुदान भाग)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(क)	पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)									
	असम	51.11	50.66	50.66	49.93	51.11	51.11	46.00	48.95	55.80
	तमिलनाडु	22.10	22.10	22.10	22.10	22.10	22.10	19.89	22.10	23.96
	पश्चिम बंगाल	22.33	22.33	22.33	22.33	22.33	22.32	20.10	20.66	14.32
	उप जोड़ (क)	95.54	95.09	95.09	94.36	95.54	95.53	85.99	91.71	94.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(ख) पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूजीडीपी)									
महाराष्ट्र	20.91	20.86	20.86	20.82	21.06	21.07	18.95	21.03	22.08
कर्नाटक	15.53	13.70	15.57	15.35	15.57	13.84	14.01	14.14	10.88
केरल	13.12	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13	11.82	13.13	13.89
तमिलनाडु	10.99	10.99	10.99	10.99	10.99	10.99	9.89	10.75	11.50
गोवा	2.80	2.83	2.86	2.94	2.93	3.02	2.89	3.76	2.25
उप जोड़ (ख)	63.35	61.51	63.41	63.23	63.68	62.05	57.56	62.81	60.60
कुल योग (क+ख)	158.89	156.60	158.50	157.59	159.22	157.58	143.55	154.52	154.68

[हिन्दी]

केबलों का काटा जाना

3022. श्री. मुनव्वर हसन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी कंपनियों द्वारा अपने नेटवर्क में विस्तार के पश्चात मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती, फैजाबाद, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर और मऊ में केबलों के काटे जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) केबलों के काटे जाने के कारण बेकार पड़े टेलीफोनों को ठीक करने और उन क्षेत्रों में मासिक टेलीफोन किराया माफ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) बेकार पड़े सभी टेलीफोनों को कब तक ठीक किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) बीएसएनएल नेटवर्क के कुछ क्षेत्रों में केबलों की चोरी, निजी कंपनियों द्वारा क्षति पहुंचाने तथा राजमार्ग प्राधिकरणों/लोक निर्माण विभाग द्वारा राजमार्गों आदि के विस्तार के कारण केबलों को काटे जाने की घटनाओं में मामूली वृद्धि हुई है। मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती, फैजाबाद, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर और मऊ में गत एक वर्ष (नवंबर, 2005 से अक्तूबर, 2006) के दौरान केबलों को काटे जाने का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	अल्प स्विचन क्षेत्र का नाम	केबलों को काटे जाने की कुल घटनाएं	क्षति के कारण
1.	मुजफ्फरनगर	22	21 घटनाओं में चोरी के कारण और एक घटना में लोक निर्माण विभाग द्वारा केबल काटा गया
2.	आजमगढ़	8	चोरी
3.	जौनपुर	2	निजी कंपनियां
4.	बस्ती (सिद्धार्थ नगर सहित)	5	निजी कंपनियां
5.	फैजाबाद	9	सरकारी एजेंसियों द्वारा सड़कों को चौड़ा करना
6.	गोरखपुर	9	निजी कंपनियां
7.	मऊ	शून्य	-

(घ) केबलों को जोड़कर/बदलकर और डब्ल्यूएलएल कनेक्शन उपलब्ध कराकर भी टेलीफोन सुविधाएं बहाल की जाती हैं। मासिक टेलीफोन किराये में छूट मौजूद दिशा-निर्देशों के अनुसार दी जा रही है।

(ङ) वर्तमान में इन स्थानों में केबल काटे जाने के कारण कोई भी टेलीफोन बंद नहीं पड़ा है।

[अनुवाद]

औषधीय पौधे

3023. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री महेश कनोडीया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वनों की कटाई के कारण औषधीय महत्व के पौधे खतरे में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में ऐसे पौधों को बचाने तथा उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) पर्याप्त मात्रा में कुछ औषधीय पादपों से प्राप्त कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता की रिपोर्टें मिली हैं। तथापि, वन्य क्षेत्रों की कटाई के कारण औषधीय पादप प्रजातियों को खतरा होने के संबंध में कोई सूचना नहीं है। इसके अतिरिक्त, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफसीआई) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार देश में वन्य क्षेत्रों के प्रति अभिमुख होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

(ख) और (ग) सरकार ने वन्य क्षेत्रों में औषधीय पादपों को संवर्धित करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में विलुप्त प्राय औषधीय पादपों को चिन्हित करना ताकि उन्हें कानूनी रूप से संरक्षण प्रदान किया जा सके।

(2) राष्ट्रीय वन रोपण आर्थिक विकास बोर्ड (एनएईबी) के अंतर्गत निम्न कोटिकृत वन्य भूमि में औषधीय पादपों की कृषि को प्रोत्साहित करना।

(3) औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना का एक प्रयोजन यह भी है कि वह औषधीय पादप क्षेत्रक के संवर्धन से संबंधित क्रियाकलापों का समन्वय करे। बोर्ड ने इस प्रयोजनार्थ स्व-स्थाने और बाह्य-स्थाने संरक्षण सहित विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों में चिकित्सा सुविधाएं

3024. श्री सीताराम सिंह:
श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एनसीआर शहरों नामत: गाजियाबाद, नौएडा, फरीदाबाद और गुडगांव में रहने वाले सेवानिवृत्त/कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन शहरों में रहने वाले सेवानिवृत्त/कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के उपचार के लिए मान्यताप्राप्त/प्राधिकृत निजी अस्पतालों तथा नैदानिक केन्द्रों के नाम क्या हैं;

(ग) सीजीएचएस लाभार्थी किन चिकित्सा सुविधाओं के हकदार हैं और चिकित्सा/उपचार के लाभ को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है;

(घ) क्या सीजीएचएस लाभार्थियों के लाभार्थ उक्त प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) संबंधित औषधालयों के संदर्भ प्राप्त किये बगैर सीजीएचएस लाभार्थियों के लाभार्थ किन अतिरिक्त सुविधाओं पर विचार किया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) सेवानिवृत्त कार्मिक सहित केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं सी.जी.एच.एस. के तहत उपलब्ध हैं जो मूल वेतन/पेंशन और प्राइवेट, सेमी प्राइवेट और जनरल वार्ड की हकदारी के आधार पर अंशदान के अनुसार प्रदान की जाती हैं। इससे संबंधित ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	मूल वेतन+महंगाई वेतन/मूल पेंशन+ महंगाई वेतन	हकदारी
1.	11,250 रुपए तक	जनरल वार्ड के लिए
2.	11,251 रुपये से 15,750 रुपए तक	सेमी प्राइवेट वार्ड के लिए
3.	15,751 रुपए और इससे अधिक	प्राइवेट वार्ड के लिए

सैटेलाइट शहर-गाजियाबाद, नोडा, फरीदाबाद एवं गुड़गांव सहित सी.जी.एच.एस. दिल्ली के तहत पैनल में शामिल किये गये प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों के नाम और उपचार की प्रक्रियाओं का ब्यौरा आदेश सं. रिक-1-2004/जेडी (ग्रे.)/सीजीएचएस/दिल्ली/सीजीएचएस (पी) दिनांक 7.12.2006 में दिया गया है जो मंत्रालय की वेबसाइट (www.mohfw.nic.in) पर उपलब्ध है।

(च) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

निजी सर्वरों पर सरकारी वेबसाइटें

3025. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रालयों और विभागों को अपनी अधिकारिक वेबसाइटें विदेशी कम्पनियों विशेषकर देश के बाहर स्थित कंपनियों के स्वामित्व वाले सर्वरों पर डालने के विरुद्ध चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) निजी कंपनियों के वेब सर्वरों पर उपलब्ध कराई गई सरकारी साइटों तथा विदेशों में स्थित सर्वरों पर उपलब्ध कराई गई साइटों पर विभिन्न हैकर समूहों द्वारा आक्रमण के लक्ष्य बनाए गए। गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों को सलाह दी थी कि वे निजी कंपनियों अथवा भारत में नहीं स्थित सर्वरों पर अपनी वेबसाइटें उपलब्ध नहीं कराए और इसके बदले वे अपनी वेबसाइटें भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व वाले सर्वरों पर ही उपलब्ध कराएं। इसके पश्चात, मंत्रालयों/विभागों को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन करने का अनुरोध किया गया जो वेबसाइट (www.cert.in.org.in/knowledgebase/guidelines/CISG-2004.04.pfd.) पर उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-29 पर घटिया दर्जे का मरम्मत कार्य

3026. योगी आदित्यनाथ: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 29 के गोरखपुर-बधालगंज खंड की मरम्मत के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड पर घटिया दर्जे का मरम्मत कार्य किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या निर्धारित मानदंडों के अनुसार मरम्मत कार्य नहीं करने के लिए कोई जवाबदेही निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सड़क के उक्त खंड पर मरम्मत कार्य विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार कब तक किये जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-29 के गोरखपुर-बधालगंज खंड के सड़क गुणता सुधार और आवधिक नवीकरण के लिए 18.10 करोड़ रु. के 6 प्राक्कलन स्वीकृत किये गये हैं। तथापि, धनराशि का आवंटन राज्य-वार किया जाता है न कि खंड-वार।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान स्वीकृत उपर्युक्त कार्य पूरे हो गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

पोताश्रय की स्थापना

3027. श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री पी.सी. थामस:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में अंतरराष्ट्रीय आकार के पोताश्रय की स्थापना का कोई प्रस्ताव लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम में, पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग को विकसित करने की दृष्टि से अन्य नीतिगत उपाय किये जाने के साथ-साथ, अंतर-राष्ट्रीय आकार के दो शिपयार्ड स्थापित किया जाना परिकल्पित है। अंतरराष्ट्रीय आकार के दो शिपयार्डों का स्थापित किया जाना सुकर बनाने हेतु भारतीय पत्तन संघ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। उपर्युक्त समिति की रिपोर्ट मिल गई है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के क्रम में यह निर्णय किया गया है कि भारत के पूर्वी तट और भारत के पश्चिमी तट पर उपर्युक्त शिपयार्ड स्थापित किये जाने के संबंध में रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किये जाने सहित प्रारंभिक तैयारियां किये जाने हेतु मुंबई-पत्तन-न्यास और इन्नौर पत्तन लिमिटेड, नोडल अभिकरणों के रूप में कार्य करेंगे।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा व्यय की गई राशि

3028. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा तमिलनाडु में कोई राशि व्यय की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु को भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा जारी की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:

1. 244.00 लाख रु.—विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र, मयिलादुथुराई के लिए बहुउद्देश्यीय हाल के निर्माण हेतु।
2. 28.40 लाख रु.—भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, चेन्नई के लिए।
3. 20.84 लाख रु.—भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, सेलम के लिए; और
4. 2.71 लाख रु.—विशेष क्षेत्र खेल, नागरकोयल के लिए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

3029. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2006-07) की अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में 120 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चरणवार निर्माण के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। इसमें 60 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण वर्ष 2007-08 तथा 60 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण वर्ष 2008-09 में किया जाना है। इस राज्य ने 450 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण का प्रस्ताव किया है। 4911 उपकेन्द्रों को भी चरणबद्ध रूप से अर्थात 2007-08 के दौरान 200 उपकेन्द्र, वर्ष 2008-09 के दौरान 1000 उपकेन्द्र और वर्ष 2009-2010 के दौरान 3711 उपकेन्द्रों को निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2006-07 के लिए 4911 उपकेन्द्र भवनों के निर्माण हेतु 493680 रुपए स्वीकृत किये गये है एवं निधियां जारी कर दी गई हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में सी.एस.सी.

3030. श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री ए.के. मूर्ति:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख सी.एस.सी. (साझा सेवा केन्द्रों) को स्थापना की एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना सरकारी-निजी भागीदारी का संयुक्त उद्यम होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां मंजूर की गई हैं; और

(च) निजी क्षेत्र द्वारा कितनी धनराशि व्यय किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने हाल ही में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉड बैण्ड, इंटरनेट समर्थित 100000 सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने की एक योजना को अनुमोदित किया है। ये केन्द्र नागरिकों के द्वार पर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी एवं निजी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।

(ग) इस योजना का कार्यान्वयन सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से किया जाएगा।

(घ) सीएससी का प्रचालक एक निजी उद्यमकर्त्ता होगा। इसके अलावा, सेवा केन्द्र एजेंसी (एससीए) जिसके दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सीएससी प्रचालक कार्य करेगा, भी एक निजी प्रचालक होगा। एससीए सीएससी मूलसंरचना की स्थापना करने के लिए पूंजीनिवेश करने का भी जिम्मेदार होगा जिसमें इन केन्द्रों को चार वर्षों की अवधि तक चलाने के लिए सरकार द्वारा राजस्व सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। एससीए को अदा की जाने वाली राजस्व सहायता का निर्धारण बोली प्रक्रिया से किया जाएगा। इस योजना के पूरे ब्यौरे सीएससी दिशानिर्देशों में दिये गये हैं, जो (www.mit.gov.in) पर देखे जा सकते हैं।

(ङ) और (च) इस योजना को चार वर्षों की अवधि में 5742 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से अनुमोदित किया गया है जिसमें भारत सरकार द्वारा 856 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकारों द्वारा 793 करोड़ रुपये का अंशदान किये जाने का अनुमान है। शेष संसाधनों को निजी क्षेत्र से उपलब्ध कराया जाएगा।

खुले बाजार में कोयले की बिक्री

3031. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
श्री संतोष गंगवार:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कई सीमेंट और स्टील कम्पनियां सरकार से नियत दर पर खरीदे गए कोयले के एक बड़े हिस्से को खुले बाजार में बेचकर भारी मुनाफा कमा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(च) क्या सरकार स्थानीय आवंटन प्रक्रिया की समीक्षा करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ङ) जी, नहीं। किसी सरकारी क्षेत्र की सीमेंट और इस्पात कम्पनियों के बारे में सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदे गये कोयले को खुले बाजार में बेचकर मुनाफा कमाने की ऐसी कोई शिकायत इस मंत्रालय में नहीं मिली है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता है।

सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशन

3032. श्री तरित बरण तोपदार: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में कार्यरत सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशनों की संख्या कितनी है;

(ख) इन सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशनों के मालिक कौन हैं और ये किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में एक सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशन की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को मार्च, 2006 में आश्वासन दिया था; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना की स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) 30.11.2006 की स्थिति के अनुसार देश में कार्यरत सबमरिन केबल लैंडिंग स्टेशनों की कुल संख्या (08) है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और मैसर्स महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की इक्विटी सहभागिता से एक संयुक्त उद्यम कंपनी मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड का निर्माण किया गया था। परियोजना के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है और इस समय व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन, लैंडिंग देशों/साझेदारों की पहचान, लैंडिंग देशों/साझेदारों के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देना और निविदा दस्तावेज तैयार करने जैसे विभिन्न तैयारी संबंधी कार्य चल रहे हैं।

विवरण

सबमरिन केबल लैंडिंग स्टेशन (सीएलएस) के स्वामियों और अवस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है

	सीएलएस के स्वामियों के नाम	संस्थापित केबल लैंडिंग स्टेशनों की संख्या		केबल लैंडिंग स्टेशन की अवस्थिति
1.	विदेश संचार निगम लिमिटेड	4	1.	विदेश संचार भवन, फोर्ट, मुम्बई
			2.	लोकमान्य विदेश संचार भवन, प्रभावदेवी, मुंबई
			3.	विदेश संचार भवन, स्वामी सिवानन्द सलाई, चेन्नई
			4.	विदेश संचार भवन, कक्कानाड, एर्नाकुलम
2.	भारत संचार निगम लिमिटेड	1	1.	तूतीकोरिन, तमिलनाडु
3.	रिलायंस इन्फोकाम लिमिटेड	1	1.	वर्सोवा बीच, मुंबई
4.	भारती एयरटेल लिमिटेड	2	1.	भारती एक्वानेट लिमिटेड, भारती टावर्स, 101 सेंथान हाई, चेन्नई
			2.	भारती एयरटेल लिमिटेड, ओसियनिक टावर, 101 सेंथान हाई, चेन्नई

राज्यों की वित्तीय सहायता में कटौती

3033. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग का विचार राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में भारी कटौती करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके फलस्वरूप राज्यों का विकास और योजना/परियोजनाओं की प्रगति किस हद तक प्रभावित होगी;

(घ) क्या योजना आयोग ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

युवा विकास केन्द्र

3034. श्री मो. ताहिर:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान युवा विकास केन्द्रों की स्थापना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक स्थापित किये गये केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कितने केन्द्रों की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) 2005-06 तक 2551 युवा विकास केन्द्र स्थापित किये गये हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 5000 युवा विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव था।

(घ) युवा विकास केन्द्रों का गठन, ग्रामीण युवा व खेल क्लब तथा मूल्यांकन की योजना के 6 घटकों में से एक है जिसके लिए दसवीं योजना में 17.60 करोड़ रु. वित्तीय परिव्यय है। इसके अंतर्गत युवा विकास केन्द्रों के लिए कोई निश्चित आबंटन नहीं है अभी तक युवा विकास केन्द्रों के गठन के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन को 76,53,000 रु. की राशि जारी की गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	युवा विकास केन्द्रों की कुल संख्या
1	2	3
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1
2.	आंध्र प्रदेश	148
3.	अरुणाचल प्रदेश	-
4.	असम	342
5.	बिहार	48
6.	चंडीगढ़	-
7.	दिल्ली	6
8.	दमन व दीव	-
9.	दादरा व नगर हवेली	-
10.	गोवा	1
11.	गुजरात	24
12.	हरियाणा	101
13.	हिमाचल प्रदेश	64

1	2	3
14.	जम्मू-कश्मीर	18
15.	कर्नाटक	175
16.	केरल	280
17.	लक्षद्वीप	-
18.	मध्य प्रदेश	129
19.	महाराष्ट्र	249
20.	मणिपुर	87
21.	मेघालय	11
22.	मिजोरम	-
23.	नागालैण्ड	10
24.	उड़ीसा	125
25.	पंजाब	9
26.	पांडिचेरी	25
27.	राजस्थान	46
28.	सिक्किम	6
29.	तमिलनाडु	164
30.	त्रिपुरा	21
31.	उत्तर प्रदेश	180
32.	पश्चिम बंगाल	282
	कुल	2551

पाकिस्तानियों को वीजा

3035. श्रीमती नीता पटैरिया: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004 से आज की तिथि तक कुल कितने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा प्रदान किया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): भारत का उच्चायोग, इस्लामाबाद द्वारा पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को वर्ष 2004 में 62,541, वर्ष 2005 में 90,663 और जनवरी-अगस्त, 2006 तक 53,810 वीजा जारी किये गये।

विदेश स्थित अन्य भारतीय मिशनों/केन्द्रों द्वारा पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को जारी वीजा के ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और उपलब्ध होते ही सदन के पटल पर रख दिये जाएंगे।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को प्रभावी बनाना

3036. श्री राकेश सिंह:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री गिरिधारी यादव:
श्री वाडिगा रामकृष्णा:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने देश में प्रदान की जा रही दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास उपभोक्ताओं को असंतोषजनक सेवा प्रदान करने वाली चूककर्ता कंपनियों पर दंड लगाने के संबंध में कोई कार्यकारी शक्तियां हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि तक किन-किन कंपनियों पर ऐसा दंड लगाया गया है; और

(छ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को और प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) ट्राई, दूरसंचार प्रचालकों से प्राप्त तिमाही कार्यनिष्पादन निगरानी रिपोर्ट के माध्यम से दिनांक 5 जुलाई, 2000 और 1 जुलाई, 2005 के विनियमों में अधिसूचित सेवा की गुणवत्ता संबंधी बैंचमार्कों के अनुसार बुनियादी और सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं के कार्यनिष्पादन की निगरानी करता है। ट्राई संकुलन संबंधी मासिक रिपोर्टों के माध्यम से "पॉइन्ट ऑफ इंटरकनेक्शन" (पीओआई) पर संकुलन की भी निगरानी करता है।

ट्राई ने सेवा की गुणवत्ता का तथ्यपरक निर्धारण करने और बुनियादी व सेल्युलर मोबाइल सेवा का ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी को भी नियुक्त किया है। दूरसंचार प्रचालकों और स्वतंत्र एजेंसी द्वारा दी गई रिपोर्टों के माध्यम से ट्राई दूरसंचार प्रचालकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गहनता से निगरानी कर रहा है।

निगरानी रिपोर्टों के माध्यम से पीओआई संकुलन की निगरानी से यह स्पष्ट हुआ कि पीओआई संकुलन वाले स्थानों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है और अनेक स्थानों पर पीओआई में संकुलन स्तर खतरनाक हद तक बढ़ा है। ट्राई, पीओआई में बढ़ते हुए संकुलन पर चिंता व्यक्त करता रहा है।

पीओआई संकुलन में लगातार वृद्धि के बारे में अत्यधिक चिंतित होने और सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा की गुणवत्ता संबंधी बैंचमार्क पूरे न करने के कारण ट्राई ने 29 नवम्बर, 2005 को सभी सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं को निदेश जारी किया कि वे 31 दिसम्बर 2005 तक यह सुनिश्चित करें कि सेवा की गुणवत्ता के पैरामीटर तथा उनके नेटवर्क में पीओआई संकुलन का स्तर पूरी तरह प्राधिकरण द्वारा निर्धारित बैंचमार्क के भीतर होना चाहिए। दिसम्बर 2005 को समाप्त तिमाही के लिए सेल्युलर मोबाइल प्रचालकों की कार्यनिष्पादन निगरानी रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हुआ कि हालांकि सेवा की गुणवत्ता संबंधी बैंचमार्क प्राप्त करने में कुछ सुधार हुआ है, किंतु पीओआई पर संकुलन बढ़ रहा है। इसलिए प्राधिकरण ने उन प्रचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया जिनके नेटवर्क में संकुलन वाले पीओआई की संख्या बैंचमार्क से अधिक हो गई है और तदनुसार प्राधिकरण ने 6.3.2006 को छह मोबाइल प्रचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। इन प्रचालकों ने कारण बताओ नोटिसों के विरुद्ध टीडीएसएटी में याचिका दायर की है।

(ग) जी, हां।

(घ) ट्राई ने निम्नलिखित विनियमों के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानक निर्धारित किये हैं:

(1) 5 जुलाई, 2000 को सेवा की गुणवत्ता और बुनियादी तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियम 2000 (2000 का 2), जिसे दिनांक 1 जुलाई, 2000 के सेवा की गुणवत्ता और बुनियादी तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियम, 2000 के तहत संशोधित किया गया।

(2) दिनांक 6 अक्तूबर, 2006 को "क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ ब्रॉडबैंड सर्विस रेगुलेशन 2006" (2006 का 11) पर विनियम।

(3) दिनांक 10 दिसम्बर, 2001 को सेवा की गुणवत्ता डायल-अप तथा लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस 2001 (2001 का 4) पर विनियम।

(4) 21.3.2006 को विभिन्न प्रचालकों द्वारा अनुरक्षण की जा रही प्रक्रियाओं के मानकीकरण तथा उनमें पारदर्शिता लाने के लिए सेवा की गुणवत्ता (कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर मीटरिंग एंड बिलिंग एक्यूरेसी) पर विनियम 2006।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) ट्राई अधिनियम 1997 का संशोधन 2000 में हुआ था और उसके अधिनिर्णायक कार्यों को विनियामक कार्यों से अलग कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) का गठन किया गया ताकि विवादों का निर्णय, अपीलों का निपटान हो, तथा सेवा प्रदाताओं व दूरसंचार क्षेत्र के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके और ट्राई दूरसंचार क्षेत्र के विनियम के संबंध में प्रभावपूर्ण रूप से अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करने में समर्थ हो सके।

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत प्रस्ताव

3037. श्री थावरचंद गेहलोत: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत चालू वर्ष के दौरान देश में केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) के अंतर्गत प्राप्त तथा स्वीकृत प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक स्वीकृति हेतु लंबित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें सड़कों की हालत खस्ता है;

(घ) विशेष सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों को कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) के अंतर्गत आबंटित राशि का अब तक उपयोग नहीं किया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान प्राप्त, अनुमोदित और अनुमोदन के लिए लंबित प्रस्तावों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अनुमोदन के लिए प्रस्तावों के लंबित होने का मुख्य कारण आबंटित धनराशि और राज्य सरकारों द्वारा धनराशि के उपयोग के आधार पर अनुमोदित की जाने वाली धनराशि का सीमित होना तथा प्रस्ताव के साथ अपेक्षित ब्यौरे को प्रस्तुत न करना है।

(ग) यह मंत्रालय मुख्यत: देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात योग्य स्थिति में हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सड़कों का अनुरक्षण राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

(घ) सरकार ने राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 2006-07 के दौरान 1846.61 करोड़ रु. आवंटित किये हैं।

(ङ) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत धनराशि विभिन्न राज्यों को वित्त वर्षवार आवंटित की जाती है। केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत धनराशि के वास्तविक उपयोग की जानकारी चालू वित्त वर्ष की समाप्ति पर ही मिलेगी।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07 के दौरान 31.10.2006 तक प्राप्त सीआरएफ प्रस्ताव		2006-07 के दौरान 31.10.2006 तक अनुमोदित सीआरएफ प्रस्ताव		2006-07 के दौरान 31.10.2006 तक अनुमोदन के लिये लंबित सीआरएफ प्रस्ताव	
		संख्या	धनराशि (करोड़ रु.)	संख्या	धनराशि (करोड़ रु.)	संख्या	धनराशि (करोड़ रु.)
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	134	341.00	1	3.00	133	338.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	11.29	4	13.85	2	11.29
3.	असम	1	4.99	1	4.99	0	0.00
4.	बिहार	7	37.70	0	0.00	7	37.70
5.	छत्तीसगढ़	16	59.26	10	24.54	6	29.74
6.	गोवा	1	3.54	0	0.00	1	3.54
7.	गुजरात	27	55.69	0	0.00	27	55.69
8.	हरियाणा	2	31.06	1	17.09	1	13.97
9.	हिमाचल प्रदेश	5	8.31	2	4.25	3	4.05
10.	जम्मू-कश्मीर	6	68.90	0	0.00	0	0.00
11.	झारखंड	1	10.79	2	33.96	1	10.79
12.	कर्नाटक	168	140.25	149	127.45	19	13.25
13.	केरल	8	36.33	3	17.78	0	0.00

1	2	3	5	6	7	8	9
14.	आंध्र प्रदेश	59	318.37	20	86.10	39	232.27
15.	महाराष्ट्र	230	796.61	47	128.01	183	668.60
16.	मणिपुर	7	22.50	0	0.00	7	22.50
17.	मेघालय	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18.	मिजोरम	7	17.45	0	0.00	7	17.45
19.	नागालैंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20.	उड़ीसा	11	44.36	11	44.36	0	0.00
21.	पंजाब	7	50.80	6	46.89	1	3.92
22.	राजस्थान	33	55.76	31	52.87	0	0.00
23.	सिक्किम	4	2.70	3	1.75	1	0.95
24.	तमिलनाडु	84	187.78	0	0.00	84	187.78
25.	त्रिपुरा	0	0.00	0	0.00	0	0.00
26.	उत्तरांचल	0	0.00	0	0.00	0	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	17	183.83	17	183.83	0	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	2	47.16	0	0.00	2	47.16
	उप जोड़	839	2536.43	308	790.72	524	1698.65
संघ राज्य क्षेत्र							
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30.	चंडीगढ़	1	3,75	0	0.00	1	3.75
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00
32.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00
33.	दिल्ली	9	12.91	0	0.00	0	0.00
34.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00
35.	पांडिचेरी	1	15.00	0	0.00	1	15.00
	उप जोड़	11	31.66	0	0	2	18,75
	जोड़	850	2568.09	308	790.72	526	1717.40

[अनुवाद]

पासपोर्ट कार्यालयों के लिए भवनों का निर्माण

3038. प्रो. एम. रामदास: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई पासपोर्ट कार्यालयों के किराये के भवनों में कार्यशील होने के कारण वर्षों से सरकार की किराया देनदारियां बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पासपोर्ट कार्यालयों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों से भूमि अधिग्रहण करने के लिए कदम उठाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो अब तक किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने पासपोर्ट कार्यालयों में मानवशक्ति का आउटसोर्स किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) यद्यपि, पिछले वर्षों में पासपोर्ट कार्यालयों के संबंध में किराया देयता में थोड़ी वृद्धि हुई है, पासपोर्ट कार्यालयों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों से भूमि का अधिग्रहण करने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। तीन पासपोर्ट कार्यालयों अर्थात बंगलौर, लखनऊ, जयपुर के लिए नए भवनों के निर्माण का कार्य अग्रिम चरण में है और पूरा हो जाने के बाद इन भवनों का कब्जा लिया जाएगा। बरेली स्थित पासपोर्ट कार्यालय के लिए भवन खरीदा गया है जो मार्च, 2007 में नए परिसर में कार्य करना शुरू कर देगा। मुंबई, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी में पासपोर्ट कार्यालयों के लिए भी उपयुक्त भूखंड खरीदे गए हैं। किराया देयता तथा निर्माण परियोजनाओं का विवरण संलग्न है।

(ङ) जी नहीं।

(च) लागू नहीं।

विवरण

भारत में पासपोर्ट कार्यालयों के लिए भूखंड का अधिग्रहण/किराए पर लेना

क्र.सं.	पासपोर्ट कार्यालय का स्थान	संपत्ति की स्थिति
1	2	3
1.	बंगलौर	भवन लगभग पूरा होने वाला है और अप्रैल, 2007 में इसका कब्जा मिल जाएगा।
2.	बरेली	एक निर्मित संपत्ति खरीदी गई है और पासपोर्ट कार्यालय मार्च, 2007 में वहां चला जाएगा।
3.	भुवनेश्वर	एक उपयुक्त भूखंड खरीदा गया है और इस पर कार्य शीघ्र शुरू किये जाने की संभावना है।
4.	भोपाल	मध्य प्रदेश सरकार से पासपोर्ट कार्यालय के लिए भूखंड आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
5.	गुवाहाटी	पासपोर्ट कार्यालय के लिए भूखंड खरीद लिया गया है।
6.	जयपुर	भवन लगभग पूरा होने वाला है और मई, 2007 में इसका कब्जा मिलने की संभावना है।
7.	जालंधर	उपयुक्त भू-खंड का पता लगा लिया गया है और इसे मार्च, 2007 के अंत तक खरीद लिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

1	2	3
8.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर सरकार से पासपोर्ट कार्यालय के लिए भू-खण्ड देने हेतु अनुरोध किया गया है।
9.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल की सरकार से एक उपयुक्त भूखण्ड देने के लिए अनुरोध किया गया है।
10.	लखनऊ	भवन का कार्य लगभग पूरा होने वाला है और मई, 2007 में इसका कब्जा मिल जाएगा।
11.	मल्लापुरम	मल्लापुरम जिले के प्राधिकारियों से एक उपयुक्त भूखंड आवंटित करने के लिए अनुरोध किया गया है।
12.	मुम्बई	भूखंड खरीद लिया गया है और इस पर कार्य शीघ्र शुरू किये जाने की संभावना है।
13.	रांची	राज्य सरकार से एक भूखंड आवंटित करने के लिए अनुरोध किया गया है।
14.	श्रीनगर	एक भूखंड का पता लगाया गया है और फरवरी, 2007 में इसका कब्जा ले लिया जाएगा।
15.	सूरत	पासपोर्ट कार्यालय द्वारा एक भूखंड का पता लगाया गया है और इस मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है।
16.	ठाणे	पासपोर्ट कार्यालय के लिए एक निर्मित भवन खरीदने के प्रयास किये जा रहे हैं।
17.	त्रिची	पासपोर्ट कार्यालय के लिए एक निर्मित भवन का पता लगाया गया है।
18.	त्रिवेंद्रम	पासपोर्ट कार्यालय के लिए एक निर्मित भवन का पता लगाया गया है।
19.	विशाखापत्तनम	एक भूखंड खरीद लिया गया है।

पासपोर्ट कार्यालयों के लिए भुगतान किये गये किराये

क्र.सं.	पासपोर्ट कार्यालय	2003-2004	2004-2005	2005-2006
1	2	3	4	5
1.	बरेली	2,16,296	2,16,296	2,16,296
2.	बंगलौर	35,21,608	35,23,473	35,42,219
3.	भुवनेश्वर	2,40,000	2,40,000	2,76,000
4.	भोपाल	1,59,168	1,59,168	1,59,168
5.	गुवाहाटी	4,61,460	4,61,460	4,61,460
6.	जालंधर	8,82,000	8,82,000	8,82,000
7.	जम्मू	3,70,260	4,03,920	4,03,920
8.	जयपुर	31,50,000	31,50,000	31,50,000

1	2	3	4	5
9.	लखनऊ	3,38,430	3,38,430	3,38,430
10.	मुम्बई	1,59,96,000	1,59,96,000	1,59,96,000
11.	पुणे	11,85,264	17,71,056	17,71,056
12.	रांची	3,47,724	3,47,724	3,47,724
13.	तिरूचिरापल्ली	6,10,380	6,10,378	6,10,376
14.	तिरूवनन्तपुरम	6,84,268	6,31,632	6,31,632
15.	ठाणे	26,71,196	26,48,471	26,56,163
16.	विशाखापत्तनम	4,43,400	4,43,400	4,61,426
17.	सूरत	11,77,176	11,77,176	11,77,176
	कुल	3,24,54,630	3,30,00,584	3,30,81,046

[हिन्दी]

बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद

3039. **श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'':**
डा. चिन्ता मोहन:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत तथा बांग्लादेश सीमा-विवाद अभी भी चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में भारत तथा बांग्लादेश द्वारा संयुक्त रूप से एक सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या एन्क्लेवों के आदान-प्रदान तथा बांग्लादेश के अधिग्रहण में भारत की 1500 एकड़ भूमि को लौटाने के संबंध में अंतिम निर्णय हो गया है; और

(च) यदि नहीं, तो उक्त निर्णय के कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 में संपन्न भू-सीमा करार को (1) तीन सैक्टरों नामत: लाठीटिल्ला-डुमाबरी (असम सैक्टर में तीन किलोमीटर); दक्षिण बेरूबारी (पश्चिम बंगाल सैक्टर में 1.5 किलोमीटर); और मुहुरी नदी/बेलोनिया सैक्टर (त्रिपुरा सैक्टर में 1.6 किलोमीटर) 6.1 किलोमीटर सीमा का सीमांकन (2) प्रतिकूल कब्जों का आदान-प्रदान, और (3) एन्क्लेवों के आदान-प्रदान से संबंधित तीन मुद्दों को छोड़कर क्रियान्वित कर दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) भारत सरकार, 1974 के भू-सीमा करार के अनुरूप एन्क्लेवों और प्रतिकूल कब्जों के आदान-प्रदान सहित सीमा से जुड़े सभी मुद्दों का शीघ्र समाधान करने की इच्छुक है। भू-सीमा करार के क्रियान्वयन से संबंधित सभी लम्बित मामलों का समाधान करने के लिए 2001 में दो संयुक्त सीमा कार्यदल गठित किए गये थे। अब तक इनकी तीन बैठकें हो चुकी हैं। संयुक्त सीमा कार्यदल की तीसरी बैठक 15-16 जुलाई, 2006 को ढाका में हुई जिसमें दोनों पक्षों ने स्पष्ट और सकारात्मक तरीके से सीमा से जुड़े सभी अनसुलझे मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। संयुक्त सीमा कार्यदल की बैठकें प्रतिवर्ष आयोजित करने और शीघ्रातिशीघ्र भारत और बंगलादेश के एन्क्लेवों और प्रतिकूल कब्जे वाले क्षेत्रों का संयुक्त दौरा करने पर सहमति हुई।

[अनुवाद]

अनुकम्पा आधार पर रोजगार योजना

3040. डा. के.एस. मनोज: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारियों के परिवारों को अनुकंपा आधार पर रोजगार योजना के लाभ देने में विलंब किया जाता है तथा उन्हें लाभ दिए ही नहीं जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत नियुक्ति हेतु प्रतीक्षारत आवेदकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बिना किसी विलंब के रोजगार प्रदान करने हेतु कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) अनुकम्पा नियुक्ति की मौजूदा नीति के अंतर्गत, ऐसी नियुक्तियां समूह 'ग' और 'घ' पदों (तकनीकी पदों को छोड़कर) पर एक वर्ष में रिक्त होने वाली सीधी भर्ती की ऐसी रिक्तियों की 5% की सीमा के अंतर्गत की जानी होती हैं। अनुकम्पा नियुक्ति हेतु किसी अनुरोध को अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक विचाराधीन रखा जा सकता है।

केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा की गई अनुकम्पा नियुक्ति/प्रक्रिया में डाली गई अनुकम्पा नियुक्ति के वैयक्तिक मामलों संबंधी जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) अनुकम्पा नियुक्ति की मौजूदा योजना लागू रहेगी।

प्रयोक्ता प्रभार अधिरोपित करना

3041. श्रीमती जयाप्रदा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने सिंचाई और अवसंरचना क्षेत्र परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु जनोपयोगी सेवाओं पर प्रयोक्ता प्रभार अधिरोपित करने के साथ-साथ राजसहायता में कटौती करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार योजना आयोग के सुझावों को लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किया जाएगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा यथाअनुमोदित 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दृष्टिकोण-पत्र में सुझाव दिया गया है कि "हमारा उद्देश्य वास्तविकता में गैर-योजना व्यय की बढ़ोतरी 5% प्रति वर्ष तक सीमित रखने का होना चाहिए। जीडीपी में लक्षित 9% के विकास के साथ इससे 10वीं योजना अवधि में जीडीपी के 23.0% के गैर-योजना व्यय को 11वीं योजना में लगभग 19.0% तक कम करने में सहायता मिलेगी। गैर-योजना व्यय की वृद्धि को कम करने में महत्वपूर्ण ढंग से हमारी योग्यता सब्सिडियों को नियंत्रित करने की हमारी योग्यता पर निर्भर करती है। सब्सिडियों को प्रभावी ढंग से उन पर लक्षित करके, जो इसके पात्र हैं और अपात्र सब्सिडियों को कम करके कम कर देना चाहिए। आधुनिक आईसीटी के प्रयोग के द्वारा हम लक्षित करने के कार्य में सुधार कर सकते हैं और हमें यह सुधार अवश्य करना चाहिए। केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए प्रयोक्ता प्रभारों को बढ़ाने से बचना और कुछ सार्वजनिक सेवाओं में बढ़ती हुई लागतों को वहन करना भी संभव नहीं है जबकि अधिकांशत: वे लोग जो उनका प्रयोग करते हैं वे एक युक्तिसंगत बढ़ोत्तरी सहन करने की क्षमता रखते हैं।"

यह नोट किया जाए कि दृष्टिकोण-पत्र सामान्यत: सब्सिडियों में कमी करने का सुझाव नहीं देता है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कैंसर के मामलों में वृद्धि

3042. श्री पी. मोहन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कैंसर के कारण मौतों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) वैश्विक स्तर पर मौत होने की तुलना में देश में मृत्यु प्रतिशत कितना है;

(घ) देश में सरकारी और निजी क्षेत्रों में राज्यवार कुल कितने कैंसर स्पेशिलिटी अस्पताल हैं;

(ङ) देश में ऐसे प्रत्येक स्पेशिलिटी अस्पताल द्वारा औसतन कितने कैंसर मरीजों का इलाज किया जाता है;

(च) क्या इन अस्पतालों द्वारा उपचारित मरीजों की संख्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और इसे उक्त मानक के बराबर लाने की समय सीमा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन कार्य कर रही भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री के जरिए एकत्र किए गए आंकड़ों से विगत वर्षों में कैंसर मौतों में किसी वृद्धि का पता नहीं चलता है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान अभिकरण (विश्व स्वास्थ्य संगठन), लियोन, फ्रांस द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार भारत में अनुमानित कैंसर मौतों की संख्या (2002 में 5.8 लाख) उसी वर्ष की अनुमानित घटनाओं (8.5 लाख) की लगभग 68 प्रतिशत थी। पूरे संसार के लिए सदृश अनुपात अनुमान लगभग 61.9 प्रतिशत था।

(घ) से (छ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और यह सुनिश्चित करना कि कैंसर का शीघ्र पता लगाने, निदान करने और उपचार करने की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं, विभिन्न राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार भी उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपकरण संस्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता कर रही है। देश में सरकारी और निजी क्षेत्र के कैंसर स्पेशियलिटी अस्पतालों की संख्या और प्रत्येक ऐसे स्पेशियलिटी अस्पताल द्वारा देखे गए कैंसर रोगियों की औसत संख्या के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि इनका केन्द्रीय स्तर पर रख-रखाव नहीं किया जाता। तथापि, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन इस मंत्रालय ने 25 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता दी है जो जांच सुविधाओं सहित व्यापक कैंसर पहचान और उपचार सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा भारत में लगभग 210 केन्द्रों में रेडियोथिरेपी उपचार भी उपलब्ध है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को चार लेनों से छह लेनों में बदलना

3043. डा. राजेश मिश्र: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को दिल्ली से पलवल तक चार लेन से छह लेनों में बदलने तथा सूरजकुंड बाईपास का निर्माण करने के काम की प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त परियोजना के काम को जल्दी पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 के विद्यमान 4 लेन के दिल्ली-पलवल खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-5 के भाग के तौर पर 6 लेन का बनाने के लिए अनुमोदित किया गया है जिस पर परामर्शी सौंपने के लिए केवल प्रारंभिक कार्य शुरू किया गया है। इस खंड को 6 लेन का बनाने का कार्य वर्ष 2010 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

देश में अरबपति

3044. डा. चिन्ता मोहन:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डालर के हिसाब से अरबपतियों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अरबपतियों की कुल संपत्ति सकल राष्ट्रीय आय का पांचवां भाग है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) गत दशक के दौरान ऐसे व्यक्तियों की प्रतिवर्ष औसतन संख्या में कितनी वृद्धि हुई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) आयकर विभाग कर निर्धारितियों की वार्षिक आय एकत्र करता है। संपत्ति अथवा परिसंपत्तियों के मूल्य संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बीपीओ उद्योगों में महिलाओं पर अत्याचार

3045. श्री अमिताभ नन्दी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बीपीओ उद्योगों में महिलाओं पर अत्याचारों के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले सामने आए; और

(घ) महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) दिसम्बर, 2005 में बंगलौर में बीपीओ/काल सेंटर में कार्य करने वाली लगभग 24 वर्षीय युवा महिला के पिक-अप वाहन चालक द्वारा बलात्कार एवं कत्ल की घटना के बारे में कई मीडिया रिपोर्टें प्रकाशित हुई थीं। एक अन्य मामले में काल सेंटर में कार्य करने वाली एक 25 वर्षीय युवती का जुलाई, 2006 में उसके एक पुराने साथी द्वारा कत्ल कर दिया गया।

(ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अथवा राष्ट्रीय महिला आयोग, नैसकॉम या एसटीपीआई के अनुसार बीपीओ केन्द्रों में महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों का कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(घ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने सूचित घटनाओं का संज्ञान लेते हुए दिल्ली/गुड़गांव/नोएडा में बीपीओ कम्पनियों/काल सेंटरों तथा संबंधित पुलिस प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की। इसमें हुए विचार-विमर्श के आधार पर आयोग ने दिशा-निर्देश तैयार किए जिसमें बीपीओ कम्पनियों/कॉल सेंटरों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा का सुनिश्चय किया गया है। ये दिशा-निर्देश दिल्ली, हैदराबाद, बंगलौर, पुणे, मुम्बई तथा चेन्नै में सभी बीपीओ कम्पनियों को भेज दिए गए हैं।

[हिन्दी]

निर्माण के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव

3046. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) द्वारा उन निर्माण की अवधि के दौरान सड़कों के रख-रखाव के संबंध में एक नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.एच.ए.आई. उदयपुर के शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-76 का रख-रखाव कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) निर्माण अवधि के दौरान विद्यमान सड़कों का अनुरक्षण 4 लेन बनाने के कार्यों के लिए नियुक्त सिविल ठेकेदार/रियायतग्राही द्वारा किया जा रहा है जिसके लिए करार/रियायत में पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) उदयपुर बाइपास को चार लेन का बनाने का निर्माण कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है और इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग-76 उदयपुर के शहरी हिस्से से गुजरता है। इसलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग-76 जो उदयपुर के शहरी हिस्से से गुजर रहा है, का अनुरक्षण उक्तपुर बाइपास का निर्माण कार्य पूरा होने तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। उदयपुर बाइपास परियोजना के शुरू होने से अब तक उदयपुर शहर के अनुरक्षण कार्य के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(1) 1.5 कि.मी. का आवधिक नवीकरण (राष्ट्रीय राजमार्ग 76 का 103.00-104.50 कि.मी.);

(2) आवश्यकता के अनुसार नियमित पेचिंग और पाट का भराव कार्य।

[अनुवाद]

विषाणु विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना

3047. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में विषाणु विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान प्रयोगशालाएं डेंगू, सार्स, प्लेग, मलेरिया, मेंनिनजाइटिस और चिकनगुनिया जैसी विभिन्न बीमारियों द्वारा उत्पन्न आपात स्थिति से निपटने हेतु पूर्णतया सुसज्जित हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसी और प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितने स्थापनों की पहचान की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) अपने फील्ड स्टेशनों के साथ राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे तथा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली शीर्ष उन्नत विषाणु विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं। विषाणु विज्ञान प्रयोगशाला की अवसंरचना संबंधी राज्यवार सूचना केन्द्र स्तर पर नहीं रखी जाती है।

राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे डेंगू, चिकनगुनिया, मेंनिनजाइटिस तथा अन्य विषाणुज संक्रमणों का निदान करने के लिए जांचें करता है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे एल.जी.एम. एंटी डेंगू तथा चिकनगुनिया विषाणु का पता लगाने के लिए सरकार तथा देश के अन्य संस्थानों को नैदानिक किटों की भी आपूर्ति करता है। राष्ट्रीय विषाणु संस्थान सार्स द्वारा उत्पन्न आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए उपकरणों से भी लैस है। इसके अलावा राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, दिल्ली वी.सी.आर.सी., पांडिचेरी तथा आर.एम.आर.सी., भुवनेश्वर के अलावा विभिन्न भौगोलिक स्थलों में अपने 10 फील्ड स्टेशनों के माध्यम से अनुसंधान करता है तथा मलेरिया एवं मच्छर के खतरे को नियंत्रित करने के लिए कार्यनीतियां तैयार करता है।

सरकार ने डेंगू तथा चिकनगुनिया ज्वर के उन्नत निदान के लिए निम्नलिखित 12 शीर्ष रैफरल संस्थाएं निर्धारित की हैं:

(1) राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे

(2) राष्ट्रीय संचार रोगी संस्थान, दिल्ली

(3) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर

(4) संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ

(5) स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, चंडीगढ़

(6) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

(7) राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्र रोग संस्थान, कोलकाता

(8) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, डिब्रूगढ़

(9) किंग इंस्टीट्यूट आफ प्रिवेंटिव मेडिसन, चेन्नई

(10) इंस्टीट्यूट आफ प्रिवेंटिव मेडिसन, हैदराबाद

(11) बी.जे. मेडिकल कालेज, अहमदाबाद

(12) स्टेट वायरोलोजी इंस्टीट्यूट अलाप्पूजा, केरल।

पासपोर्टों के कागज की क्वालिटी

3048. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पासपोर्टों के लिए प्रयुक्त कागज की क्वालिटी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या दूतावासों/उच्चायोगों द्वारा प्रयुक्त चिपचिपा/स्याही के कारण दूतावासों/उच्चायोगों द्वारा पासपोर्टों पर चिपकाये गये वीजा स्टीकर स्टीकरों की पिछली तरफ निशान छोड़ देते हैं जो दिखाई देते हैं;

(ग) यदि हां, तो उत्प्रवास प्राधिकारियों द्वारा यात्रियों के तथाकथित उत्पीड़न को रोकने के लिए इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार उत्प्रवास प्राधिकारियों को भी अनुदेश/निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी नहीं। भारतीय पासपोर्टों के लिए उपयोग में लाया जाने वाला कागज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का है। भारतीय पासपोर्टों की गुणवत्ता, सुरक्षा और डाटा विशेषताएं अंतरराष्ट्रीय नागर विमान संगठन (आई.सी.ए.ओ.) के मानकों के अनुरूप है।

(ख) जी नहीं। अभी तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

संचार/सूचना प्रौद्योगिकी योजनाओं का विकास

3049. श्री सूरज सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार हेतु कोई योजना बनाने तथा पिछड़े राज्यों विशेषकर बिहार में अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) बिहार के बेगुसराय तथा खगड़िया जिलों में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ङ) इन जिलों में ब्राडबैण्ड सेवाओं के विस्तार तथा उपलब्धता का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन राज्यों में लागू की जाने वाली सूचना प्रौद्योगिकी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) बिहार सहित पिछड़े राज्यों में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार करने और अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें प्रस्तावित की गई हैं:

(1) सरकार देश के ग्रामीण तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के लिए अवसंरचना प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम शुरू करने संबंधी कार्यवाही कर रही है। अवसंरचना का निर्माण उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां फिक्स्ड वायरलैस तथा मोबाइल सेवा नहीं है।

(2) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2006-07 के लिए नियोजित दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	मद	संपूर्ण देश के लिए	बिहार दूरसंचार सर्किल के लिए
1.	टेलीफोन एक्सचेंज के उपस्कर में निवल वृद्धि (लाख में)	100	1.6
2.	ब्राडबैंड कनेक्शन उपस्करों में निवल वृद्धि	6,00,000	20,400
3.	इन्टरनेट कनेक्शनों में निवल वृद्धि	8,00,000	5,300
4.	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की सुविधा रहित गांवों के लिए वीपीटी प्रदान करना	20,000	0
5.	आप्टीकल फाइबर केबल की निवल वृद्धि (रूट किलोमीटर में)	24,000	1,240
6.	ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज (टीएएक्स) क्षमता में निवल वृद्धि (किलो सीसीटी में)	1,200	50

(घ) और (ङ) बेगूसराय तथा खगड़िया जिलों में ब्राडबैंड सेवाओं का विस्तार तथा उनकी उपलब्धता सहित इन जिलों में कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित स्कीमों के नाम तथा उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	पैरामीटर	बेगूसराय	खगड़िया
1.	क्षमता (लाइनों) में		
	-वायरलैस इन लोक लूप (डब्ल्यूएलएल)	3,000	750
	-सेल्युलर मोबाइल	26,500	13,500
	सीधी एक्सचेंज लाइनें (डीईएल)		
	-लैंडलाइन	2,700	2,200
	-डब्ल्यूएलएल	3,000	750
	-सेल्युलर मोबाइल	26,500	13,500
3.	ब्राडबैंड कनैक्शन	255	-
4.	इन्टरनेट कनैक्शन	360	120
5.	टीएएक्स (के सीसीटी)	-	7
6.	ओएफसी (रूट किलोमीटर)	50	10

(च) बेगूसराय तथा खगड़िया जिलों में निम्नलिखित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्कीमें कार्यान्वित करने की योजना बनायी गई हैं:

(1) उपभोक्ताओं से संबंधित सभी कार्यों अर्थात् बिलिंग वाणिज्यिक, दोष मरम्मत सेवा तथा निर्देशिका पूछताछ के लिए डाटसाफ्ट साफ्टवेयर का कार्यान्वयन।

(2) बिलों के प्रेषण पर बुनियादी टेलीफोन उपभोक्ताओं को एसएमएस एलर्ट सुविधा का कार्यान्वयन।

(3) काल केन्द्र के माध्यम से मोबाइल और लैंडलाइन उपभोक्ताओं को कस्टरम केयर सेवाएं प्रदान करना।

डाक विभाग

(क) से (च) दसवीं योजना के दौरान, पिछड़े क्षेत्रों में स्थित डाकघरों सहित, संपूर्ण देश में दो से अधिक काउन्टरों वाले सभी बड़े डाकघरों में कम्प्यूटर सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बिहार के 293 डाकघरों को पहले ही कंप्यूटर की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

खगड़िया के ग्यारह बड़े डाकघरों और बेगूसराय के तीन बड़े डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

(क). से (च) बिहार सहित देश भर में निम्नलिखित दो स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं:

(1) स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्कीम (एसडब्ल्यूएएन):

इस स्कीम के अंतर्गत बिहार सहित संपूर्ण देश के सभी राज्यों के सभी प्रखण्डों, उप मंडलों तथा जिला मुख्यालयों में 2 एमबीपीएस कनैक्टीविटी प्रदान की जानी है। सरकार ने अक्टूबर, 2006 में "बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क" (बीएसडब्ल्यूएएन) परियोजना को मंजूरी दे दी है जिसका कुल पव्रिव्यय 256.24 करोड़ रुपये है।

(2) सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) स्कीम:

इस स्कीम में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों तक सरकारी तथा निजी सेवाएं प्रदान करने के लिए 1 लाख से अधिक ब्राडबैंड इन्टरनेट सुसज्जित सीएससी स्थापित करने की व्यवस्था है। इस स्कीम के अंतर्गत बिहार 7616 ब्राडबैंड, इन्टरनेट सज्जित सीएससी स्थापित कर पाएगा। बिहार में सीएससी स्कीम के लिए 119.20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

सीएससी तथा एसडब्ल्यूएएन स्कीमें बेगूसराय तथा खगड़िया जिलों में कार्यान्वित की जाएंगी।

एसडब्ल्यूएएन स्कीम तथा सीएससी दिशा-निर्देशों का ब्यौरा डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एमआईटी.जीओवी.आईएन वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

[अनुवाद]

पंचायत प्रेसीडेंट पद की नीलामी

3050. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री के. सुब्बारायण:
श्री ए. साई प्रताप:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में दलित महिला के लिए आरक्षित पंचायत प्रेसीडेंट पद की नीलामी की गई थी जैसा कि 19 नवम्बर, 2006 के 'सण्डे एक्सप्रेस' (दिल्ली संस्करण) में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार को इस प्रकार की शिकायतें देश के अन्य भागों से भी मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या किये जाने का प्रस्ताव है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) दिनांक 19 नवम्बर, 2006 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में यह बताया गया है कि तमिलनाडु में मदुरई जिले के कोदीकुलम गांव के एक दलित महिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए नीलामी की गई थी।

(ख) से (च) पंचायती राज मंत्रालय ने कथित समाचार रिपोर्ट पर तमिलनाडु सरकार से एक रिपोर्ट मांगी थी। तमिलनाडु सरकार ने मंत्रालय को सूचित किया है कि 15 अक्तूबर, 2006 को हाल ही में पूर्ण हुए चुनावों के दौरान श्रीमती वी. बालमणि ने चुनाव जीता है तथा कोदिकुलम के पंचायत के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। निर्वाचित किए जाने वाले 9 वार्ड सदस्यों में से पंचायत वार्ड सदस्यों के पद के लिए केवल 3 नामांकन ही प्राप्त हुए थे तथा वे निर्विरोध निर्वाचित हुए थे शेष 6 सदस्यों के लिए चुनाव, चुनावों के अगले दौर में करवाये जाने हैं जिनके लिए तारीखें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित की जानी है। तथापि, कुछ समाचार-पत्रों में यह सूचना थी कि कोदिकुलम पंचायत के एक गांव में पंचायत वार्ड सदस्यों के 6 रिक्त पदों के लिए चुनाव में उतारे जाने के लिए प्रत्याशियों का एकमत से निर्णय लेने के लिए दिनांक 18 नवम्बर, 2006 को एक बैठक हुई थी। राजस्व तथा पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की गयी जांच से पता चलता है कि उस गांव द्वारा दिए गए सुझावों पर कोदिकुलम ग्राम पंचायत का अन्य हेमलेट सहमत नहीं हुआ था। जिला प्राधिकारियों ने गांव पंचायत को शेष 6 सदस्यों के चुनाव के लिए स्थापित प्रजातांत्रिक मानदण्ड के अनुसरण की सलाह दी है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जिला प्राधिकारी कोदिकुलम गांव पंचायत में आगे की घटनाओं का गहन प्रबोधन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अप्रवासी भारतीयों की दोहरी नागरिकता

3051. श्री अजीत जोगी:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा आज की तिथि तक कितने भारतीयों की दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है तथा अब तक उन्हें क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जहां पर ऐसे भारतीय अभी भी निवास कर रहे हैं;

(ग) अगले वर्ष कितने अनिवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाएगी; और

(घ) सभी अनिवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता कब तक प्रदान कर दिये जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालर रवि): (क) 4 दिसम्बर, 2006 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय मूल के 79890 लोगों को प्रवासी भारतीय नागरिकता दी गई है। पंजीकृत प्रवासी भारतीय नागरिक निम्नलिखित लाभों के पात्र हैं:

(1) भारत की यात्रा करने के लिए बहुआयामी प्रवेश, बहु प्रयोजन, दीर्घावधि वीजा;

(2) भारत में कितने भी समय के लिए रुकने के लिए पुलिस प्राधिकारियों को सूचित करने से छूट;

(3) कृषि और बागान सम्पत्तियों के अधिग्रहण को छोड़कर वित्तीय, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में अप्रवासी भारतीयों के साथ समानता; और

(4) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(छ) के अन्तर्गत भारतीय नागरिकता दिये जाने के लिए आवेदन करने की पात्रता, यदि वह 5 वर्ष से ओ.सी.आई. के रूप में पंजीकृत हो और आवेदन करने से पूर्व के 5 वर्षों में से एक वर्ष से भारत में रह रहा हो।

(ख) सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) भारतीय मूल के सभी पात्र व्यक्ति प्रवासी भारतीय नागरिता के लिए आवेदन कर सकते हैं और जब कभी भी आवेदन करें, उन्हें प्रवासी भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी।

विवरण

4 दिसम्बर 2006 तक जारी किये गये ओ.सी.आई. दस्तावेज

क्रमांक	देश का नाम	शहर	जारी किये गये ओ.सी.आई. दस्तावेजों की संख्या
1	2	3	4
1.	कनाडा	वेंकुवर	1327
2.	कनाडा	टोरन्टो	5358
3.	कनाडा	वोटावा	546
4.	आस्ट्रेलिया	कैन्बरा	3763
5.	आस्ट्रेलिया	सिडनी	5723
6.	सं.रा. अमरीका	वाशिंगटन	3803
7.	सं.रा. अमरीका	सनफ्रांसिसको	9480
8.	सं.रा. अमरीका	न्यूयार्क	12209
9.	सं.रा. अमरीका	शिकागो	4891
10.	सं.रा. अमरीका	ह्यूस्टन	5798
11.	न्यूजीलैण्ड	वेलिंगटन	3292
12.	फिलिपीन	मनीला	67
13.	सिसेल्स	माहे	183
14.	श्रीलंका	कैंडी	678
15.	श्रीलंका	कोलम्बो	3970
16.	सं.रा. अमीरात	दुबई	427

1	2	3	4
17.	ब्रिटेन	लन्दन	6312
18.	स्वीट्जरलैण्ड	बर्न	577
19.	केन्या	नैरोबी	214
20.	ब्रिटेन	एडिन्बर्ग	215
21.	ग्रीस	एथेंस	18
22.	इटली	रोम	114
23.	पेरू	लीमा	9
24.	इजराईल	तेल अवीव	100
25.	बेल्जियम	ब्रुसेल्स	740
26.	बहरीन	बहरीन	39
27.	इन्डोनेशिया	जकार्ता	26
28.	ब्रिटेन	बर्मिंघम	1196
29.	मेडागास्कर	अन्टानानारियो	45
30.	सं.रा. अमीरात	अबूधाबी	90
31.	घाना	अकरा	8
32.	जर्मनी	मुनीख	12
33.	आयरलैण्ड	डबलीन	209
34.	स्वीडन	स्टाकहोम	204
35.	हंगरी	बुडापेस्ट	1
36.	सेनेगल	डाकर	6
37.	कोरिया (दक्षिण)	सिओल	17
38.	फ्रांस	पेरिस	169
39.	जापान	टोकियो	8
40.	चीन	संघाई	6
41.	सऊदी अरब	रियाद	61
42.	स्वीट्जरलैण्ड	जिनेवा	171

1	2	3	4
43.	नाईजीरिया	लागोस	8
44.	बंगलादेश	ढाका	6
45.	मारिशस	पोर्ट लूईस	55
46.	रोमानिया	बुखारेस्ट	1
47.	पुर्तगाल	लिस्बन	8
48.	साइप्रस	निकोसिया	5
49.	पोलैण्ड	वार्सोवा	8
50.	चेक	पेरागुवे	9
51.	क्रोसिया	जागरेब	4
52.	रियूनियन आईलैण्ड	सेंट डेनिस	20
53.	दार-उल-सलाम	बुनई	4
54.	वेनेजुएला	कारकस	81
55.	सऊदी अरब	जेद्दाह	5
56.	कुवैत	कुवैत	47
57.	फिनलैण्ड	हेलसिंकी	35
58.	त्रिनिडाड एण्ड टोबैगो	पोर्ट आफ स्पेन	27
59.	थाईलैण्ड	बैंकाक	
60.	दक्षिण अफ्रीका	डर्बन	80
61.	इटली	मिलान	233
62.	ओमान	मस्कट	38
63.	जापान	कोबे	15
64.	चीन	हांग कांग	5
65.	मेक्सिको	मेक्सिको सिटी	74
66.	नेपाल	काठमाण्डू	8
67.	कजाकिस्तान	अल्माटी	3

1	2	3	4
68.	सिंगापुर	सिंगापुर	52
69.	सूडान	खार्तुम	5
70.	ब्राजील	ब्रासिलिया	7
71.	आईवरी कोस्ट	अबिदजान	2
72.	स्लोवाकिया	बरातिस्लावा	1
73.	भारत	गृह मंत्रालय	6957
74.	भारत	अवर सचिव (प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय)	2
		कुल योग	79890

[अनुवाद]

जिनेवा कंवेंशन के नयाचार

3052. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने जिनेवा कंवेंशन में दो अतिरिक्त नयाचारों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त नयाचारों को अंगीकृत करने तथा उनका अनुसमर्थन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन प्रोतोकोलों के महत्वपूर्ण पहलुओं की पूर्णत: जांच करने के लिए सरकार निरंतर आवश्यक परामर्श कर रही है।

डीप वाटर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल

3053. श्री के. फ्रांसिस जार्ज: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कई डीप वाटर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनलों के विकास को स्वीकृति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार ऐसे कितने टर्मिनलों को स्वीकृति दी गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम में, महापत्तनों में 55,804 करोड़ रु. के अनुमानित निवेश से युक्त कुल 276 परियोजनाएं कार्यान्वित किए जाने हेतु चुन ली गई हैं। इन परियोजनाओं में, कोचीन-पत्तन पर बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर-यानान्तरण-टर्मिनल विकसित किए जाने के संबंध में, विभिन्न महापत्तनों में कंटेनर टर्मिनलों/घाटों को विकसित करवाए जाने की परियोजनाएं शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय कंटेनर यानान्तरण-टर्मिनल विकसित किए जाने के बारे में कोचीन पत्तन न्यास ने एक गैर-सरकारी टर्मिनल-संचालक से 31.1.2005 को एक लाइसेंस-करार निष्पादित कर लिया है। फिर भी, समुद्रीय व्यापार की मांगें ध्यान में रखते हुए, कंटेनर-टर्मिनल/घाटों को विकसित किए जाने की उपर्युक्त परियोजनाओं सहित, महापत्तनों में परियोजनाएं चुनना और उन्हें निष्पादित किए जाने हेतु सौंपा जाना, एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु धनराशि

3054. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए आबंटित की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपयोग न की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए धनराशि के आबंटन, उपभोग और अप्रयुक्त धनराशि के राज्यवार, वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। कुछ राज्य, समय पर प्राक्कलन प्राप्त न होने और जलवायु प्रतिकूल होने के कारण आबंटित धनराशि का पूर्णत: प्रयोग नहीं कर पाए हैं।

विवरण

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	2003-04			2004-05			2005-06		
		आबंटन	व्यय	अप्रयुक्त धनराशि	आबंटन	व्यय	अप्रयुक्त धनराशि	आबंटन	व्यय	अप्रयुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	37.42	35.39	2.03	34.67	25.81	8.86	39.07	39.09	-0.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.31	0.16	0.15	0.41	0.26	0.15	0.21	0.10	0.11
3.	असम	23.27	22.37	0.90	22.42	18.30	4.12	30.84	27.52	3.32
4.	बिहार	29.48	36.52	-7.04	36.96	36.61	0.35	47.66	44.46	3.20
5.	चंडीगढ़	0.28	0.31	-0.03	0.80	0.72	0.08	0.52	0.12	0.40
6.	छत्तीसगढ़	15.34	17.43	-2.09	26.99	19.75	7.24	20.55	20.12	0.43
7.	दिल्ली	0.42	0.00	0.42	0.75	0.00	0.75	0.44	0.04	0.40
8.	गोवा	5.03	5.01	0.02	3.80	1.76	2.04	4.66	3.87	0.79
9.	गुजरात	22.47	20.88	1.59	37.39	33.73	3.66	38.62	38.08	0.54
10.	हरियाणा	11.19	11.66	-0.47	7.09	6.42	0.67	15.43	14.12	1.31
11.	हिमाचल प्रदेश	13.45	10.77	2.68	16.10	14.66	1.44	23.27	18.19	5.08
12.	जम्मू-कश्मीर	0.54	0.46	0.08	0.44	0.04	0.40	0.12	0.03	0.09
13.	झारखंड	15.46	13.66	1.80	12.50	12.42	0.08	21.37	14.79	6.58
14.	कर्नाटक	38.73	39.35	-0.62	37.40	36.62	0.78	42.44	41.87	0.57
15.	केरल	20.81	23.66	-2.85	30.70	30.23	0.47	34.59	53.07	-18.48
16.	मध्य प्रदेश	57.50	68.80	-11.30	59.49	54.21	5.28	56.48	53.51	2.97
17.	महाराष्ट्र	49.85	48.71	1.14	48.48	47.34	1.14	52.60	52.36	0.24
18.	मणिपुर	6.96	7.33	-0.37	7.02	5.09	1.93	10.87	8.98	1.89
19.	मेघालय	9.41	9.20	0.21	12.24	11.70	0.54	10.69	8.50	2.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	मिजोरम	5.55	5.44	0.11	4.56	4.32	0.24	5.52	5.28	0.24
21.	नागालैंड	1.98	1.97	0.01	2.31	2.14	0.17	4.01	3.85	0.16
22.	उड़ीसा	42.51	40.53	1.98	33.83	32.82	1.01	40.92	41.22	-0.30
23.	पांडिचेरी	0.83	0.84	-0.01	1.06	0.83	0.23	0.77	0.76	0.01
24.	पंजाब	20.09	18.80	1.29	19.03	16.48	2.55	21.76	19.30	2.46
25.	राजस्थान	27.93	25.81	2.12	53.11	42.74	10.37	54.99	53.91	1.08
26.	तमिलनाडु	41.36	31.11	10.25	36.18	34.56	1.62	54.30	49.94	4.36
27.	उत्तर प्रदेश	55.68	55.19	0.49	54.92	52.10	2.82	51.18	50.01	1.17
28.	उत्तरांचल	3.66	2.62	1.04	10.60	10.20	0.40	16.10	15.87	0.23
29.	पश्चिम बंगाल	23.57	27.07	-3.50	26.22	22.94	3.28	29.87	28.05	1.82

(-) का अर्थ है धनराशि अधिक व्यय की गई।

[हिन्दी]

दूरभाष केन्द्रों हेतु भवनों का निर्माण

3055. श्री रामदास आठवले: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा दूरभाष केन्द्रों हेतु बनाए गए भवनों का राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पर वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या दिल्ली में दूरभाष केन्द्रों हेतु भवनों का निर्माण कार्य अभी भी जारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर कितनी धनराशि खर्च की जा रही है/किये जाने की संभावना है; और

(च) दूरभाष केन्द्रों हेतु निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान स्थापित एक्सचेंजों के राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

राज्य का नाम : हिमाचल प्रदेश

क्र.सं.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन-अवस्थिति	खर्च की गई राशि (लाख रुपए)			
		2003-04	2004-05	2005-06	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	साराहन, जिला सिरमौर	00.47	-	-	00.47
2.	रेकोंग पियो, जिला किन्नोर	02.24	-	-	02.24

1	2	3	4	5	6
3.	जामता, जिला सिरमौर	01.97	-	-	01.97
4.	काला आम्ब, जिला सिरमौर	-	-	03.02	03.02
5.	पट्टा मेहलोग, जिला सोलन	05.50	-	-	05.50
6.	कसौली-फेज-2, जिला सोलन	11.08	-	-	11.08
7.	आम्ब, जिला ऊना	36.17	-	-	36.17
8.	बाड़मौर, जिला चम्बा	20.57	-	-	20.57
9.	देहड़ा, जिला कांगड़ा	40.57	21.34	-	61.91
10.	केलोंग, जिला लाहौल स्पिति	10.86	-	-	10.86
11.	गोहर, जिला मंडी	02.18	-	-	02.18
12.	बड़माना, जिला बिलासपुर	56.68	09.57	-	66.17
13.	नादौन, जिला हमीरपुर	69.93	15.46	-	85.38
14.	करसोगम, जिला बिलासपुर	40.05	07.28	-	47.33
15.	कुठेरा, जिला बिलासपुर	23.76	17.68	-	41.44
16.	राहल, जिला हमीरपुर	44.82	02.47	-	47.29
17.	कुल्लु, जिला कुल्लु	18.46	16.34	-	34.80
18.	किल्लर, जिला चम्बा	00.03	40.21	26.17	66.41
19.	उदयपुर, जिला कुल्लु	-	02.05	04.59	06.64
	कुल	385.34	132.40	33.78	551.52
राज्य का नाम : झारखंड					
1.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन ध्रुव एसएसए-रांची	49.02	-	-	49.02
2.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, पालकोट एसएसए-रांची	05.75	-	-	05.75
3.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, दुधानी एसएसए, दुमका	26.44	-	-	26.44
4.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, पुकई एसएसए, दुमका	09.55	-	-	09.55
5.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, भरहारवा-दुमका	08.79	-	-	08.79
6.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, परदीह एसएसए, जमशेदपुर	01.15	-	-	01.15
7.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, गोलमुड़ी, जमशेदपुर	-	25.96	-	25.96

1	2	3	4	5	6
8.	वीई से जेड टाइप एम/डब्ल्यू भवन कुतुब, डाल्टनगंज	-	00.87	-	00.87
9.	वीई से एमडब्ल्यू भवन, डाल्टनगंज	-	11.90	-	11.90
10.	सी-डॉट 2002 टीई भवन, दुधानी, दुमका	46.00	01.33	-	47.33
11.	एमबीएम टाइप भवन जामात्रा, दुमका	05.23	22.47	-	27.70
12.	वीई से एमबीएम भवन देवधर, दुमका	-	-	15.86	15.86
13.	वीई से 2002 दुमका	-	-	07.79	07.79
	कुल	151.93	62.53	23.65	238.11
राज्य का नाम: पश्चिम बंगाल					
1.	वी/ई टेलीफोन एक्सचेंज भवन, हरिनावी	19.58	-	-	19.58
2.	वी/ई टेलीफोन एक्सचेंज भवन, जोका	07.88	13.50	-	21.38
3.	पटुली	05.09	00.71	-	05.80
4.	दाईहाट	04.20	02.43	-	06.63
5.	सेहरा बाजार	17.83	09.30	-	27.13
6.	बगीचान	05.60	-	-	05.60
7.	बैद्यपुर	01.78	04.47	01.06	07.31
8.	कालीघाट, जलपाईगुड़ी	11.65	-	-	11.65
9.	हिजली	24.04	-	-	24.04
10.	ताम्लुक	07.80	-	-	07.80
11.	खटरा सेन्ट्रल	13.50	-		13.50
12.	फरक्का	10.46	01.22	-	11.68
13.	चौलंदरी, ए एंड एन	17.38	-	-	17.38
14.	बाड़ला	12.01	08.57	05.01	25.59
15.	नमथांग, सिक्किम	-	12.23	01.66	13.89
16.	सिक्किम सिक्किम	06.13	05.78	-	11.91
17.	विष्णुपुर	16.20	27.32	-	43.52
18.	केशपुर	04.25	05.74	-	09.99

1	2	3	4	5	6
19.	बुलबुल चांदी	02.30	05.71	02.93	10.94
20.	एनटीपीसी, फरक्का	-	09.30	04.23	13.53
21.	कांदी	-	23.26	01.21	24.47
22.	रघुनाथगंज	06.02	09.23	-	15.25
23.	तुरानाबाद	17.45	06.30	-	23.75
24.	आर के पुर, एएंडएन	18.66	10.09	-	28.75
25.	नामुनगर, एएंडएन	14.53	03.40	-	17.93
26.	बरजोरा	02.61	16.77	01.36	20.74
27.	हंदपुर	01.48	01.97	06.70	10.15
28.	चटना	01.55	03.62	03.05	08.22
29.	बनगांव	-	-	08.05	08.05
30.	प्रांतिक	-	-	18.03	18.03
31.	रंगट, एएंडएन	-	34.46	19.94	54.40
	कुल	249.98	215.38	73.23	538.59
राज्य का नाम - तमिलनाडु					
1.	कीरमबुर	27.29	-	-	27.29
2.	मनिकामपल्लयम	09.45	-	-	09.45
3.	राजन नगर	21.65	-	-	21.65
4.	उथियूर	27.59	-	-	27.59
5.	कल्लाल	10.84	-	-	10.84
6.	मनामादुराई	28.08	-	-	28.08
7.	विरुद्धनगर	16.88	-	-	16.88
8.	विरुद्धनगर वीई	10.23	-	-	10.23
9.	स्वामीथोप्पू	15.21	-	-	15.21
10.	दिंडीचेयलपुरम	10.04	-	-	10.04
11.	पनागुडी वी/ई	14.47	-	-	14.47

1	2	3	4	5	6
12.	उलागनकुलम	09.81	-	-	09.81
13.	कन्याकुमारी वी/ई	04.32	-	-	04.32
14.	पम्बुकाईल सब्दाई	12.31	-	-	12.31
15.	नादूवकुरिची	06.91	-	-	06.91
16.	उक्कीरनकोट्टई	15.17	-	-	15.17
17.	पुंगालूर	23.77	-	-	23.77
18.	मदुलमपेट्टी	08.42	-	-	08.42
19.	कथानचावड़ी	18.75	-	-	18.75
20.	तिरूवेट्टीकुरम	08.61	-	-	08.61
21.	मंदपम	-	06.05	-	06.05
22.	नादम	-	07.67	-	07.67
23.	पल्लादम वी/ई	13.71	-	-	13.71
24.	तुलकरपट्टी वी/ई	06.31	01.72	-	08.03
25.	वीप्पलोडल	03.20	11.78	-	14.98
26.	चेरयूर	-	08.48	-	08.48
27.	चेनगम	17.38	11.07	-	28.45
28.	सिरूसेरी	10.83	23.82	-	34.65
29.	उत्तीरमेरूर	04.72	05.72	-	10.44
30.	वादुगोपट्टी	-	-	05.95	05.95
31.	सिपेकोट पेरूनुदुराई	-	-	05.88	05.88
32.	एरानाहल्ली	-	-	06.44	06.44
33.	पट्टीवेरनपट्टी	-	-	13.49	13.49
34.	कट्टूमनानारकोईल	-	-	14.81	14.81
35.	आरावाकुरिची	-	-	11.40	11.40
36.	औवुदयरकोईल	-	-	10.35	10.35
37.	कीरनूर	-	-	12.85	12.85

1	2	3	4	5	6
38.	आर.के. पेट	-	-	09.90	09.90
39.	सुब्रमण्यमपुरम	-	-	10.33	10.33
40.	कराईकुडी	00.05	18.98	16.19	35.22
41.	एस कुमारापलयम	-	-	06.95	06.95
42.	तिरूवदानई	-	-	05.32	05.32
43.	रामनगर	19.77	29.96	15.49	65.22
	कुल	375.77	125.25	145.35	646.37
राज्य का नाम : उड़ीसा					
1.	कामाख्यानगर	20.47	-		20.47
2.	बोईन्दा	10.05	-	-	10.05
3.	सम्बलपुर	16.02	-	-	16.02
4.	के. बलांग	04.13	-	-	04.13
5.	राजगनापुर	15.45	-	-	15.45
6.	चंद्रशेखरपुर	01.69	-	-	01.69
7.	कोणार्क	00.65	-	-	00.65
8.	खेलार	10.57	-	01.14	11.71
9.	राजकणिका	02.07	-	-	02.07
10.	जलेश्वर	03.65	-	-	03.65
11.	बहाल्दा	08.36	-	-	08.30
12.	चरम्पा	00.97	-	-	00.97
13.	बिसोई	03.72	-	-	03.72
14.	ऑल	07.85	-	-	07.85
15.	नाल्कोनगर	09.05	01.73	-	10.78
16.	हिंडोल	-	06.18	-	06.18
17.	क्योंझर	-	18.40	-	18.40
18.	परजांग	-	12.29	-	12.29

1	2	3	4	5	6
19.	परबेडा, जेपोर	18.00	07.83	-	25.83
20.	नयाहाट	02.96	02.77	-	05.73
21.	नागपुर	03.05	02.22	-	05.27
22.	गोइलुंडी	11.11	05.84	-	16.95
23.	खेल्लीकोटे	-	09.82	-	09.82
24.	बिसमकटक	06.08	14.06	-	20.14
25.	रजनीलागिरी	18.54	-	-	18.54
26.	अधानगढ़	09.93	11.04	-	20.97
27.	जमसोला	11.47	-	-	11.47
28.	बोनाईगढ़	-	-	15.56	15.56
29.	चरीछाक	13.95	03.19	05.18	22.32
30.	रघुनाथपुर	-	05.55	09.70	15.25
31.	जोरांदा	-	-	07.82	07.82
32.	धरमगढ़	-	-	11.03	11.03
33.	रायगढ़	00.65	05.89	15.02	21.56
	कुल	210.44	106.81	65.45	382.70
राज्य का नाम : उत्तर प्रदेश					
1.	बस्ता, बिजनौर	20.00	-	-	20.00
2.	औन्ला, बरेली	12.00	-	-	12.00
3.	बिसालपुर, पीलीभीत	05.00	-	-	05.00
4.	काल्लासा, मुरादाबाद	12.00	-	-	12.00
5.	शेरकोट, बिजनौर	04.00	-	-	04.00
6.	पिपालसाना बिजनौर	34.00	06.00	-	40.00
7.	बिसालपुर, पीलीभीत	08.00	-	-	08.00
8.	तंडा, रामपुर	04.00	-	-	04.00
9.	मानसरोबर, मुरादाबाद	14.00	15.00	-	29.00

1	2	3	4	5	6
10.	बराहापुर बिजनौर	12.00	07.00	01.00	20.00
11.	फीना बिजनौर	07.00	05.00	01.00	13.00
12.	बेहजोई, मुरादाबाद	08.00	04.00	-	12.00
13.	पुराईनी, बिजनौर	07.00	07.00	01.00	15.00
14.	माधोटंडा, पीलीभीत	13.00	11.00	01.00	25.00
15.	रायपुर सादत, बिजनौर	01.00	02.00	03.00	06.00
16.	गंगचई, पीलीभीत	09.00	00.00	06.00	15.00
17.	जैतपुर कलां आगरा	07.88	04.03	03.31	15.22
18.	ट्रांसपोर्ट नगर, मथुरा	17.92	15.93	02.94	36.79
19.	बिजोली, अलीगढ़	-	11.76	03.06	14.82
20.	राधापुरम, मथुरा	04.51	05.77	-	10.28
21.	चैतन्या विहार, मथुरा	07.32	03.49	-	10.81
22.	गोवर्धन, मथुरा	07.34	-	-	07.34
23.	बुखारावली, अलीगढ़	00.70	-	-	00.70
24.	एतमादपुर, अगरा	01.31	-	-	01.31
25.	टाऊनशिप, मथुरा	06.99	00.02	-	07.01
26.	गोविन्दपुरम, गाजियाबाद	55.90	-	-	55.90
27.	मवाना, मेरठ	38.00	-	-	38.00
28.	सूरजपुर, नोएडा	03.40	-	-	03.40
29.	नंदग्राम, गाजियाबाद	20.00	-	-	20.00
30.	फंदपुरी, सहारनपुर	05.60	09.80	-	15.40
31.	बेगराजपुर, मुजफ्फरनगर	-	03.49	12.63	16.12
32.	ताजपुर, मुजफ्फरनगर	-	03.95	07.03	10.98
33.	शिव चौक, मुजफ्फरनगर	-	31.00	35.00	66.00
34.	कादीपुर	02.72	-	-	02.72
35.	सवंजा	02.95	-	-	02.95

1	2	3	4	5	6
36.	लहरपुर	15.15	09.21	-	24.36
37.	बीई हरदोई	-	-	04.51	04.51
38.	मैगलगंज, लखीमपुर	-	05.00	04.68	09.68
39.	बीटीएचक्यू, नवाबगंज	02.14	-	-	02.14
40.	दर्शन नगर	00.97	-	-	00.97
41.	चैफरिया बहराईच	02.80	01.70	-	04.50
42.	मिहिनपुरवा	16.86	-	00.60	17.46
43.	वैदेही नगर	04.72	00.13	-	04.85
44.	टीई बिल्डिंग गुड़	02.98	01.52	-	04.50
45.	टीएचक्यू लक्ष्मणपुर	08.68	02.36	02.96	14.00
46.	जलापुर, फैजाबाद	10.33	-	00.12	10.45
47.	टीपी नगर, इलाहाबाद	07.32	-	-	07.32
48.	चाक हाजी	06.98	-	-	06.98
49.	सिंघवाल जौनपुर	-	07.83	-	07.83
50.	पर्यावान	-	01.39	-	01.39
51.	तार्ति	04.00	03.73	-	07.73
52.	सिघवान	06.90	02.14	-	09.04
53.	सथरिया	08.45	-	-	08.45
54.	लालगंज	06.60	-	-	06.60
55.	स्वीथाकलांन	04.00	05.53	-	09.53
56.	विश्वानाथगंज	-	-	10.67	10.67
57.	सिरसागंज	01.02	-	-	01.02
58.	जाखौरा	00.10	-	-	00.10
59.	जसवंत नगर	09.20	-	-	09.20
60.	मादवारा	00.14	-	-	00.14
61.	चिबरामाऊ	12.34	01.80	-	14.14

1	2	3	4	5	6
62.	सिकंदर	09.41	-	-	09.41
63.	सैफाली	41.81	01.46	01.18	44.45
64.	वीई टीई मैनपुरी	25.53	01.68	00.38	27.59
65.	अकबरपुर माटी, कानपुर	51.00	02.98	04.51	58.49
66.	टीई बिल्डिंग, फर्रुखाबाद	22.78	57.18	02.44	82.40
67.	तातिया कन्नौज	-	17.37	11.47	28.84
68.	इंदरगढ़	-	03.10	11.51	14.61
69.	मोहमदाबाद, फर्रुखाबाद	-	-	16.33	16.33
70.	गोहंद, हरमीपुर	00.33	-	-	0.33
71.	मिगापुर	03.45	-	-	3.45
72.	चौली, हमीरपुर	04.81	-	09.47	14.28
73.	इंदरानगर, बंदा	01.31	02.96	-	4.27
74.	खापतीया कलां, बादान	04.24	02.40	00.40	7.04
75.	गंगाविहार, जाजमाठ	00.36	21.61	08.56	30.53
76.	टीई सकालदलहा, चंदौली	06.00	-	-	6.00
77.	सिखद, मिर्जापुर	02.00	-	-	2.00
78.	10 केसी डीओटी, मिर्जापुर	09.00	-	-	9.00
79.	जाहनागंज, आजमगढ़	05.00	-	-	5.00
80.	चौन, आजमगढ़	08.00	-	-	8.00
81.	बबुराबाजार, आजमगढ़	11.00	01.00	-	12.00
82.	बरदान, आजमगढ़	04.00	-	-	4.00
83.	दिदारगंज	08.00	03.00	-	11.00
84.	दिऔत, आजमगढ़	12.00	04.00	-	16.00
85.	हितुगंज, आजमगढ़	13.00	01.00	-	14.00
86.	डीएलडब्ल्यू, वाराणसी	08.00	11.00	-	19.00
87.	शाजारपुर, आजमगढ़	06.00	03.00	00.50	09.50

1	2	3	4	5	6
88.	इब्राहिमपट्टी, बलिया	10.00	10.00	-	20.00
89.	सलेमपुर	10.00	04.00	-	14.00
90.	नवरतनपुर	06.00	04.00	01.00	11.00
91.	टिकादेवरी	09.00	06.00	-	15.00
92.	माल्दा	06.00	05.00	02.00	13.00
93.	कजीपुर	03.00	04.00	02.00	09.00
94.	बिमो, गाजीपुर	-	15.00	06.00	21.00
95.	दुद्दी, सोनेभाद्रा	-	17.00	06.00	23.00
96.	वारकापानो	-	02.00	36.00	38.00
97.	बंसी, सिद्धार्थनगर	03.26	02.00	-	05.26
98.	सोहरतगंज	07.88	-	01.53	09.41
99.	खुखुंद, देवरिया	10.55	-	-	10.55
100.	टीई बिल्डिंग, बंसी	10.59	-	-	10.59
101.	तिलौती, सिद्धार्थनगर	07.97	08.46	-	16.43
102.	बिर्दपुर	-	-	22.26	22.26
103.	निचलौल, महाराजगंज	-	-	03.18	03.18
	कुल	825.50	399.78	247.23	1472.51
राज्य का नाम : बिहार					
1.	मखदमपुर	13.53	-	-	13.53
2.	वीई 10 टीई बिल्डिंग, आरा	20.89	00.49	-	21.38
3.	टीई बिल्डिंग, कुदरा	20.75	-	-	20.75
4.	टीई बिल्डिंग, मोहनिया	08.75	-	-	08.75
5.	टीई बिल्डिंग, वाजीरगंज	-	37.46	-	37.46
6.	वीई 10 बिल्डिंग, गया	06.64	05.55	03.50	15.69
7.	टीई बिल्डिंग, नवीनगर	05.96	01.32	-	07.28
8.	वीआईई, मझौल	20.44	-	-	20.44

1	2	3	4	5	6
9.	वीआईई, एकमा	12.20	-	-	12.20
10.	एसबीएम, कोरहा	04.96	-	-	04.96
11.	एसबीएम, ठाकुरगंज	03.20	-	-	03.20
12.	वीआईई, कटिहार	10.50	-	-	10.50
13.	एसबीएम, मुस्कीपुर	03.14	-	-	03.14
14.	एसबीएम, पर्वतला	04.46	-	-	04.46
15.	वीआईई, महाराजगंज	14.20	-	-	14.20
16.	एसबीएम, बहादुरगंज	06.00	00.57	-	06.57
17.	एसबीएम, मसरख	05.54	00.23	-	05.77
18.	वीआईई, छपरा	01.53	00.93	-	02.46
19.	एसबीएम, गोपालगंज	31.63	11.50	-	43.13
20.	वीआईई, कोरसा	06.16	01.14	-	07.30
21.	एसबीएम, दिघवारा	29.67	16.03	-	45.70
22.	एसबीएम, मेरवा	02.22	02.93	-	05.15
23.	एसबीएम, सोनपुर	25.35	09.56	-	34.91
24.	एसबीएम, बेल्दौर	12.35	-	-	12.35
25.	सिवान	38.56	05.81	03.86	48.23
26.	वीआईई, बेगुसराय	-	15.00	13.85	28.85
27.	एमबीएम, मेसनौंदा	03.20	37.00	14.51	54.71
28.	एसबीएम, मांझी	13.63	02.02	09.17	24.82
29.	वीआईई, मँरवा	-	10.45	11.99	22.44
30.	लखमिनिया	06.62	22.21	04.00	32.83
31.	एमबीएम, सिहहीसलिया	16.31	08.34	08.48	33.13
32.	फतुरा	06.92	-	08.00	14.92
33.	मोकामा	03.56	-	-	03.56

1	2	3	4	5	6
34.	कसाइगांव	27.00	-	05.56	32.56
35.	इसीपुर	05.00	-	08.53	13.53
36.	बंसी	04.65	-	-	04.65
37.	गर्दनीबाग	01.18	15.92	-	17.10
38.	गर्दनीबाग एक्सटेन्शन	07.00	05.00	-	12.00
39.	पटेल नगर	12.61	32.62	-	45.23
40.	अमरपुर	06.73	-	-	06.73
41.	बकराम	01.00	09.99	02.00	12.99
42.	झाझा	04.00	35.00	01.59	40.59
43.	पटना शहर	-	14.00	17.00	31.00
44.	पुरानी	-	10.86	11.93	22.79
45.	जमुई	14.03	34.36	-	48.39
46.	एमबीएम टीई बिल्डिंग, बिजपुर	33.47	12.09	-	45.56
47.	टीई, उदकिशनगंज	21.94	-	-	21.94
48.	टीई बिल्डिंग, त्रिवेणीगंज	29.20	10.07	01.82	41.09
49.	टीई बिल्डिंग, माधेपुरा	31.43	-	-	31.43
50.	टीई बिल्डिंग, सुगौली	06.40	03.51	-	09.91
51.	टीई बिल्डिंग, खुतौरा	12.13	-	-	12.13
52.	टीई बिल्डिंग, मोतिहार	08.74	08.36	-	17.10
53.	टीई बिल्डिंग, मधुबनी	05.27	-	-	05.27
54.	टीई बिल्डिंग, राजरापुर	08.72	12.45	-	21.17
55.	टीई बिल्डिंग, शिवहर	08.89	03.62	-	12.51
56.	टीई बिल्डिंग, बेनीपुर	23.45	25.50	10.34	59.29
57.	वीई टीई, पकरीदयाल	-	13.27	03.42	16.69
	कुल	631.71	435.16	139.55	1206.42

1	2	3	4	5	6
राज्य का नाम : जम्मू-कश्मीर					
1.	आरएलयू, पुंछ	08.15	-	-	08.15
2.	वीई से आरएलयू, पुंछ	-	16.54	05.20	21.74
3.	एचई से पलहगाम, कश्मीर	03.75	-	-	03.75
4.	एचई से बर्जुल्ला, कश्मीर	12.06	02.28	-	14.34
5.	वीई से टीई, उधमपुर	20.72	02.64	-	23.36
6.	टीई बट्टलवलियां, उधमपुर	-	-	15.41	15.41
	कुल	44.68	21.46	20.61	86.75
राज्य का नाम : गुजरात					
1.	अदालज	02.50	-	-	02.50
2.	बारेजा	00.80	-	-	00.80
3.	देवकरण, मोवादा	00.60	-	-	00.60
4.	लिहोडा	00.30	-	-	00.30
5.	कथियाल श्रेणी-2	00.50	-	-	00.50
6.	धर्मज श्रेणी-2	00.90	-	-	00.90
7.	चेर	10.50	-	-	10.50
8.	चेकला	01.60	-	-	01.60
9.	चरोली	01.60	-	-	01.60
10.	देहगाम श्रेणी-2	11.00	-	-	11.00
11.	भगोदरा	04.00	-	-	04.00
12.	वतमान	04.00	-	-	04.00
13.	नांदेज	01.00	-	-	01.00
14.	वालठेरा	04.00	-	-	04.00
15.	बजार्दा	05.50	-	-	05.50
16.	बागड	05.50	-	-	05.50
17.	भिमंथ	05.50	-	-	05.50

1	2	3	4	5	6
18.	वीई वीरामगाम	04.50	06.50	-	11.00
19.	ढोलका श्रेणी-2	16.00	-	-	16.00
20.	वीई टीई, दाकोर	02.00	-	-	02.00
21.	संधिदा	10.50	-	-	10.50
22.	पिपली श्रेणी-1	06.00	-	-	06.00
23.	ढंढुका श्रेणी-2	15.80	04.70	-	20.50
24.	खस्ता श्रेणी-2	06.10	00.40	-	06.50
25.	नवादा श्रेणी-1	07.70	00.40	-	08.10
26.	जलिया श्रेणी-1	07.70	00.40	-	08.10
27.	पंचम श्रेणी-1	06.00	-	-	06.00
28.	लिंज, लांघनज, अखज	17.15	-	-	17.15
29.	भिलोडा	18.39	-	-	18.39
30.	रूपल, रायगढ़, सतनगर	09.63	-	-	09.63
31.	मटोडा, लंबाडिया और पोशिना	03.20	-	-	03.20
32.	लुनवा, उपेरा, हाजीपुर, सूरज नगर और काहोदा	19.53	-	-	19.53
33.	मोरिया और हसनपुर	09.90	-	-	09.90
34.	तार्कवाडा, शिवराज कंपा, अमरया और कसाना	07.04	-	-	07.04
35.	भिलाड़ी और लावनदाद	16.59	-	-	16.59
36.	पैया और कंकोल	10.10	-	-	10.10
37.	वुट्टा पल्डी और म्यू	04.70	-	-	04.70
38.	लखानी और वे	07.50	-	-	07.50
39.	असेदा	04.49	-	-	04.49
40.	समऊ मोता	03.75	-	-	03.75
41.	जेरदा	01.66	-	-	01.66
42.	मोदसा	17.37	-	-	17.37
43.	मालन	02.41	-	-	02.41

1	2	3	4	5	6
44.	राधानपुर	02.47	-	-	02.47
45.	अगिओल	01.42	-	-	01.42
46.	मुदेती, तस्काइउका और देहगम्दा	09.20	-	-	09.20
47.	वराही	24.33	-	-	24.33
48.	भांकवाल	04.62	-	-	04.62
49.	डाब्बड और इलोल	02.56	-	-	02.56
50.	सोनी	02.09	-	-	02.09
51.	बग्रोल, वरशिला, कुनवारा	04.28	-	-	04.28
52.	त्होल, धर्मपुर, कलोल	08.12	03.07	-	11.19
53.	खेडवा	03.96	-	-	03.96
54.	उन	06.72	00.39	-	07.11
55.	कुबाला	05.06	02.36	-	07.42
56.	वालम और उम्ता	06.51	-	-	06.51
57.	दुकोली और डुंगरसन	11.87	-	-	11.87
58.	उमेदगढ़	05.75	-	.	05.75
59.	खेराड़ी, मोधारी	12.77	-	-	12.77
60.	खातरदा	10.35	-		10.35
61.	अत्तर सुंबा, चितरोदा	04.75	-		04.75
62.	शिनोल	05.82	-	-	05.82
63.	गेरिता	12.98	-	-	12.98
64.	खिमियान्ना	06.21	-	-	06.21
65.	वोई टोई भवन, हिम्मत नगर	43.09	14.93	-	58.02
66.	गढ़ा	-	05.30	-	05.30
67.	सतीआसन कैट 1	-	03.23	10.47	13.70
68.	कटपुर कैट-1	00.29	-	-	00.29
69.	सिसोदरा कैट-1	00.29	-	-	00.29

1	2	3	4	5	6
70.	प्रतापनगर कैट-1	00.33	-	-	00.33
71.	जीतनगर कैट-1	00.22	-	-	00.22
72.	राजप्रदी कैट 2, टीई भवन	00.46	-	-	00.46
73.	अम्लेश्वर कैट-1, टीई भवन	00.74	-	-	00.74
74.	साधरा	00.32	-	-	00.32
75.	पगूठान	-	00.73	-	00.73
76.	टंकारिया	00.71	-	-	00.71
77.	सगताला	-	00.40	-	00.40
78.	सेवनिया	-	00.45	-	00.45
79.	रछर्दा	00.52	-	-	00.52
80.	डोली	00.35	-	-	00.35
81.	बास्का-2	00.15	-	-	00.15
82.	चावडी बाई	00.48	-	-	00.48
83.	वीरानिया	00.48	-	-	00.48
84.	कोटवारा	-	00.19	-	00.19
85.	संजेली	-	00.19	-	00.19
86.	मोरा	00.40	-	-	00.40
87.	वीई गोधरा	11.04	-	-	11.04
88.	रारोद	00.29	-	-	00.29
89.	डेरगली	00.29	-	-	00.29
90.	वाडी	00.44	02.17	00.60	03.21
91.	झगडिया	03.90	00.73	-	04.63
92.	डेडियापाडा	13.63	00.88	-	14.51
93.	फतेहपुरा	06.78	-	-	06.78
94.	सरदार पटेल	13.90	07.92	-	21.82
95.	गडबोरियाड	05.76	-	-	05.76

1	2	3	4	5	6
96.	भातपुर	05.76	-	-	05.76
97.	वीएफ, सधली	-	06.17	-	06.17
98.	वाधरा	03.40	01.70	00.71	05.81
99.	कैट-टोई मंडल	01.72	-	-	01.72
100.	उखल्दा	02.53	-	-	02.53
101.	बारवोधन	03.53	-	-	03.53
102.	मोरा	02.61	-	-	02.61
103.	सचीन	00.84	-	-	00.84
104.	रूम्ला	02.44	01.24	-	03.68
105.	उनई	01.90	-	-	01.90
106.	नवसारी	08.11	-	-	08.11
107.	संजन	05.09	-	-	05.09
108.	अम्बाधारा	02.86	-	-	02.86
109.	खेरगाम	07.99	-	-	07.99
110.	नानपोंडा	07.58	-	-	07.58
111.	नीजेर	01.17	00.47	-	01.64
112.	काप्रदा	01.97	00.70	-	02.67
113.	कोसाम्बा	18.38	-		18.38
114.	रांडेर	27.97	01.79	00.40	30.16
115.	अत्थान	14.20	01.10	-	15.30
116.	राम नगर	28.95	00.35	01.23	30.53
117.	सायन	09.58	19.02	00.05	28.65
118.	वासावन्द	00.14	-	-	00.14
119.	वढादारी	00.14	-	-	00.14
120.	हडाला	00.04	-	-	00.04
121.	होउाथाली	00.04	-	-	00.04

1	2	3	4	5	6
122.	चाचापार	01.86	-	-	01.86
123.	भारत नामगर	00.26	-	-	00.26
124.	संचनपार	00.70	-	-	00.70
125.	रंगपार	01.86	-	-	01.86
126.	अमर नगर	00.57	-	-	00.57
127.	मांडलिकपुर	00.57	-	-	00.57
128.	लाठ	03.72	-	-	03.72
129.	घटिंला	03.29	-	-	03.29
130.	डाल्डी	02.19	-	-	02.19
131.	तारसाई	05.78	00.80	-	06.58
132.	गोखरन	01.23	-	-	01.23
133.	मादवपुर घेड	05.68	-	-	05.68
134.	बाखराला	05.68	-	-	05.68
135.	मांदुरी	00.13	-	-	00.13
136.	चंटवाड	01.28	-	-	01.28
137.	ओदादर	00.47	-	-	00.47
138.	रातिया	00.46	-	-	00.46
139.	राणा वाडाला	01.33	-	-	01.33
140.	खिस्त्री	01.33	-	-	01.33
141.	कुकारश	00.14	-	-	00.14
142.	सूशवड	00.32	-	-	00.32
143.	खिजादिया	00.32	-	-	00.32
144.	लेरिया	00.07	-	-	00.07
145.	वेकारिया	00.06	-	-	00.06
146.	कदाया	-	00.06	-	00.06
147.	सोलज	00.08	-	-	00.08

1	2	3	4	5	6
148.	कोत्दा	05.82	-	-	05.82
149.	गरेज	00.09	00.18	-	00.27
150.	रंगपुर	00.20	-	-	00.20
151.	कोत्दा पीठ	00.66	-	-	00.66
152.	पीवावाव	00.17	-	-	00.17
153.	पांच तल्वाडा	00.05	00.15	-	00.20
154.	अंसोदर	00.04	00.15	-	00.19
155.	खिसरी	00.16	-	-	00.16
156.	गीगासन	00.16	-	-	00.16
157.	धरनगानी	00.32	-	-	00.32
158.	माणिकवाडा	00.10	-	-	00.10
159.	डाल्खनिया	00.10	-	-	00.10
160.	वावडी रोड़	00.38	-	-	00.38
161.	हनुमान पुरा	00.09	-	-	00.09
162.	जलिया	00.45	-	-	00.45
163.	जुंगर	00.37	-	-	00.37
164.	लाठी	02.18	00.71	-	02.89
165.	महियारी	05.82	-	-	05.82
166.	गरेज	05.81	-	-	05.81
167.	घंटिया प्राची	06.76	-	-	06.76
168.	सरकारी पिपल्वा	06.17	-	-	06.17
169.	टीई भवन, गोमतीपुर	-	06.20	-	06.20
170.	टीई भवन, विष्णुनगर	-	04.28	-	04.28
171.	टीई भवन स्कूल नं. 28, अहमदाबाद	-	-	03.78	03.78
172.	वानसा स्कूल नं. 2, अहमदाबाद	-	-	05.01	05.01
173.	स्कूल नं. 10, अहमदाबाद	04.47	-	-	04.47

1	2	3	4	5	6
174.	तालजा	18.96	-	-	18.96
175.	टीई भवन, धारेड़	04.25	-	-	04.25
176.	भंडारिया	00.44	-	-	00.44
177.	लाठीडाड	-	07.33	-	07.33
178.	डीटीओ काम्पलैक्स, सुरेन्द्र नगर	03.75	-	-	03.75
179.	नानाकरेल	02.04	-	-	02.04
180.	सुरेन्द्र नगर	02.30	-	-	02.30
181.	वगाडिया, सुरेन्द्र नगर	03.20	-	-	03.20
182.	खेरवा	07.06	-	-	07.06
183.	रणमालपुर	03.82	-	-	03.82
184.	बलोल	01.14	-	-	01.14
185.	टीई, भावनगर	09.15	-	-	09.15
186.	लीलापुर, सुरेन्द्र नगर	05.14	-	-	05.14
187.	मोजी डाल, सुरेन्द्र नगर	02.42	-	-	02.42
188.	मालनपुर, सुरेन्द्र नगर	01.44	-	-	01.44
189.	मेरूपुर, सुरेन्द्र नगर	06.20	-	-	06.20
190.	अरारियाना, सुरेन्द्र नगर	02.85	-	-	02.85
191.	पांसीवाना, सुरेन्द्र नगर	01.19	-	-	01.19
192.	द्वांयाना	14.56	-	-	14.56
193.	दासडा	04.88	-	-	04.88
194.	सरिया	01.42	-	-	01.42
195.	पीपली, सुरेन्द्र नगर	-	03.51	-	03.51
196.	खोडू, सुरेन्द्र नगर	02.06	01.06	01.05	04.17
197.	भाल्गमदा, सुरेन्द्र नगर	03.07	00.96	-	04.03
198.	सुसाव	-	05.92	-	05.92
199.	वामनबोर	-	03.46	-	03.46
200.	जैनाबाद, जिजूबाडिया	05.32	01.49	-	06.81
	कुल	897.56	124.14	23.3	1045.00

1	2	3	4	5	6
राज्य का नाम : हरियाणा					
1.	आरएलयू भवन, कलायत	-	16.50	-	16.50
2.	अनाज मंडी, बल्लभगढ़	47.25	16.66	-	63.91
3.	से. 2, गुड़गांव	24.06	22.29	-	46.35
4.	हैली मंडी, गुड़गांव	31.10	-	-	31.10
5.	टीई भवन, भूना	17.14	01.03	-	18.17
6.	अबोहर	10.34	03.20	-	13.54
7.	अकोला	02.63	04.18	00.16	06.97
8.	मंडी, अलेलेई	02.71	02.37	01.97	07.05
9.	गुडक्रा	03.86	03.64	00.82	08.32
10.	बरेली कलां	05.25	02.15	-	07.40
11.	खूंड	05.16	03.92	-	09.08
12.	दलीना	04.16	01.58	01.55	07.29
13.	औद्योगिक क्षेत्र बाबल	-	05.40	-	05.40
14.	नसीबपुर	-	06.90	08.02	14.92
15.	काम्बो	-	02.68	03.00	05.68
16.	डेरा अहीर	-	04.71	01.97	06.68
17.	सीहमा	-	02.74	01.86	04.60
18.	कोसली	-	-	24.83	24.83
19.	रेवाड़ी	-	-	31.28	31.28
20.	जंगरावली	-	-	15.52	15.52
21.	खेपपुर	44.00	01.00	-	45.00
22.	बुदमलिक	46.95	10.18	03.22	60.35
23.	पंचकूला	65.00	-	-	65.00
24.	जींद	-	-	30.00	30.00
	कुल	309.61	111.13	124.20	544.94

1	2	3	4	5	6
राज्य का नाम : छत्तीसगढ़					
1.	सुपा (राजगढ़)	08.41	02.05	-	10.46
2.	एचई एवं वीई, घड़घोड़ा	02.96	13.31	04.81	21.08
3.	एचई एवं वीई, जशपुरनगर	-	22.18	01.82	24.00
4.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, मानपुर	00.35	-	-	00.35
5.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, दोनारगढ़	-	-	10.43	10.43
	कुल	11.72	37.54	17.06	66.32
राज्य का नाम : अरुणाचल प्रदेश					
1.	डीटीओ भवन, बॉमडिला	69.51	-	-	69.51
2.	1.5के टेलीफोन एक्सचेंज भवन, सेप्पा में	27.05	-	-	27.05
3.	2के टेलीफोन एक्सचेंज भवन, तेजु में	-	65.77	-	65.77
4.	20के ओसीबी भवन, ईटानगर	-	201.44	-	201.44
5.	2के टेलीफोन एक्सचेंज भवन, खोंसा	-	52.48	-	52.48
6.	1.5के टेलीफोन एक्सचेंज भवन, देवमाली	-	-	26.55	26.55
	कुल	96.56	319.69	26.55	442.80
राज्य का नाम : मणिपुर					
1.	1.5के टेलीफोन एक्सचेंज, खुमबांग	26.00	-	-	26.00
2.	1.5के टेलीफोन एक्सचेंज भवन, हौरंगसाबल	25.00	-	-	25.00
3.	वीई टेलीफोन एक्सचेंज भवन, काकचिंग	17.00	-	-	17.00
4.	वीई, खुमांग	-	16.00	-	16.00
5.	कांगपोकपी	-	-	17.00	17.00
6.	वीई से 1.5के टेलीफोन एक्सचेंज, हौरंगसाबल में		-	13.00	13.00
7.	2के सी-डॉट टेलीफोन एक्सचेंज भवन, स्वमंबंग	-	-	65.00	65.00
	कुल	68.00	16.00	95.00	179.00

1	2	3	4	5	6
राज्य का नाम : नागालैंड					
शून्य					
राज्य का नाम : मध्य प्रदेश					
1.	रेहली, सागर	02.67	-	00.27	02.94
2.	एसबीएम, आम्ला	03.00	-	-	03.00
3.	एमबीएम, डीना	14.45	-	-	14.45
4.	वीई, हार्डा	00.10	-	-	00.10
5.	वीई अडमान भवन, बेतुल	03.82	-	-	03.82
6.	एच/ई पुराना टीई, खुर्किया	01.00	-	-	01.00
7.	टेलीफोन एक्सचेंज, साकेत नगर	56.88	-	-	56.88
8.	टेलीफोन एक्सचेंज कोलार रोड, भोपाल	12.37	-	-	12.37
9.	कोएक्सिअल, ईटारसी	04.88	-	-	04.88
10.	क्यूआरईएक्स, बेतुल	04.30	-	-	04.30
11.	क्यूआरईएक्स, गौरझमामर	02.19	00.80	-	02.99
12.	एसबीएम, मुल्ताई	18.48	16.98	-	35.46
13.	टेलीफोन एक्सचेंज, कोटारी	05.45	-	-	05.45
14.	श्यामपुर (सिहोर)	03.45	-	-	03.45
15.	पधार बेतुल में शेड	01.15	00.41	-	01.56
16.	चंदोला में बेट्स हट्स	01.11	-	-	01.11
17.	आरईएक्स भवन, कोठी बाजार	08.13	02.12	-	10.25
18.	टी चोला रोड	02.38	-	-	02.38
19.	बीटीएस कक्ष, मगरधा	01.79	01.53	-	03.32
20.	बीई, एटीएक्स, भोपाल	13.33	-	03.69	17.02
21.	दीरपुर, मोरेना	08.32	00.74	-	09.06
22.	सबलगढ़, मोरेना	04.24	-	-	04.24
23.	विकी फैक्टरी, ग्वालियर	02.47	-	-	02.47

1	2	3	4	5	6
24.	खुराई, सागर	-	34.24	-	34.24
25.	चनाटोरिया में क्यूआरईएक्स	05.25	03.12	-	08.37
26.	पोहरी शिवपुर	15.16	14.40	-	29.56
27.	महोना शिवपुर	-	12.26	-	12.26
28.	शिच कॉलोनी, ग्वालियर	04.82	-	01.02	05.84
29.	गुलाबगंज	10.42	-	-	10.42
30.	जज्जी, गुणा	-	24.72	-	24.72
31.	ई-6 अरेरा कॉलोनी, भोपाल	-	08.00	08.38	16.38
32.	एसडीएम, तिमरानी	-	08.31	05.61	13.92
33.	बोरदाही में टेलीफोन एक्सचेंज	-	01.77	05.92	07.69
34.	भीमपुर में टेलीफोन एक्सचेंज तथा एसक्यू	-	01.74	06.34	08.08
35.	डुनाबा	-	02.02	06.34	08.36
36.	प्रभात पट्टन में टेलीफोन एक्सचेंज तथा एसक्यू	-	02.02	04.98	07.00
37.	विदिशा	-	18.53	10.17	28.70
38.	क्यू रेक्स खकनर	18.43	-	-	18.43
39.	एस रैक्स टेलीफोन एक्सचेंज भवन, चापड़ा	02.53	-	-	02.53
40.	क्यू रेक्स टेलीफोन एक्सचेंज, कैलोड	10.13	-	-	10.13
41.	एसबीएम, भीकनगांव	04.77	-	-	04.77
42.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन अनुसूची सं. 78, इंदौर	15.63	-	-	15.63
43.	टॉनश्कलार्ड	01.80	-	-	01.80
44.	क्यू रेक्स सी कंटाफोड़	08.99	-	-	08.99
45.	वीई सीटीओ भवन, इंदौर	01.65	-	-	01.65
46.	क्यू रेक्स, खालवा	04.35	-	-	04.35
47.	सीएससी पोपोग्राउण्ड इंदौर	07.83	-	-	07.83
48.	एच एवं वीई एसबीएम भवन, सीतामऊ	05.80	-	-	05.80
49.	पीपली मण्डी	02.42	-	-	02.42

1	2	3	4	5	6
50	एमबीएम भवन, भानपुरा	06.97	-	-	06.97
51.	एसआरएएक्स-1, बालागुड़ा	06.69	-	-	06.69
52.	एसआरएएक्स माल्या, खेडी	04.18	-	-	04.18
53.	एसआरएएक्स, रिण्डा	11.60	-	-	11.60
54.	एसआरएएक्स भवन, डीगांवमाली	09.11	-	-	09.11
55.	एसआरएएक्स, टिगरीया	09.95	-	-	09.95
56.	बुध	09.29	-	-	09.29
57.	भावगढ़	09.56	-	-	09.56
58.	नाहरगढ़	08.38	-	-	08.38
59.	उमर	03.31	-	-	03.31
60.	कडवासा	01.94	-	-	01.94
61.	जनकपुर	02.80	-	-	02.80
62.	स्वर्णिया महाराज	03.71	-	-	03.71
63.	एमबीएम टेलीफोन एक्सचेंज भवन, मानसा	11.30	-	-	11.30
64.	एच एवं वीई एसबीएम, जवाड	01.16	-	-	01.16
65.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, कन्जार्डा	00.32	-	-	00.32
66.	एसआरएएक्स-2 पाल्सोड़ा	07.90	-	-	07.90
67.	जमुनिया कला	07.11	-	-	07.11
68.	सावन	09.84	-	-	09.84
69.	चितकेड़ा	03.51	-	-	03.51
70	ए एवं टी भवन, शाजापुर	20.71	-	-	20.71
71.	एसआरएएक्स-1 टेलीफोन एक्सचेंज, बंदेरी	05.15	-	-	05.15
72.	एसआरएएक्स-2 दरद	01.32	-	-	01.32
73.	एसआरएएक्स-2 टेलीफोन एक्सचेंज, सारसी	03.38	-	-	03.38
74.	रिसावान	01.47	-	-	01.47
75.	यात्रिका निवास, उज्जैन	02.44	-	-	02.44

1	2	3	4	5	6
76.	एसआरएएक्स-2 सुखेदा	10.27	-	-	10.27
77.	ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज भवन, इंडौक्स	01.10	-	-	01.10
78.	एसआरएएक्स-1, हटपीपला	09.95	03.31	-	13.26
79.	वीई से टीई, खाण्डवा	16.29	11.60	-	27.89
80.	महेश्वर में टेलीफोन एक्सचेंज भवन	-	23.73	08.43	32.16
81.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, खेटिया	-	13.02	07.08	20.10
82.	जीएसएम एक्सचेंज, चामुंडा माता	-	01.94	11.02	12.96
83.	सीएससी, राजगढ़	-	08.25	14.75	23.00
84.	वीई से टीई, झाबुआ	-	02.95	05.97	08.92
85.	जीएसएम/डब्ल्यूएलएल, नरसिंगापुर	-	-	04.42	04.42
86.	टेलीफोन एक्सचेंज गडीमल्हरा, छतरपुर	05.04	07.17	00.25	12.46
87.	टेलीफोन एक्सचेंज बालदेवगढ़, छरतपुर	10.32	00.96	00.19	11.47
88.	टेलीफोन एक्सचेंज नेवास, मांडला	14.59	02.30	-	16.89
89	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, छतरपुर	70.75	03.25	-	74.00
90.	टेलीफोन एक्सचेंज, बैडमलहेरा	-	09.82	03.27	13.09
91.	एचई एवं टीई मंगावन रेवा	02.24	-	-	02.24
92.	वीई टीई भवन, शाहडोल	06.29	-	-	06.29
93.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, शाहडोल	16.99	-	-	16.99
94.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन टिओथार रेवा	10.26	00.06	-	10.32
95.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन खानोडी, शाहडोल	12.77	-	-	12.77
96.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, सिधी	21.84	15.31	08.36	45.51
97.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, चुरहाट	02.65	06.83	03.09	12.57
98.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, कान्हा माण्डला	-	01.94	02.92	04.86
99.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, शाहपुरा	-	04.65	08.25	12.90
100.	एसआरआईएक्स, मझोली	-	02.05	04.74	06.79
101.	भेराघाट	-	04.75	04.35	09.10

1	2	3	4	5	6
102.	रोहनकला	00.95	04.62	05.48	11.05
103.	टिकुरी	-	02.85	04.65	07.50
104.	बारही	02.18	01.11	-	03.29
105.	एमबीएम सिओनी	07.30	04.31	05.30	16.91
	कुल	680.82	290.49	155.24	1126.55
राज्य का नाम : राजस्थान					
1.	मदनगंज	00.89	-	-	00.89
2.	दानपुर	04.10	-	-	04.10
3.	तलवाड़ा	00.95	-	-	00.95
4.	पदरू	02.57	-	-	02.57
5.	हरसानी	01.63	-	-	01.63
6.	गुदामलानी	00.59	-	-	00.59
7.	चंदन, जैसलमेर	04.13	-	-	04.13
8.	मण्डल	00.43	-	-	00.43
9.	बिजोलिया	05.29	-	-	05.29
10.	रतलई	00.89	-	-	00.89
11.	सुनेल	05.60	-	-	05.60
12.	खानपुर	00.88	-	-	00.88
13.	हरिगढ़	00.29	-	-	00.29
14.	मन्दौर	01.80	-	-	01.80
15.	कुरी भगतासिनी	00.54	-	-	00.54
16.	बोरनंदा	01.79	-	-	01.79
17.	चोपासानी एचबी	03.87	-	-	03.87
18.	कैथून	00.56	-	-	00.56
19.	इटावा	01.29	-	-	01.29
20.	पिपलादा	01.68	-	-	01.68

1	2	3	4	5	6
21.	नागौर	05.38	-	-	05.38
22.	जालीतरन	03.34	-	-	03.34
23.	खूकर	00.67	-	-	00.67
24.	पिपोरली	01.83	-	-	01.83
25.	धोड़	01.26	-	-	01.26
26.	लक्ष्मनगढ़	01.49	-	-	01.49
27.	कुदन	03.43	-	-	03.43
28.	माउंट आबू	05.47	-	-	05.47
29.	वी ई देवगढ़	01.14	-	-	01.14
30.	झडोल	01.22	-	-	01.22
31.	ट्रांसपोर्ट नगर, उदा	01.80	-	-	01.80
32.	वाना	01.79	-	-	01.79
33.	बेवर	25.19	-	-	25.19
34.	हरसोली	08.84	-	-	08.84
35.	शाहपुरा	29.67	-	-	29.67
36.	वीई चोमू	03.00	-	-	03.00
37.	वंधोथरी	12.77	-	-	12.77
38.	तानी	10.55	-	-	10.55
39.	नूआ	06.82	-	-	06.82
40.	जाखल	12.81	-	-	12.81
41.	झकोरा	13.36	-	-	13.36
42.	चनाना	10.08	-	-	10.08
43.	बालेसर	11.40	-	-	11.40
44.	संगोद	14.82	-	-	14.82
45.	सालपूरा	09.78	-	-	09.78
46.	छाबरा	04.46	-	-	04.46

1	2	3	4	5	6
47.	कयामसर	13.09	-	-	13.09
48.	मुदूं	10.13	-	-	10.13
49.	बे	05.33	-	-	05.33
50.	रामगढ़	11.62	-	-	11.62
51.	रिक्कू, सीकर	06.37	-	-	06.37
52.	सैला	17.08	-	-	17.08
53.	रेओदर	26.84	-	-	26.84
54.	सूरोथ, करौली	02.43	-	-	02.43
55	टोंक	19.47	-	-	19.47
56.	देवर	02.80	-	-	02.80
57.	गोगुंडा	03.37	-	-	03.37
58.	सालुम्बर	12.39	-	-	12.39
59.	मंजी का हाथा	02.95	02.95	-	05.90
60.	बिलोरा	00.06	03.94	-	04.00
61.	अनु	05.78	07.55	-	13.33
62.	देहू	03.27	10.17	-	13.44
63.	सुभाष नगर, जोधपुर	16.39	13.99	-	30.38
64.	मेरटा सिटी	12.52	16.75	-	29.27
65.	कूचमान सिटी	18.85	16.53	-	35.38
66.	बलोतरा	03.60	-	-	03.60
67.	मण्डीवास	07.00	05.57	-	12.57
68.	टोडी नगर	01.16	07.66	-	08.82
69.	दोग	20.00	02.50	-	22.50
70.	सरमाथुरा	08.00	03.30	-	11.30
71.	एसपीएम नगर	-	21.56	-	21.56
72.	हिण्डोन सिटी	06.00	03.70	-	09.70

1	2	3	4	5	6
73.	उच्चैन	-	08.00	-	08.00
74.	सुमेरगंज	-	-	06.02	06.02
75.	नैनावा	-	-	08.30	08.30
76.	कोलवारा	-	-	08.92	08.92
77.	सुकेई	-	-	10.08	10.08
78.	सिमलिया	-	-	11.32	11.32
79.	सुल्तानपुर	-	-	08.60	08.60
80.	नावा	-	-	14.43	14.43
81.	नगर	-	-	05.02	05.02
82.	नदोली	-	-	05.28	05.28
83.	नितरापुरा	-	-	01.05	01.05
84.	विधाधर नगर	-	-	69.02	69.02
85.	रनोली	-	-	08.25	08.25
86.	टोंडी नगर	-	-	01.01	01.01
87.	ममदीवास	-	-	00.07	00.07
88.	सुल्ताना	-	-	09.33	09.33
89.	भक्तावरपुरा	-	-	12.62	12.62
90.	नरहर	-	-	09.17	09.17
91.	महारा	-	-	10.05	10.05
92.	बरवासी	-	-	08.52	08.52
	कुल	478.64	124.17	207.06	809.87
राज्य का नाम : केरल					
1.	अचिकानम	-	-	08.30	08.30
2.	अंबालाप्पूझा	29.77	-	-	29.77
3.	अबंलाथारा	-	-	06.52	06.52
4.	अंरूवीप्पूरम	-	13.42	15.19	28.61

1	2	3	4	5	6
5.	अयरूर	-	08.25	06.49	14.74
6.	बलाल	07.54	11.44	00.90	19.88
7.	बेददका	20.15	-	-	20.15
8.	बीमण्डी	66.12	02.79	21.03	89.94
9.	भरथान नूर	-	09.65	13.01	22.66
10.	चदायामंगलम	12.18	08.64	01.06	21.88
11.	चेमपेरी	-	-	06.82	06.82
12.	चेरपलास्सेरी	01.03	-	-	01.03
13.	चेरूवथूर	07.94	00.77	-	08.71
14.	चिनाकदा	-	-	20.15	20.15
15.	चिरनकीझू	14.62	19.90	04.84	39.36
16.	चिन्तारीपरम्बा	-	22.67	-	22.67
17.	चुन्दा	14.19	10.08	02.70	26.97
18.	इदावीरा	-	-	00.60	00.60
19.	इदावन्ना	36.84	-	-	36.84
20.	इलाप्पुल्ली	04.99	-	-	04.99
21.	इरूममुंदा	00.84	30.16	17.22	48.22
22.	इरूमापेट्टी	02.92	-	-	02.92
23.	इझुकुमवयाल	18.00	-	-	18.00
24.	कदाचीरा	06.60	01.42	-	08.02
25.	कालीचंदाकम	05.23	24.85	01.45	31.53
26.	कलूर इकेएम	29.00	-	-	29.00
27.	कन्याकुलगांरा.	00.37	-	-	00.37
28.	कराकूनम	45.17	-	-	45.17
29.	करूकचाल	08.94	-	-	08.94
30.	करूकचाल बीएफ	-	-	18.40	18.40

1	2	3	4	5	6
31.	कट्टाथडका	05.99	15.67	02.45	24.11
32.	कुडान्नूर	-	15.50	-	15.50
33.	कोलालम	11.36	05.96	-	17.32
34.	कुबूंदीन्जमक्कल	07.07	-	-	07.07
35.	कूरूथेडो	15.05	00.72	-	15.77
36.	कुट्टीयुवम	04.72	-	-	04.72
37.	कुलाकड्डा	-	-	19.60	19.60
38.	कुर्मेलि	17.20	10.30	03.70	31.20
39.	कुनदास एचई	19.95	-	-	19.95
40.	कुनदारा वीई	07.25	-	-	07.25
41.	कुरूमन्नू	10.93	00.25	-	11.18
42.	मनक्कादावू	03.43	12.86	06.15	22.44
43.	मसंगलम	-	-	00.65	00.65
44.	मरनचेरी	14.41	-	-	14.41
45.	मट्टल	-	-	12.47	12.47
46.	मय्यील	23.51	-	-	23.51
47.	मेलूर	24.61	-	-	24.61
48.	मेनकुलम	-	-	13.29	13.29
49.	मुन्देरी	21.57	02.44	-	24.01
50.	मुन्देरी	21.57	02.44	-	24.01
51.	मुरीदकस्सेरी	18.00	15.00	-	33.00
52.	मुरीकस्सोरी वीई	-	-	22.00	22.00
53.	मयगांपल्ली	00.27	18.03	05.12	23.42
54.	नुदूमगंद	-	10.27	07.77	18.04
55.	नेलीमेसन	21.00	13.60	-	34.60
56.	नेरीमंगलम	-	-	11.88	11.88

1	2	3	4	5	6
57.	नीरानम	-	-	05.76	05.76
58.	उट्टा सेखरमंगलम	15.54	-	-	15.54
59.	पदुवापुरम	-	-	19.19	19.19
60.	पलायदनादा	11.28	07.76	-	19.04
61.	पल्लीमुक्कू वीइर्द	21.37	-	-	21.37
62.	पल्लूरूतिही	24.20	-	-	24.20
63.	पन्नथाडी	-	10.36	23.44	33.80
64.	पन्नवली	-	-	22.24	22.24
65.	पन्नावूर	18.18	04.55	03.03	25.76
66.	पवथीरनकावू	12.91	-	-	12.91
67.	परनदोदे	08.00	06.41	-	14.41
68.	परास्सला	02.74	-	-	02.74
69.	परावूर	20.37	-	-	20.37
70.	परीयारम	-	09.15	-	09.15
71.	परीमेदू	-	-	19.00	19.00
72.	पेरींगोमे	-	15.97	02.80	18.77
73.	पेरूम्बदावू	-	11.68	08.57	20.25
74.	पेरूम्बालम	12.04	16.23	01.18	29.45
75.	पेयाड	07.93	03.32	16.84	28.09
76.	पुलिगोमे	12.22	-	-	12.22
77.	पुथेनक्कूज	-	-	26.40	26.40
78.	पुथेनवेलीक्कारा	-	-	07.04	07.04
79.	क्वीलांदी	08.54	-	00.79	09.33
80.	राजाक्कड़	00.83	-	-	00.83
81.	राजपुरम	-	-	00.45	00.45
82.	राजामंथाली	-	-	10.11	10.11

1	2	3	4	5	6
83.	सूरानादू	43.55	-	-	43.55
84.	श्रीकंदापुरम	-	21.32	-	21.32
85.	श्रीकंदापुरम वीई	-	-	14.22	14.22
86.	थानीरमुककम	-	-	18.62	18.62
87.	थनूर	-	-	00.78	00.78
88.	थवानूर	-	-	00.47	00.47
89.	थील्लांकेरी	-	18.13	02.30	20.43
90.	थीरूमेनी	08.92	18.89	01.40	29.21
91.	उदीयकूंलगांरा	-	19.52	10.34	29.86
92.	उलीक्कल	-	21.59	04.04	25.63
93.	उपाला	15.22	00.34	-	15.56
94.	उरदूर	-	48.15	00.22	48.37
95.	वादा श्रीक्कारा	-	-	13.70	13.70
96.	वालावूर	11.16	-	-	11.16
97.	वल्लाकुन्नू	-	06.00	-	06.00
98.	वल्लीकावू	15.14	04.64	03.67	23.45
99.	वनीयप्पारा	-	07.68	11.60	19.28
100.	वरापूझा	-	-	22.00	22.00
101.	वट्टाप्पारा	14.79	06.62	04.06	25.47
102.	वट्ओयूरकाबू वीई	01.34	-	-	1.34
103.	वूचूचीरा	-	12.65	08.20	20.85
104.	वेल्लानड	28.25	-	-	28.25
105.	वेल्लारडा	13.99	-	-	13.99
106.	वेगांद	11.11	12.22	-	23.33
107.	वेजंराम्मूदू	09.19	-	-	9.19
108.	वेट्टीलप्पारा	14.63	08.45	-	23.08

1	2	3	4	5	6
109.	विथूरा	05.87	-	-	5.87
110.	वेलिंगटन आईलैण्ड	21.50	-	-	21.50
111.	येथाडका	-	-	23.46	23.46
	कुल	971.14	578.71	555.68	2105.53
राज्य का नाम : लक्षद्वीप					
1.	अगाथी	-	-	-	-
2.	अमीनी	-	-	-	-
3.	अन्दरोथ	28.00	-	-	28.00
4.	कदामथ	-	-	-	-
5.	कलपेनी	-	-	-	-
6.	किल्तन	-	-	-	-
7.	टीई/आईक्यू चेटलेट आईलैंड	-	-	-	-
8.	टीई/आईक्यू कवारथी	-	-	-	-
	कुल	28.00	-	-	28.00
राज्य का नाम : कर्नाटक					
1.	टीई नन्दागाड	04.28	-	-	04.28
2.	यादगीर	03.69	04.06	-	07.75
3.	4 बे एसबीएम, कडोली	04.98	-	-	04.98
4.	हुडाली	01.10	-	-	01.10
5.	बोम्मनहाली	03.51	-	-	03.51
6.	एमबीएम टीई सिरिसी	07.50	-	-	07.50
7.	4 बे एसबीएम, खानागांव	04.85	-	-	04.85
8.	वीई सिरसी	07.54	-	-	07.54
9.	4 बे एसबीएम, मुर्देस्वर	19.30	-	-	19.30
10.	4 बे आरएलयू, कानाबार्गी	07.05	-	-	07.05
11.	एमबीएम, हुकेरी	04.08	-	-	04.08

1	2	3	4	5	6
12.	6 बे आरएलयू, कानाबार्जी	07.35	-	-	07.35
13.	4 बे एसबीएम, बेनाडी	04.26	-	-	04.26
14.	जेरोसोपा	05.00	-	-	05.00
15.	साम्पोजे	23.32	-	-	23.32
16.	यादामंगला	06.81	-	-	06.81
17.	मर्काजां	06.11	-	-	06.11
18.	सावानूर	14.19	-	-	14.19
19.	सुबनान्या	15.77	-	-	15.77
20.	सिददाकाट्टे	13.68	-	-	13.68
21.	थोडी कानून	14.56	-	-	14.56
22.	इवार्नातलू	28.57	-	-	28.57
23.	हेम्माडि	14.49	-	-	14.49
24.	बास्पतना	16.79	07.50	-	24.29
25.	मुदागण्डूर	33.68	-	-	33.68
26.	सालागामे	24.58	-	-	24.58
27.	हेरागू	23.41	-	-	23.41
28.	एचएन पुरा	06.02	-	-	06.02
29.	पूरीगली	32.66	00.93	-	33.59
30.	मिर्ले	21.05	00.81	-	21.86
31.	कुडेरू	23.99	-	-	23.99
32.	शक्ति नगर	18.39	-	-	18.39
33.	चंचकाने	26.39	-	-	26.39
34.	पेराजे	42.50	-	00.27	42.77
35.	पांण्डवपुरा	04.05	-	-	04.05
36.	चेराम्बाने	30.00	-	-	30.00
37.	तालीकोरी	03.66	00.97	-	04.63

1	2	3	4	5	6
38.	बब्लेस्वर	11.97	00.61	00.31	12.89
39.	तेलगी	04.50	-	-	04.50
40.	बेबूर	04.66	-	-	04.66
41.	कुर्यालपुर	20.10	-	-	20.10
42.	वाडी	10.34	06.06	-	16.40
43.	बासवनबगवाडी	19.24	03.63	-	22.87
44.	मथाला	16.64	01.44	-	18.08
45.	लिंगसागर	16.80	-	-	16.80
46.	मुनीराबाद	09.49	05.75	-	15.24
47.	गोविउपाल्ली	08.50	-	-	08.50
48.	मंचेनबल्ली	07.70	-	-	07.70
49.	होन्नावाल्ली	19.90	-	-	19.90
50.	केवाड़ा	04.88	-	-	04.88
51.	जागालूर	02.00	-	-	02.00
52.	तोगर्सी अतिरिक्त	00.77	-	-	00.77
53.	नगारा	10.53	-	-	10.53
54.	आलाजेरिनान्दरी	30.14	-	-	30.14
55.	एम.एल. हाली	02.30	-	-	02.30
56.	तोरासी	02.47	-	-	02.47
57.	पशुरामपुर	04.30	-	-	04.30
58.	एसबीएमटीई, इंगाली	12.93	07.91	07.39	28.23
59.	एमबीएम टीई, गडग	13.10	35.31	-	48.41
60.	गुड्डीगांडी, टीई	02.66	00.53	-	03.19
61.	अतिरिक्त	04.87	03.56	-	08.43
62.	कालसा टी.ई.	04.12	04.90	-	09.02
63.	हसन डेरी	07.44	19.87	00.35	27.66

1	2	3	4	5	6
64.	जयानगर टीई	-	28.68	-	28.68
65.	कालगी नाम एसटीडी टीई	15.12	10.13	-	25.25
66.	गोविनप्पली अति. 2 बे	07.82	01.69	-	09.51
67.	शाहाबाद	08.21	03.19	-	11.40
68.	अल्दांगाडी टीई	01.36	21.64	-	23.00
69.	मदापुरा टीई	20.74	08.86	-	29.60
70.	नासुबाद	06.05	06.05	-	12.10
71.	एसबीएम टीई, गोनीकोपल	-	24.58	03.59	28.17
72.	4 बे एसबीएम टीई, ऐगाली	-	03.20	05.05	08.25
73.	एसबीएम, धर्मशाला	-	14.47	16.07	30.54
74.	एसीबीएम, शोरापुर	04.63	42.35	13.06	60.04
75.	जेवार्गी	17.69	10.95	10.50	39.14
76.	नान एसटीडी आरएलयू, बेलगाम	03.35	11.75	-	15.10
77.	टीई, ब्यारापुर	-	-	05.39	05.39
78.	टीई बंगलौर ईस्ट	-	15.35	20.52	35.87
79.	चन्द्रालायोर	13.57	22.78	-	36.35
80.	लो कास्ट टीई, दोदामाग्गे	-	-	05.19	05.19
81.	एमबीएम टीई, बेल्थांगाडी	-	18.84	21.15	39.99
82.	कार्नगाल	-	12.90	36.85	49.75
83.	हर्पनहल्ली आरएसयू	01.98	-	-	01.98
84.	टीई काम्पिल	09.95	-	-	09.95
85.	मुदाल्गी	09.31	-	-	09.31
86.	आलान्द	00.37	-	-	00.37
87.	मास्की	00.74	-	-	00.74
88.	तुमरी	09.43	04.09	-	13.52
89.	हुंगुण्ड	00.13	-	-	00.13
	कुल	911.96	365.34	145.69	1422.99

1	2	3	4	5	6
राज्य का नाम : आंध्र प्रदेश					
1.	टीई भवन कोथुर	02.00	10.00	-	12.00
2.	आत्माकूर	07.00	08.00	-	07.00
3.	रमन्नापेट्टा	08.00	07.00	-	15.00
4.	नेरेदुचिरा	05.00	14.00	-	19.00
5.	उदयगिरी	-	11.81	03.18	14.99
6.	आंध्र नगर	01.94	-	-	01.94
7.	सीथाम्माधारा	-	27.32	-	27.32
8.	बचन्नापेट	00.35	-	-	00.35
9.	गुडुर	01.00	-	-	01.00
10.	थोरूर	08.54	00.30	-	08.84
11.	चरियाल	05.49	-	00.21	05.70
12.	एनजीओ कॉलोनी वारंगल	-	06.16	04.53	10.69
13.	टीई भीमाडोले	04.58	29.90	02.21	36.69
14.	वीई भीमाडोले	-	10.48	06.17	16.65
15.	टीई जनाराम	02.92	05.72	-	08.64
16.	कमलापुरम	18.29	-	-	18.29
17.	वीई सखिनेटेपल्ली	00.78	-	-	00.78
18.	वीई अम्बालपीट	02.00	-	-	02.00
19.	टीई गांधी नगर	-	22.41	01.79	24.20
20.	टीई एलेस्वरम	-	18.28	00.25	18.53
21.	अटोनगर गुण्टूर	18.27	-	-	18.27
22.	गुराजाला	-	21.75	00.73	22.48
23.	हास्मापेट	19.09	01.22	-	20.31
24.	ईस्ट मारेदपल्ली	10.92	15.22	-	26.14
25.	टीई अनाजपुर	19.13	19.67	-	38.80

1	2	3	4	5	6
26.	टीई सुल्तानाबाद	08.87	04.48	00.50	13.85
27.	बोल्नपाल्ली	02.13	00.50	-	02.63
28.	कोरूतला	02.84	02.54	04.22	09.60
29.	येलारेडिडेपेट	-	07.30	07.76	15.06
30.	चेरला	06.22	05.16	-	11.38
	जोड़	155.36	241.22	31.55	428.13
राज्य का नाम : महाराष्ट्र					
1.	माहिम	00.61	-	-	00.61
2.	मोरवाडा	01.25	-	-	01.25
3.	केलवा	00.91	-	-	00.91
4.	विक्रमघाड	00.85	-	-	00.85
5.	कंचांड	05.30	-	-	05.30
6.	आफगांव	01.79	00.54	-	02.33
7.	खातिवली	05.20	02.50	-	07.70
8.	कल्हेर	01.99	-	-	01.99
9.	अनगांव	04.10	-	-	04.10
10.	गोवेली	04.13	-	-	04.13
11.	चिनचिनी	12.09	-	-	12.09
12.	बोलिनिज विरार	36.71	-	-	36.71
13.	सिडको बोलसर तारापुर	03.41	00.69	-	04.10
14.	निम्बावाल	-	03.44	-	03.44
15.	मुरबाद	10.00	11.97	-	21.97
16.	टीई शिरोल	17.51	-	-	17.51
17.	रूजूरी	04.07	-	-	04.07
18.	विठा	07.72	-	-	07.72
19.	जावालगांव	06.89	-	-	06.89

1	2	3	4	5	6
20.	कादीवाद गांव	07.68	-	-	07.68
21.	वीड़	50.15	08.70	00.21	59.06
22.	डामडी	95.67	-	-	95.67
23.	आरधापुर	08.90	-	-	08.90
24.	रोहिपिम्पलेगांव	03.41	-	-	03.41
25.	डेम्लूर	09.17	03.41	-	12.58
26.	स्नेह नगर	-	01.97	-	01.97
27.	टाडकलस	01.39	-	-	01.39
28.	पूसेगांव	-	03.51	-	03.51
29.	चूडावा	01.99	-	-	01.99
30.	हट्टा	03.41	-	-	03.41
31.	हादगांव	02.96	-	-	02.96
32.	वलूर	05.08	-	-	05.08
33.	पिंगली	04.83	-	-	04.83
34.	रामपुरी	02.92	-	-	02.92
35.	आदगांव	01.51	-	-	01.51
36.	रामेश्वरटाण्डा	03.38	01.12	-	04.50
37.	वारांगा	-	01.49	-	01.49
38.	आसेगांव	02.65	02.40	-	05.05
39.	कोल्हा	-	-	02.16	02.16
40.	शिराद शाहपुर	04.89	03.71	-	08.60
41.	भोगांव	-	01.99		01.99
42.	औधा	03.75	-	03.28	07.03
43.	मांदेगांव	-	05.32	-	05.32
44.	तालखेड	02.61	-	-	02.61
45.	औसा	06.40	-	-	06.40

1	2	3	4	5	6
46.	शिरूर (टी)	00.97	-	-	00.97
47.	काटगांव	01.40	-	-	01.40
48.	कुमथा	02.25	-	-	02.25
49.	वेगांव	05.12	-	-	05.12
50.	जालकोट	10.02	-	-	10.02
51.	डिगोल(डी)	03.38	-	-	03.38
52.	पानगांव	03.01	-	-	03.01
53.	नगर सोगा	07.17	00.96	-	08.13
54.	सताला	06.95	01.90	-	08.85
55.	सकोल	03.44	-	-	03.44
56.	धानेगांव	-	11.06	-	11.06
57.	शिरूर(ए)	12.80	03.04	-	15.84
58.	टोगारी	-	01.90	-	01.90
59.	बोरी	06.59	05.73	-	12.32
60.	खांदाली	03.44	03.80	-	07.24
61.	14 के सी-डॉट डिण्डोरी	08.22	08.07	-	16.29
62.	एसटीई गोगापुर	01.86	-	-	01.86
63.	एसटीई संरंगखेड़ा	02.21	-	-	02.21
64.	एसटीई प्रकाशा	01.61	-	-	01.61
65.	आरएलयू धूले	03.35	-	-	03.35
66.	भनदाने	06.37	00.37	-	06.74
67.	टीईआरटीटीसी नागपुर	02.60	02.42	-	05.02
68.	टीई गोधानी	03.54	-	-	03.54
69.	टीई हिंगना विलेज	01.71	03.81	-	05.52
70.	टीई मुडा	15.77	03.50	00.27	19.54
71.	नरेन्द्र नगर नागपुर	00.33	02.74	09.87	12.94

1	2	3	4	5	6
72.	टीई दुर्गापुर	09.25	01.40	-	10.65
73.	आईएलटी गिराड	01.64	-	-	01.64
74.	आईएलटी अंजाले	00.75	-	-	00.75
75.	टीई माडेगांव	03.59	-	-	03.59
76.	टीई मालोद	03.80	-	-	03.80
77.	आरएलटी असलगांव	-	04.00	-	04.00
78.	अंतरगांव	04.36	-	-	04.36
79.	बूम	01.00	-	-	01.00
80.	मंगलूर(के)	03.47	-	-	03.47
81.	पिम्परी	02.07	-	-	02.07
82.	सजना	09.87	-	-	09.87
83.	सजना(वी/ई)	03.91	-	-	03.91
84.	तरखेडा	03.49	-	-	03.49
85.	दाहिफल	05.21	03.12	-	08.33
86.	मकनी	06.42	01.49	-	07.91
87.	सास्तुर	-	03.14	-	03.14
88.	अरनगांव (अहमदनगर)	09.28	-	-	09.28
89.	एमआईडीसी	19.52	07.16	-	26.68
90.	शिरडी	21.69	02.77	-	24.46
91.	राजगुरू नगर	09.65	05.30	-	14.95
92.	अडमान टीई सतारा	72.01	21.12	-	93.13
93.	मोहमदवाडी	24.57	06.96	01.01	32.54
94.	धनकवाडी	13.22	04.39	-	59.61
95.	आईएलटी जाकादेवी	01.34	-	-	01.34

1
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

1	2	3	4	5	6
96.	अटपाडी	-	'	08.09	08.09
97.	टीई दाहिवाडी	03.52	21.59	-	25.11
98.	एचईटीई सावन्तवाडी	03.77	01.83	-	05.60
99.	आईएलटी भेदशी	08.05	-	-	08.05
100.	टीई मालवम	11.03	29.56	-	40.59
101.	14 केसी डीओटी होदगी एलएलपी	02.51	-	-	02.51
102.	चपलगांव	01.44	-	-	01.44
103.	सांगोला	02.91	-	-	02.91
104.	बोराजे	06.26	-	-	06.26
105.	डोम्बालवाडी	17.42	-	-	17.42
106.	निमगांव	14.41	-	-	14.41
107.	नाजारे	04.13	-	-	04.13
108.	बोरामानी	06.80	06.77	-	13.57
109.	ज्ञातुर	-	16.88	-	16.88
110.	आरन	-	13.44	-	13.44
111.	मंगलवेढा	26.62	17.94	-	44.56
112.	टीई मन्नामार	01.52	-	-	01.52
113.	पोइनगुइनिम	01.63	-	-	01.63
114.	वेलिम	10.66	-	-	10.66
115.	सानकोले	03.97	03.33	09.93	17.23
116.	फेरवोरिम	48.12	20.11	16.71	84.94
117.	कोलवा	-	08.35	-	08.35
118.	बागमालो	-	01.04	-	01.04
119.	अंजुना	-	-	03.91	03.91
	जोड़	776.27	348.92	55.44	1180.63

1	2	3	4	5	6
राज्य का नाम : महाराष्ट्र (एमटीएनएल, मुम्बई)					
1.	कुम्बाला हिल	406	243	225	874
2.	बांद्रा कुर्ला	77	205	04	286
3.	चरकोप-II	38	60	12	110
4.	एक्सार-I	170	139	57	366
5.	सेक्टर-19 वाशी	142	30	05	177
6.	बंगाल कैमिकल्स	77	144	44	265
7.	सीबीडी बेलापुर	314	224	48	585
8.	राबेल	142	176	79	397
9.	न्यू पांवेल	03	87	60	150
10.	खारघड़	08	74	76	158
	जोड़	1377	1382	610	3368
राज्य का नाम : मेघालय					
1.	1, 5 के टे.ए. मांदीपाथर	11.00	01.70	-	12.70
2.	एचई एंड वीई फोरेस्ट कॉलोनी शिलांग	11.50	-	-	11.50
3.	लघु टे.ए. एंड सीएससी नांग्पोह बाजार	-	20.31	07.37	27.68
4.	एचई 1, 5 के टे.ए. फोरेस्ट कॉलोनी, शिलांग	-	-	09.28	09.28
	जोड़	22.50	22.01	16.65	61.16
राज्य का नाम : मिजोरम					
1.	टे.ए. चिंचिप	32.00	-	-	32.00
2.	टे.ए. बिटाटे	40.00	-	-	40.00
3.	त्लुंगवेल	-	33.00	-	33.00
4.	वेस्ट फेलेंग	-	37.00	-	37.00
5.	जवॉक	-	-	39.00	39.00
6.	बीटीएस तथा डब्ल्यूएलएल कालकुठ	-	-	10.00	10.00
7.	ईस्ट लुंगदर	-	-	09.00	09.00

1	2	3	4	5	6
8.	बॉलपुई "एनजी"	-	-	13.00	13.00
9.	हिलापु	-	-	12.00	12.00
10.	चिंगफाल	-		10.00	10.00
	जोड़	72.00	70.00	93.00	235.00
राज्य का नाम : त्रिपुरा					
1.	1, 5 के टे.ए. सैगढ़	36.20	-	-	36.20
2.	मीर्जा	37.27	-	-	37.27
3.	हरिश्यामुख	32.28	-	-	32.28
4.	राधनगढ़	34.24	-	-	34.24
5.	सलेमा	23.43	23.43	-	46.86
6.	जी बी बाजार	15.62	-	-	15.62
7.	श्रीनगर	30.73	-	-	30.73
8.	एअरपोर्ट अगरतला	11.38	-	-	11.38
9.	वृद्धजंगनगर	-	15.62	-	15.62
10.	खुमलुंग	-	30.73	-	30.73
11.	बागमा	-	11.38	-	11.38
	जोड़	221.15	81.16	-	302.31
राज्य का नाम : असम					
1.	डलगांव	04.55	-	-	04.55
2.	फिलोबाड़ी	08.23	-	-	08.23
3.	कोकपाथर	18.89	-	-	18.89
4.	जोयपुर	20.28	-	-	20.28
5.	गोरियामाड़ी	02.96	-	-	02.96
6.	थेलामारा	07.55	-	-	07.55
7.	कटली चेरा	24.57	-	-	24.57
8.	बिहारा बाजार	20.71	-	-	20.71

1	2	3	4	5	6
9.	जागुन	19.14	00.70	-	19.84
10.	चपारवोआ	17.44	09.01	-	26.45
11.	खुगरीजन	17.14	07.53	-	24.67
12.	सेनारी	28.10	03.31	-	31.41
13.	जुरिया	31.84	06.64	-	38.48
14.	रूपही	15.97	06.11	-	22.08
15.	टिटाबोर	-	12.64	17.06	29.70
16.	सुलकुचि	08.31	04.88	12.00	25.19
17.	जलग्रोद	-	12.33	23.87	36.20
18.	उलुबाड़ी	-	04.53	46.47	51.00
19	सेरगन गुड़ी	-	-	25.12	25.12
	कुल	245.68	67.68	124.52	437.88
राज्य का नाम : पंजाब					
1.	आरएलयू जोधान	23.79	-	-	23.79
2.	बीबीवाला चौक भटिंडा	20.25	-	-	20.25
3.	बासियां	33.07	-	-	33.07
4.	जेल रोड लुधियाना	23.38	-	-	23.38
5.	आरएलयू भवन, भिंडर कला	29.07	-	-	29.07
6.	आरएलयू खानसिंह वाला	19.52	-	-	19.52
7.	आरएलयू रमीना	27.57	-	-	27.57
8.	वीई से टीई अहमदगढ़	22.60	-	-	22.60
9.	वीई से टीई पटियाला	18.30	-	-	18.30
10.	आरएयू गनौरी कलां	52.71	-	-	52.71
11.	आरएलयू लालरू	23.22	-	-	23.22
12.	आरएलयू नांगल	27.20	-	-	27.20
13.	टीई रोपड़	39.00	-	-	39.00

1	2	3	4	5	6
14.	पंचकुला सेक्टर 20	65.00	-	-	65.00
15.	कहनुवान	14.28	-	-	14.28
16.	आरएसयू गुरदासपुर	14.39	-	-	14.39
17.	जीएसएस एवेन्यू जालंधर	35.54	-	-	35.54
18.	चीईटीई भवन एफ पार्ट जालंधर	19.12	-	-	19.12
19.	आरएलयू गढ़ीवाल	46.39	-	-	46.39
20.	वई से टीई तलवंडी भाई	-	12.50	-	12.50
21.	वीई से टीई रोपड़	-	23.45	-	23.45
22.	वीई से आरएलयू माखु	-	11.58	-	11.58
23.	टीई सेक्टर 49, चंडीगढ़	92.00	21.31	-	113.31
24.	आरएलयू भवानीगढ़	07.12	20.31	-	27.43
25.	वीई से टीई सरहिंद	14.25	03.62	-	17.87
26.	टीई भवन, धारीवाल	28.02	03.02	25.64	56.68
27.	वीई से टीई, मोहाली	-	-	42.43	42.43
28.	वीई से टीई, रोपड़	01.31	22.45	10.05	33.81
29	आरएलवू जलालदी वांस	12.09	04.75	03.43	20.27
	कुल	709.19	122.99	81.55	913.73
राज्य का नाम : दिल्ली (एमटीएनएल)					
1.	आरएसयू भवन, पुष्प विहार, सेक्टर-3, नई दिल्ली	15.21	-	-	15.21
2.	आरएसयू भवन, पुष्प विहार, सेक्टर 4, नई दिल्ली	7.01	-	-	7.01
3.	आरएसयू भवन, सेक्टर-16 सी द्वारका, नई दिल्ली	31.67	-	-	31.67
4.	आरएसयू भवन, सेक्टर-20 डी द्वारका, नई दिल्ली	16.70	-	-	16.70
5.	आर एस यू भवन, सेक्टर-22, रोहिणी, नई दिल्ली	28.05	-	-	28.05
6.	आरएसयू भवन, नजफगढ़-2 दिल्ली	19.37	-	-	19.37
7.	टीई भवन, आनंद पर्वत, नई दिल्ली	-	-	50	50
8.	टीई भवन, डीएसआईडीसी, नरेला, दिल्ली	279	193	255	727

1	2	3	4	5	6
9.	टीई भवन, सेक्टर रोड, रोहिणी, दिल्ली	313	238	350	901
10.	आरएसयू सेक्टर-2, विस्तार, रोहिणी, दिल्ली	11.24	10.43	4.91	26.58
11.	टीई भवन मिंटो रोड, नई दिल्ली	379	634	593	1606
12.	टीई भवन, सेक्टर 19, द्वारका, नई दिल्ली	78.82	57.80	167.07	303.69
	कुल	1179.07	1133.23	1419.98	3732.28

अनुबंध II

दिल्ली में निर्माणाधीन टेलीफ्रेन एक्सचेंज भवन

क्र.सं.	भवन का नाम	खर्च की जा रही राशि	निर्माण कार्य के पूरा हो जाने की संभावित अवधि
1.	टी.ई. भवन, सरस्वती विहार, दिल्ली	17.06 करोड़	फरवरी, 07
2.	टी.ई. भवन, मयूर विहार, फेज-II दिल्ली	2.70 करोड़	जून, 08
3.	टी.ई. भवन, सेक्टर 4, रोहिणी, दिल्ली	1.50 करोड़	जून, 07
4.	टी.ई. भवन, शादीपुर, नई दिल्ली	13.60 करोड़	मार्च, 07

विदेशी गैर-सरकारी संगठनों का आतिथ्य सत्कार

3056. श्री महावीर भगोरा: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों के स्वयंसेवी संगठनों के सदस्यों को दिए जाने वाले आतिथ्य सत्कार का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत से विशेष रूप से उदयपुर से ऐसे स्वयंसेवी संगठनों की संख्या कितनी है जिनके प्रतिनिधियों ने गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी आतिथ्य सत्कार का आनंद लिया;

(ग) क्या यह सुविधा विदेशी मुद्रा के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) विदेशी अधिदाय (विनियमन) अधिनियम, (एफ.सी.आर.ए.), 1976 के अंतर्गत भारत में विभिन्न एसोसिएशनों (गैर-सरकारी संगठनों सहित) को उक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण/पूर्व अनुमति प्राप्त होने के पश्चात सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक अथवा धार्मिक क्षेत्रों में सद्भावपूर्ण कार्यकलापों के लिए विदेशी स्रोतों से योगदान प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पंजीकरण/पूर्व अनुमति, एसोसिएशनों के पदाधिकारियों के कार्यकलापों और पूर्ववृत्तों के विधिवत सत्यापन के बाद दी जाती है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अथवा पूर्व अनुमति प्राप्त एसोसिएशनों की राज्यवार और जिलावार सूची गृह मंत्रालय की वेबसाइट http://mha.nic.in/fore.htm. में उपलब्ध है। स्वैच्छिक संगठनों के सदस्यों को विदेशों से प्राप्त आतिथ्य सत्कार, इस अधिनियम के अंतर्गत विनियमित नहीं होता है।

राजस्थान सरकार से प्राप्त सलाह के अनुसार विदेश की यात्रा करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों को राज्य सरकार की सिफारिश/अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। गृह मंत्रालय द्वारा एफ.सी.आर.ए. के अंतर्गत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों के मामले में भी उसके पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों द्वारा राज्य सरकार को सूचना प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सड़कों के विकास हेतु मध्य अवधि योजना

3057. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खराब सड़क संपर्क के मद्देनजर केन्द्र सरकार के सड़कों के विकास के लिए मध्य अवधि की एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिए राज्यवार चालू वर्ष के दौरान अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत तथा जारी की जा चुकी है; और

(घ) सड़कों के विकास हेतु पर्याप्त धनराशि प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सड़कों के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पंचवर्षीय योजना के आधार पर किया जाता है। मध्य अवधि योजना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) चालू वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आबंटित और व्यय की गई राशि के राज्यवार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(घ) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए धनराशि में वृद्धि करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उपकर लगाया है।

विवरण

वर्ष 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधियों का आबंटन और व्यय

क्रम सं.	राज्य	आबंटन (करोड़ रु.)	31.10.08 तक व्यय (करोड़ रु.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	87.34	29.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.00	2.23
3.	असम	66.85	26.18
4.	बिहार	84.06	29.35
5.	चंडीगढ़	2.00	0.37
6.	छत्तीसगढ़	52.44	17.25
7.	दिल्ली	15.50	0.03
8.	गोवा	5.00	1.12
9.	गुजरात	67.69	33.09
10.	हरियाणा	50.00	23.36
11.	हिमाचल प्रदेश	45.00	17.35
12.	झारखंड	40.00	12.94
13.	कर्नाटक	78.90	41.50
14.	केरल	62.01	16.59
15.	मध्य प्रदेश	94.63	30.49
16.	महाराष्ट्र	114.45	45.33
17.	मणिपुर	15.09	7.87
18	मेघालय	26.89	8.32
19.	मिजोरम	20.00	1.51
20.	नागालैंड	11.00	0.91
21.	उड़ीसा	66.37	36.88

1	2	3	4
22.	पांडिचेरी	5.00	0.21
23.	पंजाब	53.33	36.49
24.	राजस्थान	80.36	36.23
25.	तमिलनाडु	87.69	27.89
26.	उत्तर प्रदेश	140.94	43.95
27.	उत्तरांचल	41.85	38.00
28.	पश्चिम बंगाल	55.00	14.65
29.	सीमा सड़क संगठन	584.00	292.20
30	भा.रा.रा.प्रा.	8645.45	3440.91

*सीमा सड़क संगठन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है।

स्पेशल पर्पज व्हिकल की स्थापना

3058. श्री वसुदेव आचार्य: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. विदेशों में कोकिंग और गैर-कोकिंग दोनों प्रकार के कोयला ब्लाकों की बोलियां लगाने के लिए स्पेशल पर्पज व्हिकल की स्थापना पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) सीआईएल बोर्ड ने मांग-आपूर्ति में बढ़ते हुए अंतर और भारत में आयातित कोयले की मात्रा पर विचार करते हुए विदेश में कोयला व्यवसाय के अवसारों में प्रवेश करने के लिए कोल विदेश के नाम से सीआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है। इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन

3059. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विद्युत उत्पादन हेतु उत्तर-पूर्व क्षेत्र में जल निकायों तथा प्राकृतिक गैस के बड़े प्राकृतिक संसाधनों को दोहन करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु इन संसाधनों की अनदेखी करने के क्या कारण है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) यह एक नीति के रूप में माना जाता है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जल निकायों और प्राकृतिक गैस से विद्युत उत्पादन की विपुल संभावना है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पता लगाई गई कुल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक संभावना 63257 मे.वा. है। विकसित की गई क्षमता 1179 मे.वा. है। प्रमुख निर्माणाधीन क्षमता 3453 मे.वा. है। इसके अतिरिक्त राज्य सैक्टर में अनेक लघु विद्युत परियोजनाएं हैं। कार्यान्वयन के अधीन गैस/एच एफ ओ आधारित विद्युत परियोजनाओं की क्षमता 810.1 मे.वा. है। योजना आयोग ने मंत्रालय को सूचित किया है कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में पावर सैक्टर द्वारा 10वीं योजना के दौरान व्यय 3743.98 करोड़ रु. होने का अनुमान है।

इस क्षेत्र में बिजली उत्पादन की विपुल संभावना को देखते हुए पूर्वोत्तर परिषद ने नवंबर, 2006 में नई दिल्ली में आयोजित अपनी पिछली बैठक में निर्णय किया था कि स्टेकधारकों के साथ इस विषय पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए परिषद की विशेष सैक्टोरल बैठक आयोजित की जाए। यह बैठक केन्द्रीय मंत्री, डोनर की अध्यक्षता में 16-17 जनवरी, 2007 को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में आयोजित की जानी है और उत्तर पूर्व के सभी मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों को आमंत्रित किया जाना है। इसके अतिरिक्त एन ई सी ने भी निर्णय किया है कि केन्द्रीय मंत्रालय सभी संबंधितियों के साथ मासिक आधार पर क्षेत्र में विद्युत सैक्टर की समीक्षा करेगा।

खेल पुनर्वास केन्द्र

3060. श्रीमती अर्चना नायक: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में एक भी उच्च गुणवत्ता वाला खेल पुनर्वास केन्द्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में इन सुविधाओं की कमी के कारण भारतीय खिलाड़ियों को इलाज हेतु आस्ट्रेलिया भेजा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) भारतीय खेल प्राधिकरण (भाखेप्रा) के क्षेत्रीय केन्द्रों में निम्नलिखित खेल पुनर्वास केन्द्र उपलब्ध हैं:

1. नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला।
2. नेताजी सुभाष दक्षिणी केन्द्र, बंगलौर।
3. नोताजी सुभाष पूर्वी केन्द्र, कोलकाता।
4. नोताजी सुभाष पश्चिमी केन्द्र, गांधीनगर।

भाखेप्रा. उपचार के लिए घायल खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजता।

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर के संदर्भ में, प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग-48 को चौड़ा करना

3061. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेलामंगला से हसन तक विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग 48 को चौड़ा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के 28.20 से 189.500 कि.मी. तक नेलामंगला जंक्शन से हसन तक सड़क खंड को सुधार के लिए निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर चार लेन का बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3क के अंतर्गत अभिनिर्धारित किया गया है। निविदाएं प्राप्त हो चुकी है और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एम्स में नि:शुल्क उपचार

3062. डा. के. धनराजू: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम्स को गरीब मरीजों के नि:शुल्क उपचार के लिए प्रति वर्ष लगभग चालीस करोड़ रुपये आबंटित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त अस्पताल में कितने गरीब मरीजों का उपचार किया गया तथा उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवंटित धनराशि की उपयोगिता रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जा चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार को भेजी गई उक्त रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को डाक्टरों के वेतन, चिकित्सा उपकरण/दवाओं तथा चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न नई सुविधाएं शुरू करने के लिए बजटीय सहायता दी जाती है। प्लान/नॉन प्लान के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान 488.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। इसके अलावा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को जानलेवा रोगों इत्यादि की स्थिति में गरीब रोगियों को उपचार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि तथा प्रधानमंत्री राहत कोष द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) से (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान उपचारित गरीब रोगियों की संख्या तथा ब्यौरा एवं ऐसे गरीब रोगियों के उपचार पर व्यय की गई/प्रयुक्त की गई राशि का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

बीएसएनएल के बुनियादी कनेक्शनों को वापस किया जाना

3063. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोनीपत तथा बहादुरगढ़ के भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के बहुत से उपभोक्ताओं के बुनियादी कनेक्शन वापस कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपभोक्ताओं से अत्यधिक धनराशि वाले बिलों तथा उनकी टेलीफोन सेवाओं की बीएसएनएल के कर्मचारियों के साथ कथित रूप से मिलकर एसटीडी ऑपरेटरों द्वारा दुरूपयोग के संबंध में बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं। तथापि, ग्राहकों द्वारा लैंडलाइन टेलीफोनों की तुलना में मोबाइल फोनों को तरजीह देने के कारण कुछ लैंडलाइन टेलीफोनों के कनैक्शन कटे हैं।

(ख) सब मिलाकर 1.4.2006 से 30.11.2006 की अवधि के दौरान सोनीपत में 3772 टेलीफोन तथा बहादुरगढ़ में 10 टेलीफोन वापस किए गए हैं। मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से टेलीफोन वापस किए गए हैं-

(1) बीएसएनएल से ग्रॉडबैंड कनैक्शन लेने पर इन्टरनेट हेतु लिए गए अतिरिक्त टेलीफोन को वापस करना;

(2) फिक्स्ड टेलीफोन के बदले बीएसएनएल से मोबाइल टेलीफोन लेना;

(3) अन्य निजी प्रचालक से फिक्स्ड/मोबाइल टेलीफोन लेना

(ग) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, वर्ष 2006-07 (30.11.2006 तक) के दौरान एक शिकायत प्राप्त हुई है। यह शिकायत हाल ही में 13.11.2006 को बहादुरगढ़ के टेलीफोन नं. 2619172 के उपभोक्ता से प्राप्त हुई थी जिन्होंने एसटीडी प्रचालक द्वारा दुरूपयोग करने के कारण अधिक मीटर दर्शाने के बारे में शिकायत की है। इस शिकायत की जांच की जा रही है।

जापान इन्टरनेशनल को-ऑपरेटिव एजेंसी से सहायता अनुदान

3064. **श्री अनंत कुमार:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेटिव एजेंसी से सहायता अनुदान हेतु माता तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सुधार हेतु बंगलौर मेडिकल कॉलेज तथा सम्बद्ध अध्यापन अस्पतालों के लिए प्रस्ताव भेजे है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त प्रस्ताव तथा राज्य सरकार द्वारा मांगे गए आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) उपर्युक्त प्रस्तावों के लम्बित रहने के कारण कारण है; और

(ङ) ये प्रस्ताव तक तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाल्लवाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) जी, हां। बंगलौर मेडिकल कालेज, बंगलौर और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए "मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम" के सुधार हेतु जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण से 60.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव मई, 2001 में आवश्यक वित्त पोषण हेतु जापान सरकार को प्रस्तुत किया गया था। तथापि, जापान सरकार ने वित्त पोषण सहायता की परियोजना को स्वीकार नहीं किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्टेडियमों तथा शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

3065. **श्री जोवाकिम बखला:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रो में खेलों तथा युवक मामलों के विकास हेतु कुछ नए स्टेडियमों तथा शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा बनायी गई योजना को लागू करने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटन की गई है तथा उक्त आबंटन में से उपयोग में लायी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना से देश में लाभान्वित हुए ग्रामीण युवकों की राज्यवार/स्थान-वार संख्या कितनी है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) चूंकि संविधान में खेल राज्य का विषय है अत: ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में खेल सुविधाओं के सृजन का दायित्व राज्य सरकारों का है। दिनांक 31.3.2005 तक, मंत्रालय संबंधित योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार, समय-समय पर प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर विभिन्न प्रकार की खेल अवस्थापनाओं की स्थापना

तथा खेल-उपकरणों की प्राप्ति इत्यादि के लिए राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों तथा गैर-सरकारी संगठनों को सहायता उपलबध करा रहा था तथापि, दिनांक 1.4.2005 से यह योजनायें राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दी गई थी। इसलिए भारत सरकार नयी परियोजनाओं के लिए निधियां उपलब्ध नहीं करा रही है किंतु दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान चल रही अनुमोदित परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्धित देयता की सीमा तक निधियां उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, पूर्व खेल अवस्थापना योजना के तहत राज्यवार निधियों के आवंटन के लिए कोई प्रावधान नहीं था। खेल अवस्थापना योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों (अर्थात 2003-04 से 2005-06) के दौरान जारी की गई निधियों के राज्यवार तथा वर्ष वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) ऐसे ग्रामीण युवाओं की राज्यवार/स्थानवार संख्या के विषय में जानकारी दे पाना व्यावहारिक नहीं है जो खेल सुविधाओं से लाभान्वित हुए हों। किंतु विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में युवा विकास के आंतरिक भाग के रूप में खेल विकास के संवर्धन के लिए जहां तक सरकार का संबंध है, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में पंचायत युवा खेल अभियान प्रारंभ करने के लिए विचार किया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06 (31.3.2006 तक की स्थिति के अनुसार)	
		जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	484.52	14	123.75	7	45.00	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	191.00	5	27.00	1	71.00	1
3.	असम	17	2	188.09	8	7.00	1
4.	बिहार	0	0	0	0	0.00	0
5.	दिल्ली	0	0	0	0	0.00	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0.00	0
7.	गुजरात	0	0	65.00	2	0.00	0
8.	हरियाणा	40.17	2	118.13	16	32.80	4
9.	हिमाचल प्रदेश	100.21	8	118.63	10	0.00	0
10.	जम्मू-कश्मीर	26.82	18	22.50	1	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	कर्नाटक	58.7	8	101.3	9	0.00	0
12.	केरल	13.01	4	1.50	1	0.00	0
13.	मध्य प्रदेश	152.27	13	115.40	6	18.00	1
14.	महाराष्ट्र	238.43	13	169.04	9	45.08	2
15.	मणिपुर	0	0	22.50	3	0.00	0
16.	मेघालय	100.11	5	234.55	5	0.00	0
17.	मिजोरम,	136.32	21	30.00	1	59.59	1
18.	नागालैण्ड	962.46	21	115.98	12	45.00	1
19.	उड़ीसा	0.05	1	0.75	1	0.00	0
20.	पंजाब	45.00	1	0	0	0.00	0
21.	राजस्थान	25.00	2	8.72	1	23.00	1
22.	सिक्किम	0	0	0	0	0.00	0
23.	तमिलनाडु	170.36	22	81.15	13	50.52	2
24.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0.00	0
25.	उत्तर प्रदेश	46.94	3	69.23	6	83.00	4
26.	पश्चिम बंगाल	20.07	15	49.70	4	0.00	0
27.	छत्तीसगढ़	78.50	4	0	0	0.00	0
28.	झारखण्ड	0	0	30.00	1	0.00	0
29.	उत्तरांचल	0	0	94.80	5	0.00	0
30.	अण्मान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0.00	0
31.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0.00	0
32.	दादर व नगर हवेली	0	0	0	0	0.00	0
33.	दमन व दीव	0	0	0	0	0.00	0
34.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0.00	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0.00	0
	कुल	2906.98	182	1787.99	122	480.00	19

वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक खेल उपकरणों की खरीद और खेल मैदानों के विकास के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदान की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2003-04		2004-05		2005-06	
		जारी की गई राशि	स्कूलों की संख्या	जारी की गई राशि	स्कूलों की संख्या	जारी की गई राशि	स्कूलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.37	1	2.76	3	0.00	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.35	4	7.74	7	0.00	0
3.	असम	30.88	41	22.18	38	0.00	0
4.	बिहार	3.29	3	7.53	8	0.00	0
5.	छत्तीसगढ़	1.13	2	3.32	4	0.00	0
6.	दिल्ली	0.00	0	0.00	0	0.00	0
7.	गोवा	0.00	0	1.08	1	0.00	0
8.	गुजरात	2.98	4	1.42	2	0.00	0
9.	हरियाणा	43.36	59	24.17	41	0.00	0
10.	हिमाचल प्रदेश	5.72	15	10.21	14	0.00	0
11.	जम्मू-कश्मीर	3.17	3	9.64	14	0.00	0
12.	झारखंड	0.00	0	0.00	0	0.00	0
13.	कर्नाटक	16.75	26	12.10	18	0.00	0
14.	केरल	0.00	0	15.48	17	0.00	0
15.	मध्य प्रदेश	22.95	29	13.67	20	0.00	0
16.	महाराष्ट्र	51.63	58	54.19	71	8.63	27
17.	मणिपुर	3.26	5	1.48	2	0.00	0
18.	मेघालय	1.08	1	9.37	10	0.00	0
19.	मिजोरम	0.00	0	0.00	0	0.00	0
20.	नागालैण्ड	0.00	0	3.80	5	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	उड़ीसा	44.21	55	61.99	80	8.60	28
22.	पंजाब	2.56	3	0.63	2	0.00	0
23.	राजस्थान	25.19	29	18.76	30	0.00	0
24.	सिक्किम	0.00	0	0.00	0	0.00	0
25.	तमिलनाडु	7.65	21	3.70	6	0.00	0
26.	त्रिपुरा	0.37	1	0.40	1	0.00	0
27.	उत्तर प्रदेश	39.60	47	51.11	75	0.89	3
28.	उत्तरांचल	11.04	12	18.44	26	1.87	6
29.	पश्चिम बंगाल	77.98	106	127.15	167	0.00	0
30.	केन्द्र शासित क्षेत्र-अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0	0.00	0	0.00	0
31.	चंडीगढ़	0.00	0	0.00	0	0.00	0
32.	दादर व नगर हवेली	0.00	0	0.00	0	0.00	0
33.	लक्षद्वीप	0.00	0	0.00	0	0.00	0
34.	दमन व द्वीप	0.00	0	0.00	0	0.00	0
35.	पांडिचेरी	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	कुल	399.63	525	482.45	662	19.99	64

वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों के संवर्धन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2003-04		2004-05		2005-06	
		जारी की गई राशि	स्कूलों की संख्या	जारी की गई राशि	स्कूलों की संख्या	जारी की गई राशि	स्कूलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	87.82	27	97.22	36	5.00	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	26.81	10	126.31	48	0.00	0
4.	बिहार	20.60	4	0.00	0	0.00	0
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0	20.70	9	0.00	0
6.	गोवा	0.00	0	2.70	1	0.00	0
7.	गुजरात	18.27	10	28.20	1	0.00	0
8.	हरियाणा	10.31	9	26.86	4	0.00	0
9.	हिमाचल प्रदेश	5.85	3	7.37	4	0.00	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0	0.00	0	0.00	0
11.	झारखंड	0.00	0	2.70	1	0.00	0
12.	कर्नाटक	39.35	35	149.87	63	12.00	1
13.	केरल	39.80	18	45.07	24	0.00	0
14.	मध्य प्रदेश	10.80	4	26.10	7	0.00	0
15.	महाराष्ट्र	197.53	98	244.15	115	20.85	2
16.	मणिपुर	25.03	3	17.80	5	0.00	0
17.	मिजोरम	10.72	4	0.00	0	0.00	0
18.	मेघालय	0.00	0	10.80	4	0.00	0
19.	नागालैण्ड	22.50	11	19.20	10	0.00	0
20.	उड़ीसा	83.60	40	57.98	32	0.00	0
21.	पंजाब	52.68	13	29.45	11	10.00	1
22.	राजस्थान	4.20	2	7.20	3	0.00	0
23.	तमिलनाडु	164.81	27	169.80	29	17.12	1
24.	त्रिपुरा	0.00	0	0.00	0	0.00	0
25.	उत्तर प्रदेश	101.56	41	158.65	62	45.00	3
26.	उत्तरांचल	24.60	10	16.80	8	0.00	0
27.	पश्चिम बंगाल	79.86	42	141.28	63	0.00	0
28.	दिल्ली@	53.50	2	62.64	1	40.03	1
29.	केन्द्र शासित क्षेत्र-चंडीगढ़	0.00	0	1.00	1	0.00	0
	कुल	1080.25	413	1472.00	555	150.00	10

वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक सिंथेटिक सतह बिछाने के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य	2003-04		2004-05		2005-06	
		जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	00.00	0	20.00	1	0.00	0
2.	हरियाणा	30.00	1	0.00	0	0.00	0
3.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
4.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0	0.00	0	0.00	0
5.	कर्नाटक	0.00	0	0.00	0	0.00	0
6.	मध्य प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
7.	महाराष्ट्र	50.00	1	15.00	1	0.00	0
8.	मणिपुर	0.00	0	0.00	0	0.00	0
9.	उड़ीसा	0.00	0	50.00	1	0.00	0
10.	पंजाब	0.00	0	0.00	0	0.00	0
11.	तमिलनाडु	0.00	0	65.00	1	0.00	0
12.	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0.00	0	150.00	3
13.	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0.00	0	0.00	0
14.	दिल्ली	20.00	1	0.00	0	0.00	0
15.	चंडीगढ़	0.00	0	0.00	0	0.00	0
16.	झारखंड	100.00	1	0.00	0	0.00	0
	कुल	200.00	4	150	4	150.00	3

एमटीएनएल द्वारा किराए पर ली गई निजी संपत्ति

3066. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनलएल) के स्वामित्व वाली कितनी संपत्तियां है तथा ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) एमटीएनएल द्वारा किराए पर ली गई निजी संपत्तियों का ब्यौरा क्या है तथा उनके लिए मासिक/वार्षिक आधार पर कितनी किराए का भुगतान किया जा रहा है; और

(ग) एमटीएनएल ने किस प्रयोजनार्थ इन निजी संपत्तियों को किराए पर लिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) दिल्ली में स्थित एमटीएनएल के स्वामित्व

वाली संपत्तियों की संख्या निम्नवत है:

तकनीकी एवं प्रशासनिक	59 भवन
स्टाफ क्वार्टर	2016
कुल	2075

एमटीएनल के स्वामित्व वाली संपत्तियों की अवस्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया है।

(ख) और (ग) एमटीएनएल दिल्ली एवं मुंबई के संबंध में भुगतान की जा रही किराए की राशि सहित किराए पर ली गई निजी संपत्तियों एवं प्रयोजन का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण IV और V में दिया गया है।

विवरण I

एमटीएनएल, दिल्ली के स्वामित्व वाले भवनों की सूची

क्र. सं.	भवन का नाम	भवन का पता	अनुमानित फ्लोर स्पेस एरिया वर्गमीटर में		भवन का मौजूदा उपयोग	अतिरिक्त क्षेत्र का प्रस्तावित उपयोग तथा अन्य प्रयोजन जैसे क्षेत्र की होर्डिंग, प्लेसिंग तथा किराए पर देना आदि
			तकनीकी	प्रशासन		
1	2	3	4	5	6	7
1.	किदवई भवन	टे. एक्स. भवन	18118	3539	मुख्य भवन	एक्सचेंज तथा प्रशासन के प्रयोजनार्थ
2.	जोरबाग	टे. एक्स. भवन जोरबाग	1819		मुख्य भवन	एक्सचेंज तथा प्रशासन के प्रयोजनार्थ
3.	लोदी रोड	9. सीजीओ काम्प्लेक्स	746	1442	मुख्य भवन	एक्सचेंज तथा प्रशासन के प्रयोजनार्थ
4.	दिल्ली गेट	टे. एक्स. भवन, आसफ अली रोड	2688		मुख्य भवन	एक्सचेंज
5.	ईदगाह	टे. एक्स. भवन	2380	1300	मुख्य भवन	एक्सचेंज तथा प्रशासन के प्रयोजनार्थ
6.	तीस हजारी	टे. एक्स. भवन तीस हजारी कोर्ट	2128		मुख्य भवन	एक्सचेंज तथा प्रशासन के प्रयोजनार्थ
7.	गुलाबी बाग	डीडीए मार्केट, गुलाबी बाग	303		आरएसयू भवन	एक्सचेंज
8.	हौज खास	टे. एक्स. भवन	2533		मुख्य भवन	एक्सचेंज
9.	चाणक्यपुरी	टे. एक्स. भवन	2575		मुख्य भवन	एक्सचेंज
10.	बीसीपी	टे. एक्स. भवन बीसीपी	9622		मुख्य भवन	एक्सचेंज तथा प्रशासन के प्रयोजनार्थ
11.	नेहरू पलेस	सामुदायिक केन्द्र	4110	2268	मुख्य भवन	एक्सचेंज तथा प्रशासन के प्रयोजनार्थ
12.	ओखला	टे. एक्स. भवन, मथुरा रोड	2368	735	मुख्य भवन	एक्सचेंज तथा प्रशासन के प्रयोजनार्थ
13.	तुगलकाबाद	निकट बत्रा अस्पताल	738	173	आरएसयू भवन	एक्सचेंज तथा प्रशासन के प्रयोजनार्थ
14.	एशियाड गांव	एशियाड गांव सीरीफोर्ट	113		आरएसयू भवन	एक्सचेंज

1	2	3	4	5	6	7
15.	सादिक नगर	सीरी फोर्ट	252		आरएसयू भवन	एक्सचेंज
16.	लक्ष्मी नगर	टे. एक्स. भवन राधू प्लेस	4213	213	मुख्य भवन	एक्सचेंज तथा प्रशासन के प्रयोजनार्थ
17.	कडकडडूमा	सामुदायिक केन्द्र	802	268	मुख्य भवन	एक्सचेंज तथा प्रशासन के प्रयोजनार्थ
18.	मयूर विहार फेज-III	एबी ब्लॉक	241		आरएसयू भवन	एक्सचेंज
19.	शाहदरा	आर. ब्लॉक, दिलशाद गार्डन	1669		मुख्य भवन	एक्सचेंज तथा प्रशासन के प्रयोजनार्थ
20.	जाफराबाद	टे. एक्स. भवन	228		आरएसयू भवन	एक्सचेंज
21.	यमुना विहार	टे. एक्स. भवन, पाकेट सी	878	293	टी ई/आरएलयू	एक्सचेंज तथा प्रशासन के प्रयोजनार्थ
22.	ईस्ट ऑफ लोनी	डीडीए शापिंग काम्प्लेक्स	266		आरएसयू भवन	एक्सचेंज
23.	शक्ति नगर	टे. एस. भवन	3973	1430	मुख्य भवन	एक्सचेंज
24.	शालीमार बाग-I	एडी ब्लॉक मार्केट	320		आरएसयू भवन	एक्सचेंज
25.	शालीमार बाग-II	एडी ब्लाक, मार्केट	245		आरएसयू भवन	एक्सचेंज
26.	रोहिणी से.-III	संचार परिसर, निकट जयपुर गोल्डन अस्पताल	3138	1484	मुख्य भवन	एक्सचेंज तथा प्रशासन के प्रयोजनार्थ
27.	बादली	टे. एक्स. भवन	1035		मुख्य भवन	एक्सचेंज तथा प्रशासन के प्रयोजनार्थ
28.	जनकपुरी	सामुदायिक केन्द्र	1575	815	मुख्य भवन	एक्सचेंज तथा प्रशासन के प्रयोजनार्थ
29.	द्वारका से. 8	टे. एक्स. भवन	1236		आरएसयू भवन	एक्सचेंज
30.	द्वारका से. 19	टे. एक्स. भवन	1012	116	आरएसयू भवन	एक्सचेंज
31.	द्वारका से 20 डी	डाबरी गांव के निकट	2276.	486	मुख्य भवन	एक्सचेंज
32.	राजौरी गार्डन	टे. एक्स. भवन	3339	1886	मुख्य भवन	एक्सचेंज तथा प्रशासन के प्रयोजनार्थ
33.	हरिनगर	टे. एक्स. भवन	2737	1368	मुख्य भवन	एक्सचेंज तथा प्रशासन के प्रयोजनार्थ
34.	पश्चिम विहार	टे. एक्स. भवन ए ब्लॉक	834		आरएसयू भवन	एक्सचेंज
35.	नांगलोई	पुराना डाकघर भवन	243		आरएसयू भवन	एक्सचेंज
36.	करोल बाग	टे. एक्स. भवन	5722	1394	मुख्य भवन	एक्सचेंज तथा प्रशासन के प्रयोजनार्थ
37.	दिल्ली कैंट	गोपीनाथ रोड	618		आरएसयू भवन	एक्सचेंज
38.	समालखा	सामुदायिक केन्द्र	315		आरएसयू भवन	एक्सचेंज
39.	सरिता विहार जे ब्लॉक	पाकेट जे सरिता विहार	230	79	आरएसयू भवन	एक्सचेंज

विवरण II

आरएसयू के लिए एमटीएनएल, दिल्ली के स्वामित्व वाले अस्थायी ढांचों की सूची

क्र.सं.	क्षेत्र	स्थल	भूखंड का क्षेत्रफल वर्ग मी. में
1.	पूर्व	लोहिया रोड	5180
2.	बीसीपी	वसंत विहार	1800
3.	बीसीपी	वसंत कुंज	1000
4.	एनपी	सनलाइट कॉलोनी	1000
5.	एनपी	सरिता विहार एम ब्लॉक	3990
6.	एनएनजी	मंडावली फैजलपुर	2500
7.	एलएनपी	मयूर विहार फेज-II	155
8.	एनएनजी	सीबीडी शाहदरा	7280
9.	एसकेएन	केशव पुरम	8162
10.	आरएचएन	रोहिणी सेक्टर-IX	10000
11.	आरएचएन	सरस्वती विहार	8949
12.	आरएचएन	रोहिणी सेक्टर-IX	28336
13.	आरएचएन	रोहिणी सेक्टर-III	11955
14.	आरएचएन	नरेला डीएसआईडीसी	8096
15.	जेकेपी	द्वारका सेक्टर-VI	13431
16.	जेकेपी	नजफगढ़ डीडीए	800
17.	जेकेपी	द्वारका सेक्टर-16 सी	8000
18.	जेकेपी	द्वारका सेक्टर 20	14900
19.	केबी	आनंद पर्वत	500
20.	केबी	शादीपुर	9312

विवरण III

एमटीएनएल, दिल्ली में स्टाफ क्वार्टरों की सूची

क्र.सं.	अवस्थिति का नाम	क्वार्टरों की श्रेणी	क्वार्टरों की संख्या	भवन का उपयोग
1	2	3	4	5
1.	अतुल ग्रोव रोड	VI	1	आवासीय क्वार्टर
2.	वापा नगर	VI	1	आवासीय क्वार्टर
3.	राय सिन्हा रोड	VI	1	आवासीय क्वार्टर
4.	शाहजहां रोड	VI	1	आवासीय क्वार्टर
5.	तिलक मार्ग	VI	1	आवासीय क्वार्टर
6.	इलैक्ट्रिक रोड एचसीएम लेन	VI	1	निरीक्षण क्वार्टर
7.	एंड्रयूज गंज	V	1	आवासीय क्वार्टर
8.	एशियाड गांव	V	7	आवासीय क्वार्टर
9.	अतुल ग्रोव रोड	V	11	आवासीय क्वार्टर
10.	देव नगर	V	1	आवासीय क्वार्टर
11.	दिलशाद गार्डन	V	4	आवासीय क्वार्टर
12.	डीआईजेड क्षेत्र गोल मार्केट	V	2	आवासीय क्वार्टर
13.	काका नगर	V	4	आवासीय क्वार्टर
14.	किदवई भवन, टेली. एक्स. भवन	V	2 + 2	आवासीय क्वार्टर + निरीक्षण क्वार्टर
15.	किदवई नगर	V	2	आवासीय क्वार्टर.
16.	लोधी कालोनी	V	5	आवासीय क्वार्टर
17.	लोधी कंपलेक्स	V	1	आवासीय क्वार्टर
18.	नेताजी नगर	V	2	आवासीय क्वार्टर
19.	रोहिणी से. 3 प्लॉट नं. 4	V	20	आवासीय क्वार्टर
20.	सुजान सिंह पार्क	V	1	आवासीय क्वार्टर
21.	तिलक लेन	V	1	आवासीय क्वार्टर
22.	पश्चिम विहार ब्लॉक जीएच-17	V	24	आवासीय क्वार्टर
23.	एंड्रयूज गंज	IV	1	आवासीय क्वार्टर

1	2	3	4	5
24.	अतुल ग्रोव रोड	IV	2	आवासीय क्वार्टर
25.	इस्टर्न कोर्ट	IV	1	आवासीय क्वार्टर
26.	चाणक्यपुरी टेली. एक्स.	IV	1	आवासीय क्वार्टर
27.	दिल्ली गेट टेली. एक्स.	IV	2	आवासीय क्वार्टर
28.	देव नगर	IV	10	आवासीय क्वार्टर
29.	हौज खास	IV	1	आवासीय क्वार्टर
30.	इदगाह टेली. एक्स.	IV	3	आवासीय क्वार्टर
31.	लक्ष्मीबाई नगर	IV	2	आवासीय क्वार्टर
32.	मोती बाग	IV	2	आवासीय क्वार्टर
33.	नानकपुरा	IV	4	आवासीय क्वार्टर
34.	नेहरू प्लेस एक्सचेंज	IV	1	आवासीय क्वार्टर
35.	ओखला	IV	1	आवासीय क्वार्टर
36.	पंडारा रोड	IV	2	आवासीय क्वार्टर
37.	एमएस फ्लैट्स पेशवा रोड	IV	30	आवासीय क्वार्टर
38.	पूसा रोड, पीएंडटी क्वार्टर्स	IV	11	आवासीय क्वार्टर
39.	आर. के. पुरम	IV	11	आवासीय क्वार्टर
40.	राजौरी गार्डन टेली. एक्स.	IV	2	आवासीय क्वार्टर
41.	रोहिणी सेक्टर-3 प्लॉट नं. 4	IV	30	आवासीय क्वार्टर
42.	सरोजनी नगर	IV	1	आवासीय क्वार्टर
43.	नोयडा से. 34, हिमगिरी अपार्टमेंट	IV	48	आवासीय क्वार्टर
44.	शक्ति नगर टेली. एक्स.	IV	4	आवासीय क्वार्टर
45.	टेलीग्राफ लेन	IV	3	आवासीय क्वार्टर
46.	टेलीग्राफ प्लेस	IV	5	आवासीय क्वार्टर
47.	टेलीग्राफ स्क्वायर	IV	2	आवासीय क्वार्टर
48.	पश्चिम विहार, ब्लॉक जीएच-17	IV	96	आवासीय क्वार्टर
49.	अतुल ग्रोव रोड	III	21	आवासीय क्वार्टर

1	2	3	4	5
50.	बीकेएस मार्ग	III	9	आवासीय क्वार्टर
51.	चाणक्यपुरी टेली. एक्स.	III	1	आवासीय क्वार्टर
52.	दिल्ली कैंट	III	11	आवासीय क्वार्टर
53.	देव नगर	III	10	आवासीय क्वार्टर
54.	हौज खास टेली. एक्स.	III	1	आवासीय क्वार्टर
55.	ईदगाह टेली. एक्स.	III	5	आवासीय क्वार्टर
56.	जनकपुरी	III	28	आवासीय क्वार्टर
57.	काली बाड़ी मार्ग	III	17 + 2	आवासीय क्वार्टर + निरीक्षण क्वार्टर
58.	नेहरू प्लेस एक्सचेंज	III	3	आवासीय क्वार्टर
59.	किदवई भवन टेली. एक्स. भवन	III	1	आवासीय क्वार्टर
60.	लक्ष्मी नगर टेली. एक्स.	III	1	आवासीय क्वार्टर
61.	लोधी कालोनी	III	5	आवासीय क्वार्टर
62.	ओखला टेली. एक्स.	III	5	आवासीय क्वार्टर
63.	राजौरी गाडन टेली. एक्स.	III	2	आवासीय क्वार्टर
64.	रोहिणी सेक्टर-3 प्लाट नं. 4	III	77	आवासीय क्वार्टर
65.	ईपीटी, एमपीटी और एलपीटी सरोजिनी नगर	III	71	आवासीय क्वार्टर
66.	नोयडा से. 34, अरावली अपार्ट.	III	48	आवासीय क्वार्टर
67.	टेलीग्राफ पाल्क	III	2	आवासीय क्वार्टर
68.	अतुल ग्रोव रोड	II	11	आवासीय क्वार्टर
69.	सिविल लाइन्स, तिमारपुर	II	8	आवासीय क्वार्टर
70.	देव नगर	II	22	आवासीय क्वार्टर
71.	जनकपुरी नजदीक पोसंगीपुर पीएंडटी क्वार्टर्स	II	135	आवासीय क्वार्टर
72.	काली बाड़ी मार्ग	II	52	आवासीय क्वार्टर
73.	किदवई भवन टेली. एक्स. भवन	II	4	आवासीय क्वार्टर
74.	नेहरू प्लेस एक्सचेंज	II	2	आवासीय क्वार्टर
75.	लोधी रोड	II	1	आवासीय क्वार्टर
76.	ओखला टेली. एक्स.	II	4	आवासीय क्वार्टर

1	2	3	4	5
77.	पूसा रोड, पीएंडटी क्वार्टर्स	II	11	आवासीय क्वार्टर
78.	रोहिणी सेक्टर 3 प्लॉट नं. 4	II	138	आवासीय क्वार्टर
79.	सरोजिनी नगर एचपीटी ब्लॉक	II	76	आवासीय क्वार्टर
80.	आर. के. पुरम. से. 6	II	434	आवासीय क्वार्टर
81.	मोती बाग पीएंडटी क्वार्टर	II	66	आवासीय क्वार्टर
82.	नेताजी नगर	II	1	आवासीय क्वार्टर
83.	अतुल ग्रोव रोड	I	15	आवासीय क्वार्टर
84.	दिल्ली कैंट	I	12	आवासीय क्वार्टर
85.	देव नगर	I	19	आवासीय क्वार्टर
86.	जीपीओ कश्मीरी गेट	I	16	आवासीय क्वार्टर
87.	जंगपुरा नजदीक शालीमार सिनेमा	I	12	आवासीय क्वार्टर
88.	जनकपुरी नजदीक पोसंगीपुर पीएंडटी क्वार्टर्स	I	104	आवासीय क्वार्टर
89.	काली बाड़ी मार्ग	I	95	आवासीय क्वार्टर
90.	पूसा रोड, पीएंडटी क्वार्टर्स	I	20	आवासीय क्वार्टर
91.	रोहिणी सेक्टर 3 ब्लॉक जी-31	I	29	आवासीय क्वार्टर
92.	आर.के. पुरम	I	2	आवासीय क्वार्टर
93.	सेवा नगर	I	35	आवासीय क्वार्टर

विवरण IV

किराए पर लिए गए भवन-दिल्ली

क्र. सं.	पता	किराया प्रति मास	किराए का उदेद्श्य
1	2	3	4
टीवाई क्षेत्र			
1.	सी-2/2, कृष्णा नगर, दिल्ली-51	62234 (एफबी) रुपये और 59283 (एफएफ) रुपये	आरएसयू केएनजी
2.	499/2 डी(IX-1614), मेन रोड, गांधी नगर, दिल्ली-31	103434 रुपये	आरएसयू जीएनआर-1

1	2	3	4
3.	एस-164 स्कूल ब्लॉक, शकरपुर दिल्ली-92	29352.60 रुपये और 4500(एंटीना) रुपये	आरएसयू एसबीके
4.	82-83, पश्चिम विनोद नगर, मंडावली, दिल्ली-92	81758.87 रुपये और 4500(एंटीना) रुपये	आरएसयू डब्ल्यूवीएन
5.	बी-23, पांडव नगर, दिल्ली-92	7449 रुपये	डीएलसी पांडव नगर
6.	बी-107 शशि गार्डन, दिल्ली-91	46654 रुपये	डीएलसी प्रणाली और डीई (एमवीओआर-1) ओडी कार्यालय
7.	379/162/2, झील, गीता कॉलोनी	68628 रुपये	संचार हाट और एनसीआर काउंटर
8.	56 ए पॉकेट ए मयूर विहार-II	10000 रुपये	संचार हाट
9.	दुकान नं. 1 और 2, सीएससी-1 डीडीए मार्केट, आई पी एक्स. दिल्ली-92	17972.95 रुपये	संचार हाट
10.	दुकान नं. 112, बे एस आर्केड, संचार हाट, सेक्टर-18 नोएडा	48696 रुपये	संचार हाट
11.	जी-83, प्रीत विहार, दिल्ली-92	61341 रुपये	एजीएम (वा.) दो सीओ के साथ तथा कर्मचारी यहां बैठते हैं
12.	23बी/331 (×-1443) गली नं. 4, राजगढ़, कॉलोनी दिल्ली-51	68498 (एफएंडएफएफ) रुपये 28413 (दूसरा एफ) रुपये	आरएसयू जीएमआर-2 एसडीओपी कार्यालय तथा बिल मुद्रण अनुभाग
13.	ए-36, डीएमआरसी शाहदरा	7787	संचार हाट
14.	सी-1/3ए, यमुना विहार	34417	संचार हाट
15.	118/4, पूर्व मॉल टाऊन, गाजियाबाद	25637	संचार हाट
16.	ए-125, अशोक नगर, हरदेव पुरी	92180	एनसीआर काउंटर और सीएओ (टीआर) का कार्यालय
17.	ए-19, वृजपुरी	40995	एओ (एनसीआर) एओ (टीआर) वाईवीआर का कार्यालय
18.	10, राज ब्लॉक, नवीन शाहदरा	35789	आरएसयू
19.	एफ-613 ए खजूरी खास दिल्ली	42259	आरएसयू
20.	सी 22, दिलशाद कॉलोनी	37036	आरएसयू
21.	जे-6 करतार नगर	18726	आरएसयू

1	2	3	4
22.	120, मंढोली रोड, शाहदरा	34789	आरएसयू
23.	खसरा नं. 333-334, करावल नगर	48184	आरएसयू
24.	बी-6, सोढी भवन	98054	जीएम, एसएचडी कार्यालय
25.	1/501, करतार नगर, गम्मरी गांव	8172	डीई (ओ/डी)-1 यमुना विहार
26.	एफ-4, गली नं. 1, शास्त्री पार्क	18280	आरएसयू
एनपी क्षेत्र			
1.	43, चिरंजीत टावर	397416	जी एम (एनपी) कार्यालय
2.	सीसीआई	69153	आरएसयू, एक्सचेंज सीसीआई
3.	नं. 1, सावित्री नगर, नं. 1, सावित्री नगर,	82347 5912	आरएसयू एक्सचेंज, सावित्री नगर आरएसयू एक्सचेंज, सावित्री नगर
4.	57, रामपुरी	124762	आरएसयू रामपुरी
5.	बी-24/2, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II	40000	आरएसयू एक्सचेंज एलए 2
6.	एच-17/27, संगम विहार	40000	आरएसयू एक्सचेंज सीआर पार्क
7.	डी-604, सीआर पार्क, बेसमेंट और भूतल	50000	आरएसयू एक्सचेंज सी आर पार्क
8.	11/1 माइल स्टोन, मथुरा रोड	30000	आरएसयू एक्सचेंज, भोलार बंद
9.	401, 1 ब्लॉक, सौरभ विहार	30000	आरएसयू एक्सचेंज सौरभ विहार
10.	657, वेल देवली	55000	आरएसयू एक्सचेंज, देवली
11.	ई-480, जीके-II	91100	आरएसयू एक्सचेंज जीके-II
12.	370, चिराग दिल्ली	32000	आरएसयू चिराग दिल्ली
13.	एफ 11 और 12 लाजपत नगर-II	85000	आरएसआई एलएन-II
14.	एफ-19, लाजपत नगर-III	48000	आरएसयू एलएन-III
15.	एम-34, जी-के-I	82500	आरएसयू जी के-I
16.	टी ए-264 और 265 टीबीडी एक्स.	48000	आरएसयू टीबीडी
17.	जामिया विश्वविद्यालय ओखला	21508	आरएसयू एक्सचेंज जामिया
18.	चांदीवाला एस्टेट	7887	आरएसआई एक्सचेंज चांदीवाला
19.	दुकान नं. (एससीओ) 102, सेक्टर 16, संचार हाट, फरीदाबाद (हरियाणा)	30023	संचार हाट फरीदाबाद

1	2	3	4
बीसीपी			
1.	फ्लैट नं. 418, एसीआई बीसीपी, नई दिल्ली	13887	कार्यालय
2.	फ्लैट नं. 420, असंल चैम्बर-2, बीसीपी, नई दिल्ली	12800	कार्यालय
3.	फ्लैट नं. 415, एसडीसीएच-2, बीडीपी, नई दिल्ली	21700	कार्यालय
4.	एबी-9, साज एनक्लेव, नई दिल्ली	96731	कार्यालय
5.	337/3/2 बेसमेंट और भूतल गांव महिपालपुर, नई दिल्ली	92067	आरएसयू
6.	चंदन काम्पलैक्स बेसमेंट असोत्रा, भूतल और प्रथम तल, फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली	127649	आरएसयू
7.	16/1 और 16/2 महरौली, नई दिल्ली	210345	संचार हाट
8.	भूतल ओर बेसमेंट 198/1 बेगम पुर, नई दिल्ली	129690	आरएसयू
9.	294/3, धनमल रोड, छतरपुर नई दिल्ली	45292	आरएसयू
10.	ख. नं. 346/58, सैदुलाजाब, नई दिल्ली	31267	आरएसयू
11.	ख. नं. 332, जोनापुर गांव	16998	आरएसयू
12.	ख. नं. 252, निकट बस स्टैड, मंडी	12800	आरएसयू
13.	जेसी-42, खिड़की एक्स. नई दिल्ली	88053	आरएसयू
14.	705-ए, 28-1 वार्ड-3, महरौली, नई दिल्ली	4250	कोरडेक्ट टावर
15.	इंडियन आयल भवन, युसुफ सराय, नई दिल्ली-16	5000	आरएसयू
16.	एफ-351, लाडो सराय, नई दिल्ली	25050	आरएसयू
17.	दुकान नं. 13, 14, 15 और 16 (से. 4 48, 49, 50 58, 59 (सेक्टर-3) मार्केट, पुष्प विहार, नई दिल्ली	92970	आरएसयू
18.	डी-70, आनंद निकेतन, नई दिल्ली	79500	आरएसयू
19.	फ्लैट नं. 7, प्रथम तल, अनुपम थियेटर के भीतर, साकेत, नई दिल्ली	8500	आरएसयू
20.	दुकान नं. 9, एससीओ (31 सेक्टर 12 ए हुडा) वाणिज्यिक काम्पलैक्स गुडगांव	17100	संचार हाट
सेन्ट्रल (मध्य)			
1.	शास्त्री भवन	18332	टेलीफोन एक्सचेंज 10 के आरएसई पावर प्लांट, एसी एकक, डीई (आईडी) का कार्यालय, 5 एसडीई (आईडी) का आरपी कार्यालय, एएम (आरपी) डीई (ओडी) एसबीएन, डीई (ओडी) आर पी का कार्यालय और कार्यालय

1	2	3	4
2.	कर्जन रोड बैरक	14368	जीटीओ कार्यालय तथा दोष नियंत्रण
3.	प्रताप भवन	8100	250 डीईएल, 20 लीज्ड सर्किट, 5 पीआरआई, डीएसएलएएम रैक प्रदान करने के लिए डीएलसी-वी एमयूएक्स यूनिट की संस्थापना हेतु
4.	इन्द्र प्रकाश भवन	14367	225 डीईएल एचएसडीएन, 2 एमबी सर्किट प्रदान करने के लिए डीएलसी की संस्थापना हेतु
5.	जीवन तारा भवन	44275	डीई (ओडी), 2 एसडीओ एसडीई (सीएससी) लाइन स्टोर और संचार हाट का कार्यालय
6.	उद्योग भवन	1058	एसडीओपी का दोष नियंत्रण, एसडीओपी-1, एसडीओपी-1/2 का कार्यालय और कार्यालय
7.	आरएसयू डिफेन्स कॉलोनी	50477	आरएसयू
8.	आरएसयू जंगपुरा	83348	आरएसयू
9.	डिफेन्स कॉलोनी	15508	डीई (ओडी), एसडीओ, एसडीई तथा एफ/सी का कार्यालय
10.	आरएसयू एनडीएसई-1	61386	आरएसयू
11.	निर्माण भवन	18300	आरएसयू, एमडीएफ पॉवर संयंत्र
12.	साउथ ब्लॉक	विवादित	एमडीएफ, लीज्ड सर्किट केबल चैम्बर
13.	डिफेन्स पूल एसीसी सेना भवन	45825	आरएसयू, पॉवर संयंत्र, एफआरएस, रिकार्ड, एमडीएफ और कार्यालय
14.	जीवन तारा भवन	20737	एसडीई का कार्यालय, जेटीओ केबल स्टोर
किराये पर लिए गए भवन-दिल्ली			
पूर्व			
1.	एलआईसी बिल्डिंग 10 दरियागंज	219580	कार्यालय ए एम (डीजी), ओडी स्टाफ, एनसीआर, संचार हाट, टीआरए अनुभाग पीआरओ अनुभाग, लीगल अनुदान
2.	एसडीओ III, डीजी 21, दरियागंज	1320	कार्यालय एसडीओपी III

1	2	3	4
3.	आईएसबीटी कश्मीरी गेट	301141	प्रशिक्षण केन्द्र संचार हाट, एनसीआर, टीआरए
4.	झण्डेवालान	1855	एसडीओ कार्यालय
5.	डीएमआरसी भवन तिमार पुर	8800	आरएसयू एक्सचेंज, एसडीओ कार्यालय
6.	रोशनआरा रोड, दिल्ली	60500	आरएसयू एक्सचेंज, एसडीओ कार्यालय
7.	55ए, कमला नगर, दिल्ली	89100	आरएसयू एक्सचेंज एसडीओ कार्यालय
8.	चन्द्रावल दिल्ली	86250	आरएसयू एक्सचेंज, एसडीओ कार्यालय
9.	2416 और 17 पहाड़गंज दिल्ली	39951	आरएसयू एक्सचेंज
10.	किशन गंज	23000	आरएसयू एक्सचेंज
11.	1/3, ओल्ड राजिन्दर नगर	22850	बेसमेन्ट-स्टोर
		25135	भूतल-स्टोर+डीएलसी
12.	54/1747 नई बस्ती केबी	14655	भूतल-डीएलसी
13.	61/16, रामजस रोड	64000	भूतल-आरएसयू
14.	6/37, डब्ल्यूईए, केबी	38069	भूतल-आरएसयू
15.	631 आरजेड ब्लाक, न्यू रामजस स्कूल	5981	भूतल-आरएसयू
16.	आर-535 न्यू राजिन्दर नगर	53900	भूतल-आरएसयू
17.	एच-57 थानसिंह नगर	2550	छत-अण्टीना
		9450	भूतल-कोरडेक्ट
		4000	भूतल डीएलसी
18.	59/31 न्यू रोहतक रोड	64013	भूतल-आरएसयू
19.	डब्ल्यू-6 वेस्ट पटेल नगर	30886	आरएसयू
20.	2/15ज वेस्ट पटेल नगर	104175	भूतल-आरएसयू, बेसमेंट-केबल चेनल+एफसी
21.	डब्ल्यू-6 वेस्ट पटेल नगर	30886	प्रथम तल-एसडीओ कार्यालय
आरएजन			
1.	अलीपुर	70435	एसडीई कार्यालय
2.	बख्तावर पुर	19280	एसडीई कार्यालय

1	2	3	4
3.	बांकनेर	35579	एसडीई कार्यालय
4.	बवाना	42363	एसडीई कार्यालय
5.	बुध विहार	58085	एसडीई कार्यालय
6.	होलाम्बी कलां	6900	एसडीई कार्यालय
7.	काडिपुर	15530	एसडीई कार्यालय
8.	खेड़ा कलां	4047	एसडीई कार्यालय
9.	खेड़ा खुर्द	30550	एसडीई कार्यालय
10.	पहलादपुर	27639	एसडीई कार्यालय
11.	कुतुबगढ़	28231	एसडीई कार्यालय
12.	एसजीटी नगर	54233	एसडीई कार्यालय
13.	समयपुर बादली	46950	डीई कार्यालय
14.	स्वरूप नगर	53163	एसडीई कार्यालय
आरजी			
1.	23 ए, नजफगढ़ रोड 1/2 बेसमेंट	124597	डीई (ओडी) कार्यालय
2.	आरजी हाउस, कोम्मी कम्प्लेक्स कर्मपुरा	39000	संचार हाट, डीएसी
3.	सी-194, फेज-2 मायापुरी-4 आरएसयू	48885	आरएसयू
4.	जे 3/जे 4 मुखरम गार्डन चौखण्डी	45578	आरएसयू
5.	पी 1 विष्णु गार्डन नई दिल्ली	45600	आरएसयू
6.	एच 112, 113 संत नगर एक्सटेंशन	21863	आरएसयू
7.	डब्ल्यूजेड-195, मादीपुर	24780	आरएसयू
8.	20, चेन्नामल पार्क, मोहर पार्क, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली	49910	आरएसयू
9.	सी-72 शिवाजी पार्क, वेस्ट पंजाबी पार्क	43700	आरएसयू
10.	ए-12 मुल्तान नगर	22255	आरएसयू
11.	प्लाट सं. 496, भसीन मोटर बिल्डिंग, न्यू रोहतक रोड, मुंडका	92183	आरएसयू
12.	23/14/3 निलोठी, नई दिल्ली	20000	आरएसयू
13.	टी-494, नजफगढ़ रोड नांगलोई	60	डीई (ओडी) कार्यालय)

1	2	3	4
14.	शॉप सं. 113, 114, एमपीसी कांझवाला	9042	एसडीओपी कार्यालय
15.	शॉप सं. 116, 118 एमपीसी कांझवाला	6260	आरएसयू
जेकेपी			
1.	मुदगल काम्पलेक्स जीएफ डब्ल्यू जेड-152 बास उद्यान मार्ग उत्तम नगर, नई दिल्ली	90000 17000	आरएसयू
2.	बी-1/52 ऐलाइड चेम्बर, सामुदायिक केन्द्र जनकपुरी	19970	डीई और एसडीई कार्यालय भंडार
3.	बंसल भवन, डी-44 से डी-49 दाल मिल रोड नई दिल्ली	97000	आरएसयू
4.	1626 ई/4 भूतल, थाना रोड नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली	23000 1725	संचार हाट
5.	1626 ए मेन नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली	9125	आरएसयू
6.	डब्ल्यू जेड 1390/7, प्रथम तल, भूतल नांगल राया, नई दिल्ली	22000	एसडीओपी आरएसयू
7.	जी-12 विकास पुरी, नई दिल्ली	57500	आरएसयू
8.	डब्ल्यू जेड-49 बुडेला नई दिल्ली	41975	आरएसयू
9.	आर जेड-26 भूतल रोशन मंडी, नजफगढ़ नई दिल्ली '	18500 1725	आरएसयू
10.	बामनौली गांव पो. ओ. धुलसीरस, नई दिल्ली	2250	डीएलसी
11.	मकान सं. 2, काजीपुर गांव पो.ओ. उजवा, नई दिल्ली	3100	डीएलसी
12.	गांव जाफर पुर कलां, नजफगढ़ रोड	1483	डीएलसी
13.	गांव और पो.आ. छावला	14601	आरएसयू
14.	मैसर्स यादव चैरिटेबल ट्रस्ट, प्लाट सं. 8 गोपाल नगर घुम्मनहेड़ा रोड, नजफगढ़, नई दिल्ली	2300	कोरडेक्ट मारट
15.	डब्ल्यू जेड 121, टेडापुर नई दिल्ली	14800	आरएसयू
16.	डब्ल्यू जेड 250 सी, छत् और भूतल, इन्द्रपुरी नई दिल्ली	6000 345	आरएसयू
17.	652, बिजवासन गांव, नई दिल्ली	56725	आरएसयू
18.	सी-28 सामुदायिक केन्द्र, नारायणा, नई दिल्ली	122980	संचार हाट और एसडीई . कार्यालय

1	2	3	4
19.	डब्ल्यू जेड 118, नारायणा गांव, नई दिल्ली	96603	आरएसयू
20.	3279 रंजीत नगर, नई दिल्ली	95680	आरएसयू
21.	खसरा सं. 377, कापसहेड़ा नई दिल्ली	27115	आरएसयू
एस के एन			
1.क	213 ए, विराट भवन, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली	5025.5	डीईओडी पूर्व-1 कार्यालय
ख.	216, विराट भवन, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली	5025.5	डीईओडी पूर्व-1 कार्यालय
ग.	217, विराट भवन, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली	5025.5	डीईओडी पूर्व-1 कार्यालय
घ.	219, विराट भवन, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली	5560.48	डीईओडी पूर्व-1 कार्यालय
ङ.	205, विराट भवन, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली	4594.62	डीईओडी पूर्व-1 कार्यालय
च.	206, विराट भवन, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली	4400	डीईओडी पूर्व-1 कार्यालय
छ.	201, विराट भवन, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली	5309.55	डीईओडी पूर्व-1 कार्यालय
ज.	215, विराट भवन, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली	4622	डीईओडी पूर्व-1 कार्यालय
झ.	214, विराट भवन, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली	4622	डीईओडी पूर्व-1 कार्यालय
ञ.	204, विराट भवन, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली	5614	डीईओडी पूर्व-1 कार्यालय
ट.	218, विराट भवन, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली	3990.27	डीईओडी पूर्व-1 कार्यालय
ठ.	भूतल 3 विराट भवन, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली	9463.5	डीईओडी पूर्व-1 कार्यालय
ड.	भूतल-6 विराट भवन, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली	999200	डीईओडी पूर्व-1 कार्यालय

किराए पर लिए गए भवन-दिल्ली

क्र. सं.	पता	किराया प्रति माह	किराए का उदेद्श्य
2.	सी-35/2, डब्ल्यू, आई ए, वजीरपुर, दिल्ली	141073.84	डीई(ओडी) वेस्ट एसएन टेक्नोलॉजी आरएसयू
3क.	दूकान नं. 14, भू-तल, वर्धमान, केपी प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, केपी ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली	10103.9	डीई(ओडी) वेस्ट एसएन टेक्नोलॉजी आरएसयू
ख.	दूकान नं. 16 भू-तल, वर्धमान, केपी प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, केपी ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली	10103.9	डीई(ओडी) वेस्ट एसएन टेक्नोलॉजी आरएसयू
ग.	दूकान नं. 13 भू-तल, वर्धमान, केपी प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, केपी ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली	10103.9	डीई(ओडी) वेस्ट एसएन टेक्नोलॉजी आरएसयू

1	2	3	4
घ.	दूकान नं. 12, भू-तल, वर्धमान, केपी प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, केपी ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली	10103.9	डीई(ओडी) वेस्ट एसएन टेक्नोलॉजी आरएसयू
ङ.	दूकान नं. 6 भू-तल, वर्धमान, केपी प्लाजा सामुदायिक केन्द्र, केपी ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली	10103.9	डीई(ओडी) वेस्ट एसएन टेक्नोलॉजी आरएसयू
च.	फ्लैट नं. 101, प्लॉट नं. 10 पहली मंजिल वर्धमान, केपी प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, पीतमपुरा, नई दिल्ली	6676.9	डीई(ओडी) वेस्ट एसएन टेक्नोलॉजी आरएसयू
छ.	फ्लैट नं. 102-3, प्लॉट नं. 10 पहली मंजिल वर्धमान, केपी प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, पीतमपुरा नई दिल्ली	12478.65	डीई(ओडी) वेस्ट एसएन टेक्नोलॉजी आरएसयू
ज.	फ्लैट नं. 104-6, प्लॉट नं. 10 पहली मंजिल, वर्धमान, केपी प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, पीतमपुरा, नई दिल्ली	12930.6	डीई(ओडी) वेस्ट एसएन टेक्नोलॉजी आरएसयू
झ.	फ्लैट नं. 105, प्लॉट नं. 10 पहली मंजिल, वर्धमान केपी प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, पीतमपुरा, नई दिल्ली	4381.5	डीई(ओडी) वेस्ट एसएन टेक्नोलॉजी आरएसयू
ञ.	फ्लैट नं. 107, प्लॉट नं. 10 पहली मंजिल, वर्धमान, केपी प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, पीतमपुरा, नई दिल्ली	982100	डीई(ओडी) वेस्ट एसएन टेक्नोलॉजी आरएसयू
ट.	फ्लैट नं. 115-115, प्लॉट नं. 11, पहली मंजिल, वर्धमान, केपी प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, पीतमपुरा, नई दिल्ली	12930.6	डीई(ओडी) वेस्ट एसएन टेक्नोलॉजी आरएसयू
ठ.	फ्लैट नं. 112-113, प्लॉट नं. 11, पहली मंजिल, वर्धमान, केपी प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, पीतमपुरा, नई दिल्ली	12478.65	डीई(ओडी) वेस्ट एसएन टेक्नोलॉजी आरएसयू
ड.	फ्लैट नं. 116, प्लॉट नं. 11 पहली मंजिल, वर्धमान केपी प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, पीतमपुरा, नई दिल्ली	4381.5	डीई(ओडी) वेस्ट एसएन टेक्नोलॉजी आरएसयू
ढ.	फ्लैट नं. 117, प्लॉट नं. 11 पहली मंजिल, वर्धमान कंपनी प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, पीतमपुरा नई दिल्ली	9821	डीई(ओडी) वेस्ट एसएन टेक्नोलॉजी आरएसयू
ण.	फ्लैट नं. 111, प्लॉट नं. 11 पहली मंजिल, वर्धमान, केपी प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, पीतमपुरा, नई दिल्ली	6676.9	डीई(ओडी) वेस्ट एसएन टेक्नोलॉजी आरएसयू
4.	प्लॉट नं. 2, एसएससी, सीयू ब्लॉक, अग्रवाल शॉपिंग एरिया, पीतमपुरा, दिल्ली	100758	डीई(ओडी) वेस्ट एसएन टेक्नोलॉजी आरएसयू
5.	आरएसयू, जहांगीरपुरी, सी-10, रामगढ़	105037	डीई(ओडी) ईस्ट-1 एसएन टेक्नोलॉजी आरएसयू
6.	आरएसयू, बुराड़ी 342, निरंकारी रोड,	30647	डीई(ओडी) ईस्ट-1 एसएन टेक्नोलॉजी आरएसयू
7.	28/2, 28/3, 28/4, 29/4 केवल पाक विस्तार, आजादपुर, नई दिल्ली	75213	डीई(ओडी) ईस्ट-2 एसएन टेक्नोलॉजी आरएसयू

1	2	3	4
8.	1932ए/145, गणेशपुरा, त्रिनगर, नई दिल्ली	105847	डीई(ओडी) केपीएम टेक्नोलॉजी आरएसयू
9.	4537/11, जयमाता मार्किट, त्रिनगर, दिल्ली	45853.6	डीई(ओडी) केपीएम टेक्नोलॉजी आरएसयू
10.	कास्केड शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, बवीरपुर जी-3, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली	71300 71875	डीई(ओडी) टेक्नोलॉजी आरएसयू
11.	दुकान नं. 8, बीएस ब्लॉक, शालीमार बाग	13800	डीई(ओडी) वेस्ट टेक्नोलॉजी आरएसयू
12.	229-230 भारत नगर, नई दिल्ली	28500 28500	डीई(ओडी) सेन्टर टेक्नोलॉजी आरएसयू
13.	537, डा. एमकेएन, दिल्ली	63444	डीई(ओडी) ईस्ट-1 टेक्नोलॉजी आरएसयू
14.	22 राजस्थान उद्योग नगर, दिल्ली	114390	डीई(ओडी) ईस्ट-2 टेक्नोलॉजी आरएसयू
15.	एफ-14/30, मॉडल टाउन-2, नई दिल्ली	108630	डीई(ओडी) ईस्ट-एएम टेक्नोलॉजी आरएसयू

विवरण V

मुम्बई में किराए पर लिए गए तकनीकी भवनों का ब्यौरा

क्षेत्र	क्र.सं.	स्थान	तिथि जब से किराए पर लिया गया	क्षेत्र वर्ग मी./वर्ग फीट	प्रति माह किराया	वर्तमान उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
दक्षिण	1.	पतांजलि टीआईएफआर हाउसिंग काम्पलैक्स, एचबी रोड, नेवी नगर	1.4.2001	380 वर्ग फीट	1.00	सीएनई
उत्तर	1.		2.8.2000	160 वर्ग फीट	1.00	वाडला टीई का सीएनएन
	2.	पिय्रदर्शनी बिल्डिंग, एस.टी. रोड, मुम्बई	7.2.02	135 वर्ग फीट	1.00	सिओन टीई का सीएनई
	3.	लवड्रोव पैम्पिंग स्टेशन, वरली	25.9.73	494 वर्ग फीट	145.00	कोक्सिअल रिपेयर सेंटर का कार्यालय
	4.	नवभारत फोटरीज, नवभारत एस्टेट सेवरी	8.2.01	146.76 वर्ग फीट	1.00 1 से 3 वर्ष तक कोई किराया नहीं/ 4 से 20 वर्षों तक 1%	वाडला टीई का डीएलसी
	5.	वाडला ट्रक टर्मिनल	4.2.2002	686.87 वर्ग फीट	प्रीमियम/21 से 30 वर्षों तक 2% प्रीमियम 110.107.18 रु. 2,03,875 प्रति वर्ष रु. 16990 प्रति माह	सिओन एक्सचेंज का आरएलयू और एडब्ल्यूएल-5सबडीएन

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम-1	1.	मै. मनोज इन्डस्ट्रीज, ग्लोरी हाऊस, अंधेरी (वेस्ट)	1.4.98	4,321.81 वर्ग	2,79,837	आरडीएलयू वर्सोवा कार्यालय और स्टोर
	2.	मै. प्रोविडेंट फंड, चान्द्रा (पू.)	13.11.2001	1,054 वर्ग फीट	35,030	आरएसयू
	3.	टैक्नोपोलिस, अंधेरी(पू.)	1.12.2000	3540 वर्ग फीट	1.00	आरएसयू एक्सचेंज
पश्चिम-2	1.	गोकुलधाम आरएसयू, गोरेगांव(पू.)	17.8.88	भू-तल 2133.25, प्रथम तल 2133.25 वर्ग फीट	66669.69 एमटसी 4138.50	आरएसयू एक्सचेंज
	2.	मरोल मरोशी, अंधेरी(पू.)	9.7.98	8507 वर्ग फीट	430454.2	आरएसयू एक्सचेंज और डीईएसकेएन/डिपोएओटीआर
	3.	निरलोन, गोरेगांव	1.6.2000	3341 वर्ग फीट	100 प्रति वर्ष 8.00 फीट	आरएसयू एक्सचेंज
	4.	फॅक्सिरोसाइट, जोगेश्वरी	5.5.03	5335.00 वर्ग फीट	298787	आरएसयू एक्सचेंज और कार्यालय
	5.	6/6, लक्ष्मी नगर, गोरेगांव (वेस्ट)	4.11.03	4392.00 वर्ग फीट	197640	आरएसयू एक्सचेंज कार्यालय
	6.	सीपज	1.2.89	225.00 वर्ग मीटर	1.00	आरएसयू एक्सचेंज
	7.	उत्तम आरएलयू डोंगरी	1.9.2000	2982 + 960 वर्ग फीट	55290	उत्तर आरएलयू/एक्सचेंज, पीपी, ईए, एम डीएफ पीसीएम
	8.	मीरल रोड, आरएलयू एक्सचेंज बिल्डिंग	8.4.92	9919.33 वर्ग फीट	121214.21	एक्सचेंज, एसडब्लयू/आर/पी/आर, बीटीवाई रूम ई/ए, एमडीएफ, टीआर और डीई, एसडीई/(सेमी) के कार्यालयों हेतु
	9.	कश्मीरी, वृंदावन बिल्डिंग	1.7.2000	4704 वर्ग फीट	87400	कश्मीरी एक्सचेंज
	10.	आकृति, शिवशक्ति सीएचएस, कार्टोक्सी(पू.)	31.5.05	4100.00 वर्ग फीट	205000	आरएलयू, सीएससी का संस्थापन और ट्रेन उपस्कर
पूर्व-I	1.	गोदरेज आरएलयू, विक्रोली	3.11.90	2639 वर्ग फीट	1.00	गोदरेज आरएसयू/आरएलयू
	2.	(क) बीएमसी मार्केट बिल्डिंग, (रीटा प्रोपर्टीज)	11.9.98	4663.50 वर्ग फीट	241336	आरएसयू पोवई, एसडीई (संस्थापन), टी. नगर

1	2	3	4	5	6	7
पूर्व-II	1.	सी बिल्डिंग, भू-तल, बीटीएम कोम्प, भान्डुप(वेस्ट)	10.10.01	6265 वर्ग फीट	4,57,345	भान्डुप आरएसयू,
	2.	बसीसीडीएफ और जी, कौसा मुम्बरा थाने	1.1.87	4563 वर्ग फीट	40,081	मुम्बरा आरएसयू डीई और एसडीई मुम्बरा
	3.	मेक आईएनडी कम्पाउंड, ओल्ड मुम्बई-पुणे रोड	27.7.98	5177.59 वर्ग फीट	89,427	मेक आरएसयू और एसडीई
	4.	सहयोग कॉम्पलैक्स, थाने	4.8.2001	6051 वर्ग फीट	2,40,600	सहयोग एक्सचेंज और क्यू सीएससी
	5.	तमन्ना सीएचएस, वर्तक नगर	1.8.2000	9107 वर्ग फीट	3,62,119	एलकेएन आरएसयू और क्यू सीएससी
	6.	शारदा चैबर्स, कोप्रि कॉलोनी, थाणे(पू)		5108 वर्ग फीट	3,06,480	कोप्रि आरएसयू और क्यू सीएससी
	7.	15, भंडुप गांव रोड भंडुप(प.)	17.9.2002	4997.72 वर्ग फीट	2,99,863	भंडुप गांव आरएसयू और एएमएलएन-VIII
	8.	चरणामृत भवन जीबी रोड, थाणे	27.1.2003	5428 वर्ग फीट	1,91,167	सीआर एमटी आरएसयू
	9.	मनीषा टावर्स, टाटा कालोनी, नवधर, मुलुंद(पू)	11.4.2003	6100 वर्ग फीट	5,03,250	मनीष टावर आरएसयू डीएमएलएन-II एएमएन II, एएमएलएन-V एई (विद्युत और क्यूसीएससी)
	10.	गोदरेज इंडस्ट्रीज लि.	21.1.2002	985.00 वर्ग फीट 400.00 वर्ग फीट	27580 4000	गोदरेज आरएसयू, एसडीई (गोदरेज साबुन)
	11.	आईआईटी पोवाई	1.11.99	654.00 वर्ग फीट	10000	एसडीईआईआईटी-आरएसयू
	12.	यूनियन पार्क चेंबूर	7.3.2000	4575.01 वर्ग फीट	423711	आरएसयू यूनियन पार्क
	13.	आरसीएफ लिमिटेड	8.5.00	180.00 वर्ग फीट	12	सीएनई मानखुर्द
	14.	दीप प्लाजा भवन, कुर्ला	4.9.2000	6225 वर्ग फीट	392175	एसडीई(आरएसयू कुर्ला)
	15.	श्री जी कृपा, चूनाभाटी		7000.00 वर्ग फीट	406000	आरएसयू (सीएचएम) और एसडीई (चुबाबट्टी)
	16.	कश्मीर कुंज, घाटकोपर		2363.00 वर्ग फीट	148869	आरएसयू गरोदिया नगर
	17.	रेहाजा प्लाजा	3.11.03	300.00 वर्ग फीट	1.00	आरएलयू (सीएनई)

1	2	3	4	5	6	7
	18.	क्लासिक वाणिज्यिक कन्नमवाड़ नगर	16.9.05	2710.00 वर्ग फीट	126996	आरएसयू कन्नमवाड़ नगर
	19.	नालंदा एजुकेशन फांउडेशन, चेंबूर	11.2.05	2365.00 वर्ग फीट	115885	आरएसयू कन्नमवाड़ नगर
उत्तरी मुंबई	1.	टाउनशिप एक्सचेंज, जेएनपीटी		49 वर्ग मी.	1044	एक्सचेंज प्रयोजन
	2.	शिवा टी.ई. उड़ब		42.63 वर्ग मी.	3682	एक्सचेंज प्रयोजन
	3.	एमएसई बिल्डिंग बोकादवीरा उड़न		21 वर्ग मी.	1695	डीएससी एक्सचेंज
	4.	सीडब्ल्यूसी, सीएफसी द्रोगिरि नोड़, उड़न		185 वर्ग फीट	185	डीएलसी एक्सचेंज
	5.	बीटी टंडल, हाउस नं. 247, उड़न		121 वर्ग फीट	700	डीएलसी एक्सचेंज
	6.	एसएन घरत, हाऊस नं. 530, बससी उड़न		160 वर्ग फीट	740	डीएलसी एक्सचेंज
	7.	डीडी वलि, करंजा गांव, उड़न		100 वर्ग फीट	715	डीएलसी एक्सचेंज
		कुल किराया			6186130.01	

किराये पर लिये गये कार्यालय भवन-मुंबई

क्षेत्र	क्र.सं.	कार्यालय की अवस्थिति	जिस तारीख से किराये पर लिया गया है	क्षेत्रफल वर्ग मीटर/वर्ग फीट	प्रति माह किराया	मौजूदा उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
दक्षिण	1.	अमर बिल्डिंग, फोर्ट	1.4.58	870 वर्ग फीट	108	सीएससी एफटीएन (आरबीआई)
	2.	कपाड चैंबर, जेएस जे रोड	15.10.1998	183.4 वर्ग फीट	1,30,215	डीसीटी-I, एसीटी-IV, एसीटी-IV
	3.	मिंटो रोड	1953 से पूर्व	1072.88 वर्ग फीट	64,372.80	एएफएन-II, टेलीमार्ट
	4.	सावला चैंबर्स सी.पी. स्ट्रीट,	8.3.1965	9095 वर्ग फीट	4991	डीएफएन-I, डएफएन-II, एएफएन-1/3/4, एसीओ-IV, संपदा प्रबंधक
केन्द्रीय						
	1.	अडवाणी चैंबर्स		16844.45 वर्ग फीट	22740	जीएम(सी), डीजीएम(एफ और ए), सीएओ(टीआर), एओ(टीआरएमबीएच)

1	2	3	4	5	6	7
	2.	अलंकार थिएटर		8842.00 वर्ग फीट	68932	डीजीवी-I, एजीवी-I, एजीवी-II, एजीवी-VI एएमवी-III, एएमवी-IV
	3.	मणि महल		2301.00 वर्ग फीट 124747.91	124757.91	एएमएच-V, एजीवी-IV
	4.	सौदागर दरवेश ट्रस्ट		2335.00 वर्ग फीट भू-तल और 1184.00 वर्ग फीट मेजानीन	167225.75	डीएमजेड-II, एएमजेड-IV, एएमवी-VI
	5.	प्रभात अपार्टमेंट		2086.00 वर्ग फीट	112623.14 वर्ग फीट	एएमजेड-II
	6.	सेंट्रल टिन		2663 वर्ग फीट	76641.14	एएमजेड-II और एएमजेड-I
	7.	(क) मुलजी हाउस		3338.00 वर्ग फीट	166900	एएमजेड-V, एएमजेड-I
		(ख) मुलजी हाउस, मस्जिद		1799.00 वर्ग फीट	94339.56	एएमजेड-VI
	8.	भारत चैंबर्स, मस्जिद बुंदर		1156.92 भू-तल और : 632.87 मेजानीन तल	80023.68	डीई(सीसी), केन्द्रीय एसडीई(सीसी), केन्द्रीय
	9.	कमर्शियल मनोर		2502.00 भू-तल और : 1230.00 मेजानीन तल	102582	एएमवी-I, एएमवी-II
	10.	मेहता मैन्शन		1413.66 वर्ग फीट : 966.71 वर्ग फीट	213641.82	एजीवी-V
उत्तरी						
	1.	गया बिल्डिंग, नयगांव टीई बिल्डिंग	वैधानिक किरायेदार	प्लॉट नं. 48-ए	1.00 : 15.00	सीएओ(रोकड/वर्क्स-उत्तरी)
	2.	पथार हाउस, बीएस रोड, दादर(पश्चिम)	30.1.91	3553.30 वर्ग फीट	152243	एपीडी-II एसडीई
	3.	शर्राफ बाजार बिल्डिंग, गोखले रोड, दादर (पश्चिम)	14.09.82	3965.29 वर्ग फीट	51343.38	एपीडी-II सब डिवीजन
	4.	वर्ली टेम्पो रोड, प्लॉट नं. 75	1.1.76	494 वर्ग फीट	165	एडब्ल्यूएल-V सबडिवीजन

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिमी-I						
	1.	मै. आईएएआई, सांताक्रुज (पश्चिम)	11.1.89	21.85 वर्ग मीटर	4,362	एवीपीएल कार्यालय एवं गोदाम
	2.	मै. आईएएआई, सांताक्रुज (पश्चिम)	1.7.98	21.60 वर्ग मीटर	6,312	एवीपीएल कार्यालय एवं गोदाम
	3.	मै. जयदेव कमर्शियल, प्रा. लि. सांताक्रुज (पू.)	1.8.98	3650.10 वर्ग फीट	1,49,447.40	डीवीपीएल-II एवीपीएल I/एवीपीएल-VII एवीपीएल-IV कार्यालय एवं गोदाम
पश्चिमी-II						
	1.	रत्नदीपगंधा कम्प्लेक्स, गोरेगांव	25.9.89	5713 वर्ग फीट	141571 मी-6284.30	डीजीकेडी एवं डीपु एवीटीआर जी केडी
	2.	पिंकी, नया नगरदास रोड, अंधेरी	14.9.87	5044.00 वर्ग फीट	363168	एओटीआर 1 और 2 एमआरएल क्यूसीएससी
	3.	कामा एस्टेट, गोरेगांव (पू.)	21.6.98	1584 वर्ग फीट	45540	एसडीई (एनआरएल)
	4.	मरोल मरोशि, अंधेरी (पू.)	28.1.04	5024 वर्ग फीट	281344	एएसकेएन, I, II और III
	5.	विल्सन हाउस, अंधेरी (पू.)	4.4.03	6161 वर्ग फीट	412787	आरएसयू एक्सचेंज, विस्तार कार्यालय
पश्चिमी-III						
	1.	नवघर आरएसयू, भयंदर(प)	12.8.97	502 वर्ग फीट	13107.22	एनएवी-सीएससी
	2.	मिरल रोड, शीतल सौरभ प्रशासनिक भवन	18.4.96	18313 वर्ग फीट	473182	डीबीएम, डीई, एसडीईएस और ए ओटीआर क्यूसीएस और कमर्शियल सेक्टर
पूर्व-I						
	1.	कैलाश कमर्शियल कम्प्लेक्स विक्रोली	17.6.86	27425 वर्ग फीट	428379	जीएम(पू-1), कार्यालय
	2.	अशोक सिल्क मिल, घाटकोपर	26.6.90	5778.40 वर्ग फीट	12115	क्यूसीएससी (एएस), एसडीई (जेएन), एसडीई (सीई) जीकेपी-I
	3.	राजी कमर्शियल कम्प्लेक्स, चेंबूर	26.4.90	7319.22 वर्ग फीट	232789	एएमके-III, एसीएच-IV सीएचएम और गोदाम

1	2	3	4	5	6	7
	4.	रूनवाल सेंटर, गोवन्डी	10.4.95	3120 वर्ग फीट	89700	डीएमके-III, एएमके-VI कार्यालय एवं डिपु, क्यूसीएससी (एमकेडी)
	5.	न्यू विजय सिनेमा, चेंबूर	1.4.95	3330 वर्ग फीट	149850	डीसीएच-I और II, एसीएच I और II, डिपु एसएच-V, गोदाम और जीएसएम, सर्किट रूम, विविध गोदाम
			25.2.99	1695 वर्ग फीट	167865	
	6.	इंडस्ट्रियल डपलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, घाटकोपर	16.2.96	4906 वर्ग फीट	231344	डीई(एनएनआर), एसडीई, (विस्तार), गोदरेज-I और II
	7.	गुडविल मैंशन, विखरोली	12.9.98	3394 वर्ग फीट	213822	डीपीक्यू और एपीडब्ल्यू-I, चेक काउंटर एपी डब्ल्यू IV द्वारा डुप्लीकेट बिल जारी किए जाते हैं।
		बीएमसी मार्केट बिल्डिंग (परेल प्रापर्टीज)	11.9.98	1057.00 वर्ग फीट	54700	लेडिज डोमेटरी, एसडीई (आईएनटीएल), टीएन स्टोर
	8.	सीता एस्टेट, चेंबूर	6.1.99	3400.37 वर्ग फीट	195521	बी विंग खाली हो गया है, मामला न्यायालय में है
	9.	शीतल प्लाजा, घाटकोपर	8.1.99	8565.00 वर्ग फीट	319095	एसडीई(क्यूसीएससी) कुर्ला एजीएचडब्ल्यू-V, VI और VIII एसडीई(कुर्ला आरएसयू)
	10.	अशीष चैंबर, मानखुर्द	2.6.99	5096.25 वर्ग फीट	188561	एएमके-I और V, क्यूसीएससी-एमकेडी
	11.	दामजी श्यामजी इंडस्ट्रियल कंप्लेक्स, घाटकोपर	15.6.99	3446.00 वर्ग फीट	241220	एसडीई (जीकेपी) डब्ल्यू-VII एसडीई(जीकेपी, डब्ल्यू)/III और IV डीई (कुर्ला)
पूर्व-II						
	1.	ए. बिल्डिंग, द्वितीय तल, बीटीएम कम्प्लेक्स, भांडुप(प)	1.6.2001	5190 वर्ग फीट	2,95,830	डीएमएल-III यूनिट
	2.	नशेमन शॉपिंग कम्प्लेक्स कौसा मुंब्रा	1.9.95	681.75 वर्ग फीट	7,150	मुंबई एसडीई

1	2	3	4	5	6	7
	3.	बीएमसी मार्केट तिलकनगर, चेंबुर	25.3.99	3900.00 वर्ग फीट	175500	एसचीएच-I, तिलक नगर
	4.	धनवंती अपार्टमेंट, घाटकोपर	5.2.01	3034.00 वर्ग फीट	142598	एसडीई (ईएक्सटीएल-जीकेपी-II, III और V)
	5.	सिद्धार्थ अपार्टमेंट, घाटकोपर	3.8.01	1204.00 वर्ग फीट	56588	एसडीई (ईएक्सटीएल) ई-IV, डुप्लिकेट बिल काउंटर, चेक कलेक्शन सेंटर डीजीएच(ई)

स्टोर्स डिपुओं का ब्यौरा—मुंबई

क्षेत्र	क्र.सं.	कार्यालय की अवस्थिति	जिस तारीख से किराये पर लिया गया है	क्षेत्रफल वर्ग मीटर/वर्ग फीट	प्रति माह किराया	मौजूदा उपयोग
उत्तरी	1.	टीडी इंडस्ट्रीज, सनमिल कंपाउंड लोअर परेल	5.7.91	2475 वर्ग फीट	56452.75	क्षेत्रीय गोदाम
पूर्वी	1.	इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कं. प्रा. लि. घाटकोपर	13.10.89	22767.71 वर्ग फीट	4772111	एबीएम (एसडी-2)/एसडीई (एसडी)

निविदा का मूल्यांकन

3067. श्री रघुनाथ झा: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** 20.12.2003 के अतारांकित प्रश्न सं. 4902 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निविदा कितनी अवधि के लिए वैध थी;

(ख) क्या नयूनतम निविदाकर्ता को निविदा की वैधता को बढ़ाकर उपकृत किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) निविदा पुन: आमंत्रित नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या निविदा के मूल्यांकन में कोई विलम्ब हुआ था; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) उपर्युक्त निविदा की वैधता, उपर्युक्त निविदा के खोले जाने की तारीख से तीन महीने तक की थी। उपर्युक्त निविदा, 21.01.1998 को खोली गई थी और वह 20.04.1998 तक वैध थी। सभी निविदाकर, अपनी-अपनी बोली में उद्धृत मूल्य-समयोजन-फॉर्मूले के अनुसार कीमत की बोलियों से युक्त अपनी-अपनी निविदा की वैधता बढ़ाने के दायित्व के अधीन थे।

(घ) चूंकि सबसे कम बोली देने वाले निविदाकार की बोली, स्वीकार की गई बोली की शर्तों से अलग हट कर थी, अत: उसकी बोली की निविदा की प्रक्रिया के बाद किया जाने वाला संशोधन माना गया और इसलिए उसे अस्वीकार कर दिया गया। तत्पश्चात्, दूसरी सबसे कम बोली देने वाले निविदाकार की बोली पर विचार किया गया और उसे निविदा की शर्तों के मुताबिक पाया गया। इसलिए, निविदा पुन: आमंत्रित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

(ङ) और (च) उपर्युक्त देर, स्पष्टीकरण हासिल करने में लगे समय के कारण हुई।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 को चौड़ा करना

3068. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 को 8 लेन वाला बनाने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 के प्रस्तावित चौड़ीकरण में प्रमुख बाधाओं का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) परियोजना की संविदा प्रक्रिया तथा कार्य को कब तक शुरू किया जएगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 की लंबाई 8.4 कि.मी. है जिसमें से 4.1 कि.मी. पहले से ही 8 लेन की है। 2.3 कि.मी. से 8 लेन बनाने का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन शेष लंबाई को भी 8 लेन का बनाने का प्रस्ताव है। निविदा प्रक्रिया और इस कार्य को शुरू करने के लिए समय सीमा के बारे में बता पाना फिलहाल संभव नहीं है। इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर 8 लेन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। खंडों को 8 लेन का बनाए जाने के लिए इस मंत्रालय द्वारा परियोजनावार आबंटन नहीं किया जाता है। चालू वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आबंटित समग्र धनराशि 15.5 करोड़ रु. है।

खेल परिसर का सौंपा जाना

3069. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिव छत्रपति खेल परिसर बालेवाडी (पुणे), जहां 12 अक्टूबर, 2008 से तीसरे राष्ट्रमंडल खेल होंगे, में निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) खेल आयोजकों को खेल परिसर किस तिथि तक सौंपे जाने की संभावना है;

(ग) क्या महाराष्ट्र ने खेल पसिर को पूरा करने के कार्य के लिए निधियों को शीघ्र संवितरित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क), (ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रमंडल युवा खेलों के लिए खेल अवस्थापनाओं के निर्माण/स्तरोन्नयन के लिए 192.5 करोड़ रु. की राशि के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। योजना आयोग ने प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए सलाहकार की अध्यक्षता में एक दल की प्रतिनियुक्ति की। परीक्षण के पश्चात्, इस उद्देश्य के लिए, उसने 100 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता की सिफारिश की है। तद्नुसार, मंत्रालय सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने तथा अपेक्षित बजटीय प्रावधान करने के लिए कार्रवाई कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार से इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संशोधित प्रस्ताव भेजने के लिए अनुरोध किया गया है और इस मामले को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए आगामी कार्रवाई करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, आयोजकों को स्टेडियम अनन्तिम अनुसूची के अनुसार दिनांक 1.6.2008 तक सौंप दिया जाएगा।

[अनुवाद]

आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की सिफारिशें

3070. श्री एल. राजगोपाल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष द्वारा अनुशंसित छह सूत्री रणनीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त सिफारिशों के मद्देनजर सक्षमता की अनदेखी किए बिना राज्यों के बीच आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) दिनांक 1 जून, 2006 को दिए गए 'आर्थिक विकास और अभिशासन की समस्याएं' संबंधी सातवीं डी.पी. कोहली स्मारक व्याख्यानमाला के दौरान प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष द्वारा एक छह सूत्री कार्यनीति की सिफारिश की गई थी। वे निम्नलिखित हैं:

(1) कृषि विकास को बढ़ाना

(2) अवसंरचना विकास

(3) वित्तीय दृढ़ीकरण

(4) सामाजिक अवसंरचना का निर्माण

(5) अच्छा अभिशासन

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खिलाड़ियों की भर्ती

3072. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार सर्किलों को अपनी खेल कोटा भर्ती नीति के अंतर्गत उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक दूरसंचार सर्किल द्वारा आज की तारीख तक खेलों की विभिन्न विधाओं विशेषकर हॉकी के कितने खिलाड़ियों की भर्ती की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल हाकी को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक दूरसंचार सर्किल में युवा और प्रतिभाशाली हॉकी खिलाड़ियों की टीमें बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं। विभाग के दूरसंचार सर्किल अब भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अंग है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने दूरसंचार सर्किलों को अपनी स्पोर्टस कोटा भर्ती नीति के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती करने के निदेश दिए हैं। एमटीएनएल के मामले में भर्ती नियमों के तहत समूह ग और घ में खिलाड़ियों की भर्ती की जाती है। तथापि, चल रही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) और एमटीएनएल को अनुकूल आकार देने की दृष्टि से एमटीएनएल द्वारा समूह ग और घ के कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(ख) बीएसएनएल में स्पोर्टस कोटे में की गई भर्ती का सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड ने सभी सर्किलों में हॉकी अथवा फुटबाल (दोनों नहीं) के खेलों की लोकप्रियता और उस सर्किल में खिलाड़ियों की उपलब्धता के आधार पर खिलाड़ियों की भर्ती करने की अनुमति प्रदान की है। बीएसएनएल प्रतिवर्ष अखिल भारतीय हॉकी टूनामेंट का आयोजन भी कर रहा है और अप्रैल 2006 में झारखंड में आयोजित पिछले टूर्नामेंट में 14 दूरसंचार सर्किलों नामत: उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश (पूर्व) और मध्य प्रदेश सर्किलों) ने भाग लिया था।

विवरण

बीएसएनएल में 26.02.02 से 29.11.06 तक भर्ती किए गए खिलाड़ियों की सूची

क्र.सं.	सर्किल का नाम	खेल का नाम और भर्ती किए गए खिलाड़ियों की संख्या													कुल
		टी.टी.	क्रिकेट	बैडमिंटन	एथलेटिक	कबड्डी	पी/लो	डब्लयू/लो	बी.बी.	साइकिलिंग	बॉल	वी. बॉल	खोखो	कैरम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	मध्य प्रदेश	3	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
2.	गुजरात	3	7	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
3.	आंध्र प्रदेश	4	-	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	15
4.	उत्तर दूरसंचार क्षेत्र	-	6	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
5.	जम्मू-कश्मीर	-	-	-	-	7	1	1	-	-	-	-	-	-	9
6.	असम	3	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	15
7.	पंजाब	4	2	-	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	13
8.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
9.	पश्चिम बंगाल	5	2	3	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	-	-	3	5	2		5		-	-	-	-	-	15
11.	राजस्थान	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	5	-	-	15
12.	हिमाचल प्रदेश	2	2	3	1	-	-	-	-	-	2	5	-	-	15
13.	चेन्नई टेलीफोन्स	4	3	-	-	2	-	-	-	-	4	2	-	-	15
14.	केरल	-	-	-	5	4	-	-	-	-	6	-	-	-	15
15.	हरियाणा	-	6	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	11
16.	तमिलनाडु	-	-	-	1	-	1	-	-	-	7	-	1	-	10
17.	महाराष्ट्र	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
18.	उड़ीसा	-	7	1	4	-	-	-	-	-	2	-	-	1	15
19.	कोलकाता टेलीफोन	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
20.	पूर्वोत्तर-I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	पूर्वोत्तर-II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	उत्तरांचल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल														228

टी.टी. - टेबल टेनिस, पी/एल - पावर लिफ्टिंग, डब्ल्यू/एल - भारोत्तोलन, बी. बाल - बास्केट बाल, वी. बॉल - वॉलीबाल, बी. बी - शरीर सौष्ठव

टिप्पणी: वर्ष 2002 में, खेलों की उस सूची में हॉकी को नहीं शामिल किया गया था जिसमें भर्ती की जा रही थी। बीएसएनएल खेलकूद एवं सांस्कृतिक बोर्ड ने 14.12.2004 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में सर्किलों को हॉकी अथवा फुटबाल में से किसी एक खेल में भर्ती करने का निर्णय किया। कर्नाटक एवं झारखंड दूरसंचार सर्किल हॉकी में क्रमशः 4 और 8 खिलाड़ियों की भर्ती हेतु कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल सर्किलों ने अभी तक हॉकी में कोई भर्ती नहीं की है।

[हिन्दी]

लोक सेवक कानून बनाना

3073. श्री जय प्रकाश (मोहन लाल गंज): क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु लोक सेवक कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) सरकार ने एक लोक सेवा विधेयक का प्रारूप तैयार किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक लोक सेवा

कर्मचारी से सरकारी ड्यूटी का निष्पादन, बिना किसी भेदभाव के और कानून के अनुसार तथा पर्दाफाश करने वालों के संरक्षण सहित दक्षता और वफादारी; सावधानी और कर्मठता; जिम्मेदारी; सत्यनिष्ठा, उद्देश्यपरकता और निष्पक्षता के साथ; करने की अपेक्षा करते हुए और सुविधा देते हुए लोक सेवा संचालन में उच्च स्तर की नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए भारत में लोक सेवाओं के नियमन हेतु सांविधिक आधार उपलब्ध करने की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेलों हेतु स्वयं सेवक

3074. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2010 में दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की टिकटों के माध्यम से कितनी धनराशि अर्जित किए जाने का अनुमान है;

(ख) खेलों के सुचारू कार्यकरण के लिए कितने स्वयंसेवकों की आवश्यकता है;

(ग) क्या स्वयं सेवकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की आयोजन समिति ने टिकटों से लगभग 100 करोड़ रु. की आय की संभावना व्यक्त की है।

(ख) से (ङ) आयोजन समिति के अनुसार खेलों के आयोजन के लिए लगभग 25,000 स्वयं सेवकों की आवश्यकता होगी और जिन स्वयं सेवकों को अनुबंधित किया जायेगा, उनके अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए आयोजन समिति द्वारा प्रणाली तैयार की जा रही है।

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों पर संग्रहीत उपकर

3075. श्री प्रहलाद जोशी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों अर्थात् 2004-05 और 2005-06 के दौरान और चालू वर्ष में आज की तिथि तक कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों पर संग्रहीत उपकर का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कर्नाटक में मंजूर किए गए नए राष्ट्रीय राजमार्गों और बाइपासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्गों/बाइपासों से संबंधित स्वीकृति और क्रियान्वयन हेतु लंबित कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक स्वीकृत और क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) वर्ष 2004-05, 2005-06, और चालू वर्ष 2006-07 के दौरान कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों पर एकत्र किया गया उपकर क्रमश: 24.54 करोड़ रु. 43.33 करोड़ रु. और 32.98 करोड़ रु. है।

(ख) वर्ष 2004-05 से अब तक किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग और बाइपास को स्वीकृति नहीं दी गई है।

(ग) और (घ) जहां तक बाइपासों का संबंध है, कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाइपास के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। जहां तक नए राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्ताव का संबंध है, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित की जाने वाली विभिन्न राज्यीय सड़कों का प्रस्ताव किया है। विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए धनराशि की उपलब्धता की समग्र स्थिति पर विचार करते हुए, इस समय पर राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा करना सरकार की प्राथमिकता नहीं है।

आई.टी./आई.टी.ई.एस. क्षेत्र के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र

3076. श्री एस.के. खारवेलवन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आई.टी./आई.टी.ई.एस. क्षेत्र के अंतर्गत तमिलनाडु में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) को स्वीकृति दी गई है;

(ख) योजना के अंतर्गत किन स्थानों को कवर किया जाएगा और इसकी क्या विशेषताएं हैं; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य में आई.टी./आई.टी.ई.एस. क्षेत्र में और सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने निर्यात के लिए अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी एवं बाधा मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश ने विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की एक नीति परिवर्तित की है। इस नीति के अंतर्गत वस्तुओं के विनिर्माण तथा सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाइयों की स्थापना की जा सकती है। इस क्षेत्र में स्थापित इकाइयों के लिए शुद्ध विदेशी मुद्रा का आयकर्ता होना जरूरी है लेकिन उन पर पूर्व निर्धारित कोई मूल्य संवर्धन अथवा नयूनतम निर्यात कार्यनिष्पादन की अपेक्षा की शर्त नहीं लगाई जाएगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री के लिए इस समय लागू आयात नीति के अनुसार सीमा शुल्क का पूर्ण भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपतटीय बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। नीति में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना सार्वजनिक, निजी, संयुक्त क्षेत्र में अथवा राज्य सरकारों द्वारा किए जाने का प्रावधान है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों से निर्यात की जाने वाली अथवा इकाइयों में आयात की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर शुल्क या उप कर से छूट के प्रावधान नीति में किए गए हैं।

वाणिज्य विभाग के अनुसार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अब तक तमिलनाडु में सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा/सॉफ्टवेयर क्षेत्र में 19 विशेष आर्थिक क्षेत्रों को अनुमोदित किया है तथा सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा/ सॉफ्टवेयर क्षेत्र तथा 2 और विशेष आर्थिक क्षेत्रों को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया है। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र तमिलनाडु के सिरूसेरी, पल्लईकरनई, चेन्नई, शेलिंगन्नलूर ग्राम (तम्बरम तालुक, चेन्नई), विलनकुरूची (कोयम्बटूर), चिंगलपेट (कांजीपुरम जिला), श्री पेदेम्बदूर, कोयम्बटूर, थोरोईपक्कम आदि में स्थिति हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नामक एक स्वायत्त संस्था ने तमिलनाडु के चेन्नई, त्रिची, मदुरै, तिरूनलवेली तथा कोयम्बटूर में केन्द्र स्थापित किए हैं जो राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उच्च गति डेटा संचार सुविधाएं, उद्भवन सुविधाएं तथा सांविधिक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा नीति 2005 के अनुसार, तमिलनाडु राज्य सरकार भी विभिन्न प्रकार के वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, केवल बिक्री कर का भुगतान करके पूंजीगत उपस्करों का अबाधित संचलन, 300 करोड़ रुपए से अधिक एकल पूंजीनिवेश के लिए विशिष्ट पैकेज 50 प्रतिशत तक अथवा 1 लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो, पेटेंट के पंजीकरण की एककालीन प्रतिपूर्ति आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

जनजातीय और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों का विकास

3077. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ में जनजातीय और अनुसूचित जाति बहुत क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक जनजातीय और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के विकास हेतु क्रियान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जनजातीय एवं अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य और इस लक्ष्य समूह के आवासीय हितों को ध्यान में रखते हुए कल्याण, एवं विकास हेतु कई केन्द्रीय एवं केन्द्र प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। विस्तृत सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

(1) जनजातीय बहुल क्षेत्रों के नाम निम्नानुसार दिए गए हैं:

1. सुरगुजा जिला,
2. कोरिया जिला,
3. बस्तर जिला,
4. दंतेवाड़ा जिला,
5. केंकर जिला,
6. मरवाही, गोरिल्ला-1, गोरिल्ला-2 जनजातीय विकास खंड एवं बिलासपुर जिले में कोटा राजस्व निरीक्षक सर्कल।

7. कोरबा जिला

8. जशपुर जिला,

9. रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलुंगा और खरसिया जनजातीय विकास खंड

10. दुर्ग जिले में डोंडो जनजातीय विकास खंड

11. राजनंदगांव जिले में चौकी मानपुर और मोहला जनजातीय विकास खंड

12. रायपुर जिले में गरियाबंद, माइपुर और चूरा जनजातीय विकास खंड।

13. धमतारी जिले में नगरी (सिहावा) जनजातीय विकास खंड।

(2) 50% या इससे अधिक की अनुसूचित जाति जनसंख्या के जिलेवार गांवों की संख्या।

जिले	गांवों की संख्या
1	2
बस्तर	3
बिलासपुर	257
दंतेवाड़ा	4
धमतारी	11
दुर्ग	148
जांजगीर-चंपा	121
जशपुर	2
कवर्धा	64
कोरबा	5
महासमुंद	25
रायगढ़	60
रायपुर	217
राजनंदगांव	35
सुरगुजा	3

विवरण-II

जनजातीय विकास

जनजातीय विकास हेतु संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत जनजातीयों के कल्याण हेतु जनजातीय उप योजना (टीएसपी) हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता और अनुदान के अलावा प्रमुख स्कीमों में से कुछ में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस) एकलव्य आधुनिक आवासीय स्कूल, अ.जा./अ.जा. बालक एवं बालिका छात्रावास, आश्रम विद्यालय, मेधा के उन्नयन हेतु स्कीम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय अनु. जन जाति वित्त एवं विकास निगम, गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान, अनु. जन जाति बालिकाओं हेतु शैक्षिक परिसर, आदिम अनु. जन जाति समूहों के विकास की स्कीम शामिल हैं।

जनजातीय विकास हेतु विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत मुहैया कराई गई निधियां

क्र. सं.	स्कीमों के नाम	वार्षिक योजनाएं		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	एससीपी को एससीए	44.05	53.97	90.00
2.	अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान	20.89	28.58	34.79

1	2	3	4	5
3.	पीएमएस	0.00	2.06	12.54
4.	मैरिट का उन्नयन	21.00	17.55	4.43
5.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	0.00	1.34	0.00
6.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	एन ए	–	–
7.	एसटीडीसीज	–	1.44	0.63
8.	गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	19.74	11.27	29.11
9.	शैक्षिक परिसर	9.20	11.73	9.42
10.	पीटीजीज़ का विकास	–	40.00	90.00

अनुसूचित जाति विकास

अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु कार्यान्वित प्रमुख स्कीमों में से कुछ में विशेष घटक उप-योजना (एससीएसपी) हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के अलावा मलिन पेशों में शामिल व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, विदेशों में उच्च अध्ययन हेतु अनुसूचित जाति छात्रों हेतु राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति स्कीम, अनुसूचित जाति छात्रों हेतु मैरिट के उन्नयन, अनुसूचित जाति बालक एवं बालिकाओं हेतु छात्रावास, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्प संख्यकों को शामिल कर कमजोर वर्गों हेतु कोचिंग एवं संबद्ध नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 के संरक्षण और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम 1989, गैर-सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम शामिल है।

अनुसूचित जाति विकास के लिए वित्तीय सहायता

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजना		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	एससीपी को एससीए	0.08	3.39	0.00
2.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विकास निगम	एन.ए.	एन.ए.	4.26
3.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	एन.ए.	एन.ए.	1.85
4.	मैटिकोत्तर छात्रवृत्ति	3.52	15.67	5.26
5.	मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	0.20	0.8	49.06
6.	बालकों हेतु छात्रावास	एन.ए.	एन.ए.	242.68

1	2	3	4	5
7.	बालिकाओं हेतु छात्रावास	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
8.	नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम	एन.ए.	एन.ए.	46.38

[अनुवाद]

बच्चों में मुख संबंधी और दंत रोगों के मामले

3078. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काफी संख्या में लोग विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चे दांत से संबंधित रोगों से ग्रसित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मुख संबंधी और दंत रोगों के मामलों में कमी के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में ओरल हेल्थ केयर प्रोग्रामों को क्रियान्वित किया है/क्रियान्वित किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पान्नाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के द्वारा किए गए राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य सर्वेक्षण और फ्लोराइड मैपिंग (2002-2003) के अनुसार विभिन्न आय समूहों के लोग निम्नलिखित प्रतिशत में विभिन्न ओरो-डेंटल समस्याओं से पीड़ित हैं:

मुख के रोग की स्थिति	आयु वर्षों में				
	5	12	15	35-44	65-74
मौजूदा दांतों की औसत संख्या	19.9	27.3	27.9	30.0	18.9
दंत क्षरण प्रतिशत व्याप्तता	51.9	53.8	63.1	80.2	85.0
पेरिडोंटल रोग प्रतिशत व्याप्तता	11.7	57.0	67.7	89.6	79.9
मालीक्कलुजन प्रतिशत	0.6	23.6	23.9	43.1	अनुपलब्ध
डेंटल फ्लूरोसिस (प्रतिशत)	5.0	10.2	9.9	7.2	3.7
ओरल मुकोसल स्थितियां (प्रतिशत)	0.8	1.4	2.3	7.1	10.3

(ख) से (ङ) सरकार लोगों को मुख के स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करने और जंक फूड, चाकलेट, टाफियों, शीतल पेयों आदि जैसी खाद्य वस्तुओं से दूर रहने के लिए स्वास्थ्य जागरूकता और शिक्षा अभियान चला रही है।

वेतनमान का उन्नयन

3079. **श्री हरिभाऊ राठौड़:**
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों/वैयक्तिक सहायकों के वेतनमान का उन्नयन/संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या संशोधित वेतनमान केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिवों के वेतनमान के समतुल्य है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिवों के वेतनमान का उन्नयन/संशोधन करेगी;

(घ) यदि हां, तो सरकार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिवों के वेतनमानों का उन्नयन/संशोधन करने के संबंध में कब तक निर्णय लेगी; और

(ङ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिवों को कौन-सा ग्रेड दिया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिवों के वेतनमान में संशोधन का एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के परामर्श से सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

खाड़ी देशों में लोगों को अवैध रूप से भेजना

3080. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानव दुर्व्यापारियों द्वारा नागपुर विमानपत्तन से खाड़ी देशों में लोगों को अवैध रूप से भेजने का मामला दर्ज किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मानव दुर्व्यापारियों द्वारा उपयोग किए गए पासपोर्टों की जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ङ) संबंधित एजेंसियों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

स्वापक सूची में भारत

3081. **श्री श्रीपाद येसो नाईक:**
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमीरका ने भारत को स्वापक पदार्थों का उत्पादन और तस्करी करने वाले देशों की सूची में शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अमरीका के प्रति अपना विरोध जताया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) अमरीका के आंतरिक कानून के अनुसार अमरीका के राष्ट्रपति से यह अपेक्षा होती है कि वह "नशीली दवाइयों के मुख्य पारगमन अथवा अवैध दवाइयों का उत्पादन करने वाले मुख्य देशों" के रूप में "मेजर सूची" के रूप में संदर्भित देशों को अभिनिर्धारित करें। विदेशी संबंध प्राधिकार अधिनियम की धारा 706(2)(क) के अंतर्गत अमरीकी राष्ट्रपति से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी ऐसे देश को "मेजर सूची" में शामिल करें जो पिछले बारह माह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्वापक-प्रतिरोधी करारों का अनुपालन करने के अथवा अमरीकी कानून में निर्दिष्ट स्वापक-प्रतिरोधी उपायों को क्रियान्वित करने के "वास्तविक प्रयास करने में.... प्रामाणिक रूप से असफल रहा हो"। यद्यपि भारत को

''मेजर सूची'' में शामिल किया गया है, ऐसे किसी वर्ष का संकेत नहीं है जब भारत को ''प्रामाणिक रूप से असफल'' देश की सूची में रखा गया हो।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने मामले को अमरीकी सरकार के साथ उठाया है।

(ङ) अमरीका की सरकार ने संकेत दिया है कि ''अफीम के वैध उत्पादन को बड़े पैमाने पर अवैध बाजार में भेजने के कारण भारत को ''मेजर सूची'' में शामिल किया गया है। अमरीका ने इस जानकारी के लिए अनुरोध किया है कि कितनी समयावधि में वैध उत्पादन को अवैध बनाने से संबंधित समस्या की गंभीरता में कमी आ जाएगी।

मोबाइल कनेक्टिविटी समस्या

3082. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के किन क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार बिना कोई विलम्ब किए ऐसे क्षेत्रों की उक्त समस्या सुलझाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक किए जाने की संम्भावना है;

(घ) यदि नही, तो क्या यह समस्या मात्र निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने हेतु बनाकर रखी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) देश के मोबाइल दूरसंचार नेटवर्क का विकास काफी तीव्र गति से हो रहा है। मोबाइल सेवाओं में हो रहे तीव्र विकास के कारण बढ़ती हुई मांग को पूरा करने एवं मोबाइल संपर्कता में सुधार लाने के लिए, दूरसंचार सेवा प्रदाता अपनी मोबाइल नेटवर्क अवसंरचना का सतत आवर्धन कर रहे हैं तथा उनका इष्टतम उपयोग कर रहे हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) मोबाइल सेवा प्रदाताओं के कार्य निष्पादन की निगरानी स्वयं द्वारा जारी विनियमों में अधिसूचित सेवा की गुणवत्ता संबंधी बेंचमार्कों के अनुरूप दूरसंचार प्रचालकों से प्राप्त तिमाही कार्य-निष्पादन निगरानी रिपोर्ट के माध्यम से करता है। ट्राई मासिक संकुलन रिपोर्टों के माध्यम से अंतर्संयोजन बिन्दु के संकुलन की निगरानी भी करता है।

भारत संचार निगम लि. 10,000 से अधिक स्टेशनों/स्थानों को कवर करते हुए व्यापक कवरेज प्रदान कर रहा है तथा इसके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवा, सामान्य तौर पर ट्राई द्वारा विहित सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानकों को पूरा कर रही है।

[अनुवाद]

भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षु

3083. श्री जी. एम. सिद्देश्वर: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा पूरे देश में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया जाता है और उन्हें विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकलांग खिलाड़ियों का भी चयन किया जाता है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार और खेलवार विशेषकर कर्नाटक राज्य में सामान्य खिलाड़ियों की तुलना में कितने विकलांग खिलाड़ियों का चयन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विकलांगों के बीच खेल प्रतिभा विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

पंचायती राज मंत्री युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) भारतीय खेल प्राधिकरण निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से जूनियर, सब-जूनियर और सीनियर स्तर पर खेलों में प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देता है:

(1) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना (एन.एस.टी.सी.)

(2) सेना बाल खेल कंपनी (ए.बी.एस.सी.)

(3) विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.)

(4) भा. खे. प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.)

(5) उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.एक्स.)

इन खेल संवर्धनकारी योजनाओं के अंतर्गत भा.खे.प्रा. देश भर से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भर्ती करता है और वैज्ञानिक समर्थन सहित विशेषज्ञ कोचों के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन योजनाओं के अंतर्गत भर्ती खिलाड़ियों को भोजन-आवास, छात्रवृत्ति (डे-बोर्डिंग), स्पोर्टस किट, बीमा, प्रतियोगिता में प्रदर्शन, शैक्षणिक व्यय और चिकित्सकीय व्यय आदि सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।

खेल प्रतिभा को पोषित करने के लिए 2006 से निम्नलिखित दो नई योजनाएं जोड़ी गई हैं-

(1) स्कूलों/कालेजों को कवर करने के लिए एस.टी.सी./एस.ए.जी. केन्द्रों के विस्तार केन्द्र; तथा

(2) एन.एस.टी.सी. योजना के अंतर्गत अखाड़ों के लिए विद्यमान स्कीम के पैटर्न पर खेल केन्द्रों को अपनाना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विकलांगों में खेलों के संवर्धन के उदेद्श्य से मुख्य रूप से अलग योजना प्रारंभ करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, मंत्रालय ने विभिन्न पहलुओं और अनुशंसित उपायों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद, भारतीय पैरालिंपिक समिति और विशेष ओलंपिक भारत को भारत में विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को आयोजित करने तथा विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना के अंतर्गत यथा स्वीकार्य, केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए मान्यता प्रदान की जा रही है।

राष्ट्रीय बाघ प्रोजेक्ट में दूरसंचार सेवाएं

3084. श्री मिलिन्द देवरा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार टाडोबा-अंधेरी राष्ट्रीय बाघ प्रोजेक्ट में बुनियादी टेलीफोन और मोबाइल सेवाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये सेवाएं कब तक उपलब्ध करायी जाएंगी;

(ग) यह विभाग देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए भी किस हद तक लाभकारी सिद्ध होगी;

(घ) कौन-कौन सी टेलीफोन कंपनियां प्रोजेक्ट हेतु सेवाएं उपलब्ध करांएगी;

(ङ) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इसे अपनी हरी झंडी दिखा दी है; और

(च) ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर कुल कितना खर्च होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को वन प्राधिकारियों से टाडोबा वन क्षेत्र में लगभग 100 टेलीफोन कनेक्शनों की मांग प्राप्त हुई है। इन टेलीफोनों को वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रणाली पर प्रदान करने की योजना बनाई गई है जिसके लिए सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। तथापि, इसके लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है क्योंकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अभी इसकी अनुमति ली जानी है। चूंकि यह एक सघन वन क्षेत्र है अत: वहां मांग कम होने के कारण इस समय मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करना व्यावहारिक समाधान नहीं है।

(ग) दूरसंचार सेवाओं से वन प्राधिकारियों और उस स्थान का भ्रमण करने वाले पर्यटकों को लाभ मिलने की संभावना है। बीएसएनएल का लाभ वहां आने वाले पर्यटकों पर निर्भर करता है।

(घ) टेलीफोन सेवा बीएसएनएल द्वारा प्रदान की जा सकती है।

(ङ) टेलीफोन कनेक्शनों की मांग वन प्राधिकारियों से प्राप्त हुई है और उन्होंने पर्यावरण एव वन मंत्रालय से अनुमति दिलाने का आश्वासन दिया है।

(च) डब्ल्यूएलएल सुविधा प्रदान करने पर बीएसएनएल द्वारा लगभग 54 लाख रुपए का पूंजीगत व्यय किए जाने की संभावना है।

वैज्ञानिकों के लिए पृथक वेतन ढांचा

3085. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विभिन्न सरकारी वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों के वैज्ञानिकों के लिए एक पृथक वेतन ढांचा तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे अनुसंधान संगठनों की सेवाओं को युवाओं के लिए एक आकर्षक व्यवसाय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) छठा केन्द्रीय वेतन आयोग, जो एक विशेषज्ञ निकाय है, पहले ही गठित किया जा चुका है, अत: इस संबंध में किसी व्यवस्था के बारे में आयोग द्वारा समुचित रूप से विचार किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में वैज्ञानिक गतिविधियों तथा सेवाओं में लगे तथा चुने गए विभागों/संगठनों में वैज्ञानिक पदों पर कार्यरत वैज्ञानिकों के लिए पहले ही लचीली अनुपूरक योजना नामक एक समयबद्ध पदोन्नति योजना मौजूद है। इसके अतिरिक्त युवा वैज्ञानिकों को अनुसंधान तथा विकास को कैरियर के रूप में चुनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विशिष्ट योजनाएं/फैलोशिप्स हैं।

[हिन्दी]

मोबाइल टावर

3086. श्री अधिनाश राव खन्ना: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक देश में स्वीकृत एवं संस्थापित मोबाइल टावरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान आज की तिथि तक पंजाब के होशियारपुर, रोपड़ और नवांशहर जिलों में संस्थापित किए गए मोबाइल टावरों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या संस्थापित टावर चालू हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) शेष टावरों के कब तक चालू होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा दिल्ली और मुंबई में तथा भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा शेष भारत में संस्वीकृत और संस्थापित किए गए जीएसएम मोबाइल टावरों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान आज की तारीख तक पंजाब के होशियारपुर, रोपड़ और नवांशहर जिलों में 186 मोबाइल टावर संस्थापित किए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

जिले का नाम	संस्थापित टावरों की संख्या
होशियारपुर	92
रोपड़	66
नवांशहर	28

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान योजनाबद्ध और संस्थापित मोबाइल टावरों की संख्या

क्र.सं.	सर्किल	संस्वीकृत टावरों की संख्या	संस्थापित टावरों की संख्या
1	2	3	4
एमटीएनएल			
1.	दिल्ली	175	169
2.	मुंबई	202	181
बीएसएनएल			
उत्तरी क्षेत्र			
1.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	1096	721
2.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	2378	1794

1	2	3	4
3.	उत्तरांचल	401	310
4.	पंजाब	1035	947
5.	राजस्थान	1772	1215
6.	हिमाचल प्रदेश	393	377
7.	हरियाणा	913	642
8.	जम्मू व कश्मीर	522	406
	उप-जोड़	8510	6412
पूर्वी क्षेत्र			
9.	उड़ीसा	686	644
10.	पश्चिम बंगाल	914	856
11.	कोलकाता	876	485
12.	बिहार	639	614
13.	झारखंड	390	373
14.	अंडमान व निकोबार	44	40
15.	पूर्वोत्तर I और II	506	334
16.	असम	556	489
	उप-जोड़	4610	3834
दक्षिणी क्षेत्र			
17.	आंध्र प्रदेश	1147	1004
18.	कर्नाटक	1531	1269
19.	केरल	1613	1299
20.	तमिलनाडु	1574	1433
21.	चेन्नई	608	548
	उप-जोड़	6474	5554
पश्चिमी क्षेत्र			
22.	छत्तीसगढ़	271	232
23.	गुजरात	1466	730
24.	मध्य प्रदेश	825	670
25.	महाराष्ट्र	1889	893
	उप-जोड़	4451	2533

[अनुवाद]

अनौपचारिक सलाहकार समिति का गठन

3087. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.ओ.एन.ई.आर. और एन.ई.सी.के. कार्यकरण पर निगरानी के लिए रेल मंत्री की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय के अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों के लिए गठित अनौपचारिक सलाहकार समिति की तर्ज पर एक अनौपचारिक सलाहकार समिति के गठन के लिए उत्तर पूर्व के संसद सदस्यों से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) जी, नहीं। ऐसा कोई भी प्रस्ताव औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव मिलता है तो मंत्रालय दोनों सदनों के अध्यक्षों की अनुमति से इस पर सहमत होगी।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन कनेक्शन

3088. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के दरभंगा जिले के बिठौली एक्सचेंज के अंतर्गत त्रिभुहानी घाट के टेलीफोन कनेक्शन काफी समय से काट दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) त्रिभुहानी घाट के सभी ग्राहकों को टेलीफोन सेवा कब तक पुनर्बहाल किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या बिठौली एक्सचेंज के अंतर्गत 50 प्रतिशत टेलीफोन बराबर मृत रहते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकीन अहमद): (क) बिहार के दरभंगा जिले में बीएसएनएल के बिठौली टेलीफोन एक्सचेंज के अधीन त्रिभुहानी घाट में कार्यरत 17 टेलीफोनों में से 3 टेलीफोन भुगतान न करने के कारण काट दिए गए हैं। मई, 2006 के दौरान 3 टेलीफोनों और अक्टूबर, 2006 में सड़क निर्माणकारी एजेंसियों द्वारा केबल क्षतिग्रस्त होने के कारण कुछ दिनों के लिए प्रभावित 1 टेलीफोन जो शीघ्र ही ठीक कर दिए गए थे, को छोड़कर अन्य सभी टेलीफोन सामान्यत: संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(ख) टेलीफोन नं. 272470, 272329 और 272642 भुगतान न किए जाने के कारण काट दिए गए हैं।

(ग) फिलहाल त्रिभुहानी घाट में सभी टेलीफोन संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(घ) कुछ टेलीफोनों में कभी-कभार आई त्रुटियों, जिन्हें शीघ्र ही ठीक कर दिया गया था, को छोड़कर पिछले छह महीने से बिठौली एक्सचेंज के अधीन सभी टेलीफोन संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(च) राजमार्ग प्राधिकरणों द्वारा चलाए जा रहे अत्यधिक सड़क-विस्तार कार्यों को ध्यान में रखते हुए दोष दर में कमी लाने के लिए बीएसएनएल द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(1) ऑप्टीकल फाइबर केबल व्यवधान को कम करने के लिए पीडब्ल्यूडी के सहयोग से नई आप्टिकल फाइबर केबल बिछायी गई है।

(2) वर्ष 2006-07 के लिए बिठौली और मझौलिया में एमएससी आधारित डब्ल्यूएलएल (वायरलेस इन लोकल लूप) लगाने की योजना बनाई गई है ताकि वैकल्पिक डब्ल्यूएलएल कनेक्शन के माध्यम से खराब टेलीफोनों को शीघ्र ठीक किया जा सके।

(3) सड़क निर्माण कार्य करने वाली बाह्य एजेंसियों द्वारा क्षतिग्रस्त हुए स्थानीय केबलों को शीघ्रता से नए भूमिगत केबल से बदला जा रहा है।

(4) दरभंगा और बहेरी के बीच वैकल्पिक माध्यम के रूप में कार्य करने के लिए डिजीटल माइक्रोवेव रेडियो प्रणाली संस्थापित की गई है।

(5) जहां सड़क निर्माण कार्य चल रहा है उस मार्ग पर गश्त बढ़ा दी गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय क्रीड़ा विकास कोष

3089. श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में आज की तिथि तक राष्ट्रीय क्रीड़ा विकास कोष में से राज्यों और संस्थाओं को कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इनके अंतर्गत राज्यवार और संस्थावार शामिल की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपयोग की धनराशि राज्यवार और संस्थावार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने योजनाओं की कोई समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो जिन उदेद्श्यों के लिए इस कोष की स्थापना की गई थी, उनमें कितनी सफलता मिली है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक किसी राज्य को राष्ट्रीय खेल विकास निधि से राशि जारी नहीं की गई है। जहां तक संस्थाओं का संबंध हैं, 2005-06 के दौरान ग्रामीण विकास फाउंडेशन को तरींदाजी उपस्कर खरीदने के लिए निधि में से 6,03,439 रु. की राशि जारी की गई।

(ग) और (घ) निधि में से सहायता मुख्यत: उदयीमान खिलाड़ियों को उनका प्रदर्शन सुधारने तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में संभावित पदक विजेताओं को प्रदान की जाती है। निधि से सहायता प्राप्त अधिकतर खिलाड़ियों जैसे ले. कर्नल राज्यवर्धन राठौर, श्री अभिनव बिन्द्रा, श्री मानवजीत सिंह संधु, (सभी निशानेबाज), श्री परिमंजन नेगी (शतरंज) और सुश्री अंजु बॉबी जार्ज (एथलेटिक्स), ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सराहनीय प्रदर्शन किया है। इस से पता चलता है कि खेल उत्कृष्टता में संवर्धन के अपने उदेद्श्य को एन.एस.डी.एफ. पूरा कर रहा है। तथापि ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए चल रही प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में इस योजना की समग्र समीक्षा की जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप सैल साइटें

3090. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ मोबाइल कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप सैल साइटों संबंधी विद्यमान नीति का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नजर में कितने मामले आये हैं;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप सैल साइटों की निगरानी का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) सेल्युलर मोबाइल सेवा लाइसेंस के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 कि.मी. के दायरे में मोबाइल सेवा की व्यवस्था करने तथा एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 कि.मी. के दायरे में बेस ट्रांसरिसीव स्टेशन (बीटीएस) की स्थापना करने के लिए सरकार से स्वीकृति प्राप्त करना वांछनीय है। कुछ स्थानों पर, उल्लंघनों की सूचना प्राप्त हुई है और दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार इंजीनियरिंग केन्द्र (टी.ई.सी.) को इस संबंध में सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा लाइसेंस की शर्तों के अनुपालन की देखरेख करने के लिए आवधिक लेखा-परीक्षा करने का अनुदेश दिया है।

[हिन्दी]

विदेशी फर्जी चिकित्सा महाविद्यालय

3091. **श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी फर्जी चिकित्सा विश्व-विद्यालय प्रशिक्षण के पश्चात फर्जी उपाधि प्रदान करने के लिए भारत में विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने हेतु सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन विदेशी चिकित्सा विश्वविद्यालयों से उपाधि प्राप्त करने के पश्चात भारत में प्रैक्टिस करने हेतु पंजीयन कराने के लिए आवेदन करने वाले चिकित्सकों की संख्या कितनी है;

(च) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने उक्त चिकित्सकों के पंजीयन का अनुमोदन किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी, हां। कुछ बेईमान अभिकरण भारत अथवा विदेश में चिकित्सा पाठ्यक्रम के इच्छुक छात्रों को प्रलोभन देकर अपने विज्ञापन छापते हैं। इच्छुक छात्रों के हित की रक्षा के लिए हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा देश भर के अंग्रेजी समाचार पत्र में एक विज्ञापन जारी किया गया था। राज्य सरकारों के सभी स्वास्थ्य सचिवों/आयुर्विज्ञान शिक्षा निर्देशकों और राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों से भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने राज्य/क्षेत्र की भाषा में सदृश विज्ञापन जारी करें और ऐसे संस्थानों/हस्तियों/एजेंटों को ऐसे अनुमोदित पाठ्यक्रमों की पेशकश करने से रोकने के लिए तत्काल उपाय करें ताकि अबोध भारतीय छात्रों को ऐसे गुमराह करने वाले और भ्रामक विज्ञापनों द्वारा डाक्टर बनने की झूठी उम्मीद और सपने के जाल में न फंसाया जाए।

(ङ) से (ज) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने सूचित किया है कि उन्होंने ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों से डाक्टरों के पंजीकरण को अनुमोदित नहीं किया है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा विदेशी

डिग्री धारकों का यह पता लगाने के बाद ही अनंतिम पंजीकरण किया जाता है कि उन्होंने जांच परीक्षा उत्तीर्ण की है और यह कि इन डिग्रियों को उस देश में मान्यता प्राप्त है जहां कालेज/विश्व-विद्यालय अवस्थित है।

मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियां

3092. **श्री ब्रजेश पाठक:**
श्री बी.के. ठुम्मर:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकतर मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों ने अधिसंख्य लोगों को "जीवनभर नि:शुल्क इनकमिंग कॉलों" का लुभावना नारा देकर अपने कनेक्शन बेचे हैं जबकि इन कंपनियों के लाइसेंस की अवधि केवल 15 से 20 वर्षों की होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दूरसंचार प्रशुल्क आदेश द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रशुल्क निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस समय दूरसंचार आपरेटर उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए लक्षित अनेक वैकल्पिक प्रशुल्क योजनाओं की पेशकश कर रहे हैं। दिसंबर, 2005 और जनवरी, 2006 महीनों में अधिकांश सेवा प्रदाताओं ने आजीवन वैधता के नाम और किस्म के तहत प्रशुल्क योजनाओं को क्रियान्वित किया जिसमें अपफ्रंट भुगतान के बदले उपभोक्ताओं को कतिपय शर्तों के अध्यधीन आजीवन वैधता की पेशकश की जा रही है। ऐसी योजनाएं ऐसे उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त होगी जो आवर्ती नियत मासिक प्रभारों का भुगतान किए बिना लम्बी वैधता अवधि रखना चाहेंगे।

परामर्शी प्रक्रिया के पश्चात ट्राई ने दिनांक 21.3.2006 के दूरसंचार प्रशुल्क (तैंतालीसवां संशोधन) आदेश के द्वारा विनियामक शर्तें विहित की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आदेश दिए गए हैं-

(1) आपरेटर आजीवन योजना के मामले में तब तक सेवा प्रदान करते रहेंगे जब तक उन्हें चालू लाइसेंस अथवा नवीकृत लाइसेंस के तहत ऐसी दूरसंचार सुविधा प्रदान करने की अनुमति है;

(2) निर्धारित वैधता अवधि के दौरान प्रशुल्क की किसी मद में वृद्धि पर रोक है; और

(3) सेवा प्रदाता अपने चालू लाइसेंस की समाप्ति के महीने और वर्ष के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करेगा।

सुपर स्पेसिएलिटी अस्पतालों में उपचार

3093. **श्री रशीद मसूद:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रियायाती दरों पर भूमि का आवंटन प्राप्त करने वाले सुपर स्पेसियालिटी अस्पतालों में निर्धन रोगियों को शुल्क का भुगतान करने और दवाओं की लागत को वहन करने के लिए बाध्य किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) उक्त अस्पतालों की निगरानी करने हेतु गठित समिति द्वारा अब तक कितने अस्पतालों का निरीक्षण किया गया है;

(घ) क्या अधिकतर ऐसे अस्पताल इस संबंध में नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) (क) से (ङ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए प्राइवेट अस्पतालों को रियायाती दरों पर भूमि आवंटित करते समय निर्धन रोगियों के लिए मुफ्त उपचार निर्धारित करने/लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। जहां तक दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों का संबंध है, भूमि और विकास कार्यालय तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धन रोगियों को मुफ्त उपचार प्रदान करने की शर्तों के साथ दिल्ली में अनेक प्राइवेट अस्पतालों को भूमि आवंटित की गई थी। कुछ अस्पतालों द्वारा आवंटन और लीज की शर्त का उल्लंघन किया गया है। यह मुद्दा दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित मुकदमें का विषय रहा है। भूमि और विकास कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय ने सूचित किया है

कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 2.12.2005 के अपने आदेश के द्वारा प्रधान सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, दिल्ली, के साथ एक समिति गठित करने का निदेश दिया है। सुश्री मनिन्दर आचार्य, अधिवक्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय उक्त समिति के संयोजक है। सामिति ने विभिन्न अस्पतालों का निरीक्षण किया और माननीय न्यायालय में स्थिति संबंधी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

कोल इंडिया लि. द्वारा धनराशि की फिजूल-खर्ची

3094. **श्री गिरिधारी यादव:**
श्री एम. अंजन कुमार यादव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. कंपनी और इसकी अनुषंगी कंपनियां सरकार के करोड़ों रुपए फिजूलखर्ची में बर्बाद कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त कंपनियों में फिजूलखर्च को रोकने के लिए जिम्मेदारी मशीनरियों के नाम क्या है;

(ग) इस संबंध में फिजूलखर्ची के कितने मामलों का पता चलता है और दोषी लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) उक्त कार्रवाई के परिणाम स्वरूप अभी तक कितने लोगों को दंडित किया गया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) यदि ऐसी कोई फिजूलखर्ची होती है तो इसे रोकने की जिम्मेवारी सांविधिक लेखा-परीक्षक, आंतरिक लेखा-परीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक, लेखा-परीक्षा आदि में निहित होती है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आवासीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण न किया जाना

3095. **श्रीमती सुस्मिता बाउरी:**
श्री सुनील खां:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के खरीद की गई भूमि पर आवासीय काम्पलेक्स का निर्माण न किए जाने की वजह से छह वर्षों के लिए ब्याज के रूप में 1.05 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त निर्माण में हो रही देरी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में किन्हीं अधिकारियों को दोषी पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने मुख्यालय के निकट उस समय उपलब्ध एक भूखंड खरीदा था। आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उचित समय पर आवासीय फ्लैटों का निर्माण किए जाने की योजना थी। चूंकि पट्टे पर आवास उपलब्ध था, अत: आवासीय परिसर का निर्माण नहीं किया गया। आवासीय परिसर का निर्माण कार्य उपर्युक्त समय पर शुरू किया जाएगा। चूंकि इस भूखंड को खरीदने के समय से लेकर अब तक भूमि की दरों में काफी बढ़ोतरी हो गई है, अत: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इसमें कोई घाटा नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

कोयला खानों की सुरक्षा

3096. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला कंपनियों ने सरकार द्वारा कोयला खानों की सुरक्षा के लिए आबंटित धनराशि खर्च कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए आबंटित धनराशि को उक्त प्रयोजनार्थ पहले ही खर्च कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) आज की तिथि तक ऐसी कुल कितनी धनराशि है जिसे खर्च नहीं किया गया है;

(ङ) तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कोयला खान प्रबंधन खानों में कार्य करने वाले मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा/संरक्षा प्रदान करती है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कोयला खानों की सुरक्षा के लिए सरकार से कोल इंडिया लि. (सीआईएल) को ऐसी कोई निधियां प्राप्त नहीं होती हैं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(च) जी, हां।

(छ) खान अधिनियम, 1952 और इसके तहत तैयार नियमों और विनियमों में खानों में सुरक्षा कार्य की प्रक्रियाएं निर्धारित हैं। खान में खनन करते समय खान प्रबंधन को इन प्रावधानों का अनुपालन करना होता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) खानों का नियमित निरीक्षण करता है। खानों में किसी प्रकार के खतरे की संभावना का पता चलने पर, डीजीएमएस निवारक नोटिस जारी करता है तथा खान अधिनियम, 1952 के तहत निषेधात्मक आदेश भी जारी करता है। डीजीएमएस अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान इंगित उल्लंघनों, यदि कोई हों, में सुधार करना खान प्रबंधन के लिए अनिवार्य है।

सीआईएल ने सुरक्षा से संबंधित मामलों में विभिन्न स्तरों पर लाइन प्रबंधन को सहायता करने के लिए एक सुव्यवस्थित बहुविधा आंतरिक सुरक्षा संगठन (आईएसओ) की स्थापना की है।

[अनुवाद]

एड्स हेतु नि:शुल्क औषधियां

3097. श्री सुग्रीव सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एड्स पीड़ित व्यक्तियों के कुछ वर्ग को जीवन रक्षक दवाएं उपलबध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उक्त औषधियों की मांग एवं आपूर्ति में कितना अंतर है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कया सरकार देश में एड्स की नि:शुल्क औषधियां उपलब्ध कराती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इससे कितने को लाभ प्राप्त हुआ है;

(ङ) क्या कुछ निजी कंपनियां भी रोगियों की एचआईवी हेतु सस्ती औषधियों की अपूर्ति करने के लिए आगे आई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) सरकार ने देश में एचआईवी/एड्स रोगियों को औषधें प्रदान करने के लिए 101 केन्द्र स्थापित किए हैं। इस समय 85 हजार से अधिक वयस्क रोगियों और 10 हजार से अधिक बच्चों के लिए औषधें उपलब्ध की गई हैं जिनमें से 52 हजार व्यक्ति मुफ्त उपचार प्राप्त कर रहे हैं।

(ङ) से (च) जी, हां। एक क्रमबद्ध व्यय वसूली योजना के अधीन रोगियों को रिट्रोवायरल रोधी औषधों की आपूर्ति करने के लिए दौर-2 वैश्विक निधि परियोजना के अधीन 2004 में नाको और गैर-सरकारी संगठन भागीदारों नामत: आरकोन, वाईआरजी केयर और फउडेशन के बीच एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी शुरू की गई थी। इस स्कीम के अधीन गैर-सरकारी संगठन भागीदारों ने निम्नतर लागत पर औषधें प्राप्त करने के लिए कुछ फर्मास्युटिकल कंपनियों के साथ एक साझोदारी विकसित की है। इस व्यय वसूली योजना के अधीन कुल 2003 व्यक्ति उपचार प्राप्त कर रहे हैं।

[हिन्दी]

सड़कों का अनुरक्षण

3098. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का विचार चार लेनों में बदली जा रही सड़कों के अनुरक्षण के संबंध में एक स्पष्ट नीति अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76 के उदयपुर सिटी एरिया का अनुरक्षण कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विगत में काटे गए पेड़ों की तुलना में उसके द्वारा लगाए जा रहे नए पौधों का ब्यौरा क्या है;

(च) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग-प्राधिकरण द्वारा चित्तौड़ में सड़क के छूट गए शेष भाग पर निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(छ) विलंब के क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) निर्माण अवधि के दौरान विद्यमान सड़कों का अनुरक्षण 4 लेन बनाने के कार्यों के लिए नियुक्त सिविल ठेकेदार/रियायतग्राही द्वारा किया जा रहा है जिसके लिए करार/रियायत में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। 4/6/8 लेन बनाने के कार्य पूरे होने के बाद राजमार्गों का अनुरक्षण प्रचालन और अनुरक्षण ठेकों अथवा रियायातग्राही (बी ओ टी परियोजनाओं के लिए) द्वारा किया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राजमार्गों को 4/6 लेन बनाने के लिए काटे गए पेड़ों के स्थान पर नए पेड़, 4/6 लेन बनाने के कार्यों के पूरे होने के बाद लगाए जाते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार वृक्षों की कटाई और वृक्षारोपण का अधिकांश कार्य संबंधित राज्य वन विभागों द्वारा किया जाता है। लगाए गए पेड़ों की संख्या सामान्यत: राजमार्गों को 4 लेन का बनाने के लिए काटे गए पेड़ों की संख्या से 2 से 3 गुना अधिक होती है, तो संबंधित राज्यों के मानदंडों पर आधारित होती है।

(च) राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर चित्तौड़गढ़ बाइपास का निर्माण कार्य पूर्व-पश्चिम महामार्ग के भाग के तौर पर किया जा रहा है और इसे अप्रैल, 2008 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। एक अन्य चित्तौड़गढ़ बाइपास जो राष्ट्रीय राजमार्ग 76 और राष्ट्रीय राजमार्ग 79 से जुडता है, का निर्माण कार्य चल रहा है और इसे अगस्त, 2007 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

(छ) कोई विलंब नहीं हुआ है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ली गई परियोजनाएं

3099. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य में कुल लंबाई देश के किसी अन्य राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश में चलायी जा रही विभिन्न योजनाएं राज्य से होकर गुजरने वाले राजमार्ग की कुल लंबाई की तुलना में अपेक्षाकृत कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या वर्ष 2002-03 के पश्चात् राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण मजबूतीकरण और आई आर क्यू पी का कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो ये कार्य कब तक पूरे किए जाएंगे?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के 1517 कि.मी. लंबाई को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्माण के लिए अभिनिर्धारित किया गया है जो सापेक्षत: कम नहीं है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II के अंतर्गत 657 कि.मी., राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत 804 कि.मी., राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत 56 कि.मी. लंबाई शामिल है, इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II की 42 कि.मी. लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत 6 लेन बनाने के लिए प्रस्तावित है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों के अलावा, वर्ष 2002-03 से 2005-06 तक चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और सड़क गुणता सुधार के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल 178 कार्य शुरू किए गए हैं जिसमें से 147 कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष कार्यों को मार्च, 2008 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सभी दवाइयों पर बार कोडिंग प्रणाली

3100. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनी के विवरण और दवाइयों की मियाद समाप्त होने संबंधी तिथि इत्यादि की अनुपलब्धता के कारण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के माध्यम से दी जाने वाली दवाइयां सुरक्षित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आयुर्वेदिक, होमियोपैथी, एलोपैथी सहित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के माध्यम से अथवा निजी भेषज कंपनियों के माध्यम से दी जाने वाली सभी प्रकार की दवाईयों पर बार कोडिंग प्रणाली की शुरूआत करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी, नहीं। सभी औषधें, जिनका प्रापण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को आपूर्ति करने हेतु जीएमएसडी और हास्पिटल सर्विसिज कंसलटेंसी कारपोरेशन के जरिए किया जाता है, उपयुक्त रूप से पैक की जाती हैं और उनके लेबलों पर सूचना निहित होती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्माता का नाम, बैच संख्या, विनिर्माण की तारीख और मियाद समाप्ति की तारीख शामिल होती है। ऐसी कोई भी औषधें जिनका उपयोग उनकी सेल्फ लाइफ के भीतर अर्थात् मियाद समाप्ति की तारीख से पहले किया जाता है, सुरक्षित होती है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को सप्लाई की जा रही औषधों की गुणवत्ता का निर्धारण का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के 2 डाक्टरों और जीएमएसडी के एक अधिकारी का एक दल सभी औषधों का स्वयं जाकर निरीक्षण करता है।

इस समय सीजीएचएस प्राधिकृत कैमिस्टों के जरिए खरीदी गई सीजीएचएस को सप्लाई की गई सभी प्रकार की औषधों में बार कोडिंग सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव नहीं है।

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की स्थिति

3101. श्री शिशुपाल एन. पटले: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को पूरा करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र की कंपनियां परियोजना से संबंधित अपने कार्य में विलंब कर रही हैं;

(घ) क्या सरकार उक्त ठेकेदारों के भुगतान में विलंब कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो कितनी परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(च) क्या एन एच डी पी चरण-III के लिए भी ठेके प्रदान किए गए हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) स्वर्णिम चतुर्भुज का 93.65 प्रतिशत कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। शेष कार्य में भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण एवं वन स्वीकृति संबंधी समस्याओं और कुछ ठेकेदारों के खराब कार्यनिष्पादन के कारण विलंब हुआ है।

(घ) भुगतान ठेकों के प्रावधान के अनुसार किया जाता है।

(ङ) ठेके के अनुसार स्वर्णिम चतुर्भुज के 35 ठेके पूरे नहीं हुए हैं।

(च) और (छ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III की लगभग 1326 कि.मी. के 21 ठेके पहले ही सौंप दिए गए हैं।

प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि करने हेतु उच्चस्तरीय समूह का गठन

3102. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार-सेवा क्षेत्र, निर्यात और विदेशों में रहने वाले भारतीयों और अनिवासी भारतीयों के प्रेषण को बढ़ावा देने हेतु अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि करने हेतु उच्च स्तरीय समूह का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, हां। योजना आयोग ने सेवा क्षेत्रक के निष्पादन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की जांच करने और ऐसे नीतिगत उपायों का सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय ग्रुप की स्थापना करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है जो नीतिगत उपाय आगामी वर्ष में इसकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता को चालू रखने के लिए करने आवश्यक होंगे।

(ख) और (ग) उच्च स्तरीय ग्रुप योजना आयोग के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करेगा और इसमें संगत क्षेत्रों से विशेषज्ञ शामिल होंगे।

भारत-चीन सीमा पर सड़कों का निर्माण

3103. श्री कीरेन रिजीजू: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत-चीन सीमा पर सड़कों का निर्माण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में किन-किन मार्गों को सम्मिलित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इन सड़कों का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) भारत-चीन सीमा पर सीमावर्ती क्षेत्र में 608 कि.मी. लंबाई के 27 सड़क संपर्कों का निर्माण कार्य चरणवार शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों में उक्त परियोजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले संभावित मार्गों की सूची निम्नवत है:

क्र.सं.	सड़क/रूट	राज्य
1	2	3
1.	रामासापेर-मागो-चूना	अरुणाचल प्रदेश
2.	जिमिथांग-सुर्वासांबा-खिनजेमाने	अरुणाचल प्रदेश
3.	सुंगात्सर-खरसंग ला	अरुणाचल प्रदेश
4.	यारलूंग-लेमंग	अरुणाचल प्रदेश
5.	बोना से जेलिंग	अरुणाचल प्रदेश
6.	डोबांग-गोरा ला	सिक्किम
7.	थांगु-मुगुथंग	सिक्किम
8.	जियागंग-केरल	सिक्किम

(ग) इस परियोजना को वर्ष 2012-13 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

विभिन्न विभागों के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

3104. श्री हेमलाल मुर्मू:

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) ने 395 मामलों की जांच करने के बाद केन्द्र सरकार से विभिन्न विभागों के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा है जैसा कि दिनांक 23 अक्टूबर, 2006 के दैनिक जागरण में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित मामले के तथ्य क्या है;

(ग) उन 395 अधिकारियों का क्रम-वार नाम, पदनाम एवं विभाग क्या हैं जिनके विरुद्ध केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने कार्रवाई करने हेतु कहा है;

(घ) वर्तमान में ये 395 अधिकारी किन स्थानों पर कार्यरत हैं; और

(ङ) दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 तक इन 395 अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) से प्राप्त सूचना के अनुसार दैनिक जागरण में प्रकाशित समाचार, सी.वी.सी. की प्रेस विज्ञप्ति में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दिया गया प्रतीत होता है परंतु समाचार पत्र ने सामग्री का अपना रूपांतर प्रकाशित किया है। हालांकि आयोग ने 395 मामलों का निपटारा कर दिया है, यह सत्य नहीं है कि 395 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश की गई थी।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[हिन्दी]

समुद्री मार्ग के माध्यम से परिवहन-व्यापार

3105. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व में समुद्री मार्ग से होने वाले परिवहन व्यापार में भारत का हिस्सा कितना है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार उपर्युक्त व्यापार की स्थिति क्या है;

(ग) क्या समुदी मार्ग से उक्त परिवहन-व्यापार के संबंध में कोई समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले है; और

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान समुद्री मार्ग से परिवहन-व्यापार को बढ़ावा देने और इसकी क्षमता में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष, 2005-2006 में समुद्र के जरिए देश के विदेशों से व्यापार से संबंधित परिवहन में भारतीय ध्वज से युक्त जलयानों की हिस्सेदारी, लगभग 13.67 प्रतिशत रही है।

(ग) से (ङ) भारतीय टन-भार धारिता बढ़ाने के क्रम में, सरकार, समय-समय पर विभिन्न कदम उठाती आ रही है, जिनमें अन्य कदमों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम शामिल हैं:

(1) जलयानों का अभिग्रहण, सामान्य खुले लाइसेंस के अंतर्गत ले आया गया है। पोत-स्वामी, अपने द्वारा खरीदे जाने वाले पोतों के प्रकार ओर उनके संचालन के क्षेत्र इत्यादि के बारे में स्वयं ही निर्णय करने को स्वतंत्र हैं।

(2) पोत-परिवहन-क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत है।

(3) मूल्य-ह्रास की दर, 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी गई है।

(4) वर्ष, 2004-05 से टन-भार कर का चलन आरंभ कर दिया गया है।

(5) नए खरीदे जाने वाले जलयानों के पंजीकरण की औपचारिकताएं सरल बना दी गई हैं।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाओं को रियायती दर पर ऋण

3106. श्री उदय सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाओं को रियायती दर पर ऋण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के पक्ष का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के विभिन्न भागों में विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना आयोग के निदेशों का उल्लंघन करके स्थापित किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने से संपूर्ण विकास दर प्रभावित होगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) योजना आयोग ने विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाओं को रियायती ऋण संबंधी कोई विचार व्यक्त नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) चूंकि समग्र विकास दर निर्यात विकास दरों सहित विभिन्न क्षेत्रों की विकास दरों पर निर्भर है, विशेष आर्थिक क्षेत्र उच्च निर्यात विकास दर की प्रक्रिया के माध्यम से समग्र विकास दर में योगदान कर सकता है।

सेल्यूलर फोन सेवाओं का निलंबित किया जाना

3107. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ जिला प्राधिकारियों ने परीक्षा के दौरान छात्रों और स्थानीय निकाय चुनावों के मतदान के समय जनता द्वारा सेल्यूलर फोन के दुरूपयोग को रोकने के लिए हाल ही में सेल्युलर फोन सेवाओं के निलंबन के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्राधिकारियों द्वारा ऐसे आदेश जारी किए जा सकते हैं;

(घ) यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों के कुछ जिला प्राधिकारियों ने परीक्षाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों के दौरान मोबाइल सेवाओं को स्थगित करने के आदेश दिए थे।

(ग) से (ङ) दूरसंचार विभाग ने संबंधित राज्य सरकारों को लिखा है कि वे अपने संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर पर मोबाइल सेवाओं के स्थगन हेतु आदेश जारी न करने के लिए समुचित सलाह दें और यदि यह समझा जाता है कि किसी क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोबाइल सेवा का स्थगन आवश्यक है, तो वे उचित कार्रवाई हेतु दूरसंचार विभाग के ध्यान में यह मामला लाएं।

नियमों को मनमाने ढंग से थोपना

3108. **श्रीमती सी.एस. सुजाता:**
श्री वरकला राधाकृष्णन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिनांक 25 मई, 1998 को मान्यता के विपरीत सीसीएस(आर एस ए) नियम 1993 के खण्ड को मनमाने ढंग से थोपे जाने के बारे में अखिल भारतीय जनगणना कर्मचारी संघ से दिनांक अक्टूबर, 2003 के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को, अखिल भारतीय जनगणना कर्मचारी संघ से दिनांक 23.10.2003 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, दिनांक 23.10.2005 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) दिनांक 23.10.2005 के अभ्यावेदन की विषय-वस्तु अनिवार्यत: भारत के महापंजीयक के कार्यालय के दिनांक 22.12.2003 के का.ज्ञा. संख्या-ए-21011/2/2002-प्रशा. II की शर्त (ख) की वैधता, और केन्द्रीय सिविल सेवाएं (सेवा संघों की मान्यता) नियमावली, 1993 की व्याख्या से सम्बद्ध है।

(ग) अखिल भारतीय जनगणना कर्मचारी संघ ने पहले भी इसी मुद्दे के सम्बन्ध में अभ्यावेदन भेजा था। इस मुद्दे की कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जांच की गई थी। भारत के महापंजीयक के कार्यालय को यह सलाह दी गई थी कि जबकि किसी संघ के शाखा एककों को अलग-अलग मान्यता नहीं दी जाती है, तथापि वे संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से मान्यता प्राप्त मुख्य संघ का हिस्सा रहते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 को चार लेनों वाला बनाना

3109. **श्री देविदास पिंगले:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुंबई-आगरा मार्ग के गौंडे से पिंपल गांव खंड तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 को चार लेनों वाला बनाने हेतु मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस परियोजना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) को मंजूरी दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना हेतु कन्सेरनियर निर्धारित करने की समय-सीमा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के गोंडे-पिंपलगांव खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IIIक के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर 4/6 लेन का बनाने के लिए अभिनिर्धारित किया है।

(ग) और (घ) इस खंड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरा होने की उन्नत अवस्था में है। डी पी आर का कार्य पूरा होने के बाद, परियोजना (रियायतग्राही का निर्धारण) को सौंपना सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति द्वारा परियोजना की स्वीकृति, सरकार के अनुमोदन और निविदाताओं की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा।

आईटी/बीपीओ क्षेत्र का विस्तार

3110. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी विकास मंत्रालय ने देश में आईटी/बीपीओ क्षेत्र का विस्तार करने हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और आईटी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो आयोजित बैठक के क्या परिणाम निकले; और

(ग) देश में आगामी वर्ष में राज्य-वार कितने आईटी केन्द्रों को स्थापित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) टेम्पलेट सभी राज्यों में उनके मार्गदर्शन के लिए परिचालित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

विवाद निवारण तंत्र

3111. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार दूरसंचार सेवाओं के उपयोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने हेतु निवारण तंत्र स्थापित करने के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज तक विवाद निवारण तंत्र द्वारा कितने मामलों को निपटाया गया?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) विभिन्न सेवा प्रदाताओं को कॉल सेंटर स्तर पर उपभोक्ता समस्या निवारण तंत्र की स्थापना करने, सेवा प्रदाता के संगठन के भीतर अपीलीय प्राधिकरण गठित करने, विभिन्न प्रचार साधनों या अपने उपभोक्ताओं को भेजे गए टेलीफोन बिलों के माध्यम से नियमित आधार पर उनकी समस्या के निवारण तंत्र के बारे में प्रचार करने की सलाह दी गयी है।

हालांकि, दूरसंचार विभाग (मुख्यालय) में लोक शिकायत (पीजी) प्रकोष्ठ कार्यरत है जहां डाक, टेलीफोन, फैक्स एवं इंटरनेट के माध्यम से सीधे शिकायतों पर विचार किया जाता है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) एवं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) में सर्किल स्तर पर (विशेषत: राज्य स्तर पर) तथा बीएसएनएल में, गौण स्विचन क्षेत्र स्तर (विशेषत: जिला स्तर पर) लोक शिकायत प्रकोष्ठ हैं।

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान दूरसंचार विभाग में ग्राहकों द्वारा दर्ज शिकायतों के मामलों का ब्यौरा निम्नवत है, जिसमें निजी प्रचालकों के मामले में शामिल हैं:

वर्ष	अग्रानीत	प्राप्त शिकायतों के मामले	कुल	निपटाए गए मामले	बा. शि.
2003-04	6121	6928	13049	7400	5649
2004-05	5649	4892	10541	5180	5361
2005-06	5361	4438	9799	5434	5265
अप्रैल, 06-अक्टू. 06	5265	2776	8041	7072	969

बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज की गई शिकायतों संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

भारत संचार निगम लि. में प्राप्त की गई वर्ष-वार शिकायतें

सर्किल का नाम	2003-2004		2004-2005		2005-2006		1-4-2006-31-10-2006	
	मोबाइल सेवाओं सहित अन्य सेवाओं के संबंध में प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या	मोबाइल सेवाओं सहित अन्य सेवाओं से संबंधित निपटाई गई शिकायतों की संख्या	मोबाइल सेवाओं सहित अन्य सेवाओं के संबंध में प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या	मोबाइल सेवाओं सहित अन्य सेवाओं से संबंधित निपटाई गई शिकायतों की संख्या	मोबाइल सेवाओं सहित अन्य सेवाओं के संबंध में प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या	मोबाइल सेवाओं सहित अन्य सेवाओं से संबंधित निपटाई गई शिकायतों की संख्या	मोबाइल सेवाओं सहित अन्य सेवाओं के संबंध में प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या	मोबाइल सेवाओं सहित अन्य सेवाओं से संबंधित निपटाई गई शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान एवं निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आंध्र प्रदेश	6651	6651	9031	9031	9919	9919	3607	3567
असम	553788	482280	551418	533741	517982	467449	521102	476811
बिहार	62075	59837	81818	80041	109620	105000	88483	87000
छत्तीसगढ़	462578	462295	513349	510502	406059	406046	238396	237857
गुजरात	12966	12583	9234	8901	10242	9811	5545	5336
हरियाणा	1571227	1570709	1362545	136208	1247230	1247099	641781	641642
हिमाचल प्रदेश	619263	619263	644523	644523	665466	665466	363134	363134
जम्मू-कश्मीर	492959	492959	462873	462873	509848	509848	226456	226456
झारखंड	9350	9350	15900	15900	18500	18500	14700	14700
कर्नाटक	2949323	2897034	2882310	2828746	2970291	2970157	1673044	1620552
केरल	76276	76263	28310	28244	39197	39029		
मध्य प्रदेश	1324927	1324927	1252388	1252388	951225	951225	528320	528280
महाराष्ट्र	9259	8439	197475	193165	329453	328417	187921	183696
पूर्वोत्तर-I	122394	122394	102487	102487	59141	59141	36430	36430
पूर्वोत्तर-II	63499	63499	53500	53500	32689	32689	17989	17989
उड़ीसा	2660	2615	1859	1825	2024	1985	1144	1132
पंजाब	2857479	2857479	2328865	2328865	2125681	2125681	1515141	1515141
राजस्थान	2448948	2448853	2203984	2203502	1996489	1995850	1148577	1147951
तमिलनाडु	14196	14196	18845	18845	28776	28776	15300	15056

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	71936	71664	67891	67767	71184	70749	38392	38020
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1328628	1328628	1325085	1325085	1363240	1363240	804772	804772
उत्तरांचल	346729	346729	478969	478969	457378	457378	247457	247312
पश्चिम बंगाल	1037	928	15894	12035	42460	40500	41036	40114
कोलकाता	12692	10298	39591	29804	98924	74031	33989	31378
चेन्नई	1234710	1234710	1196229	1196229	1074673	1074673	413381	413381

विवरण-II

महानगर टेलीफोन निगम लि. में वर्ष-वार प्राप्त शिकायतों

सर्किल का नाम नाम	वर्ष 2003-2004		वर्ष 2004-2005		वर्ष 2005-2006		1.4.06 से 31.10.06	
	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या
दिल्ली	2421	2358	1463	1387	1592	1512	1537	1394
मुम्बई	108	108	87	87	152	152	94	84

[अनुवाद]

अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुवाह्य उपस्कर से सुसज्जित करना

3112. श्री के.एस. राव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गांवों में घर-घर और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुवाह्य उपस्कर से सुसज्जित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घर पर स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं और रोग विज्ञान परीक्षण उपलब्ध कराने में सहायता करने हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहनों ओर रियायती दर पर विशिष्ट सुवाह्य उपस्कर के आयात की सुविधा देकर इन्हें बढ़ावा देने तथा इन सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ाए जाने हेतु नीतिगत ढांचा तैयार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक केन्द्रों के लिए बनाये गये भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए अनुकूल अवसंरचना निर्धारित की गई है। सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों विशेष तौर पर अल्प सेवित क्षेत्रों में प्रति जिला एक सचल चिकित्सा एकक की व्यवस्था करके स्वास्थ्य परिचर्या को लोगों की दहलीज पर लाने का भी निर्णय लिया गया है। इन सचल चिकित्सा एककों को नैदानिक तथा विशिष्ट सुविधाएं/सेवाएं प्रदान की जायेगी।

(ग) और (घ) सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत इन सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने हेतु विकिरण विज्ञानी जांच संबंधी दूर-परामर्शन तथा विकृति रोग विज्ञानी नमूनों के विकेन्द्रीकृत संग्रहण

सहित विभिन्न सुविधा केन्द्रों में नैदानिक सेवाएं प्रदान करने का कार्य शुरू किया गया है।

एमटीएनएल द्वारा पेशकश

3113. श्री रेवती रमन सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीवाली उत्सव के अवसर पर और उसके बाद एमटीएनएल द्वारा उपभोक्ताओं को दी गई पेशकशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन पेशकशों का प्रभाव लैंडलाइन फोन कनेक्शनों को काट दिए जाने हेतु बड़े पैमाने पर किए गए अनुरोध के कारण नगण्य रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा उपभोक्ताओं के समक्ष पेश नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वन इंडिया स्कीम को न लेने वाले बड़ी संख्या में लैंडलाइन उपभोक्ताओं को एमटीएनल द्वारा दी जाने वाली रियायतों के मामले में इंकार कर दिया जाता है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) एमटीएनएल ने उत्सव के अवसर पर 16.10.2006 से 15.11.2006 तक 1300 रुपए का एकबारगी प्रारंभिक ब्राडबैंड बुकिंग प्रभार, 500 रुपए का डॉल्फिन एक्टिवेशन प्रभार, और 300 रुपए का गरुड़ मोबाइल एक्टिवेशन प्रभार माफ कर दिया था।

एमटीएनएल ने हाल ही में निम्नलिखित योजनाएं शुरू की है:

(1) लैंडलाइन उपभोक्ताओं के लिए 1 + 1 योजना जिससे छह माह पुराना उपभोक्ता मासिक किराए के बिना एक अतिरिक्त टेलीफोन प्राप्त कर सकता है।

(2) हैंडसेट की जमानत के लिए किराए के बिना डब्ल्यूएलएल मोबाइल

(3) इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी)

(4) 1.11.2006 से वन इंडिया प्लान का मासिक किराया 299 रुपए से कम करके 180 रुपए कर दिया गया।

(5) 2000 IX सीडीएमए नेटवर्क के उपभोक्ताओं को 19.10.2006 से 299 रुपए का भुगतान कर इंटरनेट के असीमित उपयोग की सुविधा दी गयी।

(6) एमटीएनएल मोबाइल नेटवर्क पर असीमित लघु संदेश सेवा (एसएमएस) 30 रुपए प्रतिमाह के मासिक किराए पर 20.10.2006 को शुरू की गयी।

(ख) और (ग) ऐसी योजनाओं का प्रभाव हमेशा सकरात्मक और उत्साहवर्द्धक रहा है। जीएसएम मोबाइल की क्षमता का लगभग पूरा उपयोग किया गया है। गरुड़ (सीडीएमए) की मांग भी बढ़ गई है।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण-I, II और III में दिए गए हैं।

(ङ) एमटीएनएल उपभोक्ताओं की उस श्रेणी की उपेक्षा नहीं कर रहा है जो वन इंडिया स्कीम के ग्राहक नहीं है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए प्रतिमाह 160 रुपए जितनी कम और 2350 रुपए जितनी अधिक मासिक किराए की अनेक आकर्षक और वहनीय योजनाएं/प्लान उपलब्ध हैं। प्रत्येक प्लान में उपलब्ध नि:शुल्क कॉलों की संख्या और प्रति पल्स कॉल प्रभार एक योजना से दूसरी योजना में भिन्न हैं (अनुबंध-I, II और III)।

(च) और (छ) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

लैंडलाइन योजना (एमटीएनएल मुंबई)

	योजना 160 (नई बुकिंग के लिए बंद)	योजना 180	योजना 250 (किफायती)	योजना 290	योजना 500	योजना 1000	योजना 1500	योजना 2000	एमटीएनएल वन इंडिया योजना
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
मासिक किराया	160	180	250	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रयोग	शून्य	शून्य	शून्य	289	499	999	1499	1999	299

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
नि:शुल्क कॉलें	शून्य	शून्य	60	150	450	1000	1750	2350	0
नि:शुल्क कॉलें से परे कॉल प्रभार	1.20	1.20	(61-300 - 0.80) (301-2000 - 1.20) (2000 से उपर-1 रु.)	1.20	1.10	1.00	0.90	0.85	100

पल्स

स्थानीय (लैंडलाइन से)

लैंडलाइन को	180 से.	स्थिर/डब्ल्यूएलएल मोबाइल (अपने ही नेटवर्क में) को की गई स्थानीय कालों के लिए पल्स दर-180 से.। अन्य सभी कालें-60 से.
सेल्यूलर/डब्ल्यूएलएल को	90 से.	
रात में 23.00 से 6.00 घंटों के बीच एमटीएनएल लैंडलाइन को	300 से.	

निकट एसडीसीए (< 50 कि.मी) कालों के लिए लेवल 95 हेतु पल्स दर से. में (लैंडलाइन से)

लैडलाइन को	120 से.	बीएसएनएल स्थिर और डब्ल्यूएलएल एफ (बीएसएनएल नेटवर्क)-180 से. अन्य सभी कालें-60 से.
डब्ल्यूएलएल/मोबाइल को	60 से.	

एसटीडी (लैंडलाइन से)

>50-100 किमी.	60 से.	60 से.
>100 किमी	30 से.	
दिल्ली को कॉलें	180 से.	
पंजीकरण प्रभार	500 रु. (संस्थापन प्रभारों में परिवर्तित किया जाना)	
प्रतिभूति जमा	स्थानीय/एसटीडी-1000 दो किस्तों में इकट्ठे किए जाएंगे। आईएसडी-3000/-6 बराबर किस्तों में इकट्ठे किए जाएंगे	1000 रु.
पीपीएस सुविधाएं	नि:शुल्क	

एक मिनट की पल्स-लैंडलाइन योजना

मासिक किराया	1000
नि:शुल्क कॉलें	500 कॉलें-1 मिनट की अवधि की
स्थानीय कॉल प्रति मिनट	30 पैसे

इस योजना में एसटीडी की सुविधा नहीं मिलेगी

विवरण II

रियायती योजना 250

क्र.सं.	श्रेणी	पंजीकरण प्रभार (रु.)	संस्थापना प्रभार(रु.)	प्रतिभूति जमा		किराये में रियायत %	मासिक किराया(रु.)
				स्थानीय + एसटीडी (रु.)	स्थानीय + एसटीडी + आईएसडी (रु.)		
1.	वरिष्ठ नागरिक	शून्य	375	1000*	3000 ***	25%	187.5
2.	दृष्टिहीन	500	**	1000*	3000 ***	50%	125
3.	युद्ध में मारे गए जवानों की विधवाएं/विकलांग/सिपाही/स्वतंत्रता सेनानी	500	शून्य	1000*	3000 ***	50%	125
4.	वीरता पुरस्कार/राष्ट्रपति का पुलिस पदक विजेताओं के लिए	शून्य	शून्य	1000*	3000 ***	100%	शून्य
5.	स्कूल, विश्वविद्यालय और कॉलेज व उनसे संबद्ध पोलीटेक्निक, गैर-वाणिज्यिक अनुसंधान संगठन और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इस तरह की अन्य संस्थाओं के लिए गैर-आवासीय टेलीफोन	500	**	1000*	3000 ***	25%	187.5
6.	वृद्ध अशक्त, दिमागी रूप से विकलांग, बहरे गूंगे, मौन, व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थानों व अनाथलयों तथा जनजातीय कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इस तरह की अन्य संस्थाओं के लिए अधिक से अधिक दो टेलीफोन (गैर-आवासीय)	500	**	1000*	3000 ***	25%	187.5

*प्रथम और द्वितीय बिल में 500 रु. की दो बराबर किस्तों में इकट्ठे किए जाने हैं।

**500 रु. के पंजीकरण प्रभार को संस्थापना प्रभार में परिवर्तित किया जाना है।

***प्रथम बिल से ही प्रत्येक 500 की छह बराबर किस्तों में इकट्ठे किए जाने हैं।

विवरण III

लैंडलाइन योजना का विवरण (एमटीएनएल दिल्ली)

प्लान	मासिक किराया (रु. प्रतिमाह)	नि:शुल्क कालें	प्रति पल्स काल प्रभार
99	99	शून्य	1.50 रु.
160	160	शून्य	1.20 रु.
250	250	60	>01-300 @ 0.80 रु. >301-2000 @1.20 रु. >2000 @ 1.00 रु.
350	350	225	>225 @ 1.10 रु.
500	500	450	>450 @ 1.10 रु.
750	750	750	>750 @ 1.10 रु.
1000	1000	1000	>1000 @ 1.00 रु.
1500	1500	1750	>1750 @ 0.90 रु.
2000	2000	2350	>2350 @ 0.85 रु.
क्रेडिट कार्ड के लिए प्रोमो 200 स्विंग योजना	200	शून्य	0.40 रु. प्रति 60 से.
180 वन इंडिया	180	शून्य	स्थानीय-1 रु. एसटीडी-1 रु. प्रति मिनट

नई राष्ट्रीय भेषज नीति

3114. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय स्तर पर एक भेषज सलाहकार मंच तथा राष्ट्रीय भेषज मूल्यनिर्धारित प्राधिकरण के मुख्यालय तथा देश की विभिन्न क्षेत्रों में सलाहकार समिति की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नई भेषज नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नई राष्ट्रीय भेषज नीति से दवाइयों की कीमतों में कमी आएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सरकार ने औषध नीति संबंधी विभिन्न मुद्दों पर सभी स्टेक होल्डरों से सार्थक बातचीत करने के लिए 26 जुलाई, 2004 को एक भेषजीय सलाहकार मंच का गठन किया है। इस मंच के अध्यक्ष रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य मंत्री, सचिव, स्वास्थ्य विभाग, रसायन एवं पेट्रो रसायन, औषध महानियंत्रक (भारत) एवं सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के औषध नियंत्रक, फार्मा उद्योग संघ, केमिस्ट संघ एवं उपभोक्ता

निकाय इसके सदस्य है। इस मंच की नई दिल्ली में दिनांक 11.2.2006 तथा 23.9.2006 को दो बैठकें आयोजित की गई है।

सरकार ने राष्ट्रीय भेषजीय नीति, 2006 का प्रारूप तैयार किया है जिसमें दिल्ली में मुख्यालय स्तर पर तथा देश के 6 क्षेत्रीय कार्यालयों नामत: उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योग, उपभोक्ताओं तथा राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से तालमेल करने के लिए एक स्थायी आधार प्रदान करने हेतु सलाहकार समितियां गठित करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) से (च) माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका संख्या 3668/2003 में दिनांक 10.3.2003 के अपने आदेश में सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनिवार्य जीवन रक्षक औषधों की कीमतें नियंत्रण से बाहर न हो जायें, उपयुक्त मानदंड पर विचार करने एवं इसे तैयार करने के लिए सरकार को निर्देश दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में राष्ट्रीय भेषजीय नीति, 2006 का प्रारूप रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग द्वारा तैयार किया गया जिसमें अनिवार्य औषधों की राष्ट्रीय सूची, 2003 में उल्लिखित विनिर्दिष्ट क्षमता वाली 354 औषधों की कीमत नियंत्रण का प्रस्ताव किया गया है। इस समय इस नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अन्य बातों के साथ-साथ विशेष अनुमति याचिका 3668/2003 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 10.3.2003 के आदेश के निर्वाचन पर सुझाव देने के लिए सचिव (रसायन एवं पेट्रो रसायन) की अध्यक्षता में औषध उद्योग के सदस्यों वाली एक संयुक्त समिति गठित की गई थी। संयुक्त समिति ने दिनांक 30.11.2006 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा राष्ट्रीय भेषजीय नीति, 2006 को अंतिम रूप देने के समय इस पर विचार किया जायेगा।

आम लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध करवाने संबंधी कई उपाय राष्ट्रीय भेषजीय नीति के प्रारूप में प्रस्ताव है उदाहरणार्थ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा पालिसी, राष्ट्रीय आरोग्य सहायता निधि/राज्य आरोग्य सहायता निधि, जिला आरोग्य सहायता निधि हेतु ज्यादा से ज्यादा आबंटन, केन्द्रीय सरकार के सभी अस्पतालों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए आवर्ती निधियां। चिकित्सा राहत सोसाइटियों सम्बन्धी राजस्थान माडल, को अन्य राज्यों में भी अपनाए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित नीति में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला स्तरीय औषध बैंक, कैंसर औषध सहायता निधि आदि की स्थापना भी शामिल की गई है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन

3115. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सर्वाधिक भ्रष्ट देशों की सूची में रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या जांच एजेंसियों के अधिकारियों की हाल में आयोजित बैठक में इस मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(च) क्या सरकार का विचार जांच एजेंसियों को और अधिकार देने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या इन संशोधनों के द्वारा निजी क्षेत्र को सरकार के भ्रष्टाचाररोधी उपायों के दायरे में लाए जाने की संभावना है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) इन संशोधनों को कब तक किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2006 के अनुसार वर्ष 2006 में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है और वह 88वें रैंक से 70वें रैंक पर आ गया है।

(ग) सरकार भ्रष्टाचार के 'कतई बरदाश्त नहीं' ('जीरो टालरेन्स') करने की अपनी नीति के प्रति पूर्णत: वचनबद्ध है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

(च) जी नहीं, श्रीमान्।

(छ) से (ञ) प्रश्न नहीं उठता है।

छात्रावास सुविधाओं में वृद्धि

3116. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर तथा फिजीकल रिसर्च लेबोरेटोरी में छात्रों हेतु छात्रावास सुविधा में वृद्धि करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावों को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ग) अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (सैक), अहमदाबाद मुख्यत: संचार, मौसम विज्ञानीय और सुदूर संवेदन उपग्रहों के लिए नीत भारों के डिजाइन एवं विकास में संलग्न हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी.आर.एल.) खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी, भू-विज्ञानों, ग्रहीय विज्ञानों इत्यादि के क्षेत्र में बहु-विधा अनुसंधान हेतु एक प्रमुख संस्थान है। दोनों संस्थानों में आगंतुक वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों को ठहराने के लिए अतिथिशालाएं हैं एवं भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में शोधार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस समय और अधिक छात्रावास के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

डाक डिवीजनों में कथित गबन/अनियमितताएं

3117. चौ. मुनव्वर हसन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बदायूं, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर डाक डिवीजनों तथा सहारनपुर मुख्य डाक कार्यालय में कथित गबन और अनियमितताओं के मामलों की जांच करने के लिए संसद सदस्यों से पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो अक्टूबर, 2006 में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कब तक उचित कार्रवाई की जाएगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के संबंध में उत्तर प्रदेश सर्किल, लखनऊ के मुख्य पोस्टमासटर जनरल की मार्फत जांच शुरू की गई है। सहारनपुर प्रधान डाकघर में धांधली के संबंध में डाक विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी ने छानबीन की स्थिति का जायजा लेने के लिए सहारनपुर प्रधान डाकघर का दौरा भी किया है और छानबीन में तेजी लाने एवं दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक अनुदेश भी दिए हैं। यह मामला सीबीआई को सौंपा जा चुका है। मुजफ्फरनगर प्रधान डाकघर में धांधली की जांच में हुई प्रगति की डाक निदेशालय के सतर्कता अधिकारियों के एक दल ने मौके पर समीक्षा भी की थी। यह मामला पुलिस को सूचित किया गया है। बदायूं प्रधान डाकघर में धांधली के संबंध में सर्किल स्तर की जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई थी और उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले की सूचना भी पुलिस को दी गई है। माननीय संसद सदस्यों के पत्रों में लगाए गए अन्य आरोपों की उत्तर प्रदेश सर्किल, लखनऊ के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल की मार्फत जांच कारवाई जा रही है। माननीय संसद सदस्यों के पत्रों पर की जा रही कार्रवाई की डाक निदेशालय में उच्चतर स्तर पर निगरानी की जा रही है।

(ग) विभागीय जांच में हुई प्रगति के आधार पर अभी तक 9 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, 46 कर्मचारियों को उनकी गलतियों के लिए प्रत्यक्षत: दोषी करार दिया गया है। एक राजपत्रित अधिकारी को उत्तर प्रदेश डाक सर्किल से बाहर स्थानांतरित किया गया है। पुलिस/सीबीआई एवं विभागीय जांच पूरी होने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

कैंसर की नयी दवा

3118. श्री विजय कृष्ण: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर स्थित दवा कंपनी ने कैंसर की सस्ती और प्रभावी दवा बनाने में सफलता पायी है;

(ख) यादि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दवा का पेटेन्ट कराने और लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली के अनुसार प्रस्तुत किए गए आवेदन एवं आंकड़ों

के आधार पर मैसर्स बायोकान बाइफार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर को 30.8.2006 को सिर तथा गले के कैंसर के उपचार के लिए विनिर्दिष्ट निमोटुजुमैब इंजेक्शन (ह्युमनाइज्ड एन्टी ईजीएफआर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी) का विनिर्माण करने की अनुमति दी गई है।

(ग) भारतीय पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के अनुसार औषध का पेटेन्ट करने के लिए विनिर्माताओं को आवेदन करना होता है।

अफगानिस्तान के साथ समझौते

3119. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री निखिल कुमार:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में दक्षिण और दक्षिण-पूर्व अफगानिस्तान में बढ़ती आतंकवादी हिंसा पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो हाल ही में भारत की यात्रा पर आए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के साथ इस मुद्दे पर किए गए किसी विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और इस विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले; और

(ग) अफगानिस्तान के साथ हाल ही में हुए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) 15 से 19 नवम्बर, 2006 तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई की भारत यात्रा के दौरान भारत-अफगानिस्तान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर प्रधानमंत्री के साथ उनकी उपयोगी चर्चा हुई। सुरक्षा स्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत ने अफगानिस्तान को सहायता जारी रखने की अपनी वचनबद्धता दोहराई। इस क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान में आतंकवादी गुटों की बढ़ती सक्रियता पर चिंता जताई।

(ग) 9-13 अप्रैल, 2006 तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई की भारत यात्रा के दौरान 10 अप्रैल, 2006 को ग्रामीण विकास पर एक समझौता ज्ञापन, शिक्षा पर एक समझौता ज्ञापन और भारतीय मानक ब्यूरो और अफगान राष्ट्रीय मानकीकरण प्राधिकरण के बीच मानकीकरण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया है।

सड़क परियोजनाओं हेतु विदेशी वित्तीय सहायता

3120. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में सड़कों के विकास हेतु विदेशी संस्थाओं (विश्व बैंक को छोड़कर) द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात में उक्त सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) भारत सरकार ने पूर्व पश्चिम महामार्ग परियोजनाओं के गुजरात राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए एशियाई विकास बैंक से 320 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिए बातचीत की है। केन्द्रीय बजट में किए गए वार्षिक आबंटन के अनुसार ऋण को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 80 प्रतिशत अनुदान और 20 प्रतिशत ऋण के रूप में दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सूरत-मनोर टालवे परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक से 180 मिलियन अमरीकी डालर (जिसे बाद में कम करके 165 मिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया) के लिए प्रत्यक्ष ऋण के लिए बात की थी। इस परियोजना में 3 पैकेज थे और 2 पैकेज गुजरात में थे। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गुजरात में विदेशी सहायता (विश्व बैंक से भिन्न) प्राप्त से वित्तपोषित परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	खंड	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
क.	**स्वर्णिम चतुर्भुज**		
1.	सूरत (चल्थन)-अतुल 263.4-343.0 कि.मी.	8	79.60
2.	अतुल-कजली 343.381.6 कि.मी.	8	38.60

1	2	3	4
ख.	**पूर्व पश्चिम महामार्ग**		
1.	डीसा से राधनपुर (पैकेज-6) 372.458.0 कि.मी.	14	85.40
2.	राधनपुर से गागोधर (पैकेज-5) 138.80-245.00 कि.मी.	15	106.20
3.	गागोधर से गारामोड़ (पैकेज-4) 245.0-281.3 कि.मी. और 308.00-254.00 कि.मी.	15, 8ए	90.30
4.	गारामोड़ से बामनमोर (पैकेज-3) 254.00— 182.60 कि.मी.	8ए	71.40
5.	जैदपुर से भिलाड़ी (पैकेज-2) 117-52.50 कि.मी.	8बी	64.50
6.	भिलाड़ी से पोरबंदर (पैकेज-1) 52.50-2.00 कि.मी.	8बी	50.50

सड़क परियोजनाओं की प्रगति

3121. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सड़क निधि (सी आर एफ) के अंतर्गत सड़क परियोजनाओं और इनकी प्रगति की वर्तमान स्थिति का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) सरकार ने वर्ष 2000-01 से 31 अक्टूबर, 2006 तक केन्द्रीय सड़क निधि स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 7954.93 करोड़ रु. की 4160 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अनुमोदित और चालू सड़क परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इस समय, 1236 कार्य प्रगति पर हैं जिसमें से 214 कार्यों में मुख्यत: सुविधाओं के स्थानांतरण, कठिन भूभाग और जलवायु स्थितियों, वन स्वीकृति, ठेकेदारों के खराब कार्य निष्पादन, मुकदमेबाजी, स्थानीय निकायों और विधायिका में चुनाव के कारण विलंब हुआ है।

(घ) संबंधित राज्य सरकार सी आर एफ के अंतर्गत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वयन और उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। धनराशि के पूर्ण उपयोग के लिए इस मंत्रालय द्वारा कार्यों की वित्तीय तथा भौतिक प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

विवरण

दिनांक 31.10.2008 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि (सी आर एफ) के अंतर्गत कार्यों की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2000-01 से 2006-07 (31.10.06) तक सी आर एफ के अंतर्गत कुल अनुमोदन		चालू सी आर एफ कार्यों की संख्या	अनुमोदित लागत
		संख्या	धनराशि (करोड़ रु.)		धनराशि (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	226	652.63	99	266.71
2.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2	7.58	2	7.58

1	2	3	4	5	6
3.	अरुणाचल प्रदेश	30	94.27	19	81.43
4.	असम	71	155.79	16	44.91
5.	बिहार	46	147.08	18	87.21
6.	चंडीगढ़	8	13.53	2	1.99
7.	छत्तीसगढ़	37	178.34	20	101.44
8.	दादरा व नगर हवेली	8	2.62	0	0
9.	दिल्ली	39	73.33	0	0
10.	गोवा	5	9.75	1	2.59
11.	गुजरात	569	515.57	87	133.06
12.	हरियाणा	66	268.72	12	100.69
13.	हिमाचल प्रदेश	35	89.64	22	63.12
14.	जम्मू-कश्मीर	48	220.44	21	150.31
15.	झारखंड	9	82.94	9	82.95
16.	कर्नाटक	857	642.08	287	243.29
17.	केरल	32	183.79	25	140.04
18.	मध्य प्रदेश	131	551.10	72	311.64
19.	महाराष्ट्र	366	878.95	185	585.17
20.	मणिपुर	10	24.41	7	19.84
21.	मेघालय	19	42.47	6	19.25
22.	मिजोरम	24	21.19	1	3.13
23.	नागालैण्ड	11	28.57	7	21.4
24.	उड़ीसा	133	228.15	36	130.2
25.	पांडिचेरी	3	6.72	2	5.44
26.	पंजाब	106	303.47	17	115.15
27.	राजस्थान	497	694.41	129	205.26

1	2	3	4	5	6
28.	सिक्किम	16	12.68	7	7.11
29.	तमिलनाडु	571	484.91	29	55.94
30.	त्रिपुरा	6	13.22	4	9.87
31.	उत्तरांचल	50	83.01	27	53.03
32.	उत्तर प्रदेश	106	936.47	54	567.48
33.	पश्चिम बंगाल	23	307.10	13	210.81

टेलीफोन सेवा प्रदाताओं का तुलनात्मक अध्ययन

3122. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान बीएसएनएल, एमटीएनएल और अन्य निजी आपरेटरों की एक्सेस, ग्राहकों की संख्या और उनके द्वारा अर्जित लाभ की तुलना करने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) इसके कारण नीचे दिए गए हैं।

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी प्रचालक विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में प्रचालन करते हैं जैसे कि भारत संचार निगम लिमिटेड संपूर्ण देश में शहरी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है जबकि निजी प्रचालक सभी सर्किलों/राज्यों में प्रचालन नहीं करते हैं।

(2) वे भिन्न-भिन्न प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करते हैं जैसे कि अधिकांश निजी प्रचालक केवल मोबाइल सेवाएं प्रदान करते हैं जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लैंडलाइन, मोबाइल, ब्रॉडबैंड, लीज लाइन, राष्ट्रीय लंबी दूरी, अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी इत्यादि सेवाएं प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

धनराशि जारी करने में विलम्ब

3123. श्री दरोगा प्रसाद सरोज:
श्री सुकदेव पासवान:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राहत कोष से धनराशि स्वीकृत करने में अत्यधिक विलम्ब होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राहत राशि शीघ्र जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) सरकारी अस्पतालों में जानलेवा रोगों के लिए उपचार प्रदान करने हेतु गरीबी रेखा के नीचे के रोगियों को इस मंत्रालय के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी, राष्ट्रीय निधि से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस सोसाइटी का संचालन एक उच्चाधिकार प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं:

1.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	अध्यक्ष
2.	सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण)	सदस्य
3.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)	सदस्य सचिव
5.	मुख्य लेखा नियंत्रक (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)	कोषाध्यक्ष

प्रबंधन समिति को तकनीकी मामलों जैसे कि योजना के अंतर्गत सहायता हेतु कवर किए जाने वाली बीमारी की प्रकृति तथा अन्य सहायक मुद्दों पर सलाह देने के लिए एक तकनीकी समिति भी है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक
2. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय
3. चिकित्सा अधीक्षक, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली तथा
4. विभागाध्यक्ष, कार्डियोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।

संबंधित अस्पताल/चिकित्सा संस्थान से अपेक्षित चिकित्सीय रिपोर्ट तथा रोगी से अन्य अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त करने के बाद, गरीबी रेखा के नीचे के योग्य एवं पात्र रोगियों को वित्तीय सहायता देने के मामलों पर पहले तकनीकी समिति के स्तर पर विचार किया जाता है जिसकी साप्ताहिक बैठक होती है और तत्पश्चात् प्रबंधन समिति प्राथमिकता के आधार पर सभी मामलों पर विचार करती है। प्रबंधन समिति के अनुमोदन के बाद "स्पीड पोस्ट" के जरिए अपेक्षित राशि का एक खाता प्रापक चैक आपरेशन/शल्यक्रिया की तारीख मिलने तथा व्यक्ति से इस आशय का एक वचनपत्र कि किसी अन्य दाता एजेन्सी से कोई वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त की गई है, प्राप्त करने के बाद, संबंधित अस्पताल/चिकित्सा संस्था के चिकित्सा अधीक्षक को प्रेषित किया जाता है।

वित्तीय सहायता के सभी मामलों पर सभी स्तरों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

3124. श्री ई पोन्नुस्वामी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित सड़कों की कुल लंबाई कितनी है; और

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा हेतु क्या मानदंड हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) आज की स्थिति के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों की कुल लंबाई 66,590 कि.मी. है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए मानदंड/मानक संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए मानदंड

1. देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली सड़कें।
2. पड़ोसी देशो को जोड़ने वाली सड़कें।
3. राष्ट्रीय राजधानी को राज्यों की राजधानी से जोड़ने वाली सड़कें और राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाली सड़कें।
4. महापत्तनों, बड़े औद्योगिक केन्द्रों अथवा पर्यटक केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कें।
5. अति महत्वपूर्ण सामरिक अपेक्षाओं को पूरा करने वाली सड़कें।
6. वे मुख्य सड़कें जिनसे यात्रा दूरी में पर्याप्त रूप से कमी आती हों और जिनसे पर्याप्त आर्थिक वृद्धि होती हों।
7. पिछड़े क्षेत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों के एक बड़े भूभाग को जोड़ने वाली सड़कें।
8. 100 कि.मी. की राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड को पूरा करने वाली सड़कें।

9. सड़क, राज्यीय राजमार्गों की तकनीकी अपेक्षाओं तथा भूमि अपेक्षाओं दोनों के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हो।

10. वह सड़क तथा सड़क के साथ-साथ ही भूमि (राइट ऑफ वे) हर प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त होनी चाहिए और वह राज्य सरकार की संपत्ति होनी चाहिए।

11. राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अपेक्षित राइट ऑफ वे (अधिमान्य रूप से 45 मीटर, न्यूनतम 30 मीटर) अधिग्रहण के लिए उपलब्ध होना चाहिए तथा वह अतिक्रमणों से मुक्त हो और राज्य सरकार को दस मास के भीतर-भीतर भूमि अधिग्रहण संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने होगा।

होम्योपैथी डाक्टरों की नियुक्ति

3125. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अस्पतालों में होम्योपैथी डाक्टरों की नियुक्ति हेतु मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या डॉक्टर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अनुबंध आधार पर कार्यरत है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा होम्योपैथी अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति हेतु नियमित भर्ती परीक्षाएं कराए जाने के बाद भी विभाग में अनुबंध आधार पर डॉक्टरों का कार्य करना जारी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) दिल्ली सरकार में नियुक्ति के लिए होम्योपैथी डॉक्टरों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है।

(ख) से (ङ) जी, हां। इस समय दिल्ली सरकार से अनुबंध आधार पर 10 डॉक्टर काम कर रहे हैं। जैसे ही संघ लोक सेवा आयोग सूचित किए गए सभी रिक्त स्थानों पर चयन कर लेगा, वैसे ही अनुबंध नियुक्तियों को हटा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति आय

3126. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति-व्यक्ति आय कितनी है;

(ख) क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति-व्यक्ति आय का अंतर निरंतर बढ़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) राष्ट्रीय आय संबंधी उपलब्ध सांख्यिकी जो कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा अनुमानित है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के आधार वर्ष हेतु प्रचलित मूल्यों पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रति व्यक्ति निवल देशीय उत्पाद के संदर्भ में सूचना प्रदान करती है। इसलिए, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों हेतु अलग-अलग प्रति व्यक्ति आय के अनुमान (निवल देशीय उत्पाद) 1970-71, 1980-81, 1993-94 तथा 1999-2000 वर्षों के लिए उपलब्ध हैं। ये निम्नानुसार हैं:

प्रति व्यक्ति आय (रु.)

वर्ष	ग्रामीण	शहरी
1970-71	529	1294
1980-81	1245	2888
1993-94	5783	13525
1999-2000	10683	30183

(ख) शहरी एवं ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय के बीच अनुपात 1970-71 में 2.45, 1980-81 में 2.32, 1993-94 में 2.34 तथा 1999-2000 में 2.82 था। यह दर्शाता है कि 1970-71 से 1980-

81 अवधि के बीच शहरी-ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय में अंतर कम हुआ है और 1980-81 से 1993-94 के बीच कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 1999-2000 में इस अंतर में 2.82 की वृद्धि हुई है।

(ग) 1993-94 तथा 1999-2000 अवधि के बीच शहरी-ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय में अंतर बढ़ने का एक कारण यह हो सकता है कि 1980-81 से 1993-94 तक की अवधि के दौरान कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों की जो विकास दर 3.4 प्रतिशत थी वह 1993-94 से 1999-2000 तक की अवधि के दौरान घटकर 2.9 प्रतिशत तक रह गई।

(घ) और (ङ) सरकार ने पर्याप्त उत्पादनशील रोजगार सृजित करने तथा गरीबी उन्मूलन करने और स्थिर मूल्यों सहित अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ाने की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी है। इसके अतिरिक्त, भारत निर्माण योजना भी शुरू की गई है। भारत निर्माण 4-वर्ष की अवधि (2005-09) के लिए ग्रामीण आधारी संरचना में कार्रवाई हेतु एक समयबद्ध कार्यकारी योजना है। भारत निर्माण के अंतर्गत सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण आवास, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ग्रामीण दूरसंचार संपर्क के क्षेत्रों में कार्य करने का प्रस्ताव है। दसवीं योजना अवधि में सरकार द्वारा इन उपायों के साथ किए गए अन्य उपाय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय के अंतर को कम करने के लिए लक्षित है।

[अनुवाद]

कन्या भ्रूणहत्या रोकने के लिए धनराशि

3127. **डा. वल्लभभाई कथीरिया:**
डा. के.एस. मनोज:
एडवोकेट सुरेश कुरूप:
डा. आर. सेनथिल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार घटते लिंग अनुपात की समस्याओं और कन्या भ्रूण हत्या के बारे में जागरूकता पैदा करने के बारे में प्रत्येक संसद सदस्य, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों से संबंध रखते हैं जहां कन्या भ्रूण हत्या के मामले पाए गए हैं, को धनराशि आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन निधियों के उपयोग की निगरानी और मूल्यांकन के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। निम्न लिंग अनुपात वाले पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान राज्यों के लोक सभा तथा राज्य सभा के 126 सांसादों को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में लिंग चयन के मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने तथा प्रदर्शनियां, सेमिनार, कार्यशालाएं, पंचायती राज संस्थाओं, एसजीएच के लिए प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रम, आम सभाएं, वाद-विवाद, निबन्ध प्रतियोगिताएं, नुक्कड नाटक, स्टेज शो इत्यादि आयोजित करके लिंगानुपात में कमी लाने के लिए प्रत्येक को 5.00 लाख रु. की राशि प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। समुचित प्राधिकारियों तथा सलाहकार सदस्यों की सुग्रहिता, न्यायपालिका, सरकारी अभियोजकों इत्यादि सहित विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ परामर्श करने का कार्य भी शुरू किया जाएगा। इन कार्यक्रमों को मुख्य चिकित्सा अधिकारियों इत्यादि की सहायता से जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आयोजित किया जाएगा। निधियां राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी को जारी की जाएंगी जो इसके बाद जिला प्राधिकारियों को निधियां जारी करेंगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण दूरसंचार कार्य

3128. **श्री सुनिल कुमार महतो:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जिलों में ग्रामीण दूरसंचार से संबंधित कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण दूरसंचार में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(1) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) ने देश के वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य 1685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में मार्च, 2005 में अलग-अलग परिसरों में ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों (आरडीईएल) प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ करार किया है। इनमें पूर्वी सिंहभूम के बहारागोरा और घाटसिला एसडीसीए तथा पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा, चक्रधरपुर, चांदिल, जगन्नाथपुर, झिंकपानी, खरसावं, मनोहरपुर, नोआमुंडी, सरायकेला (आदित्यपुर) एसडीसीए शामिल हैं।

(2) सरकार पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम समेत देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं हेतु अवसंरचना की उपलब्धता हेतु सहायता प्रदान करने के लिए योजना शुरू करने जा रही है। जिन क्षेत्रों में स्थिर बेतार और मोबाइल कवरेज नहीं है वहां अवसंरचना सृजित की जाएगी। अवसंरचना स्थलों के निर्माण और उनके प्रबंधन के लिए तथा देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं की उपलब्धता के लिए निविदा दस्तावेज संबंधी मसौदा 21.11.2006 को दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है ताकि स्टेकहोल्डरों से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए जा सकें।

(3) पूर्वी सिंहभूम में 3 कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस बेसिक ट्रांससीवर सिगनल (सीडीएमए-बीटीएस) और पश्चिमी सिंहभूम में 7 सीडीएमए-बीटीएस स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

(4) सुविधारहित गांवों को सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पूर्वी सिंहभूम में 20 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) और पश्चिमी सिंहभूम में 138 वीपीटी प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति

3129. **श्री एम. अंजन कुमार यादव:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने ऊपर और परिवार के सदस्यों पर वहन किये गए चिकित्सा व्ययों को पूर्ण प्रतिपूर्ति करने हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ बनाम टी.एस. ओबराय, एस्कोर्टस् हार्ट इन्स्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर और श्रीमती राज चावला द्वारा एस.एल. पी. दायर करने में विलम्ब होने के कारण और किसी कानूनी मुद्दे का निबटान न करने दायर की गई एल.पी.ए. संख्या 898/02 नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के 7 नवम्बर, 2003 के आदेश के विरूद्ध भारत संघ द्वारा दायर की गई विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) संख्या 5381/05 को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपने 7 नवम्बर, 2003 के आदेश के द्वारा केन्द्र सरकार को यह निदेश दिया था कि वह तत्काल स्वर्गीय न्यायमूर्ति महाराज कृष्ण चावला के अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि के दौरान कराए गए उपचार पर हुए सभी प्रकार के चिकित्सकीय व्ययों पर कार्रवाई करे और उनकी प्रतिपूर्ति करे। एस.एल.पी. को खारिज करने के साथ ही स्वर्गीय न्यायमूर्ति चावला पर हुए चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के उच्च न्यायालय के आदेश को लागू कर दिया गया था।

तथापि, भारत के उच्चतम न्यायालय ने पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम रामलूभाया बग्गा और अन्य के मामले में सिविल अपील संख्या 1998 की 1111-15 [(1998) 4 उच्चतम न्यायालय मामले 117] में अपने 26 फरवरी, 1998 के निर्णय में निम्नलिखित व्यवस्था दी:

> "..... किसी भी राज्य अथवा देश के पास अपने किसी भी परियोजना पर खर्च करने हेतु असीमित संसाधन नहीं हो सकते। इसलिए वह अपनी परियोजनाओं को यथा व्यवहार्य सीमा तक केवल अनुमोदित करता है। वही अपने कर्मचारियों सहित अपने नागरिकों को चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान करता है। सुविधाओं की व्यवस्था असीमित नहीं हो सकती। यह उसी सीमा तक होगी जहां तक वित्त पोषण अनुमति देता है। यदि कोई पैमाना अथवा दर निर्धारित नहीं की जाती है तो उस हालत में प्राइवेट क्लिनिक अथवा अस्पताल अपनी दर में अत्यधिक वृद्धि करते हैं तो राज्य उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। नई नीति के अधीन दर और पैमाने के निर्धारण का स्थान औचित्यपूर्ण है और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 अथवा अनुच्छेद 47 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है ....."

[अनुवाद]

डाकघरों का खोला जाना

3130. श्री चाडिगा रामकृष्णा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न स्थानों पर नए डाकघरों को खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सर्कल-वार ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्य-वार कितने डाकघर खोले गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में बंद किए गए डाकघरों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन्हें इस प्रकार बंद किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) देश में नए डाकघरों को खोलने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं; और

(च) नए डाकघरों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) देश में नए डाकघर खोलने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। दूरी, जनसंख्या एवं आय संबंधी मानदण्डों के आधार पर प्रस्तावों की जांच की जाती है और कोई डाकघर इन मानदण्डों के पूरा होने तथा पुनर्स्थापना के लिए किसी ऐसे डाकघर की उपलब्धता के आधार पर खोला जा सकता है जो अपने मौजूदा स्थान पर औचित्यसम्मत न रह गया हो। डाक नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाने के दसवीं पंचवर्षीय योजना के नीति निर्देशों के मद्देनजर एवं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2004-05 से नए डाकघर खोलने हेतु कोई लक्ष्य आबंटित नहीं किए गए हैं, नए डाकघर केवल पुनर्स्थापना के माध्यम से ही खोले जा सकते हैं।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान कोई नए डाकघर नहीं खोले गए हैं। हालांकि, पुनर्स्थापना कर 117 डाकघर खोले गए हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) निर्धारित मानदण्डों के पूरा न करने तथा अदालत के आदेशों से डाकघर भवनों को खाली करने पर वैकल्पिक भवन न मिल पाने जैसे विभिन्न कारणों से डाकघर बंद किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में बंद किए डाकघरों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) डाकघर संलग्न विवरण-II में दिए गए मानकों/मानकों के आधार पर खोले व बनाए रखे जाते हैं।

(च) डाक नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाने के दसवीं पंचवर्षीय योजना के नीति निर्देशों के कारण वर्ष 2004-05 से नए डाकघर खोलने के लक्ष्य आबंटित नहीं किए जा रहे हैं। अत: नए डाकघर खोलने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

विवरण I

डाकघर खोलने के प्रस्तावों, पिछले दो वर्षों के दौरान पुनर्स्थापना के दौरान खोले गए डाकघरों और पिछले तीन वर्षों के दौरान बंद किए गए डाकघरों की सर्किलवार संख्या

क्र.सं.	सर्किल का नाम	प्रस्तावों की संख्या	पुनर्स्थापना के माध्यम से खोले गए डाकघरों की संख्या		बंद किए गए डाकघरों की संख्या		
			2004-2005	2005-2006	2003-2004	2004-2005	2005-2006
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2	3	4	4	2	
2.	असम	4	2				
3.	बिहार	32		2			

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	छत्तीसगढ़	1	1				
5.	दिल्ली	31		2	5	4	3
6.	गुजरात	शून्य	7				
7.	हरियाणा	6		8	3		8
8.	हिमाचल प्रदेश	16					
9.	जम्मू-कश्मीर	59	4				
10.	झारखण्ड	71	1	1			
11.	कर्नाटक	10	2	2,			
12.	केरल	6	3	4			
13.	मध्य प्रदेश	5	1		1	2	2
14.	महाराष्ट्र	30	2	13	4	3	
15.	उत्तर पूर्व	2				4	
16.	उड़ीसा	10	3		1	14	
17.	पंजाब	13	24	1	1	8	8
18.	राजस्थान	8	3	10			
19.	तमिलनाडु	20	5				
20.	उत्तर प्रदेश	37	1	2			
21.	उत्तरांचल	5		2			
22.	पश्चिम बंगाल	9	2	2			
	कुल	377	64	53	19	37	21

विवरण II

आश्वासन के अनुसार पहुंच का स्तर और डाकघर खोले जाने एवं उन्हें बनाए रखने के मानदंड

जनसंख्या एवं दूरी संबंधी मानदंड

शहरी क्षेत्र-20 लाख से अधिक जनसंख्या, निकटतम डाकघर से दूरी 1.5 किमी.

शहरी क्षेत्र-20 लाख तक जनसंख्या, निकटतम डाकघर से दूरी 2 किमी.

सामान्य ग्रामीण क्षेत्र-जनसंख्या 3000, निकटतम डाकघर से दूरी 3 किमी.

पहाड़ी जनजातीय, रेगिस्तान-प्रत्येक गांव के लिए जनसंख्या 500 और ग्रामों के समूह के लिए 1000, निकटतम डाकघर से दूरी 3 किमी.

विभागीय रूप डाकघर खोलने लिए आय संबंधी मानदंड

सामान्य ग्रामीण क्षेत्र-हानि की अनुमत सीमा-2400 रुपए प्रतिवर्ष

जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्र-हानि की अनुमत सीमा-4800 रुपए प्रतिवर्ष

शहरी क्षेत्र-प्रारंभ में स्वत: समर्थ, एक वर्ष के बाद 5% का लाभ

शाखा डाकघर के लिए आय संबंधी मानदंड

सामान्य ग्रामीण क्षेत्र-लागत की अपेक्षा आय का प्रतिशत $33^1/_3$% अर्थात् $66^2/_3$% की सब्सिडी

पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी क्षेत्र-लागत की अपेक्षा आय का प्रतिशत 15% अर्थात् 85% की सब्सिडी

संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

3131. **श्री दाह्याभाई बल्लभभाई पटेल:** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दमन एवं दीव जैसे संघ राज्य क्षेत्रों जहां कोई भी जन प्रतिनिधित्व निकाय नहीं है, में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व-क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) सरकार ने दमन एवं द्वीव के संघ शासित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं समेत जिन 14 ग्राम पंचायतों तथा जिला पंचायत के साथ पंचायती राज प्रणाली है को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किये हैं।

पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों का चौथा गोलमेज सम्मेलन 7 एवं 8 अक्टूबर, 2004 को चंडीगढ़ में हुआ था इस सम्मेलन में विशेष रूप से पंचायती राजं पर विचार किया गया था। संघ शासित क्षेत्रों में पंचायती राज के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संलग्न विवरण में दिए गए सात प्रस्ताव स्वीकार किये थे।

संघ शासित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के संबंध में चौथे गोलमेज सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के अनुसरण में पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में तथा उपाध्यक्ष के रूप में गृह राज्य मंत्री के तहत एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है।

दमन एवं द्वीव, दादर एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप के संघ शासित क्षेत्रों के लिए संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में यथा सूचीबद्ध पंचायती राज संस्थाओं के लिए शक्तियों के हस्तांतरण के संबंध में गतिविधि मानचित्रण को पूरा कर लिया गया है। पाण्डिचेरी संघ शासित क्षेत्र के संबंध में गतिविधि मानचित्रण चल रहा है।

केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री द्वारा धरातल पर परिस्थिति का प्रत्यक्ष जायजा लेने के लिए शीघ्र ही दमन एवं दीव के दौरे की संभावना है।

दमन तथा द्वीव में पंचायती राज संस्थाओं के लिए पदों के सृजन हेतु इस संघ शासित क्षेत्र प्रशासन से इस मंत्रालय में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

पंचायती राज प्रभारी मंत्रियों का चतुर्थ गोलमेज सम्मेलन चण्डीगढ़, 7-8 अक्टूबर, 2004

1. संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज

1. चूंकि पंचायतों एवं नगरपालिकाओं से संबंधित संविधान के प्रावधानों को अक्षरश: कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी केन्द्र सरकार की है, संघ रज्य क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को एक मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि पूरा देश उसका अनुकरण करे।

2. यह मानते हुए कि निर्धारित क्रिया-कलाप की रूपरेखा तैयार करना कार्यों, कर्मियों एवं निधियों के प्रभावी अंतरण का आधार है, केन्द्र सरकार और दमन एवं द्वीव तथा दादर एवं नगर हवेली के संयुक्त प्रशासन के बीच शुरू किए गए संयुक्त प्रयोग को अन्य संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तारित किया जा सकता है।

3. सामान्यत: संघ राज्य क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर जनता की राय के प्रतिनिधि निकाय के साथ परामर्श के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय गृह मंत्रालय एक उपयुक्त तंत्र की स्थापना पर विचार कर सकता है ताकि स्थानीय स्वशासन की निर्वाचित संस्थाओं की मदद की जा सके।

4. केन्द्र सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन और पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच पंचायती राज से संबंधित मुद्दों पर परामर्श को संस्थागत बनाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार सांस्थानिक ढांचा स्थापित करने पर विचार कर सकती है जिसके अंतर्गत नई दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्रों में आवधिक परामर्श किए जाते हैं। सांस्थानिक तंत्र की बैठकें वर्ष में दो बार, एक बार नई दिल्ली में तथा दूसरी बार संघ राज्य क्षेत्र में बारी-बारी से की जा सकती हैं। इस प्रस्तावित सांस्थानिक तंत्र की स्थापित करने में केन्द्रीय गृह मंत्रालय विशेषकर पंचायती राज मंत्रालय सहित अन्य संबंधित मंत्रालयों से प्रतिनिधियों को सहयोजित करने पर विचार कर सकता है। यह सांस्थानिक तंत्र वर्तमान कमियों और भविष्य के कार्य से संबंधित प्रस्तावों की विशिष्टताओं पर विचार करेगा जो एक ओर निर्वाचित प्रतिनिधियों और दूसरी ओर पंचायती राज से संबंधित प्रशासकों से हो सकते हैं

5. द्वीप विकास प्राधिकरण (आई डी ए) द्वारा कवर किए गए संघ राज्य क्षेत्रों के विषय में केन्द्रीय गृह मंत्रालय अपनी द्विवार्षिक बैठकों में द्वीप क्षेत्रों में पंचायती राज के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए आई डी ए की आवश्यकता को प्रधानमंत्री कार्यालय को ध्यान में लाए।

6. वन संरक्षण अधिनियम एवं तटीय विनियमन प्रक्षेत्र के कार्यान्वयन के संबंध में पर्यावरण की आवश्यकताओं को विकास की आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय गृह मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संघ राज्य क्षेत्र की विशेष विकास समस्याओं को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ध्यान में लाया जा सकता है ताकि स्थायी विकास सुनिश्चित किया जा सके।

7. केन्द्रीय गृह मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय यह जानने के उद्देश्य से कि निर्माण सामग्री की लागत कैसे कम की जा सकती है, द्वीप संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा झेली जा रही निर्माण सामग्री संबंधी विशेष समस्याओं के बारे में वित्त मंत्रालय को बताए।

भारतीयों के लिए कड़े वीजा मानदण्ड

3132. श्री पी.सी. थामस: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने भारतीय नागरिकों को वीजा जारी करने में कड़े मानदण्ड लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस मामले को संबंधित देशों के साथ उठाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी नहीं। हाल में अमरीका और यूरोपीय देशों के वीजा विनियमों में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया गया है जिससे पता चले कि ये भारतीयों के लिए कठोर हो गये हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सामाजिक सुरक्षा तंत्र

3133. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गरीबों की स्वास्थ्य परिचर्या पर आने वाले खर्च को वहन करने के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग (एन सी ई यू एस) के साथ परामर्श करके असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक विधान बनाने एवं सामाजिक सुरक्षा योजना बनाने पर विचार कर रहा है, जिसमें इन श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य कवर शामिल हो सकता है।

किराये के भवनों में भारतीय मिशन

3134. श्री एम. राजामोहन रेड्डी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कौन-कौन से भारतीय मिशन देश-वार किराये के भवनों में चल रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और देश-वार कितना किराया अदा किया गया; और

(ग) इन मिशनों के लिए भवनों के निर्माण के प्रस्तावों की स्थिति क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) मिशन/केन्द्र-वार वांछित सूचना संलग्न विवरण में है।

(ग) विदेश में संपत्तियों के अधिग्रहण/खरीद/निर्माण की एक समन्वित योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विदेशों में संपित्तयों का निर्माण/अधिग्रहण किये जाने के सरकार के निर्णय को निर्धारित करने वाले अनेक कारक हैं। इनमें से महत्वपूर्ण हैं; भारत का समग्र हित; आर्थिक व्यवहार्यता, उपयुक्त संपत्तियों की उपलब्धता; स्थानीय प्रक्रियाएं और विनियम; पारस्परिकता का सिद्धांत; सुरक्षा आवश्यकताएं अत्यादि। अंतत: मंत्रालय के बजट में निधियों की उपलब्धता और भारत सरकार की अपनी प्रक्रियाओं का भी इस प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है।

विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों में चासंरी (कार्यालय) भवनों के निर्माण परियोजना की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित अनुसार है:

क्र.सं.	स्थान	निर्माण परियोजना की स्थिति
1.	अबूजा	निविदा-पूर्व स्थिति
2.	बहरीन	निर्माण-पूर्व स्थिति
3.	ब्राजीलिया	निर्माण-पूर्व स्थिति
4.	दार-ए-सलाम	निर्माण-पूर्व स्थिति
5.	ढाका	निर्माण-पूर्व स्थिति
6.	दोहा	निर्माण-पूर्व स्थिति
7.	काबुल	निर्माण-पूर्व स्थिति
8.	मस्कट	निर्माण स्थिति
9.	पोर्ट लुई	निर्माण-पूर्व स्थिति
10.	ताशकंद	निर्माण-पूर्व स्थिति
11.	वारसा	निर्माण-पूर्व स्थिति

विवरण

किराए पर लिए गए चांसरियों की सूची

क्र.सं.	देशवार मिशन/केन्द्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2003-2004	वित्तीय वर्ष 2004-2005	वित्तीय वर्ष 2005-2006
		(वार्षिक किराया भारतीय रुपये में)		
1	2	3	4	5
1.	भारत का राजदूतावास, आबिदजान (आइवरी कोस्ट)	14,34,481	14,54,255	16,73,770
2.	भारत का उच्चायोग, अबूजा (नाइजीरिया)	4,48,029	4,48,029	10,78,301
3.	भारत का राजदूतावास, आदिस अबाबा (इथियोपिया)	60,51,637	56,20,197	74,02,156
4.	भारत का राजदूतावास, अल्जीयर्स (अल्जीरिया)	18,42,871	21,83,770	24,84,450
5.	भारत का राजदूतावास, अल्माती (कजाकिस्तान)	53,09,824	52,26,585	51,74,420
6.	भारत का राजदूतावास, अशगाबात (तुर्कमेनिस्तान)	34,92,096	33,82,272	34,26,816
7.	अस्ताना में भारत का राजदूतावास का कार्यालय, (कजाकिस्तान)	7,85,575	9,22,589	9,08,141
8.	भारत राजदूतावास, बगदाद (इराक)	6,17,646	16,14,550	16,14,550

1	2	3	4	5
9.	भारत राजदूतावास, बहरीन (बहरीन)	38,79,529	39,43,280	37,05,678
10.	भारत राजदूतावास, बाकू (अजरबैजान)	34,61,802	31,49,462	22,90,360
11.	भारत का कौंसलावास, बंदर अब्बास (ईरान)	6,34,505	7,16,580	9,06,286
12.	भारत का राजदूतावास, बेरूत (लेबनान)	18,82,253	18,30,437	17,93,500
13.	भारत का राजदूतावास, बेलग्रेड (सर्बिया और मोंटेनेग्रो)	28,50,665	32,00,387	31,43,500
14.	भारत का राजदूतावास, बर्न (स्विट्जरलैण्ड)	49,84,413	52,78,831	52,55,057
15.	भारत प्रधान कौंसलावास, बीरगंज (नेपाल)	1,25,628	13,78,536	20,03,304
16.	भारत का प्रधान कौंसलावास, बर्मिंघम (यूनाइटेड किंग्डम)	45,79,736	53,15,766	67,87,961
17.	भारत का राजदूतावास, बिशकेक (किरगिजस्तान)	12,97,152	12,97,152	12,97,152
18.	भारत का राजदूतावास, बोगोटा (कोलम्बिया)	30,25,321	44,70,491	44,68,675
19.	भारत का राजदूतावास, ब्रासीलिया (ब्राजील)	29,72,640	29,72,640	30,40,200
20.	भारत का राजदूतावास, ब्रातिस्लावा (स्लोवाक)	62,36,629	61,22,366	59,31,929
21.	भारत का उच्चायोग, ब्रूनेई (ब्रूनेई)	20,94,500	21,08,626	20,01,779
22.	भारत राजदूतावास, बुखारेस्ट(रोमानिया)	31,39,685	39,87,215	55,92,723
23.	केप टाउन में भारत का उच्चायोग, प्रीटोरिया का कार्यालय (दक्षिण अफ्रिका)	18,41,549	22,36,635	25,82,687
24.	भारत का कौंसलावास, चियांगमई (थाइलैण्ड)	5,66,674	7,95,793	8,64,348
25.	भारत का प्रधान कौंसलावास, शिकागो (अमरीका)	1,45,07,395	1,39,49,391	1,42,34,262
26.	भारत का सहायक उच्चायोग, चटगांव	8,58,816	8,58,816	8,58,816
27.	भारत का राजदूतावास, डकर (सेनेगल)	14,88,675	17,34,438	24,99,721
28.	भारत का उच्चायोग, दार-ए-सलाम (तंजानिया)	31,43,952	31,00,000	29,40,000
29.	भारत का उच्चायोग, ढाका (बंगलादेश)	48,41,173	79,33,932	33,79,562
30.	भारत का राजदूतावास, दोहा (कतर)	27,79,133	31,15,253	31,42,169
31.	भारत का प्रधान कौंसलावास, डरबन (दक्षिण अफ्रीका)	52,75,231	64,38,985	63,31,690
32.	भारत का राजदूतावास, दुशानबे (ताजिकिस्तान)	27,62,400	26,96,100	22,22,600
33.	भारत का उच्चायोग, गैबोरोन (बोत्सवाना)	15,76,642	15,76,642	15,76,642
34.	भारत का प्रधान कौंसलावास, जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड)	1,49,64,463	1,56,98,089	1,49,35,814

1	2	3	4	5
35.	भारत का उच्चायोग, जार्जटाउन (गयाना)	19,43,235	18,98,295	17,11,925
36.	भारत का राजदूतावास, हम्बर्ग (जर्मनी)	29,17,458	28,21,305	24,00,361
37.	भारत का राजदूतावास, हनोई (विएतनाम)	54,39,258	53,13,033	52,86,897
38.	भारत का राजदूतावास, हवाना (क्यूबा)	सूचना की प्रतीक्षा है	सूचना की प्रतीक्षा है	18,63,203
39.	भारत का प्रधान कौंसलावास, एच.सी.एम. सिटी (विएतनाम)	29,00,000	30,00,000	30,00,000
40.	भारत का प्रधान कौंसलावास, हेरात (अफगानिस्तान)	16,89,980	30,77,306	29,19,250
41.	भारत का प्रधान कौंसलावास, हांगकांग (चीन)	54,45,754	52,61,525	56,86,350
42.	भारत का प्रधान कौंसलावास, ह्यूस्टन (अमरीका)	1,06,18,091	1,07,95,508	79,41,213
43.	भारत का प्रधान कौंसलावास, इस्तांबुल (तुर्की)	27,28,200	26,42,500	26,77,200
44.	भारत का प्रधान कौंसलावास, जलालाबाद (अफगानिस्तान)	32,86,338	31,51,488	34,93,522
45.	भारत का प्रधान कौंसलावास, जद्दा (सऊदी अरब)	1,63,248,13	1,40,30,435	1,65,25,759
46.	भारत का राजदूतावास, काबुल (अफगानिस्तान)	54,56,400	52,84,800	53,54,400
47.	भारत का प्रधान कौंसलावास, कंधार (अफगानिस्तान)	50,56,264	68,70,240	69,60,720
48.	भारत का सहायक उच्चायोग, कैंडी (श्रीलंका)	7,47,281	7,23,792	7,13,625
49.	भारत का उच्चायोग, किंगस्टन (जमैका)	19,61,388	11,33,725	13,30,625
50.	भारत का राजदूतावास, किनशासा (कांगो गणराज्य)	अगस्त, 2006 से नया मिशन शुरू किया गया		
51.	भारत का राजदूतावास, कीव (उक्रेन)	44,59,680	43,33,200	42,61,680
52.	भारत का राजदूतावास, लुआन्डा (अंगोला)	30,75,213	29,52,510	29,33,370
53.	भारत का उच्चायोग, माले (मालदीव)	27,80,850	28,91,170	37,25,250
54.	भारत का प्रधान कौंसलावास, माण्डले (म्यामां)	8,73,024	8,45,568	8,56,704
55.	भारत का उच्चायोग, मापुतो (मोजाम्बीक)	14,68,847	12,78,099	13,87,839
56.	भारत का प्रधान कौंसलावास, मजार-ए-शरीफ (अफगानिस्तान)	16,20,000	16,20,000	16,20,000
57.	भारत का प्रधान कौंसलावास, मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया)	सितम्बर, 2006 से नया मिशन शुरू किया गया		
58.	भारत का प्रधान कौंसलावास, मिलान (इटली)	30,50,973	31,20,868	43,97,025
59.	भारत का राजदूतावास, मिंस्क (बेलारूस)	24,39,115	23,62,413	29,05,377

1	2	3	4	5
60.	भारत का सहायक उच्चायोग, मोम्बासा (कीनिया)	2,80,456	2,69,185	2,78,730
61.	भारत का प्रधान कॉंसलावास, म्यूनिख (जर्मनी)	2,49,45,888	2,68,18,620	2,64,76,073
62.	भारत का राजदूतावास, मस्कट (ओमान)	98,52,007	95,96,818	94,77,873
63.	भारत का उच्चायोग, नैरोबी (कीनिया)	23,87,794	24,25,923	26,86,565
64.	भारत का प्रधान कॉंसलावास, ओसाका कोबे (जापान)	76,76,643	79,09,000	76,54,382
65.	भारत का राजदूतावास, पारामारिबो (सूरीनाम)	7,98,999	7,96,567	7,94,764
66.	भारत का राजदूतावास, नामपेन्ह (कम्बोडिया)	84,19,492	90,13,804	90,77,416
67.	भारत का राजदूतावास, थिंपू का संपर्क कार्यालय, फुंटशोलिंग (भूटान में)	2,91,760	3,21,292	3,30,000
68.	भारत का उच्चायोग, पोर्ट लुई (मारीशस)	73,28,165	71,24,425	65,23,840
69.	भारत का उच्चायोग, पोर्ट मोरसबी (पपुआ न्यू गिनी)	24,36,583	27,05,767	9,13,347
70.	भारत का राजदूतावास, प्राग (चेक गणराज्य)	1,29,00,000	1,29,00,000	1,29,00,000
71.	भारत का राजदूतावास, प्योंगयांग (उत्तर कोरिया)	26,36,426	27,40,012	28,58,112
72.	भारत का सहायक उच्चायोग, राजशाही (बंगलादेश)	3,82,569	6,39,665	4,00,243
73.	भारत का प्रतिनिधि कार्यालय, रामल्लाह (फिलीस्तीन)	33,14,880	33,46,560	31,46,400
74.	भारत का राजदूतावास, रोम (इटली)	1,80,62,827	2,20,75,953	2,20,95,525
75.	भारत का राजदूतावास, सान्आ (यमन)	33,40,800	33,46,560	31,46,400
76.	भारत का प्रधान कॉंसलावास, शंघाई (चीन)	77,05,190	73,04,230	76,61,779
77.	भारत का राजदूतावास, सोफिया (बुल्गारिया)	18,50,383	18,06,732	18,11,851
78.	भारत का प्रधान कॉंसलावास, सेंट डेनिस (रियूनियन द्वीप)	20,14,606	22,76,784	22,34,739
79.	भारत का प्रधान कॉंसलावास, सेंट पीटर्सबर्ग (रूसी परिसंघ)			
80.	भारत का उच्चायोग, सुवा (फिजी)	21,19,194	29,37,799	33,94,239
81.	भारत का प्रधान कॉंसलावास, सिडनी (आस्ट्रेलिया)	1,23,98,875	1,37,63,965	1,44,57,998
82.	भारत का राजदूतावास, ताश्कंद (उज्बेकिस्तान)	51,84,125	53,98,518	53,41,958
83.	भारत का राजदूतावास, तेल अवीव (इस्राइल)	72,04,400	79,48,911	82,25,191
84.	भारत का प्रधान कॉंसलावास, टोरंटो (कनाडा)	1,10,36,767	1,01,52,114	1,18,86,538

1	2	3	4	5
85.	भारत का राजदूतावास, त्रिपोली (लीबिया)	12,76,561	12,32,591	11,91,481
86.	भारत का राजदूतावास, उलान बातर (मंगोलिया)	27,46,044	26,90,612	13,74,218
87.	भारत का प्रधान कौंसलावास, वैंकुवर (कनाडा)	65,60,203	66,06,466	72,93,945
88.	भारत का राजदूतावास, विएना (आस्ट्रिया)	30,14,137	26,28,357	25,31720
89.	भारत का राजदूतावास विएतनाम (लाओ जनतांत्रिक गणराज्य)	13,64,100	13,21,200	13,38,600
90.	भारत का प्रधान कौंसलावास, व्लादीवोस्तक (रूसी परिसंघ)	70,24,298	74,61,815	83,51,779
91.	भारत का राजदूतावास, वारसा (पोलैण्ड)	11,58,443	12,57,709	13,25,278
92.	भारत का उच्चायोग, वेलिंगटन (न्यूजीलैण्ड)	31,41,226	31,81,358	35,41,724
93.	भारत का राजदूतावास, येरेवान (आर्मीनिया)	24,96,000	25,56,000	25,15,000
94.	भारत का राजदूतावास, जगरेब (क्रोएशिया)	30,71,473	32,43,996	31,04,903
95.	भारत का कौंसलावास, जहीदान (ईरान)	6,60,586	6,51,840	5,85,156
96.	भारत का प्रधान कौंसलावास, जंजीबार (तंजानिया)	4,09,230	3,96,360	4,01,580
97.	भारत का राजदूतावास, स्टाकहोम (स्वीडन)	1,00,44,890	1,07,04,604	1,06,05,032

*इस मामले पर संपत्तियों के आदान-प्रदान के भाग के तौर पर दोनों सरकारों के बीच चर्चा जारी है।

[हिन्दी]

मिर्गी के मरीज

3135. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में मिर्गी के मरीजों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मिर्गी का उपचार किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) देश में मिर्गी के संबंध में अनेक सर्वेक्षण किए गए हैं। भारतीय अध्ययनों पर आधारित हाल ही में किए गए एक मेटा-एनालिसिस से प्रति 1000 पर 5.59 की आयु मानकीकृत व्याप्तता दर का पता चला। मिर्गी मस्तिष्क का एक विकार है जो मस्तिष्क के न्यूरोन से निकलने वाले अत्यधिक विद्युतीय डिस्चार्ज के कारण होता है जो बाद में मस्तिष्क की चोट, मस्तिष्क के संक्रमणों, फेबराइल सीजर आदि में बदल जाता है। मिर्गी रोगियों की एक बड़ी संख्या में न्यूरोन की अति उत्तेजना के किसी कारण का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अधिकांश रोगियों में मिर्गी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। मिर्गी का नियंत्रण सही निदान, मिर्गी रोधी औषधों की पर्याप्त खुराक और रोगियों द्वारा उसका अनुपालन किए जाने पर निर्भर करता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर बाईपास

3136. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर मऊ में एक बाईपास के निर्माण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) उक्त परियोजना को कब तक शुरू तथा पूरा किया जाएगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) से (घ) मऊ बाइपास राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के इंदौर-खालघाट खंड को 4 लेन का बनाने का एक भाग है जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3क के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर शुरू किया गया है। इस बाइपास का निर्माण कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। इस पैकेज को सितंबर, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

खड़गपुर से रानीगंज तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाना

3137. **श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खड़गपुर से रानीगंज तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेनों वाला बनाने के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह कार्य तय समय सीमा के अनुरूप नहीं चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा विलंब की वजह से कितनी लागत वृद्धि हुई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) खड़गपुर से रानीगंज तक राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर 4 लेन बनाने का कोई कार्य नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-योजना खर्च को नियंत्रित करना

3138. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अपने गैर-योजनागत व्यय को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक मितव्ययिता अभियान की रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का गैर-योजनागत व्यय पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है और विभिन्न केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग और स्वायत्तशासी निकाय इस बारे में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के क्रियान्वयन में विफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ङ) गैर-योजनागत व्यय को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) और (ख) गैर-विकासात्मक व्यय को नियंत्रित करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार 'मितव्ययिता उपायों' पर दिशा-निर्देश जारी करती रही है जिसका आशय सरकार की प्रचालनीय कार्यक्षमता पर रुकावट डाले बिना राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देना है। प्रमुख निर्देशित उपायों में ब्याज अदायगी, ऋण का पुनर्भुगतान, रक्षा पूंजी, वेतन, पेंशन और राज्यों को वित्त आयोग के अनुदानों' को छोड़कर वर्ष 2006-07 के दौरान गैर-योजना व्यय पर 5 प्रतिशत अनिवार्य कटौती करना है। इन उपायों में योजना और गैर-योजना पदों के सृजन पर प्रतिबंध लगाना; अति आवश्यक और अपरिहार्य शासकीय कार्यों एवं विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के लिए विदेश यात्रा पर नियंत्रण करना; संसाधनों के बेहतर उपयोग और सार्वजनिक सेवाओं की सुधरी हुई प्रदायगी को सुनिश्चित करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का वर्द्धित प्रयोग करना; और कार्यान्वयन एजेंसियों को अग्रिम अदायगी करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुमोदित वित्तीय परिव्यय को 10 प्रतिशत तक नियंत्रित करना शामिल है।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार के अधिकांश गैर-योजना व्यय में ब्याज आदायगी, रक्षा व्यय, सब्सिडियां, पुलिस, पेंशन, वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अंतर्गत राज्यों को अनुदान आदि शामिल होते हैं। सरकार का यह सतत प्रयास रहा है कि ऋण अदायगी, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा, जरूरमंदों को सब्सिडियां और वेतनों एवं पेंशनों की अपरिहार्य प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए गैर-योजना व्यय को नियंत्रित रखा जाए। यह विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाने की दृष्टि से किया जाता है। इन मदों को छोड़कर यह देखने में आया है कि गैर-योजना व्यय की अन्य मदों में साधारण सी ही वृद्धि हुई है। सुधार के लिए हमेशा गुंजाइश रहती है और सरकार ध्यानपूर्वक व्यय को मानीटर कर रही है।

[हिन्दी]

ऑस्टियोपोरोसिस रोग के मरीजों की संख्या में वृद्धि

3139. श्री राकेश सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग के मरीजों की संख्या में हो रही वृद्धि का मुख्य कारण बचपन में दूध के स्थान पर शीतल पेय के सेवन के आदत है जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार तम्बाकू और धूम्रपान उत्पादों की तर्ज पर शीतल पेयों के उत्पादों और विज्ञापनों पर चेतावनी लिखने हेतु कंपनियों का बाध्य करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) ऑस्टियोपोरोसिस आयु बीतने के साथ अस्थि घनत्व में कमी होने के कारण होता है। अस्थि घनत्व को प्रभावित करने वाला एक कारण जीवनकाल में कैल्शियम लेने पर निर्भर करता है। इस प्रकार, यदि शारीरिक विकास के दौरान कैल्शियम इन्टेक (दूध एक अच्छा स्रोत है लेकिन कार्बोनेटिड पेयों जैसे शीतल पेय नहीं), की मात्रा कम है तो इससे जीवन के बाद की अवस्था में कमजोर अस्थियों के समनुरूप अस्थि घनत्व में कमी हो सकती है।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भारतीय मिशनों की प्रचार-प्रसार गतिविधियां

3140. श्री वी.के. दुग्मर:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी में स्थित कार्यालयों/मिशनों द्वारा किये जा रहे प्रचार-प्रसार क्रियाकलापों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) उक्त मूल्यांकन के आधार पर उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) विदेशों में अवस्थित विभिन्न कार्यालयों/मिशनों द्वारा शुरू किए गए प्रचार-प्रसार क्रियाकलापों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने अलग से किसी समिति का गठन नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य चिकित्सा प्रैक्टिस

3141. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सरकारी महाविद्यालयों में प्रत्येक एम बी बी एस और एम डी छात्र पर कितनी धनराशि खर्च की जाती है;

(ख) धनराशि का कितना भाग छात्र से प्रभारित किया जाता है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें से कितने डाक्टर विदेश चले गए;

(घ) क्या सरकार का विचार सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से पास करने वाले डाक्टरों के लिए कतिपय अवधि हेतु ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में प्रैक्टिस करने की अनिवार्य शर्त लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) केन्द्र सरकार के पास इस संबंध में कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि सरकार द्वारा स्नातक पूर्व तथा स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों की चिकित्सा शिक्षा पर किए गए व्यय में एकरूपता नहीं होती है और आंकड़े प्रत्येक राज्य तथा संस्थान में अलग-अलग होते हैं।

(ग) केन्द्र सरकार के पास ऐसे विशिष्ट आकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में यह परिकल्पित है कि राज्य सरकार स्नातक की डिग्री प्रदान करने के पूर्व दो वर्षीय अनिवार्य ग्रामीण तैनाती को सख्ती से लागू कर सकती है। कुछ राज्य सरकारों ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले से पूर्व अथवा आरंभिक नियुक्ति के समय ग्रामीण सेवा को पहले ही अनिवार्य कर दिया है।

भारतीय खेलों की स्थिति

3142. श्री गणेश सिंह: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेलों की स्थिति शेष विश्व की तुलना में अच्छी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में खेल संबंधी अवसंरचना और प्रशिक्षण सुविधाओं का अत्यधिक अभाव है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार की खेल संबंधी अवसंरचना तैयार करने के लिए केन्द्रीय सहायता, जो विगत में बंद कर दी गई थी, को पुन: आरंभ करने की योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्र सरकार का विचार मध्य प्रदेश के सतना जिले में खेल प्राधिकरण केन्द्र की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करने का है; और

(छ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ङ) हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों ने हाल ही में कुछेक खेल विधाओं जैसे निशानेबाजी, तीरंदाजी आदि में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है, फिर भी यह सच है कि देश में खेलों के स्तर को पर्याप्त रूप से सुधारने का महत्वपूर्ण कार्य शेष है।

खेल सुविधाओं के सृजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, भारतीय खेल प्राधिकरण ने देश भर में अपने प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये हैं और इन केन्द्रों में अवस्थापना को मजबूत बनाने, विस्तृत करने और अपग्रेड करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

हालांकि खेलों से संबंधित अवस्थापना और उपस्कर आदि के लिए राज्य सरकारों और अन्य संस्थानों और संगठनों को केन्द्रीय सहायता के प्रावधान के लिए बंद हो चुकी 10वीं प्लान योजनाओं को पुन: शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि खेल अवस्थापना और सुविधाओं की कमी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, को ध्यान में रखते हुए, यह मंत्रालय "पंचायत युवा खेल अभियान" प्रारंभ करने पर सक्रियता से विचार कर रहा है जिसका उद्देश्य न केवल युवा विकास और खेल संस्कृति के संवर्धन के एक अखण्ड हिस्से के रूप में बल्कि खेल प्रतिभा का पता लगाने और पोषित करने तथा खेलों में उत्कृष्टता का संवर्धन करनेब के लिए संगठित खेलकूद सुविधाओं तथा ग्रामीण के युवाओं के बड़े वर्ग को इन सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना है। इस संबंध में राज्य सरकारों तथा संबंधित अन्य मंत्रालयों और पणधारियों से विस्तृत विचार-विमर्श हो चुका है।

(च) और (छ) सतना, मध्य प्रदेश में खेल प्राधिकरण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय खेल प्राधिकरण पहले से ही मध्य प्रदेश में धार, भोपाल, टीकमगढ़ और जबलपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र चला रहा है। भोपाल में प्राधिकरण का क्षेत्रीय केन्द्र और उत्कृष्टता केन्द्र स्थित है। भारतीय खेल प्राधिकरण में कोचिंग स्टाफ आदि की भी कमी है और सतना में एक अन्य भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र शुरू करना व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में फेरी-सेवा

3143. श्री एम. शिवन्ना:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र-सरकार को कर्नाटक-सरकार से विभिन्न स्थानों पर सात फेरी-सेवाएं विकसित करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रस्ताव स्वीकृति हेतु केन्द्र-सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) केन्द्र-सरकार द्वारा इस प्रस्तावित परियोजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(च) क्या केन्द्र-सरकार दीव से सूरत और मुंबई के लिए यात्री-फेरी-सेवा की योजना भी बना रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) उक्त सेवा कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(झ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) से (ङ) कर्नाटक की राज्य-सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत संस्वीकृत किए जाने हेतु संलग्न विवरण के अनुसार, सात परियोजनाएं प्रस्तुत की थीं। चूंकि इन परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों में पर्याप्त ब्यौरा नहीं दिया गया था, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण ने उपर्युक्त राज्य-सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। उसके उत्तर में उपर्युक्त राज्य-सरकार ने यह सूचित किया कि वह कर्नाटक-राज्य में अंतर्देशीय जल-परिवहन विकसित किए जाने की प्रौद्योगिकी-आर्थिकी व्यवहार्यता का अध्ययन करवाएंगे और उसके बाद, अध्ययन के आधार पर, अंतर्देशीय जल-पविहन की सात परियोजनाओं से संबंधित विस्तृत-परियोजनाओं-रिपोर्टों सहित उपर्युक्त क्रम में प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करेगी। कर्नाटक की राज्य-सरकार को उपर्युक्त विषयक व्यवहार्यता अध्ययन करवाने हेतु मार्च, 2004 में केन्द्रीय सरकार द्वारा 56.70 लाख रु. की धनराशि संस्वीकृत कर दी गई। कर्नाटक की राज्य-सरकार द्वारा उपर्युक्त विषयक व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर, संशोधित परियोजना-प्रस्ताव अभी प्रस्तुत किए जाने हैं।

(च) से (झ) दीव से सूरत और मुंबई तक एक फेरी-सेवा चलाना आरंभ किए जाने का कोई भी प्रस्ताव इस समय संघ-सरकार के विचाराधीन नहीं है। इन स्थानों के बीच फेरी-सेवा का संचालन, इसकी वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा।

विवरण

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत, कर्नाटक की राज्य सरकार की परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)
1.	काली नदी में कोडीबाग से कादरा के बीच आड़ी-तिरछी नौचालन-सेवा	7.28
2.	पंच गंगावली नदी में नदी तटवर्ती पत्तन गंगोली से अंतर्देशीय जल-परिवहन-सेवा	12.23
3.	गुरपुर और नेत्रावती नदी में मंगलूर के पुराने नदी तटवर्ती पत्तन से अन्य स्थानों के बीच अंतर्देशीय जल-परिवहन-सेवा	6.77
4.	कृष्णा नदी के पार अलमाटी बांध के पश्चजल में अंतर्देशीय जल-परिवहन-सेवा	11.75
5.	कबीनी नदी के पश्चजल भंडार में आनन्दगिरी-बीरमबल्ली के बीच आड़ी-तिरछी अंतर्देशीय जल परिवहन-सेवा	2.91
6.	उदयवर नदी में माल्पे-पत्तन से अन्य स्थानों तक अंतर्देशीय जल-परिवहन-सेवा	7.14
7.	शरवती नदी में होनावर-गेरूसोप्पा के बीच अंतर्देशीय जल-परिवहन-सेवा	10.56
	जोड़	58.64

कैंसर का निदान

3144. **श्री पी. मोहन:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली में कैंसर का स्थायी निदान मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली यथा सिद्ध आयुर्वेद, युनानी, होम्योपैथी आदि में कैंसर के निदान हेतु प्रभावी चिकित्सा उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में ऐसे अस्पतालों की कुल संख्या कितनी है जहां कैंसर के रोगियों के इलाज की व्यवस्था है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) जी, हां। एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली में कैंसर का स्थाई इलाज है। इलाज का प्रभाव कई कारणों पर निर्भर करता है जिनमें कैंसर का प्रकार और कैंसर की अवस्था शामिल है। कैंसर के उपचार के लिए सामान्य क्रियाविधियों में शल्य चिकित्सा, विकिरण चिकित्सा और रसायन चिकित्सा शामिल हैं। कैंसर के इलाज के लिए प्राय: उपरोक्त क्रियाविधियों के मिश्रणों का उपयोग किया जाता है। राज्य सरकार/निजी क्षेत्र द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के अलावा सरकार ने 25 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता प्रदान की है जो कैंसर की व्यापक रूप से पहचान करने और इलाज करने की सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में 210 केन्द्रों में विकिरण चिकित्सा उपचार उपलब्ध है।

तथापि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में कैंसर के इलाज के लिए वैज्ञानिक रूप से परीक्षित कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी में कैंसर के इलाज के लिए कोई विशिष्ट अस्पताल नहीं है।

[हिन्दी]

दिल्ली-हरिद्वार-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम

3145. **डा. राजेश मिश्रा:**
श्री अवतार सिंह भड़ाना

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-हरिद्वार-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी यातायात तथा हाल में हुए मुजफ्फरनगर रेल लाइन पर अवरोध की वजह से घंटों जाम लगा रहता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समस्या के समाधान हेतु हिंडन नदी के निकट मोहन नगर, गाजियाबाद में बाईपास का निर्माण कार्य तय समय सीमा के अनुसार नहीं चल रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) यह परियोजना कब तक पूरी किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग 58 (मुजफ्फरनगर बाइपास) के 114 कि.मी. में एक लेवल क्रासिंग है जिसके कारण रेलवे गेट के बंद रहने के कारण यातायात प्रवाह रोक दिया जाता है। रेल उपरि पुल के निर्माण कार्य का राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के मेरठ-मुजफ्फनगर खंड को 4 लेन का बनाने के कार्यक्षेत्र में प्रावधान किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिंडन नदी के निकट मोहन नगर, गाजियाबाद में निर्माणाधीन कोई बाइपास नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक अधिकारियों/डाक्टरों का त्यागपत्र

3146. **श्री नवीन जिन्दल:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों और स्पोर्ट्स मेडीसिन डाक्टर्स ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया है जैसा कि दिनांक 9 सितम्बर, 2006 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) और देश के राष्ट्रीय खेल केन्द्रों में कार्यरत वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों और स्पोर्ट्स मेडीसिन डाक्टर्स की स्वीकृत/वास्तविक संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने खिलाड़ियों के कार्य-निष्पादन विशेषकर जब दोहा में एशियाई खेल होने हैं, पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार ने इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किये है और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों और स्पोर्ट्स मेडीसिन डाक्टरों की मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (शरीर विज्ञान) और एक वैज्ञानिक अधिकारी (शरीर विज्ञान) व्यक्तिगत कारणों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गये; दो कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों ने (पोषण और शरीर विज्ञान) अन्य रोजगार प्राप्त होने पर इस्तीफा दे दिया और दो कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों (मनोविज्ञानी और शरीर विज्ञान) में हाल ही में व्यक्तिगत कारणों/पारिवारिक समस्याओं के कारण इस्तीफा दे दिया। किसी डाक्टर ने इस्तीफा नहीं किया।

(ग) स्टाफ निरीक्षण एकक (एस.आई.यू.) वित्त मंत्रालय द्वारा किये गए पदों के मूल्यांकन और भा.खे.प्रा. में वैज्ञानिक कैडर की वास्तविक संख्या निम्नानुसार है:

पद	एस.आई.यू. द्वारा निर्धारित संख्या	वास्तविक संख्या
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	07	5
वैज्ञानिक अधिकारी	13	13
जूनियर वैज्ञानिक अधिकारी	25	10

यह संख्या विशिष्ट खेल विधाओं को निर्दिष्ट नहीं करती है।

(घ) और (ङ) दोहा में एशियाई खेलों के संदर्भ में प्रदर्शन पर प्रभाव के विषय में कोई विशिष्ट विश्लेषण नहीं किया गया है। तथापि, इस पूरे विषय का 11वीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी के लिए चल रही कार्यवाही के संदर्भ में गहन समीक्षा की जा रही है।

(च) वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (एस.एस.ओ.) और वैज्ञानिक अधिकारी (एस.ओ.) के पद पदोन्नति द्वारा जिसके लिए कार्रवाई चल रही है, भरे जाने हैं। कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जे.एस.ओ.) का पद सीधा भर्ती पद है और सीधी भर्ती प्रतिबंधित है। इस स्तर पर वैज्ञानिकों के खाली पदों के विरूद्ध ठेके के आधार पर लगाया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराये गए रोजगार के अवसर

3147. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराये गए रोजगार के अवसरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों ने निकट भविष्य में और अधिक रोजगार के अवसरों का अनुमान लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) ईएससी के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए रोजगार के अवसर अनुमानत: नीचे दिए अनुसार है:

2003-04	7,00,000
2004-05	10,50,000
2005-06	12,00,000

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा प्रदत्त रोजगार के अवसरों का राज्यवार रिकॉर्ड ईएससी, एसटीपीआई अथवा नैसकॉम द्वारा नहीं रखा जाता है।

ग्यारहवीं योजना (2007-12) समिति की संस्तुतियों के अनुसार निर्यात के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा प्रदत्त रोजगार के अवसरों की भावी आवश्यकता वित्त वर्ष 2012 तक अनुमानत: 34 लाख (प्रत्यक्ष रोजगार) तथा 95 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार होगी।

[हिन्दी]

गुजरात में डाकघर खोलना

3148. श्री काशीराम राणा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के सूरत शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कोई नए डाक-घर तथा उप-डाकघर खोले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए;

(घ) क्या सरकार नए डाकघर तथा उप-डाकघर खोलने में किन्हीं समस्याओं का सामना कर रही है;

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन समस्याओं का किस प्रकार से समाधान किये जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) गुजरात के सूरत शहर में सचिन जीआईडीसी उप डाकघर दिनांक 1.12.2004 को खोला गया।

(ग) पिछले तीन वर्षों में गुजरात के सूरत शहर में डाकघर खोलने के संबंध में चार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(घ) से (च) डाकघर दूरी, जनसंख्या एवं आय संबंधी मानदण्डों के पूरा होने के आधार पर खोले जाते हैं। कुछ मामलों में उचित किराए के भवन मिलने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भवनों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

श्रीलंका में शांति

3149. श्री एम. अप्पादुरई:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने श्रीलंका में नस्ली मुद्दों के शीघ्र निपटान और शांति कायम करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रीलंका में तमिलों की बार-बार और हाल ही में हत्याओं की घटनाएं हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस मामले को श्रीलंका के प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (च) इस वर्ष के आरंभ से श्रीलंका के सैन्य बलों और एल.टी.टी.ई. के बीच संघर्ष होते रहे हैं जिसके कारण भारी संख्या में असैनिक तमिलों सहित अन्य लोगों की मौत हुई है।

सरकार का मानना है कि श्रीलंका के सभी समुदायों को स्वीकार्य, वार्ता आधारित राजनैतिक समाधान ही जातीय समस्या का एकमात्र समाधान है।

सरकार ने युद्ध विराम को सुदृढ़ करने ओर राजनैतिक विचार-विमर्श को बहाल करने के सभी संभावित प्रयास करने के लिए श्रीलंका की सरकार को जोर देकर कहा है ताकि शांति प्रकिया को आगे बढ़ाया जा सके।

डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना

3150. डा. टोकचोम मैन्या: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान 20 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी होने के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में विशेषज्ञों की भर्ती और स्वास्थ्य प्रदाता प्रणाली के रख-रखाव की आवश्यकता से जुड़े विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के (1) शिक्षण (2) गैर-शिक्षण (3) जन-स्वास्थ्य उप-संवर्गों से जुड़े विशेषज्ञ डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है।

(ग) वर्तमान में सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला के दोहन हेतु नई प्रौद्योगिकी

3151. श्री रनेन बर्मन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में कोयला भंडारों के दोहन हेतु नई प्रौद्योगिकी लागू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है;

(घ) वर्तमान प्रौद्योगिकी की विकसित देशों की संबंधित प्रौद्योगिकी से किस हद तक तुलना की जा सकती है; और

(ङ) देश में विकसित प्रौद्योगिकी कब तक लागू की जाएगी?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ङ) कोयला भंडारों के दोहन के लिए भूमिगत के साथ-साथ ओपनकास्ट कोयला खानों में कायेला कंपनियों द्वारा मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी के उन्नयन की दिशा में निरंतर जोर दिया जा रहा है।

भारत में कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के समय ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, टबों में हाथों से लदान, लकड़ियों से सपोर्टिंग एवं कई रोप होलों द्वारा टबों की ढलाई का प्रयोग करके पारम्परिक बोर्ड तथा पिल्लर पद्धतियों द्वारा भूमिगत (यूजी) कोयला खनन की प्रमुखता थी। उसके बाद साइड डिस्चार्ज लोडरों, लोड हाल डम्परों, बेल्ट कन्वेयर्स, रूफ बोल्टिंग मशीनें आदि को लागू करके धीरे-धीरे सीआईएल की कई भूमिगत खानों को यंत्रीकृत किया गया।

सतत खनिक प्रौद्योगिकी और पावर्ड सपोर्ट लांगवाल प्रौद्योगिकी वैश्विक रूप से स्वीकार्य वृहत उत्पादन प्रौद्योगिकियां हैं। उच्चतर उत्पादन, उत्पादकता और सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए इनका सीआईएल की कुछ खानों में परीक्षण किया गया।

सम्पूर्ण विश्व में ओपनकास्ट कोयला खानों में ड्रेगलाइन और शॉवेल डम्पर प्रचालन सबसे अधिक आम प्रौद्योगिकियां हैं। इस प्रौद्योगिकी को कोल इंडिया लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. की खानों में भी प्रयोग में लाया जा रहा है। उच्चतर क्षमता वाली अर्थ मूविंग मशरीनरी के उपयोग की वैश्विक प्रवृत्ति की तरह सीआईएल ने भी अपनी बड़ी ओपनकास्ट परियोजनाओं में उच्चतर क्षमता वाले उपकरण को लागू करने की योजना बनायी है। इसके अलावा, आवश्यकता के अनुसार कुछ ओपकास्ट खानों में इनपिट कन्वेइंग एवं सतही खनिक प्रौद्योगिकियों को भी शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, कोल बेड मीथेन और कोल माइन मीथेन का उपयोग करना तथा कोयला द्रवीकरण और भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए प्रौद्योगिकियों को लागू करना भी कार्यसूची में है।

[हिन्दी]

रांची में राष्ट्रीय खेल

3152. श्री टेक लाल महतो: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार 24वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन दिसंबर, 2007 में रांची में करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित अवसंरचना विकसित करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनी "मैन हर्ट" द्वारा मेगा खेलकूद परिसर और खेलगांव का विकास करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने और झारखंड ओलंपिक संघ को सौंपे जाने की संभावना है; और

(छ) इस संबंध में आवंटित और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इसमें राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) भारतीय ओलम्पिक संघ ने 34वें राष्ट्रीय खेल झारखंड राज्य को आबंटित किए हैं। तथापि, खेलों की तारीख अभी निश्चित की जानी है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए अवस्थापना राज्य सरकार द्वारा उसके अपने संसाधनों से तथा योजना आयोग से मिलने वाली अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से विकसित की जानी है।

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय खेलों के लिए अवस्थापना परियोजनाओं में मुख्य स्टेडियम, बैडमिंटन/टेबल टेनिस, बास्केटबाल/वालीबाल और जिम्नास्टिक्स के लिए इंडोर स्टेडियम, वेलोड्रोम; निशानेबाजी रैंज; खो-खो/कबड्डी के लिए खेल मैदान, खेलगांव; बिरसा मुंडा स्टेडियम का नवीकरण; तथा एस्ट्रो-टर्फ सहित हाकी स्टेडियम शामिल हैं।

(ङ) मैन हर्ट-एस.एस.ए.-लूबा जेबी मेगा खेल परिसर के लिए परामर्शदाता हैं जिसका निर्माण नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी (एन.सी.सी.), तथा लियांग-सिम्पलैक्स कंपनी द्वारा किया जा रहा है। खेल गांव का विकास एन.सी.सी. तथा एन.यू.आई.एल. द्वारा पी.पी.पी. आधार पर किया जा रहा है।

(च) विभिन्न परियोजनाओं पर निर्माण कार्य सितम्बर, 2007 तक पूरा होने की संभावना है। इसके बाद, ये परियोजनाएं राष्ट्रीय खेलों की आयोजन समिति को सुपुर्द कर दी जाएंगी जिसके अध्यक्ष झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री होंगे और उसमें झारखंड ओलम्पिक संघ के अधिकारी भी शामिल होंगे।

(छ) झारखंड की राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, योजना आयोग ने 2005-06 के दौरान 32.00 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) प्रदान की है और 2006-07 के दौरान 35.00 करोड़ रु. की ए.सी.ए. का आश्वासन दिया है। 2007-08 के लिए, राज्य सरकार ने 200.00 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता मांगी है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेलों के लिए अवस्थापना के निर्माण एवं विकास हेतु अभी तक 207.00 करोड़ रु. आबंटित किए हैं।

[अनुवाद]

रिक्तियां भरने हेतु अनुदेश

3153. श्री रामदास आठवले: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों हेतु सम्बन्धित उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की स्थिति में अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों से कोई रिक्ति न भरने सम्बन्धी अनुदेश जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध संबंधित उम्मीदवारों के न मिलने की स्थिति में अ.जा. और अ.ज.जा. के बीच आपस में रिक्तियों की अदला-बदली हेतु माननीय संसद सदस्यों और अन्य सामाजिक संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी/किए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) इस तरह के अनुदेश जारी किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीवारों द्वारा भरे जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) और (ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित, जनजातियों के संसद सदस्यों के तीन-दिवसीय सम्मेलन के दौरान गठित प्रारूप समिति ने दिसंबर, 1999 में यह सिफारिश की थी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को केवल इन्हीं समुदायों के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना चाहिए और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में उम्मीदवार उपलबध न होने की स्थिति में इन दोनों समुदायों के बीच रिक्तियों/पदों का आदान-प्रदान कर लिया जाना चाहिए।

(च) एक समुदाय के लिए आरक्षित रिक्ति को दूसरे समुदाय के उम्मीदवार द्वारा भर लिए जाने के परिणामस्वरूप, पहला समुदाय अपनी वैध हिस्सेदारी से वंचित हो जाएगा और अत: यह आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत अनुमत्य नहीं है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हिन्दी को शामिल किया जाना

3154. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संगठन की एक आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं का ब्यौरा क्या है और देश-वार कितने लोगों द्वारा ये भाषाएं बोली जा रही हैं; और

(घ) विश्वभर में देश-वार हिन्दी बोलने वाले कितने लोग हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) सरकार, हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए सक्रिय रूप से सभी आवश्यक उपाय कर रही है। इस मामले को देखने और आवश्यक उपाय करने के लिए 26 फरवरी, 2003 को विदेश मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की गयी जिसके बाद अगस्त, 2003 को विदेश राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उप-समिति और सितम्बर, 2003 में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में एक कोर ग्रुप का गठन किया गया। इस दिशा में एक कदम के रूप में संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को आधिकारिक भाषा बनाने के संबंध में भारतीय दृष्टिकोण को रखने के लिए एक पक्ष-समर्थन दस्तावेज तैयार करने का निर्णय लिया गया। पक्ष समर्थन दस्तावेज तैयार कर लिया गया है और उसके प्रारूप की अभी मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जा रही है। हालांकि इसके वित्तीय, प्रक्रियात्मक और कानूनी निहितार्थ हैं। किसी भाषा को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए प्रक्रिया नियमावली के नियम-51 में संशोधन किये जाने हेतु महासभा के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे किसी प्रस्ताव का अनुमोदन महासभा के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा किया जाना होता है जिसमें प्रत्येक सदस्य राज्य का एक मत होता है। अभी संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या 192 है इसलिए वर्तमान प्रस्ताव को 96 सदस्य राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अतिरिक्त किसी भाषा को संयुक्त राष्ट्र की भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के खर्च में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी जिसके कारण प्रत्येक सदस्य राज्य को अपने योगदान की राशि में वृद्धि करनी पड़ेगी। यही कारण है कि अधिकतर सदस्य ऐसे किसी प्रस्ताव का समर्थन करने के प्रति अनिच्छुक रहते हैं।

(ग) संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाएं है-अंग्रेजी फ्रेंच, स्पेनी, रूसी, चीनी और अरबी। संयुक्त राष्ट्र इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या से संबंधित आंकड़ों का न तो सरकारी तौर पर प्रकाशन करता है और न ही रखता है।

(घ) 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में हिन्दी बोलने वाले लोगों की संख्या 337,272,114 है। 2001 की जनगणना के भाषा से संबंधित आंकड़े अभी जारी नहीं किये गये हैं।

हालांकि अनेक देशों में भारतीय मूल के लोगों की विशाल संख्या है परंतु विश्व में हिन्दी बोलने वाले लोगों की सही-सही संख्या उपलब्ध नहीं है।

मध्यान्ह 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(अ) जो 4 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता, और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2006 का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5372/06]

(2) (एक) पूर्ववर्ती-बम्बई डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्ववती-बम्बई डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5373/06]

(3) (एक) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5374/06]

(4) (एक) कांडला पत्तन न्यास, गांधी धाम के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कांडला पत्तन न्यास, गांधी धाम के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5375/06]

(5) (एक) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 2005-2006 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 5376/06]

(6) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापीक्षित लेखे।

(दो) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) न्यू मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 2005-2006 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5377/06]

(ख) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास (पेंशन निधि न्यास) के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुम्बई पत्तन न्यास (पेंशन निधि न्यास) के वर्ष 2005-2006 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5378/06]

(ग) (एक) कोलकाता पत्तन न्यास के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोलकाता पत्तन न्यास के वर्ष 2005-2006 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5374/06]

(घ) (एक) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2005-2006 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5379/06]

(8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन (इसके उपाबंध सहित), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5380/06]

(ख) (एक) 6 दिसम्बर, 2004 से 31 मार्च, 2006 तक की अवधि के लिए सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) 6 दिसम्बर, 2004 से 31 मार्च, 2006 तक की अवधि के लिए सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5381/06]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5382/06]

(घ) (एक) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5383/06]

(9) (एक) नेशनल शिप डिजाइन एण्ड रिसर्च सेंटर, विशाखापट्टनम के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीखित लेखे।

(दो) नेशनल शिप डिजाइन एण्ड रिसर्च सेंटर, विशाखापट्टनम के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5384/06]

(10) (एक) नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5385/06]

(11) (एक) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5386/06]

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5387/06]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 2006 जो 24 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 502 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 2006 जो 24 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 503 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 2006 जो 24 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 504 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 2006 जो 15 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 562 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 2006 जो 15 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 563 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2006 जो 15 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 564 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2006 जो 15 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 565 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2006 जो 15 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 566 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय वन सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 2006 जो 15 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 567 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2005 जो 23 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 722 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 2006 जो 23 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 724 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2006 जो 16 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 706 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2006 जो 16 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 707 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5388/06]

(2) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5389/06]

(3) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5390/06]

(4) (एक) सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5391/06]

(5) केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 की चौथी अनुसूची के विनियम, 2 के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड/स्टेनोग्राफर ग्रेड बी (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) संशोधन विनियम, 2005 जो 23 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 248 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5392/06]

(7) (एक) सिविल सर्विसेज आफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज आफिसर्सस इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5393/06]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5394/06]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (इंडिया), नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (इंडिया), नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5395/06]

(2) (एक) नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5396/06]

(3) निम्नलिखित केन्द्रों के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:-

(एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पटना

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5397/06]

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5398/06]

(तीन) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बड़ौदा

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5399/06]

(चार) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5400/06]

(पांच) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5401/06]

(छह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5402/06]

(सात) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5403/06]

(आठ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गांधी ग्राम

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5404/06]

(नौ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5405/06]

(दस) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गुवाहाटी

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5406/06]

(ग्यारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, धारवाड़

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5407/06]

(बारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, विशाखापट्टनम

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5408/06]

(तेरह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एण्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चंडीगढ़

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5409/06]

(चौदह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, सागर

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5410/06]

(पंद्रह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गोखले इंस्टिट्यूट्स ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनॉमिक्स, पुणे

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5411/06]

(सोलह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, शिमला

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5412/06]

(सत्रह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, तिरूवनंतपुरम

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5413/06]

(अट्ठारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, श्रीनगर

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5414/06]

(4) उपर्युक्त केन्द्रों के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5415/06]

(5) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 2006 जो 20 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 579 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5416/06]

(6) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5417/06]

(7) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (नौवां संशोधन) नियम, 2006 जो 31 अक्टूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 679 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5418/06]

(8) (एक) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5419/06]

(9) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होमियोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होमियोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5420/06]

(10) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय (विद्यमान चिकित्सा महाविद्यालयों की अनुमति) विनियम, 2006 जो 10 अक्टूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या 28-13/2006 आयु. (1) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5421/06]

(11) (एक) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ योग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ योग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5422/06]

(12) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च, इन योगा एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5423/06]

(13) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5424/06]

(14) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी), नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी), नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5425/06]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी-डाट), नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी-डाट), नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5426/06]

(2) (एक) सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5427/06]

(3) (एक) डीओइएसी सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डीओइएसी सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5428/06]

(4) भारतीय तार अधिनियम, 1885, की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2006 जो 17 नवंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 713 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5429/06]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5430/06]

(ख) (एक) टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसलटेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलीकम्यूनिकेशनस कंसलटेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5431/06]

(6) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत ब्रोडबैंड सेवाओं की सेवा गुणवत्ता विनियम, 2006 (2006 का 11) जो 10 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 304-6/2004, क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5432/06]

(7) (एक) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5433/06]

(8) (एक) इआरएनइट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इआरएनइट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5434/06]

(9) (एक) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डेक), नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डेक), नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5435/06]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1700(अ) जो 5 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क के चार लेन वाले भाग का प्रयोग करने के संबंध में सेवाओं अथवा लाभों के लिए शुल्क की दर के बारे में है।

(दो) का.आ. 1745(अ) जो 11 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क और 15 के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1958(अ) जो 14 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सिक्किम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31क (सेवोक-गंगटोक खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर जिला कलेक्टर पूर्व को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(चार) का.आ. 1891(अ) जो 2 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 नवम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का.आ. 1852(अ) जो 27 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (आगरा-भरतपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छह) का.आ. 1318(अ) जो 18 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (मुजफ्फरपुर-पूर्णिया खंड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सात) का.आ. 1255(अ) जो 3 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (तमिलनाडु-केरल सीमा) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(आठ) का. आ. 1222(अ) जो 29 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13, 17 और 48 के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1267(अ) जो 8 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13, 17 और 48 के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(दस) का.आ. 1279(अ) जो 10 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-होसूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 1306(अ) जो 14 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 1211(अ) जो 28 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7(मदुरै-कन्याकुमारी खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 1212(अ) जो 28 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या 51(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का.आ. 1213(अ) जो 28 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खंड) के निर्माण (चौडा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 1240(अ) जो 2 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में तम्बाराम-चेंगलपट्टू खण्ड को सुदृढ़ बनाने सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (चेंगलपट्टू-तिंडिवनम खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 1268(अ) जो 8 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1282(अ) जो 10 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कृष्णागिरी-तोर्गपुर घाट खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अट्ठारह) का.आ. 1551(अ) और का.आ. 1554(अ) जो 15 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो केरल राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (तमिलनाडु-केरल सीमा) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 1944(अ) और 1946(अ) जो 13 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (इंदौर-खालघाट खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौडा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बीस) का.आ. 1953 (अ) जो 14 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (संबलपुर-रायपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 1486(अ) जो 13 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 मई, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 696(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बाईस) का.आ. 1555(अ) जो 15 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 1808(अ) जो 23 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बेलगांव-महाराष्ट्र सीमा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 2000(अ) जो 22 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बंगलौर-नेलमंजला खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 1917(अ) जो 15 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (मेरठ-मुजफ्फरनगर खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 1948(अ) जो 13 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राजय में बाईपासों (झांसी-ललितपुर खंड) के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 1553(अ) जो 15 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (तमिलनाडु-केरल सीमा से त्रिसूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठाईस) का.आ. 1557(अ) जो 15 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 1581(अ) और का.आ. 1583(अ) जो 22 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का.आ. 1590(अ) जो 22 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (मदुरावोयल से कोयम्बेडु जंक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने तथा जंक्शन सुधार/निर्बाध आवागमन सुविधाएं उपलब्ध कराने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे मे है।

(इकतीस) का.आ. 1623(अ) जो 28 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 के निर्माण (चौड़ा करने) और सुधार के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु जिला राजस्व अधिकारी, तिरूचिरापल्ली को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 1624(अ) जो 28 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 के निर्माण (चौड़ा करने) और सुधार के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु जिला राजस्व अधिकारी, कुलीथलाई को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(तेतीस) का.आ. 1625(अ) जो 28 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 के निर्माण (चौड़ा करने) और सुधार के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु जिला राजस्व अधिकारी, करूर सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(चौंतीस) का.आ. 1651(अ) जो 3 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 1652(अ) जो 4 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नागपुर-धुले खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 1694(अ) जो 4 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 मई, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 715(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैंतीस) का.आ. 1850(अ) जो 27 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर मदुरावयाल बाईपास से कोयम्बेडु जंक्शन तक सड़क को चौड़ा करने के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 1947(अ) जो 13 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में बाईपासों सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-झांसी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 2043(अ) जो 29 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76(चित्तौड़गढ़-कोटा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

(चालीस) का.आ. 1558(अ) जो 15 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. 1732(अ) जो 9 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलोर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि),

अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 1793(अ) जो 13 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलोर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैतालीस) का.आ. 1806(अ) जो 20 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (नंदीगामा-इब्राहिमपत्तन खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौवालीस) का.आ. 1952(अ) जो 14 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5क (चंडीखोल-पारादीप खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 1945(अ) जो 13 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (घुबरी-भुबाना खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियालीस) का.आ. 1500(अ) जो 14 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 अक्टूबर, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1118(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैंतालीस) का.आ. 1501(अ) जो 14 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57(मुजफ्फरपुर-पूर्णिया खंड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (सात से सत्रह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5436/06]

(3) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय मोटर वाहन (अमृतसर और ननकाना साहिब के बीच बस सेवा का विनियमन) नियम, 2006 जो 25 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 506(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5437/06]

(4) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1872(अ) जो 31 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 228 के दांडी हेरिटेज रूट को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5438/06]

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार ट्रेनिंग आफ हाइवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार ट्रेनिंग आफ हाइवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5439/06]

(6) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2006 जो 12 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 631(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5440/06]

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वी राज चव्हाण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिंहभूम के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिंहभूम का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5441/06]

(ख) (एक) इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5442/06]

(ग) (एक) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5443/06]

(घ) (एक) अंतरिक्ष कारपोरेशन, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंतरिक्ष कारपोरेशन, बंगलौर का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5444/06]

(ङ) (एक) सेमीकंडक्टर कॉम्पलेक्स लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सेमीकंडक्टर कॉम्पलेक्स लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5445/06]

(2) (एक) फिजीकल रिसर्च लैबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिजीकल रिसर्च लैबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5446/06]

(3) (एक) नार्थ ईस्टर्न स्पेस अप्लीकेशंस सेन्टर, शिलांग के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस अप्लीकेशंस सेन्टर, शिलांग के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5447/06]

(4) (एक) नेशनल एटमोस्फेरिक रिसर्च लैबोरेटरी, गडंकी के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एटमोस्फेरिक रिसर्च लैबोरेटरी, गडंकी का वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5448/06]

(5) (एक) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5449/06]

अपराह्न 12.01 बजे

सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 12 दिसम्बर 2006 को सभा में प्रस्तुत किये गये अपने सातवा प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके प्रत्येक के नाम के समक्ष दर्शायी गयी अवधि हेतु सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये।

1.	श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव	16.2.2006 से 22.3.2006 और 3.4.2006 से 26.4.2006
2.	डा. मोहम्मद शहाबुद्दीन	16.3.2006 से 22.3.2006 10.5.2006 से 23.5.2006 24.7.2006 से 25.8.2006 और 22.11.2006 से 27.11.2006
3.	स्वर्गीय श्री बोंडापल्ली पैडीयल्ली नायडु	24.7.2006 से 18.8.2006 सदस्य का निधन हो चुका है-अनुपस्थिति माफ की गई
4.	श्री ए.के. मूर्ति	24.7.2006 से 25.8.2006
5.	श्री स्वदेश चक्रवर्ती	1.8.2000 से 25.8.2000

क्या सभा की अनुमति है कि अनुपस्थिति की अनुमति जिसकी समिति द्वारा सिफारिश की गई है दी जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

अध्यक्ष महोदय: अनुपस्थिति की अनुमति दी जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

अपराह्न 12.01½ बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

13वां और 14वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का तेरहवां और चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

19वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): मैं वस्त्र मंत्रालय की "वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों" के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

की गई कार्यवाही संबंधी विवरण

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग तथा उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति की नौवीं की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम कार्यवाही।

उपभोक्ता मामले विभाग

(2) नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन (1992-1993) के बारे में खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी

स्थायी समिति की आठवीं की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम कार्यवाही।

(3) नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1994-95) के बारे में खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति की नौवीं की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम कार्यवाही।

(4) नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995-96) के बारे में खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति की 14वीं की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम कार्यवाही।

(5) नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) के बारे में खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति की चौथी की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम कार्यवाही।

(6) "खाद्य तेल" के बारे में खाद्य नागरिक पूर्ति, और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति की आठवीं की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्यवाही।

(7) खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1997-98) से संबंधित खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति की दसवीं की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्यवाही।

(8) उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति की आठवीं की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्यवाही।

अध्यक्ष महोदय: मद सं. 14, श्री निखिल कुमार।

अपराह्न 12.03 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

(एक) की गई कार्यवाही संबंधी विवरण

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद बिहार): अध्यक्ष महोदय मैं समिति के 31वें, 58वें, 59वें और 64वें प्रतिवेदनों (तेरहवीं लोकसभा) और 5वें से 9वें, 14वें और 23वें से 27वें प्रतिवेदनों (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने मद सं. 15 रखी है। आपको मद सं. 14 रखनी है। आप इसे देखें। आपको 35वां और 36वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखना है।

श्री निखिल कुमार: मैं इसे पढ़ चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपने मद सं. 15 पढ़ा है।

ठीक है, यह क्या है, हम इसे देखेंगे यदि यह नहीं किया जाता है। आपके नाम से दो मामले हैं।

(दो) 35वां और 36वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री निखिल कुमार: मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2006-2007) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(एक) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'नियत सेवा प्रदाताओं के लिए डब्ल्यू एल एल के माध्यम से समिति मोबिलिटी' के बारे में समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी पैंतीसवां प्रतिवेदन।

(दो) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'स्पेक्ट्रम प्रबंधन' के बारे में समिति के अठाइसवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी छत्तीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

(एक) 122वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री सचिन पायलट (दौसा): महोदय, मैं साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005 के बारे में गृह कार्य सम्बन्धी स्थायी समिति के 122वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) साक्ष्य

[अनुवाद]

श्री सचिन पायलट: महोदय, मैं सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी):** महोदय, श्री वायालार रवि की ओर से मैं, विदेश मंत्रालय संबंधी ससंद की स्थायी समिति की दसवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देशों के निर्देश 73क के अंतर्गत वक्तव्य दे रहा हूं।

विदेश मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति ने प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अनुदान मांगों पर वर्ष 2006-07 के लिए 18 मई 2006 को अपनी दसवीं रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की थी। समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट समिति को अगस्त में भेज दी गई थी।

तथापि, दसवीं रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन की यथा अपेक्षित वर्तमान स्थिति संलग्न अनुबंध में दी गई है जिसे सदन के सभा पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य यह देखेंगे कि मंत्रालय ने सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उनपर कार्रवाई की है। मुझे आशा है कि वे मेरे मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट होंगे।

अपराह्न 12.07 बजे

(दो) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) पर की गई कार्यवाही के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 120वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति।

[अनुवाद]

***पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** महोदय।

मैं यह वक्तव्य माननीय अध्यक्ष, लोक-सभा द्वारा 73क में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसरण में गृह मंत्रालय की विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 120वीं रिपोर्ट में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों (2006-07) के संबंध में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में दे रहा हूं।

गृह मंत्रालय की स्थायी समिति (उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित) ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की वर्ष 2006-07 के लिए अनुदान मांगों की जांच की और इस संबंध में अपनी 120वीं रिपोर्ट 19/5/06 को प्रस्तुत की।

समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों/अवलोकनों के संबंध में की गई कार्रवाई के ब्यौरे गृह मंत्रालय की स्थायी समिति को 17/8/06 को भेज दिए गए थे।

समिति द्वारा उक्त रिपोर्ट में ऐसी 13 सिफारिशें की गई हैं जिनमें सरकार की तरफ से कार्रवाई अपेक्षित है। ये सिफारिशें मुख्य रूप से विकासात्मक परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एन एल सी पी आर) के अंतर्गत उपलब्ध निधियों के उपयोग, कुछ मंत्रालयों को एन एल सी पी आर

---

*(ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5451/06)

समग्र निधि में योगदान के लिए दी गई छूट की समीक्षा करने, राज्य सरकारों को सहायता के लिए मंत्रालय के बजट में 10 प्रतिशत ऋण भाग की पुनर्बहाली के लिए, एन ई सी की चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निधियों, परियोजनाओं की गुणवत्ता और त्वरित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने, क्षमता निर्माण के लिए उच्चतर आबंटन सहित और परियोजनाएं आरंभ करने, एन ई आर के कौशल विकास और प्रदर्शन, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के अध्ययन को शीघ्र निपटाने, राष्ट्रीय स्तर के खेल विद्यालय की स्थापना के प्रावधान के लिए, फैशल प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रावधान, एक संस्थान, लीलाबाड़ी में एक पायलट प्रशिक्षण संस्थान और उन्हें "विजन दस्तावेज-2020" में शामिल करने और अरुणाचल प्रदेश में तेजू, और पासीघाट में हवाई अड्डा स्थापित करने और त्वांग रोपवे की परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन, प्रत्येक एन ई राज्य में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए निधियां उपलब्ध कराने आदि से संबंधित है।

समिति की विभिन्न सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति को मेरे द्वारा सदन के पटल पर रखे गए ब्यौरे के अनुबंध में दर्शाया गया है। मैं इस अनुबंध के सारे विषयवस्तु को पढ़कर सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा गया समझा जाए।

अपराह्न 12.08 बजे

(तीन) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-05 और 2005-06) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः पहले और पांचवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वय की स्थिति।

[अनुवाद]

***कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी):** महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं:-

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री सुरेश पचौरी: महोदय, मैं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की (2004-05) और (2005-06) की अनुदानों की मांगों के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के पहले और पांचवे प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

महोदय, कार्मिक, लोक शिकायत विधि और न्याय मंत्रालय की स्थायी समिति के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की वर्ष 2004-2005 की अनुदान मांगों संबंधी अपनी प्रथम रिपोर्ट में 25 सिफारिशें की थीं। मैंने दिनांक 17.3.2006 को इस माननीय सदन को यह सूचित किया था कि इसकी प्रथम रिपोर्ट में की गई 25 सिफारिशों में से 18 सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित कर दी गई हैं अथवा उनके संबंध में कोई और कार्रवाई की जानी बाकी नहीं है। शेष 07 सिफारिशों के संबंध में, मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर 02 विवरण रखता हूं जो इन सिफारिशों की दिनांक 30.6.2006 की स्थिति को दर्शाता है। विवरण संख्या 1 इनमें से एक सिफारिश की स्थिति को दर्शाता है जिसे कार्यान्वित कर दिया गया है। विवरण 02, शेष 06 सिफारिशों की स्थिति दर्शाता है जो इस समय कार्यान्वयन के स्तर पर हैं। समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म रूप से मॉनीटरिंग की जा रही है।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं आगे यह भी बताता हूं कि कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय मंत्रालय की स्थायी समिति ने कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की वर्ष 2005-06 की अनुदान मांगों संबंधी अपनी 5वीं रिपोर्ट में 32 सिफारिशें की थीं। मैंने दिनांक 17.3.2006 को इस माननीय सदन को यह सूचित किया था कि इनमें से 20 सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित कर दी गई है अथवा उनके संबंध में कोई और कार्रवाई की जानी बाकी नहीं है। शेष सिफारिशों के संबंध में आपकी अनुमति से मैं सदन के पटल पर दो और विवरण रखता हूं अर्थात विवरण संख्या 03 और विवरण संख्या 04 जो शेष सिफारिशों की दिनांक 30.6.2006 की स्थिति को दर्शाता है। विवरण संख्या 03, 08 सिफारिशों और पैरा 2.23 में उल्लिखित सिफारिशों के 02 शेष हिस्सों को दर्शाता है जो या तो कार्यान्वित की जा चुकी है अथवा जिनमें कोई कार्रवाई की जानी बाकी नहीं है। विवरण 04, शेष 04 सिफारिशों की स्थिति दर्शाता है जो कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। समिति की इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की कार्मिक, लोक शिकायता तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म रूप से मॉनीटरिंग की जा रही है।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5452/06

अपराह्न 12.10 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

अरुणाचल प्रदेश के संबंध में भारत-चीन सीमा मुद्दे पर चीन के राजदूत द्वारा की गई कथित टिप्पणियों के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर आते हैं।

विपक्ष के तत्कालीन माननीय नेता।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों को याद होगा कि संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले और चीनी राष्ट्रपति के भारत आगमन की पूर्व संख्या पर भारत में चीन के राजदूत ने अरुणाचल प्रदेश के बारे में बयान दिया जिससे पूरे देश को चकित कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि: "हम मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश चीन का भाग हैं। और तब उस बयान के संदर्भ में सदन में भी उसका उल्लेख किया गया था और सरकार ने साफ-साफ कहा था विदेश मंत्री ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न भाग है; यह अपृथकरणीय क्षेत्र है।

अभी, दो दिन पहले, राजदूत चंडीगढ़ गए थे और चंडीगढ़ में यूनिटी इंटरनेशनलज आर्गेनाइजेशन द्वारा उनके सम्मान में रात्रिभोज आयोजित किया गया। उस रात्रिभोज में उन्होंने कहा कि भारत और चीन अरुणाचल प्रदेश के बारे में सक्रिय रूप से वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने कहा अरुणाचल के भाग।

अब, मुझे जानकारी है कि सीमा के संदर्भ में एक व्यवस्थित जांच की जा रही है। हम सीमा संबंधी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जिस पर एक प्रकार से कई वर्षों से भारत-चीन के बीच हुई बातचीत के दौरान कोई चर्चा नहीं की गई। परंतु यह कहना कि 'अरुणाचल के भाग', और भारत और चीन के बीच उन पर सक्रिय रूप से बातचीत की जा रही है, पहले के बयान से भी ज्यादा खराब है। क्योंकि इस बयान में हम भी शामिल हैं।

अत:, यह पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उन मुद्दों पर बातचीत का कोई प्रश्न ही नहीं है जिन पर संविधान में स्पष्ट उल्लेख है; मेरा मानना है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग चीनी राजदूत द्वारा यहां दिए गए वक्तव्य पर बहुत निराश और परेशान होंगे। अत: एक बार फिर मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में न केवल स्पष्ट बयान दे अपितु राजदूत को बुलाए और उन्हें बताए कि इस संबंध में इस तरह का दूसरा बयान है, जो किसी भी राजदूत या राजनयिक ने किसी देश के संविधान के बारे में कभी नहीं दिया जैसा कि उन्होंने कहा। ऐसे मामलों के संदर्भ में, जबकि सीमा के बारे में दो देशों में समझौते के अनुसार वार्ता जारी है, किसी राजदूत ने इस तरह से वार्ता का जिक्र नहीं किया। अत:, दो बातें की जानी चाहिए। सर्वप्रथम, अरुणाचल के लोगों को पुन: आश्वासन दिया जाना चाहिए कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है और इस सम्बन्ध में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए; दूसरे भारत में चीन के राजदूत श्री सुन युक्सी को विदेश मंत्रालय द्वारा बुलाकर यहां बताया जाए कि इस माह में यह दूसरा बयान है जिस पर भारत सरकार को गंभीर आपत्ति है। ...*(व्यवधान)*

श्री किरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिमी): महोदय, कृपया मुझे भी इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके नेता पहले ही बोल चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, सरकार को जबाव देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हां, माननीय मंत्री जी जबाव दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: त्रिपाठी जी, मुझे सूचना मिली है कि वह जबाव देने वाले हैं।

हां, मंत्री महोदय।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने विपक्ष के माननीय नेता का नाम पुकारा था और वे पहले ही बोल चुके है। आप स्वयं को उनसे सम्बद्ध कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अरुणाचल प्रदेश के माननीय सदस्य भी सम्बद्ध किए जा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री किरेन रिजीजू और श्री तापिर गाव के नाम इस मुद्दे पर सम्बद्ध किए जाते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप अरुणाचल की मदद नहीं कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डा. अरुण कुमार शर्मा और श्री सर्वानन्द सोनोवाल के नाम भी इस मुद्दे पर सम्बद्ध किए जाएंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: खेद है, श्री रिजीजू। आपके नेता द्वारा उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर दिया गया है। अब हमें, माननीय मंत्री जी को सुनना चाहिए।

...(व्यवधान)

विदेशी मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, केवल कुछ ही दिन पहले हमने इस विशेष मुद्दे पर चर्चा की थी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों विपक्ष के माननीय नेता ने सही ढंग से यह मुद्दा उठाया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। कृपया इस प्रशंसा को बेकार न करें।

...(व्यवधान)

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, यह क्या है? हर बार, जब कोई बोल रहा होता है, तो बीच में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। यह क्या है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, यह उचित नहीं है। माननीय मंत्री जी की बात सुनें।

श्री प्रणब मुखर्जी: मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप जारी रख सकते है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत अनुचित है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया सहयोग कीजिए आपके नाम संबद्ध कर दिये जायेंगे। हमने विपक्ष के माननीय नेता की बात सुनी है। वे आपकी पार्टी के नेता हैं। अब माननीय विदेशी मंत्री की बात सुनते हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय कुछ दिन पहले हमने इस विशेष मुद्दे पर चर्चा की थी। विपक्ष के माननीय नेता के यह मुद्दा उठाया था और मैंने स्थिति स्पष्ट की थी।

शीतकालीन सत्र शुरू होने के काफी पहले जब चीन के राजदूत ने यह मुद्दा उठाया तो मैंने जबाव दिया और स्पष्ट किया कि अरुणाचल, भारत का अभिन्न अंग है। इस सभा और दूसरी सभा में अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व है। एक समय केन्द्रीय मंत्रि परिषद् में अरुणाचल से एक मंत्री भी थे।

अत: वह प्रश्न वाद-विवाद का नहीं है। लेकिन यह भी सच है और मैंने उदाहरण भी दिया है कि समय-समय पर चीन इस मुद्दे को उठाता रहा है। पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जून-जुलाई 2003 में यात्रा के दौरान भी यह मुद्दा उठाया गया था। इस समय चीन के राजदूत और उस समय चीन के विदेश मंत्रालय में विदेश विभाग के प्रवक्ता ने यह मुद्दा उठाया था। ऐसा इसलिये है क्योंकि उन्होंने तिब्बत को अरुणाचल से विभक्त करने वाली मैकमोहन रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया। अत: यह मामला काफी स्पष्ट है।

विपक्ष के नेता जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं, उस बारे में यह सच है कि जब आप सीमा के मुद्दे पर चर्चा करते हैं, सीमा, आकाश में नहीं होती, जमीन पर होती है और यह संबंधित देशों के कुछ हिस्सों से संबंधित होती है। लेकिन यह स्वीकार्य है या नहीं, इस पर प्रधानमंत्रियों द्वारा नियुक्त दो विशेष प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा की जा रही है। सभा के सूचनार्थ में बताना चाहता हूं कि तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2003 में चीन की यात्रा के दौरान इस तंत्र के संबंध में पहल की थी। उनके द्वारा विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि के रूप में की गई थी और चीन के प्रधानमंत्री ने भी विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति की थी। वे नियमित चर्चायें कर रहे हैं और चर्चा के दौरान कई प्रस्ताव आये। सरकार के अधिकृत प्रतिनिधि चर्चा करते है। लेकिन जब तक इन चीजों पर पूरी तरह सहमति नहीं बन जाती कोई उसे प्रकट नहीं करता। मुझे नहीं पता चीन के राजदूत ने यह बात प्रकट क्यों की। सामान्यत: ऐसा नहीं होता। निश्चित तौर पर इस मामले को केवल इसी स्तर पर नहीं अपितु मिशन स्तर पर भी उठाया जायेगा।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

एक अन्य मुद्दा है। विपक्ष के नेता ने यह बात कही है, यदि किसी अन्य ने कहा होता तो शायद मैं अनदेखी कर देता। अध्यक्ष महोदय यदि बात यह होती कि देश का अभिन्न भाग घोषित कर दिये जाने के बाद मामले पर चर्चा की आवश्यकता नहीं होती तो जम्मू कश्मीर पर भी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस सभा ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग घोषित करने का संकल्प पारित किया है। हमने प्रस्ताव पारित किया है कि अरुणाचल, भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन साथ ही पूरी तरह जानते हुए कि वर्ष 2003 में जब सीमा मुद्दे पर चर्चा के लिये विशेष प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई–और मैं फिर दोहरा रहा हूं–सीमा जमीन पर होती है, आकाश में नहीं जब आप अंतत: समाधान पर पहुंचते हैं तो कुछ समायोजन करना पड़ेगा। यह जम्मू कश्मीर पर लागू है जो समग्र वार्ता का आठवां बिन्दु है, पिछली सरकार ने ही इस मुद्दे का चयन किया था।

अत: इन मुद्दों पर ज्यादा उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। ये संस्थागत तंत्र हैं जिनकी स्थापना की गई है और इन संस्थागत तंत्रों को काम करने दीजिए और मैं यह आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे को बार-बार न उठाया जाये। यदि किसी देश के प्रतिनिधि कुछ कहते हैं तो मामला उचित स्तर पर उठाया जायेगा और सभा को उत्तेजित नहीं होना चाहिये।

विपक्ष के नेता को उन तथ्यों की पूरी जानकारी है। वे सरकार में थे और उन्हें पता है कि ऐसे मामलों में नियत समय पर उचित स्तर पर समुचित कदम उठाये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय: इस पर अब वाद-विवाद नहीं हो सकता।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय मुझे डर है कि विदेश मंत्री के बयान से यह मामला और संवेदनशील बन गया है। मुझे उनसे कश्मीर मुद्दे को बीच में लाने की उम्मीद नहीं थी। यदि कोई व्यक्ति या पाकिस्तानी रजनयिक कहता है कि जम्मू-कश्मीर पर समझौता हो सकता है तो मुझे यकीन है कि भारत-सरकार स्वयं इसका विरोध करेगी। लेकिन यहां एक राजनयिक कह रहा है कि इस मुद्दे पर समझौता हो रहा है, उसने यह नहीं कहा है कि इस पर समझौता हो सकता है या नहीं। मंत्री के बयान से स्पष्ट है कि आप यह नहीं कह सकते कि इस पर समझौता नहीं हो सकता। मुझे खेद है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा है कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने केवल उपयुक्तता का मुद्दा उठाया था।

मैंने यह मुद्दा उठाया था कि क्या किसी राजनयिक का यह कहना उचित है और वह भी तब जब हम इस संबंध में संस्थागत व्यवस्था हो। मुझे पता है कि चीन के विशेष प्रतिनिधि और भारत के विशेष प्रतिनिधि सीमा मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। क्या राजनयिक के लिये यह कहना उचित है कि हम सक्रिय रूप से अरुणाचल प्रदेश पर समझौता कर रहे हैं या अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर समझौता हो सकता है? इसका सीधा सा उत्तर यह है कि यह अनुचित है और इसलिए उपयुक्त कदम उठाये जाने चाहिए। उसकी बजाय स्वयं माननीय मंत्री जी का सुझाव है कि अरुणाचल प्रदेश पर समझौता हो सकता है।

मुझे विश्वास है कि इस बयान ...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी: मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आप अपने शब्द मुझ पर थोप रहे हैं। आपने जो सूचना दी है, उसे देखें।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से सभा के सभी वर्गों ने स्पष्ट कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सभी ने यही कहा है। वे पहले ही यह कह चुके हैं। आप सही हैं। वे सही हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस पर और वाद-विवाद न कीजिए। अब श्री गिरधारी लाल भार्गव भाषण देंगे। मुझे खेद है। अब और अनुमति नहीं दी जा सकती।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने अनुरोध किया है। उन्हें जाना है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या बोल रहे हैं? कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न कीजिए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: जबाव मत दीजिए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री त्रिपाठी अभी जो कुछ मैंने कहा है, उसके बाद यह ठीक नहीं है। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। पिछली बार उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बात कही है और इस बार भी कि इस बारे में सवाल उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसे मत उठाइये। विपक्ष के माननीय नेता ने यह बात कही है। मैंने अध्यक्ष पीठ से यह बात कही है। कृपया सहयोग कीजिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव:

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न कीजिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? कृपया बैठ जाइये। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। मैंने आपकी पार्टी के एक सदस्य को भाषण देने के लिये कहा है। श्री गिरधारी लाल भार्गव, आप बोलने के लिये खड़े होंगे या नहीं। आप खड़े नहीं होंगे तो अपना मौका गवां देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ और कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अब आप क्या कर रहे हैं? मुझे बहुत खेद है। मैं आपके नेता से अपील करूंगा। नेतागण यहां देखें कि वे हस्तक्षेप न करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप नहीं चाहते हैं कि सभा का काम चलता रहे, ठीक है, अगर आप नहीं चाहते कि सभा की कार्यवाही चले, तो सभी माननीय सदस्य बोलने का अवसर नहीं पा सकेंगे। अब, यह माननीय सदस्यों को निर्णय करना है। कई अविलम्बनीय मुद्दे हैं। मैं उनको अवसर देना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रणब मुखर्जी: यदि कुछ सदस्य सभा में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, तो इस संबंध में अध्यक्ष महोदय और उनके नेताओं को निर्णय करना है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री गिरधारी लाल भार्गव के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। आप बोलिए।

*...(व्यवधान)**

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): महोदय, माननीय मंत्री जो कह रहे हैं वह ठीक नहीं है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे यह कहते हुए खेद है कि मैं सभा को स्थगित कर दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अगर माननीय सदस्यों का आचरण इस प्रकार का होता है, तो मुझे अफसोस है। माननीय सदस्य श्री तापिर गाव, मैं आपसे बार-बार अपनी सीट पर जाने का अनुरोध कर रहा हूं।

श्री तापिर गाव: महोदय, हमें आपके संरक्षण की आवश्यकता है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: संरक्षण दिया जा चुका है। जिस पर आपके नेता ने कवर किया है, उसका पूरा उत्तर है। माननीय मंत्री उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने उत्तर दे दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, कृपया उनकी बात सुनें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, तो आप चाहते हैं कि सभा की कार्यवाही न चले।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा। मैंने यह स्पष्ट कर दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री गिरधारी लाल भार्गव, आप बोलेंगे या मैं अगले सदस्य को बुलाऊं?

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, मैंने एक सूचना दी है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, आप अपनी सीट पर जाएं। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि सभा में क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री तापिर गाव: महोदय, हमें संरक्षण की आवश्यकता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री तापिर गाव, आप मुझे सख्त कार्यवाही करने के लिए मजबूर न करें। यह अध्यक्षपीठ की सोच-समझ कर की गई अवज्ञा है। आप जानबूझ कर अध्यक्षपीठ की अवज्ञा कर रहे हैं। यह विशेषाधिकार का हनन है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अति उत्साही हो रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अनंत कुमार: महोदय, वे क्या कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसको स्वीकृति किसने दी? मुझे बताएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जिसने भी किया है अत्यंत निन्दनीय है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह अत्यंत निन्दनीय है। मैं उस तरह के व्यवहार की पुरजोर निन्दा करता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, वे अरुणाचल प्रदेश से सदस्य है। उनकी बात सुन ली जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह मत कहिए कि मैं यह नहीं करता। मुझे मत बताइए कि कैसे नियंत्रण करना है। बहुत हो गया।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: जैसा मैं डांटता हूं, इस तरह से पहले किसी ने नहीं डांटा होगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): मान्यवर, मैं आपकी मदद और संरक्षण चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: संरक्षण के लिए आप मुझे नहीं, अपने दोस्त को बोलिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मान्यवर, राजस्थान के दक्षिणी-पश्चिमी भाग के 12 जिलों में व्यापक बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है। इन 12 जिलों में धनहानि, पशुहानि, कृषि फसलों एवं अन्य सम्पत्तियों के नुकसान के संदर्भ में उपयुक्त राशि उपलब्ध कराने की मांग बार-बार राजस्थान सरकार ने की है। इस राशि में से 2409 करोड़ रुपए की राशि एनसीसीएफ से और 874.52 करोड़ रुपए की राशि विशेष पैकेज के रूप में बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए मांगी गयी है। परंतु केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय

अध्ययन दल द्वारा अध्ययन किए जाने के बाद भी मांगी गयी राशि उपलबध नहीं कराई है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान के उन 12 जिलों के लोग आज बहुत ही दुखी और व्यथित हैं, पानी निकालने की कोशिश राज्य सरकार ने की है, लेकिन वहां खानें होने की वजह से राज्य सरकार को इसमें सफलता नहीं मिली है। मेरी यह मांग है कि राजस्थान को विशेष पैकेज के रूप में यह राशि शीघ्र उपलब्ध कराई जाए क्योंकि यह धनराशि उपलब्ध न कराना, एक प्रकार से नैतिक नहीं होगा। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि एक स्पेशल पैकेज के रूप में राजस्थान को वह धनराशि दी जाए।

महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): महोदय, मैं इस विषय के साथ एसोसिएट करती हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप लोग नियम जानते हैं, जिन माननीय सदस्यों को एशोशियट करना है, वे अपने नाम भेज दीजिए।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने गिरधारी लाल भार्गव जी द्वारा उठाई गयी मांग के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया है: श्री राम स्वरूप कोली, श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रो. रासा सिंह रावत, श्री दुष्यंत सिंह, श्री महावीर भगोरा, श्री राम सिंह कास्वां।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं लगता कि माननीय सदस्य काम करने के मूड़ में हैं।

...(व्यवधान)

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर चिंताजनक महत्वपूर्ण मामले को उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। देश में मीडिया उद्योग जिसमें समाचार-पत्र, पत्रिकाऐं, समाचार एजेंसियां और सैटेलाइट टी वी चैनल शामिल है, प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं *...(व्यवधान)* तथापि, प्रिंट मीडिया और समाचार एजेंसियों के पत्रकार और गैर-पत्रकार कर्मचारियों और देश के बड़े भागों में टी वी चैनलों में कार्यरत कर्मचारियों को व्यावसायिक क्षेत्र में नई चुनौतियों जीवन यापन की लागत में विविधीकरण और सर्वत्र वृद्धि के कारण बढ़े हुए कार्यभार के अनुरूप वेतन और सेवाशर्तों से वंचित रखा जा रहा है।

समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों में पत्रकार और गैर-पत्रकार कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तें श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1995 द्वारा शासित होती है। इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत, भारत सरकार के लिए समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के कार्यबल के वेतन में संशोधन के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में वेतन बोर्ड का गठन करना अनिवार्य है...*(व्यवधान)*

चूंकि टी वी उद्योग में पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के लिए ऐसा कोई विधिक कवच नहीं है, अत: मीडिया उद्योग में कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा प्रबंधन के रहमोकरम पर है, जिसको उन पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के हितों की अपेक्षा अपने लाभ बढ़ाने की चिंता अधिक है, जो रात-दिन काम करके उनके लिए लाभ अर्जित करना संभव बनाते हैं। भारत सरकार ने पत्रकार और गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए 1993 में पिछले वेतन बोर्ड का गठन किया था...*(व्यवधान)* इसकी सिफारिशों को 2001 में लागू किया गया था।

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

डा. के.एस. मनोज: जी हां, महोदय, पिछले वेतन बोर्ड के गठन के बाद दस वर्ष पहले ही बीत चुके हैं। अत:, मैं सरकार से इस संबंध में कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं। पिछले सत्र में मीडिया के सदस्य माननीय मंत्री जी से मिले थे और माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि नए वेतन बोर्ड का गठन यथाशीघ्र किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात कह चुके हैं।

डा. के.एस. मनोज: महोदय, अभी तक किसी वेतन बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। मैं सरकार से समाचार-पत्रों, समाचार एजेंसियों और टी वी चैनलों में पत्रकार और गैर-पत्रकार कर्मचारियों हेतु नए वेतन बोर्ड के गठन का और निर्धारित समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दो पृष्ठो का लंबा वक्तव्य नहीं हो सकता।

डा. के.एस. मनोज: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरा अनुरोध यह है कि टी.वी. चैनलों के पत्रकारों और अन्य कर्मचारियों को श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की परिधि में लाया जाए, समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों और टी.वी. चैनलों के सभी पत्रकारों और कर्मचारियों को 25 प्रतिशत अंतरिम राहत देने की योजना की जाए और प्रिंट और दृश्य मीडिया उद्योगों में ठेके पर रोजगार और अन्य श्रम विरोधी पद्धतियों को नियंत्रित करने के लिए उपाय शुरू किए जाएं।

अध्यक्ष महोदय: कोई श्री अध्यक्षपीठ की बात नहीं सुन रहा। मुझे खेद है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ और शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: ऐसा लगता है कि अध्यक्षपीठ का कोई महत्व नहीं रह गया है।

...(व्यवधान)

डा. के.एस. मनोज: धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): मैं श्री मनोज जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्री मणि चारेनामे बोलेंगे।

श्री मणि चारेनामे (बाहरी मणिपुर): धन्यवाद, महोदय। बैरक नदी पर प्रस्तावित अत्यधिक विवादास्पद 1,500 मेगावाट के तिपाईमुख जल विद्युत बांध बनाने के विरुद्ध जन विरोध के बावजूद केन्द्र और एन ई ई पी सीओ मणिपुर के लोगों के विरोध को नजरन्दाज करके इस परियोजना को जारी रखे हुए हैं। वीआई बी ने अपनी टिप्पणी में बताया है कि तिपाईमुख परियोजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है और बीआई एस ने भी बताया है कि बांध स्थल अत्यंत संवेदनशील भूकम्पीय क्षेत्र में स्थित है। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अभी तक इसे पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों से पता चला है कि 16 दिसम्बर, 2006 में तिपाईमुख बांध का आधारशिला समारोह पुन: किया जाएगा।

लोगों में विशेषकर इस बांध से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले लोगों का इसके प्रभाव का अंदाजा भी नहीं है। पारदर्शिता का पूर्णत: अभाव है और लोगों को अंधेरे में रखा गया है। जब सुनवाईयों का विरोध किया गया और तमेंगलौंग का कस्बे में इसका आयोजन नहीं किया जा सका।

यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि विद्युत मंत्रालय लोकटैक अनुजवाह परियोजना पर कार्य क्यों नहीं करता जिसका राज्य के लोगों द्वारा स्वागत किया गया है और जो राज्य की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

अत: मैं माननीय प्रधान मंत्री और माननीय विद्युत मंत्री से पुन: आग्रह करूंगा कि वह तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना को रोंककर लोकटेक अनुजवाह परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र आरंभ करें धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर): अध्यक्ष जी, कोयले के उत्पादन हेतु कोल मंत्रालय द्वारा कोयले के खनन के लिए निजी क्षेत्र में केपेटिव ब्लॉक दिए जा रहे हैं। इस केपेटिव ब्लाक के लिए जब किसानों की उपजाऊ भूमि आबंटित की जाती है, जो एल.ए. एक्ट, राज्य सरकारों के एक्ट और कोल बियरिंग एक्ट के अंतर्गत आबंटित की जाती है उसका दाम बहुत कम दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक एकड़ भूमि के लिए 12 हजार से 15 हजार रुपये दिये जाते हैं जो कि बहुत कम हैं। इस तरह से किसान की इच्छा न होते हुए भी उसकी भूमि जबरन आवंटित की जाती है और कैपटिव ब्लॉक उनके क्षेत्रों में दिये जा रहे हैं जिसके कारण किसान बेरोजगार हो रहे हैं, उनके हाथ का रोजगार छिनता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि किसानों से नैगोसिएशन करके, उनकी भूमि के उचित दाम दिये जाएं या फिर निजी क्षेत्र में जहां पर कोयले का उत्पादन किया जाता है उसमें उन्हें भागीदारी मिले। खेती पर निर्भर रहकर ये अपनी आजीविका चलाते हैं और अपने परिवार का पालन करते हैं। इनकी भूमि लेकर इनका रोजगार छीना जा रहा है। मैं चाहता हूं कि उनहें उचित न्याय मिले।

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): मान्यवर, साधारण ग्रामीण किसान परिवार के श्री मंगल सिंह, निवासी-भैलोनीलोध, जनपद-ललितपुर, उत्तर प्रदेश ने जनवरी वर्ष 1987 में विश्व का सबसे सरल व अनोखा डीजल बिजली रहित जल शक्ति चालित मंगल टबाईन का अविष्कार किया, जिसका पेटेंट भी हुआ। अपने में अनोखा, आश्चर्यजनक मंगल टबाईन की चर्चा देश-विदेश तक होने लगी, जिसका परीक्षण करने के लिए आईसीएआर के डी.डी.जी. ने अपने प्रमुख वैज्ञानिकों के दल के साथ वर्ष 1987-88 में हफ्तों ठहर कर परीक्षण कराया। यहां तक की अमरीका ने उक्त यंत्र के अविष्कारक मंगल सिंह को 1990 में फैलोशिप भी दी। वर्ष 1991 में प्रसिद्धि प्राप्त उक्त मंगल टर्बाइन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से पुरस्कृत किया, जिसको रोम-इटली में

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

भी प्रदर्शित किया गया। आईआईटी ने इसे नोबेल इरीगेशन सिस्टम बताया।

इस प्रकार देश-विदेश के अनेक महत्वपूर्ण लोगों के साथ विभिन्न प्रदेशों एवं विभागों से संबंधित दर्जनों वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारियों एवं टेक्नोक्रेट्स इस अविष्कृत लोमहर्षक यंत्र को समय-समय पर देखने व परीक्षण के लिए आए। उदाहरण स्वरूप मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेट्री श्री वी.के. साहा, डा. श्रीमती सरला गोपालन, सचिव भारत सरकार, डा. पंजाब सिंह, डीजी, आईसीआर तथा भारत सरकार व विभिन्न प्रदेशों के ग्राम विकास के अन्य विभागों के सचिवों ने निरीक्षण व परीक्षण किया और इस यंत्र की भूरि-भूरि प्रशंसा, प्रोत्साहन व संस्तुति करते हुए भारत जैसे गरीब कृषि प्रधान देश के लिए अति उपयोगी बताया। इतना ही नहीं सामाजिक सेवा के वरिष्ठ विभिन्न नेता, लोक सभा के अध्यक्ष, श्री पी.ए.संगमा, गांधीवादी सांसद सुश्री निर्मला देशपांडे व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो माननीय श्री के.सी. सुदर्शन ने इस अविष्कृत यंत्र को कृषि के क्षेत्र में करोड़ों रुपयों के बिजली की बचत कर लाखों किसानों की भूमि को हरा-भरा करने वाला यंत्र बताया। किंतु खेद व दुर्भाग्य है कि हिन्दुस्तान जैसे कृषि प्रधान देश में खेती का बहुत बड़ा हिस्सा भगवान के भरोसे है, वहां पानी से चलने वाले इस यंत्र मंगल टर्बाइन को न केवल देश के कोने-कोने में पहुंचाकर अपने ही देश के स्वदेशी अद्वितीय यंत्र से न केवल लाभान्वित किया अपितु मंगल टर्बाइन जैसे सस्ते यंत्र को प्रशासन व अधिकारियों ने षडयंत्र पर षडयंत्र रचकर तुड़वाये व उन्हें ठप करवा दिया।

अतैव भारत सरकार से हमारी जोरदार मांग है कि मंगल टर्बाइन जो षडयंत्र रचकर अधिकारियों व प्रशासन ने बंद करवा दिये हैं उन षडयंत्रों की जांच कराई जाए व पुनः यथावत चालू करवायें जाएं व पूरे देश में इनका विस्तार किया जाये व अविष्कार को प्रोत्साहित किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः इसे 'जन महत्व का तत्काल मामला' बताने का उद्देश्य समाप्त हो रहा है। कोई भी इसकी परवाह नहीं कर रहा है। मुझे यह कहते हुए खेद है शायद इससे भी महत्वपूर्ण मामले होंगे। ऐसे तो प्रतिदिन कोई भी मामला उठाया जा सकता है। मेरे पास 44-41 और 3-सदस्यों की सूची है जिन्हें बोलना है। क्या किया जाना चाहिए? आपको स्वयं निर्णय लेना चाहिए।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, वित्तीय क्षेत्र में सुधार के नाम पर अभी हाल ही में जो उपाय किए गए हैं। उनमें से एक यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लेखा परीक्षा की नियुक्ति की परखी हुई पद्धति के स्थान पर अब सरकारी क्षेत्र में बैंक अपने लेखा परीक्षक स्वयं चुनेंगे जबकि पहले इस कदम से भारतीय रिजर्व बैंक का विनियामक अधिकार कम हो जाएगा और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में प्रबंधन और नियुक्त लेखापरीक्षक के अवांछित संपर्क से कदाचार के मामले हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदयः आप सभी कह रहे हैं।

श्री रूपचंद पालः इसे जन निधियों के दुरूपयोग के लिए प्रयुक्त किया जाएगा जिससे घोटाला होगा और ऋणों का उपयोग उत्पादक प्रयोजनों के बजाए गलत प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को हानि होगी।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लेखापरीक्षा प्रयोजनों हेतु अपने पैनल से लोगों की नियुक्ति करने की भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व पद्धति जारी रहे।

अध्यक्ष महोदयः अब श्री राम कृपाल यादव बोलेंगे। यह केन्द्र सरकार का मामला नहीं है। मतदान सूची चुनाव आयोग द्वारा तैयार की जाती है। आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं और यह किसी और भाषा में भी हो सकता है। आप इन मानदण्डों के भीतर बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः हमने लेफ्ट साइड में देखा है और लेफ्ट साइड से बहुत लोगों को बोलने का मौका दिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया कोई आरोप मत लगाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मामले की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से देश के सभी राज्यों को यह निर्देश है कि अगर किसी भाषा को

[श्री राम कृपाल यादव]

जानने वाले 20 प्रतिशत से ज्यादा मतदाता उस विधान सभा क्षेत्र में होंगे, तो वहां की मतदाता सूची उस भाषा में छापेंगे। मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के मार्ग निर्देशनों को राज्य सरकारें फालो नहीं कर रही हैं। मैं खास कर उर्दू भाषा के बारे में कहना चाहता हूं, जिसके जानने वाले इस देश में करोड़ों की संख्या में हैं। उर्दू जानने वाले मतदाताओं की उपेक्षा की जा रही है। उर्दू भाषा में मतदाता सूची नहीं छपने से मतदाता मतदान करने से वंचित रह जाते हैं क्योंकि हिन्दी में मतदाता सूची छपने के कारण या स्पेलिंग में गलती हो जाने के कारण उन्हें अपने नाम का पता नहीं चल पाता है। उत्तर प्रदेश सहित तीन राज्यों में विधान सभा चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 62 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। वहां पिछले सात सालों से उर्दू में मतदाता सूची नहीं छापी जा रही है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, जिन राज्यों में निर्देश भी दिया गया है, वहां भी उर्दू में मतदाता सूची नहीं छापी जाती है। मेरे पास सूची उपलब्ध है। आप चाहेंगे तो मैं आपको सूची दिखा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: हम कुछ देखना नहीं चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम चाहते हैं कि आप बैठ जाएं।

श्री राम कृपाल यादव: बिहार में उर्दू द्वितीय भाषा है। मैं समझता हूं कि बिहार में मुस्लिम मतदाताओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग बहुत कम लोग करते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं अपनी पूरी बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात पूरी हो गई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बैठ जाएं।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं बैठ रहा हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का और भारत निर्वाचन आयोग से अनुराध करूंगा कि जहां उर्दू में मतदाता सूची नहीं छप रही है, वहां उर्दू में छापने के लिए निर्देश जारी करे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): मैं इस सवाल को कानून मंत्री जी के ध्यान में लाऊंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ और सम्मिलित नहीं किया जाएगा। माननीय मंत्री इस मुद्दे पर पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): महोदय, हमने मंत्री जी का उत्तर सुना नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं इस सवाल को कानून मंत्री जी के ध्यान में लाऊंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे आशा है कि माननीय मंत्री गैर अनुमत्य हस्तक्षेपों का उत्तर नहीं देंगे।

...(व्यवधान)

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): माननीय अध्यक्ष, महोदय, पिछले 40 वर्षों से असम के छः समुदायों द्वारा निरंतर मांग की जा रही है कि उन्हें देश की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। तत्कालीन संसद सदस्य श्री अमर राय प्रधान की अध्यक्षता में संसद की संयुक्त चयन समिति ने वर्ष 1997 में इस मामले की व्यापक जांच की और उन सभी समुदायों नामतः मोरन, मोटोक, कोच-राजनोंगथी, हुटिया, अहोम और असम के चाय बागानों में कार्य करने वाले आदिवासी समुदायों के विभिन्न दलों में शामिल करने की सिफारिश की।

असम सरकार, भारत में मदापंजीयक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा इसके पक्ष में दिए गए प्रतिवेदनों के बावजूद सरकार की राजनैतिक अनिच्छा के कारण इस मामले को बार-बार विभिन्न दलीले देकर उपस्थित कर दिया गया। कोच राजबोंगनूरी समुदाय के लिये यह अपमानजनक है कि सरकार

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ने एक अध्यादेश द्वारा 1996-1997 में कुछ समय के लिए इसे अनुसूचित जनजाति के दर्जे में शामिल किया और फिर उससे यह दर्जा वापस ले लिया।

असम विधानसभा ने भी इस समुदाय को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के पक्ष में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया। इसके परिणामस्वरूप, प्रभावित समुदाय बार-बार बंद सहित विभिन्न प्रकार के विरोध का सहारा ले रहे हैं। जिससे राज्य में सामान्य जीवन ठप्प पड़ जाता है और कभी-कभी हिसंक घटनाएं भी हो जाती हैं। अत:, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वे इस मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझाने का सर्वोपरि प्राथमिकता दें ताकि यह समुदाय अपने कानूनी हक से वंचित न रहें। इनमें से कुछ समुदाय पहले ही भारत के अन्य राज्यों में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल हैं। इन समुदायों को इनके हक से वंचित किया जा रहा है। मैं इस मुद्दे पर आपका हस्तक्षेप चाहता हूं ताकि इन समुदायों को न्याय मिल सके।

[हिन्दी]

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन (बालाघाट): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों की बरबादी को रोकने के लिए अलग खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय बनाया गया। उसमें भारत सरकार ने ऐसे यूनिट जो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित होंगे उनको विशेष अनुदान देने का 25 परसेंट से लेकर चावल क्षेत्र में इससे भी अधिक देने का प्रावधान किया है। आज की स्थिति में 31 मार्च, 2004 तक जो प्रोजैक्ट राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजे गए, उनको अभी तक अनुदान नहीं मिला है। कल भारत सरकार द्वारा जो अनुदान मांगें 2005-2006 यहां प्रस्तुत की, उनका अनुमोदन किया। कल मुझे इस पर बोलने का मौका नहीं मिला। मैं चाहता था कि उसमें इस बात को रखूं। करोड़ों रुपए की सबसिडी नहीं मिलने से सारे उद्योग बंद होने की स्थिति में आ गए हैं। यह केवल मध्य प्रदेश का विषय नहीं है बल्कि पूरे देश का विषय है। मैं इसकी तरफ खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं भारत सरकार से अपेक्षा करता हूं कि जितने पैडिंग प्रकरण हैं, उनको प्राथमिकता देकर अनुदान राशि राज्य सरकार के माध्यम से प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आज कोई भोजनावकाश नहीं होगा।

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान राष्ट्रीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक गंभीर समाचार की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और कोछबहर जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी किए गए बंग्लादेशी सिम कार्डों के प्रयोग से संबंधित है।

यह भी स्मरण होगा कि दो दिन पहले हल्दीबाड़ी में ट्रेन में विस्फोट के कारण 9 लोग मारे गए थे और किसी को भी पता नहीं है कि अपराधी तस्करी से प्राप्त सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार, सीमा के दस किलोमीटर के दायरे में कोई भी प्रसारण टॉवर नहीं होना चाहिए। यद्यपि भारत में कोई भी प्रसारण टॉवर नहीं है लेकिन बंग्लादेशी सिम कार्डों के इस्तेमाल से यह सिद्ध होता है कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन नहीं कर रहा है। हमारे देश की सुरक्षा के लिए, मैं सरकार से भारत-बांग्लादेश सीमा पर उच्च शक्ति वाले अवरोधक स्थापित करने का आग्रह करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब, माननीय सदस्य श्री स्वाईं बोलेंगे। मैं इस मामले की अनुमति दूंगा क्योंकि यह मामला इस गरिमामय सदन के माननीय सदस्य से सम्बन्धित है। मुझे भरोसा है कि हम सब आपके साथ होंगे, और माननीय सदस्य कुमारी ममता बनर्जी से अपना अनशन समाप्त करने का निवेदन करेंगे। हम चाहते हैं कि उनके स्वास्थ्य की उचित देखभाल हो और वे ठीक होनी चाहिए। कृपया किसी राज्य का उल्लेख न करें बल्कि माननीय सदस्या का उल्लेख करें।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, हमारी एक सम्माननीय सहयोगी कुमारी ममता बनर्जी कोलकाता में लोगों के हितों के लिए आमरण अनशन पर हैं। वे पिछले 10 दिनों से अनशन पर हैं और स्वाभाविक रूप से उनकी शारीरिक स्थिति बिगड़ गई है। वह उन किसानों के हितों के लिए अनशन कर रही है जिनकी उर्वर, भूमि उद्योगपतियों को सौंपी जा रही है। हालांकि मैं औद्योगीकरण की प्रक्रिया का विरोध नहीं करता बल्कि इसका स्वागत करता हूं लेकिन एक कारखाना किसान की भूमि पर ही क्यों स्थापित किया जाए?

अध्यक्ष महोदय: हमें उनकी स्थिति के बारे में बात करनी चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, यह तथ्यों पर आधारित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: हम सब आपके साथ हैं। राज्य के विवादित विषय में हस्तक्षेप न करें।

आप निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरा सदन एकमत से उनसे अपनी हड़ताल कम से कम भूख हड़ताल समाप्त करने का निवेदन करता है यदि वह चाहें तो आंदोलन जारी रख सकती हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उनसे रिक्वेस्ट करें लेकिन इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को भी कहें कि उनसे बातचीत करके बताएं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप इच्छा व्यक्त कर सकते हैं लेकिन राज्य सरकार के मामले पर चर्चा नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: स्टेट गवर्नमेंट जानबूझकर *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने भी नोटिस दिया है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ कहिए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। माननीय सदस्यों, मैं बार-बार आपसे निवेदन कर रहा हूं। कपृया राज्य का मुद्दा न उठाएं। चूंकि यह हमारे एक अतिविशिष्ट सांसद के स्वास्थ्य और उनके जीवन से सम्बन्धित है इसलिए मेरे साथ पूरे सदन को उनसे निवेदन करना चाहिए कि वे अपनी हड़ताल समाप्त कर दें। वे अपना आंदोलन जारी रख सकती हैं। मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं चाहता हूं उनके स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल हो और उनके कल्याण का आश्वासन दिया जाए। श्री स्वाईं, मुझे प्रसन्नता है कि आपने इस मामले पर नोटिस दिया है। अत: मैं आपके साथ हूं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: भूख हड़ताल कैसे तोड़ेंगे, अगर स्टेट गवर्नमेंट बात नहीं करेगी।

अध्यक्ष महोदय: रूपचंद पाल, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमने बोल दिया था।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं कह सकता। इस मामले पर मैं ही नहीं कोई भी कहेगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप मेहरबानी करके बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया मामले के गुण दोषों को न देखें। मैं पहले ही उनसे अपील कर चुका हूं। मैंने उन्हें भूख हड़ताल वापस लेने का निवेदन करते हुए पत्र भी लिखा है। मुझे विश्वास है कि यदि संसद के उनके सभी सहयोगी निवेदन करें तो वह इस पर विचार कर सकती हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं, हम कंट्रोल कर रहे हैं।

[अनुवाद]

माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्रीमती करूणा शुक्ला (जांजगीर): मैं स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करती हूं।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): मैं स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: कोई उनसे सहमत नहीं हो सकता है। लेकिन क्या मुझे मुद्दा उठाने का अधिकार नहीं है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको मुद्दा उठाने की अनुमति दे दी है।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: तब, कृपया मुझे सुनिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं, मैं आपसे राज्य का मामला नहीं उठाने का निवेदन कर रहा हूं। आप पहले ही टिप्पणी कर चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: मैं राज्य का मामला नहीं उठा रहा हूं। आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। मैं नीतिगत मुद्दा उठा रहा हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, राज्य सरकार का नीतिगत मुद्दा यहां नहीं उठाया जा सकता।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: मैंने पश्चिम बंगाल सरकार का नाम नहीं लिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे देखने दीजिए। मैं तय करूंगा कि क्या रहेगा और क्या नहीं।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: पहले मुझे सुनें और फिर निर्णय लें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: मैं केवल यही कह रहा हूं कि उपजाऊ भूमि पर फैक्ट्री क्यों स्थापित की जाए? ...(अध्यक्षपीठ द्वारा आदेशानुसार सभा की कार्यवाही से निकाला गया) इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सुश्री ममता बनर्जी द्वारा किये जा रहे आमरण अनशन को समाप्त करने के संबंध में कदम उठाएं ...(अध्यक्षपीठ द्वारा आदेशानुसार सभा की कार्यवाही से निकाला गया) धन्यवाद महोदय *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा इस मुद्दे के साथ स्वयं को संबद्ध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि संपूर्ण सभा इस मुद्दे से संबद्ध करेगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सत्ता दल का इससे कुछ लेना देना नहीं है। संपूर्ण सभा ने इस मुद्दे से स्वयं को संबद्ध किया है। कृपया समस्या को जटिल न बनाये। कृपया ऐसा न करें। मैं श्री अनंत कुमार जी से अपील करता हूं। मैं आशा करता हूं कि वे एकमत निवेदन को सुनेंगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य श्री बृज किशोर त्रिपाठी, श्री प्रसन्न आचार्य, श्री भर्तृहरि महताब, श्री तथागत सत्पथी और श्री ब्रह्मनंद पंडा को इस मामले से संबद्ध किया जाता है मैंने केवल श्रीमती सी.एस. सुजाता को बुलाया है।

...(व्यवधान)

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): इस देश में महिलाएं काफी लंबे समय से विधान सभाओं और संसद में एक तिहाई आरक्षण की मांग कर रही हैं। महिला आरक्षण विधेयक वादा किए

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती सी. रास. सुजाता]

जाने के बाद भी एक दशक से अधिक समय से लंबित है। वर्तमान यूपीए सरकार ने राष्ट्र को न्यूनतम साझा कार्यक्रम द्वारा विधेयक लाने के संबंध में आश्वस्त किया था, परंतु दो से अधिक वर्ष तक सत्ता में रहने के बाद भी इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

माननीय प्रधानमंत्री और यूपीए अध्यक्ष ने महिला संगठनों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि संसद के वर्तमान सत्र में विधेयक को लाया जायेगा। परंतु यह मुद्दा इस सत्र हेतु कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया है।

मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि इस मामले का वर्तमान सत्र हेतु कार्यसूची में शामिल किया जाए और राष्ट्र तथा देश में महिलाओं से किए गए वादे को पूरा करते हुए वर्तमान शीतकालीन सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाया जाए। महोदय, माननीय मंत्री सभा में उपस्थित हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती सतीदेवी इसके साथ संबद्ध करेंगी।

श्रीमती सी.एस. सुजाता: महोदय, माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी पर दबाव नहीं डाल सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार के वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्रीमती सतीदेवी का नाम इस मुद्दे के साथ संबद्ध किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। एक भी शब्द रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है। आप शोर क्यों कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप नहीं सुनेंगे तो मैं अभी सभा की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा की बैठक अपराह्न 1.05 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.57 बजे

तत्पश्चात् सभा की बैठक अपराह्न 1.05 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.07 बजे

(लोक सभा अपराह्न 1.07 बजे पुन: समवेत हुई)

[**श्री मोहन सिंह** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री बसुदेब आचार्य (बांकुरा): महोदय, सरकार ने उत्तर नहीं दिया है ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.08 बजे

नियम 377 के अधीन मामले**

[अनुवाद]

सभापति महोदय: नियम 377 के अधीन जितने मामले हैं, वे सब कार्यवाही का हिस्सा बनाए जाते हैं।

(एक) जूनागढ़ और राजकोट के बीच पड़ने वाले स्टेशनों पर रेल सुविधाओं में सुधार किये जाने तथा जूनागढ़, गुजरात से देश के अन्य भागों के लिए नई रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ (जूनागढ़): महोदय, गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में विश्व प्रसिद्ध भगवान सोमनाथ महादेव जी का प्राचीन मंदिर है। एशिया खण्ड में केसरी सिंह से जुड़ा सासण गिर विस्तार भी इसी क्षेत्र में स्थित है और प्राचीन गिरनाथ पर्वत तथा जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर भी इसी क्षेत्र में है और इस क्षेत्र के सी बेल्ट एरिया में करोड़ों की लागत के सीमेंट, सोडा, ऐश, केमिकल और मछली आयात के बड़े-बड़े उद्योग स्थापित हैं।

इन उद्योगों की वजह से यहा पर देश के अन्य राज्यों के काफी सारे परिवार इस जिले में रहते हैं और देश-विदेशों से काफी संख्या में श्रद्धालु पर्यटक और व्यापारी भी आते-जाते रहते हैं।

लेकिन रेल परिवहन की सुचारू व्यवस्था नहीं होने की वजह से इन सभी यात्रियों तथा यहां के निवासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

**सभा पटल पर रखे माने गये।

बेरावल, सोमनाथ जिला चूनागढ़ से राजकोट जिले तक रेलवे लाईन परिवर्तन किये लगभग दो वर्ष हो चुके हैं। परिवर्तित रेलवे लाइन पर आने वाले रेलवे स्टेशन, वेरावल, माल्या हटिना, केशोद, बाघना, शाहपुरा, जुनागढ़ बडाल पर किसी भी प्रकार कोई सुविधाएं यात्रियों के लिए नहीं हैं। जैसे कि पीने के पानी की सुविधा, प्लेटफार्म पर यात्रियों के बैठने की सुविधा, एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए ओवर ब्रिज की सुविधा और इन स्टेशनों के प्लेटफार्मों की ऊंचाई को भी नहीं बढ़ाया गया है।

रेलवे लाइन के परिवर्तन से पहले जो रेलगाड़ियां चलाई जाती थी वह आज तक भी चालू नहीं की गयी हैं, जो चल भी रही है उनके डिब्बे (कोच) की स्थिति काफी खराब है और इस क्षेत्र के निवासियों की कुछ नई रेलगाड़ियां चलाने की मांग है जैसे कि:

1. वेरावल से मुम्बई के लिए
2. वेरावल सोमनाथ से देश के चारों प्रसिद्ध धामों के लिए
3. वेरावल से राजकोट के बीच और अधिक संख्या में इंटर सिटी
4. वेरावल से अहमदाबाद के लिए एक और रेलगाड़ी

मैं रेल मंत्री जी और रेलवे बोर्ड से अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र की रेलवे के साथ जुड़ी हुई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही उचित कार्यवाही की जाये।

(दो) सभी के लिए स्वीकार्य एक राष्ट्रीय भाषा को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु एक समिति गठित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी): महादेय मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा विचार है कि एक आम भाषा ही वह कारक है जो सभी भारतीयों को एक शांतिपूर्ण और प्रिय राष्ट्र के रूप में एकजुट रख सकता है। मेरा सुझाव है कि हमारी सभी प्रमुख भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञ शिक्षाविदों की एक समिति गठित की जाये और उसे एक ऐसी नयी आम भाषा का सृजन करने का काम सौंपा जाए जो उनकी अधिकारिक राष्ट्रभाषा के रूप में सभी भारतीयों को स्वीकार्य हो। यदि इसमें लम्बा समय लगता है तो कोई बात नहीं है। भारत तो हमेशा के लिए एक राष्ट्र के रूप में बन सकता है। आज विज्ञान इतना अधिक इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि रूसी और फ्रांसिसी जैसी विश्व की राष्ट्रीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में नई प्रौद्योगिकी पुस्तकें उपलब्ध हैं। अपनी नयी भारतीय भाषा का सृजन करते समय हम इन भाषाओं के शब्दों का उपयोग कर सकते हैं।

(तीन) देश के बच्चों में प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने तथा उनमें एनीमिया के बढ़ रहे मामलों को रोके जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड (नामनिर्दिष्ट): इस वर्ष प्रकाशित नवीनतम राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन एफ एच एस) से यह पता चलता है कि भारत में बच्चों के स्वास्थ्य देख-रेख की स्थिति काफी खराब है।

सबसे पहले, हमारे देश में प्रतिरक्षण स्तर काफी कम है। जिन 19 राज्यों के संबंध में आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, केवल 60% बच्चे पूर्णत: प्रतिरक्षित हैं और आठ राज्यों में प्रतिरक्षित बच्चों का अनुपात आधे से भी कम है। यही सर्वेक्षण यह भी प्रकाश में लाता है कि 6-35 माह के आयु समूह में 75% शिशु कुपोषण और रक्ताभाव से पीड़ित हैं। 3 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों में से 1/3 से अधिक में विकास अवरूद्ध है। 5 में से 3 बच्चों का वजन कम है। मेरे गृह राज्य छत्तीसगढ़ में कम वजन वाले बच्चों की संख्या अधिकतम है।

महोदय, बच्चे बहुमूल्य मानव संसाधन हैं, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि इनकी स्वास्थ्य देखरेख पर विशेष ध्यान दें और यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए कि यह स्वस्थ रोगमुक्त और विकलांगता से मुक्त हों।

(चार) मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक स्मारक 'हजार दुआरी' के समाने 'प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम' आयोजित किए जाने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): ऐतिहासिक शहर मुर्शिदाबाद अनेक अवसंरचनात्मक अवरोधों जैसे खराब सड़कों घटिया परिवहन और खराब आवास सुविधाओं अन्य नागरिक सुविधाओं के अभाव के बावजूद प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है।

पूर्व बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध इस शहर पर नवाब सिराजुदौला द्वारा शासन किया गया था। गत वर्षों में इस शहर की संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अवहेलना की गई है। तथापि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का ध्यान हजार द्वारी (अर्थात हजार द्वार), नामक शानदार महल की ओर जाने से एक उम्मीद की किरण जागी थी। न केवल, हजार द्वारी, बल्कि इमामबाड़ा

[श्री अधीर चौधरी]

दक्षिण दरवाजा की प्रभावशाली इमारतों को भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किये जा रहे समग्र पर्यवेक्षण और पुन:स्थापन कार्य में सम्मिलित किया गया है।

अपनी उजड़ी हुई सी छवि को छोड़ते हुए अब शहर धीरे-धीरे आकर्षण और कलात्मकता वाले स्थान के रूप में उभर रहा है। परंतु आधुनिक संस्कृति के प्रभाव के अंतर्गत पुराने शहर का इतिहास फीका हो गया है। इसलिए इतिहास को पुनरूजीवित करने और इसके वर्णन द्वारा इसे जीवंत रूप में प्रस्तुत कर अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि हजार द्वारी के समक्ष विशाल मैदान में सोने-एट-लुमेरी (प्रकाश और ध्वनि) कार्यक्रम का आयोजन किया जाये।

(पांच) गुजरात में बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पालनपुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रासिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के मुख्यालय पालनपुर शहर से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है। पालनपुर के इन राष्ट्रीय राजमार्ग के चौराहों पर अत्यंत भीड़ होती है और आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं जिसमें कई जानें चली जाती हैं। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के जो चौराहे हैं उन्हीं पर यह दुर्घटनाएं होती हैं। यह चौराहे अत्यंत आबादी वाले भी हैं। इसके लिए डिशा पालनपुर के राजमार्ग एवं अहमदाबाद पालनपुर राजमार्ग पर, पालनपुर से बालाराम, पालनपुर से अम्बा जी राजमार्ग एवं पालनपुर से अगोला राजमार्ग पर पालनपुर शहर के जो चौराहे हैं उन पर ऊपरी पुल बनाया जाना अति आवश्यक है जिससे दुर्घटना को रोका जा सके और यातायात को सुगम बनाया जा सके।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यों को जनहित में अतिशीघ्र किया जाये।

(छह) वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व का अधिकार दिए जाने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, वनवासियों को काबिज वन भूमि का पट्टा देने संबंधी मामला लंबे समय से केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है।

देश के अंदर बड़ी संख्या में जंगलों में पुस्तैनी रूप से जो गांव आबाद हैं उन गांवों के वनवासी एवं भूमिहीन लोगों द्वारा वन भूमि में जहां जंगल नहीं है वहां कृषि कार्य करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उनको उस जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला। मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने एक निर्णय के तहत सन् 1980 के पूर्व जो वनवासी वन भूमि में कृषि कार्य कर रहे हैं तथा मकान बनाकर पुस्तैनी रूप से रहते आ रहे हैं उन्हें मालिकाना हक देने हेतु एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को बहुत पहले भेजा था जिस पर आज तक स्वीकृति नहीं दी गयी। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन गरीबों के हक के मामले में आज तक केन्द्र सरकार ने निर्णय नहीं लिया। जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बड़ी मात्रा में कृषि योग्य भूमि व्यापार करने के उद्देश्य से तुरंत दे दी गयी।

मेरी मांग है कि प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को तत्काल स्वीकृति दी जाये।

(सात) महाराष्ट्र में गोवारी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, महाराष्ट्र के गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग लगातार उठ रही है। सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े इस समाज को आरक्षण का लाभ देकर उन्नति का अवसर उपलब्ध कराया जाना बहुत जरूरी है। केन्द्र सरकार द्वारा गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु 1967 में विधेयक लाया गया था। संसद के पतन के कारण यह चर्चा में नहीं आ पाया। गोवारी समाज, जो कि अति पिछड़ों में शामिल होने के कारण लगातार आंदोलन के माध्यम से संघर्ष कर रहा है। नागपुर में 1994 को आंदोलनकारी गोवारियों पर पुलिस द्वारा अत्याचार के कारण 114 गोवारी बंधु शहीद भी हुए हैं। इन शहीदों का बलिदान बेकार न जाए इसलिए राज्य सरकार द्वारा उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु चार बार केन्द्र सरकार को सिफारिश भी की है।

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की अनुशंसा तथा 1967 में विधेयक के माध्यम से गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के प्रयास को देखते हुए अपनी मांग के लिए संघर्ष गोवारी समाज को तत्काल अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की आवश्यकता है। इसलिए केन्द्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि 1967 में लाये गये विधेयक को पुन: सदन में पारित कराकर गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु पहल करें अथवा विशेष आदेश के माध्यम से उन्हें तत्काल अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

(आठ) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 228 पर अहमदाबाद-दांडी खंड को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): भारत सरकार ने 1 जून, 2006 को अहमदाबाद-दांडी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया था। इस मार्ग की कुल लंबाई 386 किलोमीटर है जिसमें से 345 किलोमीटर लंबाई निर्मित सड़क की है और 41 किलोमीटर में संपर्क टूटा हुआ है। यह अत्यावश्यक है कि इस एक लेन वाले मार्ग को चौड़ा किया जाये और टूटे हुए क्षेत्र में सड़क निर्माण किया जाए। चूंकि इस मार्ग को "विरासत मार्ग" के रूप में विकसित किया जा रहा है, यह मार्ग कम से कम राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों के अनुरूप होना चाहिए और इसको चौड़ा/मजबूत/नवीकृत करने तथा जहां सड़क निर्मित नहीं है वहां नई सड़क का निर्माण तथा माही, नर्मदा और तपी नदियों पर बड़े पुलों सहित पुलों/पुलियों/सी डी कार्यों का निर्माण करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार दांडी मार्ग पर राज्य सड़क का भारत सरकार के नाम अंतरण करने हेतु अपनी स्वीकृति दे चुकी है।

महोदय, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि योजना को तत्काल सुनियोजित और समयबद्ध तरीके से आरंभ किया जाये ताकि इसे समय पर पूर्ण किया जा सके और इसके लिये पर्याप्त निधियां आवंटित की जायें।

(नौ) किसानों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की नीति की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): महोदय, देश के किसानों की भलाई के लिए सरकार बहुत सी योजनाएं बनाती हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से किसानों को फायदा पहुंचे इसके लिए आवश्यक है कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन। इस समय समर्थन मूल्य पर धान की खरीद चल रही है। महोदय, धान की खरीद एफ.ए.क्यू. (फेयर एवरेज क्वालिटी) के आधार पर की जाती है और इस स्तर की गुणवत्ता जांचने के लिए एक ग्रेडर होता है। लेकिन ऐसा ज्ञात हुआ है कि ग्रेडर अपनी ग्रेडिंग ठीक से नहीं देते हैं और मजबूरी में किसान कम कीमत पर धान व्यापारियों को बेच देते हैं तथा व्यापारी उसी धान को ग्रेडर और अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार को समर्थन मूल्य पर बेच देते हैं। महोदय, इससे पहले से ही पीड़ित किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है और अधिकारी और व्यापारी धन कमा रहे हैं। इसे रोकने हेतु स्वचलित ग्रेडर तकनीक व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए जिससे छनाई, बिनाई व ग्रेडिंग के पश्चात प्राप्त धान एफ.ए.क्यू. स्तर की होती है। ऐसा होने पर एफ.ए.क्यू. की आड़ में होने वाला भ्रष्टाचार समाप्त होगा। वर्तमान व्यवस्था में शासन द्वारा खरीदी हेतु निर्धारित एजेंसी का एकाधिकार होने से किसानों को बारदाने की अनुपलब्धता, ट्रांसपोर्टेशन की कठिनाई अथवा भुगतान में अत्यधिक विलंब कर परेशान किया जाता है। अत: खरीदी में एक से अधिक एजेंसियां निर्धारित हों ताकि प्रतिस्पर्धा का लाभ किसान को मिल सके। किसानों को राहत पहुंचाने सरकार तत्काल धान खरीदी हेतु एक संशोधित नीति बनाये ताकि देश में किसानों का शोषण रोका सके।

(दस) देश में ग्रामों के समग्र विकास के लिए वर्ष 2007-08 के बजट में वित्तीय प्रावधान किए जाने की आवश्यकता

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): महोदय, देश में ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास की कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लक्ष्यों का निर्धारण तथा क्रियान्वयन की समीक्षा कर सड़क निर्माण के कार्य की गुणवत्ता, पुल-पुलिया निर्माण, आवश्यक ऊंचाई इत्यादि कामों के बारे में तथा लक्ष्यपूर्ति के सुनिश्चित उपाय करने की आवश्यकता है।

मैं, गांव की "आदर्श स्थिति" और इसके लिए विविध आयाम और आवश्यक सुविधाएं स्थापित करने के लिए जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र की कठिनाइयों में आधारभूत संरचना निर्माण के लिए वर्ष 2007-08 के बजट में गांवों का सर्वांगीण विकास के लिए वित्तीय प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं।

अतएव, केन्द्र सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय सार्वदेशिक रूप से गांवों के सर्वांगीण विकास को स्वीकृति के लिए आवश्यक उपाय करें।

(ग्यारह) काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में ओ एन जी सी की रिफाइनरी स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. बाबूराव मिडियम (भद्राचलम): यह पता चला है कि ओ.एन.जी.सी. काकीनाडा में तेल शोधन कारखाने की स्थापना की योजना बना रहा है, जिसके लिये आंध्र प्रदेश सरकार ने समुद्र तट पर विशेष आर्थिक क्षेत्र हेतु करीब 4000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। यह भी बताया गया है कि ओएनजीसी प्रस्तावित तेल शोधन कारखाने की स्थापना से पीछे हट रहा है।

[श्री बाबूराव मिडियम]

आंध्र प्रदेश के लोग बेसब्री से इस तेल शोधन कारखाने को शुरू किये जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे पूर्वी गोदावरी जिले के तटीय क्षेत्र के विकास में सहायता मिलेगी। काकीनाडा और विशाखापत्तन में समुद्री पत्तन भी है। इस्पात नगरी भी यहां से करीब 120 किलोमीटर दूर है। तेल शोधन कारखाने हेतु यह आदर्श स्थल है।

अत: मैं भारत सरकार से काकीनाडा में तेल शोधन कारखाने की स्थापना का अनुरोध करता हूं।

(बारह) दिल्ली-शामली-सहारनपुर राजमार्ग को चार लेन वाला बनाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर): महोदय, दिल्ली-शामली-सहारनपुर मार्ग यमनौत्री को जोड़ता है। यह मार्ग सहारनपुर से होकर बादशाही बाग पहुंच जाता है। बादशाही बाग से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं उत्तरांचल प्रदेश के लिए सड़क जाती है। हिन्दुओं का पवित्र स्थान यमनौत्री है तथा सिक्खों के पवित्र स्थान पांवटा साहिब के लिए भी बादशाही बाग से ही सड़क जाती है। दिल्ली-शामली-सहारनपुर मार्ग की सड़क खराब रहती है।

दिल्ली-शामली-सहारनपुर मार्ग पर ज्यादा भीड़ रहती है जिसकी वजह से इस क्षेत्र की जनता को परेशानी उठानी पड़ती है। इस मार्ग से हरियाणा, हिमाचल, उत्तरांचल एवं पंजाब को जाने वाले वाहन होकर गुजरते हैं। इस मार्ग पर चार लेन के मार्ग की आवश्यकता है जिससे इस क्षेत्र की जनता को परेशानी से मुक्ति मिल सके।

(तेरह) बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर और पूर्वी चंपारण जिलों में तीर्थ पर्यटन केन्द्र विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): महोदय, बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिला मुख्यालय में मां सीता धरती से प्रकट हुई थी। यह एक ऐतिहासिक स्थान है जहां देश और विदेश से भी हजारों दर्शनार्थी विवाह पंचमी एवं रामनवमी के अवसर तथा साल भर आते रहते हैं।

शिवहर जिला के देकुली धाम में भागवान शंकर की मूर्ति है, जो महाभारत काल में स्थापित हुई थी। यहां पर हजारों लोग प्रतिदिन देश के कोने-कोने से पहुंचते हैं।

पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत केशरिया में सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। जहां बौद्ध धर्म मानने वाले लोग दुनिया भर से आते हैं।

यह सर्वविदित है कि श्री मोहनदास कर्मचंद गांधी, चम्पारण के किसानों पर हो रहे अत्याचार के निवारण हेतु आये थे और पश्चिमी चम्पारण जिला के भीतीहरवां में आश्रम बनाकर अपने धर्मपत्नी श्रीमती कस्तूरबा गांधी के साथ वर्षों वहां रहकर इलाके में घूम-घूम कर किसान, मजदूरों, छात्र नौजवानों को संगठित किया था और चम्पारण सत्याग्रह से देश की आजादी की शुरूआत हुई थी।

परंतु अत्यंत दुख के साथ सूचित करना चाहता हूं कि आज तक उपरोक्त स्थानों को भारत के पर्यटक स्थल के रूप में स्थान नहीं दिया गया है।

अत: मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सीतामढ़ी, देकुलीधाम, शिवहर, केशरिया का बौद्ध स्तूप एवं भीतीहरवां गांधी आश्रम को भारत के पर्यटक मानचित्र पर लागया जाये एवं उपरोक्त ऐतिहासिक स्थानों को सभी तरह से विकसित किया जाये।

(चौदह) उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत काम करने वाली कंपनियों द्वारा किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता की निगरानी किए जाने की आवश्यकता

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): महोदय, देश के विभिन्न प्रदेशों के ग्रामीण अंचल में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लागू की गयी है। उक्त योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश में नागार्जुन कंपनी को ठेका दिया गया है। वे प्राइवेट कंपनियां अपने अधीन विभिन्न ठेकेदारों के माध्यम से काम करा रही हैं जिसका गंभीर परिणाम है कि मानक के विपरीत काम हो रहा है। जिससे ग्रामीण जीवन में गहरा असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त हो रहा है।

अतएव भारत सरकार से अनुरोध है कि अरबों रुपये की योजना की समीक्षा हेतु तत्काल कोई प्रभावी योजना बनायी जाए।

(पन्द्रह) महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड को आयकर अधिनियम 1960 की धारा 10(29क) के अंतर्गत आयकर में छूट दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड का गठन छोटे पत्तनों के विकास की गति तेज करने के साथ-साथ अंतर्देशीय जल परिवहन का प्रयोग करने वाले यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने तथा पत्तनों के माध्यम से माल ढुलाई के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करने के लिए किया गया था न कि लाभ अर्जित करने के लिए। वर्ष 2002-03 के

बजट में सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1960 की धारा 10(20) में संशोधन किये गए थे जिसके बाद महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड आयकर के दायरे में आ गया। कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड आदि जैसे अनेक बोर्ड आयकर अधिनियम की धारा 10(29क) के अंतर्गत आयकर भुगतान में छूट पा रहे हैं।

महोदय, यदि महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड को आयकर से छूट दी जाएगी तो उस धन का उपयोग आम जन को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ राज्य के मेरिटाइम क्षेत्र के विकास के लिए किया जा सकेगा। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड को आयकर भुगतान से छूट दी जाए।

(सोलह) पश्चिम उड़ीसा में उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्भलपुर): पश्चिमी उड़ीसा में एक भाषा तथा सामाजिक और सांस्कृतिक समानता वाले 11 जिले हैं। यह क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ा है और यहां अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की उच्च प्रतिशतता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या इस क्षेत्र में सर्वाधिक है। कई क्षेत्रों में अनदेखी के अलावा इस क्षेत्र में रहने वाले लोग भारत सरकार की 'न्याय आपके द्वार' की स्वीकृति नीति के विपरीत न्याय मिलने में देरी के कारण भी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कटक स्थित उड़ीसा उच्च न्यायालय, पश्चिमी उड़ीसा के जिलों से काफी दूर है और गरीबी तथा अन्य संबंधित कारणों से इस क्षेत्र के लोग कटक स्थित उच्च न्यायालय तक नहीं जा पाते और इसके कारण राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय में इस क्षेत्र के मामलों में भारी गिरावट आई है। भारत के संवधिान के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत पश्चिमी उड़ीसा में मुकदमा करने वाले महज 10 से 15% लोग ही उच्च न्यायालय जा पाते हैं जबकि तटीय उड़ीसा में रहने वाले लोगों में यह संख्या काफी अधिक है। फौजदारी और आपराधिक मामलों में भी इस क्षेत्र के लोग उच्च न्यायालय नहीं जा पाते।

उक्त कारणों के मद्देनजर पश्चिमी उड़ीसा के विभिन्न बार संगठन संयुक्त रूप से पश्चिमी उड़ीसा में किसी स्थान पर अर्थात् पश्चिमी उड़ीसा विकास परिषद् के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली किसी जगह उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना की मांग कर रहे हैं।

उच्च न्यायालय की बैठक के स्थाई स्थल के अलावा किसी अन्य स्थल पर उच्च न्यायालय की स्थाई पीठ की स्थापना हेतु औचित्य और आवश्यकता पर विचार हेतु भारत सरकार द्वारा गठित जसंवत सिंह आयोग ने कुछ दिशा-निर्देश दिये हैं। पश्चिमी उड़ीसा में उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना संबंधी मांग दिशा-निर्देशों में उल्लिखित अधिकांश प्रावधानों के अनुकूल है। इस बीच देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों की स्थायी पीठ और सर्किट अदालतों की विभिन्न राज्यों में स्थापना हुई है लेकिन वकीलों, मुकदमा करने वालों और आम जनता की पश्चिमी उड़ीसा में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना की मांग पूरी नहीं हुई है। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पश्चिमी उड़ीसा में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना के लिये राज्य सरकार, माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय की सलाह से आवश्यक कदम उठाये।

(सत्रह) क्विलोन-विरुधनगर रेल खंड के आमान परिवर्तन के कार्य को समय पर पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन (अट्टूर): तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाली किलॉन-विरूधनगर मीटर रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य वर्ष 1998 में शुरू किया गया था। तमिलनाडु में कार्य करीब-करीब पूरा हो चुका है जबकि केरल में अभी यह पूरा नहीं हुआ है। केरल में 50% कार्य भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। इससे जनता को काफी पेरशानी हुई है और भारतीय रेल को भी भारी घाटा हुआ है। सड़क उपरि पुल के पुनर्निर्माण हेतु कोट्टर कारा रेलवे स्टेशन के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 208 को एक वर्ष पहले बंद कर दिया गया था, राष्ट्रीय राजमार्ग को एक वर्ष पहले बंद करते समय रेल अधिकारियों ने जनता को आश्वासन दिया था कि सड़क उपरिपुल का निर्माण पूरा होने के पश्चात् 6 महीनों के अंदर इसे फिर खोल दिया जायेगा। अब करीब दो वर्ष होने जा रहे हैं लेकिन कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। केरल क्षेत्र में पिछले दो-तीन महीनों से कोई कार्य नहीं हुआ है। मीडिया से पता चला है कि सभी ठेके निरस्त कर दिये गये हैं और किलॉन से पूनालुर तक पूरे कार्य हेतु एक नई निविदा आमंत्रित की गई है। इससे काम पूरा होने में और विलम्ब होगा। अत: सरकार से अनुरोध है कि वह सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर काम पूरा करने के लिये रेलवे अधिकारियों को सख्त निर्देश दे।

(अठारह) महाराष्ट्र के सतारा जिले की महाबलेश्वर तहसील में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत चातुरबेत-शिंदी रोड को विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील (कराड़): महाराष्ट्र में सतारा जिले की महाबलेश्वर तहसील में चतुरबेल-शिंदी सड़क को तत्काल विकसित करने की आवश्यकता है। यह सड़क कोयाना

बांध के बैक वाटर से प्रभावित 25 पुनर्वासित गांवों को जोड़ती है। इस सड़क को पीएमजीएस वाई की उन्नयन योजना के अंतर्गत लिया जा सकता है।

(उन्नीस) बिहार में सकरी-हसनपुर रेल लाइन को बरास्ता बरौनी जंक्शन से जोड़े जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सूरज सिंह (बलिया, बिहार): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के पास एक जनोपयोगी, सकरी-हसनपुर रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। सकरी से हसनपुर रेल लाइन निर्माण पश्चात यह रेल लाइन बरौनी से जुड़े बगैर पूर्व एवं पूर्वोत्तर राज्य यथा बंगाल, उड़ीसा तथा दक्षिण क्षेत्रों की रेल यात्रा के साथ जुड़ नहीं पायेगा क्योंकि हसनपुर से बरौनी के लिये समस्तीपुर या खगडिया होकर घुमावदार रेल यात्रा करनी पड़ेगी, जिससे यात्रियों का समय और धन का अपव्यय होगा।

हसनपुर एवं बरौनी इस क्षेत्र के दो प्रमुख औद्योगिक स्थल होने के साथ-साथ कृषि उत्पादन (गन्ना) पर्यटन एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल हैं। इस क्षेत्र का रेल मानचित्र देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ हसनपुर से बरौनी का ही यह स्थान रेल सेवा से अछूता रह जाता है। सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्र होने के साथ-साथ सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिये रेल सेवा से जुड़ने का यही एक रेल लाइन माध्यम हो सकता है। प्रस्तावित सकरी से हसनपुर रेल लाइन बरौनी से जुड़े बगैर अधुरी एवं अप्रासंगिक के साथ-साथ अलाभप्रद भी सिद्ध होगी।

मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि प्रस्तावित सकरी-हसनपुर रेल लाइन को अधिकाधिक प्रभावी, लोकप्रिय, लाभकारी, जनोपयोगी बनाने के साथ-साथ औद्योगिक विकास, कृषि उत्पादन एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के कारणों से इसका विस्तार बरौनी जंक्शन तक करने हेतु आगामी रेल बजट-2007 में शामिल करने हेतु अविलम्ब योजना की स्वीकृति प्रदान किया जाये।

(बीस) 'भोटी' भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री छेवांग थुपस्तन (लद्दाख): भोटी भाषा और इसकी लिपि हिमालय क्षेत्र में लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक रहने वाले करीब 1 करोड़ 60 लाख लोगों को जोड़ने का माध्यम है। भोटी भाषा का इतिहास सातवीं शताब्दी पुराना है और इस भाषा में कविता, नाटक, व्याकरण, ज्योतिषशास्त्र और चिकित्साशास्त्र जैसे आयुर्वेद, तर्कशास्त्र, दर्शनशास्त्र, कला, धर्म और संस्कृति आदि में काफी साहित्य उपलब्ध है। भोटी भाषा और इसकी संस्कृति भी भारत की महान सांस्कृतिक परम्परा का एक हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भूटान, नेपाल, मंगोलिया, तिब्बत और समूचे मध्य एशिया में बोलने और लिखने हेतु भोटी भाषा का शास्त्रीय रूप में इस्तेमाल किया गया है। भोटी भाषा लद्दाख, स्पिति, किन्नौर, उत्तरकाशी, सिक्किम कलिमपोंग, दार्जिलिंग, अरुणाचल और समूचे हिमालय क्षेत्र की संपर्क की भाषा और सांस्कृतिक भाषा है। इसका हिमालय क्षेत्र के लोगों के जीवन पर व्यापक प्रभाव है और यह भाषा इस क्षेत्र की सांस्कृतिक जवीन रेखा भी है। भाषा के समृद्ध इतिहास और विरासत के दृष्टिगत और देश के हिमालय क्षेत्र की विशाल जनसंख्या पर इसके प्रभाव को देखते हुए संविधान की आठवीं अनुसूची में इस भाषा को शामिल कर इसे समुचित और उचित मान्यता देना उपयुक्त होगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब हम कार्य-सूची की मद संख्या 22 लेते हैं। श्री संतोष मोहन देव।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब वह बात खत्म हो गई है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब आप बैठें। आप वरिष्ठ नेता हैं। कोई भी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है। आप क्यों हल्ला कर रहे हैं?

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने देश को जो आश्वासन दिये हैं, उन्हें सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले पूरा किया जायेगा।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, यह मंत्री महोदय का उपयुक्त जवाब नहीं है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापित महोदय: अब कोई बात नहीं। मैंने संतोष मोहन देव जी को बुलाया है। अब आप बैठिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 1.00 बजे

डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक, 2006

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1981 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक का आशय डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1981 में संशोधन करना है ताकि सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दादरी (हरियाणा) स्थित अपने एकक की परिसंपतियों के निपटान की शक्ति प्रदान की जा सके। इस एकक को 1981 में अधिनियम के तहत अधिग्रहीत किया गया था और केन्द्र सरकार ने इसे 23.6.1981 की एक अधिसूचना द्वारा सीसी आई को हस्तांतरित कर दिया था।

सी.सी.आई. जो भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के तहत एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम है एक रुग्ण कम्पनी हो गई तथा 1996 से औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के संदर्भाधीन थी। बी आई एफ आर ने 2005 में सी.सी.आई. हेतु एक प्रारूप पुनर्वास योजना परिचालित की जो प्रचालन एजेंसी आई एफ सी आई द्वारा तैयार की गई थी। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्निर्माण संबंधी बोर्ड द्वारा 2.9.2005 को प्रारूप पुनर्वास योजना पर विचार किया था तथा उसने इसकी सिफारिश की थी जिसके पश्चात् सरकार ने इसे 9.3.2006 को अनुमति दे दी। बीआईएफआर ने 21 मार्च, 2006 को इस योजना को मंजूरी दी। योजना में अन्य बातों के साथ-साथ सी.सी.आई. के सात अप्रचलात्मक संयंत्रों को बंद करने और उनकी परिसंपतियों में बिक्री का प्रावधान था। संयंत्रों की बिक्री योजना का एक अभिन्न अंग थी और इससे हुई आय चालू संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार अप्रचलात्मक एककों की देयताओं से निपटान तथा भारत सरकार के ऋणों का भुगतान करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। कुल मिलाकर सी.सी.आई. का योजना के अनुसार सतत आधार पर पुनरुद्धार किया जाएगा। चरखी दादरी संयंत्र जो सात अप्रचलनात्मक संयंत्रों में से एक है, को बंद करने का प्रस्ताव किया गया है।

जिन परिसम्पतियों को डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत अर्जन किया गया था, यह निर्णय लिया गया है कि डालमिया दादरी सीमेट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1981 में उचित संशोधन किया जाए ताकि सी.सी.आई. को बी आई एफ आर द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार उन परिसम्पतियों का निपटान करने की शक्ति प्राप्त हो सके।

अब मैं इस सम्माननीय सभा से सिफारिश करता हूं कि वह इस विधेयक पर विचार करें।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1981 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया।

महोदय, डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक, 2006 28 जुलाई, 2006 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था और इसकी जांच करने तथा इस सम्माननीय सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु इसे 4 सितम्बर, 2006 को स्थायी समिति को सौंप दिया गया था।

जैसा कि आप जानते हैं कि सी.सी.आई. एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम है जो भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। यह कंपनी रूग्ण औद्योगिक एकक विशेष प्रावधान अधिनियम, 1985 के तहत एक रुग्ण कम्पनी बन गई और जिसके बारे में बी आई एफ आर के 1996 में सूचित कर दिया गया था। बी आई एफ आर ने इस कम्पनी के पुनरुद्धार हेतु एक प्रारूप पुनर्वास योजना, जिसे डीआरएस के नाम से जाना जाता है, परिचालित की थी। डीआरएस भी अन्य बातों के साथ-साथ सात अप्रचलनात्मक एककों को बंद करके और उनकी परिसम्पत्तियों की बिक्री करने तथा तीन संयंत्रों के विस्तार और आधुनिकीकरण का प्रावधान था। जब मंत्री जी इसका उत्तर देंगे तो मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि वे सात अप्रचलनात्मक संयंत्र में से है तथा तीन प्रचलनात्मक संयंत्र कौन से है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभा को ज्ञात होना चाहिए कि इन संयंत्रों के क्या कार्य है और वे अप्रचलनात्मक कैसे हुए। चूंकि यह कम्पनी पूर्णता: सरकार के स्वामित्व में है, अत: सरकार का इस पर कुछ प्रशासनिक नियंत्रण होना चाहिए। चूंकि यह कम्पनी पूर्णत: सरकार के स्वामित्व

[श्री पी.एस गढ़वी]

में है, अत: उसमें एक निदेशक मंडल रहा होगा। इन निदेशकों द्वारा क्या कार्य किया गया? सी.सी.आई. घाटे में क्यों गई।

अत:, जब माननीय मंत्री इस वाद-विवाद का उत्तर देंगे तो वह कृपया सभा को इन प्रश्नों से भी अवगत कराएं। वह अप्रचलनात्मक क्यों रहे? क्या निदेशक अपना कार्य उचित ढंग से कर रहे थे?

विधेयक उद्योग संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया था तथा समिति ने मामले की व्यापक जांच की और तीन बैठकें की ...*(व्यवधान)*। सी.सी.आई. ने बताया कि इस कम्पनी को जनवरी, 1965 में 446.82 करोड़ रु. की प्रदत्त पूंजी तथा भारत सरकार के शत प्रतिशत स्वामित्व के अधीन स्थापित किया गया था। तथापि, 31 मार्च, 2005 तक कंपनी को 1321.02 करोड़ रु. की हानि हुई जिससे इसका निवल मूल्य घटकर 874.20 करोड़ रु. हो गया। अत: यह कंपनी जो सरकार के स्वामित्व में है, घाटे में चल रही है। इसे कई वर्षों से घाटा हो रहा है। इन सभी वर्षों में इसे यह हानि कैसे हुई? क्या निदेशक अपना कार्य ठीक ढंग से कर रहे थे? समिति भी यह सब जानना चाहती है। परंतु मुझे यह कहने में दुख हो रहा है कि समिति को सरकार से कोई उचित और संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इसकी क्या आवश्यकता है और हमें इसे बेचना क्यों पड़ रहा है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखिए। यहां एक समानांतर संसद नहीं चलनी चाहिए।

श्री पी.एस. गढ़वी: महोदय, स्थायी समिति को सूचित किया गया था कि सी.सी.ई. का निवल मूल्य घट जाने के पश्चात् इसे 1995 में बी आई एफ आर को सौंपा गया और अगस्त 1996 में इस रूग्ण घोषित कर दिया गया था। जून 1998 में बी आई एफ आर ने लगभग 41.60 करोड़ रु. की प्रस्तावित लागत के साथ पहली प्रारूप पुनर्वास योजना परिचालित की जिसमें 35 करोड़ रु. में योजना व्यय के लिए और शेष 6.60 करोड़ रु. वी.आर.एस. देयताओं का भुगतान करने के लिए थे। उस समय सरकार ने वी.आर.एस. के लिए कोई वादा क्यों नहीं किया? यदि ऐसा किया जाता तो कंपनी संकट से उबर सकती थी। सरकार ने इसे हो रहे घाटे को नहीं रोका और किसी ने भी उस समय इसकी परवाह नहीं की। स्वाभाविक है कि जब इस मामले को बी आई एफ आर के पास भेज गया तो उसने प्रारूप पुनर्वास योजना परिचालित की। सरकार को इस पर उसी समय विचार करना चाहिए था। परंतु इसे रोका नहीं गया और इसका परिणाम यह हुआ कि हमें इन वस्तुओं को बेचना पड़ रहा है।

अब, दादरी में भूमि बहुत महंगी हो गई है। यह लगभग 200 एकड़ भूमि है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि डालमिया दादरी सीमेंट संयंत्र के तहत कितनी भूमि है और उसका वर्तमान बाजार मूल्य क्या है। इसका निर्धारण कैसे किया गया? भूमि और संयंत्र की बिक्री के लिए आपने यह निर्धारण कैसे किया है। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि उस भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य क्या है, इसका निर्धारण कैसे किया गया, संयंत्र की लागत क्या है और इससे प्राप्त धनराशि से वे क्या करेंगे। इस राशि का उपयोग कैसे किया जाएगा? क्या इसका प्रयोग अन्य संयंत्रों के पुनर्संचालन में किया जाएगा अथवा इसका अन्य देशों के लिए उपयोग किया जाएगा?

माननीय मंत्री कृपया हमें इसकी जानकारी दें। मैं माननीय मंत्री जी को समिति की और सिफारिशों की जानकारी देना चाहूंगा। इसमें कहा गया है।

> "समिति पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब से इसकी लागत में हुई भारी वृद्धि को गंभीरता से लेती है। पुनरुद्धार लागत जो 1998 में 41.60 करोड़ रु. हो सकती थी, अब 2006 में बढ़कर 1,577.05 करोड़ रु. हो गई है। इस लागत से केवल वर्तमान प्रचलनात्मक इकाइयों में से केवल तीन का पुनर्वास हो पाएगा। छ: वर्षों तक हानि और देयताएं बढ़ती गई जबकि इसी अवधि के दौरान परिसम्पत्तियां क्षय होती गई।"

अत:, सारी परिसम्पत्तियां क्षय हो गई हैं। मैं केवल समिति का प्रतिवेदन पढ़ रहा हूं। इसमें आगे यह कहा गया है:-

> "कम्पनी पर ऋण बढ़ने से, सात इकाइयों की बिक्री से प्राप्त राशि का एक बड़ा हिस्सा इसकी शेष इकाइयों के उन्नयन और विस्तार की बजाए पुराने देयों का भुगतान करने में खर्च हो जाएगा।"

यहां, उद्देश्य उन्नयन करना है ...*(व्यवधान)* अत: जब उद्देश्य एककों का उन्नयन करना हो तो क्या इन एककों की बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग उन्नयन के लिए किया जाएगा? यह भूमि दरियाना के दादरी में एक प्रमुख उन्नयन पर है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमि है। सरकार इसको बेचना चाहेगी। सीमेंट के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां आ रही है और विदेशी निवेश भी किया जा रहा है। अन्य सामग्रियों की तरह सीमेंट का मूल्य भी बढ़ गया है। कुछ वर्ष पूर्व यह 120 रु. प्रति बोरी था। अब यह 212 रु. प्रति बोरी से भी अधिक है। जबसे यू.पी.ए. सरकार सत्ता में आई है, इसका मूल्य बढ़ गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब गरीब आदमी सीमेंट नहीं खरीद सकता। इन एककों का उन्नयन किया

जाना चाहिए। परंतु वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। ...(व्यवधान)। मैं समिति के प्रतिवेदन से कुछ और बातें बताना चाहूंगा, इसमें कहा गया है:

''समिति ने आशंका व्यक्त की है कि यदि बिक्री की अधिकांश आय भावी कारोबार को बढ़ाने में लगाने की बजाय पिछले बकाया निपटाने में लगायी गई तो इस सुधार के बावजूद सी.सी.आई. की दीर्घकालिक व्यवहार्यता का सीमित अवसर था, क्योंकि क्षमता में बहुत सीमित वृद्धि ही होगी। समिति ने यह पाया है कि सरकार को सीमेंट क्षेत्र में, जहां निजी कंपनियां अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रही हैं। नए संयंत्र अधिग्रहण कर रही हैं और विश्व के सीमेंट क्षेत्र के महारथी भारतीय सीमेंट क्षेत्र में स्टेक ले रहे हैं, वर्तमान रूझान का जायजा लेना चाहिए। अपनी सीमित क्षमता के साथ सी.सी.आई. इन कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पायेगी और अंतत: सरकार से बजट सहायता मांग सकती है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं क्योंकि सी.सी.आई. पूर्णत: सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है, कि हानि के वर्षों में सी.सी.आई. के बोर्ड के सरकारी निदेशकों की क्या राय और विचार हैं। यही प्रश्न समिति ने भी रखा था। मुझे यह कहते हुए खेद है कि समिति को कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। क्या माननीय मंत्री इस महत्वपूर्ण सभा के समक्ष यह बता सकेंगे कि क्या सरकार इन निदेशकों की कोई जिम्मेदारी निर्धारित करना चाहती है? सरकार ने इस हानि के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? जो हम बेच रहे हैं वे महत्वपूर्ण जमीनें हैं। मैं इस प्रकार की बिक्री का पूर्णत: विरोध करता हूं। इस तरह के भूमि विक्रय की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आज आपका जन्म-दिन है, हम आपको बधाई देते हैं।

विशेष परिस्थिति में श्री बसुदेव आचार्य जी संक्षेप में बोलें। नम्बर तो इधर का था, लेकिन विशेष परिस्थिति है, इसलिए आप बोलें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हम संक्षेप में ही बोलेंगे, डेढ़ बजे हमें मीटिंग में जाना है।

सभापति महोदय: यह बड़ा अच्छा रहेगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, भारतीय सीमेंट निगम की स्थापना 1960 में हुई। अपनी आरंभिक अविध में सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम ने लाभ अर्जन किया। लेकिन धीरे-धीरे यह रूग्ण होने लगा और 1990 में यह पूर्णत: रूग्ण हो गया। इसका निवल मूल्य नगण्य हो गया और अपनी सारी इकाईयों के साथ सी.सी.आई. को बी आई एफ आर को सौंप दिया गया। बी आई एफ आर ने इस कंपनी की पुन: स्थापना की सिफारिश करने में कई वर्ष लगा दिए।

मैं एक ऐसी इकाई के विषय में जानता हूं जो सी.सी.आई. के अंतर्गत था और यह मेरे संसदीय क्षेत्र में है। दामोदर सीमेंट कंपनी लिमिटेड सी.सी.आई. की ही एक इकाई है, लेकिन यह एक पृथक इकाई थी और इसका पृथक प्रबंधन बोर्ड था। इसे भी बी आई एफ आर को सौंप दिया गया, लेकिन अन्य इकाईयों के साथ नहीं। वर्ष 1996 में, प्रबंधन में परिवर्तन हुआ। एसीसी द्वारा इस कंपनी के अधिग्रहण के पहले वर्ष से यह कंपनी लाभ अर्जित करने वाली कंपनी बन गई। लेकिन आरंभ में इस कंपनी को हानि उठानी पड़ी। चार वर्षों में इस कंपनी की संचित हानि 65 करोड़ रुपये से अधिक थी। अब, यह कंपनी एक वर्ष में 25 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित कर रही है।

सी.सी.आई. के साथ क्या समस्या थी? प्रबंधन कुशल नहीं था। वे इन सभी इकाईयों का प्रबंधन नहीं कर सके। खंगर (किलंकर) की कमी थी। सीमेंट के विनिर्माण में खंगर (किलंकर) की आवश्यकता होती है। इनके पास खंगर बनाने का संयंत्र भी था। लेकिन इन सभी इकाईयों को खंगर की उचित रूप से और अपेक्षित मात्रा में आपूर्ति नहीं की गई। तत्पश्चात् धीरे-धीरे यह रूग्ण होती गई। भारत सरकार द्वारा ही उपाय किये जाने थे क्योंकि शत-प्रतिशत शेयर भारत सरकार के पास थे? भारत सरकार ने इन सभी इकाईयों को अर्थक्षम बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। सीमेंट क्षेत्र की लगभग सभी इकाईयां लाभ अर्जित कर रही हैं। सी.सी.आई. की इकाईयों को हानि क्यों हो रही है? सरकार सी.सी.आई. की इकाईयों की समस्याओं की गहराई में नहीं गई है। बाद में जब सरकार ने निर्णय लिया, वह चरखी दादरी सीमेंट प्लांट की परिसंपत्तियों के निपटान के लिए सी.सी.आई. को शक्तियां प्रदान करने के लिए इस विधान को लाई है। इसका मुख्य उद्देश्य जिसका उल्लेख उद्देश्य और कारणों के विवरण में किया गया है, बिक्री से होने वाली आय के मुख्य अंश का उपयोग तीन इकाईयों के पुनरूद्धार और ऋण और देयताओं के निपटान में करने का है।

[श्री बसुदेव आचार्य]

मैं माननीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या जिन तीन इकाईयों की पुन:स्थापना की जानी है और जिनके लिए बी आई एफ आर ने सिफारिश की है और जो आई एफ सी आई द्वारा तैयार की गई प्रारूप पुन:स्थापना योजना द्वारा प्रस्तावित की गई है, सी.सी.आई. इस धनराशि से अपनी इन तीन इकाईयों की पुन: स्थापना करने और भविष्य में इन इकाईयों को अर्थक्षम बनाने में समर्थ होगा।

इन तीन इकाईयों की पुन: स्थापना के लिए एक कोष की स्थापना की जाएगी और उस कोष से एक निश्चित राशि इन इकाईयों की पुन: स्थापना के लिए उपयोग की जाएगी। मैं जानना चाहता हूं क्या इस कोष से इन तीन इकाईयों की पुन:स्थापना की जाएगी अथवा नहीं।

उद्योग संबंधी स्थायी समिति ने बताया है कि प्रारंभ में जब पुन:स्थापना योजना तैयार की गई थी, तब आवश्यक धनराशि 40 करोड़ रुपये थी। केवल 40 करोड़ रुपये व्यय करके सरकार भारतीय सीमेंट निगम की अधिकांश इकाईयों को पुन: स्थापित कर सकती थी। लेकिन हमारा अनुभव यह है कि कई मामलों में बी आई एफ आर की सिफारिश के बावजूद सरकार रूग्ण सरकारी उपक्रमों की पुन: स्थापना के संबंध में ठोस और सकारात्मक कार्यवाही करने में हिचकिचाहट के कारण सही समय पर कार्यवाही करने में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप हानियां बढ़ती गई। और पुन:स्थापना की लागत निरंतर बढ़ती गई। इसके बाद, सरकार ने कुछ इकाईयों को बंद करने का निर्णय किया।

चरखी दादरी सीमेंट कंपनी भी इकाई के संबंध में यदि सरकार ने इसकी पुन:स्थापना हेतु धनराशि व्यय की होती अथवा सही समय पर उचित कार्यवाही की होती, यह कंपनी भी पुन: स्थापित हो सकती थी। आप, इस विधान को पारित करने के बाद, सी.सी.आई. को अपनी इकाई बंद करने और अपनी परिसंपत्तियों के निपटान का अधिकार प्रदान करके सरकार धन प्राप्त करेगी। यदि सरकार ने समय पर कार्यवाही की होती, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अत:, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं क्या सरकार भारतीय सीमेंट निगम को चलाना चाहती है अथवा नहीं।

आज, कड़ी प्रतिस्पर्धा है। कुछ कंपनियों का एकाधिकार है। अब भारतीय सीमेंट निगम का अंश एक प्रतिशत से भी कम है। सभी सीमेंट इकाईयां एकाधिकार बना रही हैं और मूल्यों में वृद्धि कर रही हैं। आज, सीमेंट की एक बोरी का मूल्य 210 रु. है। इसलिए, एक सुदृढ़ सरकारी उपक्रम का अस्तित्व प्रमुख सीमेंट उत्पादक कंपनियों के इस क्षेत्र में एकछत्र अधिकार को हिला सकता है। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इस पर ध्यान देगी कि भारतीय सीमेंट निगम सुदृढ़ हो, और इसकी इकाईयां पुन: स्थापित हों। ये इकाईयां कुछ धन खर्च करके और कुछ संजीदा गंभीर प्रयासों से अर्थक्षम बनाई जा सकती हैं। इन इकाईयों को निश्चित तौर पर पुन:स्थापित किया जा सकता है।

अत: मैं मांग करता हूं कि इन इकाईयों को अर्थक्षम बनाया जाए।

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर, पश्चिम बंगाल): मैं माननीय भारी उद्योग मंत्री द्वारा लाए गए डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) संशोधन विधेयक, 2006 का समर्थन करता हूं।

यह एक संक्षिप्त विधान है। मुझे नहीं लगता कि इस पर ज्यादा विचार-विमर्श की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार की आस्था माननीव पहलू के दृष्टिगत उदारीकरण की अवधारणा में है। इस अवधारणा के अनुपालन में, यह सरकार हमारे देश में रूग्ण उद्योगों की पुन:स्थापना के लिए सभी संभव उपाय कर रही है।

भ्रम पैदा करना आसान है, लेकिन समाधान ढूंढना मुश्किल है। जैसा हम जब जानते हैं आज अवसंरचना क्षेत्र हमारे देश में तेजी से विकास कर रहा है। स्वाभाविक तौर पर सीमेंट की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। भारतीय सीमेंट निगम काफी पुराना संगठन है। अब, हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, जहां गलाकाट प्रतिस्पर्धा एक मंत्र हैं। गला काट प्रतिस्पर्धा के दौर में उन्नत प्रौद्योगिकी और मौलिक दृष्टि कोण के बिना हम मुकाबला नहीं सकते क्योंकि प्रमुख सीमेंट कंपनियां जो निरंतर आधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त कर रही हैं, आसानी से पुराने सरकारी उपक्रमों को बाहर कर रही हैं। अत:, हमें इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ नए दृष्टिकोण अपनाने होंगे। इस परिदृश्य में, एक अव्यवहार्य संगठन को बनाए रखना कोई योग्यता नहीं है। अत:, मंत्रालय ने नुकसान उठा रहे चरखी दादरी सीमेंट संयंत्र को बंद करने का बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया है।

महोदय, इस उपक्रम का भारतीय सीमेंट निगम को अंतरण उद्योग मंत्रालय की एक अधिसूचना के माध्यम से वर्ष 1981 में किया गया था। अत:, सरकार एक नया विधान लाए बिना इसे बंद नहीं कर पाएगी इसलिए परिस्थिति की मांग है कि इस विधान को पारित कर दिया जाए ताकि चरखी दादरी सीमेंट संयंत्र के नाम के तहत अलाभकारी इकाईयों को बंद किया जा सके। प्रत्येक अवसर पर जब भी किसी संगठन को बंद किया जाना होता है, सभी

पणधारियों सभी पहलूओं और सभी प्रतिमानों पर एसआईसीए के अंतर्गत बी आई एफ आर द्वारा विचार किया जाता है। इस मामले में भी गत वर्षों में बी आई एफ आर द्वारा विस्तृत जांच की गई। लेकिन यदि अपेक्षित स्तर तक किसी संगठन के पुनरूद्धार का रास्ता नहीं मिलता तो सरकार के पास घाटे में चलने वाले संगठन की बिक्री के अलावा अन्य विकल्प नहीं बचता क्योंकि ऐसा संगठन राष्ट्रीय कोष पर भी बोझ बन जाता है।

अत: मैं मानता हूं कि मंत्रालय ने इस मामले में उचित निर्णय लिया है। तथापि, मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन में कहा गया है कि डालमिया-दादरी सीमेंट अधिनियम, 1988 में उचित संशोधन का निर्णय लिया गया है ताकि सी.सी.आई. को चरखी-दादरी सीमेंट संयंत्र को बंद करने और उसकी परिसंपत्तियों के निपटान हेतु सक्षम बनाया जा सके। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या चरखी-दादरी-सीमेंट संयंत्र की बिक्री से होने वाली आय का इस्तेमाल सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के पुनरूद्धार के लिए किया जायेगा।

महोदय, मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि चरखी-दादरी सीमेंट की बिक्री से होने वाली आय से सी.सी.आई. को कैसे लाभ होगा। अत: मैं मानता हूं कि सरकार सही तरीके से सही कार्य करने के प्रति ईमानदार है क्योंकि हम अपनी राष्ट्रीय परिसंपत्ति की अंधाधुंध बिक्री के पक्ष में नहीं है। लेकिन जो परिसंपत्तियां पिछले कई वर्षों से घाटे में हैं, उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था की खातिर बेच दिया जाना चाहिए और इसके अलावा घाटे में चलने वाले रूग्ण उद्योगों का बोझ अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नहीं डाला जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं डालमिया-दादरी सीमेंट लमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक, 2006 का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार द्वारा प्रस्तुत डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक, 2006 के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि इस यूपीए सरकार की सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में जो नीति है, वह आधा तीतर और आधा बटैर वाली नीति है। एक तरफ वर्ष 1991 से उदारीकरण के नाम पर, भूमण्डलीकरण के नाम पर निजीकरण को बढ़ावा देना और सार्वजनिक उपक्रमों में जहां-जहां घाटा हो रहा है, उनको बंद करना या उबारने का काम यह सरकार कर रही है। यह सरकार निरंतर हमारे वामपंथी साथियों के दबाव में आकर घाटे वाले उपक्रमों को, जो चाहे कितने ही घाटे में हों, कभी बीआईएफआर के नाम पर और कभी उनके पुनरूद्धार के नाम पर उनके घाटे का भार उठाती रहती है। मैं जानना चाहता हूं कि बीआईएफआर के माध्यम से जिन सार्वजनिक उपक्रमों का पुनरूद्धार हुआ है या नवीनीकरण हुआ है, रिवाइवल हुआ है, उनमें से कितने उपक्रम वापस लाभ में आ गए हैं, इसके बारे में भी मंत्री जी स्थिति स्पष्ट करें।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एचएमटी की एक इकाई है, जो घाटे में चल रही है। हालांकि जब कभी काम आ जाता है तो उनके पास काम बढ़ जाता है और वहां के लोगों को थोड़ा काम मिल जाता है अन्यथा हमेशा यह तलवार लटकी रहती है कि एचएमटी, बंगलौर का हेडक्वार्टर और उसकी सभी शाखाएं घाटे में चल रही हैं, वे कब बंद हो जाएं या कब क्या हो जाए। इसी तरह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एनटीसी की दो मिलें-महालक्ष्मी और एडवर्ड-हैं। नेशनल टक्सटाइल कारपोरेशन में मिलों के मैनेजमेंट पर तो दुनिया भर का खर्च हो रहा है, लेकिन कर्मचारियों को वीआरएस दी जा रही है। इसके परिणामस्वरूप न तो उनमें उत्पादन बढ़ रहा है और न ही उनकों माल उपलब्ध हो रहा है, दूसरी तरफ मैनेजमेंट सफेद हाथी की तरह महंगे साबित हो रहे हैं। यहां हमारे भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि आखिर यह स्थिति कब तक बनी रहेगी? आज यहां सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया पर चर्चा हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि एक तरफ सरकार की यह नीति है कि हमारी आवासीय समस्या हल हो, देश के गरीबों, मध्यम वर्ग और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आबादी की आवासीय समस्या का निराकरण हो, हालांकि इसके लिए बैंक्स लोन आदि भी दे रहे हैं, लेकिन सीमेंट और स्टील के भाव पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है।

सभापति महोदय, मैं इस विषय पर आपका संरक्षण चाहूंगा। आप स्वयं भी इस स्थिति से भली प्रकार अवगत होंगे कि आज बाजार में सीमेंट और इस्पात के भाव बहुत बढ़ गए हैं। जब मंत्री जी जवाब दें तो इसे भी बताएं कि आज हम क्यों सीसीआई को सशक्त करना चाहते हैं। जो यूनिट्स घाटे में हैं, उनकी जमीन और परिसंपत्तियों को बेचकर हम उनका विस्तार करना चाहते हैं, वह करें, सीसीआई को सशक्त बनाएं, लेकिन सीसीआई देश में सीमेंट का सस्ता उत्पादन करें।

मेरे क्षेत्र में सीमेंट की दो इकाइयां चल रही हैं। उनमें एक श्री सीमेंट है, पहले उसकी एक इकाई थी, बाद में दूसरी खुली। उसके बाद गुजरात अम्बुजा ने भी अपनी सीमेंट इकाई खोली। मुझे

[प्रो. रासा सिंह रावत]

आश्चर्य होता है कि जब ये निजी सीमेंट इकाइयां लाभ में चल रही हैं तो सरकार की यूनिट्स क्यों घाटे में चल रही हैं।

1960-1965 में यह जो सरकारी उपक्रम स्थापित हुआ, यह 1995 में घाटे में आ गया और फिर इसके रिन्यूवल की स्कीम बनी। अगर 1998 में ही इसका रिन्यूवल हो जाता तो उस समय कम पैसे में काम चल जाता, लेकिन आज 2006 चल रहा है, अब काफी पैसे की जरूरत पड़ेगी। इस बिल में बताया गया है,

[अनुवाद]

'भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत'

[हिन्दी]

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, एक जनहित याचिका यानी पीआईएल जो इस सम्बन्ध में दायर की गई थी, उस पर निर्णय दिया गया है:-

[अनुवाद]

''सेण्टर फॉर पी आई एल बनाम भारत संघ, 2003 डालमिया-दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1981 में समुचित संशोधन करने का निर्णय किया गया है ताकि सीसीआई को चरखी-दादरी सीमेंट संयंत्र को बंद करने और इसकी परिसंपत्तियों के निपटान का अधिकार दिया जा सके।

[हिन्दी]

आप जानते हैं कि चरखी दादरी हरियाणा में है, जो दिल्ली के पास है इसलिए वहां जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। मंत्री जी यह बताएं कि वह इसे नीलामी के द्वारा बेचेंगे या अन्य तरीके से बेचेंगे अधिकारियों के भरोसे छोड़ जाएगा? अगर ऐसा किया जाएगा तो वे लोग अपनी मनमर्जी करेंगे। इस तरह जो उसके एसेट्स हैं, उनसे इनकम नहीं हो पाएगी। इस यूनिट के बारे में कहा गया है:

[अनुवाद]

''डी आर एस में अन्य बातों के अलावा काम न कर रहे संयंत्रों को बंद करने और उसकी परिसंपत्तियों की बिक्री का प्रावधान है।''

इन बंद सात संयंत्रों में कौन-कौन से संयंत्र हैं?

[हिन्दी]

इसकी जानकारी बिल में नहीं दी गई है। इसलिए कृपया जवाब देते समय इसकी भी जानकारी दें।

[अनुवाद]

तत्पश्चात ''शेष तीन संयंत्रों के विस्तार या आधुनिकीकरण'' की बात है।

[हिन्दी]

ये तीन प्लांट्स कौन से हैं, जिनका विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण किया जाएगा? सात प्लांट्स को बंद किया जाएगा, लेकिन अभी एक के बारे में ही आप बिल लेकर आए हैं, बाकी का क्या होगा, उसके बारे में भी जानकारी दें?

देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सबसे पहले सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किए थे। उस समय इन्हें हमारा तीर्थ क्षेत्र कहा जाता था। इनके द्वारा भारत का विकास, भारत का निर्माण और दुनिया में भारत की समृद्धि होगी, ऐसा उनका विचार था। लेकिन अफसोस है कि धीरे-धीरे इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की दयनीय स्थिति हमारे सामने आ रही है। इससे पता चलता है कि मिसमैनेजमेंट के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। वहां आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जो इस मामले के एक्सपर्ट नहीं होते और थोड़ा समय वहां रूककर अन्यत्र चले जाते हैं। इस कारण वे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। मंत्री जी जवाब देते समय इन सभी बातों का भी उल्लेख करेंगे, इस आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. सुब्बारायण (कोयम्बटूर): सभापति महोदय, यह विधेयक, 1981 में सीसीआई को हस्तांतरित डालमिया-दादरी सीमेंट लिमिटेड को बंद करने के लिए सभा की मंजूरी प्राप्त करने के लिए लाया गया है।

यह कहा गया कि सीसीआई वर्ष 1996 में रूग्ण इकाई बन गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सीसीआई रूग्ण इकाई कैसे बन गई। श्रमिक संघों ने सीसीआई के अध्यक्ष और शीर्ष अधिकारियों पर अनदेखी और भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाये थे।

शुरू में एक जांच का आदेश दिया गया था। लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं कि जांच के क्या निष्कर्ष हैं। किसी शीर्ष अधिकारी को हटाया नहीं गया है, बल्कि सात सीमेंट फैक्ट्रियों के

श्रमिक पीड़ित हो गए हैं। फैक्ट्री बंद हुई हैं और श्रमिकों को निकाल दिया गया है। वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

सीमेंट की भारी मांग है। 9.5% से 10% वार्षिक विकास दर वाली अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। सीमेंट हमारी अर्थव्यवस्था के विकास हेतु महत्वपूर्ण और आवश्यक सामग्री है। सीमेंट फैक्ट्रियों को घाटा कैसे हो सकता है? वर्ष 1996 में प्रति बोरी सीमेंट की कीमत 80 रुपये से 85 रुये तक थी। लेकिन आज प्रति बोरी सीमेंट की कीमत 220 रुपये है और इसके और बढ़ने की संभावना है। लेकिन देश में कुछ फैक्ट्रियां भारी मुनाफा कमा रही हैं।

सीसीआई के घाटे का कारण कुछ अधिकारियों की विफलता है और सार्वजनिक क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। इसके बजाय मैं सीसीआई की सभी सात रुग्ण इकाईयों को फिर से खोलने का प्रस्ताव करता हूं जिसके आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु आवश्यक धन दिया जाना चाहिये। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पूरा निवेश तीन वर्षों में वापस हो जायेगा।

इसके अलावा रुग्ण इकाईयों के पुनरुद्धार और उन्हें अर्थक्षम बनाने हेतु न्यूनतम साझा कार्यक्रम का भी पालन करें।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): माननीय सभापति महोदय, इस विधान का उद्देश्य डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1981 को ठीक करना और उसमें संशोधन करना है ताकि सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत चरखी दादरी सीमेंट संयंत्र को बंद कर सके और उसकी परिसंपत्तियों का विस्तारण कर सके।

मैं समझ नहीं पाया कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कैसे हस्तक्षेप किया और मूल अधिनियम गलत कैसे था। अब मंत्री महोदय का इरादा इस अधिनियम में संशोधन करने का है ताकि सीसीआई के सात संयंत्रों को बंद किया जा सके और उनकी परिसंपत्तियों को बेचा जा सके। ये बहुत मूल्यवान परिसंपत्तियां हैं। सरकार का जिन सात संयंत्रयों को बेचने का इरादा है, उनकी परिसंपत्तियां मूल्यवान हैं। चरखी दादरी सीमेंट संयंत्र में तीन रक्षित खाने हैं। सरकार ने मध्य प्रदेश में स्थित करीब 91.37 मिलियन टन के भंडार वाली चूने की इन तीन खानों को बंद करने की पेशकश की है। यह बड़ी मूल्यवान खाने हैं।

बी आर पी ई भी इन सात इकाइयों को बंद करने और इन्हें बेचने पर काफी विभाजित था। उनमें इस मुद्दे को लेकर मतभेद था। यद्यपि, उनमें मतभेद है फिर भी सरकार सीसीआई की सात इकाईयों को बंद करने और उनकी भूमि बेचने के फैसले पर कायम है। भूमि भी काफी मूल्यवान है। मध्य प्रदेश में एक इकाई के पास 1,100 एकड़ की मूल्यवान भूमि है। हरियाणा में भी एक अन्य इकाई की भूमि बहुत कीमती है।

अब निजी कंपनियां आगे आ रही है। बिड़ला समूह की कंपनियां आगे आ रही हैं। ग्रासिम ने भी इन सभी इकाईयों के अधिग्रहण में रुचि दिखाई है। फिर भारत सरकार के सामने क्या कठिनाई है? सीसीआई के इन उपक्रमों पर भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का नियंत्रण है। इसकी कठिनाई क्या है? हमें पता है कि हमारे देश में सीमेंट बहुत कीमती है। लागत काफी बढ़ गई है। सीमेंट कंपनियों का मुनाफा बहुत बढ़ गया है। सीमेंट की कीमत असमान छूने लगी है। आम आदमी को काफी मुश्किल हो रही है।

यदि सरकार अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की इकाईयों को बेचने का फैसला करेगी तो सीमेंट क्षेत्र पूरी तरह निजी कंपनियों के नियंत्रण में आ जायेगा और उनका एकाधिकार हो जायेगा। अत: कीमत कभी भी आसमान छूने लगेगी। कीमत पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। इस धन से सरकार तीन अन्य इकाईयों का सुधार और आधुनिकीकरण करना चाहती है, वे भी इन सात इकाईयों से अलग नहीं है। इन सात में से एक इकाई बड़ी आधुनिक इकाई है। सरकार इस इकाई को क्यों बेच रही है? कार्यपूंजी और अन्य चीजों के लिये केवल थोड़े से धन की आवश्यकता है। लेकिन सरकार उस इकाई को भी बेच रही है जहां सरकार ने भी आधुनिकीकरण हेतु निवेश किया हुआ है।

अत: हम सरकार की वास्तविक मंशा जानना चाहते हैं। उनकी रुचि इसमें क्यों है? वे इन सात इकाइयों के पुनरुद्धार में धन क्यों नहीं निवेश कर रहे हैं? जब रक्षित खान और कीमती जमीन उपलब्ध है तो वे बेचने में इतनी रुचि क्यों ले रहे हैं? क्या ऐसा इसलिये है क्योंकि निजी कंपनियों की इसमें रुचि है और इसलिये सरकार सातों इकाइयों को बेचने में रुचि ले रही है? या वाकई उनका कोई अन्य इरादा है?

निश्चित तौर पर बी आई एफ आर को यह मामला भेजा गया था और उन्होंने यह सिफारिश की। मैं बी आई एफ आर के बारे में कुछ नहीं कहता। सरकार को विरोध करना चाहिये था लेकिन उन्होंने बात मान ली। सरकार ने 1996 में बी आई एफ आर के पास यह मामला भेजा था सरकार ने भी बी आई एफ आर में विरोध के बजाय इन सातों इकाईयों की बिक्री का अनुरोध किया अब सरकार इन सातों इकाइयों को बेचने की स्थिति में है। अत:

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

मैं स्पष्ट तौर पर सरकार से जानना चाहता हूं। मंत्री महोदय हमें बतायें कि सरकार की वास्तविक मंशा क्या है?

अन्य 6 इकाईयों का क्या होगा? सरकार अन्य 6 इकाईयों का क्या करेगी? सरकार एक विशेष इकाई हेतु संशोधन ला रही है। अन्य 6 इकाईयों का क्या होगा? क्या यह संशोधन अन्य 6 इकाईयों के लिये भी पर्याप्त है और क्या सरकार उन 6 अन्य इकाइयों हेतु दूसरा संशोधन नहीं लायेगी? हम यह जानना चाहते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री धावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): महोदय, वैसे तो सभी बिंदुओं पर चर्चा हो गई है, लेकिन फिर भी मैं एक-दो बातों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मंत्री जी बताएं कि इस संशोधन विधेयक में उन सातों इकाइयों को, जो रुग्ण हैं और बीआईएफआर ने जिन्हें बंद करने का निर्णय लिया है, उन्हें बेचने के बारे में सदन की अनुमति क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या यह बात सही है कि दादरी सीमेंट संयंत्र को कुछ लोगों ने खरीदने का मन बना लिया है। उन्होंने सरकार से अप्रोच की है और सरकार ने मन बना लिया है कि यह रुग्ण संयंत्र उन्हें दे दिया जाए। अगर ऐसा है, तो इस सदन को अवगत कराया जाए कि जो संस्थान आपके पास आया है, उनसे किस आधार पर चर्चा की है? इसकी कुल परिसम्पति का विवरण क्या है, देनदारियां कितनी हैं, मजदूरों के हित से संबंधित वेतन-भत्ते ईपीएफ का कितना बकाया है, उनके बारे में कब-कब क्या करने वाले हैं, बीआईएफआर ने इसके बारे में क्या निर्णय दिया है और आप मजदूरों को कब तक पेमेंट करने वाले हैं। अगर इन बातों का उत्तर सदन में दे देंगे, तो हम मानेंगे कि सरकार की नीयत इस उद्योग को बचेकर पुनर्जीवित करके चलाने की है, अन्यथा हम मानने के लिए बाध्य है कि कहीं न कहीं षडयंत्र हो रहा है और सीसीआई अच्छी हालत में होने के बावजूद दादरी सीमेंट को बेचने का काम कर रहा है। यह प्रमुख बात आपके उद्देश्य और कारणों में जो कथन आपने दिया है, उसमें परिलक्षित होती है। हम जानना चाहेंगे कि इसके रुग्ण होने का कारण क्या है? सीसीआई जैसी संस्था इन संस्थानों को चला रही थी। सीमेंट के भाव देश भर में बढ़ रहे हैं। उसका उल्लेख मेरे पूर्व माननीय सदस्यों ने किया है। सीमेंट उद्योग भारी मुनाफे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि क्या फिर से पैसा लगा कर इन उद्योगों को सरकार स्वयं चलाए।

उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय दिया था। उस निर्णय से आप सदन को अवगत कराएं कि उन्होंने इस निर्णय में क्या कहा था? निर्णय का तारतम्य तो आपने दर्शाया, किंतु न्यायालय ने क्या कहा, यह नहीं बताया। इसे बेचने का जो तरीका है वह नीलामी है, टेंडर है या विज्ञापन जारी करके उद्योगपतियों को आमंत्रित करना है। अगर ऐसा करने वाले हैं, तो समझ में आएगा कि आप इस उद्योग को फिर से चालू करना चाहते हैं और अगर सीधे-सीधे किसी एक पार्टी को बेचेंगे तो हम मानेंगे कि आपने पहले से कोई कार्य योजना बना ली है।

हम यह भी जानना चाहेंगे कि इस उद्योग में लगे श्रमिकों को क्या वीआरएस देने की योजना है? आप इस उद्योग को बेचने वाले हैं और इसमें जो काम करने वाले श्रमिक हैं क्या वे इसमें कार्यरत रहेंगे या उन्हें इस उद्योग में कार्य करने में प्राथमिकता देंगे? अगर विधेयक में कहीं न कहीं इसका उल्लेख किया होता तो ज्यादा अच्छा होता। अगर इसमें आवश्यक नहीं है, तो क्या आप जिसे उद्योग बेचेंगे, उससे अनुबंध करेंगे कि इसमें जो श्रमिक कार्यरत हैं, उन्हें प्राथमिकता के साथ यहीं नौकरी करने को कहा जाएगा। ऐसी कुछ आशंकाएं हैं और अगर सदन को इन सब बातों से अवगत कराने के बाद अगर आप अनुमति लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

अपराह्न 2.00 बजे

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, सर्वप्रथम, मैं आपका ध्यान एक मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा और अनुरोध करूंगा कि आप उसमें हस्तक्षेप करें। जब संसद में कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो सरकार जहां तक संभव हो संसद को विश्वास में लेकर उसे अधिकाधिक जानकारी देने के लिए बाध्य है। यदि आप विधेयक के उद्देश्य खण्ड में जाएं तो आप पाएंगे कि इसे जानबूझकर जहां तक संभव हो सके छुपाने की कोशिश की गई है। यह मामला बी आई एफ आर को कब सौंपा गया था? बी आई एफ आर द्वारा इस संबंध में कब निर्णय दिया गया था। बी आई एफ आर द्वारा निर्णय दिए जाने के पश्चात् भी सरकार ने इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की? सर्वोच्च न्यायालय को बीच में क्यों आना पड़ा? सर्वोच्च न्यायालय का क्या आदेश था? मेरे विचार में यह अत्यधिक आपत्तिजनक है। जब तक कि माननीय मंत्री सभा की अनुमति प्राप्त करने के लिए उसे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर उचित और व्यापक तरीके से इन सभी मुद्दों से अवगत नहीं कराते, सर्वप्रथम, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह हमें विश्वास में ले। यदि वे विधेयक को वापिस देना

चाहते है तो ठीक हैं। वे विधेयक वापिस लेकर अपनी तैयारी पूरी करके आयें और फिर वे हमें इसकी पूरी जानकारी दे सकते हैं। वे केवल तभी कह सकते हैं कि सभा समस्त जानकारी प्राप्त करके निर्णय ले रही है। इसके अभाव में, यदि वे प्रमुख जानकारी छुपाते हैं तो संसद में विधेयक प्रस्तुत करने का यह उचित तरीका नहीं है।

इस विधेयक का अत्यंत सीमित प्रयोजन है परंतु इससे कई महत्वपूर्ण मुद्दे उत्पन्न होते हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया था पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि 'सरकारी क्षेत्र के उद्यम आधुनिक भारत के मंदिर हैं।' अत: उन्होंने इस्पात, सीमेंट यदि प्रमुख क्षेत्रों में नए संस्थान और नई फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए भारी मात्रा में सार्वजनिक निधियों का निवेश किया। बाद में दूसरा चरण आया जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधान मंत्री थी। सरकारी धन के उपयोग से वे कई रुग्ण एककों को खरीदने में किया गया जिन्हें निजी कंपनियां चला रही थी। फिर 1991 से 1996 के बीच तीसरा चरण आया जब श्री नरसिंहा राव की सरकार थी और हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री उस समय वित्त मंत्री थे। उन्होंने कहा कि जो सरकारी क्षेत्र के उद्यम घाटे में चल रहे हैं उससे सरकारी धन की हानि हो रही है। अत: उन्होंने कहा कि 'हमें इन कंपनियों में से अनेक कंपनियों को बी आई एफ आर के पास भेजना चाहिए।' इसी बीच एन.डी.ए. सरकार सत्ता में आई। अब, यू.पी.ए. भी सरकार है। अब मैं कुछ उलझन में हूं। क्या ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं या नहीं? यदि वे आधुनिक भारत के मंदिर नहीं हैं तो वे क्या हैं? आपने भारी मात्रा में सरकारी राशि इन कंपनियों में निवेश की है। उस धन का क्या हुआ जिसे इन रुग्ण कंपनियों में निजी उद्यमों से खरीदने में निवेश किया गया था। हमने वह राशि निवेश की थी। क्या इस राशि का उचित उपयोग किया गया है? सभा को इसकी जानकारी होनी चाहिए। सरकार को एक श्वेत-पत्र तैयार करना चाहिए और इसे सभा के समक्ष लाना चाहिए तथा वह जानकारी देनी चाहिए कि निजी क्षेत्र के उद्यमों को खरीदने और उन्हें संकट से उबारने के लिये कितनी सार्वजनिक निधियों का निवेश किया गया है।

अब हम कह रहे हैं कि हम यह कंपनियां बेचना चाहते हैं क्योंकि ये कंपनियां लाभ नहीं कमा सकती। प्रश्न यह उठता है कि जब हमने इन कंपनियों को खरीदा था तब वे पहले ही घाटे में चल रही थीं। इन कंपनियों में कुछ समय तक कार्य हुआ है जिस व्यक्ति ने इन कंपनियों को चलाया उसकी क्या जिम्मेदारी है? सरकार की क्या जिम्मेदारी है जिसके तहत ये कंपनियां चल रही थी? यदि कंपनियां घाटे में चल रही थी तो उनमें हो रहे घाटों के क्या कारण थे? मेरे विचार में, मंत्री जी को हमें यह सब बताना चाहिए कि ताकि हमें पता चल सके कि इन कंपनियों में घाटा क्यों हुआ और इसका क्या प्रयोजन है।

बी आई एफ आर ने अनेक कंपनियों का संज्ञान लिया है। बी आई एफ आर ने पहले ही अनेक कंपनियों में बंद करने की सिफारिश में है। माननीय मंत्री हमें यह बताएं कि बी आई एफ आर ने कितनी कंपनियों को बंद करने का आदेश जारी किया है और उन्होंने कितनी कंपनियां बंद करने की कार्यवाही की है। यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। यह तब समझ आता जब बी आई एफ आर द्वारा सिफारिशों की गई सभी कंपनियों को बंद किया जाता है। वे कुछ कंपनियों को बंद करेंगे और कुछ को नहीं। इसके पीछे क्या तर्क है? क्या यह किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है अथवा यह सरकार द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। अत: हम यह जानना चाहेंगे कि वे किस आधार पर कुछ कंपनियों को बंद करने या न बंद करने का निर्णय ले रहे हैं। उन्हें सभा में यह बताना चाहिए। हमें यह जानने का अधिकार है।

महोदय, हमने हमेशा यह देखा है कि सरकार भूमि का विकास करने का प्रयास करती है। भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय का कार्य है कि वह कंपनी को चलाए। यदि वे इसे नहीं चला पाते तो सम्पत्ति बेच दी जाती है। वस्त्र मंत्रालय ने मुम्बई में कई करोड़ रु. मैं कुछ संपत्तियों की बिक्री की थी। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं जब भी भूमि की बिक्री की जाती है तो शत-प्रतिशत राशि की अदायगी चैक द्वारा की जाती है।

अत:, कुछ राशि की हानि हो सकती है। यह जानना हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है कि क्या सरकार को भूमि का निकास करना चाहिए। क्या सरकार में भूमि बेचनी और खरीदनी चाहिए? क्या सरकार का कार्य है? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसका अर्थ यह है कि पहले रुग्ण कंपनियों को खरीदिए और कुछ समय पश्चात् उन्हें बेच दीजिए। क्या हमें जमीन खरीदनी अथवा बेचनी चाहिए? क्या यह सरकार का कार्य है? हम माननीय मंत्री से इस मुद्दे के बारे में जानना चाहेंगे एक उचित नीति होनी चाहिए जिसके द्वारा यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि कंपनी का अधिग्रहण कैसे किया जाए; उसे कैसे बेचा जाए, आप उसे क्यों बेचना चाहते हैं, आदि।

मैं यहां एक और महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री हमें इसकी जानकारी दें। शायद, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इसी तथ्य पर आधारित है कि जब सरकार कोई संपत्ति अधिग्रहीत करती है तो संसद उस व्यापार को राष्ट्रीकृत करते हेतु

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

कानून पारित करती है। अत: यदि उसे विराष्ट्रीयकृत किया जाता है अथवा बेचा जाता है तो संसद की अनुमति ली जानी चाहिए। ऐसा करना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय चाहता है कि संसद इसमें शामिल हो ताकि संसद समस्त जानकारी लेकर एक निर्णय ले। क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह सभी सम्बद्ध दस्तावेजों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करे? अन्यथा, कोई और भी जनहित याचिका दायर कर सकता है और कह सकता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि सरकार ने हमारे समक्ष केवल यह दस्तावेज प्रस्तुत किया और इसके अतिरिक्त इसके संबंध में सबूत के तौर पर कोई और दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया था। अत: संसद जिस आधार पर यह निर्णय लेती है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि हमारे समक्ष सभी सम्बन्धित दस्तावेज और सूचना प्रस्तुत की जाए और जब यह हो जाएगा केवल तभी हम इस पर कोई निर्णय ले पाएंगे।

एक और मुद्दा है जो सीमेंट कंपनियों से संबंधित है। यदि आप मुम्बई शेयर बाजार सूचकांक को देखें तो आप यह पाएंगे कि सीमेंट व्यापार की सभी कंपनियां लाभ कमा रही हैं। परंतु सरकारी कंपनियां घाटे में जा रही हैं। कंपनी को बेचते ही वह लाभ कमाना शुरू कर देती है। क्या सरकार पार्किंग लौट बन गई है? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा है कि यदि घाटे में चल रही है तो कंपनी सरकार को सौंप दी जाती है। तथा दूसरी ओर यदि आप धन कमाना चाहते हैं तो आप उस पार्किंग लौट से निकालकर चलाना शुरू कर देते हैं। क्या सरकार का धन अब इस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है?

[हिन्दी]

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड संशोधन विधेयक, 2006 के संबंध में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस बिल के संबंध में बोलने से पहले मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सार्वजनिक उपक्रमों का एक इतिहास रहा है, आजादी की लड़ाई में जिनहोंने त्याग और बलिदान किया, आजादी के बाद पहली पंक्ति के नेताओं ने काफी सोच समझकर निजी क्षेत्र की जगह सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने का फैसला लिया था और ऐसा काम भी किया परंतु धीरे-धीरे सार्वजनिक क्षेत्र के जितने उपक्रम थे, सारे के सारे घाटे में चलने लगे, बंद होने लगे और कुछ रुग्ण हो गए। आप इसके कारणों में जाएंगे तो यही पता चलेगा कि बाद की पंक्ति के नेतागणों ने अपने स्वार्थ के लिए, खास तौर से अफसरशाही के कारण अपनी ऐश, मौज और लूटपाट के लिए इन उपक्रमों को बर्बाद कर दिया। आज निजी क्षेत्र की तरफ काफी जोर दिया जा रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में लाखों लोग रोजगार पा रहे थे, ऐसे लोगों के लिए यह इस देश के हित में है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। डालमिया और दादरी सीमेंट लिमिटेड संशोधन विधेयक लाया गया है, पहले भी वर्ष 1981 में एक्ट बना था जिसके माध्यम से यह सीमेंट निगम को सुपुर्द किया गया था। इस बिल के माध्यम से सीमेंट निगम का अधिकार जो इस उपक्रम पर था, उस अधिकार को केन्द्रीय सरकार में शामिल करने के लिए विधेयक लाया गया है।

सभापति महोदय, सरकार ने विधेयक की धारा 9 में संशोधन का प्रस्ताव किया है जिसका मैं समर्थन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 2.10 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदय, चूंकि हमारी पार्टी की बात इस विधेयक के बारे में नहीं आई, इसलिये मैंने पांच मिनट का समय मांगा है। मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं।

सभापति जी, इस सदन में बार-बार भावनाओं की बातें कहीं जाती हैं। पं. जवाहर लाल नेहरू ने सभी सार्वजनिक उपक्रमों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। यह बात कहने में बहुत भावुक और अच्छी लगती हैं लेकिन जब हम व्यवहारिकता के धरातल पर आते हैं तो परिस्थितियां बदल गईं। उस समय जब हमने राष्ट्रीयकरण की नीतियां बनाई तो वह ऐसा समय था जब हमारे देश के निजी क्षेत्रों में बड़े कारखानों को खोलने की हैसियत नहीं थी। हमने देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को खड़ा करने के लिये एक औद्योगिक वातावरण बनाने की कोशिश की। जब हमने सर्वसम्मति से इस देश में भू-मंडलीयकरण कर आर्थिक नीतियों को स्वीकार कर लिया और हमारे देश ने प्रतिस्पर्द्धात्मक आर्थिक व्यवस्था को अंगीकार कर लिया तो दुनिया में उसकी बयार बह निकली ऐसे में हम समझते हैं कि निरंतर सार्वजनिक क्षेत्र के लिये यह हल्ला मचाना वाजिब बात नहीं है। इससे देश का औद्योगिकीकरण रुकता है और हमारे देश में विकास की धारा अवरुद्ध होती है।

सभापति जी, अभी जब माननीय मंत्री जी इस विधेयक को पेश कर रहे थे कि इस विधेयक के पारित होने के पीछे क्या कारण है और जब उसका पूरा विवरण हमारे सामने रखा तो

श्री सुरेश प्रभु, जो इस समय सदन में मौजूद नहीं थे, अगर उपस्थित रहते तो उनका यह उलाहना कि सदन में सारी चीजें अंगीकार करके मंत्री जी इस विधेयक को पारित कराना चाहते हैं, इस उलाहने का अवसर उन्हें नहीं मिलता। यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि हमारे देश में सीमेंट कॉरपोरेशन का गठन इसलिये किया गया था ताकि इस देश के सामान्य उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर सीमेंट मुहैया कराया जा सके। आज निजी क्षेत्र के लोगों का सीमेंट उद्योग में एकाधिकार होने से सीमेंट के भाव निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। हमें निजी क्षेत्र को इस बात के लिये छूट देनी चाहिये कि वे अधिक से अधिक सीमेंट का उत्पादन करें। लेकिन उत्पादित वस्तु उपभोक्ताओं को किस मूल्य पर आपूर्ति करनी है, इस अधिकार को सरकार को अपने हाथ में रखना चाहिये।

सभापति जी, जैसा विधेयक के कारणों और उद्देश्यों में कहा गया है कि इससे प्राप्त होने वाला धन दूसरी औद्योगिक इकाईयों के आधुनिकीकरण और उसके विस्तार पर किया जायेगा। यह बात सही है। श्री सुरेश प्रभु ने शिकायत की कि क्या यह गृह निर्माण समिति की तरह काम करेगी? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार ने टैक्सटाइल कॉरपोरेशन मुम्बई की मिलों को बेचा और उन सभी मिलों को बड़े नेताओं ने खरीदा। यह स्थिति इन मिलों के बारे में नहीं आनी चाहिये। इन मिलों को ऐसे लोगों को बेचना चाहिये जो आगे इनवैस्टमेंट करके इससे अच्छे ढंग से कारखाना लगाकर इस देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ावा दे सकें।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समापत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: सर्वप्रथम, मैं उन सभी सदस्यगण को अपना धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस विधेयक के संबंध में चर्चा में भाग लिया। श्री मोहन सिंह पहले ही दो बातों का उल्लेख कर चुके हैं जिन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम, यह विधेयक काफी पहले इस सभा के समक्ष आया था तत्पश्चात इसे स्थायी समिति के पास भेजा गया था, प्रक्रिया के अनुसार हमने इसके सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत कर दिया था। स्थायी समिति ने कतिपय सिफारिशें की थी। हमने सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। अत:, संसद सदस्यों को अंधेरे में रखने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरे, जैसा कि आपने सही ही कहा है मुख्य मुद्दा यह है कि हम संसद के समक्ष यह विधेयक लाये हैं क्योंकि इस कंपनी को संसद के एक अधिनियम के द्वारा अधिग्रहित किया गया था। यही कारण है कि विधि मंत्रालय ने यह बताया है कि यदि सरकारी क्षेत्र में किसी परिसंपत्ति को जनता में बेचना अथवा उसका निपटान करना है तो संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी। हम केवल तभी इसे ले सकते हैं। बस इतनी सी ही बात है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया है और इसे विधि मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया है। ये दो कारण हैं।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि वे कौन से सात संयंत्र हैं जिन्हें बंद किया जाना है। मैं बताना चाहूंगा कि इनके नाम है–मनधर, कुरकुन्टा, नयागांव, अकालतारा, चरखी दादरी, अदीलाबाद और दिल्ली घर्षण इकाई। इन्हें बंद क्यों किया जा रहा है? अधिकांश सदस्यों ने यह प्रश्न पूछा है। इनमें से अधिकतर में मशीने बहुत पुरानी हैं। आज, सीमेंट उद्योग इसलिए लाभ नहीं कमा रहा कि वह पुरानी मशीनरी का प्रयोग कर रहा है। आप स्वयं एक इंजीनियर हैं और आप इसे मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। स्थिति यह है।

आंध्र प्रदेश में तंदूर, असम में बोकाजन और हिमाचल प्रदेश में राजबन्स लाभ कमाने वाली इकाईयां हैं। इस समय, सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लाभ कमा रही है। सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया का नवीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है? सरकार की नीति जिसका उल्लेख एन सी एम पी में किया गया है वह यह है कि जो इकाइयां अर्थक्षम हैं उनका पुनरुद्धार किया जाएगा और जो इकाइयां अर्थक्षम नहीं हैं उन्हें बेच दिया जाएगा। यदि वे इसे लेना चाहते हैं तो यह कार्य निजी क्षेत्र को दिया जाएगा। इस मामले में, निजी क्षेत्र की कंपनियां इसे लेने के लिए आगे आई हैं।

जैसा कि बिल्कुल सही कहा गया है, लोगों की रुचि भूमि खरीदने में है न कि कारखाना। खरीद करने के संबंध में हमने एक बहुत पारदर्शी पैनल तैयार किया है जो कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और बी आई एफ आर के निर्णयों का अनुपालन करता है। समिति का गठन किया जाएगा जिसमें आई एफ सी आई, एस बी आई तथा कंपनी के संबंधित बैंक के प्रतिनिधि होंगे। राज्य सरकार के राजस्व सचिव भी उसमें होंगे। सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से भूमि की बिक्री की जाएगी। हमने कोलकाता में कोलकाता टायर की भूमि की बिक्री की है तथा सार्वजनिक नीलामी के द्वारा अच्छा मूल्य प्राप्त किया है। हमने एच एम टी बंगलौर की भूमि बेची है। वहां भी हमने अच्छा मूल्य प्राप्त किया है परंतु भूमि खरीदने वाला व्यक्ति बाद में पीछे हट गया। तत्पश्चात् शहरी विकास मंत्रालय ने उसे खरीदने के लिए आवेदन किया। वे उस भूमि को बातचीत द्वारा तय की गई दर पर खरीदना चाहते थे। परंतु हमने दर के संबंध में बातचीत करने से मना कर दिया। जो भी उस भूमि को खरीदने के इच्छुक हों उन्हें वह भूमि खुली नीलामी में तय किए गए मूल्य पर खरीदनी चाहिए। उन्होंने इस भूमि को इसी मूल्य पर खरीदा है तथा हमने बेचा है। यह कार्यवाही पारदर्शी तरीके से की जा रही है।

[श्री संतोष मोहन देव]

कुछ सदस्यों ने यह पूछा है कि मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। यह एस बी आई पूंजी बाजार के द्वारा किया जाता है। हम उन्हें भुगतान करके मूल्यांकन कराते हैं।

सरकार के बारे में एक प्रश्न उठाया गया है। सरकार कोई सीमेंट उद्योग क्यों नहीं लगाती जबकि यह एक लाभकारी उद्योग है? श्री मोहन सिंह ने कुछ सीमा तक इस मुद्दे को उठाया है। यदि इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश किया जा रहा है, तो इसमें सरकारी निवेश की क्या आवश्यकता है।

सीमेंट के क्षेत्र में अब निजी क्षेत्र द्वारा निवेश किया जा रहा है। लाभ कमाने वाली इकाईयों को हम चलाते रहेंगे और उन्हें बंद नहीं करेंगे। उपलब्ध ऋण तथा भूमि की बिक्री से प्राप्त धनराशि का इस्तेमाल रुग्ण इकाईयों के पुनरुद्धार में किया जाएगा! हमें कुछ देयताओं का भुगतान करना है। जो भी धनराशि प्राप्त होती है उसे हमें विस्तार, आधुनिकीकरण तथा 110 करोड़ रुपये की परिचालन योजना पर व्यय करना है। हमें भारत सरकार को योजना के अंतर्गत 155.90 करोड़ रुपये तथा गैर-योजना के अंतर्गत 153 करोड़ रुपये के ऋण; बंद पड़ी इकाइयों की 125.04 करोड़ रुपये की देयता; 37 करोड़ रुपये के अंतर निगमित ऋण; 12.75 करोड़ रुपये की कर्मचारियों की देयताओं तथा 28.01 करोड़ रुपये अन्य धनराशि, कुल मिलाकर 617 करोड़ रुपये की धनराशि अदा करनी है। इन सभी देयताओं का भुगतान प्राप्त होने वाली आय से किया जाएगा।

श्री अधीर चौधरी यह जानना चाहते थे कि क्या हम ऋणदाताओं को बकाया ऋण का भुगतान कर रहे हैं। जी हां, हम इसका भुगतान कर रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम इस तरीके से विस्तार पर भी ध्यान दे रहे हैं। इस संबंध में कोई कठिनाई नहीं होगी।

विगत में भी हमने स्कूटर इंडिया, यू.पी. का पुनरुद्धार किया है। बी आई एफ आर ने हमें पैकेज दिया था और हमने उस पैकेज को स्वीकार किया। वह एक रुग्ण उद्योग था। अब, यह ठीक कार्य कर रहा है। हमें आशा है कि बाजार में उनकी भागीदारी भी अच्छी होगी। एच एम टी में अब हम जनता ट्रैक्टर का निर्माण कर रहे हैं। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है तथा आजकल यह किसानों में बहुत लोकप्रिय है। इसका मूल्य केवल 1.8 लाख रुपये रखा गया है। एक कनिष्ठ अभियंता ने मेरे पास आकर मुझसे कहा कि वह 3 लाख से 4 लाख रुपये तक इसका निर्माण करके उसे बाजार में उतार सकता है। इसका निर्माण एक लाख रुपये में भी किया जा सकता है। हमने इसे प्रोत्साहित किया तथा एक वर्ष की अवधि में इसका निर्माण करके बाजार में उतार दिया गया। बाजार में इसकी बिक्री बहुत अच्छी है। एजेंसियां इसे बेचने के लिए तैयार हैं। हमें खुशी है कि हमारी सरकार ने इसे प्रोत्साहित किया।

एक प्रश्न यह भी पूछा गया कि अन्य छः इकाइयों को संशोधन हेतु क्यों नहीं लिया गया। अन्य छः इकाइयों को संसद के अधिनियम के तहत नहीं लिया गया था इसीलिए हमने उन्हें शामिल नहीं किया।

एक प्रश्न यह भी उठाया गया कि भारत सरकार ने पहले कोई कदम क्यों नहीं उठाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा एक प्रस्ताव बीजेपी के हमारे मित्रों की ओर से आया था। दुर्भाग्यवश, हमारे पास मौजूद रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि यह प्रस्ताव एन डी ए सरकार के शासन काल में आया था तथा उस समय सरकार ने उस पर कार्यवाही नहीं की ...*(व्यवधान)* मेरा यह मानना है कि तत्कालीन सरकार ने कोई गलती नहीं की क्योंकि उस समय यदि सरकार ने इस धनराशि को खर्च कर दिया होता तो यह धनराशि व्यर्थ हो गयी होती।

कर्मचारियों की संख्या तथा उत्पादन की गुणवत्ता बहुत खराब थी। अतः, उस समय यह निर्णय लिया गया और हमने उस संबंध में आगे कार्य किया। हम इसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। चूंकि सदस्यों ने यह प्रश्न किया है कि ऐसा क्यों नहीं किया गया है, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कार्य न करके ठीक ही किया गया है। मैं एन डी ए सरकार के निर्णय की सराहना करता हूं जिससे राजकोष का धन व्यर्थ होने से बच गया। आप किसी विशेष स्थिति में कुछ कंपनियों के ठीक प्रकार से नहीं चला सकते। यह कार्य बिल्कुल असंभव होगा। मान लीजिए, किसी कंपनी में अनुभवी श्रमिकों की संख्या 50 या 55 से अधिक है और आप उसमें 2000 करोड़ रुपये का निवेश करने का प्रयास करते हैं, ऐसी स्थिति में यदि मैं मंत्री होता तो उसमें धनराशि व्यय करने के बारे में मैं कभी नहीं सोचता। श्री प्रभु ने इस्पात का जिक्र किया। मैं इस्पात मंत्री था। उस समय विजाग इस्पात को बंद करके किसी निजी कंपनी को दिए जाने का प्रस्ताव था। मैंने इस प्रस्ताव का विरोध किया। हमने उसका पुनरुद्धार किया। आज यह विश्व के समुद्र तट पर स्थित संयंत्रों में से एक है जो कि बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहा है।

अब यह बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। हमने पी.वी. नरसिंहाराव सरकार के समय इसका पुनरुद्धार किया था। जब आपकी सरकार आई तो उसने इसे और सहायता प्रदान की।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: मंत्री महोदय, सीमेंट के भाव क्यों बढ़ रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: यह मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। मैं इस बात का उत्तर नहीं दे सकता कि सीमेंट उत्पादन की लागत में वृद्धि क्यों हो रही है। अवसंरचना क्षेत्र को सरकार प्राथमिकता दे रही है। आज, अवसंरचना क्षेत्र की स्थिति बहुत अच्छी है। महाराष्ट्र में कुछ सड़कों का निर्माण सीमेंट से किया गया। मैंने वहां जाकर देखा कि वे बहुत अच्छी सड़कें हैं। इसके अतिरिक्त, बीजेपी के शासनकाल के दौरान कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में आरंभ की गई महा सड़क योजना में भी सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है।

श्री पी.एस. गढ़वी: स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार क्या आप भूमि के मूल्यांकन का पुन: आकलन करने जा रहे हैं? इससे आपको कितना मूल्य मिलेगा तथा उसमें से कितनी धनराशि पुनरुद्धार कार्यों पर तथा कितनी ऋणों के भुगतान पर व्यय की जाएगी?

श्री संतोष मोहन देव: पहली चीज है श्रमिकों की देयताएं। पहले उनको देय धनराशि का भुगतान किया जाएगा। दूसरी देयता कर्जदारों की है परंतु मैं धनराशि का अनुमान नहीं लगा सकता। तीसरी बात है बेहतर तरीके से पुनरुद्धार किया जाना। अत:, स्थायी समिति की सिफारिश इस प्रकार थी और हमने उसे स्वीकार कर लिया है। यह कार्य मेरे अथवा बी आई एफ आर द्वारा नहीं किया जाएगा। इस कार्य को निदेशक मंडल करेगा। कुछ लोगों ने यह पूछा है कि जिन निदेशकों ने ठीक से कार्य नहीं किया उन्हें क्यों रखा गया। जब कोई उद्योग बीमार हो जाता है तो धीरे-धीरे सभी निदेशक भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसमें कई निदेशक नहीं थे। इस कारण से लागत में वृद्धि होगी।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी है कि श्री मोहन सिंह ने इस विधेयक का समर्थन करने का निर्णय लिया क्योंकि मैं सदैव यही सोचता था कि मुद्दों पर आधारित वह समर्थन क्या है जो कि समाजवादी पार्टी सरकार को दे रही है। वस्तुत: मैं इस बात को जानता हूं कि वास्तव में वे किन-किन मुद्दों पर समर्थन देते हैं। अत:, इस संबंध में मुझे बहुत खुशी हुई है।

महोदय, मैं मंत्री जी से सहमत हूं। विधेयक प्रस्तुत किया गया क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार राष्ट्रीयकरण करने के लिए कानून बनाए। अत:, यदि आप राष्ट्रीयकृत अस्तियों को बेचना चाहते हैं तो आपकों संसद में एक अन्य कानून बनाना चाहिए। मेरा सुस्पष्ट प्रश्न यही है जो मैं मंत्री जी से पूछ रहा था। आप खंडों पर ध्यान दीजिए। विधेयक में केवल दो खंड हैं। उद्देश्य वाले खंड में कुछ भी नहीं दिया गया है। आपको कम से कम सभा के समक्ष सभी सहायक दस्तावेज रखने चाहिए। अन्यथा, कोई भी न्यायालय में जा कर यह कह सकता है कि संसद ने सभी पहलुओं पर विचार किए बिना कानून बनाया है। अत:, मेरा यह अनुरोध है कि भविष्य में आप संसद को विश्वास में लें कि आप किस आधार पर विधेयक पारित कर रहे हैं क्योंकि आप किसी कंपनी का निजीकरण करके उसकी आस्तियां बेचने की कार्यवाही कर रहे हैं। परंतु सभी सहायक दस्तावेजों को कम से कम सभा के ग्रंथालय में रखा जाना चाहिए था ताकि यदि कोई व्यक्ति इनका अध्ययन करना चाहे तो वह आसानी से ऐसा कर सके। अत:, मेरा यह अनुरोध है जिस पर मंत्री जी विचार कर सकते हैं। अन्यथा, मंत्री जी कम से कम यह तो कह सकते हैं कि इस समय ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं परंतु वे उन्हें सभा के रिकार्ड में रख देंगे। इससे मंत्री जी को यह फायदा होगा कि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

श्री संतोष मोहन देव: मैं इस बात को सभा की जानकारी में लाऊंगा।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1981 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब, सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री संतोष मोहन देव: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): हमारी तीन महीने पहले जो तनख्वाह बढ़ी थी, उसमें से अधिकांश हमको अभी तक नहीं मिल रही है। अखबार वाले सब लिख रहे हैं कि जो तनख्वाह बढ़ा ली, वह ले गये, लेकिन हमको वह नहीं मिल रही है तो मिनिस्टर साहब इसको देखें। ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): इसमें जरा नाटिफिकेशन की कुछ प्राब्लम है, उसे लॉ मिनिस्टर क्लियर कर चुके हैं। अगर तनख्वाह नहीं मिली तो बकाया ब्याज समेत मिलेगी।

श्री खारबेल स्वाईं: लेकिन कब मिलेगी?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जल्दी मिलेगी। जल्दी मिलेगी तो खर्चा हो जायेगा।

अपराह्न 2.30 बजे

बालक अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, यह अति लघु विधेयक है, जिसका उद्देश्य छोटा सा संशोधन करना है। अत: मैं इस विधेयक पर बोलने वाले सदस्यों से अपनी बात जल्दी समाप्त करने का अनुरोध करता हूं।

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं।:

"कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप कुछ बोलना चाहती हैं?

[अनुवाद]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ:

"कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रो. रासा सिंह रावत

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर सभापति महोदय, मैं बालक अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक, 2006 का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि 2005 के अदंर जब हमने बालक अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक पारित कर दिया था और एक वर्ष के बाद यह छोटी सी बात कि मंत्रालय अलग हो गया, यह बात तो बहुत अच्छी है कि महिला एवं बाल विकास को तरजीह देने के लिए पूज्य बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य जयन्ती 30 जनवरी को आती है, 30 जनवरी, 2006 को महिला एवं बाल विकास को अलग मंत्रालय का दर्जा दिया गया और असके बाद में चूंकि अब बालक अधिकार आयोग इस मंत्रालय के अधीन हो गया, पहले एच.आर.डी. मंत्रालय के अंतर्गत था, लेकिन बालक अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई, तब फिर राज्य आयोग और बाल न्यायालयों का गठन कब होगा। सरकार बहुत मंथर गति से चल रही है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं, ये बहुत संवेदनशील महिला हैं और आप बालकों के कल्याण के लिए, महिलाओं के विकास के लिए भी प्रयत्नशील हैं, लेकिन फिर भी 2005 में जो हमने कानून पास किया और अब 2006 में इस समय की स्थिति है, कई महीने तो इसी में गये, फिर भी इतनी देर के बाद हम जाग रहे हैं। अब अध्यक्ष की नियुक्ति इनके माध्यम से होगी, पहले एच.आर.डी. मंत्रालय का प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में तीन आदमियों की कमेटी बनेगी, जो इस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी, नाम पेश करेगी और उसका पैनल बनेगा। अब उसके लिए एच.आर.डी. मिनिस्टर की जगह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में वह कमेटी बनेगी और वह कमेटी फिर अध्यक्ष का चयन करेगी। इसका समर्थन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि वह अध्यक्ष ऐसा हो, जिसने बाल कल्याण के संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो, केवल कोई आई.ए.एस. आफिसर या ऐसे आदमी को बना देना, जो बालकों के बारे में अनजान हो, मैं आपके माध्यम से सरकार को भी कहना चाहूंगा, बालक मानव का पिता है। प्रात: काल से पता लगता है कि आज का दिन कैसा होगा, बालक से पता लगता है कि आगे आने वाला नागरिक कैसा बनेगा, राष्ट्र का

भावी कर्णधार कैसा बनेगा, इसलिए बालक राष्ट्र की धरोहर हैं और समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं।

इसलिए बालकों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो, उनका दुर्व्यापार या बलात् श्रम उनसे नहीं लिया जाये, कारखानों में, खानों में या संकटमय व्यवसायों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन नहीं होगा। इसलिए संविधान के लिए बालकों के कल्याण के लिए कई बातें कही गई हैं। राज्य की नीति भी ऐसी बने, जिससे सुकुमार आयु का पूरा-पूरा सदुपयोग हो, दुरूपयोग नहीं हो, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार जल्दी ही अध्यक्ष की नियुक्ति भी करे और साथ में सदस्यों की भी नियुक्ति करे।

राज्य सरकारों को भी लिखें कि वे राज्य बाल आयोग का गठन करें। साथ ही बालकों के प्रति जो अपराध हैं, उनके निवारण के लिए और जो बाल अपराध हैं, उनका निराकरण करने के लिए बाल न्यायालय का गठन करें और राज्य सरकारों को कहें। यदि उनके पास रिसोर्सेज कम हों, तो केन्द्र सरकार अपनी तरफ से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से अनुदान दे, ताकि बाल न्यायालय का गठन हो सके और बालकों के प्रति किए जाने वाले अत्याचारों को रोका जा सके। यदि कोई बालक अपराध करता है, तो उसकी आयु के अनुसार ही सजा का प्रावधान हो। मैं समझता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जल्दी से जल्दी इस बिल को पास कराने के लिए उतावले हैं। बाल समाज का बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है। ...*(व्यवधान)* आप और हम भी कभी बालक थे, इसलिए बालकों के बारे में भी सोचना हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार बालकों के लिए अपेक्षित स्वतंत्रता और गरीबों के लिए स्वस्थ वातावरण के विकास हेतु महत्वपूर्ण प्रयत्न करे। उनको सुविधा देने के लिए संवैधानिक और वैदिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र तथा आवश्यक कदम उठायें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, माननीय सदस्यों के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुये मेरा कहना है कि यह विधेयक में एक बहुत छोटा सा संशोधन और सुधार है। मैं सामान्य चर्चा के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहूंगा। लेकिन सभा से आज मेरी एक मात्र अपील यह है कि कार्य मंत्रणा समिति ने इस विधेयक पर दो घंटे में चर्चा पूरी करने का निर्णय लिया है ताकि पंचायती राज संस्थाओं जिन पर वृहद् चर्चा हुई है, का उत्तर दिया जा सके। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों से संशोधन सीमित रहने और संक्षेप में अपनी बात कहने की अपील करूंगा क्योंकि यह नीति संबंधी सामान्य चर्चा नहीं है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विधान है, और इसलिये हमें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, हम अपने देश के बच्चों संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश आपने अल्पकालीन चर्चा जैसी किसी चर्चा की मांग नहीं की। सौभाग्यवश माननीय मंत्री महोदय ने सभा में विधेयक में एक संशोधन प्रस्तुत किया है और इसलिये आप इस बारे में बात कर रहे हैं। हमारी सरकार अपने देश के बच्चों के बारे में चर्चा हेतु इच्छुक है। हम अब भी इस विषय पर चर्चा हेतु एक दिन का चयन करना चाहते है और हमारी सरकार इस बारे में इच्छुक है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी): महोदय, बाल अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

जैसा कि आप जानते हैं, यह एक सुस्थापित तथ्य है कि बच्चे हमारे समाज के धरोहर और भविष्य हैं। वे दुनिया के भविष्य का खाका खींचते हैं और इसलिये स्वाभाविक है कि उनके कल्याण और अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया जाये। उन्हीं के द्वारा पीढ़ियों से चली आ रही है गरीबी और भेदभाव के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है। उनके विकास हेतु पर्याप्त अवसर नहीं मिलने से राष्ट्रीय विकास बाधित होता है। इसी तथ्य के दृष्टिगत बच्चों का कल्याण वर्ष 1951 से भारत के विकास नियोजन का अभिन्न अंग रहा है। भारत के संविधान में मूल अधिकार या नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कई उपबंध हैं, जिनका इस्तेमाल अपने देश के बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने में किया गया है। जहां तक मूल अधिकारों की बात है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य को आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के हित में सकारात्मक भेद करने का अधिकार देता है और जिसमें पिछड़े विशेष समूहों की बालिकाओं और बच्चों के लिये विशेष उपबंध और कठिन हालात में पड़े किसी नागरिक के साथ भेदभाव न करने का उपबंध है। अनुच्छेद 15(3) में कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से वंचित नहीं करेगी।

बाल अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र संधि में बिना भेदभाव के प्रत्येक बच्चे के मूल मानवाधिकारों का उल्लेख है। ये अधिकार,

[श्री प्रियरंजन दासमंशी]

जीवित रहने, अधिकतम विकास और अनदेखी तथा भेदभाव से संरक्षण संबंधी अधिकार हैं।

अधिकांश भारतीय बच्चे निर्धनतापूर्ण आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिति में जीते हैं जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है। हम मानते हैं कि भारत सरकार विशेषकर कमजोर तबकों के बच्चों की सुरक्षा और जीवन स्तर सुधारने को लेकर बहुत चिंतित है। भारत ने पिछले एक दशक के दौरान शिशु मृत्युदर, मातृत्व मृत्यु दर में कभी साक्षरता में वृद्धि और पेयजल आपूर्ति में वृद्धि तथा स्वच्छता सुविधाओं के क्षेत्र में सतत प्रगति की है।

देश में बच्चों की स्थिति सुधारने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों जैसे समेकित बाल विकास योजना, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम, बेसहारा बच्चों और किशोर न्याय हेतु समेकित कार्यक्रम; चाइल्ड लाइन सेवा में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम; राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन; पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम और प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा बच्चों हेतु कई योजनायें और कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

समेकित बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य बच्चों के पोषाहार स्तर को सुधारना है। शून्य से 6 वर्ष समूह के बच्चों के अलावा, योजना का लक्ष्य गर्भवती महिलाएं और बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं भी हैं क्योंकि बच्चे का पोषाहार स्तर, मां के पोषाहार स्तर से जुड़ा है। वर्तमान में यह योजना देशभर के 7.45 लाख ए. डब्ल्यू. सी. के द्वारा चलाई जा रही है। सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 1.88 लाख डब्ल्यू सी को मंजूरी दी थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम; ऑयरन एण्ड फॉलिक एसिड एण्ड विटामिन ए सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम; और नेशनल आयोडीन डेफीसिएंसी कंट्रोल कार्यक्रमों की निगरानी की जाती है। समेकित बाल विकास सेवा योजना राज्य सरकार द्वारा लागू की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित योजना है। आई सी डी एस योजना के क्रियान्वयन में काफी प्रगति हुई है।

अब मुझे अपने राज्य में लागू की जा रही कुछ योजनाओं के बारे में उल्लेख करना है। जैसा कि आप जानते हैं; इस पर काफी बल दिया जा रहा है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में पकाये गये गर्म भोजन में सामान्यतया पोषक तत्व होते हैं जिनमें कई प्रकार की दालें, अनाज, चीनी आयोडीनयुक्त नमक आदि शामिल हैं। राज्य सरकार ने पूरक पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि की है। इस मात्रा में वृद्धि का उद्देश्य बच्चे की कैलोरी और प्रोटीन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। समय-समय पर इसे बढ़ाया जाता रहा है। सरकार बड़ी उदारता से यह वृद्धि करती रही है।

जहां तक स्कूल पूर्व शिक्षा का संबंध है, पी एस ई का उद्देश्य उसे 6 वर्ष के बीच के बच्चों को सीखने का माहौल उपलब्ध कराना है और तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आरंभिक देख-रेख करना है। बच्चे के सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, शारीरिक और सुलभीपूर्ण विकास तथा उसे स्कूल जाने के लिये तैयार करने हेतु खेल-खेल में स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है। स्कूल पूर्व शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु राज्य सरकार ने क्रियाकलाप आधारित विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया है और क्रियान्वित किया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के द्वारा 15 से 45 वर्ष की सभी महिलाओं को पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा 1 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टकीकरण किया जाता है। राज्य में शत प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। स्वास्थ्य जांच की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। आंगनबाड़ी केन्द्र जाने वाले सभी बच्चों, गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की जाती है। गंभीर बीमारियों या गड़बड़ी संबंधी मामलों की समुचित और उपचार हेतु उन्हें चिकित्सा संस्थानों को भेजा जाता है। छोटी-मोटी बीमारियों के उपचार हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा दवाईयां मुहैया कराई जाती हैं।

कुपोषण निवारण अभियान कार्यक्रम के द्वारा राज्य में बच्चों के कुपोषण के स्तर की जांच की जाती है। आई पी पी कार्यक्रम के अंतर्गत पोलियो केन्द्र जाने वाले सभी बच्चों का वजन लिया जाता है। आई सी डी एस नेटवर्क के द्वारा 12,000 से अधिक किशोरियों और माताओं के एचबी स्तर की जांच की गई। ये सेवायें 7,354 आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा मुहैया कराई जा रही है और अब राज्य में इन केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर 10,894 की जा रही है। हमारे राज्य की साक्षरता स्थिति में सुधार हुआ है। हमारे राज्य में साक्षरता का प्रतिशत 76.5 से बढ़कर 85.3 हो गया है। इसी प्रकार कई अन्य कार्यक्रम भी शुरू किये जा रहे हैं ताकि अपने राज्य में बच्चों की स्थिति में सुधार किया जा सके। मैं अपने राज्य के बच्चों की स्थिति सुधारने हेतु भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 2.46 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

सरकार ने नियमों के अनुसार स्कूलों की लक्षित संख्या का लक्ष्य हासिल करने हेतु गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया कराई है। राज्य सरकार राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने पर बल दे रही है। महत्वाकांक्षी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लक्ष्य हासिल करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। राज्य ने प्राथमिक स्तर की शिक्षा में शत प्रतिशत बच्चों के नामांकन का लक्ष्य हासिल

कर लिया है: यह कार्यक्रम का सर्व प्रमुख उद्देश्य है और इस कारण बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की प्रतिशतता 1% से भी नीचे आ गई है। नि:शक्तों के लिये समग्र शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से विभक्त बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य में निशक्त बच्चों की संख्या 29122 है जिसमें से कम निशक्तता वाले 26,906 बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराया गया है। इन बच्चों को घर आधारित शिक्षा के तहत शिक्षा दी जा रही है। इसके अलावा 200 बच्चों को गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा शिक्षा दी जा रही है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बालक अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं कहना चाहूंगा कि यदि 2001 की जनगणना देखी जाये, तो जीरो से लेकर पांच वर्ष तक की आयु के बच्चे पूरे देश में 13.4 परसेंट हैं। जबकि वर्ष 2005 में 237.6 लाख बच्चे, जो तीन से छ: साल के हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह सोचने का विषय है कि जो आंकड़े हमारे सामने हैं, वे पुरानी जनगणना के अनुसार हैं। अगर वर्तमान में देखा जाये, तो लक्ष्य और आंकड़े अलग हैं। वर्ष 2010 तक छ: से 14 साल तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाना गवर्नमेंट का लक्ष्य है। जबकि अभी तक 1.7 परसेंट बच्चों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। वैसे आंकड़े तो और ज्यादा हैं।

वर्ष 2006 में 1,57,967 स्कूल देश भर में अनुमोदित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, हालांकि, सरकार ने बहुत से स्कूल मंजूर किए हैं और राज्य सरकारें भी बहुत से स्कूल बना रही हैं, लेकिन आज भी स्थिति यह है कि बहुत से स्कूल जर्जर अवस्था में हैं, उनके लिए हमें प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी कि विद्यालयों की स्थिति अच्छी हो ताकि बच्चे वहां अध्ययन कर सकें। जहां शिक्षा गारंटी स्कीम और वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के बारे में यह लक्ष्य रखा गया है कि 63 लाख बच्चों का विद्यालयों में नामांकन किया जाएगा। यह लक्ष्य भी अगर देखा जाए तो आंकड़ों के हिसाब से बहुत कम है। वास्तविकता में स्थिति कुछ और है, लेकिन आंकड़े कुछ और बताते हैं। 466 आईसीडीएस और 1.88 लाख गांवों में आंगनवाड़ी केन्द्रों को मंजूरी दी गयी है। आज स्थिति यह है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवयनापन करने वाले तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनकी हालत बहुत खराब है। आज जरूरत इस बात की है कि इस स्कीम को हर ब्लॉक स्तर पर चलाया जाए। आईसीडीएस वर्ष 1975 में 33 समुदाय विकास ब्लाकों में प्रारम्भ की गयी। इस समय ग्रामीण स्तर पर 4,790 एसटी क्षेत्रों में 805 और शहरी झुग्गी-झोपड़ियों में 523 आईसीडीएस हैं। देश के कुल 6118 ब्लाक्स को इसमें शामिल किया गया, जबकि यह लक्ष्य अभी भी बहुत कम है। आज अगर देखा जाए तो चाहे वह शहरी क्षेत्र की स्लम बस्तियां हों, ग्रामीण स्तर के खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तबके के लोग हों, वे बहुत बुरी स्थिति में जी रहे हैं। उनके लिए दो वक्त की रोटी मिलना मुहाल है, अपने बच्चों को वे कहां तक पढ़ा सकेंगे, इस पर सोचने की जरूरत है। चाहे आईसीडीएस स्कीम हो या बाल विकास परियोजना या कोई अन्य योजना हो, आज जरूरत इस बात की है कि इसे हर ब्लॉक स्तर पर कम्पलसरी किया जाए और चिन्हित किया जाए कि पूरे देश में इस प्रकार के कितने बच्चे हैं जो आज स्कूल का मुंह नहीं देख पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आज हमें इसका मूल्यांकन करने की जरूरत है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी स्वयं एक महिला हैं, वे बच्चों के दर्द से भलीभांति वाकिफ हैं और इसीलिए वे इस दिशा में ज्यादा सोच सकती हैं। जैसा कि यह कहा जाता है कि हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है, फिर भी हम उनके हित के बारे में सोचते हैं, लेकिन मंत्री जी की जिम्मेदारी महिला होने के नाते ज्यादा है। आज जरूरत यह है कि हमें इन बच्चों पर गौर करना है, खासकर जो हमारे एससी-एसटी और शहरों की स्लम बस्तियों में रह रहे हैं। चूंकि आज गांवों में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए शहरों की ओर पलायन हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 40 प्रतिशत लोग स्लम बस्तियों में रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि हम इस पर गौर करें और खासकर एससी-एसटी पर विशेष गौर करें।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा पेश बालक अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 का मैं हृदय से समर्थन करता हूं। मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूं कि यह विधेयक तो बहुत छोटा है, मात्र टेक्नीकल अमेंडमेंट है, लेकिन बालकों की आज जो स्थिति है, चाहे उनके स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे उनके विकास का सवाल हो, इन सारी चीजों पर अगर हम गौर करें तो हम देखते हैं कि कानून तो एक से एक अच्छे बनते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होता, जिस कारण से समाज के इस बड़े तबके को बाल्यावास्था में ही अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगता है। इस देश में करोड़ों बच्चे अपाहिज और अपंग पैदा होते हैं। माननीया मंत्री जी को मैं बताना चहाता हूं कि यूएनओ के जरिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इस देश में इस बात का सर्वे कराया गया था कि क्या कारण है कि यहां इतनी तादाद में अपाहिज और अपंग बच्चे पैदा होते हैं।

[श्री रघुनाथ झा]

गांवों में रहने वाले और देहातों में रहने वाले लोग कहते हैं कि यह तो ईश्वर की मर्जी है कि बच्चा अपंग या अपाहिज पैदा हुआ। यह बात सही नहीं है। यह कसूर समाज का और सरकारों का है कि उन्होंने उन्हें ऐसा बनाने का काम किया। उसी सर्वे रिपोर्ट में बताया गया था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिलता। गर्भवती माताओं और बहनों को गर्भावस्था की एडवांस स्टेज में भी उन्हें सिर पर बोझ उठाना पड़ता है, पानी से भरे घड़े को उठाना पड़ता है। इसलिए पौष्टिक आहार न मिलने की वजह से इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं।

मुझे बताया गया है कि इस देश में इतने अपाहिज और अपंग बच्चे पैदा हो चुके हैं, जो पाकिस्तान की आबादी के बराबर हैं। यह हमारे लिए शर्मनाक और चिंता की बात है कि आजादी के इतने समय के बाद भी हम अपनी गर्भवती महिलाओं को ठीक से पौष्टिक आहार नहीं दे पा रहे हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें भी पौष्टिक आहार, दूध, दवा, आदि नहीं मिलता है। यह बात ठीक है कि आप इसके लिए एक अभियान चलाते हैं। जो बच्चे समाज का और देश का भविष्य बन सकते हैं, उनकी हम अनदेखी नहीं कर सकते। इसलिए आज इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि क्यों इतने बच्चे अपाहिज और अपंग पैदा होते हैं।

हमारे मित्र शैलेन्द्र जी ठीक कह रहे थे। मुझे बिहार राज्य में कुछ समय के लिए शिक्षा मंत्री रहने का मौका मिला था। 1982-1983 में मैंने बिहार के तीन जिलों नार्थ बिहार में सीतामढ़ी, मध्य बिहार में नालन्दा, जो मौजूदा मुख्य मंत्री जी का जिला है और साउथ बिहार में पलामू जिले का सेम्पल सर्वे कराया था। उस समय झारखंड राज्य नहीं बना था। मान लिया जाए कि एक गांव में प्राथमिक, मिडिल और हायर सेकंड्री स्कूल है, वहां पहली क्लास में बच्चे नामांकित होते हैं, मैट्रिकुलेशन में कितने परीक्षा में बैठते हैं और फिर उनमें से कितने कॉलेज में जाते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल की थी। 1983-1984 में उस सर्वे की रिपोर्ट हमारे सामने आई थी। उसमें बताया गया था कि गांव में साल में एक बार नामांकन अभियान चलता है। इस दौरान बच्चों का नाम स्कूल में नामांकित कराया जाता है। उस रिपोर्ट में यह भी बताया था कि 100 में से 90 बच्चे ड्रापआउट कर जाते हैं, आगे नहीं पढ़ते। कौन ऐसा अभागा मां-बाप होगा, जो अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ाना चाहेगा। ज्यों ही वह बच्चा काम करने लायक होता है, उसे परिवार का अर्निंग मेम्बर समझकर स्कूल से हटाकर भैंस-गाय चराने या सर्दियों में ठिठुरती रातों में जूठे बर्तन साफ करने के काम पर लगा दिया जाता है। इसलिए ऐसे बच्चे ड्रापआउट कर जाते हैं।

यहां हमारे तमिलनाडु के साथी बैठे हैं। जब एमजीआर साहब वहां के मुख्य मंत्री थे, हम उस समय बिहार सरकार में थे। हम तीन मंत्री वहां यह देखने गए थे कि तमिलनाडु में मिड डे मील किस तरह से चलाया जाता है। मुझे देखकर प्रसन्नता हुई थी कि वहां इतनी ज्यादा लिटरेसी नहीं थी, उसे कैसे बढ़ाएं इसलिए वहां मिड डे मील चलाया गया था। यह कार्यक्रम वहां काफी लोकप्रिय हुआ था।

अपराह्न 3.00 बजे

हमने सैंकड़ों स्कूलों में जाकर देखा और पाया कि ब्राह्मण का बेटा हो या सफाई कर्मचारी का बेटा हो, एक रंग की ड्रैस में सभी एक साथ बैठकर खाना खाते थे जिससे राष्ट्रीय भावना जाग्रत होती थी, हीनता की भावना पैदा नहीं होती थी। इस तरह से काम करके उन्होंने ड्रॉप-आउट रोकने का काम किया। केन्द्र की सरकार आज पैसा भेजती है लेकिन काम ठीक से नहीं हो पाता है जिसके कारण ड्रॉप-आउट हो रहा है, बच्चे स्कूलों का मुंह नहीं देखते हैं। आप काफी पैसा राज्यों में भेज रहे हैं लेकिन क्या उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है?

इस देश में बाल-मजदूरों के लिए कानून बना और अब बच्चों को पकड़कर काम से हटा दिया जाता है। काम से हटा देना तो ठीक है लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था भी तो करनी चाहिए। हमारे यहां बाल मजदूर कालीन बनाने और हीरा तराशने का काम करते हैं। बाल-मजदूर तो हटा दिये जाते हैं लेकिन उनके पुनर्वास का हमने अब तक क्या काम किया, यह प्रश्न शेष है। बाल-मजदूरों को हटा देना एक साधारण बात है लेकिन जो बच्चा काम करके अपने मां-बाप का सहारा बना हुआ था उसको हटाकर आपने क्या विकल्प दिया? आपने न उसके पढ़ने की, न खाने की, न रहने की, न कपड़े की, कोई भी व्यवस्था आपने नहीं की। आप कानून पर कानून बनाकर देश की जनता के साथ मजाक करते हैं।

आंगनवाड़ी के संबंध में हमारे साथियों ने कहा है। मैं माननीय मंत्री जी को जानता हूं। वह एक सक्षम मंत्री हैं, काम करने वाली मंत्री हैं। इस बिल का अधिकार आपको मिल रहा है। आप अध्यक्ष बनाइये, कमेटी बनाइये, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर बनाइये और बच्चों को अधिकार देने के साथ-साथ, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जिसके बारे में महात्मा गांधी जी कहते थे कि जो सबसे ज्यादा दलित भाई, आदिवासी भाई और पिछड़े समाज के लोग हैं उनके बच्चों को आगे बढ़ाने का, उनके स्वास्थ्य, उनकी रोटी, कपड़ा और मकान का ख्याल कीजिए। ...*(व्यवधान)* अल्पसंख्यक बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन (रामनाथपुरम): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मेरे लिए यह काफी सौभाग्य और सम्मान की बात है कि मुझे बाल अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006 आयोग पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है।

महोदय, यह विधेयक एक बहुत ही स्वागत योग्य विधान है और केन्द्र की यूपीए सरकार भी इस देश की लोगों का शैशवावस्था से ही विकास करने की पूर्ण प्रतिबद्धता के आलोक में इसे समय पर संसद में लाना भी स्वागत योग्य है।

महोदय, 2006 के विधेयक में केवल कुछ ही, संशोधन किए गए हैं क्योंकि 2005 के पिछले विधेयक में बच्चों और महिलाओं की देखभाल संबंधी विकासात्मक उपायों को काफी विस्तार से दिया गया है। अब, माननीय महिला और बाल विकास मंत्री, श्रीमती रेनुका चौधरी केवल कुछ ही संशोधन लेकर आई हैं।

सबसे महत्वपूर्ण संशोधन धारा 4 के बारे में है, इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बदलकर महिला और बाल विकास मंत्रालय कर दिया गया है। जो हां, यूपीए सरकार द्वारा की गई यह अत्यन्त उपयुक्त कार्यवाही है क्योंकि उन्होंने यह सही निर्णय लिया है।

हम सभी जानते हैं कि बच्चे राष्ट्र के पिता होते हैं। यह एक कहावत है। इस महान राष्ट्र के सभी नेताओं ने सही कहा है कि देश का भविष्य बच्चों के हाथ में है। हमारे महान तमिल संत थीरूवल्लवर ने 2000 वर्ष पूर्व तमिल में बहुत सुन्दर लिखा था- ''कि केवल वे लोग ही कह सकते हैं कि 'मुरली' और 'माल' मधुर हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को तुतलाते हुए सुनने का आनंद न लिया हो।''

शिल्पथिकरम कोवलत—यह भी तमिल में लिखा गया एक महान पौराणिक ग्रंथ है-उस कविता का नायक अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए नायिका की वाणी में मधुरता की तुलना कन्नगी की मुधुरता से करता है। वह अपनी पत्नी के शब्दों की तुलना बच्चों के मीठे बोल से करता है।

सिसरो द्वारा बच्चों के बारे में किया गया एक प्रबल प्रश्न वल्लावर के इस दोहे का लगभग एक अन्य अनुवाद ही है- ''ईश्वर ने मानव को ऐसा कौन सा उपहार दिया है जो उसे अपने बच्चों के समान प्रिय है''। इसलिए, हमें हर हाल में अपने बच्चों का संरक्षण करना चाहिए, जो इस देश का भविष्य हैं। हमें बच्चों और महिलाओं के बारे में सभी संरक्षण के उपाय करने चाहिए।

महोदय, इस आयोग हेतु यह उदाहरण किया गया है कि मंत्रालय चयन समिति के सहयोग से अध्यक्ष का चयन करेगा। इसमें आयोग की संरचना के बारे में बताया गया है कि इसमें अध्यक्ष और बाल कल्याण से संबंधित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल होंगे। मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ कि बच्चों की देखभाल को मां से बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता। इसलिए मेरा संसद से यह सविनय अपील है कि सभापति का पद विशिष्टत: महिला के लिए आरक्षित कर दिया जाये जिससे आयोग के विवेकपूर्ण नेतृत्व प्रदान करने की अपेक्षा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस आयोग में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए कम से कम दो पद या दो से अधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि इस सुझाव को यथाशीघ्र विधेयक में अंतिर्विष्ट किया जाये।

तमिलनाडु में हमारे कलैगनर करुणानिधि जी ने बेहतरीन शासन दिया है। उन्होंने सभी कल्याणकारी उपाय किए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप पांच मिनट से अधिक समय ले चुकी हैं। कृपया अभी बात एक मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन : महोदय, अभी मैं केवल दो मिनट ही बोली हूं। मैं अपने दल की अकेली सदस्य हूं।

मैं कलैगनर के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। यह इसलिए क्योंकि व तमिलनाडु में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बच्चों तथा माताओं के कल्याण हेतु उपाय कर रहे हैं उन्होंने मध्याह्न भोजन में गरीब बच्चों को दो अण्डे देने का आदेश दिया है। गर्भवती महिलाओं के लिए उन्होंने छह माह तक प्रतिमाह 1000 रुपये देने का आदेश दिया है प्रसव से तीन माह पहले से और प्रसव के तीन माह बाद तक। इसी प्रकार, उन्होंने विशेषकर महिला वर्ग के लिए कार्य के अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। इसी कारण महिलाएं कुछ हस्तशिल्प सामग्रियों को तैयार कर पा रही हैं, हमारे तमिलनाडु राज्य में हम 'पुंमलाई' योजना चला रहे हैं, जहां वस्तुओं को तमिलनाडु सरकार द्वारा निर्मित विशिष्ट इमारत में बेचा जाता है। अत: वह तमिलनाडु में हरसंभव कल्याणकारी उपाय कर रहे हैं।

महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहूंगी कि आयोग के पास सरकार की सहमति से जिला स्तर और पंचायत स्तर और संघ स्तर पर समितियों को नामित करने की शक्तियां भी होनी चाहिए। ये समितियां बच्चों संबंधी समस्याओं से निपटने और उन्हें आयोग को सूचित करने के लिए आयोग के प्रहरी के रूप में कार्य कर सकती हैं। इन समितियों में सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य समान अनुपात में हो सकते हैं और ये जिला स्तर पर नोडल विभागों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल देखभाल विभाग से जोड़ी जा सकती हैं।

[श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन]

इसलिए, हम कल्याणकारी उपायों जैसे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य, मध्याह्न भोजन, बाल सुधार गृह, इत्यादि को लागू करने के बारे में तमिलनाडु में भरसक प्रयास कर रहे हैं।

इसलिए सभी राज्यों को हमारे मुख्यमंत्री डा. कलैगनर करूणानिधि की योजना का अनुसरण करना चाहिए, और हमें बच्चों और माताओं की पूरी देखभाल करनी चाहिए।

डी एम के पार्टी की ओर से, मैं इस बेहतरीन विधान का स्वागत करती हूं।

डा. सिबैस्टियन पॉल (एर्णाकुलम): महोदय, मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। वस्तुत: प्रस्तावित संशोधन से कोई हानि नहीं होगी और इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। परंतु इस विधेयक पर विचार-विमर्श इस सभा द्वारा सरकार को यह याद कराने का अवसर उपलब्ध करता है कि उनका मुख्य दायित्व इस राष्ट्र के बच्चों के प्रति है क्योंकि विश्व में बच्चों की सर्वाधिक संख्या भारत में है।

यदि हम शून्य से 18 वर्ष के आयु समूह को लें तो इस देश में बच्चों की जनसंख्या 40% है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम बच्चों को वरीयता देने की आवश्यकता पर स्पष्टत: बल देता है। 1989 में बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संधि को अंतिम रूप देने के बाद बाल अधिकारों की ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है। अक्सर बाल अधिकार कहे जाने वाले कुछ अधिकारों के संरक्षण के अतिरिक्त कानून का वर्तमान जोर बच्चों को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में मान्यता देना है, जिसे कुछ अहस्तांतरणीय और अपरिवर्तनीय अधिकार प्राप्त हैं। बच्चों की स्थिति के संविधिक और विधिक संरक्षण के बावजूद ऐसे बच्चे अभी भी अमानवीय स्थिति में रह रहे हैं।

बच्चे सबसे प्रमुख राष्ट्रीय परिसम्पति हैं और राष्ट्र का विकास उसके बच्चों की वृद्धि और विकास पर निर्भर करता है। इस देश में असंख्य कानून और विधिक प्रावधान हैं। हमारे पास संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो सरकार को निर्देशित करती है कि 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, और उच्चतम न्यायालय ने सुप्रसिद्ध उनीकृष्णनन मामले में बच्चों को मुफ्त शिक्षा के नीति-निर्देशक सिद्धांत का विस्तार कर इसे मौलिक अधिकार के स्तर पर ला दिया है।

मैं सुप्रसिद्ध मुख्य न्यायाधीश के. सुब्बाराव के शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं "सामाजिक न्याय बच्चों के साथ प्रारंभ होना चाहिए"। बाल मामलों पर भारतीय विधान काफी उन्नत है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। परंतु इसके साथ ही बच्चों के शोषण के मामलों की संख्या भी काफी अधिक है। भारतीय बच्चों में बीमारियां और महामारी बहुत है। इनमें से अधिकतर अशिक्षित हैं।

शिक्षा मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए मौलिक आवश्यकता है। बाल विकास हेतु किसी प्रयास में हमें इस पहलू पर बल देना होगा। इसके साथ ही साथ कानून द्वारा हमने बाल श्रम को प्रतिबंधित किया है परंतु वास्तव में बाल श्रम जो वस्तुत: बचपन का अपमान है- अभी भी देश में मौजूद है। बच्चों का सही स्थान स्कूल में है। हमें बच्चों के लिए स्कूल में सही स्थान उपलब्ध कराना होगा। इसलिए विद्यालयों के लिए इस संघर्ष को जीतना होगा। अधिकतर बाल श्रम असंगठित क्षेत्र में हैं, जहां ये बच्चे अपने बचपन में रहे हैं। यह नोट करना प्रासंगिक होगा कि सरकार बच्चों के अधिकारों के बारे में काफी चिन्तित और सचेत है।

इस संशोधन विधेयक पर वाद-विवाद सरकार को राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम, जो राष्ट्र को यह आश्वासन देता है कि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण इनकी मार्यादा और विशेषाधिकारों को वरीयता दी जाएगी, में किए गए वादों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा से कार्य करने के लिए आवश्यक अनुस्मारक का कार्य करेगा।

[हिन्दी]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और साथ ही यह अपेक्षा करता हूं कि इस बिल के पास होने के बाद सरकार की जिम्मेदारी की शुरूआत हो जाती है, जिसे निभाने के लिए माननीय मंत्री महोदया इस तरह का काम करेंगी ताकि देश के हर बच्चे को यह महसूस हो कि वे मंत्री ही नहीं हमारी मां भी हैं। मैं आशा करता हूं कि जनता इस तरह की अपेक्षा मंत्री महोदया से करेगी। इस बिल को लाने का उद्देश्य लिमिटिड है क्योंकि मंत्रालय का विभाजन होने से यह जिम्मेदारी पहले मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट के पास थी और अब चाइल्ड एण्ड वूमेन वेलफेयर मिनिस्ट्री के पास है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें, इसमें यह लिखा हुआ है कि इस डिपाटमेंट के इंचार्ज मंत्री के पास इसकी अध्यक्षता होगी। यदि आप संशोधन करें और यह कहें कि जो भी सरकार में रूल्स ऑफ बिजनेस है, जिसके पास चाल्ड वैलफेयर डिपार्टमेंट होगा, वही मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। कहीं ऐसा न हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी को लगे कि चाइल्ड वैलफेयर का काम मंत्री महोदया अच्छा कर रही हैं इसलिए इसके लिए अलग से मंत्रालय बनाया जाए, यदि ऐसा होगा तो शायद फिर संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें यह लिखा जाए कि जिसके पास भी इसकी जिम्मेदारी होगी, रूल्स ऑफ बिजनेस में होगी, वही इसका अध्यक्ष होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्रीमती अर्चना नायक बोलेंगी। कृपया सुझाव मात्र दीजिए और लंबा भाषण न दें।

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाडा): महोदय, बाल अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 पर चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे अवसर देने हेतु मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

हम जानते हैं कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देने तथा उचित रूप से उनका समाधान करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग को 30 जनवरी, 2006 से मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 4 में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रभारी मंत्री द्वारा की जाएगी। अब, चूंकि यह मामला नव गठित मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आ गया है अत:, इस अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है।

बाल अधिकारों तथा बालकों के संरक्षण और बालकों के विरुद्ध अपराधों या बाल अधिकारों क हनन संबंधी मुकदमों के शीघ्र निपटान हेतु वर्ष 2005 में राष्ट्रीय और राज्य आयोगों का गठन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 14 में बालकों सहित सभी को विधि के समक्ष समता प्रदान की गई है। संविधान 6-14 वर्ष की आयु वाले सभी बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने के अतिरिक्त, बालकों का अवैध व्यापार तथा उनसे बलात क्रम कराने, तथा 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों से फैक्ट्रियों, खानों तथा जोखिमपूर्ण व्यवसायों में कार्य कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। संविधान, सरकार को बालकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करता है ताकि उनकी नाजुक अवस्था का दुरुपयोग न किया जा सके।

सरकार का यह दायित्व है कि वह बालकों को अपेक्षित स्वतंत्रता और सम्मान के साथ एक स्वस्थ वातावरण में उनका विकास करने हेतु अवसर और सुविधाएं प्रदान करे तथा उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का संरक्षण करें। अत:, बालकों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों से संबंधित मामलों का अध्ययन तथा उनकी निगरानी करने, विद्यमान कानूनों की पुनरीक्षा करने तथा उनमें संशोधनों का सुझाव देने, बालकों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के हनन संबंधित मामलों की शिकायतों पर ध्यान देने अथवा उनका स्वत: संज्ञान लेने और बालकों के जीवन यापन, कल्याण और विकास से संबंधित कानूनों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने जैसे कार्यों की अंजाम देने हेतु वर्ष 2005 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया।

संविधान में इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। परंतु हमें यह बात स्वीकार करनी होगी कि देश में बालकों की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। अत:, हमें अपने राष्ट्र के भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। हमें आशा है कि इस विधेयक के पारित होने से महिला और बाल विकास मंत्री अधिक सावधानी और जिम्मेदारी के साथ हमारे बालकों के अधिकारों के संरक्षण के प्रति ध्यान दे सकेंगी। मैं सरकार से बालकों के हितों और कल्याण को उच्च वरीयता देने का अनुरोध करती हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन (अट्टूर): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद सबसे पहले मैं विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। बालकों को देश का भविष्य कहा जाता है, शिक्षित बालकों का अर्थ है शिक्षित समाज, और बालकों की बेहतर देखभाल करने का अर्थ है एक सुरक्षित देश तैयार करना। अत:, किसी भी देश की पहली वरीयता यह होनी चाहिए कि उसके बालक पूर्णत: संरक्षत और सुशिक्षित हों। परंतु, दुर्भाग्यवश हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में सबसे अधिक बाल श्रमिक हैं। हमारे पास कोई सटीक आंकड़े नहीं हैं परंतु ऐसा अनुमान है है कि देश में चार से पांच करोड़ बाल श्रमिक हैं। यह एक खेदजनक स्थिति है।

हमारे देश में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक होने के मुख्य कारण निर्धनता तथा सामाजिक सुरक्षा तंत्र का न होना है। निर्धन परिवारों को जीवन-यापन करने के लिए धन की आवश्यकता होती हे और इसलिए, बालक उनके लिए अतिरिक्त आय का स्रोत होते हैं। यद्यपि, निर्धनता बाल श्रम का एक मूल कारण है तथापि, बाल श्रम के लिए केवल यही एक अकेला कारण जिम्मेदार नहीं है। स्कूलों की अपर्याप्त संख्या तथा उनमें घटिया सुविधाएं तथा महंगी शिक्षा इसके अन्य कारण हैं। माता-पिता की सोच भी बाल श्रम की समस्या में योगदान देता है क्योंकि वे यह महसूस करते हैं कि उनके बालकों को औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में समय व्यतीत करने की बजाय ऐसे कार्यों में लगना चाहिए जिससे कि उनकी कार्य कुशलता बढ़ तथा उन्हें रोजगार दिलाने में सहायक हों।

[श्री चेंगरा सुरेन्द्रन]

अत: सबसे पहले हमें निर्धन परिवार के सदस्यों को रोजगार प्रदान करने की गारंटी देनी चाहिए। हमें माता-पिता को उनके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए तभी, हम इस स्थिति को बदल सकते हैं। मेरा यह मानना है कि केवल सरकार के प्रयासों से इस दिशा में सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। अत:, सरकार को गैर-सरकारी संगठनों तथा स्वयंसेवी संगठनों की भी सहायता लेनी चाहिए केवल तभी हम इस स्थिति में सुधार कर सकते हैं।

मुझे आशा है कि इस संशोधन से इस दिशा में कार्य करने तथा संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): महोदय, वास्तव में इस बिल पर विस्तार से चर्चा वर्ष 2005 में हो चुकी है। उसके पहले भी सालों-साल एक प्रकार से इस विषय पर बहुत मन से चर्चा होती रही है। वर्ष 2003 में जब राष्ट्रीय बाल विधेयक लाया गया था तो उसमें कहा गया कि इस प्रकार का एक आयोग बनेगा। इसलिये वर्ष 2005 में विधेयक का प्रारूप बनाते समय बहुत सारी बातों पर विचार किया गया था। उस समय यह सुझाव दिया गया था कि आयोग में दो महिलाओं को स्थान दिया जायेगा। जब श्रीमती कान्ति सिंह मिनिस्टर थीं, उन्होंने उसमें यह जोड़ा था कि इसमें दो महिलायें हानी चाहिये। यह आयोग किस तरीके से काम करेगा, किस तरह से अपने आप में कार्यवाही करेगा या सभी बातों में न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग कैसे करेगा, इस प्रकार की विस्तृत चर्चा उसमें आ चुकी है।

इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा चर्चा की आवश्यकता है। एक बात अच्छी है कि इस कमीशन की रिपोर्ट एटीआर के साथ हाउस में ले होगी। उसमें पॉलिसीज भी रिव्यू कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी पर भी चर्चा कर सकते हैं और हाउस में रिपोर्ट ले होगी। उस समय भी एक बात मन में खटकी थी। आज फिर इसका उल्लेख कर रही हूं क्योंकि यह बच्चों को लेकर है और हम कहते हैं कि 20 सालों बाद भारत सबसे नौजवाद देश रहेगा। जनसंख्या के हिसाब से हम कहते हैं कि बाकी देशों में बूढ़ों की संख्या ज्यादा होगी लेकिन भारत में नौजवानों की संख्या यानी आज के जो बच्चे हैं, वे उस समय नौजवान रहेंगे। मगर यह जो आज के बच्चों की शक्ति है, यह एक नि:शक्त शक्ति है। बाकी अलग-अलग रिपोर्ट्स हैं। अगर कहें कि भारत कुपोषित बच्चों की दृष्टि से पांचवां देश है, असुरक्षा की दृष्टि से छठा देश है-ऐसा मंत्री जी ने प्रश्नों के उत्तर में कहा था। आज भी हम देखते हैं कि प्रदूषण से ग्रसित अगर कोई है तो हिन्दुस्तान के बच्चे सबसे ज्यादा हैं। छोटे-छोटे बच्चों का किडनी ट्रांसप्लांटिशन करना पड़ रहा है। यहां हार्ट के मरीज उत्पादित होते हैं, यानी जन्म से ही एक प्रकार से हार्ट की बीमारी लेकर बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक प्रकार का समाजिक विचार इसमें है। यह समाज बनाने की बात है। इसलिए जो बात खटकती है, वह यह है कि मैं कहती हूं कि साधरणतया जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है इसलिए हम सभी बातों में कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, लेकिन कभी-कभी मन में आता है क्योंकि यह एक सामाजिक समस्या है। इसलिए इसमें वास्तव में जम्मू और कश्मीर के साथ में यह बिल बनना चाहिए था लेकिन हमने नहीं बनाया। एक बात और कहना चाहूंगी। जो नि:शक्त शक्ति की बात मैंने की, उस पर बहुत गहराई से आज सोचने की जरूरत है। क्योंकि मैंने कहा कि आज के बालक कल का भविष्य हैं और इसलिए देश की दृष्टि से, हम व्यक्तिगत दृष्टि से बोलते समय किसी कवि ने कहा है कि-

> "हाती नाही बल, दारी नाही आड़, फूला झाड़े लाग त्याने नये।"

यानी, जिसके हाथ में ताकत नहीं है, जिसके पड़ोस में कुआं भी नहीं है, उसको बागीचे में पौधा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वह उसको पानी नहीं दे सकता। उसी प्रकार-

> "सोसता मोसना संसारा च ताप माय बाप होउं त्याने नाही।"

यहां व्यक्तिगत के लिए कहा गया है कि अगर आप घर गृहस्थी का संताप नहीं झेल सकते हैं, ताकत नहीं है तो बच्चे पैदा मत करो। यह किसी कवि या संत का दिया हुआ उपदेश है। हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी का कल्याण करने की दृष्टि से हम बहुत सारे कानून बना रहे हैं। तो यह आयोग भी सक्षमता से काम करे। वास्तव में आज का संशोधन बहुत छोटा है। मैं सुरेश प्रभु जी द्वारा कही गई बात से सहमत हूं। इसको भी देखना पड़ेगा ताकि बार-बार संशोधन नहीं करना पड़े। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी। एक बात अच्छी लग रही है लेकिन और अच्छी लगनी चाहिए कि महिला बाल विकास मंत्रालय में जब मैं थी, तब से मन में एक बात आती थी कि वास्तव में यह तो संपूर्ण भारत की शक्ति को कहीं न कहीं समेटने वाला मंत्रालय है। सोसाइटी को समेटने वाला मंत्रालय है। सोशली, इकोनॉमिकली, सभी प्रकार से विचार करने वाला मंत्रालय है। इसको कहीं न कहीं स्वतंत्रता से कैबिनेट रैंक मिलना चाहिए, यह सब भी लग रहा था। आज जो संशोधन करना पड़ रहा है, क्योंकि आज इनको राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मिल गया है इसलिए

संशोधन करना पड़ रहा है। मेरा कहना है कि यह कायम ही नहीं रहे, बल्कि इनके अधिकारों में और वृद्धि होनी चाहिए और हमेशा के लिए यह होना चाहिए कि महिला बाल विकास मंत्रालय का मंत्री कैबिनेट स्तर का होना चाहिए। जैसा हम कहते हैं भविष्य में कह नहीं सकते किसकी बुद्धि कैसी हो जाए, हर प्रधान मंत्री की अपनी इच्छा, या जो भी पक्ष सत्ता में आएगा, उसकी इच्छा। इसलिए जो सुरेश प्रभु जी ने बात कही कि भविष्य की दृष्टि से भी अगर कल बच्चों का मंत्रालय अलग बनता है तो वह बात भी इसमें सम्मिलित होनी चाहिए।

मैं महिला बाल विकास मंत्री जी को बधाई देती हूं, क्योंकि मुझे यह लगा कि मंत्री जी स्वतंत्र प्रभार संभाल सकती हैं, इसलिए इन्हें स्वतंत्र प्रभार मिल गया और इसीलिए यह संशोधन आ रहा है। यह संशोधन इस रूप में सतत् कायम रहे, कल फिर अन्य कोई संशोधन करने की जरूरत इसमें न आ जाए, ऐसी इच्छा करते हुए मैं इस संशोधन का समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस सम्मानीय सभा में बाल अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

यूपीए के सहयोगी दलों से हमारी सभी महिला मंत्री बधाई की पात्र हैं। पुरुषों को इस बात के लिए इर्ष्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे महिलाओं की उपलब्धियों को सदैव स्वीकार नहीं करते। मैं इस सम्मानीय सभा में श्रीमती रेणुका चौधरी को बधाई देती हूं जिन्होंने श्रीमती सुमित्रा महाजन जैसी वरिष्ठ राजनीतिज्ञ से बधाई प्राप्त की है। अत:, निश्चित रूप से वह हमारी तरफ से भी हार्दिक बधाई पाने की पात्र हैं।

उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया क्योंकि वे अपने कार्य के प्रति बचनबद्ध हैं तथा उनमें इस विधेयक को कार्यान्वित करने का साहस है। मैं इस बात को जानती हूं। अत:, मैं इसके लिए श्रीमती रेणुका चौधरी को हार्दिक बधाई देती हूं ...*(व्यवधान)* हमें आपके समर्थन की आवश्यकता है। जब तक श्रीमती सोनिया गांधी यहां पर मौजूद हैं तब तक पुरुष सांसद भी हमें समर्थन देने को विवश होंगे।

इस विधेयक का उदेद्श्य बालकों को शारीरिक, यौन और आर्थिक शोषण से बचाना है। इसका उद्देश्य बालकों के अधिकारों के समुचित प्रवर्तन तथा बालकों से संबंधित कानूनों तथा सरकारी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए प्रस्तावित आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना है।

हम पं. जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि यह देश बालकों के कल्याण को कितना महत्व देता है। आज के बालक कल के भविष्य हैं। पूरे विश्व में बालकों की सबसे अधिक संख्या भारत में है जो कि 19 प्रतिशत है। जिसका यह अर्थ है कि विश्व में बालकों की संख्या का 1/5 भाग भारत में है तथा हमारे युवाओं की संख्या का 40 प्रतिशत 18 वर्ष से कम आयु वर्ग वाला है।

बालकों का कल्याण एक सार्वभौम अभिलाषा है। बालक भावी विश्व के निर्माता हैं। वे मानवता के प्रतीक हैं। मुझे दर्शक दीर्घा में बहुत से बुद्धिमान बालकों तथा युवाओं को बैठे देखकर अत्यधिक प्रसन्नता होती है। मैं यह कहना चाहती हूं कि इनमें से बहुत से कल संसद सदस्य बन सकते हैं। यदि आज मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, वी आई वी अथवा एक सम्मानित व्यक्ति हूं तो यह सब उस वातावरण, परिवेश तथा मेरे माता-पिता के कारण है जिन्होंने मुझे एक शांतिपूर्ण और प्रेरणायुक्त बचपन प्रदान किया। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया दर्शक दीर्घा को संबोधित न कीजिए। अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: यदि आज हम अपने चारों ओर अधिक आंतकवादी, नक्सलवादी अथवा कुंठित अपराधी देखते हैं तो इसका यह अर्थ है कि हम उन्हें एक सुरक्षित और अच्छा बचपन देने में असफल रहे हैं। समाज अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता हमें यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए।

भारत का संविधान विधि के समक्ष समता; 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा; बच्चों का अवैध व्यापार तथा बलात श्रम का निषेध; 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के कारखानों, खानों तथा माचिस पटाखा आदि बनाने वाले कारखानों में श्रम करने पर प्रतिबंध सहित बालकों को बहुत से अधिकारों की गारंटी देता है। संविधान राज्यों से बालकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है तथा यह निर्देश देता है कि राज्य की नीतियां इस प्रकार की होनी चाहिए कि उनकी नाजुक अवस्था का शोषण न किया जा सके।

आज हमारे सामने कैसी परिस्थितियां हैं? बहुत से बालक अपने माता-पिता की उपेक्षा के कारण एक असमंजस तथा दिशाहीन जीवन जीते हैं। हमारे पास अपनी तरक्की करने; धन कमाने; अपने बंगले बनाने के लिए समय है परंतु हमारे पास अपने बालकों पर

[श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश]

ध्यान देने के लिए समय नहीं है। मैं भी एक संसद सदस्य के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने में लगे रहने के कारण अपने बच्चे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाती हूं।

मैं यहां अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हूं। जी महोदय, मैं इस बात को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करती हूं कि जब मेरे बच्चों को मेरी आवश्यकता होती है उस समय मैं उन पर शत-प्रतिशत ध्यान नहीं दे पाती हूं। समाज सेवा करते हुए हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ त्याग करने के लिए विवश हैं। जहां तक महिलाओं का संबंध है तो वह अधिक त्याग करती हैं। मैं पुरुषों से यह आशा करती हूं कि वे इस संबंध में और अधिक जिम्मेदारी लेंगे। जब महिलाएं समाज सेवा के कार्यों में लगी हुई हों तो पुरुष अच्छे तरीके से घर की देखभाल कर सकते हैं। सदियों से, स्त्रियां बलिदान करती आई हैं। बच्चों की देखभाल के लिए पुरुषों को भी छोड़ा बलिदान करना सीखना चाहिए। बच्चों के विखंडित व्यक्तित्व और आत्मसम्मान के कारण आप विश्व के समक्ष एक और हठी और अव्यवस्थित व्यस्क थोप रहे हैं। तथापि, प्रकृति बहुत बलवान है और हमारी गलतियों के बावजूद बच्चों का काफी अच्छा विकास हो रहा है। प्रकृति में यह शक्ति है।

आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भारत की प्रगति के बावजूद हम बाल श्रमिकों की त्रासदी का हल निकालने में विफल रहे हैं। 2001 के मतगणना आकड़ों से पता चलता है कि बच्चों में 252 मिलियन जनसंख्या में से 12.5 मिलियन बच्चे 5 से 17 आयु वर्ग के हैं। यह अत्यंत खुशी की बात है।

तथापि, दिनांक 19 जुलाई, 2006 के 'द हिन्दू' समाचार-पत्र में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उस रिपोर्ट का शीर्षक था "कन्ट्रोवरशियल सर्वे आन इंडिया"। उस रिपोर्ट में बच्चों के लिए भारत को छठे खतरनाक देश के रूप में वर्गीकृत किया गया था। मैं रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं। उन्होंने भूख, कुपोषण, शिक्षात्मक पहुंच की कमी, स्वास्थ्य, बालश्रम, यौन उत्पीड़न आदि जैसे संकेतकों को लिया था। यह सर्वेक्षण रयूटर्स फाउन्डेशन द्वारा किया गया था। मुझे नहीं पता कि वे इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि भारत को उस सूची में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान नहीं है। यहां तक कि फिलिस्तीन और अफगानिस्तान को भी उस सूची में भारत के बाद रखा गया है।

मैं इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करती हूं। मंत्री महोदया रेणुका चौधरी के नेतृत्व में 466 आई सी डी एस परियोजनाओं और 1.88 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों को स्वीकृति दी गई। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अतिरिक्त पोषण हेतु, वित्तीय मानदण्डों को दुगना करना, राज्यों के साथ अतिरिक्त पोषण की 50 प्रतिशत लागत की साझेदारी करना, अतिरिक्त पोषण का लाभ अब केवल गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग की योजनाओं की ओर अभिमुख किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के निर्देशानुसार यूनीसेफ ने एक सर्वेक्षण किया था। उन्होंने पालूस सरजिओं विनारो नामक एक विशेषज्ञ नियुक्त किया। उन्होंने बच्चों के खिलाफ हिंसा संबंधी विश्वव्यापी अध्ययन किया। यूनीसेफ को एक गलत प्रकृति का पता चला कि लड़कियां यौन हिंसा का अधिक शिकार होती हैं जबकि लड़के, शारीरिक हिंसा जिसमें विशेषकर हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, के शिकार होते हैं। विकलांग,. अनाथ और अल्पसंख्यक बच्चे इस प्रकार के यौन दुराचार का अधिक शिकार होते हैं। यौन दुराचार न केवल पारिवारिक सदस्यों द्वारा बल्कि उन सदस्यों द्वारा भी किया जाता है जिनका परिवार में आना-जाना होता है।

मेरा राज्य के बंगलौर शहर में एक तीन वर्ष के बच्चे का बलात्कार हुआ है। राज्य पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया। हम कानून कैसे लागू कर सकते हैं? इस विधेयक का उद्देश्य ही इससे संबंधित कानून को और अधिक प्रभावी बनाना है। हमारे पास कई कानून हैं परंतु ये कानून इस प्रकार के दुराचारों से रक्षा नहीं कर पाते।

शिशुओं की जन्म दर 30 प्रतिशत है, पांच वर्ष से कम के ऐसे बच्च जिनकी विकास दर बहुत धीमी है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। 40 प्रतिशत बच्चे देह व्यापार में संलिप्त हैं। हमें शर्म से अपना सिर झुका लेना चाहिए क्योंकि हम अपने बच्चों को देह व्यापार से बचाने में विफल हो रहे हैं।

स्कूल छोड़ने वाले कुल बच्चों में से 55 प्रतिशत लड़कियां हैं और 48 प्रतिशत लड़कें हैं। ये आंकड़े बच्चों की दुर्दशा को दर्शाते हैं।

मैं स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देना चाहूंगी- "शिशुओं के दिमाग में बचपन से ही सकारात्मक, दृढ़, उपयोगी विचार जाने चाहिए। उन्हें बताइए कि वे सभी आवश्यकता के यशस्वी शिशु हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं उपाध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करती हूं। उन्होंने मुझे यह अवसर दिया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी के किसी और मैम्बर को टाइम नहीं मिलेगा, आपने इतना टाइम ले लिया। श्रीमती रूबाब सईदा।

श्रीमती रूबाब सईदा (बहराइच): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं आपका खास तौर पर शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहती हूं कि आपने मुझे समय दिया। इससे पहले एक बार इत्तेफाक से जब मैंने पहली स्पीच बोली थी, तब भी आपने ही मुझे समय दिया था, वह भी दो मिनट का और आज भी दो मिनट का ही समय है।

उपाध्यक्ष महोदय: वह भी मेरी मजबूरी थी और आज भी मेरी मजबूरी है।

श्रीमती रूबाब सईदा: मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे आखिर वक्त दिया।

उपाध्यक्ष महोदय: आज मैं आपको पांच मिनट का समय दूंगा। आज आप पांच मिनट ले लें।

श्रीमती रूबाब सईदा: आज जो विषय हमारे सामने है, यह वाकई काबिले गौर है और मैं इस बात के लिए और भी खुश हूं कि हमारी मोहतरमा मिनिस्टर साहिबा, जो एक मां भी हैं, बहन भी हैं, एक बेटी भी हैं और माओं के लिए एक मां का दर्द लेकर आई हैं, एक बहन का दर्द लेकर आई हैं। इन्होंने इस तरह का एक सजेशन रखा कि एक अलग से मंत्रालय इसका होना चाहिए। इस पर अमल करते हुए आपने जो कदम उठाया है, वह वाकई काबिले तारीफ है। मुझे चकबस्त के अल्फाज याद आ रहे हैं कि अपने बच्चों की खबर कौम के मर्दों को नहीं, ये हैं मासूस, इन्हें भूल न जाना हरगिज। आज इसी बात को यहां पर काफी देर से हमारे सब साथी गौरोफिक कर रहे हैं, सोच-विचार कर रहे हैं। जिस हालत में हमारे बच्चे आज पहुंच गये हैं, जबकि हमारी आजादी के इतने वर्ष पूरे करने के बाद भी यह कहा गया था- बच्चों तुम तकदीर हो, कल के हिन्दुस्तान की, बापू के वरदान की, नेहरू के अरमान की-इतना होते हुए भी आज हमें अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि बच्चों की दीगरगू हालत को देखते हुए हमें एक अलग से मंत्रालय बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता इस तरफ हमने ध्यान देना बंद कर दिया। हमारे देश में बड़ी-बड़ी स्कीमें बनीं, देश की तरक्की के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनीं, बड़े-बड़े काम हुए, लेकिन उन सब में बच्चों का ख्याल कहीं खो गया। बच्चे, जो हमारी बुनियाद हैं, बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं और बच्चे जो हर मां का अरमान हैं, हर बाप की उम्मीद हैं, अगर हम उनहीं को थोड़ा सा भी नैगलैक्ट कर देंगे तो हमारा देश कमजोर हो जायेगा, यह बात हम अच्छी तरह से समझते हैं। जब यह समस्या बहुत ही गम्भीर हालात को पहुंच गई तो आज हमने इस तरह के कानून बनाने शुरू किये। जैसे चाइल्ड लेबर कानून आया। जैसे ही चाइल्ड लेबर कानून के प्रैक्टिकल आस्पैक्ट्स हमने सोचे कि 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को चाइल्ड लेबर से हटा लेना चाहिए और जो उनसे काम कराएंगे, उनको पनिशमेंट दिया जायेगा, सजा दी जायेगी, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि ये बच्चे जब वहां से हट जाएंगे, जो बेचारे दो वक्त की रोटी के लिए काम करते हैं, शाम को जब घर पैसा ले जाते हैं तो उनके घर में रोटी पकती है, आम तौर पर सब जगह यही हालत है। मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रही, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रही, न ही मैं किसी विशेष समाज की बात कर रही, बल्कि आज तो यह पूरे हिन्दुस्तान की समस्या है। आज इन समस्याओं को मिलकर जब तक हम दूर नहीं करेंगे, यह गौर करेंगे, यह संजीदगी से सोचेंगे, फैक्ट्स एण्ड फीगर्स यहां पर लाकर या थोड़ी देर बातें करके, थोड़ी देर डिस्कशन करके यह काम हम पूरा नहीं कर सकते। हर इन्सान जिस जगह पर है, उसी जगह पर रहकर जब तक उन बच्चों के हालात को काबू में लाने की कोशिश नहीं करेगा, उस समय तक हम इस समसंया को दूर नहीं कर सकते।

आज हमारे सामने चाइल्ड लेबर की समस्या है, लेकिन उन्हें वहां से हटाने के बाद, क्या हमने कोई ऐसा कानून बनाए और ऐसे व्यवस्था की कि वहां से हटकर वे खाना कहां से खायेंगे, कपड़े कहां से पहनेंगे, रहने की जगह कहां से पायेंगे? जो झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, जिन्हें यहां मुश्किल से दो वक्त की रोटी मिलती है, वे भला पढ़ाई की क्या सोचेंगे? यही सोचकर इस मंत्रालय ने इस ओर ध्यान दिया। हम यह भी सोचते हैं कि आज हमारे पास इतने संसाधन हैं और हमारा देश तरक्की की ओर जा रहा है, क्या हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल उन बच्चों की तरक्की के लिए कर सकते हैं, जो हमारे देश में मुहैया हैं या जो हमें मिले हुए हैं। इसी तरह से बच्चों की तालीम और तबियत की बात है। सबसे पहले बच्चों की हालत सुधारने में स्वास्थ्य की बात आती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हम यह देखते हैं कि चालीस प्रतिशत बच्चे अधिकतर किसी न किसी बीमारी का शिकार होकर बचपन में ही खत्म हो जाते हैं। कन्या भ्रूण हत्या भी हमारे समाज की बहुत बड़ी प्राबलम है, जो बच्चों से ही संबंधित है। इसी तरह से लड़कियों की समस्यायें तो और ज्यादा हैं। जन्म लेते ही उनके सामने समस्यायें खड़ी हो जाती हैं। पहले तो जन्म की समस्या है कि उन्हें दुनिया में आने दें, और दुनिया में आने के बाद उनको

[श्रीमती रूबाब सईदा]

किस तरह से पाला जाए? जहां गरीबी होती हैं, सबसे पहले वहां बच्चियों की पढ़ाई रोक दी जाती है।

मैं एक बात कहना चाहती हूं कि बच्चियों की पढ़ाई के साथ-साथ उनके खाने-पीने की व्यवस्था और उनके कपड़ों की व्यवस्था इस प्रकार से की जाए ताकि वे मां-बाप को बोझ महसूस न हों। उनकी पढ़ाई के लिए ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाएं ताकि मां-बाप उन्हें पढ़ाने के लिए बाध्य हो जाएं, स्कूल भेजने के लिए बाध्य हो जाएं। वे बातें तो चाइल्ड लेबर कानून में भी नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनको जब घरेलू काम के लिए भेज दिया जाता है, तो उन्हें चाइल्ड लेबर के तौर पर भी नहीं देखा जाता है, जबकि घरेलू काम तो उससे भी ज्यादा मेहनत का है। अगर देखा जाए, तो यह चौबीस घंटे की ड्यूटी है, जो लड़कियां करती हैं। ऐसी लड़कियों के लिए, जिनको घरेलू कामों में लगा दिया जाता है, स्कूल भेजने के लिए कोई विशेष कानून या व्यवस्था बनायी जाए-ऐसा मेरा सजेशन है। मैं आप से यह दरख्वास्त करूंगी कि अपने देश की बेटियों के हालात को देखते हुए, आप इस तरह के कदम उठाएं जिससे उनके हालात और बेहतर हो जाएं और वह मां, जो देश को अच्छे नागरिक दे सकती है, वह मां जो देश को मजबूत बना सकती हैं, वह अपना स्वास्थ्य भी देखे, अपनी एजूकेशन भी देखे। इसी तरह से हम जैसी मां, जो बच्चों को छोड़कर काम के लिए बाहर आती हैं और मैं इस बात को जरूरत मानती हूं, इसके साथ ही मैं बहन तेजस्विनी जी की बात से सहमत हूं कि शायद हम लोग अपने बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाते। ऐसी महिलाएं तो रिजोल्व करके ही आयी हैं कि हमें देश के लिए सेवा करनी है, हमें देश के लिए कुछ काम करना है। उन बच्चों के लिए कुछ काम हमें करना है, अपने बच्चों को थोड़ा छोड़ भी दें, तो हमें उन बच्चों के लिए काम करना है, जो आज भी हमें दोनों हाथ बढ़ाकर पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं कि आइए हमारी मदद करिए।

आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आज आपको गिला नहीं रहना चाहिए। आज आपको आठ मिनट बोलने के लिए दिए गए।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि मुझे बोलने का अवसर भी दिया जाएगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप सुन लें कि वह क्या कहना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: चूंकि मुझे बोलने का अवसर दिया गया है अत: मैं बाल अधिकार (संशोधन) विधेयक के संबंध में कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगा।

विधेयक में यह प्रावधान है कि मानव संसाधन मंत्री चयन समिति के सभापति होंगे। यह स्वभाविक है कि अब नए मंत्रालय के गठन के पश्चात् नए मंत्री जो महिला सशक्तिकरण के प्रभारी हैं, इसके सभापति होंगे।

मैं आशा करता हूं कि आपके नए पद में आपको सफलता मिले। परंतु इसी दौरान मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं। हमने बाल अधिकार संरक्षण विधेयक पारित किया है। अब यह एक अधिनियम है। हम बाल सुरक्षा के लिए कर्त्तव्यबद्ध हैं। यह एक संवैधानिक कर्त्तव्य है और बच्चे कानून के तहत संरक्षण पाने के अधिकारी हैं। वर्तमान में बाल मजदूरों का प्रतिशत भारत में सबसे अधिक है और पूरे देश में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम के लागू होने के बाद भी यह जारी है। परंतु इसका वास्तविक परिणाम यह रहा कि यह केवल दस्तावेजों तक ही सीमित है और हमारे देश में बाल मजदूरी अभी जारी है। यदि इसमें कोई संदेह है तो इसकी जांच कर सकते हैं कि बाल मजदूरी अभी भी जारी है। इस कानून को उचित ढंग से लागू नहीं किया गया है। किसी भी राज्य में कोई कार्यान्वयन अधिकारी नहीं नियुक्त किया गया है। सुधार के तहत किसी भी राज्य द्वारा बाल मजदूरी को प्रतिबंधित करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। कोई भी संबंधित कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। यह अभी भी जारी है। यह दुर्भाग्य की बात है कि कानून के पारित होने के कई महीनों बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

अपराह्न 3.51 बजे

[श्री गिरिधर गमांग *पीठासीन* हुए]

अब आप एक ऐसी समिति के सभापति बनेंगे जो एक आयोग नियुक्त करने की हकदार है। अत: नियमों को शीघ्रातिशीघ्र लागू कीजिए। नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया है। अत:, मेरा आप से अनुरोध है कि आप तुरंत कदम उठाएं। हम आपको सम्पूर्ण शक्तियां देते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि विधेयक को प्रकाशित किया जाए और बाल मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाले अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए कर्त्तव्यबद्ध व्यक्तियों को नियुक्ति किया जाए। आयोग भी एक अन्य मुद्दा है। परंतु आपको इसे शीघ्रातिशीघ्र नियुक्त करना चाहिए। आपको यह देखना

चाहिए कि नियमों को बिना किसी विलंब के बनाया जाए और मेरे विचार में इस कार्य को पहले ही किया जा चुका है परंतु इसे उचित ढंग से लागू नहीं किया गया है। आपको सभी राज्यों को बाध्य करना चाहिए कि वे यह देखें कि इस कानून को उचित ढंग से कार्यान्वित किया जाए। यू पी ए सरकार इसे कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केवल बातें करने से इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मुझे यह बताने में खेद है कि कई राज्यों में इसे कार्यान्वित नहीं किया गया है। मुझे इसकी जनकारी है और इसे कार्यान्वित किया जाना है। संघ सरकार द्वारा केवल यह एक निदेश जारी करने से कि यदि वे इस अधिनियम को उचित परिदृश्य और भावना से कार्यान्वित नहीं करेंगे तो विकास कार्य के लिए और राशि जारी की जाएगी, से ऐसा किया जा सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इसे अपना पूरा समर्थन देता हूं-और आशा करता हूं कि अब इस पर आगे कार्यावाही करेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): सभापति महोदय, बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अंतर्गत आज यहां जो संशोधन पेश किया जा रहा है, मैं उसका समर्थन करती हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि महिला बाल विकास विभाग मंत्रालय के अंडर ही यह आयोग गठित किया गया है। इसलिए मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूं, माननीय सुमित्रा महाजन जी ने जो बात कही, पहले उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि यह विधेयक जम्मू-कश्मीर के अलावा लागू होगा। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद वहां एक सामाजिक समस्या है और इसे सामाजिक समस्या मानते हुए जम्मू-कश्मीर के बच्चों की ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं विशेष तौर पर कहूंगी कि इसमें जम्मू-कश्मीर को भी सम्मिलित किया जाये, क्योंकि आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग वहां के बच्चों को उठाकर उन्हें गलत रास्तों पर ले जाते हैं। इस तरीके से उनका सारा बचपन भटक जाता है। हमें इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। भारत में बच्चों की जनसंख्या पूरे पापुलेशन की 40 प्रतिशत है। इसलिए यह आयोग बहुत महत्वपूर्ण आयोग के रूप में साबित होगा। यहां माननीय मंत्री जी विराजमान हैं। उन्हें इस आयोग के माध्यम से काफी शक्ति मिलेगी। मैं सोचती हूं कि इस आयोग के माध्यम से आप बहुत सा अच्छा काम करवाएंगी, ऐसी हमें आपसे अपेक्षा है। हिन्दुस्तान में बच्चों की 40 प्रतिशत जनसंख्या पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जनरली हम लोग उन क्षेत्रों पर ध्यान देते हैं, जहां से वोट मिलता है। वोट के लिए जन-प्रतिनिधि कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें उस क्षेत्र या समाज के उस वर्ग से वोट मिलेगा। जब हम बच्चों के लिए आयोग बना रहे हैं, तो वह काफी शक्तिशाली हो, ताकि उन बच्चों की आवाज को अच्छी तरह से सुना जा सके।

मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि पूर्व में हमारे यहां बाल श्रमिक बच्चों के लिए जो कानून आया था, उसमें जो विसंगतियां रह गयी हैं। उनकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहती हूं कि देश में 4 से 5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो बाल श्रमिक के रूप में देश भर में काम कर रहे हैं। उनके लिए जो कानून बनाया गया है, उसमें बाल मजदूरों की शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना संचालित की जाती है। इसके लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। पशु चराने वाले, लकड़ी बीनने वाले, खेतों में कार्य करने वाले और भीख मांगने वाले छः से चौदह साल के बच्चों को भी इस परियोजना की परिधि में लाया जाये। वर्तमान में विशेष बाल श्रमिक विद्यालय केवल तीन वर्ष की अवधि के लिए संचालित किये जाते हैं। जब हम ये विद्यालय चलाते हैं, तो उसके पीछे उद्देश्य यह है कि शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को कुछ व्यावसायिक ज्ञान भी दिया जाये, लेकिन तीन साल इतने कम हैं कि हम उन्हें केवल शिक्षा के प्रति ही जागरूक कर पाते हैं, उन्हें व्यवसाय के साथ हम जोड़ नहीं पाते। इसलिए मैं मंत्री जी से बाल श्रमिक विद्यालय की अवधि बढ़ाने की सिफारिश करती हूं।

इस परियोजना में स्टाइपेंड मात्र 100 रुपये दिया जाता है। वे ऐसे बच्चे हैं जिनको मजबूरन बाल श्रमिक बनना पड़ता है। वे न कोई शौक से बाल श्रमिक नहीं बन रहे और न ही उनके माता-पिता को कोई शौक है कि वे अपने बच्चों को वहां भेजे। देश में गरीबी है, इसलिए उनको इसकी आवश्यकता होती है। यदि घर में चार सदस्य हैं, और उन सदस्यों में कुछ बच्चे हैं, तो बच्चे भी काम पर जाते हैं। जब वे रोजी-रोटी कमाकर लायेंगे तभी दो वक्त का खाना खा पायेंगे। ऐसी स्थिति में जब हम उन्हें डायवर्ट कर रहे हैं, जब हम बाल श्रमिक से हटाकर उन्हें कहते हैं कि आप विद्यालय में पढ़ने के लिए जायें और स्टाइपेंड के रूप में हम केवल 100 रुपये देते हैं, लेकिन 100 रुपये इतने कम हैं कि हम उन्हें विद्यालय जाने के लिए आकर्षित नहीं कर पाते। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि स्टाइपेंड 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये किया जाये। इसी तरह विद्यालय में बच्चों के लिए जो गणवेश होना चाहिए, वह भी नहीं दिया जाता। जब हम ऐसी परियोजना चलाते हैं और कहते हैं कि ये बाल श्रमिक बच्चे हैं, इन्हें हम विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, तो फिर उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो बाल श्रमिक बच्चे हैं, वे गणवेश में नहीं

[श्रीमती किरण माहेश्वरी]

आते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। यदि सरकार उन्हें गणवेश भी प्रोवाइड करेगी, तो ज्यादा उचित होगा, इसी तरह, परियोजना के जो प्रभारी हैं, मोनीटरिंग करने वाले हैं, उनकी संख्या जिला स्तर पर बहुत कम है। हमारा आपसे निवेदन है कि इसके फील्ड स्टॉफ में बढ़ोतरी करने की जरूरत है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तहत कन्या भ्रूण हत्या की तरफ दिलाना चाहूंगी। यह इस समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। हमारी आपसे रिक्वैस्ट है कि कन्या भ्रूण हत्या करने वालों लिए कड़े से कड़े कानून बनाये जायें, ताकि इसे हम रोक सकें। आज के समय में कन्या भ्रूण हत्या पढ़े-लिखे वर्ग में ज्यादा देखने में आ रही है। एक तरह से हमारे लिए कन्या का जन्म गौरव की बात है। इसलिए जगह-जगह पर कन्या जन्मोत्सव मनाने की बात केन्द्रीय मंत्री अपने इस बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माध्यम से लेकर आये।

अपराह्न 4.00 बजे

जहां कन्या होगी, वहां उसका जन्मोत्सव मनाया जाए और सरकार उस पर अपनी ओर से विशेष अनुदान दे, तब मैं समझती हूं कि यह मान्यता गांव-गांव में प्रचलित होगी कि कन्या का जन्म हम सभी के लिए गौरव की बात है, यह हमारे लिए अभिशाप नहीं है। हम सभी को यह सोचना चाहिए कि कन्या का जन्म हमारे लिए गौरवशाली बात है। साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि हम बाल विकास विभाग एवं इस बाल संरक्षण आयोग को बहुत महत्वपूर्ण दर्जा देकर, बच्चों से सम्बन्धित बहुत सी समस्याओं जैसे अगर ड्राप आउट रेट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, अगर कहीं बाल विवाह हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उसको देखें कि पिन प्वाईंटेडली कौन-कौन से ऐसे समाज हैं जहां बाल विवाह बढ़ रहे हैं। इसके लिए शिक्षा का प्रसार भी आवश्यक है, लेकिन आज की शिक्षा बहुत महंगी हो गयी है। ऐसे बहुत से राज्य हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे प्रयास कर रहे हैं, जैसे मैं राजस्थान का उदाहरण देना चाहूंगा जहां पर एक से 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त दी जा रही है। ऐसे कुछ राज्यों को प्रेरित करें और बच्चों की शिक्षा को मुफ्त करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ाई की ओर आ सकें। इसमें यह जो बाल संरक्षण आयोग है, उसे हम जितना ज्यादा से ज्यादा मजबूत करेंगे, वह हमारे बच्चे के लिए लाभदायक होगा।

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं और इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती प्रिया दत्त (मुम्बई उत्तर-पश्चिमी): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया।

मैं माननीय मंत्री श्रीमती रेनुका चौधरी को उनके अत्यंत प्रगतिशील दृष्टिकोण के लिए बधाई देना चाहूंगी। इसी के साथ, मैं यह बताना चाहूंगी कि इस अधिनियम को लागू हुए लगभग एक वर्ष बीत चुका है। परंतु, आज तक कोई भी आयोग नियुक्त नहीं किया गया है। जब तक आयोग नियुक्त नहीं किया जाता इस अधिनियम का सम्पूर्ण प्रयोजन व्यर्थ हो जाएगा। अत:, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वे आयोग का शीघ्र गठन करें।

हमारे राष्ट्र के आर्थिक विकास की बढ़ती हुई दर ने आज भारत को विश्व के तेजी से विकसित हो रहे देशों में शामिल कर दिया है। हमें निरंतर इस महान देश के भीतर व्याप्त असीम क्षमता के बारे में स्मरण कराया जाता है जो हमें निकट भविष्य में एक विश्वव्यापी आर्थिक महाशक्ति बनने के हमारे उद्देश्य के निकट लाती है। परंतु हम किस क्षमता की बात करते हैं जब हमने नजदीकी से जांच की तो हमने पाया कि हमारे देश का भविष्य पालन-पोषण किशोरों की शिक्षा तथा सबसे महत्वपूर्ण हमारे देश के बच्चों में है क्योंकि उन्हीं में हमारी वास्तविक विकास क्षमता है।

यद्यपि, यह अत्यंत प्रशंसनीय है परंतु बच्चों के संबंध में कुछ आकड़ें अभी भी चौंकाने योग्य हैं। भारत की जनसंख्या में लगभग 40 प्रतिशत 18 वर्ष से कम वालों की हैं जो 400 मिलियन है तथा विश्व की बाल जनसंख्या में सबसे अधिक हैं। भारत में 6 से 18 वर्ष के बच्चों में से लगभग 50 प्रतिशत स्कूल नहीं जाते और उनमें से 10 मिलियन बच्चे मजदूरी करते हैं। भारत में देह व्यापार में संलिप्त लोगों में से 40 प्रतिशत बच्चे हैं और प्रति वर्ष 5,00,000 को देह व्यापार में जबरन लाया जाता है। भारतीय बच्चों में लगभग 3 प्रतिशत दिमागी तौर पर अथवा शारीरिक तौर पर विकलांग हैं और छ: लड़कियों में से एक 15 वर्ष की होने से पहले ही मर जाती है। हर छठी बालिका की मृत्यु लिंग भेद-भाव के कारण होती है। चार लड़कियों में से एक लड़की और सात लड़कों में से एक लड़के के साथ यौन दुराचार किया जाता है और भारतीय बच्चों में से 42 प्रतिशत को 18 वर्ष में आयु तक पहुंचने से पहले किसी न किसी प्रकार यौन दुराचार से गुजरना पड़ता है। भारत में 4 लाख बच्चे वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं और प्रतिवर्ष 44,000 बच्चे लापता हो जाते हैं। लगभग 10 करोड़ बच्चे विभिन्न प्रकार की मजदूरी करने के लिए बाध्य हैं। ये सभी बच्चे निवास, शिक्षा,

और अच्छे रहन-सहन के अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं। इस राष्ट्र के जन प्रतिनिधि होने के नाते हमें अन्त में बच्चों के समक्ष किसी भी रूप में आ रही समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है।

जब हमारे देश की प्रगति और आर्थिक विकास की बात होती है तो हमारा सिर गर्व से उठ जाता है परंतु जैसे ही हम यह सुनते हैं कि यौन शोषण में हमारा देश विश्व में प्रमुखता हासिल करता जा रहा है, जहां बाल यौन पर्यटन फलता फूलता है और जहां बच्चे असुरक्षित रहते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है।

सुधारात्मक तरीके अपनाये जाने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, बच्चों से यौन दुराचार के मामलों में, हमारे कानून में केवल बलात्कार को ही अपराध माना गया है, जो व्याख्या करने पर बच्चों को शारीरिक दुराचार से नहीं बचाता। इसका अर्थ यह है कि एक बच्चे की तब तक सुरक्षा नहीं की जा सकती जब तक कि उसका यौन शोषण न किया जाए।

बुनियादी शिक्षा एक और चिंता का विषय है। अधिकतर सरकारी और नगरपालिका विद्यालयों में पढ़ने के लिए उचित वातावरण नहीं है। क्या उत्तम शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल अमीरों का है? टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में कराए गए एक अध्ययन से पता चला है कि मुम्बई में सर्वोत्कृष्ट स्कूलों के 1,694 विद्यार्थी प्रतिवर्ष 64 करोड़ रु. वार्षिक फीस का भुगतान करते हैं। यह राशि इस वर्ष 1,656 नगरपालिका विद्यालयों और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रहे 6.9 लाख बच्चों के लिए आबंटित नगर निगम पूंजी शिक्षा बजट के बराबर है।

86वां संशोधन बच्चों की शिक्षा का भार माता-पिता पर डालता है तथा शिक्षा को राज्य की जिम्मेदारी न मानकर माता-पिता की जिम्मेदारी मानना है। इससे शिक्षा में असमानता की नींव पड़ती है। बच्चों विशेषकर पिछड़ी जातियों के बच्चों के सशक्तीकरण हेतु प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

श्रम मंत्रालय ने हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विधियों को अधिनियमित किया है। यह प्रशंसनीय है कि इस प्रकार का कानून लाया गया। हमें पुर्नवास उपायों पर ध्यान देना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाल-श्रम से मुक्त होने वाले बच्चे निराश्रित न हों और समाज विरोधी तत्व उनका और शोषण न करे। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं तथा उनका आसानी से शोषण किया सकता है।

इस संबंध में पहले दिए गए आकड़े चिंताजनक हैं और इनकी संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बच्चों को सुरक्षित रखने और उनके पालन-पोषण के हमारे प्रयास विफल होते जा रहे हैं और हमें इससे अपने देश के भविष्य पर पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव पर विचार करना चाहिए।

बाल अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का स्वागत किया जाएगा तथा यह भविष्य को बेहतर बनाने का एक सकारात्मक प्रयास होगा। परंतु उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास कानून हैं, नीतियां हैं और लगभग 122 कार्यक्रम हैं परंतु हमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। हमारे पास बाल विवाह, बाल मजदूरी, लिंग निर्धारण, बाल दुराचार को रोकने के लिए विधियां हैं और बहुत सारी और विधियां हैं जिनका उद्देश्य हमारे बच्चों की सुरक्षा करना है परंतु इनका कार्यान्वयन उचित ढंग से नहीं किया जाता।

हमें विभिन्न मंत्रालयों पर जिम्मेदारी डालने की बजाए बच्चों की समस्याओं पर सफलतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, विकलांग बच्चों की समस्याएं सामाजिक कल्याण मंत्रालय देखता है मजदूरी कर रहे बच्चे श्रम मंत्रालय के अध्यधीन हैं बच्चों को शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा बाकी समस्याएं महिला और बाल मंत्रालय के तहत आते हैं। हमें खुशी है कि महिला और बाल मंत्रालय को कैबिनेट का दर्जा मिला है जो उसे पर्याप्त शक्तियां प्रदान करता है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में सम्पन्न 'लीडरशिप सम्मिट' में कहे गए शब्दों का उद्धरण देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि:

> "हमें एक समावेशी समतापूर्ण, सतर्क व न्यायपूर्ण राज्यतंत्र की आवश्यकता है। हमें एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता है जिसे प्रत्येक नागरिक अपना समझे और उस पर गर्व करे। ये वे लक्ष्य हैं जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाएंगे।"

मैं इस सम्माननीय सभा के माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगी कि वह इन चिंताजनक तथ्यों पर ध्यान दे और एकजुट होकर बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुधारात्मक उपाय करें।

मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बालक अधिकार संरक्षण

[श्री आलोक कुमार मेहता]

आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 पर बोलने का मौका दिया। इस देश के 40 प्रतिशत आबादी की बात और उसके हित की बात इस बिल के माध्यम से हम कर रहे हैं। इस क्रम में सबसे पहले मैं हमारी यूपीए सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा।

यूपीए की सरकार जिसने महिला एवं बाल विभाग को एक अलग विभाग का दर्जा देने का काम किया है, इसकी महत्ता को समझा है, उसको मैं धन्यवाद देता हूं। विगत दिनों जिस तरह से राइटर फाउंडेशन ने बताया कि जहां तक बालकों की असुरक्षा का सवाल है तो भारत का स्थान असुरक्षा के मामले में विश्व में छठा है। इससे आप सहमत हों या असहमत हों, यह अलग बात है लेकिन बालकों की सुरक्षा के मामले में हमारा देश, विश्व में, सबसे अच्छा तो नहीं है। भारत को सबसे अच्छा देश बनाने की दिशा में जो प्रयास किये जा रहे हैं–चाहे अलग विभाग बनाकर या इन विषयों को एम्फेसाइज करके, इसके लिए माननीय मंत्री रेणुका चौधरी जी बधाई की पात्र हैं। जब से उन्होंने इस विभाग का कार्य संभाला है, तब से अनवरत रूप से काम करने की शुरूआत इन्होंने की है। जहां तक गांव और देहात की बात है तो कुछ बच्चे तो सिल्वर स्पून लेकर जन्म लेते हैं लेकिन अधिकांश बच्चों का जन्म आंसू और कराह के बीच होता है। उन बच्चों के ऊपर ये सारे कानून किस प्रकार से लागू किये जाएं जिससे वे सुरक्षित रह सकें, यह देखने की बात है।

चाइल्ड लेबर लॉ जो है उसको लागू करने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। सदन में जब पहले इस पर चर्चा हुई थी तो मैंने कहा था कि कानून के लागू होने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो हम बच्चों को सड़क पर लाकर और बड़ी समस्या की शुरूआत करेंगे। अगर हमने बिना पुनर्वास के इस कानून को लागू किया तो और बड़ी समस्या को हम जन्म देंगे। संरक्षण गृहों में रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर एवं महिलाओं को बिहेवियर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देकर हम बच्चों के सुधार में और उनके रोजगार में सहायक बन सकते हैं। महिलाओं का बच्चों के उन्नयन में बहुत योगदान होता है, इसलिए महिलाओं की ट्रेनिंग को महत्व दिया जाना चाहिए, उस पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। महिलाओं को बच्चों की ट्रेनिंग के लिए डिप्लाए किया जाना चाहिए। देखा गया है कि सुधार-गृहों में बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। इस आयोग के माध्यम से इस तरह की घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। आपने सन् 2010 तक 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की प्राइमारी शिक्षा के लिए करीब 1,57,967 स्कूलों का अनुमोदन किया है। मैं मानता हूं कि यह एक बहुत बड़ा कदम है। जिन बच्चों को शिक्षा के अभाव में जिल्लत उठानी पड़ती है वे पढ़-लिखकर अच्छे नागरिक बन सकेंगे। इसके साथ-साथ शिक्षा-गारंटी-स्कीम एवं वैकल्पिक शिक्षा के लिए 63 लाख बच्चों को नामांकित किया गया है, उसके लिए भी धन्यवाद। बच्चों के पूरक पोषण के लिए जो आपने वित्तीय मानकों को दुगुना किया है, उसके लिए भी माननीय मंत्री महोदया बधाई की पात्र हैं। उन्होंने इस बात को समझा है कि पोषण के अभाव में बच्चों का विकास कैसे होगा? जीरो से पांच वर्ष की आयु के लगभग 13.4 प्रतिशत बच्चे इस देश में हैं। बिना पोषण के हमारे देश के बच्चों का भविष्य कैसा होगा? देश का भविष्य बच्चों के सही विकास पर निर्भर करता है। अब तक कुपोषण के कारण गांवों के बच्चों को आगे बढ़ने के मौके नहीं मिल पाते थे लेकिन अब उनको आगे बढ़ने के मौके मिलने लगे हैं। इस दिशा में आपके द्वारा किये गये प्रयासों को मार्ग मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूं।

इस देश की 40 प्रतिशत आबादी को भी पूरा अधिकार है कि ज्यादा पोषित, स्वस्थ मानव के रूप में विकसित हों और आने वाले दिनों में यह भारत का भविष्य है। हमें मंत्री जी से बहुत अपेक्षा है, इस संशोधन के द्वारा मंत्री जी को एम्पावर किया जा रहा है। आपकी पुरानी एक्टीविटीज देखकर हम आशा करते हैं कि आप इस विभाग को अच्छी दिशा प्रदान करेंगी। प्रोटेक्टिड बच्चों के साथ भारत का नवनिर्माण होगा। इस विधेयक का हम समर्थन करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं।

[अनुवाद]

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का यह अवसर दिया। मैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 का स्वागत करता हूं। मैं इस सम्मानीय सभा में तमिल में बोलना चाहूंगा। *...(व्यवधान)*

श्री किरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): महोदय, इसका अनुवाद नहीं हो पाएगा।

श्री जे.एम. आरून रशीद: ठीक है, मैं बाद में बोलूंगा।

सभापति महोदय: आपने इसकी सूचना पहले क्यों नहीं दी।

...(व्यवधान)

श्री जे.एम. आरून रशीद: जब श्री शिवन्ना कन्नड़ में बोल सकते हैं तो मैं तमिल में क्यों नहीं बोल सकता? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इसका अनुवाद नहीं हो सकता। कृपया अंग्रेजी में बोलिए। अगर आपने सूचना दी होती तो हम इसकी व्यवस्था कर लेते।

श्री जे.एम. आरून रशीद: ठीक है, महोदय, मैं अंग्रेजी में बोलूंगा। ऐसे कई तरीके है जिनके द्वारा लोग बाल शोषण करते हैं। यह औद्योगिक क्षेत्र विशेषकर वस्त्र उद्योग में होता है। वस्त्र उद्योगों में हम 9 से 16 वर्ष के लड़के और लड़कियों को कार्य करते देख सकते हैं। वे कठिन परिश्रम करते हैं। इसके बावजूद उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इसी प्रकार, बीड़ी मजदूरों को प्रताड़ित किया जाता है। इसी प्रकार सड़कों पर कागज उठाने वाले और अखबार बेचने वाले का शोषण किया जाता है। वे सभी युवा लड़के और लड़कियां छोटे हैं। उनके अधिकारों की सुरक्षा की जानी चाहिए। उसके लिए सरकार को इन सभी बातों को शामिल करके कुछ कड़े कानून बनाने चाहिए।

खेलों के लिए एक अलग विभाग है। सर्व शिक्षा अभियान एक अलग विभाग के अधीन है। बाल कल्याण अधिकार एक अलग विभाग के अधीन है। अत: इन सभी को एक विभाग के अंतर्गत लाना चाहिए ताकि वह विभाग बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु उचित ढंग से कार्य कर सके।

दूसरे, बच्चों में बारहवीं कक्षा तक शिक्षा दी जानी चाहिए। भारत में लगभग 10 से 15 प्रतिशत बच्चे बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। वे विद्यालय क्यों छोड़ देते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे विद्यालयों में फीस नहीं दे सकते। निजी विद्यालय बहुत अधिक फीस लेते हैं तथा सामान्य, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले और मध्य वर्गीय परिवार इसका भुगतान नहीं कर पाते। इसे रोकने के लिए सरकार को कुछ सख्त कानून बनाने होंगे। जब तक सरकार बारहवीं कक्षा तक शिक्षा को अनिवार्य नहीं बनाती ऐसा होता रहेगा। इसके अतिरिक्त श्रीमती सोनिया गांधी के निरीक्षण में यू.पी.ए. सरकार ने शिक्षा के लिए अधिक ऋण दिया है। वे इंजीनियरिंग आदि जैसे क्षेत्रों में केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही छात्र ऋण दे रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि छात्र ऋण उच्चतर शिक्षा स्तर से ही दिया जाना चाहिए ताकि बाल श्रम शोषण खत्म हो सकें। निजी विद्यालयों की निगरानी की जानी चाहिए।

महोदय, अनिवार्य शिक्षा बाल दुराचार को रोकने का मुख्य उपकरण है। हमें अच्छी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करनी होगी। गांवों में विद्यार्थियों के दांत पीले होते हैं। उनके पास अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए टूथ पेस्ट तथा अन्य वस्तुएं खरीदने की भी क्षमता नहीं है। अत: सरकार को उचित स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करनी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि सभी बाल अधिकारों का सुरक्षा की जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

महोदय, सर्व शिक्षा अभियान, बाल कल्याण और विद्यार्थी खेलों को एक ही विभाग के अंतर्गत लाना होगा ताकि हम अपने बच्चों का विकास उचित ढंग से कर सकें। उदाहरणार्थ, दोहा एशियाई खेलों में चीन को 100 से अधिक स्वर्ण पदक मिले जबकि भारत को अब तक केवल 7 ही स्वर्ण पदक मिले हैं। अत: खेलों में श्रेष्ठता लाने के लिए बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है ताकि बाल दुराचार को रोका जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): सभापति महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आज का बालक कल का भारत है और हम कल के भारत के बारे में चिंतित हैं। आज तक टॉप प्रॉयरिटी बच्चों को नहीं दी गई है। करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जिन को सुबह का दूध नहीं मिलता, दो वक्त की रोटी नहीं मिलती, ऊपर आकाश नीचे धरती, मां की गोद से दूर वे पल रहे हैं। उन बच्चों के बारे में अब तक चिन्ता नहीं की गई है।

माननीय प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने 2005 के चिल्ड्रेन डे के दिन आश्वासन दिया था कि जिन बच्चों की खास समस्याएं हैं, ऐसे बच्चों को टॉप प्रॉयरिटी देनी पड़ेगी लेकिन अभी तक उनको टॉप प्रॉयरिटी नहीं मिली है। आशा है, उन बच्चों को टॉप प्रॉयरिटी दी जाएगी। हम चाइल्ड राइट डे मनाते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिन को बाल दिवस के नाम से मनाते हैं लेकिन एक दिन बाल दिवस मनना तथा बच्चों को हंसाना और 364 दिन बच्चों को रुलाना जैसे स्वाभाविक हो गया है। छोटे बच्चों से काम लिया जाता है। छोटी-छोटी फैक्ट्रियों में उनका शारीरिक शोषण होता है। यू.एन. द्वारा 1989 में कनवैंशन ऑन चाइल्ड राइट रखा गया था। परिणामस्वरूप दुनिया के 191 देशों में आज तक कनवैंशन्स रखे जाते हैं लेकिन यह करने के बाद हमें शांत नहीं रहना चाहिए। उसे और आगे ले जाना चाहिए। आज मीडिया वाले विशेष कर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया देश के इकोनॉमिक विकास को बड़े पैमाने पर दिखाते हैं और बातें करते हैं लेकिन वे बच्चों के साथ हो रही हरकतों, परेशानियों, शोषण, अत्याचार और हासमैंट के प्रति शांत रहते हैं। इस बात को भी उजागर करना चाहिए ताकि देश के बच्चों को सही न्याय मिल सकें। 1986 में बना चाइल्ड लेबर एक्ट का अमल हम 20 साल बाद भी ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं। आज भी उद्योगों में बच्चों से काम लिया जाता है। मैं मानता हूं कि मंत्रालय बदलने और कानून बदलने से काम नहीं होगा। इसके अंदर समाज की भागीदारी चाहिए। टीचर, वकील जुडिशियरी, बड़े-बड़े उद्योगपतियों की भागीदारी होगी तभी यह बात बन पाएगी। सुखी बच्चों का सहयोग होगा तो यह काम होगा।

[श्री रतिलाल कालीदास वर्मा]

आईसीडीएस द्वारा बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं जिस में वर्ल्डस बैंक द्वारा लाखों डॉलर्स दिए जाते हैं जिससे देश के 47 परसेंट बच्चे इस योजना के अंतर्गत आते हैं। अगर हम उचित परिणाम तक नहीं पहुंचेंगे तो बच्चे बहुत दुखी हो जाएंगे। यूएन ने राइट्स ऑफ दी चाइल्ड 1959 में डिक्लेयर किया था। हमारे देश ने 1974 में उसे एडॉप्ट किया। 29 वर्ष बाद भी बच्चों की हालत नहीं सुधरेगी तो क्या होगा? हम बच्चों के बारे में बार-बार चिन्ता करते हैं। उनके मानसिक, शारीरिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए राज्य की ओर से सहयोग प्रदान किया जाएगा। माननीय मंत्री महोदया बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आई हैं और बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा जो फंड दिया जाना चाहिए, वह बहुत कम है।

जब राधाकृष्णन जी बोल रहे थे, तब मैंने कहा कि राधाकृष्णन जी बुजुर्ग हैं, वे सौ साल जिएं, अगर भगवान के घर जाना है तो आधे घंटे के बाद समाचार आएगा कि रतिलाल बोलता था वह अब नहीं रहा। लेकिन वे अभी बच्चे हैं, उनके सामने पूरी दुनिया है, वे देश की धरोहर हैं, देश की नींव हैं, अगर देश की नींव और धरोहर ठीक नहीं होगी तो आने वाला भारत कमजोर रहेगा, आने वाला भारत दुखी होगा और आने वाले भारत की तरफ सब निगाह उठाकर देखेंगे।

अंत में, मैं चार पंक्तियां कहकर अपनी बात पूरी करता हूं हम सभी को साथ मिलकर देश की भावी पीढ़ी, देश की धरोहर, जो बच्चों के रूप में है, उनका रक्षण करना चाहिए, तभी हम गर्व से कह सकेंगे कि हमारा भारत विकासशील देश है।

बालक हैं अनजान, उसे कराओ पहचान कैसे बढ़े हमारी शान
बालक बना अगर बदमाश, देश का होगा सत्यानाश
बालक बना अगर इंसान तो दुनिया में कहलाएगा महान
बालक है अनजान, उसे कराओ पहचान कैसे बढ़े हमारी शान।

हम इन्हीं बालकों की पहचान कराएंगे, आप गांधी जी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, आपने दुनिया को अपनी आन और शान दिखानी है।

[अनुवाद]

श्रीमती रेनुका चौधरी: महोदय, सर्वप्रथम, मैं इस सम्पूर्ण सभा का धन्यवाद करती हूं। मैं इन सभी माननीय सदस्यों की अति आभारी हूं जिन्होंने भारत में बच्चों के मुद्दे में इतनी रुचि और संवेदनशीलता व्यक्त की।

[हिन्दी]

फिर भी मैं यह कहना चाहती हूं और आपकी नजर में कुछ शब्द उद्धृत करना चाहती हूं और आपके जहन पर असर लाना चाहती हूं कि ये बच्चे हमारे हैं, बच्चों को बड़े लोग सिखाते हैं। बच्चों की जिंदगी और भविष्य की बुनियाद हम लोग बनाते हैं, बच्चों को स्कूल में जो सिखाया जाता है वे अलग से सीख जाते हैं लेकिन बच्चों के साथ अत्याचार कौन करते हैं? ये उन्हीं के मां-बाप हैं, आज के दिन हमारे देश में एक करोड़ लड़कियों की, अनजन्में बच्चों की हत्या, भ्रूण हत्या उनके मां-बाप करते हैं। जो बाप अपने बच्चों के लिए पौष्टिक आहार लाने के बजाय दारू की बोतल खरीद कर लाता है वह उस बच्चे की ऐसी बुनियाद बना देता है और वह पियक्कड़ बाप का बच्चा बनकर रह जाता है और यही आदत अपना लेता है। जो मां-बाप सोचते हैं कि बच्चों की ठीक जिंदगी बना दें, गुनाहकार उनके माता-पिता बन जाते है। अब वह समय आया है कि जब हम अपनी अंतरात्मा से बात करें और असलियत को पहचानें।

[अनुवाद]

बच्चे हमारा अनुसरण करते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज की देखभाल करें और यदि हमारे आस-पास समाज में गड़बड़ी होती है तो हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि हम बच्चों को उचित राह दिखाने में विफल रहे हैं।

तथापि, इन सभी सीमाओं के बावजूद, मुझे यह कहने में गर्व हो रहा है कि आज की युवा पीढ़ी अधिक जागरूक है उनमें प्रौद्योगिकी की समझ अधिक है। वे जिन सिद्धांतों और मूल्यों में रहते हैं उनके प्रति वचनबद्ध हैं वे दिमागी और शारीरिक तौर पर स्वस्थ हैं तथा राष्ट्र निर्माण में शामिल हैं।

शायद, इसी कारण भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने स्वयं को बच्चों से सम्बद्ध किया और आज देश भर में हम पंडित जी के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं।

[हिन्दी]

यह एक दिन की बात नहीं है, एक इशारा है कि बच्चों को देश के प्रधानमंत्री ने पहचाना था और उन्होंने इन बच्चों को इतना महत्व दिया था कि ये देश की बुनियाद हैं, उन्होंने ठीक पहचाना था। स्व. राजीव गांधी ने एक कदम और आगे बढ़ाया था।

[अनुवाद]

जब उन्होंने 18 वर्ष की आयु के लोगों को अपने देश के लिए मतदान का अधिकार दिया ताकि वह अपने भाग्य का निर्माण

कर सकें और अपने देश को उस दिशा की ओर ले जा सकें जो उन्होंने उत्तराधिकार में प्राप्त की।

वर्तमान स्थिति में यदि आप देखें तो विश्व स्तर पर उपलब्धियां प्राप्त करने वाले व्यक्ति अधिकांशत: युवा हैं, चाहे वे खेल, व्यवसाय, शेयर बाजार अथवा कोई अन्य क्षेत्र हो। आप अधिकांशत: युवा व्यक्तियों को आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करते हुए देखेंगे।

जैसा कि श्रीमती सुमित्रा महाजन ने उल्लेख किया, यह सच है कि हम इस बात का दावा करते हैं कि वर्ष 2020 तक विश्व की सबसे अधिक युवा जनसंख्या और कार्य करने वाले लोग भारत में होंगे इसके पश्चात प्रिया दत्त जी ने जो दुखांद, निराशाजनक स्थिति का सही-सही उल्लेख किया है वह दर्शाता है कि हमारे बालकों की खुशहाली किसमें निहित हैं। यदि हमारे देश में बालकों का यौन शोषण हो, यदि भारत को विश्व के बाल यौन शोषण के केन्द्र के रूप में जाना जाए, यदि हम शिक्षा की स्थिति, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता तथा खाद्य सुरक्षा और प्रतिरक्षण की ओर देखें तो निराशा होती है। मैं यह नहीं कहना चाहती कि स्थिति इतनी बुरी है।

[हिन्दी]

बहुत बड़ा प्रयास किया गया है और इस पर अरबों रुपये खर्च किए गए हैं।

[अनुवाद]

जब तक जनसंख्या में वृद्धि होती रहेगी, तब तक हमारे बालक प्राकृतिक संसाधनों से वंचित होते रहेंगे। अत:, एक समृद्ध राष्ट्र बनने के लिए हमें कुछ बड़े मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

राधाकृष्णन जी ने बाल श्रम के संबंध में बिल्कुल सही उल्लेख किया है। परंतु मैं यह बताना चाहती हूं कि यह कार्य मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। श्रम मंत्री श्री आस्कर फर्नांडीस इस कार्य को देख रहे हं। परंतु अपने मंत्रालय की ओर से हमने पुनर्वास किए जाने वाले बालकों के लिए घर, स्कूल, हास्टल, आदि सारी सुविधाएं तथा अवसंरचना प्रदान की है। हमने संबंधित अधिकारियों को सूचना दी है और यह उन पर है कि वे हमारे पास आएं व शेष बालकों के लिए हमने जो प्रावधान किए हैं, उन्हें प्राप्त करें क्योंकि हम प्रत्येक बालक के प्रति वचनबद्ध हैं। आयोग के नियम पहले ही बनाए जा चुके है। हमने उन्हें 31 जुलाई, 2006 को राजपत्र में अधसूचित किया है तथा इस आयोग हेतु उन्हें लोक सभा तथा राज्य सभा दोनों सभाओं के पटलों पर भी रखा है।

कुछ सदस्यगण ने यह उचित सुझाव दिया है कि इसकी अध्यक्ष कोई महिला होनी चाहिए तथा महिला सदस्यों को वरीयता दी जानी चाहिए। हम इस पर ध्यान देंगे। परंतु मेरा मानना है कि पुरुषों को जिम्मेदारी लेने के लिए संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। वे केवल नाममात्र के अध्यक्ष नहीं होने चाहिए बल्कि उन्हें सक्रिय होना चाहिए तथा बालकों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। यह एक बड़ा मुद्दा है। मैं इस संबंध में जब तक कार्य नहीं कर सकती जब तक कि मुझे इस संशोधन के द्वारा अधिकारिता प्रदान न की जाए।

हमने यह कहा है कि महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के प्रभारी मंत्री को कार्य आवंटन करने हेतु इस अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। ये संशोधन विधि मंत्रालय के उचित परामर्श पर तैयार किए गए हैं। हम सभी स्पष्टीकरण पहले ही दे चुके हैं।

प्रतिभा जी ने पढ़ाई के बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के बारे में कहा था, यह बात सही है कि हम जितनी भी कोशिश करें, एक उम्र के बच्चों को स्कूल से विदड्रा करते हैं, आप जानते हैं कि इतनी छोटी बात है कि स्कूल में हमाम नहीं हैं।

[अनुवाद]

किशोर अवस्था तथा प्रजनन आयु वर्ग के छात्र कुछ शारीरिक परिवर्तनों के कारण स्कूल छोड़ देते हैं। स्कूलों में शौचालय जैसी आम मूलभूत सुविधाएं तक न होने के कारण माता-पिता बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हैं।

[हिन्दी]

आप सोच लीजिये कि अगर हम लोग कहीं जाते हैं, वहां हमाम की साहूलियत नहीं है तो कौन जायेगा, नहीं जा पायेगा। एक बार सोचा जायेगा कि सारा दिन वहां फंस जायेंगे क्योंकि हमाम नहीं है। हम फिर कहां जायेंगे? इसलिये हमने कई कदम उठाये हैं।

[अनुवाद]

हमने बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। हमें स्कूलों की ओर ध्यान देना चाहिए तथा प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। हमें यह आशा है कि हम सभी के प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में अधिक जागरूकता पैदा की जा सकती है तथा अधिक सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं।

[हिन्दी]

[श्रीमती रेनुका चौधरी]

एक लफ्ज बार-बार कहा जाता है कि इंप्लीमेंटेशन नहीं है, यह हमारी कमजोरी है। यह सही है और मैं मानती हूं कि हमारे देश के हर कानून में नुक्स है क्योंकि हमारे यहां इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। यह कौन करेगा?

कौन इसे इंप्लीमैंट करेगा? क्या यह सरकार का काम है, क्या यह थानेदार का काम है? यह सब हम सबका काम है हम सब जनता के प्रतिनिधि हैं। यह जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए कि जहां हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके स्कूल की क्या हालत है, वे क्यों स्कूल में नहीं जाते हैं और उनके साथ क्यों हो रहा है? जब अखबार में छाप देते हैं कि किसी मां ने बच्चे को तीस रुपये में बेच दिया तो उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं मगर किसी ने नहीं सोचा कि कितना मजबूर होकर मां ने उस बच्चे को बेचा होगा कि इसकी जिन्दगी बन जाएगी क्योंकि मैं नहीं संभाल पा रही हूं। यह कौन सा समाज है जहां पढ़े-लिखे-मां बाप तय करते हैं कि रीबॉक जूते और रेबैन ग्लासेज के साथ-साथ बच्चे की गाड़ी का रंग भी मैचिंग हो और घर के पर्दे का रंग भी मैचिंग हो। हमारे बच्चों का जैन्डर भी मैचिंग हो और इसलिए हमें लड़की नहीं चाहिए, दो लड़के चाहिए। यह फैसला हम किसको सिखाएं और किसको समझाएं। मैं कौन से डॉक्टर से बात कर सकती हूं उनको समझाने के लिए कि आपने वायदा किया था कि जान बढ़ाएंगे, खत्म नहीं करेंगे? इसलिए मजबूर होकर हमें पीएनडीटी एक्ट लाना पड़ा क्योंकि आप अनजन्मी बच्चियों को पहचान से पहले ही मार देते हैं। यह किसी जिम्मेदारी बनती है? यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है।

[अनुवाद]

मेरा मानना है कि महिलाओं तथा बालकों की ओर ध्यान देना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

[हिन्दी]

इस मंत्रालय को किसने पहले देखा? क्या कुछ काम चला अरबों रुपये हम खर्च करते हैं, वहां तक पहुंचाते हैं और वहां के लोकल अधिकारी पौष्टिक आहार खिलाने से भी पीछे हट जाते हैं। खाना बनकर भी वहां पहुंच जाता है मगर बंटवारा नहीं होता है। मैं किससे सवाल पूछूं? वह शासन खत्म हो गया जब हम बैठकर कह सकते हैं कि सरकार ने यह काम नहीं किया, वह काम नहीं किया। यह जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। जब तक हम खुद खड़े होकर नहीं करेंगे, तब तक दूसरे लोग नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको यह वादा कर सकती हूं कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसको मैं मानती हूं कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उतनी ही जिम्मेदारी से करेंगे जितनी जिम्मेदारी से मैं अपना घर चलाती हूं और अपने बच्चों की देखभाल करती हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत पढ़ाई नहीं होती है। सरकार का प्रयास है कि हम हर बच्चे को शिक्षित बनाएं और हर बच्चे तक पौष्टिक आहार पहुंचाएं, जैसे मिड डे मील्स के द्वारा हम करते हैं। शायद आपको जानकारी नहीं है कि हम प्रैगनैन्ट और लैक्टटिंग मदर्स को भी खाना खिलाते हैं, दान देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। आज के दिन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सिस्टम का इंतजाम किया गया है कि जो भी इंसान उस औरत को अस्पताल तक पहुंचा देगा, उसे वहां तक पहुंचाने के लिए कुछ पैसे देते हैं वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेने के लिए। ऐसे कई कदम हम लोगों ने उठाए हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि यह सब कुछ हो गया मगर सबसे बड़ी बाधा जो मैं सोच रहा था कि कोई न कोई जिक्र करेगा मगर किसी ने जिक्र नहीं किया।

[अनुवाद]

हमारे बालकों पर एच आई वी/एड्स का यह प्रभाव पड़ा है। बालकों के दो वर्ग इससे प्रभावित हुए हैं। पहले वर्ग में वे बालक हैं जो मां के गर्भ से ही एच आई वी से पीड़ित हैं तथा दूसरे वर्ग में वे बालक हैं जो बाद में उससे संक्रमित होते हैं।

[हिन्दी]

जिसके मां-बाप की मृत्यु हो गई, जिसके मां-बाप को एड्स हो गई जो उनके बच्चों को वे ठुकरा देते हैं और उनको स्कूल से हटा देते हैं। उनका खान-पान भी कोई नहीं देखता है। उन बच्चों का क्या कुसूर है? इन बच्चों ने क्या किया है कि पढ़े-लिखे लोग, स्कूल के प्रिंसिपल और हैडमास्टर भी उनको स्कूल से हटा देते हैं?

[अनुवाद]

यह सारी समस्या अंधविश्वास, अज्ञानता तथा अशिक्षा के कारण है।

[हिन्दी]

कभी-कभी मैं सोचती हूं कि पढ़े-लिखे लोगों की भी यह कमजोरी है कि वे शिक्षित हैं और पढ़े-लिखे हैं क्योंकि उनका ज्ञान तो बढ़ा नहीं है। पढ़े-लिखे लोग भी ऐसा काम करते हैं और उन बच्चों की तरफ इशारा करते हैं कि इनको वहां से हटा दिया जाए। अफसोस इस बात का है कि हमारा पढ़ा-लिखा शिक्षित समाज हमारी अनजन्मी लड़कियों को मार देता है, औरत को ब्याह करके घर ले जाते हैं और उसको जला देते हैं, उसको पीड़ित करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, शराब पीकर घर आकर पहचान नहीं

सकते कि बीवी कौन और बच्चे कौन हैं और इसका नारायज फायदा उठाते हैं। इस पर हम क्या कर सकते हैं?

[अनुवाद]

यह हमारे समय की एक विडंबना है। प्रिय मित्रगण, मैंने आज संविधान संशोधन अधिनियम इसलिए प्रस्तुत किया है क्योंकि 20 जनवरी, को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 4 में एक चयन समिति तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के चयन का प्रावधान किया गया है। यूपीए सरकार द्वारा इस मंत्रालय को उचित महत्व दिए जाने के कारण डा. मनमोहन सिंह जी ने महिलाओं और बालकों के विकास हेतु इस मंत्रालय को और अधिक महत्व देना उचित समझा जिसके लिए यह पात्र है और इसे एक स्वतंत्र मंत्रालय बना दिया।

यह संशोधन विधेयक इसलिए पुन:स्थापित किया गया है ताकि इस अधिनियम में संशोधन करे इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अलग करके महिला और बाल विकास मंत्रालय को सौंपा जा सके ताकि मैं यह आयोग गठित कर सकूं।

स्वतंत्र भारत के 60 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार है कि हम ऐसे किसी बाल आयोग का गठन करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हम बालकों के एक पहचान देंगे। हम बालकों को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में मान्यता देते हैं। हमें उनके अधिकारों को सम्मान देना चाहिए तथा उनहें अपना एक अंश न मानकर एक व्यक्तित्व मानना चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों के बारे में आवाज उठा सकें।

अत:, मैं उन सभी सदस्यों को बधाई देती हूं जिन्होंने इस विधेयक के संबंध में सभा में इतने जोरदार तरीके से वक्तव्य दिया क्योंकि आप सभी को देश के इतिहास में इस विधेयक को वास्तविक रूप देने वाले व्यक्तियों के रूप में याद किया जाएगा तथा इस देश के बालक इस बात को सदैव याद रखेंगे कि आप लोग संविधान में यथा विहित उनके अधिकारों को देश में पहचान दिलाने में सहायक बने।

महोदय, मैं सिफारिश करती हूं कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि बाल अधिकार संरक्षण अयोग अधिनियम, 2005 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: अब मंत्री महोदय यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्रीमती रेनुका चौधरी: मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किए जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.44 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

(एक) पंचायतों की स्थिति-मध्यावधि समीक्षा एवं आकलन-2006 संबंधी प्रतिवेदन

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद संख्या-24 पंचायतों की स्थिति पर प्रतिवेदन-मध्यावधि समीक्षा और मूल्यांकन 2006 पर विचार प्रारंभ करेगी।

***श्री के.सी. पल्लानी शामी** (करूर): महोदय, महात्मा गांधी ने कहा था कि "भारत की आत्मा गांवों में बसती है।" ऐसा कहकर वह हमारे देशवासियों के जीवन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के तरीकों और साधनों पर बल दे रहे थे। जब हमारे स्वर्गीय

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

नेता तथा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने हमारे देशवासियों के जीवन के सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया तो उन्होंने कहा कि हमारे भारतीय प्रजातांत्रिक जीवन का आधार प्रत्येक भारतीय गांव में स्थापित वास्तविक प्रतिनिधिक निकाय से प्रारंभ होता है।

भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। साथ ही कुशल श्रमिकों के मामले में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। अत: हमारे पास अपनी जनसंख्या को अपनी शक्ति बनाने का अवसर है। यदि हम अपने राष्ट्र को एक महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो हमें समाज के निचले स्तर पर रहने वाले व्यक्तियों सहित देश के सभी लोगों को हमारे राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में शामिल करने पर ध्यान देना चाहिए। स्थानीय निकाय, जो कि वस्तुत: हमारे सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं सभी लोगों को मुख्य धारा में लाने का आधार हैं। गांवों में पंचायतों, पंचायत, यूनियनों, जिला परिषदों, कस्बों में नगरपालिकाओं तथा बड़े शहरों में नगर निगमों के रूप में बहुस्तरीय प्रतिनिधि स्थानीय निकायों की स्थापना सुनिश्चित करके पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से सत्ता में भागीदारी करके ही लोगों को अधिकारिता प्रदान की जा सकती है।

हमें अपनी जनसंख्या की शक्ति को अपनी अग्रणी प्राकृतिक स्रोत बनाने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए हमें अपने सभी गांवों में पेय जल, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं और सुविधाओं तथा अपर्याप्त कृषि वाले क्षेत्रों में भी खाद्यान्नों तथा आवश्यक वस्तुओं तथा कम्प्यूटर और टेलीफोन जैसी आधुनिक दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। केवल तभी हम सन् 2020 तक ग्रामीण लोगों को शहरी सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे जैसा कि भारत के दूरदर्शी राष्ट्रपति ने बल दिया है। हमारी पंचायतों और स्थानीय प्रशासनिक निकायों ने अपने संबंधित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अपने मौलिक कर्त्तव्य को उठाया है। पंचायती राज प्रणाली के सक्षम कार्यकरण से हमें अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

तमिलनाडु में हाल ही में स्थानीय निकायों के चुनाव चार चरणों में शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुए। लोगों ने ऐसे प्रतिनिधियों को मत देकर चुना है जो कि स्थानीय स्तर पर अच्छा प्रशासन प्रदान कर सकें। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि तमिलनाडु में प्रजातांत्रिक प्रगतिशील गठबंधन के घटकों ने जो कि केन्द्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का एक भाग है, ने तमिलनाडु में स्थानीय निकायों के चुनावों में महत्वपूर्ण विजय प्राप्त करके बहुत मत प्राप्त किया है। अत:, यह उचित होगा कि मैं देश में पंचायती राज प्रणाली के कार्यकरण पर मध्यावधि रिपोर्ट के संबंध में अपने विचारों को व्यक्त करूं।

जहां तक तमिलनाडु का संबंध है किरीपट्टी और पप्पापट्टी जैसे चार गांव हैं जिनमें पंचायत अध्यक्ष के पद दलित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं दुर्भाग्यवश, स्थानीय निकायों के गत 3 चुनावों में उन गांवों में पंचायत अध्यक्ष के पद पर किसी भी दलित अध्यक्ष का चयन नहीं हुआ है। इस बात का उल्लेख इस मध्यावधि प्रतिवेदन में भी किया गया है। मुझे यह उल्लेख करके प्रसन्नता दे रही है कि इस रुझान को अब बदल दिया गया है। हमारे नेता तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री के. करूणानिधि के प्रयासों से परिणाम प्राप्त हुए हैं तथा इस बार हम उन गांव पंचायतों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने में सफल रहे हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हम सभी लोगों की विजय है जोकि प्रजातंत्र को सबसे निचले स्तर तक ले जाने में विश्वास करते हैं।

सामान्यत:, ग्रामीण समुदायों से प्रतिनिधियों के चुनाव का निर्धारण करने में जमींदारों, बाहुबलियों, धन तथा बहुसंख्यक समुदाय की जातियों के समीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। हमारे आजादी प्राप्त करने के पहले दिन से ही यही प्रवृत्ति रही है। मैं यह बताते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इस प्रवृत्ति को इस बार बदल दिया गया है।

जब चुनावी राजनीति की बात आती है तो यहां-वहां होने वाली और अवांछित गतिविधियों और अंतर्विरोधों को ढूंढना असामान्य नहीं है। परंतु फिर भी, तमिलनाडु में डीएम के नेतृत्व वाले डी पी ए ने एक प्रतिनिधित्व शासन उपलबध कराने के लिए सामान्यत: शांतिपूर्ण चुनावों का आयोजन कर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया है। यह मध्यावधि प्रतिवेदन कुछ गांवों में कुछ गतिविधियों का भी उल्लेख करता है, जहां विशिष्ट प्रभुत्व जाति समूह या समुदाय अपने में से ही पंचायत प्रधान के पद की बोली लगाते हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु सरकार ने इस प्रकार के विपथन पर रोक के लिए उपयुक्त ढंग से सही समय पर हस्तक्षेप किया। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि ऐसे अलोकतांत्रिक तत्वों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

जब पंचायत प्रशासन की बात आती है तो गांव के लिए आयोजना में सम्मिलित संपूर्ण ग्रामीण समुदाय को शामिल होना चाहिए। सभी लोगों और उनके प्रतिनिधियों को इन योजनाओं को स्वरूप देने में सहयोग करना चाहिए। संपूर्ण गांव समुदाय को निधियों की प्राप्ति निधि आवंटन और व्यय की निगरानी तथा कार्यान्वयन में अवश्य भाग लेना चाहिए। अपने संबंधित क्षेत्रों में ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए ये तीनों कार्य आवश्यक हैं। तमिलनाडु के हमारे मुख्यमंत्री डा. कलयंगर करूणानिधि ने लोकतंत्र को इसके सही प्रतिनिधिक स्वरूप में आगे बढ़ाने के लिए इस उभरते घटनाक्रम को बल प्रदान किया है।

पंचायतीराज प्रणाली की कल्पना उस समय की गई थी, जब श्री राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। इसे संसद के समक्ष सांविधानिक संशोधन के रूप में लाया गया था। बाद में इसे संसद की स्थायी समिति को सौंप किया गया और संसद द्वारा पारित 73वें और 74वें संशोधन द्वारा इसे संविधान में विहित किया गया है। परंतु यह अभी भी राज्य सूची में ही है। इसे न तो संघ सूची और न ही समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। यही कारण है कि अभी तक हमारे कुछ राज्यों में पंचायती राज प्रणाली को प्रयोग में नहीं लाया जा सका। इस स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। हाल ही में पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र में सम्पन्न स्थानीय निकाय चुनावों में हमने ऐसा ही पाया है।

हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र, के कुछ हिस्सों में जनजातीय शासन और मातृ सत्तात्मक सामाजिक संगठन के कारण स्थानीय निकाय चुनाव आयोजित करने में हमें कुछ व्यवहारिक समस्याएं हैं। यहां तक कि तमिलनाडु में भी जनप्रिय सरकार ने दो स्तरीय पंचायतीराज प्रणाली को अपनाने को वरीयता दी जबकि संविधान संशोधन द्वारा गांव, तालुका, जिला निकायों के रूप में तीन स्तरीय पंचायतीराज प्रणाली की सिफारिश की गई थी। हम यह मानते हैं कि जिले हेतु योजनाएं बनाने के लिए जिला स्तरीय मंच पर्याप्त है और जिला परिषद् के रूप में प्रशासनिक इकाई की आवश्यकता नहीं है। केवल तभी संवैधानिक तरीके से गठित राज्य प्रशासन अपनी परिधि और कार्य क्षेत्र को सुचारू ढंग से चला पाएगा। इसलिए, मैं संघ सरकार से आग्रह करता हूं कि जब भविष्य में एक पूर्ण प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाए तो इन मूलभूत प्रश्नों को देखें।

जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, राज्य प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्रयास कर रहा है कि गांवों में रह रहे कृषि समुदाय और कृषि श्रम को अपने श्रम का लाभकारी प्रतिफल प्राप्त हो। तमिलनाडु सरकार ने उजहावर संघाई (कृष बाजार) के रूप में किसानों के लाभ के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा सुनिश्चित की है, जहां कृषक अपने कृषि उत्पादन को समीपवर्ती नगरों में उनके लिए अनन्य रूप से स्थापित बाजार में ले जा सकते हैं और अपने उत्पादन को स्वयं बेच सकते हैं, जिससे वे ग्राहकों सहित स्वयं को लाभान्वित कर सकते हैं बिचौलियों को भूमिका स्वतः ही समाप्त हो जाती है।

ऐसे समय में जब केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय ग्रामीण वाणिज्यिक केन्द्रों के निर्माण करने के बारे में सोच रहा है। तमिलनाडु सरकार का यह अग्रणी प्रयास संपूर्ण देश को मार्ग दिखता है। मैं गौरवान्वित होकर यह बताना चाहूंगा कि हमारे दूरदर्शी नेता डा. कलयंगर करूणानिधि ने अनेक छोटे किसानों विशेषकर सब्जी उत्पादकों के उद्धार का सही मार्ग दिखाया है।

· पंचायतीराज प्रणाली ग्रामीण लोगों को अपने क्षेत्र की संवृद्धि और विकास के लिए मंच उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सहयोग करती है। भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़कर इसे और भी नियमित और सुविधाजनक बनाया जा सकता है। यह एक प्रच्छाया की तरह है जो ग्रहणागत विकास का परिणाम है। जातिवाद को जड़ से उखाड़ना होगा व्यंथई पेरियार जैसे महान चिन्तक ने इस कुरीति को भारतीय समाज से समाप्त करने के लिए प्रयास किए हैं। इसे मुख्य रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में समाप्त करना चाहिए। क्या हम इस संदर्भ में प्रर्याप्त रचनात्मक ढंग से कार्य कर रहे हैं? सही उत्तर देने के संबंध में, डा. कलयंगर करूणानिधि नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने पेरियार समथावपुरम (सौहार्द आश्रय स्थल) स्थापित किए हैं जहां सभी जातियों के लोगों को एक साथ रहने के लिए घर उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जाति रहित समाज के विकास में योगदान दिया जा सके। समतापूर्ण समाज के आगाज हेतु यह एक काफी अच्छा उपाए है, और अनेक लोगों इसकी सराहना की है।

मैं केन्द्र सरकार से भी इसका तुरंत अनुसरण करने का आग्रह करना चाहूंगा। केन्द्र को संपूर्ण देश में ऐसे समाथावपुरमों की स्थापना के लिए आगे आना चाहिए। इसे हमारी पंचायतीराज प्रणाली के भाग के रूप में लिया जाना चाहिए।

जिस समाज में जागरूकता और कल्पना के साथ महिलाएं सामाजिक रूप से जागरूक हों वहां संवृद्धि और समृद्धि पीछे नहीं रह सकती। यही एक कारण है कि तमिलनाडु में महिला स्वयं सहायता समूहों को शीर्ष वरीयता दी जाती है। माइक्रो क्रेडिट सुविधा इन्हें उदार ढंग से दी जाती है। महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने माल का उत्पादन और विक्रय सहकारिता समूहों द्वारा करें। यह उक्ति कि 'आइए, एक दूसरे की सहायता करें ओर एक दूसरे के लिए ताकत का स्रोत बनें'-को व्यवहार में ढाला जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह के रूप में इस सम्मिलित प्रयास द्वारा ग्रामीण महिलाएं अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार कर सकती हैं और इससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। डा. कलयंगर करूणानिधि ने सुनिश्चित किया है कि प्रशिक्षण और मशीनरी प्राप्त करने के लिए महिला सहकारिता समितियों को पयाप्त क्रेडिट सुविधाएं उपलब्ध हों ताकि वे अपने कुटीर उद्योग का संवर्धन कर सकें। सरकारी तंत्र ने तमिलनाडु में महिला समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी कमर कस ली है। यह न केवल महिलाओं के उद्धार में सहयोग देगा बल्कि निचले स्तर के अंशधारकों के सहयोग से प्राप्त बल से सच्चे लोकतांत्रिक ढांचे को भी विकसित करेगा।

वर्तमान तमिलनाडु सरकार द्वारा किए जा रहे कुछ उपाए हैं, ग्रामीण रोजगार योजनाओं का कार्यान्वयन, गरीबी रेखा से नीचे रह

[श्री के.सी. पल्लानी शामी]

रहे लोगों की पहचान, राज्य प्रशासन द्वारा केन्द्र से प्राप्त निधियों द्वारा चलाई जा रही वर्तमान योजनाओं की निगरानी, सामाजिक स्थिति की समीक्षा सुनिश्चित करना, महिला स्वयं-सहायता समूहों को शामिल करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाना। कुछ आदर्श राज्यों के ऐसे अग्रणी कार्यों को ध्यान में लिया जाना चाहिए और भविष्य में इस सम्माननीय सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले पूर्ण प्रतिवेदन में सिफारिशी टिप्पण के साथ वर्णित किया जाना चाहिए। मैं अपने वक्तव्य को अपनी इस इच्छा को जाहिर करते हुए समाप्त करता हूं कि इस देश में शासन के सच्चे लोकतांत्रिक स्वरूप को सुनिश्चित करने के लिए सही कार्यों को सही ढंग से मान्यता दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय: अब, माननीय पंचायतीराज मंत्री उत्तर दे सकते हैं।

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): सभापति महोदय, क्या मैं माननीय सदस्य, कामरेड बसुदेव आचार्य और बड़ी संख्या में अन्य माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए, प्रारंभ कर सकता हूं, जिन्होंने इस वाद-विवाद को प्रारंभ किया और आगे बढ़ाया और उस प्रतिवेदन की सराहना की जिसे हमने पंचायतों की स्थिति-मध्यावधि समीक्षा और मूल्यांकन के संबंध में इस सभा में प्रस्तुत किया था?

मैं, विशेषकर प्रो. एम. रामदास का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने इस प्रतिवेदन की तैयारी में मेरे अधिकारियों और अन्य कर्मियों के सहयोग की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने उन्हें समर्पितत कर्मियों का समूह बताया है और वस्तुत: उन्होंने ऐसा सिद्ध भी किया है। निश्चित रूप से यह कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। यह एक सामूहिक उपलब्धि है।

मैं श्री सुरेश प्रभु को इसका वर्णन करने और मुझे इस अच्छे मूल्यांकन पर बधाई देने के लिए विशेष धन्यवाद देता हूं।

मैं, इन पृष्ठों में उल्लखित सामाजिक आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने के लिए श्री खारबेल स्वाईं का इसे पथ प्रदर्शक दस्तावेज बताने के लिए श्रीमती सुजाता का; और उसे अव्वल दर्जे का अनुसंधान मानने के लिए प्रो. रामदास का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और विशेषकर, मैं चौधरी लाल सिंह का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो पंचायतीराज मंत्रालय को भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय मानते हैं। महोदय, ऐसा बहुत कम होता है कि किसी मंत्रालय को सभा के सभी भागों से प्रशंसा प्राप्त हो और मैं उन सब के प्रति भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने इस प्रतिवेदन का स्वागत किया है।

सभापति महोदय, इस प्रतिवेदन को जारी करते समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचायती राज प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए वहां कहा था- "जब यह प्रतिवेदन संसद में जारी किया जाएगा, तो आशा है कि हमारे देश में स्थानीय स्व-शासन की स्थिति पर गंभीर विचार-विमर्श होगा।"

अत: मैं सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के कुछ ही दिनों के अंदर यह वाद-विवाद आयोजित करने के लिए, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, अध्यक्षपीठ और विशेष रूप से माननीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त करता हूं।

हालांकि, ऐसा करने में समस्या यह है कि जब हम 1600 पृष्ठों के प्रतिवेदन के तीन खण्ड सभा के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर हम वाद-विवाद का समय निर्धारित कर देते हैं तो उन्हें इसे गंभीरता से देखने तक का समय नहीं मिलता, इसका अध्ययन करना और पढ़ना तो दूर की बात है।

[हिन्दी]

और जहां तक इसका हिन्दी अनुवाद है, आप देखेंगे कि यह तीन खंडों में नहीं बल्कि साढ़े तीन खंडों में है। अंग्रेजी में मात्र 16 हजार पृष्ठ हैं जबकि हिन्दी में 2 हजार से भी ज्यादा पृष्ठ हैं। इन सब चीजों को एकदम पढ़ना बिलकुल असंभव है। हमारा इरादा यह नहीं था कि हमारे माननीय सदस्य एक-एक सफे को बढ़कर हमें बताएं कि उनकी क्या राय है। आज की परिस्थिति में, आज के सूरतेहाल में हमारी पंचायतों की क्या स्थिति है, यदि इसे हम संसद द्वारा पेश करें, तो जो हमारे बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, स्कॉलर्स हैं वे इस पर ध्यान दे पाएंगे। हम सब अवगत हैं कि हर साल वित्त मंत्रालय की तरफ से यहां एक इकनौमिक सर्वे पेश किया जाता है और कोई यह अपेक्षा नहीं रखता है कि कोई एक व्यक्ति भी उस पूरे इकनौमिक सर्वे को पढ़ेगा। उसी लिहाज से हम उम्मीद रखते हैं कि हमने जो यह शुरूआत की है, यह पंचायतीराज का इकनौमिक सर्वे बनेगा और सालाना हम आपके सामने इन तथ्यों को पेश करेंगे, ताकि जिन्हें इसकी जांच करने की आवश्यकता है या जिनमें ज्ञान है, वे इसको देखकर बताएं कि हमने क्या किया है। हम चाहते हैं कि हमने क्या सही किया है, यह नहीं बताएं बल्कि हम चाहते हैं कि हमारी गलतियां और खामियां क्या हैं, उन्हें बताएं ताकि उन्हें दुरूस्त करने का हमारी तरफ से प्रयास हो।

[अनुवाद]

चूंकि लोगों के लिए इसे पूरा पढ़ना मुश्किल है, इसलिए मैंने तुरंत ही इन तीनों खण्डों का सारांश तैयार कर दिया। अपेक्षाकृत पतला यह पहला खण्ड एक प्रकार से पंचायती राज का सामान्य अवलोकन है, जिस प्रकार वह आज तक देश में दिखायी देता है। इसकी शुरूआत 'अवलोकन' जिसका लगभग एक तिहाई भाग मैंने लिखा है से होती है, और उसके बाद पंचायती राज का इतिहास और उसकी पृष्ठभूमि, हमारे उद्देश्य और बनाई गई कार्य योजनाएं, केन्द्र सरकार स्तर पर आवश्यक नीतिगत सुधार, राज्यों में पंचायती राज, निचले स्तर पर आयोजना, पंचायजी राज में नए उपाय, परिवर्तन कारक के रूप में स्थानीय लोगों का उपयोग करके ग्रामीण जीवन में बदलाव हेतु हमारे प्रयास, पंचायती राज और आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने, स्वप्न को हकीकत बनाने संबंधी कुछ अध्याय हैं। अत:, मैं माननीय सदस्यों से यह सिफारिश नहीं करूंगा कि वे इस प्रथम खण्ड पर नजर डालने के अतिरिक्त और कुछ करें।

द्वितीय खण्ड वास्तव में पंचायती राज का विस्तृत अध्ययन करने के लिए बनाया गया है कि प्रत्येक राज्य में पंचायती राज किस प्रकार चल रहा है और इसके इतना मोटा होने का कारण यह है कि पूरे देश में चल रही पंचायती राज प्रणाली एक नहीं है।

देश में वस्तुत: उतनी पंचायती राज प्रणालियां चल रही हैं, जितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं और इन सबमें में फर्क होना अपरिहार्य है और शायद यह वांछनीय है कि कुछ अंतर होने चाहिए क्योंकि, आखिरकार हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों, राजस्थान के रेगिस्तानों और केरल तथा तमिलनाडु के हरे-भरे घनी आबादी वाले तटों के बीच व्यापक अंतर है। इसलिए, पंचायती राज में अंतर होना अपरिहार्य है। हमारे लिए न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, अपितु प्रत्येक राज्य के संबंध में भी पंचायती राज पर विचार करना और ऐसा करने में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मैं माननीय सदस्यों से प्राप्त किसी राज्य में पंचायती राज के कार्यकरण के संबंध में किसी भी आलोचना और सुझाव का स्वागत करूंगा। अंतत:, आपको राज्य सरकारों की ओर उन्मुख होना पड़ेगा और उन्हें इसमें स्वयं सुधार लाने के लिए प्रेरित करना होगा। नि:संदेह, केन्द्र सरकार को कई कार्य करने हैं और हमें रास्ता सुधारने वाले सुझावों का हम स्वागत करेंगे।

मैंने यहां कुछ सुझावों को सुना है, मसलन, माननीय सदस्य खारबेल स्वाईं ने कहा कि ग्राम सभाएं ठेकेदारों की सभाएं बन गई हैं। यह ऐसा आरोप है जिसका भारत संघ के कुछ अन्य राज्य गंभीरता से खण्डन करेंगे। बल्कि मुझे तो संदेह है, जैसे, माननीय सदस्य श्री वरकला राधाकृष्णन स्वीकार करेंगे कि केरल की ग्राम सभाएं ठेकेदारों की सभाएं हैं या कामरेड बसुदेव आचार्य स्वीकार करेंगे कि पश्चिम बंगाल की ग्राम संसद ठेकेदारों की ग्राम संसद हैं। यह ठीक है कि भारत के कुछ राज्य हैं, जहां ग्राम सभाओं के कार्यकरण में सुधार की आवश्यकता है। अत:, मैं आग्रह करता हूं कि इस दस्तावेज को कोई भी पूरा न पढ़े। लेकिन यदि कोई, मसलन, श्री स्वाईं यह जानना चाहते हैं कि उस राज्य में पंचायती राज का कार्यकरण किस प्रकार का है, जहां से वह चुनाव जीत कर आए हैं, यानी उड़ीसा, तो वह उड़ीसा अध्याय देख सकते हैं। जब वह उड़ीसा अध्याय देखेंगे या श्री सुरेश प्रभु महाराष्ट्र अध्याय देखेंगे, तब ही वह जान पायेंगे कि वह उससे सहमत नहीं है, जो यहां लिखा है। इससे हमें आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि इसे लिखने में हम पूरी तरह राज्य के स्वयं के आकलन पर निर्भर थे। कुछ मामूली संशोधन को छोड़कर हमने राज्य से जो प्राप्त हुआ था उसे कहीं ठीक करने का प्रयास नहीं किया। राज्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर हमने यह दस्तावेज तैयार किया है। कभी-कभी हमारा अपना व्यक्तिक आकलन या कहें कि राज्य सरकारों का बढ़ा-चढ़ाकार किया गया आकलन संगत नहीं होता, लेकिन हमारा विश्वास है कि राज्यों द्वारा यथा परिकल्पित दस्तावेज को सभा के और देश के विद्वानों के ध्यान में लाना हमारा कर्त्तव्य है ताकि इसे देखने के बाद वे प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार या हमें अपनी आलोचनाएं भेज सकें।

इस तृतीय खण्ड में हमने पंचायती राज के सभी आंकड़े, सभी घोषणाएं, सभी विवरण, और पंचायती राज को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे सभी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को इकट्ठा रखने का प्रयास किया है और, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमने संविधान के भाग नौ, जिसे सामान्यत: 73वां संशोधन कहा जाता है, और विशेष रूप से जिला नियोजन से संबंधित संविधान के भाग नौ 'क' के संगत खण्ड और ग्यारह अनुसूची जो पंचायती राज का आधार है, और वहां से भारत के सभी पंचायती राज मंत्रियों द्वारा शिरकत किए गए सात गोल मेज सम्मेलनों के उन सर्वसम्मत निष्कर्षों को एक साथ और जिसके परिणामस्वरूप, पहले अगस्त, 2005 में कोच्चि और उसके बाद जून, 2006 में भुवनेश्वर में हुई पंचायती राज मंत्रियों की परिषद की कार्यवाही और राष्ट्रीय विकास परिषद की अधिकार प्राप्त उप-समिति जिसका अध्यक्ष मैं हूं, की कार्यवाही, जो स्थानीय सरकार के मुद्दे से संबंधित है को यहां पुन: प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस लिए आप इस बहुत मोटे तृतीय खण्ड में पंचायती राज को समझने के लिए प्रत्येक दस्तावेज पायेंगे जो मैं संगत समझता हूं।

[श्री मणि शंकर अय्यर]

यदि हम इन तीनों खण्डों को इकट्ठा देखें तो मैं समझता हूं कि हम इस मध्यकालिक बिन्दु पर भारत में पंचायतों की दशा की स्पष्ट स्थिति जान पायेंगे। वास्तव में, हम 22 नवम्बर, 2006 की डेड लाइन को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे जो यू पी ए सरकार के पांच वर्ष के अध्यादेशित कार्यकाल का ठीक मध्य बिन्दु है। इस डेडलाइन को प्राप्त करने में कुछ संपादकीय त्रुटियां थी, जिन्हें इसमें छोड़ दिया गया। हम उसमें संशोधन कर रहे हैं और यथा समय उसके शुद्ध संस्करण आ जायेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे अधिकारियों ने इसमें उतना ही अधिक प्रयास किया है जितना उन्होंने डेड लाइन को पूरा करने में किया।

वास्तव में, हमने दस्तावेज को सही समय पर तैयार कर लिया था। मैं इसे उसी दिन सभा पटल पर रखना चाहता था, लेकिन सभा में कुछ बातों के कारण इन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने का काम अगले दिन के लिए स्थगित करना पड़ा ये दस्तावेज आपके समझ प्रस्तुत कर दिए गए हैं और मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि समय-समय पर इसे देखते रहें और प्रश्न पूछें या सभा में आगे चर्चा करें। जहां तक मेरे मंत्रालय का संबंध हैं, हम इस मामले पर आगे चर्चा करने के और विस्तार में चर्चा करने के हर अवसर का खुले दिल से स्वागत करेंगे।

इस प्रतिवेदन को जारी करने की पूर्व संध्या पर प्रधान मंत्री ने आशा व्यक्त की थी कि:

> ''..... राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शीघ्र अपने-अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत करेंगे। मुझे आशा है कि इससे एक उदाहरण स्थापित होगा, ...''

मुझे पूरी आशा है कि माननीय सदस्य अपनी-अपनी राज्य सरकारों को इस उदाहरण का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। यदि हम ऐसा कर पाते हैं, तो हो सकता है कि राज्यों के प्रतिवेदन इस प्रतिवेदन के बारे में प्रधानमंत्री के आकलन के समरूप होंगे। प्रधानमंत्री ने इसी अवसर पर कहा था कि:

> ''.... यह प्रतिवेदन हमारी अब तक की प्राप्त सफलताओं और वह पथ है जिस पर हमें चलना है, का पैमाना है...''

मैं अपनी टिप्पणियों को इन दो शीर्षों के तहत रखना चाहता हूं- अब तक की प्राप्त सफलताएं और हमें जिस पथ पर चलना है। जहां तक प्राप्त सफलताओं का संबंध है, मुझे विश्वास है, जब से सभा ने 73वां संशोधन पारित किया है, 14 वर्ष गुजर जाने के बाद हमारी अब तक की एकमात्र सबसे बड़ी सफलता यह है कि हमने पंचायती राज को संस्थागत रूप प्रदान किया। भारत के प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में बिना किसी अपवाद के पंचायती राज संस्थाएं हैं। एकमात्र अपवाद झारखण्ड है, जहां मामला न्यायाधीन है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया है कि सुनवाई जल्द होनी चाहिए, और उन्होंने यह कहा है कि 6 सप्ताह से कम के अंदर वह अंतिम सुनवाई करेंगे। एक बार यहां निर्णय हो जाए, इंशा अल्लाह, निकट भविष्य में झारखण्ड में भी पंचायती राज संस्थाएं होंगी। मुझे उम्मीद है कि जब मैं अगली बार सभा को संबोधित करूंगा, मैं गर्व से कह सकूंगा कि भारत में हर जगह पूरी तरह पंचायती राज है।

अपराह्न 4.59 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

पंचायती राज का अस्तित्व मात्र ही सफलता नहीं है। मुझे भरोसा है कि हम तीन शब्दों में संख्याकरण की सफलता को व्यक्त कर सकते हैं। पहली बात, हमने पंचायती राज को अपरिहार्य बना दिया है, इससे बचा नहीं जा सकता। आप कहीं भी अब पंचायती राज को नजरअंदाज नहीं कर सकते, आपको पंचायती राज लाना ही होगा। दूसरी बात, हमने इसे अभिन्न बना दिया है। मुझे यह विश्वास करना असंभव लगता है कि भविष्य में कोई भी सरकार हमारे शासन तंत्र से पंचायती राज को पूर्णत: अथवा आंरभिक रूप से हटाकर इस सभा में दो तिहाई बहुमत प्राप्त कर सकती है। तीसरी बात, मुझे लगता है कि हमने इसे अनुक्रमणीय बनाया है, और हम उन पुराने बुरे दिनों की ओर कभी नहीं लौटेंगे जब किसी प्रकार का पंचायती राज था ही नहीं।

मैं नहीं जानता कि हम महात्मा गांधी और राजीव गांधी के सपनों को पूरी तरह सार्थक करने की दिशा में कितनी तेजी से बढेंगे, लेकिन हम किसी विशेष संस्थागत अर्थ में पीछे नहीं जायेंगे, और यह पक्का है। अत: पंचायती राज का अपरिहार्य, अभिन्न अनुक्रमणीय होना स्वयं में एक प्रमुख संस्थानिक सफलता है। इसके अतिरिक्त, हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि नियमित चुनाव होंगे।

अपराह्न 5.00 बजे

प्रोफेसर रामदास ने हमारा ध्यान उस भयावह स्थिति की ओर आकर्षित किया है जहां पाण्डिचेरी में 38 वर्षों तक चुनाव नहीं हुए। मुझे याद है श्री राजीव गांधी ने भागलपुर में 18 वर्षों तक निगम के चुनाव न होने का उल्लेख किया था। मुझे यह भी याद है कि 1980 में सेण्ट स्टीफेंस कॉलेज के मेरे एक सहपाठी के जो दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद के पद पर विराजमान तो थे और जिनके पास यह प्रमाणित करने के लिए एक लाल बत्ती वाली गाड़ी भी थी, लेकिन अध्यक्षता के लिए परिषद नहीं थी। अत: वे

अपनी लाल बत्ती वाली कार में पूरी राजधानी में यह शिकायत करते हुए घूमते रहे कि उनके पास कोई काम नहीं है क्योंकि ऐसी कोई परिषद नहीं है जिसकी वे अध्यक्षता कर सकें। यह परिस्थिति अब निश्चित रूप से समाप्त हो गई है।

हम सर्वोच्च न्यायालय के अक्टूबर, 2006 के निर्णय से और आश्वस्त हो सकते हैं। मैं केवल एक वाक्य पढ़ूंगा। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा "इन राज्य निर्वाचन आयोगों को पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव पूरे कराने चाहिए और उन परिस्थितियों के समक्ष नहीं झुकना चाहिए जिन्हें निहित हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्धारित समय के भीतर चुनाव कराने को अस्थगत करने के लिए पैदा किया गया है।" मेरा मानना है कि यह हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है, यह निश्चित तौर पर हमारे देश के संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों को पूरा करता है। हम आश्वस्त रह सकते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के नियमित रूप से चुनाव होंगे और साथ ही वे निरंतर अस्तित्व में बने रहेंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्तों ने भी अपना एक तरह का राज्य चुनाव कल्याण संघ बना दिया है। उन्होंने एक मंच बनाया है जिसमें वे समय-समय पर एकत्र होते हैं। वे अपने अनुभव बांटते हैं वे अपने निष्कर्षों से हमें अवगत कराते हैं। वे अपने निष्कर्षों के बारे में भारत के निर्वाचन आयुक्त को सूचित करने हैं। उन्होंने हमारे गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया तथा उन्होंने दो अति महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में निर्वाचन आयोग से हमें निर्देश भिजवाए। पहला यह है कि भारतीय मतदाता अभिभाज्य है अत: सभी चुनावों स्थानीय निकाय के चुनावों, राज्य विधान सभा के चुनावों और संसद के चुनावों हेतु एक सामान्य मतदाता सूची होनी चाहिए। उन्होंने स्थानीय निकायों के चुनावों में ईवीएम (इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन) का प्रयोग करने के अधिकार उपलब्ध हैं। इन महीनों की संख्या के संबंध में कुछ समस्याएं हैं और यदि उनकी चोरी हो जाती है अथवा वे गुम हो जाती हैं तो इसका भुगतान कौन करेगा। ये प्रशासनिक ब्यौरे के मामले हैं जिन पर आगे कार्यवाही की जाएगी। परंतु हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए उचित आधारभूत सुविधाएं स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं जिसमें आसानी से हेराफेरी नहीं की जा सकती है।

इस प्रकार की संस्थागत व्यवस्था का परिणाम यह है आज भारत में ग्रामीण और बाहरी क्षेत्रों में ढाई लाख निर्वाचित स्थानीय निकायों को बंद करना होगा। ढाई लाख। आज ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 2,33,251 है। मैं यह आंकड़े इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अक्सर लोग यह पूछते हैं कि इनकी ठीक-ठीक संख्या कितनी है। मध्यवर्ती पंचायतों की संख्या 6,105 है जिन्हें विकासखंड, मंडल, तमिलनाडु में संघ, पंचायत समितियों, आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। जिला पंचायतों की संख्या 519 है। आपको इन सभी की जानकारी खंड एक, पृष्ठ 29 से 32 में मिलेगी।

इन सभी निर्वाचित संस्थाओं में सभी स्थानीय निकायों में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि हैं तथा हमारी पंचायतों में लगभग 28.30 लाख प्रतिनिधि हैं। 28.30 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में से स्थानीय निकायों में 12 लाख महिलाएं और ग्राम पंचायतों में 10 लाख से कुछ अधिक महिलाएं हैं।

मैं समझता हूं कि हमारे साथी, श्री भर्तृहरि महताब ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बताकर इसका सही वर्णन किया था। मैं समझता हूं कि इस स्थिति का इससे उपयुक्त वर्णन और नहीं हो सकता जहां इस सभा में इस प्रकार की शर्मनाक स्थिति है कि भारत के अधिकांश अशिक्षित लोगों, गरीब लोगों और दलितों में से मात्र 8 प्रतिशत महिलाएं इस सभा की सदस्य हैं जबकि ग्राम पंचायतों में चुनी गई महिलाओं की संख्या 10 लाख है।

मुझे यह कहने में गर्व हो रहा है कि संविधान के भाग-क में प्रदान किये गये 33 प्रतिशत आरक्षण की तुलना में आज भारत में राष्ट्रीय औसत 37 प्रतिशत है-कल, मैं गत माह के आंकड़े प्रस्तुत कर पाता क्योंकि हाल ही में हुए चुनावों के कारण इसमें परिवर्तन हो गया है। दूसरे शब्दों में, हमारी पंचायती राज संस्थाओं में संविधान में चार प्रतिशत अधिक महिलाएं हैं। संविधान में आरक्षण वास्तव में, पिछले कुछ समय से ये आंकड़े 41 प्रतिशत हैं। क्षेत्राधिकार में परिवर्तन तथा ऐसी योजना बातों के कारण यह सब हुआ है। इस संबंध में उपलब्धियां निश्चित नहीं है। मैं सभा के सदस्यों, संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों को बार-बार यह कहता रहा कि भारत में इतनी अधिक आपको महिलाएं कहां मिलेंगी। परंतु आज तथ्य यह है कि आक्षण की हकदार महिलाओं से कहीं अधिक संख्या उन महिलाओं की है जो चुनाव लड़ रही हैं और जीत रही हैं। परंतु यदि आप राज्य स्तर पर जाएं तो इससे भी अधिक प्रभावशाली आंकड़े मिलेंगे। बिहार जिस देश में गंगा बहती है, में आरक्षण 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है तथा निर्वाचित महिलाओं की संख्या 55 प्रतिशत है। उनका औसत राष्ट्रीय औसत से भी अच्छा है। कर्नाटक में पंचायतों में महिलाओं का प्रतिशत 33 प्रतिशत आरक्षण की तुलना में 43 प्रतिशत है, इस उत्कृष्ट प्रतिशत का मूल कारण यह है कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों में अपेक्षा की जाती है कि एक तिहाई प्रतिनिधि महिलाएं हों किंतु अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों में 65 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि हैं। यह कोटे से लगभग दुगना है। अुसूचित जाति की महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत आरक्षण की तुलना में 46 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलाएं प्रतिनिधि हैं। अत:

[श्री मणि शंकर अय्यर]

हमारे समक्ष एक असाधारण बात है कि महिलाएं अपने आरक्षित कोटे से अधिक का प्रतिनिधित्व करती हैं इसका कारण यह है कि परम्परागत रूप से सर्वाधिक उत्पीड़ित समझी जाने वाली अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति की महिलाएं पंचायत चुनावों में इतना अच्छा कर रही हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस रिपोर्ट को जारी करते समय प्रधान मंत्री ने निम्न वक्तव्य दिया जो मेरे विचार में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए ताकि वह हमें यह स्मरण करा सकें कि इस सभा को अभी वह लक्ष्य प्राप्त करना है जो भारत के गरीब लोग पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। उन्होंने कहा:

"मेरे विचार में यह कहना उचित होगा कि भारत में निर्वाचित पदों पर महिलाओं की संख्या शेष विश्व में निर्वाचित पदों पर महिलाओं की संख्या से अधिक है।"

हमने इस सीमा तक संस्थागत व्यवस्था की है और यह हमारी उपलब्धि है। हमारे लोकतंत्र में निर्वाचित महिलाओं की संख्या अमेरिका, यूरोपीय संघ, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यदि विश्व के प्रत्येक लोकतांत्रिक देश की निर्वाचित महिलाओं से अधिक है। भारत की तुलना में विश्व के अन्य देशों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या काफी कम है। वहां प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था मैं वह वाक्य यहां पढ़ना भूल गया कि इस सभा को हमारी पंचायतों द्वारा स्थापित उदाहरणों का अनुसरण करना चाहिए।

मैं केवल महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं यदि आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व में देखें तो अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व 19 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व 12 प्रतिशत है। अत: हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों की संख्या 31 प्रतिशत है जो हमारी जनसंख्या में इनकी प्रतिशतता से काफी अधिक है।

पंचायती राज के बारे में डा. अम्बेडकर की गंभीर आपत्तियों को अक्सर उद्धृत किया जाता है क्योंकि उनका मानना था कि हमारे गांवों में सामाजिक दमन बहुत अधिक होता है। परंतु प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी केवल अनुसूचित जातियों, जनजाति के लिए का प्रावधान किया अपितु अनुसूचित जाति कोटे में ही अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षण और अनुसूचित जनजाति कोटे में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के एक तिहाई निर्वाचित सदस्य हैं जो हमारी एक बड़ी उपलब्धि है और हम स्वीकार करते हैं कि डा. अम्बेडकर की आशंकाएं सही थीं। हम यह भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी इस वास्तविक आशंका को दूर करने में सफल हुए हैं।

प्रधान मंत्री स्व. श्री राजीव गांधी अक्सर यह कहा करते थे कि भले ही हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है परन्तु यह विश्व का सबसे कम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी है। यह एक तथ्य है कि ब्रिटेन में मतदाताओं की संख्या भारत के मतदाताओं की संख्या की 1/5 है किंतु उनके हाउस ऑफ कामन्स में 630 सदस्य हैं जबकि हमारे यहां इससे 100 कम है और यहां की जनसंख्या 100 करोड़ से भी अधिक है। अब, मेरे विचार में हम यह कह सकते हैं कि संसद और राज्य विधान सभाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या 5000 तक है और पूरे देश में निर्वाचित प्रतनिधियों की संख्या 30 लाख तक पहुंच गई है। आज भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपितु यह विश्व का सर्वाधिक प्रतिनिधिक लोकतंत्र भी है। महोदय, यह संपूर्ण विश्व में एक बेजोड़ उपलब्धि है, इसका इतिहास में कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। मेरे विचार में इस सभा को इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर गर्व करना चाहिए, यही कारण है कि मैं भारत में पंचायती राज को इतिहास में और पूरे विश्व में अब तक के सभी लोकतंत्रों में सबसे बड़ा प्रयोग मानता हूं।

जैसाकि प्रधान मंत्री ने कहा है कि पंचायती राज के माध्यम से हमने जो राजनीतिक और सामाजिक सशक्तीकरण प्राप्त किया है उसे प्रभावी प्रशासनिक और आर्थिक सशक्तीकरण में बदलना है।

[हिन्दी]

अफसोस की बात है और बहुत से माननीय सदस्यों ने इस पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि पंचायती राज संस्थाएं तो हैं ही, चुने हुए प्रतिनिधिगण तो हैं ही, महिलाएं तो हैं ही, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन साधन कहां हैं, काम क्या है, वे अधिकारीगण कहां हैं, करने के लिए क्या काम है? यह बहुत ही आवश्यक है कि हम इस पर ध्यान दें कि हमें कहां पहुंचना है और इससे न संतुष्ट रहें कि हम यहां तक पहुंच चुके हैं।

[अनुवाद]

हमें अभी कौन सा रास्ता तय करना है?

[हिन्दी]

हमारे मित्र श्री शैलेन्द्र कुमार जी ने यहां एक शब्द इस्तेमाल किया जिसे मैं यहां दुहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे जनतंत्र की आधारशिला पंचायती राज है,

[अनुवाद]

कि हमारे लोकतंत्र की आधारशिला पंचायती राज है।

[हिन्दी]

और माननीय सदस्य श्री गणेश प्रसाद सिंह जी ने हमें यह याद दिलाया कि महात्मा गांधी जी का कहना था कि राष्ट्रीय विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि गांवों का विकास न हो।

गांवों का विकास तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि पंचायती राज संस्थानों का विकास नहीं होगा। तो करें क्या, कैसे उस मुकाम तक पहुंचे, जहां हम कह सकें कि आर्थिक लिहाज से और प्रशासनिक लिहाज से हमारे पंचायती राज संस्थान वाकई सशक्त हो चुके हैं।

[अनुवाद]

मैं संवैधानिक समस्या के विरुद्ध हूं और मैं सभा के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर सावधानी से विचार करें और इसे ध्यान में रखें। श्री वरकला राधाकृष्णन का कहना है कि 1952 में जब वे ग्राम पंचायत के अध्यक्ष बने तब पंचायतों के पास केवल याचिका करने का दुर्भाग्यवश केरल की पंचायतों में नहीं किंतु देश के अनेक भागों की पंचायतों के पास केवल याचिका करने का ही अधिकार है। ध्यान में रखकर ही श्री ए. वी. बेल्लारमिन इस तथ्य की ओर सभा का ध्यान आकर्षित किया कि प्रत्येक राज्य में पंचायती राज में अंतर है। प्रो. रामदास ने इस बात पर खेद व्यक्त करते हुए कि पूरे देश में पंचायती राज की स्थिति एक समान नहीं है यह मांग की कि पंचायती राज को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए और श्री प्रभुनाथ झा ने कहा कि इस संबंध में एक आदर्श कानून बनाया जाना चाहिए। मैं वाम मोर्चे के अपने सहयोगियों की प्रतिक्रिया से स्पष्टत: समझ सकता हूं कि वे पंचायती राज को कभी भी राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरण करने के लिए सहमत नहीं होंगे। वस्तुत: अब भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी इस संविधान संशोधन को तैयार कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि यदि वे पंचायती राज को राज्य-सूची में अन्तरित करने का प्रयास करेंगे तो यह संपूर्ण चर्चा केन्द्र राज्य संबंधों तक सीमित हो जाएगी और हम शासन के तीसरे स्तर पंचायती राज को भूल जाएंगे। अत: हमें पंचायती राज को राज्य सूची में ही रहने देना चाहिए और यह प्रयास करने चाहिए कि हम पंचायती राज के लिए संवैधानिक ढांचा किस प्रकार तैयार कर सकते हैं और इसका कार्यान्वयन राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसलिए जब मैं मंत्री बना। मुझे इस संवैधानिक समस्या का सामना करना पड़ा कि मेरा मुख्य कर्त्तव्य संविधान की भावना के प्रति सम्मान सुनिश्चित करना था लेकिन वहीं संविधान कहता है कि मुझे पंचायती राज के बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। यह राज्य का विषय है। अत: मैं कैसे आगे बढ़ता? मैं रघुनाथ झा माडल का अनुसरण नहीं कर सकता था। मैं रामदास माडल का अनुसरण नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने मणिशंकर अय्यर मॉडल का अनुसरण करने का निर्णय किया। मैंने सुझाव दिया था कि भारत के सभी पंचायती राज मंत्री साथ बैठें और मंत्रणा करें कि कैसे आगे बढ़ा जाए, और क्योंक पिछले 12 सालों में जो हो रहा था, उससे मैं बाहर या परोक्ष रूप से उससे सम्बद्ध था। अत: मैंने जानता था कि पंचायती राज इतना जटिल विषय है कि इस पर विज्ञान भवन में एक या दो दिन की बैठक में बात करना मुश्किल है। अत: मैंने अपने सहयोगियों से अपील की जिन्होंने इन अपील को तुरन्त स्वीकार किया कि जुलाई 2004 और दिसम्बर 2004 के बीच 150 दिनों की अवधि में हमें भारत के विभिन्न भागों में सात बैठकें करनी चाहिए और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पंचायती राज के 18 विभिन्न आयामों पर चर्चा करनी चाहिए। अत: जुलाई में हम पूर्वी भारत में कोलकाता में मिले; अगस्त में दक्षिण भारत में मैसूर में; सितम्बर में मध्य भारत में रायपुर में, अक्तूबर में उत्तर-पश्चिम भारत में चंडीगढ़ में, और फिर बिलकुल उत्तरी भारत में श्रीनगर में मिले; और फिर छठे गोलमेज के लिए पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी गए और सातवां गोलमेज पश्चिमी भारत में जयपुर में अभियोजित किया गया। इस गहन विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप हमने निष्कर्षों का सार तैयार करने में सफल रहे जो आपको रिपोर्ट के खंड तीन में मिलेगी। यह पंचायती राज के 18 आयामों के संबंध में निष्कर्षों का सार है जो विचार-विमर्श के लिए जाने वाले उन 150 विषयों के बारे में है जिन पर सहमति हुई है।

इस दस्तावेज को तैयार करने के बाद हर किसी ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया और फिर मैंने इसे भारत के प्रत्येक मुख्यमंत्री को भेजी और किसी भी मुख्यमंत्री ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। मैं नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या तो उन्होंने इसे पढ़ा नहीं था या वे इससे सहमत थे। तथापि, सहमति थी या समझौता था और क्योंकि इस पर कोई आपत्ति नहीं की गई थी, मैंने निर्णय किया कि अप्रैल, 2005 तक हमारे पास एक राष्ट्रीय रूपरेखा होगी और संविधान के अनुसार पंचायती राज की जिम्मेदारी राज्यों की है, लेकिन राज्यों के साथ मैंने बैठकें कीं और वे सहमत थे कि यह राष्ट्रीय रूपरेखा है, अब हम राज्यों से अपने कार्यक्रम नहीं अपितु उनके कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि इस दस्तावेज को राज्यों द्वारा स्वीकार किया गया है। अब, हमारे पास राष्ट्रीय रूपरेखा है। अब मैं भारतीय संघ के उस प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में जाकर इसे सशक्त बना रहा हूं। हां संविधान का भाग-नौ लागू है। पंचायतों का दौरा करने के बाद मैंने उस राज्य में मुख्यमंत्री उनके साथ एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये जो राष्ट्रीय रूपरेखा को सशक्त बनाने के लिए राज्य स्तरीय रूपरेखा तैयार करती है।

[हिन्दी]

[श्री मणि शंकर अय्यर]

अब तक मैं 17 विभिन्न राज्यों में, तकरीबन 75 ग्राम सभाओं में अपनी जनता से मिलकर आया हूं। इसके अलावा 75 मध्यम-स्तरीय जिला पंचायतों का आयोजन करके लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। हिमाचल प्रदेश से लेकर, तमिलनाडु, मणिपुर से लेकर राजस्थान तक, मेरी मुलाकात हमारी पंचायतों के प्रतिनिधिगणों से हुई है। केवल उनसे ही नहीं, बल्कि जहां कहीं भी हम जाते हैं, हम आम जनता से भी बात करते हैं। इस सब के कारण अंत में जो सामने आया है, यह न केवल मंत्रियों का विचार है बल्कि जनता भी यही चाहती है। अभी मुझे चार-पांच राज्यों में और जाना है। अभी कुछ दिनों बाद हम मध्य प्रदेश, गुजरात और त्रिपुरा जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दो सालों में एक भी यूनियन टैरेटरी और एक भी राज्य हमसे न छूटे और हम सब जगह पहुंचे। तीन दिन का दौरा करके हम उनको समझा आये कि उनको क्या करना है? यदि आपके पास एक राष्ट्रीय स्तर का रोड-मैप है, राज्य-स्तर का मार्गदर्शक मैप है तो दावों को मिलाकर आप जोड़ें तो पंचायती राज की मंजिल हम सभी के लिए एक ही बनेगी और वहां पहुंचने का रास्ता सभी को पता होगा। हम जानते हैं कि मंजिल पर पहुंचने के 18 ऐसे मुकाम हैं जिनको पार करके हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इस यात्रा को पूरा करने के लिए 150 ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। मंजिल और रास्ता दोनों साफ हैं। किन-किन मुकामों को पार करके हमें जाना है, कौन-कौन से कदम उठाने हैं वे भी हम जानते हैं लेकिन सवाल यही है कि उन कदमों को हम उठाएं, उसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। आप अपने राज्यों में प्रभावी व्यक्ति है। मैं चाहता हूं कि आप भी हमारा साथ दें। हम सभी इकट्ठा मिलकर उस मंजिल पर पहुंचे, जहां हम पहुंचना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अब, हम क्या करें? वे कौन सी मुख्य बातें हैं जो इस इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें करनी हैं। कामरेड आचार्य ने इसे अच्छी तरह सारांश प्रस्तुत किया और कहा कि 73वें संशोधन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति संतुलन में आये परिवर्तन को चर्चा से आगे बढ़कर वास्तविक कार्यवाही द्वारा यथार्थता में बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने इसे बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। लेकिन यह कैसे किया जाए। वास्तव में यही मुख्य प्रश्न है जिसका केन्द्रीय मंत्री को उत्तर देना है और सौभाग्य से, केन्द्रीय मंत्री को विपक्ष के श्री खारबेल स्वाईं की सहायता मिल रही है क्योंकि उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि इसे प्राप्त करने के लिए हमें लोगों को अपने निर्णय लेने के योग्य बनाना होगा और इसका श्री महताब ने सहभागी लोकतंत्र की आवश्यकता पर बल देते हुए समर्थन किया। यदि हमारे यहां सहभागी लोकतंत्र जिसमें लोग स्वयं अपने निर्णय ले सकें, तो श्री आचार्य का स्वप्न यथार्थता में बदलने का स्वप्न यथार्थ बन जाएगा।

भारत में समस्या संसाधनों की कमी की नहीं है। एक समय था जब गंभीर वित्तीय संकट था। अब माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री ने बार-बार कहा है कि धन उपलब्ध है और हम कार्य कर सकते हैं। अभी भी जो उपलब्ध नहीं है, वह शासन का वह तंत्र है जो अंतरण सुनिश्चित कर सके। शासन का वह तंत्र जिसके बारे में भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी और पंडित नेहरू से प्रेरणा लेते हुए सोचा था वह पंचायती राज था।

इस संदर्भ में, उन्होंने वक्तव्य दिया था और जब भी पंचायती राज या ग्रामीण विकास के बारे में इस सभा में या अन्यत्र चर्चा की जाती है तो बार-बार उसका उल्लेख किया जात है।

[हिन्दी]

श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि आज की परिस्थिति में जो एक रुपया हम ग्रामीण विकास के लिए भेज रहे हैं, उसमें से 85 पैसे प्रशासनिक खर्च में निकल जाते हैं। उन्होंने यह नहीं कहा था कि भ्रष्टाचार के कारण वह 85 पैसे आम आदमी तक नहीं पहुंच पाते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारा ऐसा प्रसाशनिक ढांचा है कि जब हम एक रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो उसमें से आई.ए.एस. की तनख्वाह पर, मकान पर, चपरासी पर तथा और भी आवश्यक कार्यों पर खर्च करने के बाद अंत में 15 पैसे ही गांव के स्तर तक पहुंचते हैं। यह बात उन्होंने अपने मन से नहीं कही थी। उस जमाने में श्री अजीत भट्टाचार्य की रिपोर्ट के अनुसार किसी एक राज्य के बारे में या किसी एक योजना के बारे में, उन्होंने जो तफसीली जांच की थी, उससे निष्कर्ष निकला कि प्रशासनिक खर्च 85 पैसे का होता है और 15 पैसे ही गांव तक पहुंचते हैं। अगर 85 पैसे में थोड़ी कमी करके 70 पैसे तक पहुंच जाएं तो गांव में भी 15 पैसे की बजाय 30 पैसे विकास कार्यों पर खर्च होंगे और दोगुना समाज कल्याण होगा।

[अनुवाद]

शासन की पंचायती राज्य व्यवस्था ने प्रसासनिक और तकनीकी व्यवस्थाओं की तुलना में अधिक कुशल परिणाम नहीं दिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि सभा सहमत हो तो हम माननीय मंत्री जी के उत्तर के बाद आधे घंटे की चर्चा करेंगे।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

श्री मणि शंकर अय्यर: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

इसलिए जैसाकि कामरेड श्री बसुदेव आचार्य ने बल दिया है कि हमें गांव और शहर के बीच की खाई को पाटना चाहिए और

समग्र वृद्धि सुनिश्चित करनी चाहिए। फिर मेरे विचार से पंचायती राज तंत्र का उपयोग करते हुए देश के सामने चार प्राथमिकताएं हैं।

पहली प्राथमिकता कार्यचित्रण के माध्यम से कृत्यों का अन्तरण कार्यों और अधिकारों के सुपुर्दीकरण को हम चित्र बना कर आश्वस्त करें। जब तक पंचायती राज प्रणाली का प्रत्येक स्तर नहीं जानता है कि उससे क्या अपेक्षा है तो एक भ्रम बना रहेगा और अधिकतर राज्यों में ऐसा भ्रम है क्योंकि यह बताया गया कि फलां-फलां विषय अन्तरित किया गया है, किंतु कोई भी यह नहीं कहता है ग्राम पंचायत द्वारा कौन से कार्य किए जाएंगे मध्यवर्ती पंचायत द्वारा कौन से कार्य किये जाएंगे और जिला पंचायत द्वारा कौन से कार्य किये जाएंगे। अत: तीन स्तरों के सभी सदस्य एक ही कार्य करते हैं और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास करते हैं जिससे भ्रम पैदा होता है। पंचायती राज की सफलता आनुषंगिकता के सिद्धांत पर कार्यचित्रों को तैयार करने पर निर्भर है जो स्पष्ट रूप से बताता है पंचायती राज प्रणाली के किस स्तर पर कौन सा कार्य किया जाना है।

कार्यचित्र तैयार हो जाने के पश्चात दूसरी प्राथमिकता उसी कार्य चित्र पर वित्त का अन्तरण करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ग्रामीण स्तर पर किए जाने वाले कार्य और ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध धन विभेद नहीं कर सकते हैं। ये सब एक साथ किये जाते हैं। एक ही कार्य चित्र वित्त और कृत्यों को दर्शाता है।

तीसरा प्राथमिक कृत्यों और वित्त के अन्तरण के अनुसार पदाधिकारियों का अन्तरण करना है। अत: कार्यचित्र न केवल कृत्यों के अन्तरण की शुरुआत अपितु वित्त और इस प्रकार पदाधिकारियों के अन्तरण की शुरुआत भी है।

चौथी प्राथमिकता जिला स्तरीय योजना को ग्यारहवीं अनुसूची के स्थापित भाग 9 और 9क के संगत संवैधानिक उपबंधों नामत: अनुच्छेद 243(छ) और 243(य)(घ) के अनुरूप बनाना है। ये सभी संवैधानिक उपबंध खंड-तीन में पृष्ठ 9 से 9 में दिये गये हैं तथा मैं उन्हें सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मैं इन चार प्राथमिकताओं में से प्रत्येक पर कुछ विस्तार से चर्चा करूंगा। इन क्रियाकलाप मानचित्रों के संबंध में श्री प्रबोध पाण्डा ने समयबद्ध हस्तांतरण, श्रीमती सुजाता ने सुझाया और वित्त के स्पष्ट हस्तांतरण तथा श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन ने और अधिकार तथा अधिक वित्त की मांग की तो प्रधान मंत्री ने कहा था:

"प्रकार्यों के प्रभारी हस्तांतरण की मुख्य बात क्रियाकलाप मानचित्र है"

अत: हमें क्रियाकलाप मानचित्र तैयार करता है। जिन राज्यों में मैं गया हूं। उन सभी ने मुझसे क्रियाकलाप मानचित्र तैयार करने का वादा किया है। उनमें से कई ने वह तिथि दी है जब तक क्रियाकलाप मानचित्र तैयार होने की संभावना है। अधिकांश राज्यों में तकनीकी कार्य तैयार है लेकिन मंत्रीमंडल को अभी इसे पारित करना है या सरकार को इसे अधिसूचित करना है। ऐसे में मेरे सभी माननीय मित्र में सामने आते हैं। यदि वे संबंधित राज्य सरकारों को तैयार कर सकें तो मुझे पूरा विश्वास है कि क्रियाकलाप मानचित्रण का यह मूल कार्य पूरा किया जा सकता है। बाध्यता केवल राज्य स्तर की नहीं है।

प्रधानमंत्री ने उसी भाषण में यह भी कहा:

"केन्द्र के मंत्रालयों को भी क्रियाकलाप मानचित्र तैयार करने की बराबर जवाबदेही है ताकि उनकी योजनाओं में हमारे शासन प्रणाली की केन्द्रीयता सुनिश्चित हो सकें।"

माननीय प्रधानमंत्री दिल्ली में वही कार्य करना चाहते हैं जो हम राज्यों को अपने यहां करने को कह रहे हैं। इसी संबंध में, कैबिनेट सचिव के द्वारा सभी सम्बद्ध मंत्रालयों को एक परिपत्र जारी किया गया है और उनसे अपनी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु कार्यकलाप मानचित्र तैयार करने हेतु मेरे साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया है। वित्त मंत्री ने वर्ष 2005-06 के अपने बजट भाषण में सभी भारत निर्माण योजना में पंचायतों को आधार बनाने की घोषणा की। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में विशेष रूप से यह उपबंध किया गया है कि पंचायती राज संस्थायें आयोजना और क्रियान्वयन हेतु मुख्य प्राधिकरण होंगे। इन निर्देशों के अनुपालन की प्रक्रिया में हमने माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह के साथ मिलकर सर्व शिक्षा अभियान और पूर्व साक्षरता अभियान में बदलाव करने में सफलता हासिल की है। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना में भी हमने इसी प्रकार कार्य किया है। हमने राजीव गांधी पेयजल मिशन के संबंध में भी ऐसा किया है। पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम में भी हमने ऐसा ही किया है। हमने राष्ट्रीय ई-प्रशासन नीति में ऐसा किया है। बागवानी मिशन में भी ऐसा किया है। यदि मैं सबको पढ़ूं तो सूची काफी लंबी हो जाएगी लेकिन व्यवहारिक रूप की बात करें तो हम केन्द्रीय स्तर की ओर बढ़ रहे हैं।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और ग्रामीण विद्युतीकरण नीति जैसी नई योजनाओं में भी यदि राज्य सरकार चाहे और पंचायत प्रमुख भूमिका हेतु पहल करने को तैयार हों तो पंचायतें अधिकार संपन्न प्रमुख संस्थायें बनाई जायेंगी। हम माननीय मंत्री श्रीमती रेणूका चौधरी के साथ आई.सी.डी.एस. पर काम कर रहे

[श्री मणि शंकर अय्यर]

हैं। सामाजिक अधिकारिता पर हम माननीय मंत्री श्रीमती मीरा कुमार के साथ कार्य कर रहे हैं। अत: कुल मिलाकर केन्द्र सरकार आगे बढ़ ही है। हम पंचायती राज को तीव्र गति से आगे बढ़ाना चाहेंगे। लेकिन समझ सकते हैं कि पहले से मौजूद तंत्र में परिवर्तन करने में समस्यायें आती हैं। लेकिन कुल मिलाकर मेरा मानना है कि इसमें कुछ सफलता हासिल हुई है।

सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि योजना आयोग हमारी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने के लिए 11वीं योजना में प्रमुख कदम उठा रहा है। इस समय हमारे पास करीब 300 केन्द्र प्रायोजित योजनायें हैं। इनमें से अधिकांश या तो वित्तपोषण के बिना हैं या उन्हें कम वित्तपोषण दिया गया है या जिससे उनके प्रयोजन पूरे नहीं होते। अत:, इस संदर्भ में हम इसे युक्तिसंगत बना रहे हैं और युक्तिसंगत बनाने की इस प्रक्रिया में मेरा मानना है कि हम पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को स्पष्ट करने में सक्षम हो सकेंगे और इससे आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी।

[हिन्दी]

माननीय सदस्य श्री शैलेन्द्र कुमार ने, जितनी सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए, उनका जिक्र किया है और बहुत सक्षम तरीके से किया है। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाली 11वीं पंचवर्षीय योजना में काफी हद तक, क्योंकि मुकम्मल तौर पर कुछ नहीं होता है जब तक स्वर्ग न पहुंचे, इन सेवाओं के सिलसिले में पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये सैंट्रली स्पौंसर्ड स्कीम को हम सही दिशा दिखायेंगे।

[अनुवाद]

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि श्रीमती सुजाता और प्रोफेसर एम. रामदास ने इस बारे में भी चिंता जताई कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और पी.एस.एस. में किस प्रकार का परिवर्तन आवश्यक है। हम ऐसा कर रहे हैं ताकि हम इसे और आगे बढ़ा सकें *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आपका रिप्लाई समाप्त हो गया है?

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर: मुझे अभी काफी कुछ कहना है। मेरे विचार से सभा की इसमें रुचि है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप रिप्लाई जारी रखें।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर: चूंकि इन क्रियाकलाप मानचित्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है, अत: मैं सभा का ध्यान खंड एक के पृष्ठ 72 से 74 पर वर्णित कार्यकलाप मानचित्रों की राष्ट्रीय प्रोफाइल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राज्यों के संबंध में प्रत्येक राज्य के क्रियाकलाप मानचित्र और उनकी स्थिति खंड दो की धारा दो में पृष्ठ 2 से 437 तक दिया गया है। केन्द्र के क्रियाकलाप मानचित्र में आपको खंड एक से पृष्ठ 11 और 12 तथा खंड तीन के पृष्ठ 202 से 230 तक ब्यौरा मिलेगा। शीघ्रता से बताऊं तो जिन राज्यों में क्रियाकलाप मानचित्र पूरे हुये हैं और अधिसूचित किये गये हैं उनमें केरल, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक हैं मुझे उड़ीसा, हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में ठीक से पता नहीं है। इसका आशय यह नहीं है कि ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित सभी 29 विषयों हेतु क्रियाकलाप मानचित्र तैयार कर लिये गये हैं। इससे पता चलता है कि किस सीमा तक क्रियाकलाप मानचित्र तैयार किये गये हैं और उन्हें इन राज्यों में अधिसूचित किये गये हैं।

कई ऐसे राज्य हैं जो अपने पुराने मानचित्रों में संशोधन कर रहे हैं। उदाहरणार्थ केरल और पश्चिम बंगाल ने ऐसा किया है। अत: वे अपने क्रियाकलाप मानचित्रण को बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं। उड़ीसा समेत कुछ राज्य हैं जहां क्रियाकलाप मानचित्रण पूरा हो गया है लेकिन किसी कारण से उसे अधिसूचित नहीं किया गया है। इसमें सिक्किम शामिल हैं जहां के मानचित्र को मैंने वास्तव में जारी कर दिया है लेकिन उसे राजपत्र में प्रकाशित करने से पहले कैबिनेट मंजूरी आवश्यक है। पंजाब के संबंध में वहां के मानचित्र को मैंने रोका हुआ है क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री पंजाब द्वारा तैयार क्रियाकलाप से इतने प्रभावित हैं कि उसे स्वयं जारी करना चाहते हैं। हम इसकी तिथि निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश और असम का मानचित्र जनवरी की शुरुआत में आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ का कुछ समय से लंबित है। हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप का काम पूरा हो गया है लेकिन केन्द्रीय गृह मंत्रालय को अभी कार्य पूरा करना है। दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली का भी पूरा हो गया है। राजस्थान के संबंध में जैसाकि मैंने पहले कहा कि इसे अप्रैल 2006 तक जारी हो जाना था लेकिन तकनीकी कार्य पूरा होने के बाद यह अब भी लंबित है। उत्तरांचल, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पांडिचेरी में

क्रियाकलाप मानचित्र अभी तैयार किया जा रहा है। निश्चित तौर पर झारखंड में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक वहां पंचायती राज संस्थायें नहीं होंगी वे यह कार्य नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ ने पंचायती राज प्रणाली को छोड़ने का निर्णय किया है। अत: वहां की मेरी यात्रा व्यर्थ रही।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव ने राजस्थान के बारे में बताया है कि इस रिपोर्ट में जो उनके कार्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, वह सही नहीं है। हकीकत यह है कि हमने जो रिपोर्ट हिन्दी में छापी, उसमें एक पंक्ति छूट गई थी, जो अंग्रेजी में है। हमने कहा कि हालांकि, उन्होंने तैयार किया था लेकिन अब तक वह अमल में नहीं लाया गया है। यही कारण है कि वहां काम काफी आगे नहीं बढ़ पाया है। अभी अभी एक गैर-सरकारी संस्था प्रिया ने एक रिपोर्ट मुझे पेश की है। पिछले साल दिसम्बर में एक साल पहले जिस समझौते पर मैं मुख्यमंत्री राजस्थान के साथ आया था, उसमें उन समझौतों पर बहुत कुछ करने को है।

उपाध्यक्ष जी, दाह्याभाई पटेल ने प्रश्न उठाया था कि दमन तथा दीव में काम पूरा नहीं किया गया है। हालांकि, दमन दीव का शासन केन्द्र के हाथ में है और हम लोग, यहां बैठे सोच रहे थे कि सब ठीक है। वहां परिस्थिति इतनी बुरी है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा लेकिन मैं यही कहूंगा और एक प्रश्न के जवाब में उन्हें बताया भी है कि केन्द्र शासित राज्यों में सबसे ज्यादा अच्छा काम दमन व दीव में चल रहा है। फिर भी मैंने वायदा किया है कि मैं शीघ्र ही दमन दीव जाऊंगा। जो काम हमने दो साल पहले तैयार कर रखा है, देखेंगे कि वह पूरा क्यों नहीं हो रहा है?

[अनुवाद]

महोदय, अब मैं वित्त के हस्तांतरण पर आता हूं। हिसार के श्री जयप्रकाश, श्री रामकृपाल यादव और श्री खारवेनथन ने पंचायतों को निधियों की कमी का मामला उठाया। श्री एल. राजगोपाल ने कहा कि हर विभाग में पंचायतों के लिए निधियां होनी चाहिए। श्री फ्रांसिस जार्ज ने कहा कि राजनीतिक भेदभाव के बिना निधियों का आवंटन होना चाहिए। कुंअर मानवेन्द्र सिंहजी ने मांग की कि आवंटनों के निर्धारण में जनसंख्या और क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए वस्तुपरक मापदंड अपनाना चाहिए। श्री शैलेन्द्र कुमार जी और श्री मित्रसेन यादव ने 11वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी विषयों के लिये आवंटन और पंचायतों को निधियों के प्रत्यक्ष अंतरण के बारे में पूछा। श्री दह्याभाई पटेल ने संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय दुर्दशा की बात कही।

भारत के प्रधानमंत्री ने वित्त की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य सरकार को यह करना चाहिए।

उन्होंने कहा:

"वित्त का प्रभावी हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए सभी लाइन विभागों को पंचायत सेक्टर विंडों खोलना चाहिए ताकि अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन करने के लिए पंचायत आवश्यक वित्तीय संसाधन प्राप्त कर सकें और सर्वश्रेष्ठ पंचायती राज वाले राज्यों ने पहले ही ऐसे विंडो खोल दिये हैं। मुझे उम्मीद है कि अन्य भी इसका पालन करेंगे।"

महोदय, यह बहुत आवश्यक है कि कार्यकलाप मानचित्र पर प्रकार्यों हेतु वित्त का स्वरूप निर्धारित होना चाहिए। अत: यदि आपने निर्णय किया है कि कोई विशेष गतिविधि पंचायत द्वारा संचालित की जाती है तो धन लाइन विभाग के पास नहीं पड़ा रह सकता। लाइन विभाग के बजट से धन समुचित स्तर पर पंचायत तक पहुंचना चाहिए। हमने खंड दो राज्य प्रोफाइल और खंड एक, अध्याय-तीन, पृष्ठ 61-64 और अध्याय-चार पृष्ठ 75 में राष्ट्रीय पुनर्वलोकन ने वित्तीय हस्तांतरण का पूरा ब्यौरा दिया है। चूंकि आप में से कई लोगों की पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सुदृढ़ीकरण में रुचि है अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने विशेष राज्य के प्रासंगिक भाग पर गौर करने और इस मामले को संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाएं।

महोदय दो-तीन मुद्दे विशेष हैं। एक मुद्दा श्री फ्रांसिस जार्ज ने उठाया तो जानना चाहते थे कि 12वें वित्त आयोग का हिस्सा सभी राज्यों के पंचायतों तक क्यों नहीं पहुंचा रहा है। बारहवें वित्त आयोग ने पंचवर्षीय अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किये है जो वास्तव में केवल पंचायतों के लिए निर्दिष्ट किये गए हैं और वित्त मंत्रालय ने इस धनराशि को जारी करना है। परन्तु कुछ ऐसे राज्य भी हैं, जिन्होंने अपने हिस्सों के लिए पूरा वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आवेदन नहीं किया है और बहुत से राज्यों ने पहली किश्त तो ले ली है परन्तु अभी तक दूसरी किश्त प्राप्त नहीं की है क्योंकि समस्या यह है यदि वे दूसरी किश्त को प्राप्त करते हैं तो उन्हें उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने होते हैं, जिसके अनुसार उन्हें यह प्रमाण देना पड़ा है कि उनके द्वारा प्राप्त धन वस्तुत: पंचायतों को गया है और यह पंचायतों ने निर्णय ले लिया है कि इसे किस प्रकार खर्चा जाए। दिल्ली में 12वें वित्त आयोग के अनुदानों के लंबित रहने के कारण यह हैं कि या तो राज्यों ने अपनी किश्तों की प्राप्ति के लिए सही ढंग से आवेदन नहीं किया था। 12वें वित्त आयोग अनुदानों की इस बुनियादी पूर्ति को पूरा करने में असमर्थ रहे की धन पंचायतों तक पहुंचे और पंचायतें यह निर्णय करें कि इसे किस प्रकार व्यय किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया एक मिनट रुकें।

माननीय सदस्यों, मुझे संसदीय राज्य मंत्री से निवेदन प्राप्त हुआ है कि आधे घंटे की चर्चा को किसी अन्य दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए और इसके उपरांत हम असंगठित श्रमिकों की समस्याओं के संबंध में नियम 193 के अंतर्गत एक अन्य चर्चा करें। मुझे लगता है कि सदन इससे सहमत होगा।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, फिर इसे कल के लिए स्थगित कर दीजिए ...*(व्यवधान)* हम इसे कल लेंगे ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री यह तय नहीं कर सकते हैं। केवल माननीय अध्यक्ष महोदय इस पर निर्णय ले सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो रूलिंग दी है, उस पर हम लोगों की सेंस ली जाए। आप पार्टी के सब लीडर्स से पूछ लीजिए। माननीय मंत्री जी का कितनी देर तक भाषण होगा, यह भी बता दीजिए, चूंकि आगे बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पूरे देश में 93 परसैंट अनआर्गनाइज्ड लेबर हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसके बाद लेंगे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उसे रात को आठ-नौ बजे लेंगे, क्या मतलब होगा। जब सभी माननीय सदस्य चले जाएंगे, तब आप इस विषय को लेंगे। डिबेट में हमेशा अनआर्गनाइज्ड लेबर को पीछे धकेल दिया जाता है, बराबर यह परम्परा रही है। कभी इस पर डिबेट हुई ही नहीं, पहली बार संसद में डिबैट हो रही है। इतना महत्वपूर्ण विषय है और उसे बाद में लिया जाएगा। इस पर हाउस का सेंस ले लिया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री धावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): मैं भी इस पर यादव जी का समर्थन करता हूं, इसे कल लिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: इसे आज छोड़ दिया जाए, कल लिया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय माननीय मंत्री 10 मिनट का समय और लेंगे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: पंचायत का रिप्लाई कंटीन्यू रहेगा। ...*(व्यवधान)* अगर अभी दो घंटे तक माननीय मंत्री जी का रिप्लाई होगा तो सब माननीय सदस्य चले जाएंगे। मंत्री जी का रिप्लाई दूसरे दिन कंटीन्यू रहे। ...*(व्यवधान)* इसके लिए हाउस का सैंस लिया जाए, सब पार्टी का सेंस ले लिया जाए। ...*(व्यवधान)* आपको रूलिंग देने से पहले हाउस का सेंस लेना होगा, हम इस पर प्रोटेस्ट करते हैं। हाउस का सेंस सुप्रीम होगा, आपका रूलिंग जरूरी है, लेकिन हाउस का सेंस लेना भी उतना ही जरूरी है। हाउस सुप्रीम है, हाउस जो कहेगा, वही होगा, यह परम्परा है। ...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): पंचायती राज भी अनआर्गनाइज्ड लेबर से संबंधित है, इसलिए इसका उत्तर हो जाने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री मित्रसेन यादव ने इस पर खास जोर लगाया कि जो पंचायती राज संस्थान को पैसा पहुंचना चाहिए, उसका या तो विलम्ब हो जाता है या किसी अन्य मामले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे अरुणाचल प्रदेश के माननीय सदस्य, श्री खीरेन रिजीजू जी ने हमारे सामने कुछ आंकड़े पेश किये कि जो पैसा गांव तक पहुंचना था, वह राज्य के एकाउंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पड़ा हुआ है, ऐसे इल्ज़ाम यहां लगाये गये थे।

[अनुवाद]

महोदय, हमारे राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह वचनबद्धता है कि पंचायतों हेतु तय निधियों को पंचायतों में बिना किसी विलंब या विचलन के पहुंचना चाहिए। हमारा प्रयास यह है कि इस मकसद, को हम पूरा करें। ऐसा करने के लिए हमारे पंचायती राज मंत्रालय ने एक कार्य बल गठित किया है, जिसने इलेक्ट्रोनिक टैगिंग और निधियों की निगरानी पर एक उच्च तकनीकी प्रतिवेदन तैयार किया है। इसलिए, जब हम दिल्ली से पैसा भेजते हैं, चाहे यह बैंकिंग या खजानों के माध्यम से हो, यहां केवल एक बटन दबाते ही यह जान जाते हैं कि राज्यों को दी गई धनराशि राज्य से पंचायतों तक पहुंच गई है या नहीं, यदि हां, तो पंचायत के किस स्तर तक और क्या इसका उपयोग कर लिया गया है या यह लंबित है। आप भाग-3 पृष्ठ संख्या 286 से 292 पर विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन देख सकते हैं।

मैं आग्रह करूंगा यदि हम अपनी राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को इलेक्ट्रोनिक टैगिंग और निगरानी के लिए प्रेरित कर

सकें, तब संभवत: श्री कीरेन रिजीजू द्वारा विशिष्टत: उठाई गई समस्या का समाधान किया जा सकेगा।

हम इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ काम कर रहे हैं। हम केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ इस पर कार्य कर रहे हैं। परन्तु जब तक हमारे साथ नहीं आ जाते, मुझे भय है कि हमारा तकनीकी समाधान कागजों में ही हट जाएगा।

कार्यकर्त्ताओं को कार्य सौंपने के संबंध में, मुझे लगता है कि प्रत्येक संबंधित द्वारा इसे स्वीकृत किया जाना चाहिए कि जहां कार्य किया जाना हो और वित्त का अन्तरण होना हो, वहां कार्यकर्त्ता को अवश्य तैनात किया जाए। हम उस स्थिति को जारी नहीं रख सकते जहां कार्य पंचायत द्वारा किया जाना हो और अधिकारी अपने विभाग में बैठा रहे। जैसा कि श्री सुरेश प्रभु ने हमें बताया कि गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय हमारी पंचायतों को पर्याप्त अनुपूरक स्टाफ उपलब्ध कराना है।

श्रीमती भवानी राजेन्तीरन और श्री प्रबोध पण्डा ने भी इसी बात पर बल दिया कि न केवल चयनित प्रतिनिधियों बल्कि अधिकारियों के प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। श्रीमती सुजाता ने क्षमता निर्माण पर काफी बल दिया और इसी संदर्भ में यह भी बताया कि स्थानीय प्रशासन हेतु राष्ट्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान ने अपना अतिविशिष्ट स्थान बनाया है। महोदय, शैलेन्द्र कुमार जी ने हमें बताया कि महिला सशक्तीकरण हेतु चुनी गई महिला प्रतिनिधियों के लिए हमें खास प्रशिक्षण के इंतजाम करने चाहिए। मणिपुर के डा. मैन्या ने काफी महत्वपूर्ण बात कही कि अनुभवहीन महिला सदस्यों का उनके परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा शोषण किया जाता है। वह संभवत: यह भी कह सकते थे कि नौकरशाही का निचला तंत्र भी इन अनजान महिलाओं को पीड़ित कर सकता है।

[हिन्दी]

मैं अपनी तरफ से, सबसे ज्यादा प्रशंसा माननीय गणेश सिंह जी करना चाहता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने हमें बताया कि जो चुने हुए लोग हैं, वे गांव और ग्रामवासियों की समस्याओं को नौकरशाहों से बेहतर जानते हैं। इसलिए हमें यहीं से शुरू करना है और प्रशिक्षण का इंतजाम करना है। इसे करने के बाद आप देखेंगे कि पंचायती राज संस्थान खुद-ब-खुद बेहतर होते जाएंगे। इसलिए हमने दो-तीन कार्यक्रम तैयार किये हैं जिनका जिक्र इसमें है,

[अनुवाद]

मैं आपका ध्यान भाग तीन पृष्ठ 360 से 369 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें हमने क्षमता निर्माण ढांचा और प्रशिक्षण पर विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन दिया है। यह श्री तापिर गाव के प्रश्न का अशत: उत्तर दे देगा कि हमें एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता है। अब तक, सभी प्रशिक्षण राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों द्वारा किये गये हैं। मैं नहीं सोचता कि इन्हें छोड़ देना चाहिए; ये काफी अहम संस्थान हैं। परन्तु हमें पंचायती राज प्रतिनिधियों को बड़े आयाम में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है चाहे ग्रामीण विकास संस्थानों या पृथक संस्थानों में। इस विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन में इन्हीं मामलों का समाधान है और मैंने इसे अपने एक पुराने मित्र डा. हफीज को भी भेजा है जोकि पाकिस्तानी हैं, और जो इस समय एशिया और पेसिफिक के लिए यूएनडीपी की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं उनसे एक माह पूर्व न्यूयार्क में मिला था। उन्होंने कहा कि हमारे पंचायती राज प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण किस प्रकार किया जाए इस पर उन्होंने इससे विस्तृत प्रतिवेदन नहीं पढ़ा था। इसलिए, मैं आशा कर रहा हूं कि हमें यूएनडीपी से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, बशर्ते भारत सरकार स्वयं इस योजना से प्रसन्न हो और धन की मांग करे। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो यह ग्राम स्वराज कार्यक्रम का ही एक भाग होगा। इस ग्राम स्वराज कार्यक्रम के अंतर्गत हम तीन मुख्य मामलों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। इनमें से एक पंचायत घर है। कोई केरलवासी यह जानकर अचंभित होगा कि यह एक समस्या है। कोई सिक्किम वाला यह जानकर और भी अचंभित होगा क्योंकि सिक्किम में वे प्रत्येक ग्राम पंचायत घर के लिए 16 लाख रु. की राशि रखते हैं। फिर भी, भारत में कई काफी बड़े और समृद्ध हैं तथा काफी समय से पंचायती राज चलाने वाले राज्य हैं, जहां एक पंचायत घर तक नहीं है।

[हिन्दी]

कहां जाकर बैठें और कितने सालों तक हम चौपाल पर बैठे हैं या किसी दरख्त के नीचे बैठे हैं। पंचायतघरों की बड़ी आवश्यकता है। अगर भारत सरकार को साउथ और नॉर्थ ब्लॉक के बिना नहीं चला सकते हैं।

सायं 6.00 बजे

यदि मध्य प्रदेश की सरकार को वल्लभ भवन के बगैर नहीं चला सकते हो तो लाजिमी है तो ग्राम सरकार चलानी है तो ग्राम सरकार का कोई स्थान हो, जहां हम ग्राम सरकार को देख सकें

[श्री मणि शंकर अय्यर]

और वहां आपकी ग्राम सभा की मीटिंग्स हों, ग्राम समिति की उपसमितियों की मीटिंग वहां हों, तभी हम एक सशक्त पंचायत प्रणाली देख पाएंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया एक मिनट प्रतीक्षा करें। अब छह बज चुके हैं। मैं सभा की राय जानना चाहता हूं। हमें निम्नांकित कार्य है:

1. माननीय मंत्री श्री मणि शंकर अय्यर का उत्तर;
2. देश में असंगठित श्रमिकों द्वारा की समस्याओं के संबंध में नियम 193 के अंतर्गत आगे चर्चा;
3. आधे घंटे की चर्चा; और
4. लोक महत्व के अविलम्बनीय मामले।

[हिन्दी]

हाउस जो कहेगा, हम वही लेंगे।

[अनुवाद]

श्री विजय हान्डिक: महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। आज सायं 5.30 बजे एक आधे घंटे की चर्चा होनी थी, और माननीय सदस्य श्री पी.एस. गढ़वी ने विनम्रता से इसे कल किसी समय करने को सहमति जताई है *...(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): शून्यकाल का क्या होगा?

...(व्यवधान)

श्री विजय हान्डिक: असंगठित श्रम पर नियम 193 के अतंर्गत अगली चर्चा पर बोलने के लिए अधिक वक्ता नहीं हैं। आठ वक्ता हैं और मंत्री जी उत्तर देंगे। इसके बाद हम लोक महत्व के अविलम्ब मामलों को लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा की क्या रहा है?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मंत्री जी का जवाब चलता रहेगा, जवाब को ही जारी रखा जाए।

[अनुवाद]

श्री विजय हान्डिक: शून्य काल को हम समाप्ति पर अवश्य लेंगे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जीरो आवर तो लास्ट में होगा।

[अनुवाद]

श्री विजय हान्डिक: असंगठित श्रम पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा पूरी करने पर हम 'शून्य काल' को लेंगे। यह पहले ही तय किया जा चुका है कि सभा प्रतिदिन आठ बजे तक बैठती रहेगी। यह सभा का निर्णय है।

[हिन्दी]

श्री पी.एस. गढ़वी: लास्ट में कल जीरो ऑवर नहीं लिया गया।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, आप माननीय मंत्री की इच्छा अनुसार जारी रह सकते हैं। माननीय मंत्री को अपना उत्तर पूरा कर लेने दीजिए, और फिर हम असंगठित श्रम पर नियम 193 के अतंर्गत चर्चा को लेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे सुनें। हमें निम्नांकित कार्य हैं:

1. माननीय मंत्री श्री मणि शंकर अय्यर का उत्तर;
2. देश में असंगठित श्रमिकों द्वारा की समस्याओं के संबंध में नियम 193 के अंतर्गत आगे चर्चा;
3. आधे घंटे की चर्चा; और
4. लोक महत्व के अविलम्बनीय मामले।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, माननीय मंत्री जी हान्डिक ने कहा कि आधे घंटे की चर्चा कल की जाएगी। असंगठित श्रम पर चर्चा पूरी करने के बाद, हम (शून्य काल) को ले सकते हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: क्या हम हाउस 8 बजे तक बढ़ा दें?

[अनुवाद]

अनेक माननीय सदस्य: हां।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा को आठ बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री विजय हान्डिक: इस निर्णय को हम पहले ही ले चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, श्री मणि शंकर अय्यर, आप अपने वक्तव्य को जारी रख सकते हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर: उपाध्यक्ष महोदय, पहली आवश्यकता भौतिक जगह की है जहां पंचायतें अपनी गतिविधियां कर सकें। दूसरे स्टाफ की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए।

[हिन्दी]

और यहां मैं खास जो माननीय सदस्य श्री शैलेन्द्र कुमार जी ने प्रस्ताव रखा कि नौकरशाही जो है, जो पंचायतों की सेवा करती है, वह नौकरशाही पंचायतों को डिसिप्लिन के अंतर्गत, उनके अनुशासन के अंतर्गत आनी चाहिए। इस सिलसिले में जबकि हम अपनी गोलमेज का आयोजन कर रहे थे, तब बताया गया था कि इस पर हर राज्य विचार करेगा कि आई.ए.एस. और पी.सी.एस. के अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्च पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टैक्नीकल सर्विस स्थापित की जाये। अब चूंकि इस सिलसिले में कुछ गलतफहमियां हमारे मित्र जो हमारे ऊपर बैठते हैं, उन्होंने फैलाई हैं, मैं यह स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि यह कोई केन्द्रीय सेवा नहीं होगी और यह कोई राज्य सेवा भी नहीं होगी।

हमारा इरादा यह है कि हर जिले में, जिले के पंचायती राज संस्थान इकट्ठे होकर, वे उन लोगों को चुनकर निकालें, जो तकनीकी काम और प्रशासनिक काम को करवायें। यह तो हमने हर राज्य पर छोड़ दिया है। लेकिन मुझे खुशी है कि इसी विषय में माननीय सदस्य श्री शैलेन्द्र कुमार और उनके साथीगण सोच रहे हैं और उम्मीद है कि आप इसे कहीं न कहीं शुरू करा पायेंगे।

[अनुवाद]

अब मैं, जिला आयोजना पर आता हूं जो चौथी वरीयता है। अब हमें प्रो रामदास से सहमति जतानी होगी कि गरीबी की इस परंपरा को समाप्त करने का एकमात्र उपाय भागीदारी आयोजना है।

[हिन्दी]

पिछले साठ साल से हम जो देश के सबसे बड़े बुद्धिमान लोग हैं, जो आईएएस और फारेन सर्विसेज से पहुंचते हैं, मेरे जैसे, इनका इस्तेमाल ...*(व्यवधान)* हमने देश को बरबाद कर रखा है। क्योंकि कहां विकास हुआ है? जब मैं नौजवान था, तब मैंने सोचा कि हम सार्वजनिक सेवा करें, तो हमारे इन मामलों में दखल देने से जो देश का गरीब है, उसका उत्थान होगा, लेकिन आज हम देखें कि जो अमीर है, वह और ज्यादा अमीर हो रहा है, लेकिन जो गरीब है, वह वहीं का वहीं नहीं रुक रहा है, लेकिन उसकी प्रगति की रफ्तार उससे बहुत ज्यादा कम है। इसका एक उदाहरण है, जो मैं बेझिझक सदन के सामने रखना चाहता हूं। अरबपतियों के संख्या आप लें, तो विश्व में आठवीं जगह हिंदुस्तान की है।

[अनुवाद]

विश्व में अरबपतियों की आठवीं सबसे अधिक संख्या भारत में है।

[हिन्दी]

लेकिन साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखें, तो हमारी प्रगति इतनी हुई है कि हम जहां पिछले साल 127वें नंबर पर थे और इस साल हम 126वें नंबर पहुंचे हैं। हमें इसको बदलना हो कि जो देश की गरीब जनता है, गरीब आवाम है, उनकी भी प्रगति हो, तो मुझे लगता है कि अपने ही विकास में उनकी भागीदारी बनानी चाहिए।

जहां तक बैकवर्ड रीजन गारंटी फंड की बात है, उसमें बताया गया है कि जहां डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग होती हैं, वहीं हम पैसा उपलब्ध करेंगे और जहां की डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग हमारे संविधान के अनुसार नहीं होती है, तो वहां उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। चूंकि हमें कार्यक्रम को शुरू करना है, इसलिए थोड़ा-बहुत हमने छूट दी है और कुछ पैसा हम बिना सही मायने के डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन एक साल छूट के बाद, हमें बड़ी सख्ती से कहना पड़ेगा कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में मुकम्मल तौर पर हमारे संविधान के अनुसार डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग न हो, तो माफ कीजिए आपको एक कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। प्रधान मंत्री जी जब हाउस को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि

[अनुवाद]

"जिला आयोजना पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का अनिवार्य भाग है" और उन्होंने आगे कहा: "एक बार यदि हम सर्वाधिक पिछड़े

[श्री मणि शंकर अय्यर]

जिलों में प्रभावी जिला आयोजना प्रारंभ कर लेते हैं, तो बाकी सबकुछ स्वयं हो जाएगा। इसलिए हमें जिला आयोजना करनी होगी। संविधान के अनुच्छेद 243जी और अनुच्छेद 243जैड (डी) में काफी विस्तृत प्रावधान हैं।

अनुच्छेद 243 जैड (डी) स्पष्ट करता है कि जिला आयोजना समिति का गठन किस प्रकार किया जाए। इसके अनुसार जिला आयोजना समिति जिला योजना तैयार नहीं करेगी बल्कि जिला योजना को समेकित करेगी। समेकन के लिए ग्राम योजना, मध्यवर्ती पंचायत योजना, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों द्वारा जिला योजना और नगरपालिका योजना होनी चाहिए। इन सभी को जिला आयोजना समिति के स्तर पर समेकित किया जाएगा और जिला आयोजना समिति की अध्यक्षता राज्य सरकार के मंत्री द्वारा नहीं की जानी चाहिए।

आप समानान्तर निकाय को नहीं रख सकते, जहां जिला आयोजना समिति या कुछ अन्य हो और कोलकाता से या कहीं और से कोई मंत्री आए और कार्य को देखे। यदि आप जिला आयोजना चाहते हैं, तो यह स्थानीय लोगों द्वारा ही की जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें तंग न करें।

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं यह नहीं कह रहा। आप कुल मिलाकर काफी शांतिपूर्ण भारत चला रहे हैं। परन्तु आपके राज्य में यह काफी भिन्न है।

मैं सुझाव देता हूं कि हमें केरल के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। परन्तु हमारी आवश्यकता यह है कि हमें संविधानिक उदाहरण का अनुसरण करने की आवश्यकता है। संविधान ने विहित किया है कि डीपीसी का गठन किस प्रकार किया जाए, यह अपना कार्य किस प्रकार करे और इसका कार्य अन्यों द्वारा बनाई गई योजनाओं के समेकन से प्रारंभ होता है इसके समेकन को करने के बाद, संविधान कहता है कि यह केवल एक प्रारूप जिला योजना होगी।

[हिन्दी]

लोग कहते हैं कि अनपढ़ लोग क्या प्लानिंग करेंगे। ठीक है, वे नहीं जानते हैं, लेकिन भूखा ही है जो भूख जानता है और जिसके पास आवास नहीं है, वही जानता है कि आवास न होने का क्या नतीजा होता है और वही पढ़ाई-लिखाई का अर्थ समझता है जो कम पढ़ा-लिखा हो या जिसको पढ़ाई नहीं आती हो।

[अनुवाद]

हमें लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है तथा उनकी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं बनाई जानी चाहिए। उस संदर्भ में मेरा ख्याल है कि श्रीमती सुजाता तथा श्री प्रबोध पांडा इस संबंध में थोड़ा चिन्तित थे योजना आयोग जो पिछली दसवीं योजनाएं शीर्ष स्तर से बनाता रहा है अब अचानक निचले स्तर से योजना बनाने को कैसे तैयार हो जाएगा। परन्तु मुझे उन्हें यह जानकारी देते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि वस्तुत: इस संबंध में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। कालेज के दिनों के मेरे मित्र डा. मोंटेक सिंह अहलूवालिया की उपाध्यक्षता में योजना आयोग तथा माननीय प्रधान मंत्री जो कि योजना आयोग के अध्यक्ष भी हैं ने निचले स्तर से योजना तैयार करने के लिए व्यापक प्रोत्साहन दिया है तथा मैं इस संबंध में आपका ध्यान भाग-3, पृष्ठ सं. 57 से 701 और विशेषकर पृष्ठ सं. 614 से 638 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिनमें हमने योजना आयोग के परिपत्रों, योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा लिखित पत्रों, मंत्री के रूप में मेरे द्वारा प्रेषित किये गये सहायक पत्रों तथा निम्नतम स्तर पर विशेषज्ञ समिति की विस्तृत रिपोर्ट को दोहराया है। हमने इन सबको एकत्र करके आपको यह जानकारी दी है।

अत:, आप चिंता न करें। योजना आयोग पूरी तरह से हमारे साथ है। परन्तु मुझे खेद है कि राज्य सरकारें हमारा अधिक साथ नहीं दे रही है। हमें उन्हें प्रेरित करने की आवश्यकता है तथा मुझे आशा है कि आगामी कुछ महीनों में हम राज्य स्तर पर उचित योजना बनाने तथा जिला स्तर की योजना को राष्ट्रीय योजना का आधार बनाने में सफल होंगे।

अब, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना संबंधी दृष्टिकोण पत्र सभा के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा तथा मेरा आप सभी से यह हार्दिक अनुरोध है कि जिन पृष्ठों का मैंने उल्लेख किया है उन्हें पढ़ें तथा मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना संबंधी दृष्टिकोण पत्र पर जिला स्तरीय योजना के बारे में चर्चा में इस प्रश्न को उठाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें पंचायतों को अधिकारिता प्रदान करने के लिए पिछड़े राज्यों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है तथा हमें ग्राम सभा के प्रति पंचायतों को उत्तरदायी बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है। अत:, हमने पंचायत अधिकारिता तथा उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना नामक एक योजना बनाने पर विचार किया है। हम राज्यों द्वारा पंचायतों को अधिकारिता प्रदान करने तथा पंचायतों को ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी बनाने की योजना को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हमें एक

निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है चूंकि आजकल जब हम प्रोत्साहन योजनाएं चलाते हैं तो हमें तुरंत यह बताया जाता है कि आप हमें इसलिए प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं अथवा वे यह भी कहते हैं कि आप यह प्रोत्साहन केरल को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वस्तुत: गुप्त रूप से आप कम्युनिस्ट हैं। अत: हमें इस प्रकार के राजनैतिक द्वेष अथवा राजनैतिक पक्षपात से बाहर निकलने की आवस्यकता है।

ऐसा करने के लिए हमने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद से हमारे लिए एक पूर्णत: वस्तुपरक तथा वैज्ञानिक सूचकांक तैयार करने के लिए कहा है। वे मुझे पहले ही एक अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं; दिसम्बर के अंत तक उनका अंतिम प्रतिवेदन तैयार हो जाने की संभावना है तथा उसे हम राज्यों को परिचालित करेंगे। राज्य सरकारें इस सूचकांक के आधार पर स्वयं यह देखेंगी की उनका प्रदर्शन कितना अच्छा अथवा बुरा रहा है; तत्पश्चात राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद इसका मूल्यांकन करेगा तथा उस आधार पर हम राज्यों की स्थिति (रैंकिंग) का पता लगा सकेंगे जो कि मैं नहीं चाहता क्योंकि रैंकिंग का पता लगाना केवल खेल मंत्री का कार्य है तथा पंचायती राज मंत्री को इससे अधिक सोचने की आवश्यकता है, मैं इस सूचकांक के आधार पर की गई प्रगति के बारे में जानने को अधिक इच्छुक हूं।

यदि केरल शीर्ष स्थान पर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह शीर्ष स्थान पर बना रहे। परन्तु, यदि वह खिसक कर चौथे स्थान पर आ जाए तो यह चिंता की बात होगी। तब उन्हें उनकी पूर्व स्थिति में पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता होगी। यदि कोई अन्य राज्य रैंकिंग में सबसे नीचे हैं तथा किसी प्रकार रैंकिंग में दसवीं स्थान पर भी आ जाता है तो उस राज्य को उसका प्रगति के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी दृष्टिकोण के आधार पर हम पीवीएआईएस तैयार करने की योजना बना रहे हैं। यह कार्य हम एक वस्तुपरक, वैज्ञानिक सूचकांक के आधार पर करेंगे। पंचायतों को अधिकारिता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ राज्यों को सही मायने में प्रोत्साहन देने के लिए हमें पर्याप्त धनराशि प्रदान करने हेतु मैंने विश्व बैंक से संपर्क किया है।

साथ ही, हमें एक दूसरे को यह बताने की आवश्यकता है कि इस संबंध में श्रेष्ठतम प्रणाली क्या है। श्रीमती सी.एस. सुजाता जी ने यह सुझाव दिया कि हमें श्रेष्ठतम प्रणालियों के संबंध में जानकारी देनी चाहिए। मैं खंड एक के अध्याय 7, पृष्ठ सं. 99 से 107 और खंड दो के भाग-एक, पृष्ठ सं. 1 से 372 की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिनमें उन्होंने भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में अपनाई जा रही विभिन्न श्रेष्ठतम प्रणालियों का ब्यौरा दिया है। मुझे यह विश्वास है कि ऐसा करके हम पिछड़े राज्यों को अग्रसर करने में तथा अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पिछड़ने से रोकने में सफल होंगे।

महोदय, मैंने ग्राम स्वराज कार्यक्रम का भी उल्लेख किया। मैंने हरियाणा के श्री जय प्रकाश तथा अरुणाचल प्रदेश के श्री तापिर गाव और श्री रिजीजू द्वारा पंचायत घरों के संबंध में उठाये गये प्रश्न का उल्लेख किया, परन्तु इस संबंध में कुछ अन्य राज्यों ने संदेह व्यक्त किये हैं। मैंने स्टाफ संबंधी प्रश्न का भी उल्लेख किया।

अब मैं कुंवर मानवेन्द्र सिंह द्वारा विशेष रूप से उठाये गये संपर्क स्थापित करने के प्रश्न पर आता हूं। संपर्क का अर्थ आजकल केवल सड़क सम्पर्क अथवा रेल संपर्क से नहीं है। संचार जगत एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। वर्तमान में कर्नाटक के मैसूर जहां पर उनके पास एक स्टूडियो है, में एक उल्लेखनीय कार्य किया गया है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि कोई अनुभवी अध्यापक, मंत्री अथवा विभाग का सचिव वहां पर जाकर ही जो कुछ भी बोलता है तुरंत सभी ब्लाकों तक पहुंच जाता है तथा पंचायत के सदस्य ब्लाक मुख्यालय में एकत्र होकर वह सब सुन सकते हैं। किसी के द्वारा जो भी प्रश्न किया जाता है और उसका जो उत्तर दिया जाता है उसे सभी सुन सकते हैं। यह परस्पर संपर्क स्थापित करने का एक तरीका है। अत:, कम्प्यूटरों, संचार क्षेत्र के माध्यमों से संपर्क स्थापित करने हेतु एक राष्ट्रीय ई-प्रशासन नीति बनाने की हमारी एक योजना है। सैटेलाइट तथा कम्प्यूटरों का प्रयोग करके हम भारत की सभी ग्राम पंचायतों, मध्यवर्ती पंचायतों तथा जिला पंचायतों का राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार से संपर्क स्थापित कराना चाहते हैं।

वस्तुत: वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वयं मेरे मंत्रालय ने राज्य पंचायती राज सचिवालयों से पहले की अपेक्षा बेहतर संपर्क स्थापित किया हुआ है। अत:, मेरा विश्वास है कि पंचायत घरों, स्टाफ तथा संपर्क स्थापित करके हम एक प्रभावी पंचायती राज की स्थापना करने के लिए अपेक्षित अवसंरचना तैयार करने में सफल होंगे। अत:, इस संबंध, में मैं प्रधान मंत्री के बयान का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने यह कहा कि:

> "यह प्रतिवेदन बहुत सी पंचायतों में मूलभूत स्रोतों, सुविधाओं, संपर्क तथा स्टाफ की कमी को उजागर करता है .... पंचायती राज मंत्रालय ने एक ग्राम स्वराज योजना तैयार की है जिसका उद्देश्य इस संबंध में राज्यों के प्रयासों को समर्थन देना है .....

[श्री मणि शंकर अय्यर]

परन्तु इसमें प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की ही है और मुझे आशा है कि वे इस कार्य को उच्च प्राथमिकता देंगे।"

अत:, मुझे खेद है कि इस संबंध में मेरे हाथ बंधे हुए हैं। परन्तु यदि राज्य इस संबंध में एक कदम आगे बढ़ावेंगे तो हम सौ कदम आगे बढ़ाएंगे। अत: यह राज्यों पर है कि वे पंचायत घरों, स्टाफ तथा संपर्क के संबंध में अपनी योजनाएं तैयार करके अपना योगदान दें और हम उनका समर्थन करेंगे।

महोदय, ऐसे नौ राज्य हैं। जिनके सीमा क्षेत्र को पांचवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। इसके संबंध में संविधान ने संसद को पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) नामक अधिनियम को अधिनियमित करने का अधिकार दिया है और उक्त अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया गया।

मैं इस बात से पूर्णत: सहमत हूं कि केवल इस अधिनियम को लागू करके ही हम नक्सल समस्या का समाधान करने में सफल होंगे जो कि वर्तमान में नेपाल से लेकर मध्य भारत तक व्याप्त है तथा दक्षिण भारत के क्षेत्रों को छूती हुई पश्चिम और उत्तर भारत के क्षेत्रों को भी प्रभावित कर रही है। अत:, पंचायत के माध्यम से स्वयं अपना भविष्य संवारने के लिए लोगों को अधिकारिता प्रदान करने हेतु हमें पांचवीं अनुसूची में दिये गये क्षेत्रों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है।

श्री बापू हरी चौरे ने सभा में बहुत से आरोप लगाये कि जनजाति उप-योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करने सहित किस प्रकार ग्रामीण विकास और ग्रामीण कल्याण संबंधी कार्यक्रम पीईएसए के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यान्वित न किए जाकर उसके विपरीत कार्यान्वित किये जा रहे हैं। यह बहुत चिन्ताजनक बात है। मैं यह प्रमाणित करने की स्थिति में नहीं हूं कि जो कुछ भी यहां कहां गया है वह सत्य है अथवा नहीं। परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैं इस बात को महाराष्ट्र सरकार के ध्यान में लाऊंगा। मैं शीघ्र ही महाराष्ट्र का दौरा करने को सोच रहा हूं ...*(व्यवधान)*

मैं आपकी बात पर भी आ रहा हूं। श्री बैसीमुथियारी जी, आपको कोई कैसे भूल सकता है? आप पीईएसए और दी ओएनईआर दो क्षेत्रों में मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं कुछ ही देर में आपकी बात पर आता हूं।

देश में पंचायती राज अधिनियम ही केवल ऐसा पीईएसए है जिसमें ग्राम सभा द्वारा कानून की सहायता से तीन कार्य करने को अनिवार्य बनाया गया है। पहला लाभार्थियों का पता लगाना। दूसरा पंचायत द्वारा तैयार की गई सभी योजनाओं, कार्यक्रमों अथवा परियोजनाओं का अनुमोदन। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण यह कि केवल वीईएसए के अधीन ग्राम सभा ही उपयोग प्रमाणपत्र को जारी करने को प्राधिकृत कर सकती है।

यदि आप भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं तो इसका एकमात्र तरीका ग्राम सभा को अनिवार्य सबसे यह कहने की शक्ति प्रदान करना है कि यह बस स्टाप बना दिया गया है। यदि वह यह दावा करते हैं कि एक बस स्टाप बना दिया गया है तो उन्हें यह बताना होगा कि दूसरे गांव में ऐसा ही बस स्टाप बनाने में 20,000 रु. लगे तो यहां बस स्टाप बनाने में 40,000 रु. क्यों लगे? कहीं इसका कारण यह तो नहीं कि यह ठेका सरपंच के मिला है। यह ग्राम सभा है तथा केवल समाज ही इस प्रकार के कार्य की तत्स्थानिक लेखापरीक्षा कर सकता हूं। पी.ई.एस.ए. में इसका प्रावधान किया गया है तथा अधिकतर राज्य विधानमंडलों में इसका प्रावधान नहीं है। अत:, यह कहना उचित होगा कि देश के किसी भी भाग में पंचायती राज अधिनियम का यह सर्वोत्तम अधिनियम है, तथा इस सभा को 12 वर्ष पहले इस पारित करने का सम्मान प्राप्त हुआ था। परन्तु हमें हर जगह इसके प्रावधानों के अनुसार लागू किया जा रहा है। मुझे डर है कि यह उत्तर आशाजनक उत्तर नहीं है। अत:, पीईएसए के प्रश्न पर मुझे एक बार फिर प्रधान मंत्री का प्रकरण देना होगा, उन्होंने कहा था कि:

"पीईएसए हमारे आदिवासी भाईयों के आर्थिक और भावनात्मक पृथककरण जो नक्सलवाद के बढ़ते हुए खतरे का मुख्य कारण है से निपटने के लिए हमारे शस्त्रागार में एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र हैं। मुझे विश्वास है कि इसका प्रभावी कार्यान्वयन हमारे आदिवासी लोगों को अपने कार्यों में प्रभावी भागीदारी करने का बौध उजागर करता है....।"

केवल इस सभा के सदस्य ही यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्होंने जो अधिनियम पारित किया है इसका वास्तव में विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयन किया जा रहा है। मैं पांचवीं अनुसूची में शामिल नौ राज्यों के सदस्यों से तथा स्वयं से तथा अपने मुख्य मंत्रियों से यह पूछने के लिए करूंगा कि इस कार्य को ईमानदारी से किया जा रहा या नहीं। यदि इसे ईमानदारी और निष्कपटता से लागू किया जा रहा है तो नक्सलवाद नहीं फैलना चाहिए था। यदि आप नक्सलवाद को समाप्त करना और उसे मिटाना चाहते हैं तो इसका एकमात्र तरीका वीईएसए का आदर करना और तत्पश्चात् उस अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासियों के वन अधिकार विधेयक का आदर करना होगा जो अभी कुछ देर बार इस सभा के समक्ष लाया जाएगा। हम सभी मैं इसे गंभीरता से लेना होगा। केवल बंदूकों, पुलिस बल और सूचना एजेंसियों द्वारा ही हम नक्सलवाद की आंतरिक जोखिम में समाप्त नहीं कर पाएंगे। यह केवल लोकतंत्र से ही खत्म किया जा सकता है।

हमारे देश के पास साम्यवादी दल का एक गौरवपूर्ण इतिहास है, जिसने प्रारंभ से ही लगातार हमारे लोकतंत्र में भागीदारी की। लोगों ने उन्हें सुना और वह सत्ता में आए और जब लोगों ने उन पर अविश्वास व्यक्त किया तो उन्होंने बड़ी शिष्टता से कार्यालय छोड़ दिया।

इस प्रकार हमने मेरे मित्र श्री बैसीमुथियारी ने जिस दल का मैं हूं सहित बहुत सारे अलग-अलग दलों को मुख्यधारा में अवसर प्रदान करने उन्हें एक गैर लोकतांत्रिक दल से लोकतांत्रिक दल में परिवर्तित किया है। वीईएसए ने ऐसा किया है। यदि हम सीईएसए का आदर करेंगे तो मुझे लगता है कि हम इस युद्ध को जीतने में सक्षम होंगे। यदि हम अपने कानून के विरुद्ध चलेंगे तो वास्तव में हमारा भविष्य बहुत अन्धकारमय होगा।

ग्रामीण व्यापारिक केन्द्रों और स्वावलम्बी दलों के संबंध में मैं सभा का ध्यान खंड एक के पृष्ठ सं. 24 से 26, अध्याय 6 के पृष्ठ सं. 89 से 90 और राज्य प्रोफाइल के खंड दो तथा खंड तीन के पृष्ठ 861 से 869 की ओर दिलाना चाहूंगा। इन पृष्ठों से देखा जा सकता है कि हम श्री सुरेश प्रभु की मांग को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके चलते हम युद्ध स्तर पर उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हैं।

जब श्री बसुदेव आचार्य हमें पुरुलिया में लाख के काम अथवा कुम्हारी, बंकुरा में कांस्य और कांस्य कार्य के बारे में बताते हैं जब श्री रेवती रमन सिंह हमें जटरोफा के बारे में बताते हैं जब श्री सुरेश प्रभु हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं कि पंचायतों को किस प्रकार विद्युत वितरण हेतु आर्थिक अधिकार दिये जा सकते हैं तो मेरा ध्यान प्रधानमंत्री की उस बात पर चला जाता है जो उन्होंने ग्रामीण व्यापारिक केन्द्रों के बारे में कही थी और मैं उसे यहां उद्धृत कर रहा हूं ''जब तक ग्रामीण उद्यमियों द्वारा उत्पादित माल ग्रामीण घर के अलावा बड़े बाजारों में नहीं पहुंचता तब तक हम यह नहीं कह सकते कि देश उन्नति कर रहा है। '' आर.बी.एन. योजना का यही लक्ष्य है।

अब तक हमने राज्यों की सहायता से भारत में 846 ब्लाक तैयार किये हैं और उन उत्पादों अथवा कौशल की सूची तैयार की है जिसे हम उन ब्लाकों से उठाना चाहते हैं। व्यापारिक घरानों और पंचायती राज संस्थानों के बीच पहले ही 55 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। उसमें व्यापक सम्भाव्यता है। हमारे पास एक राष्ट्रीय ग्रामीण व्यापारिक केन्द्र परिषद है भारतीय उद्योग परिसंघ के श्री सुनील मुन्झल जिसके सहअध्यक्ष हैं तथा मैं और श्री जयराम रमेश इसके उपसभापति हैं यह शायद स्वतंत्र भारत का पहला उदाहरण है जहां एक सरकारी मंत्री, मंत्रिमंडलीय मंत्री एक ऐसी परिषद में सहअध्यक्षता करने के लिए सहमत हुए जो निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि से ऊपर नहीं है और एक राज्य मंत्री एक निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि हेतु उपसभापति बनने के लिए सहमत हुए। मेरे विचार में यह एक संवैधानिक परिवर्तन है भविष्य में जिससे असीम उत्साह होंगे।

राज्य में हमारे पास आठ ग्रामीण व्यापारिक केन्द्र परिषद हैं। परंतु मैं इस बात बल देना चाहूंगा कि हमें व्यापारिक समुदाय से जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उससे हम अत्यन्त हताश है। जैसी मैंने आशा की थी उनसे ऐसे परिणाम नहीं मिल रहे हैं। अतः मैं पुनः प्रधान मंत्री की बात दोहराना चाहूंगा, ''मैं राष्ट्रीय ग्रामीण व्यापारिक केन्द्र परिषदों से आग्रह करूंगा कि वे गांवों शहरों के बीच के अंतर को पाटने और हमारी विकास प्रक्रिया में शामिल होने को सुनिश्चित करने के लिए अपने व्यापारिक समुदाय को अपनी भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करें।''

श्री रेवती रमन सिंह ने बंगलादेश में स्वावलम्बी दलों की ओर ध्यान आकर्षित किया। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे बंगलादेश से भी आगे जाएं। बंगलादेश में वे लघु वित्तीय क्रांति लाए जिसने उन्हें अपनी जीविका चलाने में सहायता की। भारत में हम लघु वित्त से लघु असम की ओर जा रहे हैं जो हमें केवल जीविकावाहन के अलावा अधिक सुखदायक आर्थिक जीवन जीने में मदद करती है। परंतु यदि हमें लघु उद्यम से यथार्थ ग्रामीण उन्नति की ओर जाना है तो हमें ग्राम हाट के बड़े बाजारों में लाने के लिए ग्रामीण व्यापारिक केन्द्रों का सहारा लेना होगा।

परन्तु हमें बहुराष्ट्रीय निगमों से उठने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते कि उत्पादन विकेन्द्रीकृत रहे, कच्चे माल की आपूर्ति संबंधी विवरण और अन्य अग्रवर्ती अनुबंधों और तत्पश्चात् पश्चगामी अनुबंधों पर बड़े व्यापारिक कम्पनियों चाहे वे भारतीय हो अथवा बहुराष्ट्रीय बेहतर ध्यान दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ इफार्मेशन है। हमें मंत्री जी के जवाब पर कोई आपत्ति नहीं है। मंत्री जी जितनी देर चाहें, जवाब दे सकते हैं। यहां पर संसदीय कार्य मंत्री श्री दासमुंशी बैठे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि लगभग दो घंटे से जवाब चल रहा है और मंत्री जी काफी अच्छा जवाब दे रहे हैं। यह हिस्टॉरिकल विषय है और जवाब भी हिस्टॉरिकल दिया जा रहा है। इसलिए जवाब को कल के लिए डैफर कर दिया जाए और कल 12 बजे से अच्छा जवाब हो। *...(व्यवधान)* आज दूसरे विषय को लें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): मैं माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव की चिंता की सराहना करता हूं। वह माननीय अध्यक्ष की बैठक में स्वयं उपस्थित थे जहां इस बहस और असंगठित क्षेत्र संबंधी बहस को आज ही पूरा करने का निर्णय लिया गया था। अत: मैं आज दो और विधानों को लेने के लिए बाध्य हूं। मेरे पास केवल एक दिन बाकी है। मैं इस कार्य को कैसे पूरा कर पाऊंगा? हम अगले सत्र में इस बहस को जारी रखेंगे। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: यह अब रिप्लाई खत्म करने वाले हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मेरी बात को समझा नहीं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप कितना समय लेंगे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: एक घंटा और जवाब चलेगा तो 8 बजे तक जो जवाब होगा, 9 बजे तक डिस्कशन होगा तो 10 बजे असंगठित क्षेत्र आयेगा। जवाब के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, विस्तार में जवाब आ रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: वह अपना उत्तर समाप्त करने वाले हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: जवाब के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, जवाब होना चाहिए। लेकिन यदि दो घंटे जवाब होगा तो दूसरे कार्य जो कार्य-सूची में अंकित हैं *...(व्यवधान)* संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि आज ही खत्म करना है तो उसे डैफर कर दीजिए। दो घंटे से पहले जवाब पूरा नहीं होगा, अच्छा जवाब आ रहा है, एक-एक बिंदु पर जवाब आ रहा है, इसलिए जवाब में दो घंटे लगेंगे ही।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, वामपंथी दलों सहित सभी दलों ने माननीय अध्यक्ष के समक्ष, जहां मैं भी उपस्थित था, यह निर्णय लिया था। उन सभी ने यह स्वीकार किया था कि आज हम पंचायती राज और असंगठित क्षेत्र संबंधी बहस को समाप्त कर देंगे और कल सभी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को समायोजित कर देंगे। दो दिन बचे हैं। सभा में आने के बाद वे अपने विचार बदल रहे हैं। यह समय कार्यमंत्रणा समिति द्वारा दिया जाता है, मेरे द्वारा नहीं। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में इस बहस के लिए चार घंटे का समय दिया गया था। आप हिसाब लगा सकते हैं। कितने घंटे हो चुके हैं। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव का भाषण अभी बाकी है और माननीय मंत्री अपना उत्तर देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास इस सप्ताह में कल का केवल एक दिन बचा है। 18 तारीख को हम परमाणु समझौते पर बहस करेंगे जिसमें पूरा एक दिन लगेगा और 19 को आयोजना संबंधी बहस होंगी। मैं इन कार्यों के साथ न्याय कैसे कर सकता हूं। अन्यथा, आप इस बहस को अगले सत्र तक ले जाएंगे। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है और मैं एक और उत्तर के लिए समय दे सकता हूं। यदि आप ऐसा करते रहेंगे कि माननीय अध्यक्ष के समक्ष कुछ और स्वीकार किया तथा यहां आकर मन बदल लिया तो संसदीय मंत्री को न्याय करना बहुत दुखदायी हो जाएगा *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: हाउस की सेंस ले लीजिए, हाउस जो कहता है वह करिए।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, मैं केवल माननीय मंत्री द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। अब मैं शीघ्र समाप्त करने की कोशिश करूंगा। मैं अपना उत्तर शीघ्र समाप्त करने का प्रयास करूंगा *...(व्यवधान)*

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर): जब वह बैठक चल रही थी तब मुझे यही समझ आया था कि यह बहस दो व तीन घंटे चलेगी और उसके बाद उसका उत्तर दिया जाएगा। यदि ऐसा है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर: सर, हमारे मित्र श्री शैलेन्द्र कुमार जी ने युवा-शक्ति और महिला-शक्ति पर बहुत जोर लगाया, मैं उनसे सहमत हूं, क्योंकि जब हम अपने प्रतिनिधिगण की तरफ देखते हैं जो पंचायती राज संस्थानों में हैं तो उनकी उम्र 35 साल से कम है, उन्हें हम युवा समझ सकते हैं। जहां तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व का प्रश्न है तो मैंने आंकड़े दिये हैं। कोई भी संस्थान

ऐसा नहीं है जहां महिलाओं की भागीदारी इतनी हो, जितनी हम पंचायतों में देखते हैं। इसलिए पंचायतों को युवाओं से जोड़ने के लिए हमने एक पंचायत युवा शक्ति कार्यक्रम शुरू किया है।

उसमें नेहरू युवा केन्द्र संगठन के यूथ क्लब को जोड़ कर, हमारी पंचायतों में नौजवानों को जोड़कर हम इस प्रयास में लगे हैं कि दोनों को मिला कर हम युवा शक्ति को देश को संभालने के लिए ग्रामीण इलाकों में लाएं। ऐसी ही महिलाओं के लिए नेशनल कमिशन फार वीमेन के जरिये प्रोत्साहित करके जो महिलाएं पंचायतों में हैं, उनके साथ जोड़ कर हम कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं की पहचान पंचायती राज संस्थानों में बने। हमारे देश की महिलाएं अणु जैसी हैं। जब वे अकेली होती हैं, तो अपने आपको बहुत ही बलहीन समझती हैं, लेकिन जब दो एटम जुड़ जाते हैं, फ्यूजन हो या फिशन हो, इतना बड़ा विस्फोट होता है कि उसका असर दुनिया भर में दिखाई पड़ता है, वातावरण पर पड़ता है। इन अणुओं को जोड़ने के लिए पंचायत महिला शक्ति अभियान एक प्रयास है। बहुत कामयाबी के साथ हमने राजस्थान में, पंजाब में और अन्य राज्यों कर्नाटक आदि में इसे शुरू करवाया और आने वाले सालों में मैं उम्मीद करता हूं कि हर राज्य में मैं पहुंच पाऊंगा और इसे हम चला सकेंगे।

खेल मंत्रालय की तरफ से हम एक पंचायत युवा खेल अभियान के श्रीगणेश के बारे में सोच रहे हैं। मैं जब खेल मंत्री के रूप में आपके सामने आऊंगा, तब पूरी तफसील दूंगा, लेकिन इसके बारे में पूरी सूचना आप खंड-एक, पृष्ठ 23-24 में और फिर तीसरे खंड में अध्याय-6, पृष्ठ 87 से लेकर 89 तक प्राप्त कर सकते हैं।

न्याय पंचायतों के बारे में शैलेन्द्र कुमार जी, गणेश प्रसाद जी और खास तौर पर हमारे मित्र लक्ष्मण सिंह जी ने जिक्र किया। इसके लिए मैंने प्रोफेसर उपेन्द्र बक्शी साहब, जो कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व कुलपति थे और आज इंग्लैंड में वार्विक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, उनसे अनुरोध करके एक समिति का गठन किया। बक्शी समिति की रिपोर्ट हमारे सामने हैं। उसे हमने लॉ मिनिस्टरी को भेज रखा है। मैं इस मुकाम पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मैं माननीय सदस्यों का सुझाव मान लेता हूं कि पंचायतों के साथ हमें न्याय पंचायतों को भी जोड़ना है और जब यह मसौदा तैयार हो जाएगा, तो हम दोबारा आपके सामने आवश्य आएंगे।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, किसी ने अभी यहां की भ्रष्टाचार का विकेन्द्रीकरण पंचायती राज में हो रहा है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि भ्रष्टाचार का विकेन्द्रीकरण हो रहा है। मेरा ऐतराज भ्रष्टाचार पर है और हमें भ्रष्टाचार को रोकना है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह कहना कि हर सरपंच अपना बंगला बना रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो इस देश में महल बना रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कहने से किसी रचनात्मक नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं।

[अनुवाद]

हमें यह समझने की आवस्यकता है कि हम पंचायती राज संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को किस प्रकार समाप्त करें ताकि सरकार के अन्य सभी स्तरों के लिए एक उदाहरण स्थानीय किया जा सके, जिसका संसद में हमारे द्वारा और राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसरण किया जाए। ऐसा करने के लिए हमने गुवाहाटी में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में इस पर गंभीर चर्चा की थी। यदि आप छठीं गोलमेज सम्मेलन के परिणामों को देखें तो आप पायेंगे कि चुनावों और निष्पक्ष चुनावों के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। हमने राज्य चुनाव आयोगों के साथ परामर्श कर उन कदमों के बारे में निर्णय किया था। श्री राजीव गांधी द्वारा पेश किये गये 64वें संशोधन में यह उपबंध किया गया था कि इस हेतु ढांचा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा स्थापित किया जाएगा। परन्तु जब तक हमने विधान पारित किया चुनावों की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दे दी चुकी थी। इसलिए, यदि चुनाव कराने में अधिक लागत आती है, तो यह राज्य सरकारों का कार्य है कि वह इस क्षेत्र में कैसे बेहतर कार्य करें। परन्तु यह खुशी की बात है कि हमारे यहां राज्य निर्वाचन आयुक्तों का एक फोरम है। वे लोग मेरे संपर्क में है। वे लोग, वस्तुतः, प्रधानमंत्री जी के भी संपर्क में हैं वे लोग भारत के निर्वाचन आयोग के भी संपर्क में हैं। वे हमें सुझाव दे रहे हैं। यदि हम उनका अनुसरण करते हैं, तो चुनाव स्वच्छ निष्पक्ष, स्वतंत्र और कम खर्चीले होंगे।

इसके साथ ही, मैं यह भी सोचता हूं कि समुचित ग्राम सभा इस समस्या के समाधान में सबसे अहम है जिस पर भी खारबेल स्वाईं ने भी बल दिया है।

यदि ग्राम सभा ठेकेदार सभा है, तो यह कार्य नहीं करेगी। परन्तु सौभाग्यवश, अनेक राज्यों में ग्राम सभाएं ग्राम सभा ही हैं। ये ठेकेदार सभाएं नहीं हैं। इसलिए, हमें राज्य दर राज्य देखना होगा कि ग्राम सभाओं को कैसे सशक्त बनाया जाए। किसी ने मुझसे पूछा कि आप ग्राम सभा की बैठकों के लिए तिथियां निर्धारित क्यों नहीं करते। लगभग सात से आठ वर्ष पूर्व ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अनुदेश जारी किये थे कि ग्राम सभा की बैठक गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, कि मई दिवस, 1 मई को; तीसरी बैठक स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त; और चौथी महात्मा जयन्ती 2

[श्री मणि शंकर अय्यर]

अक्तूबर को होनी चाहिए और यदि जिन राज्यों में इसका अनुसरण नहीं किया जाता तो यह प्रश्न राज्य मंत्री को संबोधित किया जाना चाहिए, न कि मुझे।

हम न केवल ग्राम सभा बल्कि वार्ड सभाओं को भी देखना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल में वे इसे ग्राम संसद कहते हैं। अन्य जगहों में वे इन्हें वार्ड सभा कहते हैं। मुझे लगता है कि केरल में इसे वार्ड सभा कहा जाता है। नाम चाहे जो भी हो, हमें वार्ड सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र सहित संपूर्ण ग्राम दोनों ही साथ-साथ मुद्दों पर चर्चा करें और ब ऐसा हो तो सभी अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य विधायिका द्वारा सशक्त मजबूत ग्राम सभा और इस संसद द्वारा योजनाओं और परियोजनाओं की स्वीकृति तथा उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रमाणन हेतु जनजातीय ग्राम पंचायतों के लिए पीईएसए के अधीन प्रदान किये गये अधिकार ग्राम सभा को उपयोगी बनायेंगे। यदि ग्राम सभा उपयोगी न हो, तो लोग इसमें भाग लेकर अपना समय बर्बाद क्यों करें? इसलिए जब लोग कहते हैं कि ग्राम सभा में कोई भाग नहीं लेता, वह इसलिए क्योंकि आप ग्राम सभा की उपयोगी बैठकें आयोजित नहीं करते हैं। यदि आप ग्राम सभा की उपयोगी बैठकें करेंगे, तो उपस्थिति काफी अधिक रहेगी। मैं यह नहीं जानता कि मैं उपयोगी हूं या नहीं परन्तु जिस भी ग्राम सभा में मैंने भाग लिया-मैंने भारत के 17 विभिन्न राज्यों में 75 बैठकों में भाग लिया। वहां स्थानीय लोग बड़ी संख्या में थे। हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि केन्द्रीय मंत्री यहां हैं इसका उन्हें कोई लाभ मिल सकता है। परन्तु मुझे यह नहीं लगता कि भारत के लोग पंचायती राज में रुचि नहीं हैं। आवश्यकता केवल यह है कि हमारी राज्य विधानमंडल और राज्य सरकारें ग्राम सभा को प्रभावशाली बनायें।

सुश्री सुजाता की सलाह का अनुसरण करते हुए, मैं सबको उस प्रणाली के बारे में परिपत्र परिचालित करना चाहता हूं जिसके द्वारा केरल में ग्राम सभाओं को प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है ताकि हर कोई इस उदाहरण से सीख सके और बेहतर कार्य कर सके। इसके साथ ही मैं यह भी सोचता हूं कि काफी महत्वपूर्ण है। पंचायतें पंचायतें हैं जैसाकि माननीय सदस्य राजगोपाल ने कहा है कि यह काफी महत्वपूर्ण है। इन्हें पांच या दस या पन्द्रह लोगों द्वारा चलाया जाना चाहिए न कि एक सरपंच और एक अध्यक्ष द्वारा। जब इसे एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, तो इसका भ्रष्ट होना स्वाभाविक है। निर्णय लेने के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण पंचायत एक साथ बैठे। आपकी पंचायत की उप-समितियों की आवश्यकता है जो वस्तुत: भिन्न विषयों को देखती हैं। यदि आपके यहां सीधे निर्वाचित सरपंच है, जिसे अनेक सलाह देते हों, जो अपने किसी भी पंच द्वारा नियंत्रित न हो और जिसे अब पांच वर्ष बाद ही चुनाव लड़ने की चिन्ता हो और तब तक यह महिला आरक्षित या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान हो सकता है, तो आप भ्रष्टाचार के सबसे गंभीर स्वरूप का निर्माण कर रहे हैं। अमरीका की राष्ट्रपति शासन प्रणाली कांग्रेस की जांचोपायों पर आधारित है। आपको लोगों की संसद के रूप में ग्राम सभा की आवश्यकता है, जो ग्राम पंचायत के कार्य पर नजर रखे और आपको प्रत्येक मध्यवर्ती और जिला पंचायत में समितियों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए ठेकेदारों की नियुक्ति और ठेकेदारों के लिए धन के भुगतान सहित कार्य और सभी निर्णय पंचायत द्वारा लिये जाने चाहिए।

इसलिए, प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के संबंध में कहा है कि सामाजिक लेखापरीक्षा और औपचारिक लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली का पंचायतों में भ्रष्टाचार को कम करने में दूरगामी प्रभाव होगा। मजबूत और सशक्त ग्राम सभा और वार्ड सभा आधार पर अधीन निर्वाचत कार्यकारी प्राधिकारी की सतत जांच और उस पर निगरानी रखने के लिए नियमित बैठकें करती है तो यह स्वच्छ पंचायती राज गारंटी प्रदान कर सकते हैं। इसलिए मैं निराश नहीं हूं।

[हिन्दी]

मुझे नहीं लगता कि पंचायती राज का मतलब मात्र भ्रष्टाचार है। मुझे लगता है कि पंचायती राज संस्थानों के जरिये ही हम भ्रष्टाचार के पाप को इस माटी से हटा पाएंगे। भारत माता को भ्रष्टाचार से बचाना है तो इसका एक ही रास्ता है, और वह यह है कि ग्राम सभाओं को सशक्त बनाएं, पंचों को वास्तव में परमेश्वर बनाएं और सरपंच को सही निगरानी में रखें। अगर हम यह सब करेंगे तब ही बिना भ्रष्टाचार के पंचायती राज को चला पाएंगे।

[अनुवाद]

अत: पंचायती राज प्रणाली के स्वतंत्र मूल्यांकन की आवश्यकता है। श्री ए.वी. बेल्लारमिन और सुश्री सुजाता दोनों ने यह सुझाव दिया था। इस रिपोर्ट का यह मुख्य उद्देश्य है कि हमारे पास ऐसा स्वतंत्र मूल्यांकन हो। एनसीएआर के माध्यम से अवमूल्य सूचकांक स्वतंत्र मूल्यांकन की एक विधि है।

पंचायतों में महिलाओं की भूमिका के संबंध में मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रो. नीरजा गोपाल जयाल को एक अध्ययन प्रारंभ करने के लिए कहा है जिसमें पूर्णत: नहीं परन्तु संतोषजनक ढंग में उन 12 लाख महिलाओं की भूमिका के बारे में अध्ययन

किया जाएगा जो हमारे स्थानीय निकायों में हैं और पता लगाया की वे अपनी भूमिका का किस प्रकार निर्वाह कर रही है, और क्या वे अपना कार्य प्रभावी ढंग से कर रही हैं और पता लगाएगा कि उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उनके समाधान के लिए सुझाव देगा क्योंकि अब हमने इसमें महिलाओं को शामिल कर लिया है, इसलिए हमें उन्हें सशक्त करने की आवश्यकता है और हमें उनके उत्कृष्ट योगदान की आवश्यकता है। यह सभी पंचायती राज प्रतिनिधियों पर लागू होता और इसलिए स्वतंत्र मूल्यांकन एक काफी उपयोगी सुझाव है।

महोदय, केआईएलए (केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान), के संबंध में, मैं सुश्री सुजाता द्वारा दिये गये सुझाव पर ध्यान देना चाहूंगा कि हमें इसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान बनाना चाहिए। मुझे पहले इसे राष्ट्रीय संस्थान बनाना होगा। मुझे पहले यह करने दीजिए। यह एक अच्छा सुझाव जिसका निश्चित रूप से अनुसरण किया जाना चाहिए।

महोदय, अब मैं छूट प्राप्त राज्यों और क्षेत्रों पर आता हूं, वे समस्याएं जो श्री बैसीमुथियारी और कुछ अन्यों को परेशान कर रही हैं।

[हिन्दी]

यहां चौधरी लाल सिंह ने जम्मू-कश्मीर का जिक्र किया और वहां डब्ल्यू वांग्यू साहब ने नागालैंड के बारे में बताया। अब हम बैसिमुथियारी साहब से सुन चुके हैं कि हमारे इलाकों में क्या होगा। भाग 9 में बताया गया है कि पंचायती राज सिक्सथ शैड्यूल इलाकों में लागू नहीं होगा। इसके साथ यह भी बताया गया है कि दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल में कुछ एक्जम्पसन दिये गये हैं। वैसे भी जम्मू-कश्मीर में जब तक धारा 370 के अंतर्गत संशोधन को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम इस प्रकार का पंचायती राज वहां लागू नहीं कर सकते हैं।

[अनुवाद]

जहां तक बीआरजीएफ का संबंध है, कोकराझार और ऐसे अन्य जिले इसमें सम्मिलित हैं, मैंने श्री वी. रामचंद्रन, पूर्व उपाध्यक्ष, केरल राज्य योजना बोर्ड की अध्यक्षता में रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है मुझे आशा है यह स्थिति इस माह के अन्त तक कार्यवाही आरंभ कर देगी, जो हें यह बताएगी कि छूट प्राप्त क्षेत्रों में निचले स्तर पर प्रभावी योजना किस प्रकार बनाई जाए। इसलिए, छूट प्राप्त क्षेत्र इस प्रकार है संपूर्ण मिजोरम राज्य; संपूर्ण नागालैंड राज्य; मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र; त्रिपुरा का एक बड़ा भाग और असम राज्य के कुछ भाग। ये सभी छठी अनुसूची में हैं। हमने लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय परिषद और वस्तुतः संपूर्ण जम्मू और कश्मीर तथा गोरखा पर्वतीय परिषद को शामिल नहीं किया है। यह केवल परिवर्तनों के साथ लागू होता है। इन सभी छूट प्राप्त क्षेत्रों में हमें देखना होगा कि हम जिला योजना तंत्र को किस प्रकार चलाएं।

पुडुचेरी एक विशिष्ट समस्या पैदा करेगी क्योंकि वहां जिला पंचायत नहीं है। वहां ग्राम पंचायत और मंडल पंचायत है। इसलिए हमें किसी ऐसे तंत्र का निर्धारण करना होगा जो विशिष्टतः उस राज्य पर लागू हो। हम राज्यों पर ध्यान दे रहे हैं और संविधान में उपबंध है कि यदि बोडोलैण्ड था त्रिपुरा या मिजोरम पंचायती राज प्रणाली को अपनाना चाहते हों, तो ऐसा करने के लिए उनका स्वागत है। मैं यह बताना भूल गया कि छठी अनुसूची के अंतर्गत मेघालय को भी छूट प्राप्त है।

मणिपुर से श्री मैन्या ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि चूंकि मणिपुर की जनसंख्या अब 21 लाख से अधिक हो गई, क्या वे तीन स्तरीय तंत्र अपना सकते हैं? हां, वहां जल्दी ही राज्य विधान सभा चुनाव होने वाले हैं और इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को अगले राज्य विधानसभा चुनावों तक स्थगित कर दिया जाये।

अंत में, मैं भी पाण्डा का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो इसे मीडिया और प्रसार पर लाए। मुझे भय है कि इस संबंध में वहां एक बड़ा शांत विद्रोह हो रहा है। संविधान की उद्घोषणा के उपरांत यह भारत में हुआ सबसे अहम तंत्र परिवर्तन है। इस स्तर पर अन्यत्र कहीं भी कुछ नहीं हुआ है, परन्तु आप इसे नहीं जान पाते यदि आप हमारे समाचारपत्र पढ़ते या टैलिविजन देखते। इस प्रयास में मीडिया को सहभागी बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं आशा करता हूं कि वे प्रधान मंत्री के कथन की ओर ध्यान देंगे जिन्होंने कहा था कि देश में शांत विद्रोह हो रहा है। यह शांत केवल इसलिए है क्योंकि मीडिया और शहरी राजनीतिक सोच इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके समय का दुरुपयोग किया है क्योंकि देश में हो रही सबसे अहम गतिविधि की जानकारी भारत के लोगों को देने के लिए यह एक सुनहरा अवसर है।

मैं अपनी बात कामरेड आचार्य द्वारा दिये गये आंकड़ों की ओर आकर्षित करते हुए समाप्त करना चाहता हूं जो दर्शाते हैं कि जिस भारत को कोरस पर रतन टाटा के अधिग्रहण पर मान है और वास्तविक ग्रामीण भारत आईटी सपाट विश्व और पर्वतीय विश्व जिसकी घाटी में हमारे लोग रहते हैं के बीच काफी अंतर है। प्रत्येक सूचकांक में, जैसाकि कामरेड आचार्य द्वारा बताया गया

[श्री मणि शंकर अय्यर]

है ग्रामीण भारत, शहरी भारत से मीलों पीछे हैं और भारत के अमीर, भारत के गरीबों से काफी आगे हैं। संभवतः, हमारे देश में विश्व में सबसे अधिक अमीर लोग हैं। लगभग 300 खरब उत्तरी अमरीका और यूरोपियन संघ के बराबर है। परन्तु हमारे यहां, 700 खरब या 800 खरब लोग हैं, जो बेशक गरीबी रेखा से नीचे न हो परन्तु किसी भी राष्ट्रीय मानक के अनुसार गरीब हैं और वे स्थानीयकरण के बिना वैश्विककरण का लाभ नहीं ले सकते। हम 8 से 9 प्रतिशत की वृद्धि को कायम रखने के लिए इस वैश्विकरण को अपना सकते हैं। परन्तु यह हमारे लोगों तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक स्थानीयकरण उन्हें अपने भाग्य पर यह शक्ति नहीं दे देता। इसीलिए, प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए अपना वक्तव्य समाप्त किया कि पंचायती राज ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन और ग्रामीण समृद्धता के संवर्धन हेतु नये आयाम का अग्रदूत है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि अगले कुछ वर्षों के दौरान पंचायती राज हमारी अर्थव्यवस्था के समान आगे बढ़ता हुआ पल्वित होगा। ग्रामीण भारत में ग्राम स्वराज के सपने साकार होंगे जिसने महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी जैसे हमारे नेताओं को प्रेरित किया है।

इसलिए, संभवतः, इस वाद-विवाद के अंतिम शब्द मेरे मुख से नहीं बल्कि महात्मा गांधी और श्री राजीव गांधी के होंगे। श्री राजीव गांधी ने 15 मई, 1989 को इस सभा में 64वें संशोधन संबंधी अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए कहा था, "आइए भारत के लोगों के लिए अधिकतम लोकतंत्र और अधिकतम अधिकार सौंपना सुनिश्चित करें। आइए शक्ति संचालकों को समाप्त करें। आइए लोगों को शक्ति दें महात्मा गांधी ने कहा था: "पंचायतों के पास जितनी अधिक शक्तियां होंगी, लोगों के लिए उतना ही बेहतर होगा"।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सोचता हूं चूंकि माननीय मंत्री द्वारा एक विस्तृत उत्तर दिया गया है स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

सायं 6.53 बजे

(दो) देश में असंगठित श्रमिकों की समस्याएं

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब असंगठित श्रमिकों की समस्याओं पर और विचार करने के लिए मद संख्या 25 पर चर्चा करेगी।

माननीय सदस्यों, हम असंगठित श्रमिकों के बारे में लगभग 4 घंटे चर्चा कर चुके हैं और मेरे पास अभी दस से अधिक सदस्यों की सूची है जो बोलना चाहते हैं। इसलिए, मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे संक्षेप में अपनी बात कहें और मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं प्रत्येक सदस्य को चार से अधिक मिनट दूं। मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपना भाषण चार मिनट में समाप्त करें।

अब, डा. सुजान चक्रवर्ती जी बोल सकते हैं।

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर): धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय।

यह काफी महत्वपूर्ण विवाद है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे अनेक मित्र इस मामले पर पहले ही बोल चुके हैं। इस स्थिति में असंगठित श्रमिकों का मामला काफी महत्वपूर्ण है। असंगठित श्रमिकों की समग्रता वस्तुतः एक महत्ता का विषय है, जिसका समाधान किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम ने इसे स्पष्ट किया है जब यह कहा गया कि यूपीए सरकार सभी श्रमिकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र जो कुल कार्यबल का 93 प्रतिशत है, के कल्याण और हित सुनिश्चित के लिए पूर्णतः वचनबद्ध है ...*(व्यवधान)*

असंगठित श्रमिकों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 1991 के दौरान, 286 खरब श्रमिकों में से असंगठित श्रमिकों की संख्या 259 खरब थी। वर्ष 2001 तक यह बढ़कर 375 खरब हो गई, जबकि कुल कार्यबल 400 खरब था। प्रतिशत वार यह 90.6 से 93 प्रतिशत हुआ है। मैं मानता हूं कि वर्ष 2000 में इसमें और बढ़ोत्तरी हुई होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी असंगठित कार्य बल गैर-कृषि असंगठित श्रमिकों से भरा है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से इसमें वृद्धि हुई है। आउटसोर्सिंग इत्यादि के माध्यम से इसमें वृद्धि हुई है। अनेक क्षेत्रों में श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। इन असंगठित श्रमिकों को बुरी तरह से दबाया जा रहा है। हमें इस मामले को इस दृष्टिकोण से देखना होगा।

दो या तीन मुख्य मामले हैं। ये इस प्रकार हैं, इनका कार्य माहौल, इनका जीवनयापन। इनकी सामाजिक सुरक्षा इत्यादि हैं। इस हेतु कोई उचित व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा प्रश्न को सही ढंग से नहीं लिया गया है। वहां सुरक्षा संकट है। कोई उचित पर्यवेक्षण नहीं है। कार्य घंटों के संबंध में कोई उचित तंत्र नहीं है। उन्हें पूरी रात काम करना पड़ता है। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। यह वस्तुतः, मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इस परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सुरक्षा, ईएसआई, भविष्य निधि, मातृत्व अवकाश इत्यादि के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता।

चूंकि इनमें सौदेबाजी की शक्ति काफी कम होती है, जब भी वे किसी का विरोध करते हैं उनके विरुद्ध अत्याचार और अधिक होते हैं। उदाहरण के लिए रेलवे में रेहड़ी-पटरी वालों को ही लीजिए। वे लोग यात्रियों की सेवा करते हैं। परन्तु जब भी वे किसी का विरोध या विद्रोह करते हैं, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा उनके विरुद्ध अत्याचार किये जाते हैं।

हमने हाल ही में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून लागू किया है। परन्तु व्यावहारिक रूप में यदि पिता का जीवन निर्वाह सुरक्षित न हो तो बच्चे का जीवन निर्वाह भी सुरक्षित नहीं हो सकता। यदि बाल श्रम अधिनियम को प्रभावी बनाना है तो असंगठित श्रमिकों की समस्याओं का उचित समाधान करना होगा।

एक विश्व के अंदर ही दो अलग-अलग दुनिया हैं। यह अंतर बढ़ता जा रहा है। विश्व जनसंख्या के एक प्रतिशत अमीरों के पास विश्व की 40 प्रतिसत संपत्ति है और 10 प्रतिशत अमीरों के पास वैश्विक परिसंपत्तियों का 85 प्रतिशत है। इसके विपरीत 50 प्रतिशत गरीब जनसंख्या के पास केवल एक प्रतिशत वैश्विक संपत्ति है। भारत में भी यही स्थिति है। यहां भी अनेक खरबपति हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। परन्तु दूसरी ओर, असंगठित श्रमिकों की स्थिति बदतर होती जा रही है। हम सब यह जानते हैं।

सायं 6.59 बजे

[**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन* हुए]

भारत सरकार अनेक अवसरों पर अनेक कार्यक्रम शुरू करती है। जनश्री बीमा योजना इनमें से एक है। परन्तु परिणाम क्या है? इसका अभी तक कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है। बीड़ी मजदूर अधिनियम विद्यमान है। परन्तु अनेक बीड़ी कारखाना मालिक अपने श्रमिकों को भविष्य निधि का भुगतान नहीं करते हैं। निर्माण कार्य (ठेका) श्रमिक अधिनियम है। परन्तु 29 राज्यों में से केवल 7 राज्यों के पास इस संबंध में अपने विनियम हैं। अन्यों के पास नहीं है। न्यूनतम मजदूरी के संबंध में भी हमारे पास अधिनियम है। परन्तु इसे कहां लागू किया जा रहा है? ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, हमें इन मुद्दों को इतनी ही गंभीरता और ईमानदारी से उठाना होगा।

सायं 7.00 बजे

महोदय, इसलिए मेरा मानना है कि यह केवल नीति निर्धारण का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक इच्छाशक्ति और सुपुर्दगी तंत्र का प्रश्न है, जोकि समान रूप से महत्वपूर्ण है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। प्रत्येक वक्ता को बोलने के लिए केवल चार मिनट मिलेंगे।

...(व्यवधान)

डा. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हमारे देश के श्रमिक संघों ने बैठक की थी जिसमें वे एकमत थे। वे माननीय प्रधान मंत्री जी से मिलने गए जिसमें भारतीय श्रमिक संघ केन्द्र (सीआईटीयू) के अध्यक्ष भी शामिल थे। इनका मत भी समान था। इस संदर्भ में वह भिन्न नहीं था। प्रश्न यह है कि हमें अर्थव्यवस्था पर आधारित राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत असंगठित श्रमिक पहचान पत्रों की व्यवस्था करनी चाहिए, जो इन्हें इनके विशेषाधिकार में सहयोग करेगा।

दूसरे हमें इसे वहां लागू करना चाहिए जिसमें सुपुर्दगी तंत्र, राज्य सरकार और स्थानीय स्व-शासन की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। *...(व्यवधान)* हमें असंगठित श्रमिकों द्वारा दिये जा रहे आर्थिक और सामाजिक सहयोग पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए ताकि असंगठित श्रमिकों के लिए हमारे उत्तरदायित्व को सही ढंग से निभाया जा सके *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अभी, हम एक काफी लंबे उत्तर को सुन रहे हैं। यह दो घंटे तक चला। हम इसे और अधिक देर तक नहीं सुन सकते। कृपया समाप्त करें।

...(व्यवधान)

डा. सुजान चक्रवर्ती: हमें स्वास्थ्य, बीमा, भविष्य निधि, शिक्षा और वृद्धावस्था सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा उपाय करने की योजना तैयार करनी चाहिए। *...(व्यवधान)* महोदय, इसके लिए कानून निर्माताओं की राजनीतिक इच्छाशक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। हम भूमि सुधार लागू नहीं कर सके। जहां तक साक्षरता का संबंध है, हम अनेक अन्य देशों से बहुत पीछे हैं। हम असंगठित श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने में काफी पीछे हैं। इसके लिए वस्तुत: सही राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है *...(व्यवधान)*

महोदय, अपनी बात समाप्त करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि, वस्तुत: पिछले कुछ वर्षों में पांच या छह विधेयक प्रस्तुत किये गये हैं। परन्तु इन पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे असंगठित श्रमिकों का जीडीपी अंशदान 60 प्रतिशत है, जबकि सामाजिक सुरक्षा पर व्यय दो प्रतिशत से भी कम है जोकि श्रीलंका से भी कम है। इसलिए, मैं यह अनुरोध करूंगा कि इसे दो प्रतिशत तक लाया जाए और ग्यारहवीं योजना में इसे बढ़ाकर तीन से चार प्रतिशत कर दिया जाए। इसलिए, अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस विषय पर

[डा. सुजान चक्रवर्ती]

इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर विचार करे। मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार ने अर्जुन सेनगुप्त आयोग गठित किया है। इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले को शीघ्र अंशधारकों के साथ उठाए और तदनुसार प्रस्तावों पर विचार और उनमें सुधार करे तथा एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा करके इसे लागू किया जाए।

महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह): सभापति महोदय, आज असंगठित मजदूरों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। इस हिन्दुस्तान में सचमुच जिसके पास तीन तल्ला मकान था, उसने दस तल्ला बना लिया, खपरैल वाले ने झोपड़ी बना ली और झोपड़ी वाला खत्म हो गया। असंगठित मजदूरों के लिए तमाम पार्टियां इंकलाब जिंदाबाद करती हैं, उनमें चाहे कांग्रेस के लोग हों, सीपीआई, सीपीएम के हों। तमाम लोग उसकी हिफाजत और हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन सचमुच में जो व्यक्ति खेती, खलिहानों एवं जंगलों में पत्थर तोड़ कर अपनी जीविकोपार्जन करते हैं, उनके लिए आज तक किसी पार्टी ने कोई आंदोलन नहीं किया। हिंदुस्तान में उसका जीने का जो हक है, इस सवाल पर किसी ने कभी बहस नहीं की।

महोदय, हम लोग बराबर बहस सुनते हैं कि असंगठित मजदूरों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होती है, लेकिन इन्हें कोई भी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही है। हिन्दुस्तान में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम हैं, जिनको सेवा एवं सुविधा के लिए लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन जिनकी आबादी देश में 40 करोड़ हैं, उनके लिए आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। आज गांव में तमाम लोगों की लाल कार्ड, इंदिरा आवास, वृद्धावस्था पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए दौड़ते-दौड़ते खराब हालत हो जाती है। उन्हें बताया जाता है कि आपका बी.पी.एल. नंबर नहीं है। इसलिए आपको इंदिरा आवास और राशन नहीं मिलेगा। मैं बताना चाहता हूं कि बी.पी.एल. के सर्वे में गांव और देहातों में रहने वाले अनेक लोगों के नाम छूट गए हैं और इसमें जो वहां के संपन्न लोग हैं, वे उसका लाभ ले रहे हैं। जो सचमुच में गरीब हैं, जिन्हें मकान चाहिए, जिन्हें इंदिरा आवास चाहिए, उन्हें वे नहीं मिल रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वह हिन्दुस्तान के गरीबों हेतु बी.पी.एल. का सर्वे दुबारा कराए, ताकि उसमें गरीब, आदिवासी, हरिजन, गिरिजन और वनवासी, जो छूट गए हैं, वे शामिल किये जा सकें और उन्हें इंदिरा आवास, वृद्धावस्था पेंशन तथा इस योजना के तहत मिलने वाले अन्य लाभ मुहैया कराए जा सकें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: जिन माननीय सदस्यों के पास लिखित भाषण हैं, वे कृपया उन्हें सभा पटल पर रख दें, ताकि हम समय बचा सकें।

[हिन्दी]

श्री अलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे सदन में हो रही अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर हो रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की है, इसके लिए आपको कोटिश: धन्यवाद।

महोदय, किसी कवि ने कहा है-"एक तरफ हैं खड़े महल जो आसमान को छूने वाले, ठीक बगल में कई झोंपड़ी जिनके छप्पर चूने वाले" जिस कवि ने यह कहा है, वह अवश्य किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट को देखकर कहा होगा क्योंकि जिन हाथों ने इतने बड़े-बड़े महल बनाए, उनके झोंपड़े बगल में चू रहे हैं और उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। इस चीज को देखकर ही उसने ऐसा लिखा और यह कहावत चरितार्थ हो रही है। देश में अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में 37 करोड़ मजदूर हैं, 22 करोड़ खेतिहर मजदूर हैं और लगभग 1 करोड़ रिक्शा-चालक हैं। इनके अलावा बीड़ी मजदूर, विभिन्न तरीकों से मजदूरी करने वाले और केमीकल फैक्ट्रियों, हैजाड्र्स फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं, जिनके बारे में अभी तक हमने आर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं सोचा है।

महोदय, मैं माननीय देवेन्द्र प्रसाद जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाकर हमें मौका दिया जिससे हम माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी का ध्यान इस समस्या की तरफ दिला सकें। कहा गया है कि "कमाए लंगोटी वाला और खाए धोती वाला" 'लंगोटी वाला' शब्द असंगठित मजदूर को रिप्रजेंट करता है और 'धोती वाला' शब्द संपन्न व्यक्ति को रिप्रजेंट करता है। देश में जो कृषि मजदूर हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है जिनकी संख्या 22 करोड़ है। देश में इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों की क्या स्थिति है, इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मुझे इतनी बड़ी असंगठित मजदूरों की संख्या को देखकर लगता है कि देश में नए तरीके का सामन्तवाद अथवा नए तरीके की जमींदारी लागू हो रही है। पंजाब में एक जगह देश की किसी बड़ी कंपनी ने 50 हजार एकड़ जमीन लेकर वहां नए उपकरण लगाकर खेती शुरू कर दी। जैसे-जैसे नए उपकरणों की भरमार हो रही है वैसे-वैसे मजदूरों का स्कोप खत्म हो रहा है।

देश में असंगठित मजदूरी, असंगठित ठेकेदारी के अंदर पनप रही है। जब आप इसमें फर्क करेंगे, तो देखेंगे कि किसी भी कानून का इम्प्लीमेंटेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है और मजदूरों की मजबूरियां उनकी मजदूरी तय करती हैं। एक आदमी कितना मजबूर है, उसकी मजबूरी ही उसकी मजदूरी तय करती है।

महोदय, इस देश में मानव संसाधन की जो इतनी बड़ी तादाद है, देश की तरक्की में, देश की नैशनल प्रोडक्टीविटी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन असंगठित मजदूरों को अपलिफ्ट करने की जरूरत है। दो दिन पूर्व दिल्ली में रिक्शा चालकों का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन संसद मार्ग पर हुआ। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव और श्री कृपाल यादव के नेतृत्व में रिक्शा-चालकों के विशाल जनसमूह ने प्रदर्शन किया। यह दिखलाता है कि उनके बीच जो आक्रोश है, वह हमारी सरकार तक पहुंचना चाहिए और उनकी समस्याओं से उनकी समस्याओं में उनको निजात मिलनी चाहिए। लाखों लोग मानवाधिकार दिवस के अवसर पर संगठित हो रहे हैं और प्रदर्शन करने के लिए अपना प्रोग्राम बना रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि ठेका प्रथा को विभिन्न कानूनों में हटाने की बात की गई है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो सका। सी.पी.डब्ल्यू.डी. जो केन्द्र सरकार का कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, उसके दवारा हमारी नाक के तले यहां पर कॉंट्रैक्ट पर मजदूर लिये जाते हैं और उन पर कोई लेबर लॉ लागू नहीं होता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि चाहे वह किसी भी क्षेत्र का मजदूर हो, अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में जब तक हम एम्पलायर की जिम्मेदारी कानून के द्वारा सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक उनकी उपेक्षा होती रहेगी और हर तरह के ह्यूमन राइट्स कंस्ट्रेंट्स हैं, उनका उल्लंघन होता रहेगा।

हम कहना चाहते हैं कि अभी असंगठित क्षेत्र में पूर्वांचल से बहुत बड़ी संख्या में मजदूर दिल्ली से लेकर पंजाब तक फैले हुए हैं और वहां पर उनकी बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन आप वहां देखेंगे कि वहां डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति आ चुकी है। लोग वहां पर स्टेटवाइज डिस्क्रिमिनेशन, रीजनवाइज तक के डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति पैदा करके लोग उन्हें मजबूर करके, उन्हें डराकर ऐसी परिस्थिति पैदा कर देना चाहते हैं, ताकि उन्हें कम मजदूरी में अधिक से अधिक मजदूरों की उपलब्धता हो सके, इस तरह के प्रयास किये जा रहे हैं। मेरे दो-तीन सजेशंस हैं, जो मैं माननीय श्रम मंत्री से कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* हमें समय कम मिला है, हमारी पार्टी को मात्र 12 मिनट मिले हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि थोड़ा समय और दिया जाये।

जो उद्योग मजदूरों को काम पर लेते हैं, वे आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी परेशानियों से उनका कोई सरोकार नहीं है। इसलिए नियमों में यह इण्ट्रोड्यूस किया जाये कि जो अनआर्गेनाज्ड सैक्टर के मजदूर हैं, एम्पलायर पर उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्षेत्रीय आधार पर जो विभेद होते हैं, उसके लिए भी नियम बनाये जाने चाहिए। सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए उस पर आधारित कुछ नियम बनाये जाने चाहिए। ...*(व्यवधान)* हमारी पार्टी में 24 सदस्य हैं और हमारी पार्टी को सिर्फ 12 मिनट मिले हैं।

शहरों में मजदूर हाट लगाये जाते हैं। वहां पर जैसे गाय और बैल की ट्रेडिंग होती है, उसी तरह उनकी मजदूरी की ट्रेडिंग होती है। 30-40 रुपये देकर सारे नियमों को ताक पर रखकर वहां के कॉंट्रैक्टर लोग उनको ले जा रहे हैं और बैल और भैंस की तरह उनका उपयोग करते हैं, मिनिमम वेज भी उनको नहीं मिलता है। डिमांड और सप्लाई का इकोनोमिक्स का सिद्धांत है, उस डिमांड और सप्लाई के सिद्धांत पर मजदूरों को तौला जाता है, कि अधिक मजदूर, कम मजदूरी।

हमारे यहां भूमि उतनी ही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है। अशिक्षा और अनअवेयरनैस है, उन्हें कानून का पता नहीं है। गांवों में कहते हैं कि "जितने जन, उतने बन" इसका मतलब है कि जितने हाथ पैदा होंगे, उतना कमाकर लाएंगे। गांव-देहात में यही कंसैप्ट है, अनपढ़ और गरीब तबके के लोगों के लिए और इसकी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है, जबकि जमीन उतनी ही है। कृषि मजदूर बढ़ रहे हैं, उनके साथ निगोसिएशन किया जा रहा है। मानव संसाधन का इतना बड़ा भंडार भारत देश में है, लेकिन मानव संसाधन की स्किल्ड ट्रेनिंग के लिए, स्किल डैवलपमेंट के लिए प्रोग्राम आर्गेनाइज किया जाना चाहिए और उसके लिए विभिन्न तरह की संस्थाओं का सहारा लिया जाना चाहिए। सरकार को उस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। मजदूरी करने वाले लोगों की एम्पलायर पर न्यूनतम वेतन और सुरक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप नहीं रुकेंगे। अब मैं श्री वीरेन्द्र कुमार को बोलने के लिए बुला रहा हूं। अब श्री वीरेन्द्र कुमार के भाषण के सिवाए कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

***श्री हरिकेवल प्रसाद** (सलेमपुर): महोदय, आज देश के असंगठित श्रमिक बदहाली को जिन्दगी जीने को मजबूर हैं क्योंकि उनके हित में अभी तक कोई प्रभावकारी कानून नहीं बन सका है। देश के असंगठित श्रमिकों में सर्वाधिक संख्या कृषि श्रमिकों की है। वित्तीय श्रम आयोग की रिपोर्ट वर्ष 2002 के अनुसार कृषि, वानिकी, मछली पकड़ने और प्लांटेशन क्षेत्र में 19.1 करोड़ मजदूर हैं। इनमें से 19 करोड़ मजदूर असंगठित क्षेत्र में हैं। यह सभी मजदूर सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के विभिन्न प्रावधानों से वंचित हैं। अकेले कृषि श्रमिकों की संख्या 10 करोड़ से अधिक है। लेकिन उनके लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी कानून किसी भी राज्य में लागू नहीं है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि पुरानी अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए लागू की गयी उदारीकरण की नीतियों से देश में कुछ अमीरों की संख्या तो बढ़ी है लेकिन एक बड़ी आबादी गरीब और बेरोजगार हुई है। जिस तादाद में खेती से किसानों की बेदखली हुई है, खेत मजदूरों की उतनी ही संख्या बढ़ी है। रोजगार में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 1993-94 के 60 प्रतिशत के मुकाबले 1999-2000 में घटकर 57 फीसदी रह गया है। इसका कारण यह है कि खेतों पर आदमी की जगह मशीनें ले रही हैं। कृषि क्षेत्र में लगातार घटते वास्तविक पूंजी निवेश एवं मशीनीकरण ने इस क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर को घटाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। आलम यह है कि गांवों में रोजगार नहीं मिलने के कारण बड़ी संख्या में युवकों और कृषि श्रमिकों का पलायन शहरों की तरफ हो रहा है। हालत यहां तक पहुंच गई है कि कस्बों और शहरों में पौ फटते ही सड़कों और चौराहों पर मजदूरों की मंडियां लग जाती हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश जिसकी करीब तीन चौथाई जनसंख्या गांवों में बसती है इसलिए कृषि क्षेत्र में रोजगार का घटना गंभीर चिंता का विषय ही नहीं, बल्कि सामाजिक खतरे की घंटी भी है। बाल मजदूरों की समस्या भी एक गंभीर चिंता का विषय है। उनका बचपन पढ़ाई की जगह होटलों की सफाई में बीत रहा है। खुद सरकार का मानना है कि देश में 1 करोड़ 26 लाख बच्चे ऐसे चिन्हित किये गये हैं जो बाल मजदूरी में लगे हुए हैं। लेकिन यह सर्वाधिक खेदजनक बात है कि उनकी मुक्ति के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। इसी तरह आजादी के 59 वर्षों बाद भी बंधुआ मजदूरों की एक बड़ी तादाद गुलामी की जिन्दगी जी रहे हैं जिन्हें मुक्त कराने के लिए कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, सरकारी कर्मचारियों सहित संगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को पेंशन और चिकित्सा जैसी अन्य सुविधायें प्राप्त होती हैं। लेकिन छोटे किसानों, खेत मजदूरों से लेकर शहरों कस्बों के लघु व मध्यम उद्योगों में काम करने वालों या दैनिक मजदूरों की बहुत बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में आती है जो हमेशा आर्थिक अनिश्चितता मे जीती है। लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों में श्रम कानूनों का पूरी तरह उल्लंघन होता है। मजदूरों को कम वेतन दिया जाता है और उनके भविष्य निधि (पी.एफ.) का पैसा भी सेवायोजकों द्वारा हड़प लिया जाता है। इसी तरह बीड़ी मजदूर भी असंगठित क्षेत्र में आते हैं जिन्हें न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिलती। इस धंधे में उन्हें भयंकर बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है लेकिन उनके स्वास्थ्य की चिंता सरकार को भी नहीं है क्योंकि समय समय पर घोषणा किये जाने के बावजूद अभी तक उनके लिए चिकित्सालयों की व्यवस्था नहीं हो पायी है।

मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो भी कानून बने, उसमें कृषि श्रमिकों को भी सम्मिलित किया जाये तथा उसे लागू कराने के लिए कारगर कदम उठाये जायें। अंत में मैं श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव को बधाई दे रहा हूं, जिन्होंने लोक महत्व के प्रश्न को उठाया है।

[अनुवाद]

***श्री मंजुनाथ कुन्नुर** (धारवाड़, दक्षिण): हम लाखों श्रमिकों और उनके परिवारों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में है। हमारे कुल कार्यबल का 93% असंगठित क्षेत्र में है, इनकी संख्या 10 करोड़ है और लगभग 30 करोड़ लोग उन पर आश्रित हैं। इसका अर्थ यह है कि देश के लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा या लाभ नहीं है। ये श्रमिक मुख्यत: कृषि, छोटी दुकानों, स्थापनाओं, गृह आधारित उद्योगों, छोटे आहारलय इत्यादि में हैं। इनके पास पेंशन, भविष्य निधि, स्वास्थ्य देखभाल, बीमा, बोनस इत्यादि जैसी सुविधाएं नहीं हैं।

कृषि कार्य की मूल प्रकृति मौसमी है और इसलिए शेष अवधि के दौरान, वे बेरोजगार रहते हैं और इनके लिए आप का कोई स्रोत नहीं है। इसके अतिरिक्त, यदि प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से फसल नहीं होती है, तो कृषि श्रमिकों को दी जाने वाली बहुत कम मजदूरी नहीं दी जाती है या देर से दी जाती है। परिणामस्वरूप, श्रमिक हमेशा दरिद्रता में रहते हैं, जो स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं से वंचित गरीबी में रहते हैं।

इन्हें अच्छा जीवन बिताने के लिए फसल नहीं होने की अवधि के दौरान भत्ता दिया जाना चाहिए। मेरी यह मांग है कि

*भाषण सभा पटल पर रख गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कृषि श्रमिकों को भी असंगठित श्रमिकों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उन्हें भी लाभ प्रदान किये जा सकें। मेरे निर्वाचन क्षेत्र और देश में बीड़ी श्रमिक हैं। हजारों बीड़ी श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है और इनका जीवन तुच्छ समझा जाता है।

इनके कल्याण हेतु प्रस्तावित विधेयक काफी समय से लंबित है। मैं नहीं जानता कि इस पर चर्चा कब की जाएगी? शायद, यह यूपीए की कार्यसूची में शामिल नहीं है। जब करोड़ों लोगों का जीवन दांव पर लगा है, सरकार विधेयक को लाने में समय ले रही है। जब सरकार कई कम महत्वपूर्ण मामलों के लिए अध्यादेश जारी करती है तो वह इस महत्वपूर्ण मामले के लिए भी अध्यादेश जारी कर सकती है।

इनके जीवन की स्थिति दयनीय है। यूपीए सरकार को सत्ता में आए लगभग 2.5 वर्ष हो चुके हैं। वे श्रमिकों के कल्याण हेतु घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, परन्तु इस संबंध में कुछ नहीं कर रहे हैं।

विधेयक आने के बाद करोड़ों असंगठित श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। परन्तु कार्य बल जो वर्तमान में योजना के अंदर आता है, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईएसआई अस्पताल पर्याप्त नहीं है। यहां तक कि ईएसआई के पास विशिष्ट अस्पताल नहीं हैं।

सरकार प्रस्तावित कार्यबल की स्वास्थ्य सुविधा संबंधी आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करने जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों से ईएसआई अस्पतालों को अपने नियंत्रण में लेने का भी प्रस्ताव है। सरकार को इस संबंध में तत्काल कुछ करना चाहिए।

इसके अलावा, ठेका श्रम कानूनों में विशेषकर कपड़ा क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में कुछ छूट देने का प्रस्ताव है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ठेका श्रमिकों को सरकारी विभागों में नियमित कर्मचारी बनाया जाना चाहिए।

देश में बेरोजगारी और भुखमरी व्याप्त है। हम इस ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। श्रमिक गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। जो अन्य स्थानों में जा रहे हैं, वे बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन बिता रहे हैं।

कृषि न्यूनतम मजबूरी अधिनियम है, प्रवसन श्रमिक अधिनियम और कर्मकार प्रतिकर अधिनियम है। परन्तु मूल न्यूनतम मजदूरी के संशोधन नहीं किया गया है। किसी प्रकार के तंत्र की आवधिक आधार पर संशोधित किया जाना चाहिए।

मैं इस संबंध में मांग करता हूं कि देश के श्रम विभाग को केन्द्रीय और राज्य स्तर पर बजट के दौरान निधियों के आवंटन में से एक बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए।

मैं इसके अतिरिक्त यह भी चाहता हूं कि एक विस्तृत विधेयक लाया जाए और उसे अधिनियमित करके समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): सभापति महोदय, मैं माननीय देवेन्द्र प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन में लाने का प्रयत्न किया है। उसके माध्यम से असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, उन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में आज हम यहां सब चर्चा करने के लिए इस विषय को उठा रहे हैं। हमारे देश में असंगठित श्रमिकों की संख्या संगठित श्रमिकों से बहुत अधिक है। लगभग इक्यानवे प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इनमें से 11.8 प्रतिशत महिलाएं हैं। इनकी अनेक समस्यायें हैं। मैं इनकी समस्याओं को प्वाइंट के रूप में आपके सामने रखना चाहूंगा।

कोई मजदूर बीड़ी बनाता है, कोई भवन बनाता है, कोई ईंट भट्टे में काम करता है, कोई गिट्टी तोड़ता है, कोई होटल में काम करता है, कोई कांच उद्योग में काम करता है, कोई मिर्जापुर के कालीन उद्योग में काम करता है, ऐसे जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उन मजदूरों की तुलना अगर हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों से करें, तो संगठित क्षेत्र का जो श्रमिक होता है और जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको चिकित्सा की सुविधा मिलती है, पेंशन का लाभ मिलता है, फंड का लाभ मिलता है। ...*(व्यवधान)* वे सभी उसमें शामिल हैं, ठेले वाले, रिक्शे वाले और जो सब्जी और फल बेचते हैं, इसमें शामिल हैं। ऐसे विविध क्षेत्रों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, अगर हम संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों से उनकी तुलना करें, तो देखते हैं कि उनको चिकित्सा, पेंशन और फंड सुविधा का लाभ मिलता है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होता है, वह इन सारी सुविधाओं से वंचित होता है। जब उसकी वृद्धावस्था आती है, तो वह अपने आश्रितों पर निर्भर हो जाता है। हमारे यहां संयुक्त परिवारों की प्रथा खत्म हो रही है। पश्चिम से जो संस्कृति हमारे देश में आ रही है, उसके परिणामस्वरूप संयुक्त परिवारों की प्रथा खत्म होकर एकल परिवारों की प्रथा बढ़ रही है। इस कारण से जो नयी पीढ़ी है, उसके सामने बेरोजगारी की समस्या के चलते ऐसे वृद्धों के समक्ष आर्थिक असुरक्षा की भावना और अधिक बढ़ जाती है। पर्याप्त कानून का अभाव होने से

[श्री वीरेन्द्र कुमार]

न्यूनतम मजदूरी भी इनको नहीं मिलती है। सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। भविष्य निधि योजना का लाभ भी इनको नहीं मिल पाता है और वर्कमैन कंपन्सेशन का भी अभाव है। मुआवजा और राहत राशि का प्रबंध नहीं होता है। बंधुआ मजदूरों के रूप में भी इनसे काम लिया जाता है। दुर्घटना बीमा योजना का लाभ भी उनको नहीं मिल पाता है। हम सभी सांसद सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं और हमारे इर्दगिर्द बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। मैं अपने क्षेत्र की एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा।

मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक मकान में काम करते समय मजदूर मेरे सामने नीचे गिर गया और गिरने के बाद अचेतावस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया। वह मजदूर अस्पताल में जाकर खत्म हो गया। उसका परिवार ठीक ढंग से कमाता और खाता था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को दूसरे के घरों में बर्तन मांजने का काम करना पड़ रहा है। उसके बच्चे जो पढ़ाई करते थे, उनकी पढ़ाई छूट गयी।

माननीय मंत्री जी आप बहुत संवेदनशील है, आप श्रमिकों की पीड़ी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इनकी समस्याओं के निराकरण के लिए निश्चित रूप से प्रभावी कदम उठायेंगे। एक बार मैंने देखा कि एक मजदूर एक कुएं में सफाई करने के लिए नीचे उतरा, वहां गैस का रिसाव हुआ और वह मजदूर वहीं खत्म हो गया। दूसरा मजदूर उसको निकालने के लिए वहां गया, यह सागर की घटना है। जो मजदूर पहले मजदूर को निकालने के कुएं में गया, वह भी वहीं खत्म हो गया। इन दोनों मजदूरों को जब बाहर लाया गया, तब तक दोनों मजदूर मृतक हो गए थे। उन परिवारों को जो मुआवजा राशि मिली, वह बहुत कम थी। उससे उन परिवारों की रोजी-रोटी नहीं चल सकती है। उनके बच्चों की शिक्षा-दीक्षा नहीं हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि समस्याओं के निदान हेतु श्रम समिति ने जो प्रतिवेदन दिये हैं, किंतु उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। द्वितीय श्रम आयोग ने भी सलाह दी है कि इनके लिए कानून बनाया जाए, लेकिन इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की गणना करने की व्यवस्था होनी चाहिए। यह काम ठीक ढंग से होना चहिए और यह पटवारी और घर के नंबर और पंचायत के हिसाब से होना चाहिए।

इसके साथ ही मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूं कि ऐसे मजदूरों को पहचान पत्र भी जारी किये जाने चाहिए। जो संबंधित क्षेत्र के थाने हैं, उन थानों से भी उनका परीक्षण कराया जाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि आज हमारे देश में बड़ी मात्रा में पड़ोसी राष्ट्रों से मजदूरों का प्रवेश हो रहा है। जो पड़ोसी राष्ट्रों से आने वाले मजदूर हैं, वे हमारे देश के मजदूरों का हक छीन रहे हैं और कम मजदूरी पर काम कर रहे हैं। इसलिए सारे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पहचान-पत्र जारी किया जाना नितांत आवश्यक है।

सभापति महोदय, मैं कुछ सुझाव देकर जल्दी ही अपनी बात समाप्त करूंगा। सेकेंड लेबर कमीशन की जो रिपोर्ट है, उस पर हमारी सरकार को विचार करना चाहिए और जो कानून बने हैं, उनका कठोरता से पालन करना चाहिए। श्रम अधिकारियों को भी सख्त एवं व्यवस्थित करना चाहिए। दुर्घटना बीमा योजना का लाभ इस क्षेत्र के श्रमिकों को मिले, इस बारे में सरकार अच्छे ढंग से पहल करे। श्रम की तुलना पूंजी निवेश के साथ सम्मानजनक रूप से करने की आवश्यकता है।

एक अंतिम बात कहकर मैं अपना भाषण कनक्लूड करूंगा। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बारे में चिन्तन करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मानवीय संवेदनाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं और उन मानवीय संवेदनाओं को दृष्टिगत रखते हुए हम उनके बारे में विचार करें, जिससे उन्हें सारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्हें पेंशन, दुर्घटना बीमा का लाभ मिल सके तथा उनके बच्चे ठीक ढंग से पढ़ाई कर सकें।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

[हिन्दी]

मैं पहले देवेन्द्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के विषय पर हाउस में चर्चा शुरू करवाई। मेरे साथी सदस्यों ने जो चिन्ता जताई, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा। यह बात सही है कि आर्थिक सुधारों से अगर सबसे ज्यादा प्रभावित कोई हुआ है तो वह गरीब मजदूर, असंगठित मजदूर, गरीब परिवार हैं, चाहे वह आदिवासी हो या शैडयूल्ड कास्ट हो, क्योंकि गरीब की कोई जाति और मजहब नहीं होता। अभी अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। एक मिडिल क्लास है, हायर मिडिल क्लास है और एक लोअर मिडिल क्लास है। असंगठित मजदूरों के लिए 25 करोड़ रुपये फिफ्थ पे कमीशन में रखे गये। उन्हें मांग से भी ज्यादा पैसा दिया गया। अब सिक्स्थ पे कमीशन बिठाया गया है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे देखें कि संगठित और असंगठित मजदूरों

में कितना कम अंतर हो, क्योंकि संगठित मजदूरों की तनख्वाह बढ़ जाएगी और असंगठित मजदूर, गरीब इम्प्लायैंट ऐफोर्ड नहीं कर सकते। वे बेचारे बेकार रह ही नहीं सकते। पे कमीशन का फैसला जल्दी नहीं आया तो वे अनरैस्ट महसूस करेंगे, क्योंकि मल्टी नैशनल्स की तनख्वाह बढ़ती है, कारपोरेट सैक्टर की तनख्वाह बढ़ती है और सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़े। किसान आत्महत्या कर रहे हैं और बच्चों का कुपोषण हो रहा है। ऐसी स्थिति में सोचना चाहिए कि हमें सिक्स्थ पे कमीशन को वेटेज देना है या जो लोग भूखे रह जाते हैं, असंगठित हैं, उन्हें ज्यादा महत्व देना है। मैं चाहूंगा कि सिक्स्थ पे कमीशन में ऐसा वातावरण तैयार न करें, जिससे बाकी सभी गरीब संगठित हो जायें और हिन्दुस्तान में अनरैस्ट हो जाये। इसलिए मेरे दो सुझाव हैं-एक सोशल सिक्योरिटी, शिक्षा और स्वास्थ्य आम लोगों को दी जाये और दूसरा ग्रुप इंश्योरेंस में सरकार के पैसे से, यदि परिवार का एक व्यक्ति किसी कारणवश भगवान को प्यारा हो जाता है, उनका ग्रुप इंश्योरेंस सरकार को करना चाहिए ताकि उनके परिवार को लाभ हो सके।

बीपील का सर्वे हुआ है। महाराष्ट्र में आंगनवाड़ियों ने इसका सर्वे किया है। वह ऐसा काम हो गया है जिसमें जो असली गरीब हैं, वे बाहर रह गये हैं। काफी गांवों में इसी कारण झगड़े बढ़ रहे हैं। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि रूरल डेवलपमैंट मिनिस्ट्री से बात करके दुबारा सर्वे करवाया जाये ताकि जो असली गरीब हैं, बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं, उन्हें इसका लाभ मिल सके। यदि किसी नौकरी में पुलिस या किसी चपरासी की भर्ती होती है, तो उसमें अगर दस लोगों के लिए जगह होती है, उसके लिए दो लाख लोग आवेदन करते हैं। 25 हजार की जगह 25 लाख लोग आ जाते हैं। इस कारण वहां भीड़ हो जाती है, लाठीचार्ज होता है। रेल मंत्रालय ने अच्छा किया है कि ऐसे लोगों को आने-जाने का किराया दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि सोशल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। इससे संगठित सीनियर सिटीजन्स को लाभ हो रहा है, लेकिन जो असंगठित सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी क्या सोशल सिक्योरिटी है? वे बेचारे अनपढ़ है। मंत्री जी इतना ही ख्याल करें कि 60 साल की उम्र वाले मजदूर या किसानों के लिए कुछ किया जाये। एक तरफ आत्महत्याएं हो रही हैं और दूसरी तरफ तनख्वाह बढ़ाने की मांग हो रही है। देश में संगठित मजदूरों को ज्यादा लाभ हो रहा है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि असंगठित मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दें तथा संगठित और असंगठित मजदूरों की इनकम फिक्स करें। असंगठित मजदूरों की कोई इनकम ही नहीं है। इनका अंतर कम किया जाये।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद

[अनुवाद]

***श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई** (शिवकाशी): महोदय, निर्माण उद्योग में कार्यरत श्रमिकों से लेकर घरेलू नौकर, किराए पर रखे गए निजी चालकों से लेकर भार उठाने वालों और कुलियों, बुनाई उद्योग में कार्यरत श्रमिकों से लेकर सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों में से कम से कम 97% श्रमिक अभी भी असंगठित क्षेत्र में हैं। हाल ही में हुए अध्ययन दर्शाते हैं कि केवल 3% श्रमिक ही अपने रोजगार के साथ मिलने वाली प्रसुविधाओं का लाभ उठाते हैं। आर्थिक सुधारों के कारण बदलते परिवेश में हमें श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए वैधानिक उपाय करने की आवश्यकता है। हमारे देश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों और यहां तक कि मिलों और कारखानों में कार्यरत नैमित्तिक श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा या सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं। उन्हें पेंशन लाभ नहीं मिलते हैं। उन्हें भविष्य निधि के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली हमारी अधिकांश जनसंख्या को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है और इनमें से अधिकतर असंगठित क्षेत्र में हैं। हमारे लगभग 10 करोड़ कृषि श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं देश के लिए अवसंरचना का निर्माण करने वाले निर्माण उद्योग में कार्यरत कर्मी और श्रमिक सभी असंगठित हैं। घरेलू नौकरों से लेकर आईटी कर्मी तक लगभग सभी असंगठित क्षेत्र में हैं। इसलिए असंगठित क्षेत्र में हमारे श्रमिक बल को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक आदर्श कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। ऐसे कई सौ क्षेत्र हैं जहां श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं और इनके सुधार हेतु एक व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए। असंगठित क्षेत्र के असहाय श्रमिकों की पहचान हेतु एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक कल्याण बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए।

कार्य और सामाजिक सुरक्षा से वंचित श्रमिकों को राहत और क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए एक विधिक निकाय होना चाहिए।

जहा तक वस्त्र और बुनाई उद्योग का संबंध है, यह अनेक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। इस व्यवसाय में कार्यरत 70% से अधिक श्रमिक ठेका मजदूर हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और वे तीन वर्ष के ठेके पर कार्यरत हैं। यदि वे किसी बीमारी के कारण अवकाश लेते हैं तो इन्हें वादे के अनुसार

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई]

न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती है। हमारे आईटी उद्योग ने बड़े स्तर पर कार्य को आउटसोर्स करना प्रारंभ कर दिया है। हमने यह देखा है कि उनमें से अधिकांश स्टाफ को संविदा आधार पर रखते हैं। हमारे सरकारी क्षेत्र अनेक उपक्रम कर्मियों को ठेके पर रख रहे हैं और इन श्रमिकों को बिना किसी श्रमिक कल्याण लाभ के इन्हें ठेका श्रमिकों के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश दैनिक दिहाड़ी कर्मियों के रूप में प्रयुक्त किये जा रहे हैं। अनेक सरकारी कार्यालय भी कर्मियों को संविदा आधार पर रख रहे हैं। हम वैश्वीकरण के संबंध में बात कर रहे हैं। परन्तु क्या हम पश्चिमी देशों का अनुसरण कर रहे हैं जहां प्रत्येक नागरिक को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध है? पश्चिमी राष्ट्रों में नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं परंतु भारत में 10% जनसंख्या को भी स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा नहीं मिलती।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह हमारे श्रमिक वर्ग का सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करे। केवल तभी हमारा आर्थिक विकास जिसे हम आज देख रहे हैं, का मानवीय आधार होगा। केवल तभी हमारे कल्याणकारी उपायों का लाभ सबसे निचले स्तर तक पहुंच पाएगा। इस प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य को मैं बधाई देता हूं और इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): सभापति महोदय, मैं, 7 दिसम्बर, 2006 को श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा देश में असंगठित श्रमिकों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में उठाई गई चर्चा में भाग लेने की स्वीकृति देने हेतु आपका धन्यवाद करता हूं।

मेरे मित्र, माननीय मंत्री श्री आस्कर जी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों की समस्याओं से अवगत हैं। वस्तुत: यह संपूर्ण देश की समस्या है। परन्तु समय की कमी के कारण मैं केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र चामराजनगर, कर्नाटक तक सीमित रहूंगा। दुर्भाग्यपूर्ण श्रमिक अनेक क्षेत्रों में हैं जैसे कृषि, बीड़ी विनिर्माण, अगरबत्ती और रेशम उत्पादन और अन्य। कृषि श्रमिकों को बहुत कम राशि के लिए सुबह से लेकर देर शाम तक काम करना पड़ता है। बीड़ी कर्मियों की स्थिति इससे भी खराब है। अधिकतर बीड़ी कर्मी महिलाएं और बच्चे हैं। वे पूरा दिन तंबाकू की गंध सांसों के साथ अंदर लेते रहते हैं। इनमें से अधिकांश को सांस और हृदय की बीमारियां हो जाती हैं। इनकी आय 50 से 60 रुपये प्रतिदिन है। यह कम से कम 200 रुपये प्रतिदिन होनी चाहिए।

अगरबत्ती कर्मियों की स्थिति भी ऐसी ही है। अगरबत्ती निर्यातक काफी अधिक लाभ कमाते हैं। परन्तु श्रमिकों का सबसे अधिक शोषण किया जाता है। इनके जीवन स्तर में आजादी के 59 वर्ष बाद भी सुधार नहीं हुआ है।

रेशम उत्पादन के क्षेत्र में लगे श्रमिकों में से प्यूपा कर्मी सबसे अधिक प्रभावित हैं। यहां भी, अधिकतर महिलाएं और बच्चे कार्यरत हैं। प्यूपा कर्मियों को रेशम के कोये को निकालने के लिए उबलते पानी में अपने हाथ डालने होते हैं। रेशम के कोये का सूत लिया जाता है और मृत रेशम कीड़ों को फेंक दिया जाता है। यह एक जोखिम भरा कार्य है। श्रमिकों को जीवन बीमा, भविष्य निधि सुविधा और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। उनकी जीवन यापन की स्थिति दयनीय है। यहां कार्य करने वाले बच्चों को स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाता है और वे सामाजिक समारोहों में भाग नहीं ले सकते। इन्हें खेलते समय अन्य बच्चों के साथ घुलने-मिलने नहीं दिया जाता क्योंकि इनके शरीर से दुर्गंध आती है। कई बार उबलते पानी में हाथ जल जाते हैं। इन दुर्भाग्यपूर्ण प्यूपा कर्मियों के लिए कोई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है और उनमें से अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं।

काफी लंबे समय के बाद यह चर्चा इस अहम समय और हमारे समाज के सबसे गरीब लोगों की गंभीर समस्या पर की जा रही है। मैं आशा करता हूं और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री और भारत सरकार हमारे देश में गरीब मजदूरों की इन सभी समस्याओं के कुछ समाधान करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): धन्यवाद, महोदय। मैं श्री देवेन्द्र प्रसाद को बधाई देता हूं जिन्होंने देश के असंगठित श्रमिकों की ज्वलंत समस्याओं से संबंधित मामले को चर्चा के लिए उठाया है असंगठित क्षेत्र में लगभग 35 करोड़ श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें से मेरे विचार से लगभग 25 करोड़ श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और शेष अन्य क्षेत्रों से हैं। 'असंगठित' शब्द से स्वयं यह स्पष्ट होना है कि इनकी तोलमोल की शक्ति काफी कम है। इस कमजोर तोल मोल शक्ति के कारण ये लोग प्रबंधन से लाभ लेने में समर्थ नहीं हैं। यह प्राकृतिक न्याय है कि राज्य सरकारों सहित केन्द्र सरकार को इनके बचाव और इनकी सहायता के लिए आगे आना चाहिए।

यह सही है कि राज्य विधानसभाओं सहित संसद द्वारा अनेक विधान पारित किये गये हैं परन्तु मुख्य मुद्दा यह है कि ये लागू नहीं किये गये हैं। मैं अन्य सभी क्षेत्रों में नहीं जाना चाहता। मैं केवल दो या तीन मुख्य मुद्दे उठाना चाहता हूं, जो केरल और राष्ट्र के संबंध में काफी महत्वपूर्ण हैं। जैसाकि अन्य माननीय सदस्यों द्वारा बताया गया है, बीड़ी क्षेत्र एक अहम क्षेत्र है। इस

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

असंगठित क्षेत्र में लगभग 60 लाख बीड़ी मजदूर कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लगभग सभी राज्यों-केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और अन्य अनेक राज्यों में बड़ी संख्या में बीड़ी मजदूर हैं। इस क्षेत्र की मुख्य विशेषता यह है कि इससे एक बड़ी संख्या महिला मजदूरों की है और उन्हें बहुत ही कम मजदूरी मिल रही है। ये ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों के शोषण का शिकार हो रहे हैं। यह सही है कि 1966 में संसद ने बीड़ी सिगार अधिनियम पारित किया था। परन्तु यह केवल कुछ राज्यों-केरल, पश्चिम बंगाल और मेरे ख्याल से कर्नाटक या तमिलनाडु में लागू किया गया है, जहां उन्होंने इसे लागू किया है।

अधिकांश राज्य इन श्रमिकों की सहायता के लिए आगे नहीं आते हैं क्योंकि केन्द्रीय अधिनियम में एक त्रुटि है कि यह निर्णय लेने की शक्ति राज्यों को देता है कि वे यदि चाहें तो इसे लागू करें अथवा नहीं। यहां तक कि जिन राज्यों में बड़ी संख्या में बीड़ी मजदूर और बीड़ी उद्योग हैं उनमें भी इस अधिनियम को लागू नहीं किया गया। इस अधिनियम को लागू न करने के कारण इन्हें न्यूनतम मजदूरी, भविष्य निधि, ईएसआई और अन्य लाभ नहीं मिल रहे हैं। केरल राज्य में, सरकारी समितियां इन बीड़ी मजदूरों को एकजुट करने के लिए आगे आयी हैं तथा उन्हें कुछ लाभ दे रही हैं। इस संदर्भ में, केरल दिनेश बीड़ी सहकारी समिति का नाम सुस्थापित है, किंतु केन्द्र सरकार को उन्हें सहायता देनी है। यद्यपि सहकारी समितियां इन मजदूरों की सहायता के लिए आगे आ रही हैं, सहकारी समितियों पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत है। उन्हें अपने सभी खातों को श्रम विभाग एवं आबकारी विभाग को देना होता है। किंतु कोई निजी बीड़ी ठेकेदार अथवा निजी ठेकेदार उन्हें अपने खाते नहीं दे रहे हैं। इन सहकारी समितियां को निजी व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करनी होती है। परिणामस्वरूप, ये सहकारी समितियां कार्य करने मे सक्षम नहीं है। इन सहकारी समितियों के अंतर्गत हजारों बीड़ी मजदूर कार्य कर रहे हैं। मैं यह मांग करता रहा हूं कि सरकार को इस मामले में कुछ उपाय करने चाहिए। कम से कम वे इस उत्पाद शुल्क को कुल बीड़ी उत्पाद से अंतरित कर तम्बाकू पर प्रभारित कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि अन्य क्षेत्रों के विपरीत बीड़ी क्षेत्र में उत्पाद शुल्क कुल बीड़ी उत्पाद अर्थात् 20 लाख बीड़ी पर प्रभारित किया जाता है। बीड़ी समितियां एवं सरकारी फर्म उन्हें अपने सभी खाते देते हैं किंतु कोई भी निजी व्यापारी अपने खाते नहीं देता। इसलिए, ये निजी व्यापारी अपने कामगारों को न तो न्यूनतम मजदूरी दे रहे हैं और न ही अन्य कोई लाभ दे रहा है। अतः, मैं श्रम मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले को गंभीरता से लें। ऐसा नही है कि बीड़ी मजदूर केवल केरल में ही हैं। देश भर में इस क्षेत्र में 60 लाख लोग कार्यरत हैं।

दूसरा मुद्दा बागान क्षेत्र से जुड़ा है। आप जानते ही हैं कि केरल में 22 स्थावर संपदाओं को बंद कर दिया गया है तथा लगभग 25,000 अथवा 30,000 कामगार गत तीन या चार वर्षों से बेरोजगार हैं। हो सकता है कि सरकार द्वारा लागू की गई नई नीति एवं अन्य कारणों से यह संभव न हो। केन्द्र सरकार द्वारा कुछ उपाय किये जाने हैं। न केवल केरल राज्य बल्कि तमिलनाडु के नीलगिरि क्षेत्र के मामले में भी यह सही है जहां कई स्कायर संपदाओं को बंद कर दिया गया है-मैंने इस मुद्दे को उठाया था-तथा बेरोजगार कामगारों को अन्य कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। यहां भी, बागान श्रम अधिनियम बना हुआ है किंतु इसे कार्यान्वित नहीं किया गया है। हम देखते हैं कि स्कावर संपदाओं का विखंडन हुआ है। इस कारण, एक समय संगठित रहे कामगार स्थावर संपदाओं के विखंडित होते जाने के कारण असंगठित हो रहे हैं।

सिलाई क्षेत्र के संदर्भ में मैं कहूंगा कि इसमें चार करोड़ कामगार लगे हुए हैं। केरल ने कल्याण निधि अधिनियम नामक एक कानून पारित किया है। तमिलनाडु ने भी एक कानून पारित किया है। किंतु जब आप अखिल भारत स्तर पर मुआयना करें तो इस प्रकार का कानून नहीं है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। काजू, मत्स्य पालन, खादी एवं हस्तकरघा क्षेत्र में लगे कामगार भी असंगठित है और उन्हें अन्य लाभ नहीं प्राप्त हो रहे हैं।

जहां तक खादी का मामला है मैं केवल एक वाक्य कहूंगा। खादी क्षेत्र में कामगारों को सबसे कम मजदूरी मिलती है। नेतागण स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस अथवा अन्य महत्वपूर्ण दिवसों पर खादी की दुकानों पर जाते हैं। हम सुझाव दे सकते हैं कि मुख्य मुद्दा खादी के विपणन की है। किंतु यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो सरकार इस उद्योग को बचा सकती है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के कई अतिथि गृह हैं और कई सरकारी कार्यालय भी हैं। सरकार सरकारी कार्यालयों में खिड़की के पर्दे, चादरों एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए खादी के कपड़े को प्रयोग में लाने के लिए आदेश दे सकती है। मैं समझता हूं कि जितना कपड़ा अभी तैयार किया जा रहा है इस प्रकार की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यदि सरकार कुछ कर सकती है तो यह इस क्षेत्र के लिए बेहतर होगा।

हम कोई नए कानून नहीं चाहते हैं क्योंकि पहले से ही कई कानून मौजूद हैं। निश्चित ही नए कानून के अंतर्गत कुछ वर्ग लाभ के लिए पात्र नहीं हैं, फिर भी इस कानून को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

[श्री पी. करूणाकरन]

श्रम मंत्रालय को केवल निगरानी कर्त्ता एजेंसी ही नहीं बने रहना चाहिए। आज संगठित व असंगठित क्षेत्र में कई कामगार हैं। इसलिए श्रम मंत्रालय को विद्यमान कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए कुछ सक्रिय कदम उठाने चाहिए क्योंकि इसकी अभी बहुत आवश्यकता है।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा): धन्यवाद महोदय। इस सम्माननीय सभा में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और हम सभी असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के लिए बोलते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। वे इस देश का निर्माण कर रहे हैं किंतु आपने दैनंदिनी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यूपीए सरकार के सदस्य के रूप में नियम 193 के तहत भारत में असंगठित क्षेत्र के कामगारों की अवस्थिति पर चर्चा करने पर मुझे खुशी है।

भारतवर्ष में 37 करोड़ कामगार हैं जिनका इस देश की जीडीपी में 63 प्रतिशत का योगदान है। इनमें से केवल 2.7 करोड़ कामगार ही संगठित क्षेत्र में हैं जिन्हें सभी कानूनी एवं श्रम संबंधित लाभ प्राप्त हो रहे हैं तथा जिनके अधिकार संरक्षित हैं। दूसरी ओर, भारत में 93 प्रतिशत कामगार अब भी असंगठित क्षेत्र में है, जो हमारे लिये चिंता का विषय है। वे सभी श्रम से संबंधित लाभ एवं कानूनी लाभ से वंचित हैं। प्रधानत: कृषि कामगार 24 करोड़ हैं; होटल कामगार 4 करोड़; रिक्शा चलाने वाले, आटो चालक, औद्योगिक कामगार लगभग 2 करोड़ हैं जिनमें तम्बाकू एवं बीड़ी कामगार; रेशम के कीड़े पालने वाले, आटोमोबाइल चालक; सरकारी कामगार; क्लीनिर्स; मैकेनिक; इलेक्ट्रीशियन तथा निर्माण क्षेत्र में कामगार हैं, उन्हें भविष्य निधि, चिकित्सा सुविधाएं, ईएसआई, पेंशन, अपंगता से जुड़े भत्ते इत्यादि की सुविधा प्राप्त नहीं है तथा उनमें से अधिकांश कामगार खतरनाक परिस्थितियों में कार्य करते हैं जिसमें दुर्घटना की अधिक संभावना होती है।

भारत सरकार के पास दो योजनाएं नामत: जनश्री बीमा योजना एवं कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना है। जनश्री बीमा योजना में लाभार्थी को 100 रुपया देना पड़ता है और सरकार उसमें 100 रुपये का अंशदान करेगी। इसे 50 : 50 अंशदान के आधार पर लागू किया गया है और इसके तहत सामान्य मृत्यु के मामले में प्रति सदस्य 20,000 रुपए का जीवन बीमा कवर दिया गया है। दुर्घटना में हुई मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता के मामले में 50,000 रुपये प्राप्त होगा। आंशिक अपंगता के मामले में उन्हें केवल 25,000 रुपये प्राप्त होंगे। किंतु इस योजना के अंतर्गत कुछ ही लोगों को बीमा कवर दिया गया क्योंकि इस योजना के बारे में अपेक्षित जन जागृति नहीं थी। यद्यपि इससे बहुत थोड़ी आवश्यकताएं ही पूरी होती हैं फिर भी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमें ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि बजट में इसके लिए उचित आबंटन नहीं है। प्रीमियम में सरकार की हिस्सेदारी-बजटीय आवंटन रहित 13,000 करोड़ रुपये है। इन योजनाओं को लाने की कोई प्रासंगिकता नहीं है यदि इसमें सरकार की ओर से कोई अंशदान न हो। मुझे माननीय मंत्री जी पर पूरा विश्वास है क्योंकि वे इस देश में असंगठित मजदूर के प्रति सहृदय है। इस सभा में बैठे प्रत्येक सदस्य की मांग है कि इस क्षेत्र के लिए और अधिक आवंटन किया जाना चाहिए। यदि इस क्षेत्र में पर्याप्त पैसा नहीं लगाया गया तो हम केवल शब्दों का सहारा लेकर असंगठित क्षेत्र में कामगारों का कल्याण नहीं कर सकते हैं।

जहां तक कृषि श्रमिक सुरक्षा योजना का संबंध है मेरा मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि इस योजना के नाम को सरलीकृत किया जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसका अर्थ नहीं समझता है। कृपया इसे सरल बनाए क्योंकि यह योजना करीब 24 करोड़ कृषि कामगारों के लिये है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: सभापति महोदय, कृपया मुझे इस विषय पर बोलने के लिए कुछ और समय दें।

सभापति महोदय: ऐसा लगता है कि आपको बहुत जल्दी है।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: इसके लिए कितना आबंटन किया गया है? कृषि श्रमिक को 2 रुपये प्रतिदिन अंशदान करना होता है जिससे उन्हें जीवन सह दुर्घटना बीमा, धन वापसी, पेंशन एवं अधिवर्षिता लाभ प्राप्त होता है। किंतु इस योजना को 600 जिलों में से केवल 50 चुने हुए जिलों में क्रियान्वित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि 550 जिलों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है।

इस योजना में केवल दस लाख श्रमिकों को शामिल किया गया है। 24 करोड़ श्रमिकों में से दस लाख श्रमिक ही इसमें शामिल हैं तथा यह कार्य भी तीन वर्ष की अवधि में किया गया है। क्या इसका कोई अर्थ है? इस योजना में 0.5 प्रतिशत श्रमिक भी शामिल नहीं किये गये हैं। यह केवल औपचारिकता है तथा इस योजना से कृषि श्रमिकों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है। यदि सरकार सही मायने में असंगठित मजदूरों की समस्या को निपटाने के प्रति प्रतिबद्ध है तो उन्हें इस कृषक सुरक्षा योजना को लागू करने के लिए 17,000 करोड़ रुपये आवंटित करने चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि वे आवश्यक आवंटन कर इसे 600 जिलों में लागू करें।

आवास लोगों की मूल आवश्यकता है। हमने इस सभा में इस पर कई बार चर्चा की है। कोई भी व्यक्ति भोजन एवं आवास के बिना कैसे जीवित रह सकता है? यह किसी भी देश के नागरिक का मूल अधिकार है। केवल इसलिए कि ये श्रमिक गरीब हैं, इन्हें इनके मूल अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। आवास क्षेत्र में क्या हुआ? भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 15 लाख घरों के निर्माण की योजना बनाई है। जो चार वर्ष में 60 लाख घरों का आंकड़ा देता है। वास्तविक आवश्यकता क्या है? वास्तविक आवश्यकता 40 करोड़ रु. की है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक काफी गरीब हैं और वे अपने बच्चों के शिक्षा संबंधी खर्चों, कपड़े, घर, किराया, पीने का पानी, बिजली इत्यादि के दैनिक खर्चों का वहन नहीं कर सकते। मकान इनके लिए मूल आवश्यकता है। उपलब्ध कराई गई राशि काफी कम है जिससे हम मकानों की केवल 1.5 प्रतिशत आवश्यकता को ही पूरा कर सकते हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में, हमारे पास सबके लिए स्वास्थ्य योजना है, जिसमें प्रति व्यक्ति 200 रुपये का प्रीमियम उपलब्ध कराया जाता है। देश के किसी भी भाग में कोई योजना के कार्यान्वित के लिए बजटीय आवंटन नहीं है। 40 करोड़ रुपये को 200 से गुणा करने पर कितनी राशि होती है? यह आंकड़ा 800 करोड़ रुपये आता है। ये वित्तीय मामले हैं। बिना धन की योजनाओं का कोई फायदा नहीं है। हमारे मंत्री जी काफी सहृदय हैं परन्तु केवल सहृदयता से वह क्या कर सकते हैं? योजनाओं को लागू करने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता है। इस योजना के अंतर्गत केवल 50,000 लोगों को लाभ हुआ। जो कि लगभग 0.01 प्रतिशत है। इन आंकड़ों को देखना काफी दुखद है। केवल 0.001 प्रतिशत श्रमिकों को यह स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह केवल आंखों में धूल झोंकना है। निधियों के आवंटन के बिना हम केवल शब्दों में ठीक हैं परन्तु व्यवहार में नहीं। इसलिए, योजनाओं को लागू करने हेतु भारत सरकार को असंगठित क्षेत्र के संपूर्ण चार करोड़ श्रमिकों के लिए इनके कल्याण हेतु उपयुक्त योजनाएं और कार्यक्रमों के साथ एक व्यापक योजना बनानी चाहिए।

1966-69 में पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग ने असंगठित क्षेत्र के कार्य बल को उन श्रमिकों के रूप में परिभाषित किया था जो कुछ अवरोधों जैसे रोजगार की आकस्मिक प्रकृति, अनभिज्ञता अशिक्षा और स्थापना का छोटा और बिखरा आकार के कारण अपने आम हितों के अनुरूप स्वयं को संगठित नहीं कर सके हैं। ये लोग जीडीपी में 63% का योगदान दे रहे हैं। देश को इनके प्रति वफादार रहना चाहिए और इनकी मूल आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। इनके अधिकारों के पूर्ण संरक्षण द्वारा ही हम इस देश के असंगठित क्षेत्र के कार्यबल की रक्षा कर सकते हैं। बोलने का यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, मैं सबसे पहले श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन में चर्चा आरम्भ की है। मैं जब राजनीति में आया था, तब एक नारा सुना करता था कि "कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान" और आज मजदूर और किसान दोनों वर्ग ऐसी स्थिति में हैं, जिनके बारे में जितना कुछ कहा जाए, वह कम ही होगा। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर दिन भर काम करने के बाद भी भूखा सोता है और बाद में असमय मौत का शिकार हो जाता है। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या है। सदन में कई माननीय सदस्यों ने आंकड़े दिए कि असंगठित मजदूरों की संख्या इस देश में 36 करोड़ है, कई माननीय सदस्यों ने कहा 38 करोड़ है, तो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि 40 करोड़ है। महोदय, मेरा मानना है कि हमारे देश में असंगठित मजदूरों की संख्या 40 करोड़ से ज्यादा है। मैं बताना चाहता हूं कि यह एक ऐसा वर्ग है, जिसका सभी क्षेत्रों में भयंकर शोषण हो रहा है, खेती में काम करने वाला मजदूर है, मकान बनाने वाला मजदूर है। या रिक्शा चलाने वाला मजदूर है, बीड़ी बनाने वाला मजदूर है, खदानों में काम करने वाला मजदूर है, घर में काम करने वाला मजदूर है, या विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर हैं लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि इन मजदूरों के लिए कोई भी कानून ठोस रूप नहीं ले पाया है। जरूरत इस बात की है कि मजदूरों के बारे में सरकार को चिन्ता करनी चाहिए।

महोदय, मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि जनश्री बीमा योजना के माध्यम से बहुत से मजदूरों को फायदा पहुंचाया गया है। मुझे नहीं लगता कि आज तक इससे एक परसेंट मजदूरों को फायदा हुआ होगा। जो श्रम कानून बने हैं उनमें असंगठित क्षेत्र का मजदूर किसी भी हालत में शामिल नहीं हो रहा है। उनका बहुत तेजी से भयंकर शोषण हो रहा है। हम कहते हैं कि उनको न्यूनतम मजदूरी देने का काम हो रहा है। मैं अकेले रोजगार गारंटी योजना के बारे में बताना चाहता हूं कि मेरे जिले में यह योजना चल रही है और उसमें जो मजदूर मिट्टी खोदने का काम करता है और सिर पर लाद कर मेड़ में फेंकता है, उसकी दिन भर की मजदूरी 30 से 32 रुपये से ज्यादा नहीं बनती है। इसलिए ऐसे कानून बनाए जाने की जरूरत है जिससे उसका फायदा हो। खेती के क्षेत्र में जो मजदूर काम करता है और अनाज पैदा करता है लेकिन भूखा सोता है, तो जूता बनाने का काम करता है, वह जीवन भर नगे पैर रहता है, जो कपड़ा बनाने के क्षेत्र में काम करता है, वह हमेशा नंगे बदन रहता है। जो जिस क्षेत्र में काम करता है, वह उतना ही परेशान है जो मकान बनाता है, वह हमेशा आसमान के नीचे सोता है।

[श्री गणेश सिंह]

यहां ऑस्कर फर्नान्डीज साहब बैठे हैं। उनके सहयोगी एक मंत्री श्री राम विलास पासवान जी हैं। वह कहते थे कि दो तल्ले तक मकान बनाने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी लेकिन जो आदमी तीसरा और चौथा तल का मकान बनाए, उसे परमिशन इस शर्त पर दी जाए और ऐसा कानून बनाया जाएगा कि एक मंजिल में मजदूर रहेगा और बाकी में मालिक रहेगा। ऐसे विचार आए थे। क्या ऐसे विचारों को आप कानून का रूप नहीं दे सकते हैं? क्या इनकी जरूरत नहीं है? जो देश को बनाने का काम करता है वह सबसे ज्यादा पीड़ित है। मेरे राज्य की सरकार ने एक योजना चालू की है। उसमें हमने अपने क्षेत्र के मजदूरों को शामिल कराया है। श्रम कार्यालय में पांच रुपये का एक फार्म भरना होता है। उसके बाद 50 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक की गारंटी बीमे के माध्यम से हो रही है। अगर दुर्घटना होने पर, वह घायल हो जाए और काम करने लायक न रहे, तो उसके परिवार को मदद पहुंचाने का काम होगा। इस तरह के कानून बनने चाहिए। बड़ी संख्या में मजदूर बड़े-बड़े कारखानों में काम करते हैं। वे ठेके के रूप में जाने जाते हैं। उनका जीपीएफ नहीं होता है। दुर्घटना होने पर कोई मतलब नहीं रहता है। मैं जानना चाहता हूं कि जो श्रमिक स्किल्ड लेबर का काम करता है, उसे न्यूनतम मजदूरी भी क्यों नहीं मिलती है? क्या इस तरह का शोषण उसके साथ होता रहेगा? बड़े-बड़े आन्दोलन और प्रदर्शन दूसरे क्षेत्रों में होते हैं लेकिन इस क्षेत्र के मजदूरों की बड़ी दुर्दशा है। बड़ी संख्या में बीड़ी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को कैंसर की बीमारी हो रही है जिससे हजारों मजदूरों की मृत्यु हो जाती है लेकिन आप उनको कोई मदद पहुंचाने का काम नहीं कर पा रहे हैं। समाज का बहुत बड़ा हिस्सा इसके साथ है। भारत सरकार की तरफ से उनको मदद देकर और एक ठोस कारगर नीति बना कर शामिल करना चाहिए।

माननीय श्रम मंत्री जी ने राज्य सभा में एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर दिया था कि असंगठित क्षेत्र कामगार विधेयक 2004 को अधिनियमित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है लेकिन इसमें कितना समय लगेगा, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। इतने बड़े वर्ग के साथ क्या इतने हल्के ढंग से बात की जाएगी? भारत सरकार कहती है कि हम भारत निर्माण करेंगे। क्या भारत निर्माण करते समय मजदूरों की याद नहीं आएगी? क्या इन मजदूरों का भारत निर्माण में कोई हिस्सा नहीं होगा? भारत निर्माण कभी नहीं हो सकता अगर इन मजदूरों को अलग कर दिया जाएगा। यही मजदूर भारत का निर्माण करेंगे। मजदूर शुरू से भारत निर्माण करते रहे हैं। आजादी का इतना लंबा समय बीत चुका है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें गम्भीर हो। इस चर्चा के बाद कोई ठोस नीति बनायी जाए। आपने बोलने का जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा): महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर यह अहम चर्चा प्रारंभ करने के लिए श्री डी.पी. यादव जी को धन्यवाद देती हूं।

पिछले दो दशकों में देश द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति ने वस्तुत: संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को कम कर दिया है। इसने वस्तुत: असंगठित श्रम बल और यहां तक कि संगठित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी ठेका श्रमिकों का मार्ग प्रशस्त किया है। हम अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के इस सबसे दुखद तत्व पर चर्चा करना चाहेंगे। यह है सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, मातृत्व लाभ, परिवार लाभ, भविष्य निधि लाभ और ऐसी अन्य सुविधाओं जैसे मकान, पेयजल और स्वच्छता का अभाव। ये सुविधाएं श्रमिकों को प्रदान नहीं की जा रही हैं।

यूपीए सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में आश्वासन दिया था कि वह देश के श्रमिकों का कल्याण और उनकी देखभाल करेगी। सरकार द्वारा एनआरईजी अधिनियम लाने के लिए उठाये गये विधायी कदमों के अतिरिक्त, जिसे अभी संपूर्ण देश में लागू नहीं हुआ है, हमारे श्रमिकों की समस्याओं के समाधान हेतु कोई समुचित प्रयास नहीं किया गया है। हमारा कार्यबल जैसे-तैसे किसी न किसी रूप में दरिद्र हालत में अपनी जीविका चलाने के लिए मजबूर है।

वस्तुत: सामाजिक परिदृश्य में देश के असंगठित क्षेत्र की अवहेलना की जा रही है और इसने अभी तक संबंधित मंत्रालय का ध्यान आकर्षित नहीं किया है। यह एक माना हुआ तथ्य है कि असंगठित श्रम क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में काफी सहयोग दे रहा है। लेकिन फिर भी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को देश में प्रचलित कानूनों का लाभ नहीं मिल रहा है। वस्तुत: कर्मचारियों के कार्यबल का कृषि क्षेत्र में जमीदारों और अन्य क्षेत्रों में अरबपतियों द्वारा शोषण किया जा रहा है।

महोदय, महिलाएं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक अहम हिस्सा है। कई व्यवसायों में पारिवारिक श्रमिकों को लगाया जाता है। गृह आधारित व्यवसायों में संपूर्ण परिवार के सदस्यों को काम पर लगाया जाता है। यद्यपि, बाल श्रम पर प्रतिबंध है तथापि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में देश के असंगठित श्रम बल में बच्चे भी शामिल हैं, जिसको अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है।

असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की कार्यस्थिति अत्यधिक दयनीय है। गृह आधारित श्रमिक विशेषकर बीड़ी और अगरबत्ती उद्योग और हथकरघा, मोमबत्ती निर्माण इत्यादि से संबंधित श्रमिकों की आय काफी कम है।

इनके बचाव हेतु कोई सामाजिक सुरक्षा उपाय नहीं है। श्रमिकों पर लागू होने वाले श्रमिक कानूनों का सामान्यत: उल्लंघन किया जाता है। यह एक माना हुआ तथ्य है कि मछली छीलने, नारियल जटा, काजू और हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों में मुख्यतया महिलाओं की है। मेरे राज्य में, विशेषकर युवा महिलाओं को इस कार्य में लगाया जाता है। मछली छीलने के मामले में इन्हें घंटों बर्फ और पानी पर खड़े रहना होता है। इन्हें न्यूनतम मजदूरी भी प्राप्त नहीं होती है। इनके कार्य की प्रकृति के कारण थोड़े समय में ही इनके लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

सायं 7.59 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

इस अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण विषय यह आया कि संघ सरकार ने वर्तमान विधान में संशोधन करके महिलाओं को रात में कार्य करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। इस प्रस्ताव को अभी पूरी तरह अपनाया नहीं गया है। इसे महिला श्रमिकों के लिए वैकल्पिक किया जाना चाहिए न कि अनिवार्य। रात में महिलाओं का कार्य करना उनके लिए आवास तक परिवहन सुविधा, रात्रिकालीन बालगृह और महिला श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अन्य उपायों सहित होना चाहिए। असंगठित क्षेत्र, विशेषकर महिलाओं की सेवा और संरक्षण के लिए समयबद्ध ढंग से एक व्यापक विधान लाया जाना चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि ऐसा विधान लाएं ताकि हमारे प्रमुख कार्य बल की आजीविका के साधनों को संरक्षित किया जा सके।

रात्रि 8.00 बजे

***श्री एस.के. खारवेनथन** (पलानी): माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, देश में असंगठित श्रमिकों की स्थिति पर इस चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान करने हेतु मैं अध्यक्षपीठ का धन्यवाद करता हूं। मैं इस प्रस्ताव के प्रस्तुकर्त्ता इस सम्मानित सभा के वरिष्ठ सदस्य श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव को इस जटिल मामले पर चर्चा प्रारंभ करने के लिए भी धन्यवाद करता हूं।

इस देश में 39.7 करोड़ श्रमिक और कर्मी हैं। इनमें से केवल 2.8 करोड़ लोगों के पास नियमित रोजगार है। अन्य सभी या तो दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले या अस्थायी श्रमिक या पूर्णत: अस्थायी प्रकृति के कार्यों में लगे श्रमिक हैं। असंगठित क्षेत्र में इन श्रमिकों में से 23.7 करोड़ कृषि श्रमिक हैं। अकेले निर्माण उद्योग क्षेत्र में 1.7 करोड़ अस्थायी श्रमिक असंगठित श्रमिक हैं। भवन निर्माण श्रमिकों और इनके परिवारजनों की स्थिति दयनीय है। इनके रोजगार की गारंटी नहीं है। इनके पास किसी प्रकर की कोई सुरक्षा नहीं है। इनको बीमा या स्वास्थ्य सुरक्षा भी उपलब्ध नहीं है। ये हर सुबह स्वयं काम की तलाश में निकलते हैं और उसी प्रकार हर गली कूचे में खड़े मिलते हैं। भवन के ठेकेदारों की आवश्यकतानुसार 30 या 40 श्रमिकों को कार्य दिया जाता है। जब भी निर्माण गतिविधियों के साथ इमारती सामग्रियों जैसे सीमेंट और लोहे के मूल्य में वृद्धि होती है तो भवन निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के कार्य अवसर भी प्रभावित होते हैं। इन्हें बिना काम और भोजन के रह जाते हैं। भारी वर्षा इनकी जीविका और जीवन की आशा को धो डालती है। ये ऊंची इमारतों और बड़े बहुमंजिला निर्माण खड़े करने के लिए कठिन श्रम करते हैं, परन्तु इनके जीवनयापन की स्थितियां, इनकी कार्यस्थितियां गर्त में चलती जाती हैं।

भवन निर्माण कर्मी गगनचुंबी इमारतों के निर्माण कार्य हेतु विस्थापित, प्रभावी श्रमिक बनकर एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहते हैं। परन्तु ज्यादातर आकाश ही इनकी छत होती है। ये शहरों और नगरों में प्लेटफार्म पर अपना जीवन बिताते हैं। हाल ही में, मुम्बई में इनमें से कई के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि ये सड़कों पर चलने वाले खतरनाक ट्रैफिक से सुरक्षित नहीं हैं। अगरबत्ती, अप्वलम विनिर्माण इकाइयां, काष्ठकारों, लोहारों, कुम्हारों के काम से संबधित इकाइयां पुरुषों और महिलाओं को अनियत मजदूरी के रूप में काम दे रही हैं। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और रोजगार सुरक्षा के बिना वे रोजगार संबंधी जोखिमों का सामना कर रहे हैं। उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। असंगठित क्षेत्र में सभी मजदूरों को नियमित नौकरी, निर्धारित वेतन, स्वास्थ्य देखभाल, बीमा सुरक्षा और प्रसूति तथा पितृत्व अवकाश दिया जाना चाहिए। एन.आर.ई.जी.पी. ही एकमात्र ऐसी बड़ी योजना है जो देश के विभिन्न भागों में हमारे मजदूर वर्ग के लिए आशा की किरण जगाती है। स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण रोजगार योजना जैसी केन्द्रीय योजनाएं शुरू नहीं हो सकी और गरीबों की सहायता नहीं कर सकी। यूपीए सरकार की सम्पूर्ण ग्राम रोजगार योजना के तहत भी अभावग्रस्त जनता को उपयुक्त ढंग से शामिल नहीं किया गया। डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व और हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के मार्गनिर्देशन में यूपीए असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूरों को अधिक राहत पहुंचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए व्यवहार्य योजनाएं तैयार की जानी चाहिए और कल्याण बोर्ड स्थापित किये जाने चाहिए। केरल और तमिलनाडु में जो मजदूर जीविकोपार्जन हेतु पेड़ो पर चढ़ते हैं। उनके लिए कल्याण बोर्ड है और सामाजिक सुरक्षा उपाय किये गये हैं। प्रत्येक राज्य सरकार को असंगठित क्षेत्र के विभिन्न

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री एस.के. खारवेनथन]

क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वे उन मजदूरों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करे जो एक साथ मिलकर संगठित मजदूरों का समूह बना सकें। हमारे श्रम मंत्री श्री ऑस्कर फर्नांडीस जी ने स्वयं असंगठित मजदूरों की दुख तकलीफ को महसूस किया है। मैं यह आशा करता हूं कि वे असंगठित क्षेत्र में सभी मजदूर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए एक ऐसा उचित कानून लाएंगे जो स्वतंत्रता क्रान्ति के पश्चात् अभी तक नहीं बनाया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए।

माननीय सदस्यगण, 8 बज चुके हैं और अभी दो और सदस्यों ने इस विषय पर बोलना है। यदि सभा सहमत हो, तो माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के साथ चर्चा के पूरे होने तक इस सभा का समय बढ़ाया जा सकता है। तत्पश्चात् हम 'शून्य काल' प्रारंभ करेंगे।

अनेक माननीय सदस्य: ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री ए.वी. बेल्लारमिन बोलेंगे।

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल): महोदय, यह गंभीर चिंता का विषय है कि गत पचास वर्षों में की गई आयोजना से समाज के दलित और असंगठित वर्गों के उत्थान के मामले में वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं।

अभी भी महोदया मैं शिशु मृत्युदर काफी अधिक है तथा गरीबी, वंचित अभाव, कुपोषण और यहां तक की भुखमरी से होने वाली मौतें आम घटनाएं हैं।

राज्यों द्वारा जन स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं समाप्त करने के कारण गरीब लोग पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल यदि वह निवारक हो अथवा आवश्यक हो का लाभ उठाने से वंचित हो रहे हैं। निजी चिकित्सक इसका लाभ उठा रहे हैं और गरीबों की उन तक पहुंच नहीं है।

दरिद्रता का एक अन्य महत्वपूर्ण काम बेरोजगारी है। मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण विनिर्माण सामग्री जैसे सीमेंट और 'जैली' के मूल्यों में वृद्धि हुई हैं तथा काम की कमी के कारण निर्माण कार्य करने वाले मजदूर सड़कों पर आ गए हैं और बिना काम के यहां वहां घूम रहे हैं। शहरों में बेरोजगारी संगठित मजदूर का असंगठित मजदूरों में परिवर्तित कर देती है। सुधार के बाद के परिदृश्य में हुए और औद्योगिक विकास जिसकी हर तरफ प्रशंसा की गई है से भी संगठित क्षेत्र में रोजगार के अपेक्षित अवसर सृजित नहीं हो पाए हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि देश में 95 प्रतिशत कामगार अर्थात कुल जनसंख्या के 36 प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र से हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह के अवसर पर सहायता और राहत प्रदान करने तथा वृद्धावस्था के लिए पेंशन विभिन्न उपाय किये हैं, विभिन्न विधान लागू किये हैं तथा कल्याण बोर्डों की स्थापना की है। परन्तु उनकी समस्या का उचित ढंग से समाधान नहीं हो पाया है।

अत: सतत जीविकोपार्जन, रोजगार गारन्टी स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सेवानिवृत्ति पर अथवा असहाय होने पर पेंशन की गारन्टी देने वाले प्रावधान करने के लिए केन्द्रीय विधान बनाया जाना चाहिए। अत: सरकार से अनुरोध है कि वह असंगठित मजदूरों के न केवल आर्थिक उत्थान बल्कि उन्हें समाज और सामाजिक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य को ध्यान मे रख कर एक विधान बनाएं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं इस सम्माननीय सभा के माननीय सदस्यों विशेषकर श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने चर्चा के लिए इतना महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। हाल ही में मुझे उनके साथ रिक्शा चलाने वालों को सम्बोधित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो माननीय सदस्य द्वारा सम्माननीय सभा में उठाये गये इस मुद्दे के संबंध में आंदोलन कर रहे थे और हमें उन्होंने इसे संबंध में ज्ञापन भी दिया। उन्होंने असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया है। असंगठित क्षेत्र में भारी संख्या में मजदूर कार्य कर रहे हैं। आन्दोलन में भाग लेने वाले लोग पूर्वांचल से हैं।

मैं चर्चा के दौरान दिये गये कुछ अत्यंत उपयोगी सुझावों के लिए धन्यवाद करता हूं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हित में नीतियां बनाते समय इनमें से प्रत्येक सुझाव पर विचार करने का प्रयास करूंगा। मैं इस सभा को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के समक्ष आ रही समस्याओं पर अत्यंत चिंतित हैं। सरकार समाज में इस असुरक्षित वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति भी जागरूक है।

महोदय, आजादी के बाद से ही भारत में सामाजिक आर्थिक विकास निर्धनतम वर्ग को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित रहा है। उन्होंने जो कहा था वो मैं यह उद्धरित कर रहा हूं:

"मैं ऐसे भारत के लिए कार्य करूंगा जहां गरीब से गरीब व्यक्ति यह महसूस करे कि यह देश और राष्ट्र उसका है। मैं जिस स्वराज का स्वप्न देखता हूं वह गरीब का स्वराज है और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि स्वराज का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं हो सकता। जब तक गरीबों को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करने की गारन्टी नहीं दी जाती।"

15 अगस्त में दिये अपने भाषण में प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह ने गांधी जी का उद्धरण देते हुए यह कहा था कि "जब तक देश मे बेरोजगारी व्याप्त रहेगी तब तक हम यह दावा नहीं कर सकते कि हम वास्तव में स्वतंत्र हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही राष्ट्र के समक्ष 'गरीबी हटाओ' का लक्ष्य रखा था। आज, यदि हमें गरीबी हटानी हैं तो हमें देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसके तहत रोजगार की गारंटी देने का प्रयास किया गया है, प्रशंसनीय प्रगति कर रहा है। जैसाकि आप सभी जानते हैं कि यह अधिनियम प्रत्येक घर, जहां के वयस्क सदस्य अकुशल हस्तचालित कार्य करने के लिए तैयार हैं, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी प्रदान करता है।

मैं श्री अजय चक्रवर्ती के इस तर्क से सहमत हूं कि यह लोगों की रोजगार के अवसर दिये जाएंगे और सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी तो अपराध की घटनाएं कम होंगी। हम देख रहे हैं कि अपराध बढ़ गया है और अपराध को नियंत्रित करने का एकमात्र रास्ता रोजगार प्रदान करना है इससे गरीबी भी समाप्त होगी। उपर्युक्त उल्लिखित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नौकरी के ऐसे अवसर प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।

श्री थारवचन्द गेहलोत, श्री मधुसूदन मिस्त्री और चौधरी लाल सिंह ने न्यूनतम वेतन मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में एक संगत मुद्दा उठाया है। उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है परन्तु इस अधिनियम को लागू नहीं किया गया है। मैं इस सम्माननीय सभा को यह बताना चाहूंगा कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र सरकार ने चर्चा, पत्रों, व्यक्तिगत बातचीत और पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्यों के दौरों के माध्यम से अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए काफी प्रयास किया है। हम भविष्य में भी इस दिशा में प्रयत्नशील रहेंगे।

श्री मिस्त्री ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कार्यान्वयन को समय-समय पर रोकने हेतु जारी अधिसूचना की ओर भी सभा का ध्यान आकर्षित किया है। इसका अर्थ यह है कि हमने जिस अधिनियम के बारे में बताया है उसे लागू नहीं किया गया है। हम इस मुद्दे पर राज्य सरकारों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे।

डा. देवेन्द्र प्रसाद यादव और श्री मधुसूदन मिस्त्री सहित कुछ माननीय सदस्यों ने यह उल्लेख किया है कि अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम का प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। यहां मैं पुन: यह बताना चाहूंगा कि इस केन्द्रीय अधिनियम, जो प्रवासी मजदूरों को पंजीकृत करता है और कुछ सुविधाएं प्रदान करता है, के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। इस संदर्भ में भी हम राज्य सरकारों का ध्यान माननीय संसद सदस्यों की चिंताओं की ओर आकृष्ट करेंगे। माननीय संसद सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर चिंता व्यक्त की गई थी।

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने ठीक ही कहा कि असंगठित क्षेत्र में महिलाओं का एक बड़ा भाग है तथा असंगठित क्षेत्र के कल्याण के किसी भी प्रस्ताव में उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। हम ऐसी योजनाओं को तैयार करते समय इसे ध्यान में रखेंगे। बाल मजदूरों के कल्याण के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई थी। हम उन्हें विशेष विद्यालयों में भेज कर तथा तदन्तर शिक्षा दे कर इस क्षेत्र में पूरे प्रयास कर रहे हैं। इस सरकार का प्रयास रहा है कि बाल मजदूरी को समाप्त करने की दिशा में अधिक से अधिक कार्य किया जाए। घरेलू तथा होटल एवं ढाबा जैसे आतिथ्यकर्म क्षेत्र में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाने वाली हालिया अधिसूचना इस दिशा में एक कदम है।

बाल मजदूरों के लिए विशेष शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। हमारा ऐसा मानना है कि बाल मजदूरी की स्थिति गरीबी के कारण उत्पन्न होती है जिसका कारण बेरोजगारी है। आश्रित परिवारों को समर्थ बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता से एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा जी ने दक्षता प्रमाण देने का मुद्दा उठाया था। हमारे पास राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् है जो प्रमाण पत्र जारी करने वाले निकाय के रूप में कार्य करती है। इस परिषद द्वारा जारी दक्षता संबंधी प्रमाण पत्र को दुनिया भर में मान्यता मिली हुई है। मैं सभा को यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि 200 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का पहले ही विश्व स्तर की संस्थाओं के समान उन्नयन किया जा चुका है तथा अन्य 300 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन की योजना बना ली गई है। हमारा प्रयास तकनीकी रूप से योग्य लोगों तथा अकुशल कामगारों को बेहतर दक्षता प्रदान करना है। ताकि वे देश के भीतर अथवा विदेश में, बेहतर मजदूरी अर्जित कर सकें। जब वे देश के

[श्री ऑस्कर फर्नांडीस]

बाहर जाते हैं और यदि उनके पास प्रमाण पत्र होता है तो उन्हें तत्काल मान्यता मिलती है।

मैंने दिल्ली नगर निगम द्वारा साइकिल रिक्शा पर प्रतिबंध के संबंध में श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी द्वारा उठाये गये मुद्दे का पूर्व में उल्लेख किया था। यह मुद्दा दिल्ली राज्य से संबंधित है। हमने नगर निगम से विस्तृत जानकारी मांगी थी। नगर निगम ने उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका के हलफनामे में रिक्शा चालकों की बेहतरी के लिए नई साइकिल रिक्शा नीति तैयार करने एवं नगर निगम के क्षेत्राधिकार में साईकिल रिक्शा चालने के उचित विनियमन को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव किया है। इस हलफनामे के माध्यम से न्यायालय को भी सूचित किया गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति के निर्णय के अुसरण में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि दिल्ली नगर निगम में दिल्ली की सभी मुख्य सड़कों पर साइकिल रिक्शा चलाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। स्पष्टत: यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ऐसा किया गया था। तथापि, हम दिल्ली सरकार के साथ इस मुद्दे को उठायेंगे तथा उन पर साइकिल रिक्शा चालकों के हितों की रक्षा किये जाने की आवश्यकता के लिए दबाव बनाएंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार जी ने देश से बाहर काम कर रहे कामगारों से संबंधित समस्याओं की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट किया था। ऐसा नहीं है कि हम केवल देश के भीतर कार्यरत कामगारों की ही समस्याओं के प्रति चिंतित है। यह मुद्दा पर प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री द्वारा कार्यवाही की जा रही है। देश के बाहर जाने और काम करने वाले हमारे गरीब कामगारों के बारे में इस मुद्दे को सभा में उठाया गया है। मैं इस मुद्दे को प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के अपने सहयोगी के साथ उठाऊंगा।

श्री चौधरी लाल सिंह जी ने जम्मू-कश्मीर राज्य में तीर्थ यात्रियों के परिवहन में लगे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में उल्लेख किया था। चूंकि यह मुद्दा राज्य सरकार से संबंधित है इसलिए इस संबंधित राज्य सरकार से माननीय संसद सदस्य द्वारा उठाये गये इस मुद्दे की जांच करने के लिए अलग से अनुरोध करेंगे।

श्री मदुसूदन मिस्त्री जी, श्री शैलेन्द्र कुमार जी एवं श्री सुरेश प्रभु जी ने भवन निर्माण से जुड़े कामगारों के समक्ष आ रही समस्याओं का मुद्दा उठाया था। भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 में ऐसे मुद्दों के समाधान की व्यवस्था है। संबंधित राज्यों द्वारा इस अधिनियम को लागू किया जाना है। मैं स्वीकार करता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा नियमित आधार पर पत्रों एवं क्षेत्रीय समीक्षा के माध्यम से किये गये प्रयासों के बावजूद इसका कार्यान्वयन धीमा रहा है। हम राज्य सरकारों के साथ लगातार इस मामले को उठाते रहेंगे।

जहां तक असंगठित क्षेत्र में कामगारों के कल्याण हेतु विद्यमान योजनाओं का संबंध है, मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि सरकार बीड़ी मजदूरों, चूना पत्थर डोलोमाइट खान मजदूरों, लौह अयस्क, क्रोम अयस्क एवं मैंगनीज अयस्क खान मजदूरों, अभ्रक खान मजदूरों एवं सिनेमा से जुड़े मजदूरों के लिए पांच कल्याण निधियां चला रही हैं। मैं इसे स्वीकार करता हूं, जैसाकि श्री शैलेन्द्र कुमार एवं अन्य माननीय संसद सदस्यों ने बताया है कि अब तक केवल 45 मिलियन कामगारों को इनमें शामिल किया गया है। असंगठित क्षेत्र के कुल कामगारों की संख्या को देखते हुए यह संख्या काफी कम है। गरीबी को समाप्त करने के प्रयास के अतिरिक्त श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा ग्रामीण मजदूरों से जुड़े मुद्दों के समाधान की आवश्यकता महसूस की गई थी क्योंकि 20 सूत्रीय कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाया गया था। वर्तमान सरकार ने भी राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से अपना इरादा जताया है। मैं राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम से उद्धृत कर रहा हूं:

> "यूपीए सरकार सभी कामगारों विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगार जो हमारे कार्यबल का 93 प्रतिशत भाग है, का कल्याण एवं हित सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बुनकरों, हस्तकरघा मजदूरों, मत्स्य पालन से जुड़े पुरुष एवं महिला मजदूरों, ताड़ी उतारने वाले, चमड़े का कार्य करने वाले मजदूरों, बागवानी करने वाले मजदूरों और बीड़ी मजदूरों इत्यादि जैसे मजदूरों का सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा एवं अन्य योजनाओं की सुविधाएं दी जाएगी।"

मैं श्री सन्दीप दीक्षित का आभारी हूं कि उन्होंने असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र की भिन्न आवश्यकताओं की ओर इस सभा का ध्यान आकृष्ट किया है। मुझे यह भी विश्वास है कि कुछ न्यूनतम साझा आवश्यकता से परे हमारा दृष्टिकोण क्षेत्र विशेष के लिए होगा क्योंकि हम असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक मजदूर को एक साथ नही ले सकते हैं। यदि हमें इस समस्या का समाधान ढूंढ़ना है तो हमारा दृष्टिकोण क्षेत्रवार होना चाहिए।

श्री पी. राजेन्द्रन ने इस सभा को केरल राज्य में चल रही कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी दी थी। इस असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए नीतियां तैयार करते समय विभिन्न राज्यों में चल रही ऐसी सभी योजनाओं की जांच कर रहे हैं।

अब हम असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक व्यापक केन्द्रीय कानून लाने का प्रयास कर रहे है। इस संदर्भ में माननीय संसद सदस्यों विशेषकर, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, श्री सुरेश प्रभु, श्री थावरचन्द गेहलोत, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री राम कृपाल यादव, श्रीमती अर्चना नायक, श्री अजय चक्रवर्ती, श्री पी. राजेन्द्रन, श्री सन्दीप दीक्षित, प्रो. एम. रामदास, डा. सत्यनारायण जटिया जो पहले बोल चुके हैं तथा श्री सुजान चक्रवर्ती, श्री नरहरि महतो, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री वीरेन्द्र कुमार, बालासाहेब विखे पाटील, श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई, श्री एम. शिवन्ना, श्री पी. करुणाकरन, श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश, श्री एल. गणेशन, श्रीमती पी. सतीदेवी, श्री एस.के. खारवेनथन, श्री ए.वी. बेल्लारमिन इत्यादि जो आज बोले हैं, द्वारा दिये गये सुझाव कानून एवं योजनाओं पर अंतिम रूप से विचार करने के दौरान उपयोगी होंगे। *...(व्यवधान)* तथापि, मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हम अंतिम निर्णय लेने से पूर्व चर्चा के दौरान माननीय संसद सदस्यों द्वारा दिये गये प्रत्येक सुझाव पर विचार करेंगे। बहरहाल, संसद में विधेयक पुर:स्थापित किये जाने पर जिसके लिए मैं निकट भविष्य में ही प्रयास करूंगा, माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा।

डा. सुजान चक्रवर्ती: विधेयक कब पुर:स्थापित किया जाएगा?

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: मेरा प्रयास इसे संसद के आगामी सत्र में लाने का होगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, सबसे पहले मैं श्रम मंत्री श्री आस्कर फर्नांडीज के प्रति आभार प्रकट करता हूं। देश भर में असंगठित क्षेत्र के 37 करोड़ असंगठित मजदूर, 22 करोड़ खेतिहर मजदूर और जो अन्य असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनके संबंध में इतने महत्वपूर्ण विषय पर सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया।

मंत्री जी ने जिस दर्द और भावना से आज सदन को आश्वस्त किया है, इसके लिए मैं निश्चित रूप से मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जब 10, 11 तारीख को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर पूर्वांचल के लाखों असंगठित मजदूरों का प्रदर्शन, संसद मार्च हो रहा था, तब मंत्री जी ने स्वयं प्रदर्शन स्थल पर जाकर ज्ञापन लेने का काम किया। यह निश्चित रूप से यूपीए सरकार के कमिटमैंट और समर्पण को प्रदर्शित करता है। इसके लिए भी मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं एक बात जरूर उठाना चाहता हूं। यूपीए सरकार के न्यूनतम कार्यक्रम में स्पष्ट कहा गया है-

[अनुवाद]

यूपीए सरकार सभी श्रमिकों विशेषकर असंगठित क्षेत्र में, जो हमारे कार्यबल का 93 प्रतिशत है, के कल्याण और खुशहाली के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बुनकरों, हथकरघा श्रमिकों, मछली पकड़ने वालों, ताड़ निकालने वाले श्रमिकों, चमड़ा श्रमिकों, पौधारोपण श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों इत्यादि को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और अन्य योजनाओं के लाभ प्रदान किये जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: आप अभी भाषण नहीं दे सकते।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: यादव जी, आप सिर्फ क्लैरीफिकेशन ले सकते हैं क्योंकि इसमें स्पीच नहीं होती।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सरकार का कामन मिनिमम प्रोग्राम का जो कमिटमैंट है, इस सरकार को ढाई साल हो गए हैं। *...(व्यवधान)* मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। *...(व्यवधान)* मैं सिर्फ क्लैरीफिकेशन पूछ रहा है। *...(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि इसके बारे में कोई समय सीमा निर्धारित हो। ठीक है, मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि अगले सत्र तक इस बारे में बिल लाएंगे। अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट जो अनआर्गनाइज्ड सैक्टर के बारे में है, वह 16 मई, 2006 को माननीय प्रधान मंत्री जी को समर्पित हुई है। उस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का अनुपालन नहीं हो पाया है। लेबर कमीशन आन लेबर, 2002, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, भारत सरकार की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में जो अनुशंसा की गई और याचिका समिति में जो सिफारिश है, उसके आलोक में यह केन्द्रीय विधान है। मेरा कहना है कि केन्द्रीय विधान जल्द से जल्द लाया जाए। रिक्शा बंद करने के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली सरकार से इस बारे में विचार किया जाएगा। रिक्शा के प्रतिबंध के बारे मे एमसीडी ने गलत कानून बनाया है जिसके कारण कोर्ट भी उस पर इंटरफियर करती है। एमसीडी के कारण को खत्म किया जाए और नई रिक्शा नीति लागू करने की जो बात है, उसके बारे में समय सीमा के अंदर केन्द्रीय विधान लाया जाए। *...(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय विधान कब तक लाया जाएगा?

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): धन्यवाद, महोदय। मैं, केवल दो मिनट लूंगा। सर्वप्रथम, मैं माननीय मंत्री जी को इतना अच्छा उत्तर देने के लिए बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप स्पष्टीकरण ले सकते हैं। आप अभी भाषण नहीं दे सकते।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: यह केवल स्पष्टीकरण लेने के लिए ही है। वस्तुत: मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि माननीय मंत्री जी सभी संबंधित विभागों को श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लिखें, जहां लोगों को अस्थायी आधार पर रोजगार दिया जा रहा है, सभी श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। स्थिति के सुधार लाने हेतु इसके दीर्घगामी प्रभाव होंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे असंगठित क्षेत्र के सभी लोगों, जो किसी केन्द्रीय व्यापार संघ से संबद्ध नहीं है, को भारतीय श्रम सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलायेंगे।

स्थिति यह है कि यदि आप किसी केन्द्रीय व्यापार संघ से संबद्ध नहीं हैं, तो आपको भारतीय श्रम सम्मेलन में नहीं बुलाया जाता है। परिणामस्वरूप भारतीय श्रम सम्मेलन में असंगठित श्रमिकों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता। इसलिए, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा तंत्र विकसित कर सकेंगे, जिसके द्वारा असंगठित श्रम को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके और किसी केन्द्रीय व्यापार संघ से संबद्ध न होने पर भी उनकी आवाज सरकार तक पहुंचा सके।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: हम इस पहलू पर अवश्य ध्यान देंगे क्योंकि उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। इसलिए, यदि वे लोग वहां नहीं जा रहे हैं तो हम तक उनकी आवाज नहीं पहुंच सकती। मैं इस पहलू पर अवश्य ध्यान दूंगा। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी के माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना): यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए आप मुझे एक मिनट बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: जब बिल आयेगा तब आप इस पर बोल लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव: उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने नहीं दिया इसलिए हम इसके विरोध में सदन से बाहर जा रहे हैं।

रात्रि 8.29 बजे

(इस समय, श्री राम कृपाल यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

रात्रि 8.30 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

बत्तीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का बत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देश के कई हिस्सो में बड़ी तेज गति से जल स्तर नीचे जा रहा है जिसके कारण पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न होती जा रही है। मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य ऐसे हैं जहां इस वर्ष भयंकर सूखे की स्थिति है। इस कारण मध्य प्रदेश के कई जिलों में पेयजल का संकट गहराता जा रहा है। सूखाग्रस्त जिलों में बड़ी तेज गति से नदी, तालाब, कुएं, ट्यूबवैल सूख रहे हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र के सैंकड़ों गांवों के लोग काफी लम्बी दूरी से पीने का पानी लाने पर मजबूर हो रहे हैं। मैंने पूर्व में केन्द्र सरकार से मांग की थी कि मध्य प्रदेश के जिन 22 जिलों में सूखा है, वहां केन्द्रीय अध्ययन दल भेजा जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक कोई भी अध्ययन दल वहां नहीं गया और न ही केन्द्र सरकार ने इस पर गंभीरता दिखाई। केन्द्र सरकार के सहयोग से सतना जिले के मझगवां प्लांट में 18 जल संकट वाले गांवों को पीने का पानी देने के लिए एक नल जल योजना का निर्माण हुआ था। लेकिन विगत कई वर्षों से वह योजना बंद पड़ी है, जिससे वे सभी गांव

गंभीर पेयजल संकट से घिरे हुए हैं। उस प्लांट की मरम्मत के लिए धनराशि की आवश्यकता है।

ऐसी स्थिति में मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि पेयजल समस्या को ध्यान में रखते हुए सतना जिले सहित मध्य प्रदेश के अन्य समस्याग्रस्त जिलों में तत्काल आर्थिक सहायता पहुंचायी जाये और पेयजल के गिरते संकट के स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस योजना बनायी जाये। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्य एक-एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

[अनुवाद]

श्री हरि राम जोगैया (नरसापुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से प्रथम प्रयास के रूप में मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के समक्ष हजारों परेशान नागरिकों से संबंधित एक अहम मामले को रखना चाहता हूं।

अभी तक कैंसर, हृदय और मस्तिष्क के रोगों जैसे असाध्य रोगों से पीड़ित उन पात्र निर्धन व्यक्तियों को प्रधानमंत्री राहत कोष से मानवीय आधार पर उदारतापूर्वक वित्तीय सहायता दी जा रही है जो सीधे या संबंधित संसद सदस्य के माध्यम से सहायता मांगते हैं और प्रधानमंत्री का यह सहृदय व्यवहार काफी प्रशंसनीय है।

महोदय, दुर्भाग्यवश प्रतिवर्ष ऐसे अनुमोदनों की सीमा को प्रत्येक सदस्य हेतु दस या बारह तक सीमित करने का निर्णय उन हजारों पीड़ितों की आशाओं पर आघात है, जो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

महोदय, अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, संपूर्ण देश में पुराने और असाध्य रोगों से प्रभावित लोगों की प्रतिशतता में काफी वृद्धि हुई है, मुख्यत: गरीब समुदायों में संभवत: कुपोषण और खराब जीवन स्तर के कारण। जहां तक आंध्र प्रदेश का संबंध है प्रति वर्ष प्रत्येक सदस्य द्वारा। औसतन 200 से अधिक ऐसे मामलों का संदर्भ दिया जाता है जहां राहत प्रदान की जानी चाहिए। प्रधान मंत्री राहत कोष के पास लंबित निवेदनों की बड़ी संख्या यह दर्शाती है कि स्थिति कितनी गंभीर है। इसलिए, आपके माध्यम से, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि अनुदान को पर्याप्त रूप में बढ़ाकर सभी पात्र व्यक्तियों को सहायता करें।

महोदय, अध्यक्षपीठ की अनुमति से मैं सरकार के विचारार्थ एक वैकल्पिक सुझाव रखना चाहूंगा। माननीय सदस्यों का साधारणत: यह मत है कि लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक सदस्य को जो दो करोड़ रुपये का अनुदान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अपर्याप्त है और इसे संशोधित किये जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, मैं सरकार से अपील करता हूं कि विकल्प के रूप में इस अनुदान को 50 लाख रु. से 1 करोड़ रुपये तक बढ़ाने पर विचार किया जाए और इस बढ़ी हुई धनराशि का प्रयोग सदस्यों द्वारा स्वयं जिला स्तर पर विशिष्टत: जरूरतमंदों को राहत प्रदान करने के लिए किया जाए ताकि पीड़ितों को शीघ्र और समय पर वांछित सहायता प्राप्त हो सके और इसके साथ केन्द्र पर भी कार्यभार कम हो।

महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को आंध्र प्रदेश से मेरे सब साथियों के मनोभावों के बारे में बताने के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहता हूं और यह अपील करता हूं कि इस मामले पर विचार किया जाए।

*"हम, संसद सदस्य उन सभी गरीब लोगों को, जो हृदय रोग, कैंसर आदि असाध्य बीमारियों, जिनका माननीय सदस्यों द्वारा बारम्बार उल्लेख किया गया है, से पीड़ित हैं, को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता प्रदान करने के मानवीय उदारवादी कार्य को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल करना चाहते हैं।

हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री राहत कोष के प्रशासनिक निकाय द्वारा ऐसे लाभभोगियों की संख्या को कम करने का निर्णय लिया गया था और तदनुसार प्रति वर्ष प्रति सदस्य दस मामलों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

माननीय प्रधान मंत्री इस तथ्य से अवगत है कि अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देशभर में असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों का प्रतिशत काफी बड़ा है और उसमें से अधिकांश दलित समुदायों से है जिसका कारण शायद कुपोषण और योजनीय जीवन निर्वाह परिस्थितियां हैं। जहां तक आंध्र प्रदेश का संबंध है, माननीय सदस्यों द्वारा प्रतिवर्ष अनुशंसित ऐसे मामलों की संख्या लगभग 200-250 हैं। हमें यह बताते हुए खेद हो रहा है कि 90 प्रतिशत पीड़ितों को वंचित करके अधिकतम सीमा निर्धारित करने का निर्णय जरूरतमंद गरीब लोगों के लिए अप्रत्यक्ष मौत के समान है क्योंकि जो भी राहत की मांग करता है वह मूलत: दैनिक मजदूर हैं जो अपने जीवन को बचाने के लिए भारी राशि व्यय नहीं कर सकता।

अत: हम माननीय प्रधान मंत्री जी से गंभीरतापूर्वक यह अनुरोध करते हैं कि वह इस निर्णय पर पुन:विचार करें और बढ़ती हुई

... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

मांग को पूरा करने के लिए अनुदान में पर्याप्त वृद्धि करके सभी जरूरतमंदों को राहत प्रदान करें। इसका एक और विकल्प यह है कि जरूरतमंदों के लिए तुरंत राहत बढ़ाने के लिए ऐसा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अनुदान को केवल इस उद्देश्य के लिए 50 लाख से 1 करोड़ तक बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है ताकि संबंधित संसद सदस्य कार्यान्वयन प्राधिकारी को प्रति मामला 25,000 रु. से 50,000 रु. तक का अनुदान समय समय पर भेजे गए योजना से संबंधित अन्य दिशानिर्देशों के अधीन दे सकें। मुझे विश्वास है कि यदि इस विकल्प को कार्यान्वित किया जाता है तो सभी जरूरतमंद गरीब लोगों की तकलीफें कम होंगी क्योंकि उन्हें राहत शीघ्र समय पर तथा जिला स्तर पर ही मिल जाएगी।*

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके ध्यान में रेलगाड़ियों में गन्तव्य स्थल संबंधी बोर्ड के संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा की गई गलतियों संबंधी मुद्दा ला रहा हूं। इन बोर्डों पर केवल अंग्रेजी और हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जाता है परन्तु जहां तक कन्नड़ और तमिल भाषाओं का संबंध है, वे कन्नड़ भाषा को इन बोर्डों से हटाने का तथा तमिल भाषा को रखने का प्रयास कर रहे हैं।

रेलवे बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि रेलों में लगने वाले गन्तव्य बोर्डों में केवल हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ वर्णित/मुद्रित होना चाहिए। तथापि, तमिलनाडु राज्य में डिब्बा डिपुओं में प्राथमिक रखरखाव हेतु रेल बोर्डों में क्षेत्रीय भाषा में भी लिखा होना चाहिए अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी के साथ-साथ तमिल भाषा का भी प्रयोग किया जाए।

भारत सरकार ने 29.11.2006 को इस संबध में आदेश जारी किये थे। तदनुसार, दक्षिण पश्चिम रेलवे मैसूर के प्राधिकारियों ने रेलवे बोर्ड के 22.11.2006 के पत्र का अनुसरण करते हुए भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में एक सूचना भी जारी की है। इसे सूचना और आवश्यक आदेश हेतु सभी प्राथमिक रखरकाव रेलों में भेजा जा चुका है। इस आदेश को देखकर भारत सरकार की इस कार्यवाही पर कर्नाटक के वरिष्ठ विधान सभा सदस्य श्री वंटला नागराज और साहिनी श्री सच्चिदानन्द मूर्ति सहित कर्नाटक के लोगों और कन्नड़ संगठनम के विभिन्न संघों/संगठनों ने सरकार के आदेश के प्रति कड़ा विरोध जताया है।

इस संबंध में, कन्नड़ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, डा. सिद्धालिंगैया, श्री एस.आर. गोविंद, श्री प्रभाकर रेड्डी, श्री एसएस नेता श्री एन. मूर्ति हजारों लोगों के साथ राजभवन के सामने काले झंडे लेकर बैठे।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी क्या मांग है?

श्री मंजुनाथ कुन्नुर: महोदय, मैं 6 करोड़ कन्नड़ों के हित को ध्यान में रखते हुए उक्त सरकारी आदेश को वापस लेने की मांग करता हूं। यदि उक्त आदेश को 15 दिनों में वापस नहीं लिया गया, तो कर्नाटक के लोग इसके लिए राज्यव्यापी बंद करेंगे।

महोदय, हम संबंधित राज्यों के धर्म, जाति संप्रदाय, रीति-रिवाज और भाषा के प्रति सम्मान की भावना रखते हुए।

भारतीय संविधान की छत्रछाया में भारत में रह रहे हैं। सबके अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत संरक्षित हैं। जबकि इस मामले में भारत सरकार का आदेश भारतीय संविधान के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है।

ऐसे आदेश जिसमें कहा गया है, ''कन्नड़ हटाओ तमिल बचाओ'' को जारी किया जाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नाटक से हजारों लोग स्वर्ण जयंती एक्सप्रैस, थुथुकुडी एक्सप्रैस और मुम्बई शारवथी एक्सप्रैस में यात्रा करते हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश इन कन्नड़ वासियों की सहायता के लिए बोर्डों पर कन्नड़ भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है और यदि इन्होंने हिन्दी या अंग्रेजी नहीं पढ़ी है तो वे इन बोर्डों को कैसे पढ़ सकते हैं।

महोदय भारत सरकार ने तमिल को पौराणिक भाषा के रूप में मान्यता दी है परन्तु कन्नड़ को पौराणिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। यह सभी 6 करोड़ कन्नड़ लोगों के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब समाप्त करें।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर: हम इस वर्ष को कर्नाटक में 'स्वर्ण कर्नाटक' के रूप में मना रहे हैं। इसलिए, मैं सरकार से सविनय आग्रह करता हूं कि इस स्वर्ण कर्नाटक वर्ष में कन्नड़ को पौराणिक भाषा का दर्जा दें।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब समाप्त करें।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर: इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कन्नड़ लोगों के मनोभावों का सम्मान करते हुए रेलवे बोर्ड के आदेश को यथाशीघ्र वापस लें।

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत कुछ भी नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जी. करुणाकर रेड्डी (बेल्लारी): महोदय, मैं स्वयं को श्री मंजुनाथ कुन्नुर के साथ संबद्ध करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। श्री एम. शिवन्ना को भी श्री मंजुनाथ कुन्नुर द्वारा उठाये गये मामले के साथ संबद्ध किया जाता है।

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): महोदय बंगलौर भारत का सिलिकॉन शहर है। 150 से अधिक विधायकों ने केन्द्र से आग्रह किया है कि बंगलौर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का नाम कैम्प गौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाए। इससे पहले भी जनता दल (सेक्युलर) के प्रमुख और पूर्व प्रधान मंत्री, श्री एच.डी. देवेगौड़ा सहित कर्नाटक से अनेक नेताओं ने केन्द्र से आग्रह किया है कि कैम्प गौड़ा की एक मूर्ति संसद के परिसर में स्थापित की जाए। बंगलौर में कैम्प गौड़ा के अनेक स्मारक बुरी हालत में हैं और पर्यटन मंत्रालय ने इस संबंध में कुछ नहीं किया है। मैं यह काफी दुख के साथ बता रहा हूं। कैम्प गौड़ा बंगलौर के संस्थापक हैं। उनका बेंदकालुरु ही आज का बंगलौर है, जो हाल ही में बंगलुरु बन गया है। उनकी गर्भवती युवा बहु ने आंधी रात को बांध में छलांग लगाई और बांध तथा आसपास के सभी गांवों को बचाया।

अब 7 करोड़ कन्नड़ 1.11.1956 को संयुक्त कर्नाटक के अस्तित्व में आने के सुनहरे पलों की स्मृति में 'स्वर्ण कर्नाटक' मना रहे हैं। यह कैम्प गौड़ा के लिए शानदार श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने बंगलौर मगडी और इसके समीपीय क्षेत्रों के निर्माण और विकास हेतु अपने परिवार का बलिदान दिया। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस सभा में यथाशीघ्र घोषणा करें और बंगलौर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को कैम्प गौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करें।

श्री सर्बानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि आप जानते हैं 21 वर्ष पहले भारत सरकार ने असम के लोगों से वादा किया था कि वे डिब्रुगढ़ जिले में गैस क्रैकर परियोजना की स्थापना करेंगे जिसमें असम के तेल क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जायेगा। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने अन्य भागीदारों अर्थात् ऑयल इंडिया, एनआरएल और असम सरकार के साथ यह प्रमुख जिम्मेदारी गेल को सौंपते हुए परियोजना को गत वर्ष 18 अप्रैल को मंजूरी दी थी परंतु अभी तक इस संबंध में कुछ नहीं हुआ है। परंतु, महोदय, मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। जिसके परिणामस्वरूप वास्तव में कोई कार्य नहीं हुआ है।

स्वतंत्रता के बाद से ही असम में किसी उद्योग की स्थापना नहीं की गई है। यह एक ऐसी इकाई है जिसके माध्यम से असम के साथ-साथ पूरे क्षेत्र के विकास हेतु औद्योगिकीकरण संभव हैं। हमारी यह वैध मांग है कि इस एक परियोजना की तुरंत स्थापना की जाए। इस परियोजना को शुरू करने के लिए भारत सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। अब राज्य में यह चर्चा हो रही है कि फीडस्टाक का मूल्य निर्धारित न करने के कारण अभी तक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। मेरा यह अनुरोध है तथा भारत सरकार से मेरी यह मांग है कि वह अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार डिब्रुगढ़ जिले के लेपटकाटा में तुरंत इस परियोजना का कार्यान्वयन करें। गेल प्राधिकारियों को लेपटकाटा भूमि सौंपने से पहले विशिष्ट मुआवजे और पुनर्वास पैकेज का निर्धारण किया जाना चाहिए तथा लेपटकाटा के उन लोगों को सौंपा जाना चाहिए जिनकी भूमि परियोजना के लिए अधिगृहीत की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। अब कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): सरकार अपना वादा पूरा कर रही है, इससे संबंधित कार्य चल रहा है, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, असम सरकार और अन्य अधिकारियों के बीच एक संयुक्त उद्यम कम्पनी स्थापित करने संबंधी समझौता हो चुका है तथा कम्पनी की पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है। फीडस्टाक के मूल्य संबंधी समस्या पर भी विचार किया जाएगा तथा इसका समाधान किया जाएगा। यह हमारी वचनबद्धता है और हम इसे पूरा करेंगे।

****श्री पी. मोहन** (मदुरै): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया। तमिलनाडु के डाक विभाग में कई कर्मचारियों की सेवाओं को अभी भी नियमित किया जाता है जबकि वे कई वर्ष से लगातार अनियत मजदूर, अस्थायी स्टाक और दैनिक वेतन प्राप्त करने वाले मजदूरों के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा इनमें से कुछ की अनुकंपा आधार पर नियुक्त किया गया था। तमिलनाडु में अनियत मजदूर और अनुकंपा आधार पर नियुक्त कर्मचारी दोनों ही वर्गों के हजारों कर्मचारी 15 वर्षों से भी अधिक समय से नियमित क्षेत्र और स्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विगत सात वर्षों से मैं इस सभा में तमिलनाडु में अपनी सेवा शर्तों के निगमित होने की प्रतीक्षा कर रहे डाक कर्मचारियों के समक्ष आ रही समस्याओं को उठा रहा हूं। मैं तेरहवीं लोक सभा और 14वीं लोक सभा

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

दोनों में ही इस मुद्दे का उठा चुका हूं। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। मुझे खेद है कि मेरे प्रयासों का कोई लाभ नहीं हो रहा है। उनमें से 180 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति अनुकंपा आधार पर अस्थायी कर्मचारी के रूप में हुई थी। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ऐसे कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है। परंतु तमिलनाडु में 180 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें स्थायी कर्मचारी नहीं बनाया गया है। जहां तक तमिलनाडु में अनियत आधार पर काम पर लगाये गये मजदूरों का संबंध है वर्ष 2003 में ही चेन्नई में केन्द्रीय प्रसाशनिक न्यायाधिकरण द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में एक आदेश पारित किया गया था। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के विरोध में एक प्रशासन उच्च न्यायालय में गया। मद्रास उच्च न्यायालय ने भी यह निदेश दिया है कि इन कर्मचारियों की सेवाओं को तुरंत नियमित किया जाए। परंतु इन्हें अभी भी तमिल नाडु के डाक विभाग से पूर्ण न्याय नहीं मिला है। उन्होंने मांग की है कि 1988 से पूर्व अथवा उसके पश्चात् जिन्होंने 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया है उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। परंतु अभी भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। चेन्नई प्रभाग, कोयम्बटूर प्रभाग और विरुधुनगर प्रभाग ने ऐसे सभी कर्मचारियों को नियमित कर दिया है। परंतु मदुरै प्रभाग ने अभी भी उन्हें नियमित कर्मचारी बताकर उनके साथ न्याय नहीं किया है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह काफी लम्बे समय से न्याय का इंतजार कर रहे इन असहाय कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने हेतु उचित उपाय करें। डाक विभाग को उन्हें तुरंत नियमित करना चाहिए।

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल): मैं सरकार का ध्यान देश के विभिन्न न्यायालयों में वर्षों से था यूं कहें कि दशकों से लंबित पड़े लाखों मुकदमों और उनके निपटारे के लिए उठाये जाने वाले तात्कालिक कदमों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

इन मामलों के लंबित होने के कारण मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग एवं निर्धन वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित है। इन मामलों के त्वरित निपटारे के लिए निम्नांकित कार्यनीतियां अपनायी जा सकती हैं जिनमें मामलों को उनके विषयों एवं प्रकृति के अनुसार विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. पारिवारिक झगड़ों से जुड़े मामलों को जिला परिवार अदालत की स्थापना करके तथा यदि आवश्यक हो तो विचारण कैंप आयोजित करके शीघ्रता से निपटाया जा सकता है।

2. सम्पत्तियों से जुड़े सिविल विवादों को जिला-वार अथवा क्षेत्र-वार भूमि अधिकरण स्थापित करके निपटाया जा सकता है।

3. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सहकारी बैंकों, समितियों इत्यादि द्वारा की जाने वाली ठगी से उत्पन्न वित्तीय विवादों की बढ़ती संख्या से अभियोजन शक्ति संपन्न वित्तीय अधिकरण की स्थापना करके निपटा जा सकता है।

4. वर्षों से लंबित पड़े जिन छोटे छोटे मामलों में अभियुक्त को अभियोग पत्र तैयार किये बिना वर्षों से बंदी बनाए रखा गया है और जिनमें गरीबी रेखा से नीचे के लाखों गरीब लोग संलिप्त हैं, उन मामलों को सक्षम न्यायाधीश अथवा अदालत द्वारा तत्स्थानिक अभियोजन चला करके निपटाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री लक्ष्मण सेठ-उपस्थित नहीं है।

श्री पी. करुणाकरन: उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): मान्यवर, मेरे संसदीय क्षेत्र के खिमलासा के किले का गौरवमयी इतिहास है। इस किले में प्रवेश द्वार से भीतर जाने के स्थान से लेकर अंदर के सभी भवन-मंदिर, मस्जिद, बावड़ी आज भी काफी आकर्षण एवं रहस्य के लिये हैं, काफी दर्शनीय हैं। इस किले के अंदर दो बावड़ियां हैं, जिनमें से एक बावड़ी द्वारा ही गर्मी के दिनों में खिमलासा की काफी बड़ी आबादी को पेयजल उपलब्ध होता है। अनेक गुप्त रास्ते इस किले के विभिन्न स्थानों पर बने हुए हैं। किंतु पुरातत्व विभाग की उपेक्षा के कारण तथा पर्याप्त मरम्मत के अभाव में ऐतिहासिक किले का उड़िया दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया है जो कभी भी ढह सकता है। इस कारण बड़ी दुर्घटना होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।

ऐतिहासिक खिमलासा किला पुरातत्व विभाग के अधीन है। किले की सुरक्षा एवं देखभाल का दायित्व विभाग पर है लेकिन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। पुरातत्व विभाग से इसकी मरम्मत एवं रखरखाव हेतु समय-समय पर राशि उपलब्ध कराई जाती है लेकिन कर्मचारियों की उपेक्षा के कारण किले का फांसी दरवाजा और बसाहरी दरवाजा क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अब उड़िया दरवाजा भी अपना अस्तित्व खोने जा रहा है। यदि जल्द ही दरवाजे की मरम्मत नहीं कराई जाती है तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है। स्थानीय व्यक्तियों द्वारा दरवाजे की मरम्मत एवं किले का जीर्णोद्धार कराये जाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय से अनुरोध है कि खिमलासा किले का शीघ्र ही जीर्णोद्धार कराया जाये

[अनुवाद]

श्री जी. करुणाकर रेड्डी (बेल्लारी): महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आम जनता विशेष रूप से मासिक टिकटधारी यात्रियों, कार्यालय जाने वालों एवं विद्यालय जाने वाले बच्चों जो रेलगाड़ी से जाते हैं द्वारा कर्नाटक में बेल्लारी से रेलगाड़ियों के परिचालन समय में हुए परिवर्तन के कारण उन्हें होने वाली समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा।

हावड़ा-वास्को सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलने से विजयवाड़ा और हुबली के बीच चलने वाली अमरावती एक्सप्रेस रेलगाड़ी के समय में परिवर्तन कर दिया गया है। इसके पहले अमरावती एक्सप्रेस बेल्लारी से सुबह 7.25 बजे चला करती थी जिससे कई दैनिक यात्रियों को सुविधा होती थी। अब इसका समय परिवर्तित करके सुबह 5.20 बजे कर दिया गया है। इससे न केवल मासिक टिकटधारी यात्रियों बल्कि कार्यालय जाने वाले एवं विद्यालय जाने वाले बच्चों, जो अपने गन्तव्य पर समय पर पहुंचने के लिए इस ट्रेन का उपयोग करते थे, को बहुत कठिनाई हो गयी है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस रेलगाड़ी के समय को बदलकर इसके पूर्व के समय अर्थात् 7.25 बजे सुबह कर दिया जाए।

दिन के समय हुबली की ओर जाने वाली अंतिम रेलगाड़ी अर्थात् बंगलौर हुबली लिंक एक्सप्रेस अब सुबह 6.10 बजे चलती है। इससे भी दैनिक यात्रियों एवं सामान्य जन को बहुत कठिनाई एवं असुविधा होती है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि वे रेल यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए निम्नांकित विकल्पों पर विचार करें:

(1) हम्पी एक्सप्रेस अर्थात् गाड़ी सं. 6591/6592 को बेल्लारी से सुबह 6.10 बजे चलने के बजाए सुबह 6.45 बजे चलाने की व्यवस्था की जाए;

(2) बंगलौर-हॉस्पेट यात्री गाड़ी सं. 583/584 का समय बदलकर इसे सुबह 10.45 बजे के बदले बेल्लारी से सुबह 8.00 बजे चलाया जाए; तथा

(3) गुन्तकल-गडग यात्री गाड़ी को फिर से बहाल किया जाए। यह गाड़ी आमान परिवर्तन से पूर्व गुन्तकल एवं गडग के बीच चलती थी।

आमान परिवर्तन पूर्ण होने के बाद भी अब तक इस गाड़ी को बहाल नहीं किया गया है। लोगों की समस्याओं को देखते हुए मैं माननीय रेल मंत्री जी से इस मामले की जांच करने तथा कर्नाटक में मेरे संसदीय क्षेत्र बेल्लारी के लोगों के हित के लिए इस संबंध में तत्काल कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, मुझे बोलने का यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। इस पूरे सदन के लिए यह एक गंभीर चिंता का विषय है जिसकी ओर मैं संघीय मंत्रिमंडल का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। सामान्यत: स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि. के सभी कर्मचारियों को उनका बकाया वेतन नहीं मिल रहा है और विशेषकर दुर्गापुर इकाई के कर्मचारियों को 22 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि भुखमरी की वजह से कोई मृत्यु होती है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदारी होगी। मैं मांग करता हूं कि सरकार इन कामगारों का वेतन जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाए। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि वर्ष 1998 में एक पुनरुद्धार पैकेज संबंधी निर्णय लिया गया था। किंतु यह अभी भी लंबित पड़ा है। मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली की उन्हें भी संपूर्ण राशि नहीं की गई क्योंकि युक्त राशि सरकार ने जारी ही नहीं की।

इसलिए मैं सरकार से संपूर्ण बकाया राशि जारी करने का अनुरोध करता हूं ताकि कोई भी कर्मचारी भूख से न मरे और भुखमरी से कोई मृत्यु न हो। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह): महोदय, सदन के माध्यम से अति लोक महत्व समस्या पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि झारखंड राज्य धनबाद जिला के कतरास बाजार में राजहंस रिफ्रेक्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिससे हजारों लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और कुछ लोग काल कलवित हो गए हैं। हवा के साथ-साथ पानी भी प्रदूषित हो रहा है, जिसके सेवन से कैंसर सहित कई भयानक बीमारियां फैल रही हैं। इस कारखाने की चिमनी लगातार प्रदूषित धुआं उगलती है, जिसके कारण राजेन्द्र कन्या विद्यालय, हरिजन मध्य विद्यालय, राजेन्द्र बालिका उच्च विद्यालय, जी.एल.एम. इंटर कालेज के छात्र, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का तिलैयाटॉड अस्पताल समेत कई संस्थान इससे प्रभावित हो रहे हैं। अनेक बार स्थानीय प्रशासन में इसकी शिकायत की गई है, किंतु अभी तक राजहंस रिफ्रेक्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से निकल रहे प्रदूषण की रोकथाम का प्रबंध नहीं किया गया है। कारखानों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से स्थानीय निवासियों में भारी असंतोष है तथा वहां कभी भी उग्र आंदोलन का रूप धारण कर सकता है, जिसके कारण वहां की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है।

अत: सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि कतरास के निवासियों को तत्काल राजहंस रिफ्रेक्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से निकल रहे प्रदूषण से मुक्त कराने हेतु प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा गुरुवार 14 दिसम्बर, 2006 को पूर्वाह्न 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.52 बजे

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 14 दिसम्बर, 2006/23 अग्रहायण, 1928 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री जोवाकिम बखला	302
2.	श्री बालासाहिब विखे पाटील	303
3.	श्री रघुराज सिंह शाक्य श्री हेमलाल मुर्मू	304
4.	श्री अधीर चौधरी	305
5.	श्री उदय सिंह	306
6.	श्री ब्रजेश पाठक	307
7.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	308
8.	श्री रायापति सांबासिवा राव	309
9.	श्री दरोगा प्रसाद सरोज	310
10.	श्री ई. पोन्नुस्वामी	311
11.	श्री रेवती रमन सिंह	312
12.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी श्री ई.जी. सुगावनम	313
13.	श्री कीरेन रिजीजू	314
14.	श्री अजय चक्रवर्ती श्री रघुनाथ झा	315
15.	श्री चंद्रकांत खैरे	316
16.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	317
17.	श्री सुबोध मोहिते	318
18.	श्री एम. अंजनकुमार यादव श्री गिरधारी लाल भार्गव	319
19.	एडवोकेट सुरेश कुरूप	320
20.	श्री हरिभाऊ राठौड़	321

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	3048
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	3058
3.	आदित्यनाथ, योगी	3026
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2942, 3057, 3090
5.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	3105
6.	अहीर, श्री हंसराज जी.	2930, 3018, 3091
7.	अनंत कुमार, श्री	3064
8.	अप्पादुरई, श्री एम.	2963, 3149
9.	आठवले, श्री रामदास	3055, 3153
10.	बैठा, श्री कैलाश	2971
11.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	3013, 3121
12.	बर्मन, श्री हितेन	3002
13.	बर्मन, श्री रतेन	2993, 3151
14.	बाउरी, श्रीमती सुस्मिता	2988, 3095
15.	बखला, श्री जोवाकिम	3065
16.	भडाना, श्री अवतार सिंह	3145
17.	भगोरा, श्री महावीर	3056
18.	भक्त, श्री मनोरंजन	2976, 3100
19.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	3046
20.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	2981, 2996
21.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2932, 3085
22.	बोस, श्री सुब्रत	2955
23.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3072
24.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	3050

1	2	3
25.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2959, 3140, 3141
26.	चिन्ता मोहन, डा.	3039, 3044
27.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	3028
28.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	2949, 3082
29.	चौधरी, श्री पंकज	3012
30.	चौधरी, श्री अधीर	3011, 3119
31.	देवरा, श्री मिलिन्द	2945, 3084
32.	धनराजू, डा. के.	3062
33.	दूबे, श्री चन्द्र शेखर	2999
34.	फर्नान्डीज, श्री जार्ज	2965
35.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	2962, 3079
36.	गढ़वी, श्री पी.एस.	3005, 3120
37.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2968
38.	गंगवार, श्री संतोष	2986, 3031
39.	गहलोत, श्री थावरचन्द	3037
40.	जार्ज, श्री के. फ्रांसिस	3053
41.	हसन, चौधरी मुनव्वर	3022, 3117
42.	जय प्रकाश, श्री	2933, 3073
43.	जगन्नाथ, डा. एम.	3047
44.	जटिया, डा. सत्यनारायण	2956
45.	जयाप्रदा, श्रीमती	2941, 3041
46.	झा, श्री रघुनाथ	3067
47.	जिन्दल, श्री नवीन	2957, 3146
48.	जोगी, श्री अजीत	3051
49.	जोशी, श्री प्रहलाद	2951, 3075
50.	कलमाडी, श्री सुरेश	2983

1	2	3
51.	कनोडीया, श्री महेश	3023
52.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	3013, 3127
53.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3068
54.	खां, श्री सुनील	2988, 3000, 3095
55.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	2982, 3099
56.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2925, 3086
57.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2954, 3076
58.	कोन्यक, श्री डब्ल्यू वांग्यू	2970
59.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2938, 3051, 3071, 3114
60.	कृष्ण, श्री विजय	2943, 3118
61.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	3127
62.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	3039
63.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3019, 3116, 3143
64.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	3010, 3107
65.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	3052
66.	महतो, श्री सुनिल कुमार	3004, 3128
67.	महताब, श्री भर्तृहरि	3149
68.	महतो, श्री टेक लाल	2985, 3152
69.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	3061
70.	माने, श्रीमती निवेदिता	2968
71.	मनोज, डा. के.एस.	3040, 3127
72.	मसूद, श्री रशीद	2939, 3093
73.	मेघवाल, श्री कैलाश	2953
74.	मेहता, श्री आलोक कुमार	3024
75.	मेहता, श्री भुवेश्वर प्रसाद	2981, 3104, 3154

1	2	3
76.	मैन्या, डा. टोकचोम	3018, 3150
77.	मिश्रा, डा. राजेश	3043, 3145
78.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	3013
79.	मोघे, श्री कृष्ण मुरारी	3029, 3136
80.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	2944, 3077
81.	मोहन, श्री पी.	3042, 3144
82.	मो. ताहिर, श्री	3034
83.	मोहिते, श्री सुबोध	3080
84.	मूर्ति, श्री ए.के.	2941, 3030
85.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3104
86.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	2931, 3081
87.	नन्दी, श्री अमिताभ	3045
88.	निखिल कुमार, श्री	3011, 3119
89.	नायक, श्रीमती अर्चना	3060
90.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	2972
91.	ओराम, श्री जुएल	2979
92.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	2937, 3115
93.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	2950, 3074, 3147
94.	पाण्डा, श्री प्रबोध	3025, 3137
95.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2986
96.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2934, 3135
97.	पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई	2973, 3131
98.	पटेल, श्री जीवभाई ए.	2958, 2966, 3004, 3036, 3092
99.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3021
100.	पटैरिया, श्रीमती नीता	3035
101.	पाठक, श्री ब्रजेश	3092, 3154
102.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	3081
103.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	2929, 3069
104.	पटले, श्री शिशुपाल	2991, 2992, 3034, 3101
105.	पिंगले, श्री देविदास	2998, 3109
106.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	3124
107.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3001, 3126, 3129
108.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	3027, 3108, 3125
109.	राजगोपाल, श्री एल.	2927, 3070
110.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	2969, 3088
111.	राजेन्द्रन, श्री पी.	2961
112.	रामदास, प्रो. एम.	3038
113.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2947, 3036, 3130
114.	राणा, श्री काशीराम	2966, 3148
115.	राव, श्री के.एस.	2960, 3112
116.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3122
117.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3079
118.	रावत, प्रो. रासा सिंह	2990, 3098
119.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	3033
120.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	3017, 3134
121.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3030
122.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3126
123.	रिजीजू, श्री कीरेन	3103
124.	साई प्रताप, श्री ए.	3050
125.	सांगवान, श्री किशन सिंह	3063

1	2	3
126.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2977, 3027, 3110
127.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	2941, 2967, 3087
128.	सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	3123
129.	सरोज, श्री तूफानी	3014
130.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	3016, 3133
131.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2997, 3102
132.	सेनथिल, डा. आर.	3127
133.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	3111
134.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3057, 3090
135.	शिवन्ना, श्री एम.	3008, 3143
136.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2989, 2991, 3003, 3034, 3096
137.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2928, 3083
138.	सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी	2974, 3089
139.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2936, 3105
140.	सिह, बृजभूषण शरण	3006
141.	सिंह, श्री गणेश	3009, 3142
142.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	3020
143.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2935, 3066
144.	सिंह, श्री राकेश	3036, 3139
145.	सिंह, श्री रेवती रमन	3113
146.	सिंह, श्री सीताराम	3024
147.	सिंह, श्री सुग्रीव	2975, 3021, 3097
148.	सिंह, श्री सूरज	3049
149.	सिंह, श्री उदय	3106
150.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	3054
151.	सुब्बा, श्री एम.के.	2952
152.	सुब्बारायण, श्री के.	3050
153.	सुगावनम, श्री ई.जी.	3078
154.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	2994, 3108
155.	शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	3059
156.	सुमन, श्री रामजीलाल	3039, 3044
157.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	2946, 3114
158.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2991, 3013
159.	थामस, श्री पी.सी.	3015, 3027, 3132
160.	ठुम्मर, श्री वी.के.	2926, 2959, 3092, 3140
161.	तोपदार, श्री तरित बरण	3032
162.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3031, 3149
163.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2987, 3027, 3138
164.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2995, 3147
165.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	2978
166.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2964
167.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	2980
168.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2948, 3057, 3090
169.	वर्मा, श्रीमती ऊषा	3007
170.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	3094, 3129
171.	यादव, श्री बालेश्वर	2940, 2983
172.	यादव, श्री गिरिधारी	2978, 3036, 3094, 3141
173.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	2989, 2992, 3034, 3096
174.	यादव, श्री राम कृपाल	2984
175.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3030

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	321
कोयला	:	302, 308, 319
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	312, 316, 317, 318
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
विदेश	:	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	303, 304, 305, 306, 313, 314, 315, 320
प्रवासी भारतीय कार्य	:	307
पंचायती राज	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	309
योजना	:	
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	310, 311
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	2934, 2957
कोयला	:	2930, 2981, 2983, 2988, 2996, 2999, 3009, 3011, 3031, 3058, 3094, 3096, 3151
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	2926, 2936, 2941, 2943, 2948, 2950, 2958, 2959, 2966, 2971, 2972, 2975, 3008, 3022, 3025, 3030, 3032, 3036, 3045, 3049, 3055, 3063, 3066, 3072, 3076, 3082, 3084, 3086, 3088, 3090, 3092, 3107, 3110, 3111, 3113, 3117, 3122, 3128, 3130, 3147, 3148
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	2967, 3059, 3087
विदेश	:	3006, 3017, 3035, 3038, 3039, 3048, 3052, 3056, 3071, 3080, 3081, 3119, 3132, 3134, 3140, 3149, 3154
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	2928, 2935, 2939, 2946, 2954, 2962, 2977, 2978, 2980, 2984, 2991, 2994, 2995, 3000, 3001, 3003, 3007, 3010, 3012, 3019, 3023, 3024, 3029, 3042, 3047, 3062, 3064, 3078, 3091, 3093, 3097, 3100, 3112, 3114, 3118, 3123, 3125, 3127, 3129, 3133, 3135, 3139, 3141, 3144
प्रवासी भारतीय कार्य	:	2968, 3051
पंचायती राज	:	2989, 2993, 3050, 3131
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	2933, 2942, 2965, 2982, 2986, 3014, 3015, 3018, 3040, 3073, 3079, 3085, 3104, 3108, 3115, 3150, 3153
योजना	:	2944, 2949, 2956, 2964, 2973, 2992, 3004, 3016, 3021, 3033, 3041, 3044, 3070, 3077, 3102, 3106, 3138
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	2929, 2931, 2932, 2937, 2938, 2945, 2947, 2951, 2952, 2955, 2961, 2970, 2976, 2979, 2987, 2990, 2997, 3005, 3013, 3020, 3026, 3027, 3037, 3043, 3046, 3053, 3054, 3057, 3061, 3067, 3068, 3075, 3095, 3098, 3099, 3101, 3103, 3105, 3109, 3120, 3121, 3124, 3136, 3137, 3143, 3145
अंतरिक्ष	:	2963, 3116
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	2925, 2927, 2985, 3126
युवक कार्यक्रम और खेल	:	2940, 2953, 2960, 2969, 2974, 2998, 3002, 3028, 3034, 3060, 3065, 3069, 3074, 3083, 3089, 3142, 3146, 3152.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/24/16/2006 (एन०)

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और श्री एन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।